बुधवार, 11 अगस्त 1982

20 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

संख्या 23, बुधवार, 11 अगस्त, 1982/20 श्रावण, 1904 (शक)

विषय	क्रम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
ईरान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2-20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 449 से 451, 453, 454 और 456	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20-210
तारांकित प्रश्न संख्या : 452, 455 और 457 से 469	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4974 से 5035 और 5037 से 5220	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2966 दिनांक 28-7-82 में शुद्धि करने वाला विवरण	210-213
सभापटल पर रखे गये पत्र	213-218
संसदीय समितियां—कार्य का सारांश	219
राज्य सभा से संदेश	219
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 48वां प्रतिवेदन	219
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के कार्यकरण संबंधी संयुक्त समिति प्रतिवेदन	219
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण सम्बन्धी संयुक्त समिति साक्ष्य	220
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति चौथा प्रतिवेदन	220

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
रेल अभिसमय समिति	220-222
छठा प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	223-230
(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6	
श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी	223
(दो) उड़ीसा में पारादीप में एक आयल टर्मिनल स्थापित करना	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	224
(तीन) मिर्जापुर जिले के कुछ खंडों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र घोषित करने की मांग	224
श्री उमाकांत मिश्र	
(चार) बिहार के कटिहार जिले में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के लिए राहत उपाय	
श्री तारिक अनवर	225
(पांच) पेरियार ई० वी० रामास्वामी के जन्म-दिन, 17 सितम्बर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाना	225
श्री जयपाल सिंह कश्यप	
(छ) कागज का मूल्य अधिक होने के कारण प्रकाशन उद्योग में कथित संकट	
श्री अर्जुन सेठी	226
(सात) त्रिवेन्द्रम से दोहा और मस्कट के लिए एयर इण्डिया की सीधी विमान सेवा की आवश्यकता	226
प्रो० पी० जे० कुरियन	
(आठ) बंगलौर नगर में सर्कुलर/रिंग रोड परिवहन सेवा की मांग	
श्री टी० आर० शमन्ना	227
(नौ) मध्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा आदिवासियों की कथित बेदखली	
श्री बाबूराव परांजपे	228
(दस) बिहार में सन्थाल परगना के सूखे से पीड़ित आदिवासियों के लिए राहत उपाय	
श्री रामावतार शास्त्री	228

विषय	पृष्ठ
(ग्यारह) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर-दरभंगा और समस्तीपुर-खगड़िया सैक्शनों पर यात्री रेलगाड़ी सेवाओं को पुनः आरम्भ करना	229
प्रो० अजित कुमार मेहता	
(बारह) कार्मिकों के भविष्य-निधि के अंशदान को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की आवश्यकता	230
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम	
मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	230—
श्री के० राममूर्ति	231
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	231
श्री के० ए० राजन	234
श्री गिरधारी लाल व्यास	236
श्री चित्त बसु	239
श्री भागवत झा आजाद	242
खंड 2 से 14 और 1 पास करने का प्रस्ताव	245—251
श्री भागवत झा आजाद	249
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	249
प्रो० अजित कुमार मेहता	250
श्री सोमनाथ चटर्जी	250
चिट फण्ड विधेयक	552—557
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	252
श्री सोमनाथ चटर्जी	252
श्री हरीश कुमार गंगवार	253
श्री जगपाल सिंह	254
सहमति का प्रस्ताव	256
श्री जनार्दन पुजारी	256
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	260—261

विषय	पृष्ठ
पिछड़े वर्ग आयोग, 1980 के प्रतिवेदन पर चर्चा	257—360, 261—311
श्री राम विलास पासवान	261
श्री उत्तम राठौर	274
प्रो० रूप चन्द पाल	277
श्री जयराम वर्मा	283
श्री चन्द्रजीत यादव	288
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	296
श्री बी० आर० भगत	300
श्री जैनुल बशर	307
श्री के० मायातेवर	311
श्री डी० के० नायकर	316
श्री सुन्दर सिंह	320
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	324
श्री ईरा अनबारासु	327
श्री रतनसिंह राजदा	331
श्री वी० एस० विजय राघवन	336
श्री रामावतार शास्त्री	339
श्री पी० नामग्याल	343
श्री जयपाल सिंह कश्यप	346
श्री जे० सी० बरवे	348
प्रो० सत्यदेव सिंह	349
श्री डी० पी० यादव	351
श्री डूंगर सिंह	359
प्रो० नारायण चन्द पराशर	361
श्री ए० के० राय	365

विषय	पृष्ठ
श्री चिन्तामणि जेना	367
श्री राम प्यारे पनिका	371
श्री कैयूर भूषण	373
श्री गिरधारी लाल व्यास	376
श्री धनिक लाल मंडल	377
श्री आर० वेंकटरामन	384
राज्य सभा से संदेश	291—292

लोक-सभा

बुधवार, 11 अगस्त, 1982 / 20 श्रावण, 1904 (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री एस० के० पोट्टाकट्टी के दुःखद निधन की सूचना देनी है। वह 1962-67 के दौरान केरल के तेल्लीचेरी निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के लिये चुने गये थे।

एक कुशल स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में उन्होंने एक भूमिगत पत्रिका भी निकाली थी।

विद्वान एवं विख्यात मलयाली लेखक के रूप में उन्हें राज्य साहित्य एकादमी के अनेकों पुरुस्कारों से पुरस्कृत किया गया था और सन् 1980 में उन्हें प्रतिष्ठित भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था।

वह अपने राज्य में अनेकों सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संगठनों से सम्बद्ध रहे थे।

उनका निधन कोजीकोट में 6 अगस्त को 69 वर्ष की अवस्था में हुआ।

हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करने में यह सदन भी मेरे साथ है।

सदन के सदस्यगण अपना शोक व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े हो जायें।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े हुये।

———

ईरान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से और इस सदन के माननीय सदस्यों की ओर से ईरान इस्लामी गणतंत्र की इस्लामिक कंसलेटेटिव असेम्बली के अध्यक्ष महामहिम होजात-उल-इस्लाम अकबर हाशमी रफ्शनजानी तथा ईरान की संसद के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का, जो हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत आये हैं, हार्दिक स्वागत करता हूं।

प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य हैं :

(1) मि० सैय्यद हुसैन मुसावियानी, खान तथा धातु मंत्री

(2) मि० मजीद हदायत जेद्दा, वरिष्ठ वाणिज्य उपमंत्री

(3) मि० हुसैन काजमपोर अर्देबिली, उप विदेश मंत्री और आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभारी

(4) डा० हसन फेरीदून रुहानी, संसद सदस्य

(5) मि० मुर्तजा कार्टरेई, संसद सदस्य

(6) मि० मनुचेहर भोट्टाकी, संसद सदस्य

प्रतिनिधि मंडल कल यहां पहुंचा। वे इस समय स्पेशल बाक्स में आसीन हैं। हम उनके माध्यम से ईरान इस्लामी गणतंत्र के राष्ट्रपति महामहिम आयतुल्ला अल अजमेर इमाम रोहेल्ला खुमैनी, ईरान इस्लामी गणतन्त्र के प्रधान मंत्री महामहिम मिस्टर मीर हुसैन मुसावी मैत्रीपूर्ण ईरान इस्लामी गणतन्त्र की जनता तथा सरकार को अपनी शुभ कामनायें भेजते हैं।

———

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय प्रेस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से बिहार प्रेस बिल का विरोध किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 449 डा० कृपा सिंधु भोई (व्यवधान)

श्री रामप्यारे पनिका : कभी-कभी यह बहुत बुरा महसूस होता है। (व्यवधान)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिमालयी पारिस्थितिकी और विकास संस्थान

*449 **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र में पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं तथा वन और जल स्रोतों के रूप में प्राप्त प्रचुर जैविक विरासत के संरक्षण पर मुख्य रूप से बल देते हुए हिमालयी पारिस्थितिकी और विकास संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) क्या इस संस्थान का मास्टर-प्लान तैयार कर लिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय मानव तथा जीव-मण्डल समिति ने, जो कि पर्यावरण विभाग का एक सलाहकार निकाय है, हिमालयी पर्यावरण तथा विकास के एक संस्थान की स्थापना की सिफारिश की है। मानव तथा जीव-मण्डल समिति की सिफारिशों के

अनुसार, यह संस्थान नीति आयोजन, अनुसन्धान तथा विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा । इसका कार्यक्रम हिमालयी क्षेत्र के प्राकृतिक साधनों के संरक्षण और उनके युक्तिमूलक उपयोग पर केन्द्रित होगा । प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है । इसकी रूपात्मकतायें तैयार की जा रही हैं ।

डा० कृपासिन्धु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमालयी परिस्थितिकी और अन्य प्राकृतिक साधनों के संरक्षण का प्रश्न उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि राष्ट्र के स्वास्थ्य को बनाये रखना हो । प्रदूषण मुक्त वायु में सांस लेना हो, बाढ़, सूखा और तूफान को रोकना हो तथा वर्तमान कठिनाइयों को दूर करना हो ।

माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही संक्षिप्त सा उत्तर दिया है । परन्तु मैं उनसे इस बारे में स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग में कोई तदुद्देश्यीय दल बनाने का प्रस्ताव है या उसमें यह दल पहले से ही कार्यरत है और क्या उसने सरकार को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अनुमानित वन क्षेत्र का 33 प्रतिशत भाग हिमालीय क्षेत्र के मध्य में पड़ता है और अब यह होकर 6% से 8% रह गया है । उन्होंने इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए कुछ कार्यक्रमों का सुझाव दिया है । योजना आयोग के उस तदुद्देश्यीय दल की सिफारिशों का क्या ब्यौरा है ?

(ख) इस क्षेत्र विशेष में वनों की भारी बरबादी को देखते हुए क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों के कानून गैर-कानूनी रूप से उन विशेष क्षेत्रों में पेड़ों के काटने और खानों की खुदाई को रोकने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से खुदाई, आदि कराता है तो उन सभी राज्यों में केवल 1000/ रुपये जुर्माने का दण्ड दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

डा० कृपासिन्धु भोई : श्रीमती गांधी जब मंसूरी गई थी तो उन्होंने गैर-कानूनी रूप से खुदाई किये जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

डा० कृपासिंधु भोई : गैर-कानूनी रूप में खुदाई रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं । यह एक ऐसा विषय है जिसमें इस सदन के प्रत्येक सदस्य की गहरी रुचि है क्योंकि आज हमारे हिमालयी क्षेत्र की प्रचुर पारिस्थितिकी विचित्रता अनेकों कारणों से नष्ट होती जा रही है और उनमें से एक समस्या है वृक्षों का काटा जाना । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वृक्षों के काटे जाने के सम्बन्ध में केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति द्वारा सिफारिश किये जाने तक एक स्थाई प्रतिबन्ध लगाया है कि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ निश्चित ऊंचाई तक कोई वृक्ष नहीं काटा जायेगा । लेकिन जहां तक इसके कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, हर कोई जानता है कि हिमालयी क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर निगरानी कराना बड़ा मुश्किल है । चूंकि अन्धाधुन्ध वृक्षों के काटे जाने और पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई करने और इसके परिणाम स्वरूप भूमि के कटाव के कारण अब पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में एक जागृति पैदा हो चुकी है, इसलिये

इससे वहां के निवासियों के लिए एक सामाजिक-आर्थिक समस्या पैदा हो गई है। भारत सरकार ने अनेकों समितियां बनाई हैं और इसलिए, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, राज्य सरकारों, और योजना आयोग ने एक तदुद्देश्यीय दल गठित किया है। उस तदुद्देश्यीय दल ने सिफारिश की है कि : (1) माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हिमालयी पारिस्थितिकी विकास आयोग का नीति-निदेशों के लिए गठन किया जाना चाहिए, (2) कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों का निदेशन करने एवं तैयार करने तथा वित्तीय व्यवस्था करने के लिये योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में केन्द्रीय समन्वय परिषद बनानी चाहिए। (3) कार्यक्रमों पर निगरानी रखने तथा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए केन्द्रीय समन्वय कक्ष बनाना चाहिए।

माननीय सदस्य का तीसरा प्रश्न था कि माननीय प्रधानमंत्री जी मंसूरी का दौरा करें। यहां ऐसे कितने ही सदस्य हैं जिन्होंने उस स्थान को देखा है और यह जानते हैं कि दूनघाटी गंगा और यमुना नदियों की तराई में बसी हुई है। जब तक कि इसकी तराई स्तर तक पूरी तरह सुरक्षा नहीं की जाती तब तक हम नदी को घाटी तक नहीं ला सकते। इसलिए, सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह से एक दूनघाटी समिति का गठन किया है, जिसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं और अब हम इस समिति की सिफारिशों की जांच कर रहे हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : 1975-76 में जब मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था तो श्रीमती गांधी ने स्पष्ट आह्वान किया था कि प्राथमिक स्तर से लेकर कालेज स्तर तक के सभी छात्रों द्वारा राष्ट्र के प्रति शपथ लेनी चाहिए। इसका आशय है कि उन्हें यह समझना चाहिए कि इस देश की पारिस्थितिकी, भौगोलिकी एवं इसकी रूपरेखा अथवा आकार कैसा है। इस सन्दर्भ में, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है—क्या सारे देश की वैकलपिक संस्थाओं में पारिस्थितिकी और पर्यावरणकी अध्ययन के विषय होंगे ? यदि हां, तो उस विषय में शिक्षा मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या मंत्रालय ने शिक्षा विभाग को कोई नीति बनाने के लिये कहा है ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्राइवेट रसायन कारखाने और तीन सीमेंट कारखानों के हिमालय-पट्टी में लगाये जाने की अनुमति दे दी है। जिससे उस क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी नष्ट हो जाएगी और यदि ज्ञात है तो वे क्या कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री सी० पी० एन० सिंह : इस क्षेत्र में तथा हिमालय पर्वतमाला के कई भागों में पारिस्थितिकी नष्ट होने की समस्या दुःखदायी होती जा रही है क्योंकि जो कुछ हिमालय पर्वतमाला में घटित होता है उसका प्रभाव न केवल उसी क्षेत्र के लोगों के जीवन पर पड़ता है बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि नदियों में रेत जम जाती है और जैसा कि मैंने पहले कहा है हम अब कई पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पर्यावरण-शिक्षा के बारे में उठाये गए प्रश्न का सम्बन्ध है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक लोगों को यह ज्ञान नहीं होगा कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण का अर्थ क्या है ? तब तक प्रकृति के सिद्धान्तों का पालन करना बहुत कठिन होगा।

माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग एक रासायनिक कारखाने और तीन सीमेंट कार-

खानों के बारे में है जो दून घाटी में लगाये गए हैं। यह राज्य का मामला है। हम राज्य सरकार को इस पर सहमत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे नाजुक पारिस्थितिकी वाले क्षेत्रों में प्रदूषण रहित उद्योग लगाएं। लेकिन इस मामले में हम उन्हें कह ही सकते हैं। पर्यावरण विभाग और हमारे कई वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि रासायनिक तथा अन्य प्रदूषक उद्योग इन क्षेत्रों में नहीं लगाये जाने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, श्रीमन ऊंची पर्वतमाला के कारण दून घाटी में कार्बन डाइआक्साइड एक विशेष ऊंचाई से ऊपर नहीं जा सकती और इससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रदूषण हो जाता है।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : जैसा मंत्री जी ने बताया कि दून वेली के लिए एक बोर्ड बनाया गया है ; तो मैं जानना चाहता हूं कि देहरादून के ऊपर का जो गढ़वाल का इलाका है उसी के लिए यह बोर्ड बनाया गया है या हिमाचल प्रदेश की रेखा के लिए भी है ? उस बोर्ड में हमें भी कोई नुमाइन्दगी दी है, या दूसरा बोर्ड हिमाचल के लिए बनाने का विचार है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : बोर्ड जो स्थापित होगा, यह सिर्फ देहरादून के लिए नहीं हैं बल्कि पूरे हिमालयन रेंज के लिए है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है।

श्री मनोरंजन भक्त : श्रीमन्, 1980 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने पारिस्थितिकी समिति और पर्यावरण समिति को आदेश दिया था कि वे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य-क्षेत्र की पारिस्थितिकी समस्याओं का अध्ययन करें। क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है या नहीं, और यदि है तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : कुछ लोगों को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की पारिस्थितिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए कहा गया था। लेकिन हमने जिन सुयोग्य व्यक्तियों को भेजना चाहा था उन्हें नहीं भेज सके थे। जैसा कि आप जानते हैं उस क्षेत्र के जंगलों के कारण और वहां की विशिष्टि पारिस्थितिकी—प्रणाली के कारण जब तक वे लोग जिन्होंने इन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, एकत्र होकर वहां नहीं जाते तब तक, मेरे विचार में, कृषिक बल का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ सुयोग्य व्यक्ति उस क्षेत्र का दौरा करें और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि यह कार्य बहुत जल्द किया जाएगा।

11 अगस्त, 1982 को होने वाली सदन की बैठक के लिए अमेरिका द्वारा भारत को समृद्ध ईंधन की सप्लाई

*450. **श्री जी० नर्हासिंह रेड्डी :**
श्री के० राममूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की अमरीका यात्रा के दौरान भारत के परमाणु

बिजली संयंत्रों के लिए समृद्ध ईंधन की सप्लाई के प्रश्न पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री जी की हाल ही की वाशिंगटन-यात्रा के दौरान भारत और अमरीका के बीच हुई सहमति के अनुसार, तारापुर परमाणु बिजली घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईंधन देने का दायित्व अमरीका के स्थान पर फ्रांस द्वारा, सन् 1963 में भारत और अमरीका के बीच हुए सहकार करार और उस करार पर आधारित सुरक्षोपायों संबंधी विभिन्न करारों की सीमा में रखते हुए, ले लिया जायेगा। ईंधन देने के लिए आवश्यक तरीकों के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री जी० नरसिंह रेड्डी : मैं अपनी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने···सफलतापूर्वक···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें किस बात के लिए बधाई दे रहे हैं ? हम आपकी बात पूरी नहीं सुन सके।

श्री जी० नरसिंह रेड्डी : पहले आप मुझे बोलने तो दीजिए। मैं विपक्षी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा धैर्य रखें और मुझे बोलने दें।

संयुक्त राज्य अमरीका जाने के लिए और हमारे परमाणु संयंत्रों के लिए वांछित ईंधन प्राप्त करने में सफलता के लिए और साथ-साथ अमरीका के साथ राजनयिक संबंध सुधारने के लिए भी बधाई देता हूं।

कल विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने, उधर के एक नेता ने, सभा में कहा था—उन्होंने तथ्यों का पता लगाये बिना ही सभा में कहा—कि प्रधान मंत्री की अमरीका की यात्रा उस करार के साथ विश्वासघात है जो हमने अमरीका के साथ किया था। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : आप अधिक समय लगा रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जी० नरसिंह रेड्डी : नहीं, श्रीमन्। मैं आपका बहुत आज्ञाकारी सदस्य हूं। आप मुझे अपने प्रश्न का प्रतिपादन करने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं···(**व्यवधान**)

श्री जी० नरसिंह रेड्डी : विपक्ष के लोग राजनीति से प्रेरित हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न करिए :

श्री जी० नरसिंह रेड्डी : मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं आपके आज्ञाकारी सदस्यों में से हूं। कृपया मुझे अपने प्रश्न का प्रतिपादन करने दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री जी० नरसिंह रेड्डी : मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी समाचार-पत्रों ने भी हमारी प्रधान मंत्री की सफल अमरीका यात्रा की प्रशंसा की है।

अपने प्रश्न पर आते हुए, सीधा सा प्रश्न है, मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह सफलता है ?

श्री जी० नरसिंह रेड्डी : कुछ इन्तजार कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमें अब तक तारापुर रिएक्टर के पास दबे पड़े लगभग 320 टन प्रयुक्त ईंधन को पुर्नसंसाधित करने दिया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसा करने की अनुमति होगी ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : तारापुर में पुर्नसंसाधन की सुविधाओं के बारे में, 1963 में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किए गए करार में, स्पष्टतः एक खंड था कि हम प्रयुक्त ईंधन को पुर्नसंसाधित कर सकेंगे। इस संबंध में उचित समय पर कार्रवाई की जाएगी और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे क्योंकि यह प्रश्न कई बार आ चुका है और सरकार द्वारा यही कार्रवाई की जाने की आशा है। उत्तर के शुरू के भाग को मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री की यात्रा ने जो असर दिखाया है इससे उस बहुत भारी समस्या को सुलझाने में सहायता मिली है जो अमरीका से समृद्ध यूरेनियम न आने के कारण बनी हुई थी। इस करार से अब हमारी बिजली की स्थिति सुधर जाएगी और इस संयंत्र के भविष्य के लिए भी यह ठीक होगा।

श्री जी० नरसिंह रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में हमारी नीति परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भरता करने की होगी और यदि हां तो क्या तारापुर रिएक्टर के लिए केवल समृद्ध यूरेनियम की ही आवश्यकता है।

हमारे वैज्ञानिकों ने एक मिश्रण तैयार किया है जिसे आक्साइड्स आफ नेचुरल यूरेनियम एण्ड प्लूटोनियम और संक्षेप में एम० ओ० एक्स (मौक्स) कहते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे तारापुर संयत्र में इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि मुझे बताया गया है कि समृद्ध यूरेनियम तैयार करने के लिए हमें 200 करोड़ रुपये चाहिए और हमारी आवश्यकता केवल 20 टन प्रति वर्ष है। इन परिस्थितियों में, भविष्य में, यदि हमें परमाणु ईंधन के मामले में आत्म निर्भर बनना है तो हमें मौक्स ईंधन को इस्तेमाल करना होगा···मैं जानना चाहता हूं कि हम इस मौक्स ईंधन को अपने रिएक्टर में इस्तेमाल करने जा रहे हैं या नहीं।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मौक्स ईंधन को इस्तेमाल करने के लिए कार्य चल रहा है और इस पर हम काफी धन खर्च कर चुके हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मौक्स का इस्तेमाल करने संबंधी काम की प्रगति नहीं रुकेगी। वास्तव में हम इसे जारी रखेंगे। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल तारापुर रिएक्टर में ही समृद्ध यूरेनियम इस्तेमाल होता है। हमारा भावी कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का, माजरेटिज हैवी वाटर फूल्ज रिएक्टर्स का है और कोटा के प्रोटोटाइप से अन्य रिएक्टरों को लगाने में सुविधा होगी जिन्हें हम सारे भारत में लगाना चाहते हैं।

श्री के० रामामूर्ति : जबकि सारा देश हमारी माननीय प्रधान मंत्री को उनकी इस उपलब्धि के बारे में बधाई दे रहा है···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह अनिवार्य प्राक्कथन है ?

श्री के० रामामूर्ति : ···कि उन्होंने हमारे परमाणु रिएक्टर के लिए समृद्ध यूरेनियम प्राप्त करने का रास्ता खोला है, यहां कई विपक्ष नेताओं ने हमारी नियत पर शक किया है और अशोभनीय ढंग से किया है कि भारत ने संसद की पीठ पीछे गुप्त रूप से करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, हाल ही में, माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान वाशिंटन पोस्ट में छपा था, 'रीगन सरेन्डर्स टु इण्डिया' (भारत के सामने रीगन का आत्मसमर्पण)। इस संबंध में फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी अपनी हाल ही की भारत यात्रा के दौरान साफ-साफ कहा है कि फ्रांस ने भारत को समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई करने के लिए, किन्हीं शर्तों पर जोर नहीं दिया है। यहां पर मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली जनता सरकार ने फ्रांस के इन्हीं शर्तों पर जिन पर वे अब राजी हो रहे हैं यूरेनियम सप्लाई करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसे देखते हुए, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस पृष्टभूमि पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या 1963 के करार के अलावा, हमारे देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के सुरक्षोपायों जैसी किन्हीं अन्य शर्तों पर फ्रांस के साथ सहमति हुई है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : फ्रांस के साथ जो व्यवस्था की गई है वह 1963 के सहकार करार के अनुसार तथा उसका पालन करते हुए की गई है। फ्रांस तो केवल विक्रय—ठेकेदार है, और कोई सुरक्षोपाय नहीं है, और कोई समस्या नहीं है जो फ्रांस से सप्लाई की जाने लिए किए गए इस करार से उत्पन्न होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रयुक्त ईंधन के पुनरावर्तन के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब तक हमारी जानकारी का स्रोत केवल समाचार-पत्रों में छपे समाचार रहे हैं, जबकि हम माननीय प्रधान मंत्री से इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के अवसर की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तारापुर में प्रयुक्त ईंधन का पुनरावर्तन करने का हमारे देश का सम्पूर्ण अधिकार इस करार में बिना शर्त अनुमोदित किया गया है या हमारा यह अधिकार सप्लाईकर्ता द्वारा लगाई गई किन्हीं शर्तों के, उसके द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण की किन्हीं आवश्यकताओं आदि के अधीन होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसका यह भाग, प्रयुक्त ईंधन का पुनरावर्तन, जो हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, हमारा निर्बाध अधिकार है जिसे फ्रांस और अमरीका दोनों ही मानते हैं या इस सम्बन्ध में भी हम पर कुछ शर्तें लगाई जाएंगी।

प्रधानमंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मैं समझती हूं कि यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि 1963 के मूल करार में कोई परिवर्तन नहीं है। हमने संसाधित करने का अपना अधिकार नहीं छोड़ा है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न यह है कि उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है या नहीं। हमने यह बात स्पष्ट कर दी है; यह तो मैं जानता हूं। क्या वे हमारी बात से सहमत हैं या नहीं या उन्होंने कोई शर्तें लगाई हैं या नहीं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : अमरीका सरकार की कुछ शर्तें जरूर हैं। लेकिन इससे हमारी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं भी प्रसन्न हूं कि माननीय प्रधान मंत्री विदेश गई थीं। यदि मेरे हाथ में होता तो मैं चाहता कि वे स्थाई तौर पर विदेश में ही रहें लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह मूर्खतापूर्ण कथन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है। आप इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दीजिए।

एक माननीय सदस्य : इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इससे सहमत हूं कि इस कथन को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

उन्हें स्थायी रूप से यहां रहना चाहिए।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

एक मानीय सदस्य : आपका उप-नेता के रूप में चयन किया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे मेरी मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन मैं उनका मजाक नहीं उड़ा सकता ? महोदय यह तो एक पक्षीय.....

अध्यक्ष महोदय : कम से कम अब आप गम्भीर हुए हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब जनता सरकार ने इसी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था, नाभिकीय सुरक्षा कार्य के सहायक सचिव श्री मेलोन यहां आए थे और इस सरकार ने उसे बताया था कि यदि संयुक्त राज्य अमरीका अपनी तरफ से तारापुर समझौते को मानने से इन्कार कर देता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा और इसी संसद में विदेश मंत्री ने कहा था कि यदि संयुक्त राज्य अमरीका करार के अनुसार पूर्ति नहीं करेगा। तो संधि को दफन कर दिया जाएगा। अतः इसके पुनरूद्धार या इसे नये सिरे से लागू करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, फिर प्रधान मंत्री के दौरे के बाद से यह परिवर्तन क्यों आया है ? जब वे समझौते को रद्द करने पर प्रतिबद्ध थे तो फिर वे संधि को प्रतिपत्र या किसी अन्य विधि द्वारा पुनः लागू करने के लिए कैसे तैयार हो गए ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : करार को दफनाया नहीं गया था, अतः इसके पुनरूद्धार या इसे नए सिरे से लागू किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : किंतु इसे मृत घोषित कर दिया गया था।

श्रीमती इंदिरा गांधी : नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हमने यह कहा था कि यदि अमरीका ने उसका सम्मान नहीं किया, तो हम क्या करेंगे। संधि में यह नहीं लिखा गया था कि अमरीका स्वयं ईंधन की पूर्ति करेगा। शब्दावली यह थी कि वे पूर्ति के लिए व्यवस्था करेंगे। मुझे अभी बिल्कुल-सही शब्दावली याद नहीं है तथापि उसका अर्थ यही था कि वे किसी देश से पूर्ति करवा सकते हैं अथवा पूर्ति करने के लिए कह सकते हैं। यह फ्रांस द्वारा प्रस्ताव करने से काफी पहले की बात है। यह संधि की शब्दावली के अनुरूप है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि हमारे ऊर्जा उत्पादन में तारापुर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और निर्णायक घटक है और यह पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा था कि अमरीका अभी भी पेशोपेश में हैं, क्या उनके संकोच को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस इस्तेमाल किए गए ईंधन के पुर्नउपयोग को अपने अधिकार का प्रयोग करेगी ? क्या सरकार आगे कार्यवाही करेगी अथवा अभी भी प्रतीक्षा करेगी और अमरीकियों से बातचीत करेगी कि जब वे इस प्रस्ताव से सहमत हो जाएं तब अगली कार्यवाही की जायेगी ?

इससे सम्बन्धित एक अन्य प्रश्न यह है कि फ्रांसीसी विदेश मंत्री जब पहले यहां आए थे और उन्होंने प्रधान मंत्री से भेंट भी की थी, तो उस समय प्रेस की रिपोर्ट में बताया गया था कि वे भी वचनबद्ध हैं, और वे भी आग्रह कर रहे हैं कि उन दोनों शर्तों को लागू किया जाए, जिसके लिए अमरीकी भी आग्रह कर रहे थे। क्या इस पूर्ति में कोई अंतर है जो कि अब हम फ्रांस से प्राप्त करेंगे ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : पहली बात तो यह है कि मैंने इस करार पर न तो अमरीका और न ही फ्रांस से चर्चा की थी, यह चर्चा सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई थी। बहुत से विषयों पर मेरे दौरे से पहले ही चर्चा कर ली गई थी, फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने स्वयं ही बताया था कि यह चर्चा 1983 में किए गए करार की रूपरेखा की सीमा के भीतर रहकर ही की गई थी। इसमें कोई नया मुद्दा शामिल नहीं किया नया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के पहले भाग के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : पहले भाग का उत्तर मेरे सहयोगी पहले ही दे चुके हैं कि जब जैसा आवश्यक होगा तो हम इसे प्रोसेस करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : माननीय प्रधान मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि भारत सरकार इस बात पर सहमत हो गयी है कि उपयोग किये गये ईंधन को तारापुर में पांच वर्ष तक रखा जाएगा और उसे पुर्नसंसोधित (री प्रोसेस) नहीं किया जाएगा और इस विषय पर आप अमरीकी सरकार से सहमत हो गये हैं और यदि हां, तो इससे क्या सुरक्षा को खतरा नहीं होगा तथा क्या इससे ईंधन को पुर्नसंसोधित करने के हमारे अधिकार पर आघात नहीं पहुंचता ? पहला प्रश्न तो यही है कि कोई करार किया भी गया था कि इसे पांच वर्ष तक के लिए रखा जाएगा और उसका पुर्नसंसोधित किया जाएगा और यदि यह सच है, तो क्या हमने उसे अपनी इच्छा से उपयोग में लाने के अपने अधिकार को समर्पित नहीं कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि वे इसके बारे में पहले ही उत्तर दे चुकी हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : इसके बारे में दो बार उत्तर दिया जा चुका है—अधिकार समर्पित नहीं किए गए थे। जब भी आवश्यक होगा, हम पुर्नसंसाधन (री प्रासेसिंग) शुरू कर देंगे।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने 1980 में पहले ही घोषित कर दिया था और सरकार की ओर से अनेक उद्घोषणाएं की गई थीं तथा विदेश

मंत्री ने भी कहा था और श्री सेठना ने भी कहा था। महोदय, समृद्ध यूरेनियम की पूर्ति में इतने अधिक विलम्ब में नुक्सान होने की सम्भावना के कारण ही प्रधान मंत्री ने तारापुर के लिये ईंधन के वैकल्पिक सप्लाई के लिये चर्चा की थी और इसलिए भी कि भारत उस ईंधन का पुर्नसंसाधन कर सके। तत्पश्चात उन्होंने पूरे करार को समुचित विधि-विधान से दफना देने की बात कही थी। क्या यह सही नहीं है कि इसी घोषणा के अनुसरण में हमने मिश्रित आकसाइड ईंधन (एम० ओ० एक्स०) का विकास करने में 33 करोड़ रुपए खर्च किए थे जोकि तकनीकी दृष्टि से नवीन आविष्कार था ? अब आप यह बताइए कि इसका क्या होगा ? क्या इससे देश को भारी नुक्सान नहीं होगा और क्या इससे हमारे वे वैज्ञानिक हतोत्साहित नहीं होंगे जिन्होंने इसके लिए रात-दिन काम किया था ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : किसी भी प्रकार के तकनीकी आविष्कार से कभी नुकसान नहीं होता है। वह लाभ कर ही होता है, और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकती हूं कि हमारे वैज्ञानिक हतोत्साहित नहीं हैं।

बिहार में उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव

451. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या कुछ उद्योग स्थापित करने के लिये बिहार सरकार के कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लाइसेंस जारी करने हेतु लम्बित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन एककों के क्या नाम हैं और प्रत्येक मामला कब से और किन कारणों से लम्बित है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार के उपक्रमों को वर्ष 1980 से 1982 (जुलाई तक) के दौरान 12 आशय पत्र स्वीकृत किए गए थे।

इन उपक्रमों से आशयपत्रों की स्वीकृति हेतु प्राप्त पांच आवेदन पत्रों पर इस समय विचार किया जा रहा है। इन पांच आवेदन पत्रों में से 3 आवेदन पत्र 23-6-1982 को प्राप्त हुए थे। दिनांक 7-4-1982 को प्राप्त एक आवेदन पत्र पर स्वीकृति समिति द्वारा 1-6-1982 को विचार किया गया था तथा प्रशासनिक मंत्रालय के अनुरोध पर निर्णय आस्थगित रखा गया था ताकि वे अनिर्णीत पड़े अन्य आवेदन पत्रों को शामिल करके एक समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें।

1981 में प्राप्त पांचवां प्रस्ताव निपटान के अन्तिम चरण में है। अन्त: मंत्रालयीय परामर्श सम्बन्धी प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगा जिस पर इस बारे में लाइसेंसिंग नीति तैयार करने से पूर्व विचार किया जाना था।

श्री डूमरलाल बैठा : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 1980 से 1982 तक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें 12 को स्वीकृति दी है। पांच आवेदन-पत्रों

पर अभी विचार किया जा रहा है। ये 12 और 5 मिलाकर 17 हुए। इसमें यह भी मांगा गया था कि कौन-कौन तरह के उद्योग के लिए आशय-पत्र मांगे गए हैं और नाम भी पूछे थे।

इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि 7-4-1982 को जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे उनपर विचार किया जा रहा है और 1981 वाले अभी अन्तिम चरण में हैं परन्तु 23-6-1982 को जो प्राप्त हुए थे उनपर क्या कार्यवाही हो रही है ? मन्त्री जी इन बातों को स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी : श्रीमन्, 1980 में बिहार राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों से 5 आवेदन-पत्र आए थे, 1981 में 12 आए थे और 1982 में 9 आवेदन-पत्र आए। इसी के प्रसंग में मैंने अपने उत्तर में आंकड़े दिए हैं। जो पांच प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, जिनका उल्लेख सम्मानित सदस्य ने किया है, इनमें गया में इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन की ओर से एक प्रार्थना-पत्र था नाइलान फिलामेन्ट यार्न के लिए और दूसरे चार प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित के लिए थे :

इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, संसाधन नियंत्रण उपकरण प्रणाली, श्वेत-श्याम टेलीविजन सेट, रंगीन टेलीविजन सेट, भंडारण कार्यक्रम और नियंत्रण उपकरण।

इन विषयों में बुनियादी नीति के सम्बन्ध में विचार हो रहा था—कलर टी० वी० आदि के बारे में, अत: उसके नीतिगत निर्णय की प्रतीक्षा में उसके लाइसेंस पर विचार नहीं हुआ था, अब वह विचार हो रहा है।

श्री डूमरलाल बैठा : अध्यक्ष महोदय, कैलशियम कारबाइड प्रोजेक्ट के लिए भी आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जो अभी तक यहां सरकार के विचाराधीन है तो इसमें अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी : इस सम्बन्ध में जो जानकारी है उसके अनुसार कैलशियम कारबाइड का प्रार्थना-पत्र जो गया के लिए है, यह बिहार सरकार के फर्मास्युटिकल्स ऐंड केमिकल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन की ओर से दिया गया था लेकिन इसमें जिस पार्टी से कोलोबोरेशन है, उसका कोई विवरण नहीं था और जिसका उल्लेख किया गया था उसकी कोई सूचना नहीं थी, न उसके सम्बन्ध में कोई टाई-अप का प्रयास किया गया था। इसलिए उनसे कहा गया कि पहले उद्योग का कोलोबोरेशन कर लें उसके बाद प्रार्थना-पत्र दें। 3 फरवरी, 1982 को यह निर्णय लिया गया था जिसकी सूचना बिहार सरकार को दे दी गई थी।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त सचिव द्वारा लिखा गया एक पत्र मेरे पास है, जिसे कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि पूरा पत्र विवादास्पद है और परस्पर विरोधी बातों से भरा हुआ है। उसे ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आधुनिक तकनीकी जानकारी की अनुपलब्धता के आधार पर ही लाइसेंसिंग समिति ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बी० एस० आई० डी० सी०) के मुंगेर में बाल बेयरिंग निर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया था। यदि हां, तो क्या बी० एस० आई० डी० सी० के 1976 में उसी मद के लिए आशय पत्र जारी किया गया था। तकनीकी दोषों को दूर

करने में राज्य सरकार को सहायता देने तथा मुंगेर जिले में बाल बेयरिंग यूनिट के लिये आशय पत्र मंजूर करने के लिए मंत्रालय क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी : जी हां, महोदय, पटना स्थित बी० एस० आई० डी० सी० ने रेजियल बाल बेयरिंग के विनिर्माण के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। यह लाइसेंस उन्हें 1976 में जारी किया जा चुका था और उन्होंने उस लाइसेंस को कार्यरूप देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। तत्पश्चात् एक और लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था उन्होंने उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उनके पास प्रौद्योगिक जानकारी कितनी है। अत: यदि दुबारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें और उपलब्ध प्रौद्योगिकी और उसके प्रकार के बारे में जानकारी दें तो हम इस पर फिर से विचार करेंगे।

श्री कृष्णप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पलामू जिला एक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है और वहां एक सीमेंट फैक्ट्री बैठाने के लिए लेटर आफ इन्डैन्ट बिहार सरकार ने भेजा है, यदि वह उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या आपने इसकी स्वीकृति दी है ? यदि दी है, तो कब दी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, पलामू जिले के लिए बैंजीन हाइड्रो क्लोराइड के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था···(व्यवधान)···हमारे पास जो अर्जी आई है, उसकी सूचना जो मेरे पास है, वह मैं आपको दे रहा हूं। जहां तक सीमेंट का सवाल है, ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पलामू जिले के लिए नहीं आया है। एक प्रार्थना पत्र पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 14 दिसम्बर, 1981 को आया था, उसके लिए लाइसेंस दे दिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में धन-राशि का आवंटन

453. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कुल कितना प्रावधान किया गया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों द्वारा (राज्य-वार) कितनी राशि मांगी गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में तथा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के राज्यों और गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी घाट क्षेत्र में निर्धारित किए गए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 560 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	उस राज्य का नाम जिसमें निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र अवस्थित हैं	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई विशेष केन्द्रीय सहायता	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	असम	77.00	
2.	तमिलनाडु	42.53	
3.	उत्तर प्रदेश	+	+राज्य सरकार ने 969.45 करोड़ रु० के परिव्यय के साथ एक उपयोजना प्रस्तुत की थी। विशेष केन्द्रीय सहायता और राज्य योजना के बीच इसका वितरण नहीं बताया गया था।
4.	पश्चिम बंगाल	40.00	
5.	पश्चिमी घाट कार्यक्रम	†	† विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को बताई जाती है और उनसे उस विनिर्दिष्ट राशि के भीतर अपने प्रस्ताव तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाता है। इसलिए राज्यों के विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि के लिए मांग करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कुल कितना प्रावधान किया है और राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि मांगी गई है? मंत्री जी ने अपने उत्तर में केवल असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम घाट के बारे में बताया है। सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश से 969.45 करोड़ रुपये की योजना आई थी और वह भी बीच में ही पड़ी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड और काश्मीर तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को आपने इसके लिए कब जारी किया कि वे अपनी योजना बनाकर दें? मैं यह भी जानना चाहता हूं

कि किन-किन राज्यों ने योजना नहीं भेजी है ? जिनको आपने पत्र भेजा है, उन्होंने क्या-क्या उत्तर आपको दिया है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा लिखे गए पत्रों के उत्तर में प्राप्त विवरणों की मेरे पास सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों की क्या मांग थी तथा छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी पूंजी आवंटित की गई है तो मैं सूचना दे सकता हूं परन्तु इस समय मेरे पास सही विवरण मौजूद नहीं है।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : मेरा जो असल क्वेश्चन था उसमें मैंने यह कहा था कि आपने जो-जो योजना स्वीकृत की है उनकी डिटेल दी जाय, लेकिन आप नहीं दे सके। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रुपये आपने दिये हैं, जिनकी राज्य सरकारों ने मांग की थी, ये किन-किन कामों में खर्च किये जायेंगे ? क्या पहाड़ी क्षेत्रों में दरख्तों के कटान को रोकने, डैम भर रहे हैं, नदी-नालों से भूमि का कटाव हो रहा है—क्या इन सबको रोकने के लिये योजना आयोग ने कोई काम किया है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली इन राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई राशि तथा उन्हें दी गई राशि का ब्यौरा मैं आपको दे दूंगा। मेरे विचार से माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं। वह यह जानना चाहते हैं कि उनकी क्या मांग थी और छठी पंचवर्षीय योजना में उन्हें कितनी राशि दी गई है। महोदय, हिमाचल प्रदेश, जो कि विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत राज्य है, के लिए 701 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है ; योजना में 560 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 437.35 करोड़ रु० केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जायेंगे।

जम्मू और कश्मीर के लिए 1911 करोड़ और 81 लाख रुपये की मांग की गई थी। 240 करोड़ रु० की स्वीकृति दी गई थी। केन्द्रीय सहायता के रूप में 240 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये दिए जायेंगे।

मेघालय ने 385.02 करोड़ रु० की मांग की थी जिसमें से 235 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए थे। जिसमें से 196 करोड़ रु० केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

नागालैण्ड ने 311 करोड़ और 62 लाख रु० की मांग की। इसमें से 210 करोड़ रु० की स्वीकृति मिली थी जिसमें 209.50 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता थी।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री एम०एम० लारेंस : इदिक्की चुनाव क्षेत्र, जिसमें इदिक्की जिला क्विलोन और जिले का एक भाग भी शामिल है, केरल राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। शायद यह पूरे देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें कोई भी ऐसा संस्थान या संगठन नहीं है जिसे उद्योग की संज्ञा दी जा सके। यह क्षेत्र पूरे देश भर को बिजली सप्लाई करता है। यहां भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। इसकी बिजली का प्रयोग तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में भी किया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकार की ओर से वहां उद्योग लगाने की सिफारिश या सुझाव आया है ? क्या केन्द्र

सरकार की वहां कोई उद्योग शुरू करने की योजना है। वहां लकड़ी, सीमेंट, कपड़ा उद्योग शुरू किया जा सकता है। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह पहाड़ी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी सामान्य प्रश्न है। इस सन्दर्भ में···

श्री एम० एम० लारेंस : यह पहाड़ी क्षेत्र है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह पहाड़ी क्षेत्र है। मेरे पास पूरे राज्य की जानकारी है। पूरे केरल राज्य के बारे में मैं सूचना दे सकता हूं। परन्तु यदि माननीय सदस्य की किसी विशेष जिले में रुचि है तो उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री एम० एम० लारेंस : मंत्री महोदय ये आंकड़े इकट्ठा करके सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने 42 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता मांगी है। महोदय यह मूल्यांकन काफी कम है क्योंकि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि यह भी देखा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सरकार की सहायता पहाड़ी क्षेत्रों तक नहीं पहुंचती। इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का पहाड़ी क्षेत्रों—विशेष रूप से नीलगिरि, वलपरई और कोडिकनाल क्षेत्रों में उद्योग लगाने का प्रस्ताव, राज्य सरकार द्वारा कुछ भी कार्यवाही न किए जाने के कारण क्या वहां कोई नया उद्योग लगाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो मैं सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों की जनता की आर्थिक सम्पन्नता पर अधिक ध्यान देना है और यदि वहां की जनता उद्योग लगाना चाहती है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। परन्तु मेरी सूचना के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र की जनता स्वयं ही उद्योग लगाने में रुचि नहीं रखती। बहुत से बड़े-बड़े उद्योगिक घराने हैं जो वहां उद्योग लगाना चाहेंगे परन्तु उसके लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कोई प्रावधान नहीं है।

ब्लेक एण्ड व्हाइट टी० वी० सेटों की मरम्मत की सुविधाएं

*454. **श्री विलास मुत्तमवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ब्लेक एण्ड व्हाइट टी० वी० सेटों के अनेक निर्माताओं ने अपने ब्लेक एण्ड व्हाइट टी० वी० सेटों की मरम्मत का काम बन्द कर दिया है, और रंगीन टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए आवेदन किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्माताओं द्वारा कम से कम दस वर्ष तक भुगतान के आधार पर मरम्मत सुविधायें प्रदान किए जाने के बारे में कार्यवाही करने का है ;

(ग) क्या सरकार नये निर्माताओं के आशय पत्र में ऐसी कोई धारा जोड़ेगी कि वे भुगतान के आधार पर 10 वर्ष तक टी० वी० सेटों के अतिरिक्त पुर्जे और मरम्मत का प्रबन्ध करेंगे ; और

(घ) सरकार टेलीरेड टी० वी० सेटों के धारकों के लिए क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है जहां कम्पनी ने 50,000 से अधिक टी० वी० सेट बेचे हैं और अब ब्लेक एण्ड व्हाइट टी० वी० सेटों की मरम्मत का काम बन्द कर दिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के कुछ विनिर्माताओं ने रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के उद्देश्य से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था । इस आशय की जानकारी एकत्रित की जा रही है कि क्या उन्होंने उनके द्वारा निर्मित श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों की मरम्मत का कार्य बन्द कर दिया है ।

(ख) तथा (ग) रंगीन दूरदर्शन सेटों की उचित मरम्मत का सुनिश्चय करने के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की भावना तथा वर्तमान लाइसेंसिंग प्रणाली में उचित मानकीकरण किया गया है ।

(घ) यह उपभोक्ता पर निर्भर करता है कि वह कौन से ब्रांड के दूरदर्शन सेट खरीदें । सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती ।

श्री विलास मुत्तमवार : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कुछ समाचारपत्रों में यह आया था कि रंगीन टी० वी० के पुर्जे आयात हों, तो वह 1950 रुपये में पड़ेगा लेकिन देश में इसको बेचने की कीमत 7500 रुपये निर्धारित की गई है । इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 5500 रुपये कम्पनी और दुकानदार के कमीशन के हुए । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कमीशन क्या सरकार अधिक नहीं समझती ? मेरे प्रश्न का (बी) पार्ट यह है कि जब रंगीन टेलीवीजन की कीमत 1950 रुपये पड़ रही है, तो सादे टेलीविजन की कीमत इस से कम होनी चाहिए । तो 3 हजार और 4 हजार रुपये में इसको बेचने का क्या औचित्य है ?

श्री एम० एस० संजीवी राव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 90,000 सेटों के आयात की अनुमति दी है जिसमें प्रत्येक में 1260 रुपये का आयातित अंश है । इसमें रंगीन टी० वी० ट्यूब, आई० सी०, ट्रांजिस्टर और डिफ्लेक्शन योक्स जैसे पुर्जे हैं । परन्तु इसके अलावा लगभग 750 रु० की कीमत के स्वदेशी पुर्जे भी लगते हैं । आयातित पुर्जों पर लगभग 1800 रु० की ड्यूटी लगती है । इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्माता को लगभग 1,000 रु० ही मिलेंगे जिसमें एक वर्ष की गारंटी अवधि भी शामिल है । इसलिए लागत को 7500 रु० प्रति सेट से कम करना सम्भव नहीं है ।

श्री विलास मुत्तमवार : कलर टी० वी० के लिए जो पुर्जे इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, उनको देश में ही बनाने की कोई योजना सरकार के सामने है और अगर है तो वह क्या है ?

श्री एम० एस० संजीवी राव : जैसा कि मैंने कहा हमने तदर्थ आधार पर रंगीन ट्यूबों, आई० सी०, ट्रांजिस्टरों और डिफ्लेक्शन योक्स के आयात की अनुमति दी है । परन्तु एक वर्ष के बाद रंगीन टी० वी० का निर्माण सामान्य होने पर, रंगीन टी० वी० ट्यूब के अलावा, सभी अन्य पुर्जे स्वदेश में ही बनाए जायेंगे ।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, इस मामले में पटल के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई

देना चाहता हूं। अब प्रश्न टी० वी० सेटों की मरम्मत का है। इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो है रोजगार के अवसर। जब तक देश में टी० वी० व्यवस्था का अधिक प्रसार नहीं होता तब तक इसकी संभावना अधिक नहीं है। इस समय टी० वी० कार्यक्रम केवल कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास की जनता ही देख सकती है जो कि शहरी केन्द्र हैं। मैं हमेशा इस सभा में माइक्रोवेव प्रणाली का प्रयोग करने के लिए कहता रहा हूं जिससे कि देश के कई भागों में टी० वी० का प्रसार किया जा सकता है।

संचार-मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए माइक्रोवेव प्रणाली के इस्तेमाल की इजाजत न देकर अपने हठी रवैये का ही परिचय दिया है। क्या माननीय मंत्री माइक्रोवेव प्रणाली या रिलेलिंक प्रणाली का उपयोग करने के लिए शुरूआत करेंगे ? मेरे मित्र कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती हैं—ताकि टेलीविजन नेट वर्क द्वारा देश में ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में कार्यक्रम दिखाए जा सके ?

श्री एम० एस० संजीवी राव : हमारा देश निश्चयतः माइक्रोवेव प्रणाली का उपयोग करने वाला है, वस्तुतः 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लालकिला से राष्ट्र को सम्बोधित करेंगी तो वह देश के कुछ हिस्सों में माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्सैट आई उपग्रह जिसे हमने अमरीका से छोड़ा था उसका उपयोग करते हुए हम माइक्रोज इन प्रणाली स्थापित करने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, जो संकेत प्राप्त करेगा और उसे देश के विभिन्न भागों को पुनः प्रसारित करेगा। खासतौर से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को प्रसारित करेगा।

श्री के० मायातेवर : हमारे देश में टेलीविजन विनिर्माता फर्मों में अत्यन्त अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिता होती है। घटिया किस्म के टेलीविजन सेटों का विनिर्माण हो रहा है। पिछले सप्ताह मद्रास में टेलीविजन पर एक फिल्म दिखाई गई थी, किन्तु हम अपने टेलीविजन सेटों पर अभिनेता अभिनेत्रियों को नहीं देख सके; हमें बहुत जरा सा दिखाई दे रहा था। मेरे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और पूछने लगें कि क्या हम सचमुच पिच्चर ही देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेलीविजन ठीक नहीं था।

श्री सी० टी० दंडपाणि : शायद एम० जी० रामचन्द्रन उस फिल्म में होंगे इसीलिए···

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : वे तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री हैं···(व्यवधान)।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त है जिससे वह किस्म के श्रेठ बने रहने देने को सुनिश्चित कर सके। हमें जनता और देश के प्रति अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। टेलीविजन सेटों की बिक्री के समय बिक्री करने वाली फर्में खरीदारों को गारंटियां देती हैं। किन्तु कुछ ही हफ्तों या महीनों के तुरन्त बाद जब हम विक्रेताओं या विनिर्माताओं के पास जाते हैं, तो उनका रवैया बिल्कुल ही बदला हुआ होता है और वे कहते हैं कि खरीदार उन्हें 200/-रु० या 500/रु० दें तभी वे आ सकेंगे। पिछले हफ्ते मैंने विक्रेता फर्म को 250/रु० दिए किन्तु तीन दिन तक कोई भी टेलीविजन ठीक करने नहीं आया था।

क्या आप इन एकाधिकार सदनों और विनिर्माता कम्पनियों का दिशानिर्देश करेंगे, ताकि वे अपने वचन और गारंटी को निभाएं ?

श्री एम० एस० संजीवीराव : देश में लगभग 270 विनिर्माता हैं और सरकार के लिए इन पर निगरानी रखना सम्भव नहीं है । बहरहाल मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि देश में विनिर्मित अधिकांश टी० वी० सेटों का काफी उच्च स्तर पर मानवीकरण किया गया है और माननीय सदस्य और अन्य लोगों के विनिर्माता द्वारा दी गयी गारंटी के आधार से टेलीविजन सेट के चुनाव का काम करना चाहिए ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मैं प्रधानमंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने रंगीन टेलीविजन सेटों सम्बन्धी आयात नीति के बारे में उनके सामने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और कहा था कि इससे स्वदेशी विनिर्माताओं की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री एम० एस० संजीवीराव : जैसाकि मैंने पहले उत्तर दिया है, निःसंदेह 'सैंट्रल इलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग रिचर्स इन्स्टीट्यूट, पिलानी ने रंगीन टेलीविजन का विकास कर लिया है । किंतु अभी तक उन्होंने केवल 20 सैट ही बनाए हैं । यदि आप बड़े पैमाने पर रंगीन टेलीविजन बनाना चाहते हों तो आपके सामने एक आरंभिक सैट मांडल होना चाहिए जो कि उन्होंने नहीं बनाया है । और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम संचार प्रणाली पहले ही बना चुके हैं, और चूंकि एशियाई खेल केवल 4 माह बाद ही होने हैं, अतः हमने सोचा कि हम एक बार 90,000 सैटों के लिए तदर्थ आधार पर आयात लाइसेंस दे दें तो बेहतर होगा । और विश्वव्यापी तीन फर्मों ने समस्त तकनीकी जानकारी प्रदान करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें रंगीन टेलीविजन सैटों के विनिर्माण सम्बन्धी दस्तावेज भी शामिल हैं जिसकी विदेशी मुद्रा में केवल 1200 रु० ही लागत आएगी ।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि हालांकि हम चाहते हैं कि सैं० इलै० इंजी० रि० ही इन सैटों का विनिर्माण करें, फिर भी उन्हें रंगीन ट्यूबों, आई सी० और अन्य पुर्जों का आयात भी तो करना ही पड़ेगा । अतः ज्यादा अंतर नहीं है ।

लद्दाखियों की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषणा

*456. **श्री पी० नामग्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख के लोग लद्दाख के निवासियों की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषणा के लिए अपनी मांगों पर जोर देने के लिए छह महीने से अधिक समय से आन्दोलन कर रहे हैं और क्रमिक धरना दे रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार से ऐसा कोई पत्र मिला है जिसमें राज्य सरकार और लद्दाख कार्यवाही समिति के बीच 15 जनवरी, 1981 को हुए समझौते के उत्तर में लद्दाख के निवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की सिफारिश की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को पुनः राज्य सरकार के साथ उठायेगी ?

रक्षा और गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जम्मू और काश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि लद्दाख की जनसंख्या का एक वर्ग लद्दाख के निवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित करने के लिए आग्रह कर रहा है और कुछ लोग धरना देकर भी बैठे हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें लद्दाखियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित करने की सिफारिश की गई हो। परन्तु प्रधान मंत्री से लद्दाख में उनके दौरे के समय कई प्रतिनिधि मंडलों ने भेंट की थी और प्रधान मंत्री तथा तत्कालीन गृह मंत्रालय को लद्दाख एक्शन कमेटी, लेह तथा एक संसद सदस्य से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ लद्दाखियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

श्री पी० नामग्याल : देश में लद्दाख बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। लद्दाखवासी चाहे वे कारगिल में हो या लद्दाख में—स्वयं को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सम्भवतः राज्य सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है हालांकि इसमें किसी भी मानहानि का प्रश्न ही नहीं उठता है। वहां के लोग केवल यही चाहते हैं कि उच्च शक्ति प्राप्त उप समिति जिसने जनवरी, 1981 में लद्दाख का दौरा किया था, उसके द्वारा दिए गए आश्वासन को कार्यरूप दिया जाए। इसके प्रकाश में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही है, तो इस स्थिति के निराकरण के लिए भारत सरकार कौन से उपाय करेगी ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय भारत सरकार को लद्दाखियों की इस प्रबल मांग की पूरी तरह से जानकारी है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए, किन्तु कुछ संवैधानिक अपेक्षाएं होती हैं। इस बारे में किस प्रकार की कार्यवाही करने से पहले हमें राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होगी, खास तौर से जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 342 जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं होता है। इसीलिए भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ उपाय किए हैं तथा उन्होंने जम्मू और काश्मीर सरकार को पत्र लिखा है और इसके बारे में वे व्यक्तिगत स्तर पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमें आशा है कि इस समस्या के समाधान के लिए कोई न कोई हल ढूंढ़ा जा सकेगा।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

देश में उत्पादित भारी जल की कमी

*452. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित भारी जल की लगातार कमी की आशंका है जिससे परमाणु ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में बाधा आ जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए किस प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) विभिन्न परियोजनाओं हेतु भारी जल की आवश्यकताएं क्या हैं और उनकी उपलब्धता कितनी है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) क्योंकि सरकार का विचार यह है कि देश में भारी पानी के उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाए और भारी पानी में मामले के इस दशाब्द के अन्त तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना जाए, इसलिए अन्ततः हमारे परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम में भारी पानी की कमी बाधक नहीं रहेगी। इस बीच, मौजूदा सम्बन्धों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने तथा दो और भारी पानी संयंत्र लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) 220 मेगवाट की स्थापित क्षमता वाले परमाणु बिजलीघर के लिए शुरू में लगभग 250 मीटरी टन भारी पानी की जरूरत होगी। उसके बाद खपे भारी पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 15 मीटरी टन भारी पानी की जरूरत पड़ेगी। तापीय अनुसन्धान रिएक्टर (आर०-5 संयंत्र) के लिए आरम्भ में 90 मीटरी टन और बाद में खपे भारी पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 5 मीटरी टन भारी पानी की जरूरत होगी।

दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब

*455. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति के भुगतान में 3 माह से 12 माह तक का विलम्ब होने के कारण हो रही कठिनाइयों के बारे में मालूम है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब को न्यूनतम करने और सारहीन आधार पर विलम्ब न करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) सरकार को उन कठिनाइयों के बारे में जानकारी है जिनका मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की अदायगी में विलम्ब के कारण दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा सामना किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा विलम्ब से दावे प्रस्तुत करने के कारण मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की अदायगी में देरी होती है। अपनी ओर से दिल्ली प्रशासन आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख समाप्त होने के पश्चात् भी आवेदन स्वीकार कर रहा है। कभी-कभी वर्ष समाप्त होने के पश्चात व्यक्तियों/संस्थानों के दावे प्राप्त होते हैं। छात्रों द्वारा अधूरी सूचना दिये जाने अथवा छात्रों से स्पष्टीकरण/अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण भी कभी-कभी विलम्ब होता है। दिल्ली प्रशासन ने समय से काफी पहले आवश्यक प्रचार किया है और इसके पश्चात संस्थानों के अध्यक्षों को परिपत्र भी भेजे हैं जिनमें आवेदनों के समय पर प्रस्तुत करने के महत्व पर बल दिया जाता है।

भारत सरकार उस विलम्ब के प्रति सचेत है जो सूचित किया जाता है, और ध्यान में आया है, और वह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के समय पर वितरण की आवश्यकता पर बराबर काफी बल दे रही है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इस मामले में समय-समय पर पत्र लिखे गए हैं और उनसे कठिनाइयों को दूर करने और योजना के कार्य को सुचारू बनाने के लिये आवश्यक कारगर कदम उठाने के लिये अनुरोध किया है। जिला स्तर पर विकेन्द्रीयकरण और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अदायगी करने और प्रक्रिया का संगणकीकरण जैसा कि कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है जैसे उपायों की सिफारिश सभी सम्बन्धितों से की गई हैं।

छात्रों से व्यक्तिगत शिकायत प्राप्त होने पर भी मामले के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन और सम्बन्धित संस्थान के साथ बातचीत की जाती है। भारत सरकार राज्य सरकारों/संस्थानों से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं और योजना के कार्य में और सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दे रही है।

भारत सरकार ने उन सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, जिनके पास बिना खर्च की गई काफी केन्द्रीय सहायता शेष न हो, को पिछले वर्ष की आवश्यकता के 50 प्रतिशत के बराबर अग्रिम केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय भी किया है। यह राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के पास उपलब्ध उनके निर्धारित हिस्से के बराबर राशि के अतिरिक्त उनके पास पर्याप्त निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है ताकि निधियों के उपलब्ध न होने के कारण कोई कठिनाई न हो सके।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा निजी गृहों को गोपनीय जानकारी की सूचना दिया जाना

*457. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री कमल नाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने आसूचना संगठनों तथा आर्थिक मंत्रालयों के सचिवों सहित विभागीय अध्यक्षों को उन अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिये सचेत कर दिया है जिन पर सरकारी जानकारी को निजी गृहों और यहां तक कि उनके सम्पर्क अधिकारियों के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सूचित करने का संदेह है ;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकार सरकारी कर्मचरियों द्वारा विभिन्न निजी गृहों को गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी सूचित करने के बारे में गम्भीर रूप से चिंतित रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी जानकारी बता दिये जाने के लिए कुल कितने अधिकारियों से पूछ-ताछ की गई और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से भी कहा गया है कि वह सभी सम्बन्धित अधिकारियों पर निगरानी रखें ?

रक्षा तथा गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) वर्गीकृत सूचना की सुरक्षा विभागीय

सुरक्षा अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाती है। आर्थिक मंत्रालयों/विभागों पर इन अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(ख) सरकार ने वर्गीकृत सूचना के रहस्योद्घाटन को हमेशा एक गम्भीर मामले के रूप में लिया है।

(ग) और (घ) पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दस अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी गोपनीय अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई है।

दिल्ली नगर निगम की लाश गाड़ियां

*458. डा० ए० यू० हाजमी :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम की अधिकतर लाश गाड़ियां काफी समय से खराब पड़ी हैं और उनमें से केवल दो गाड़ियां चल रही है जिसके परिणामस्वरूप निजी वाहनधारियों को इसी प्रकार की लाश गाड़ियां चलाकर लाभ उठाने का अवसर दिया गया है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निवासियों तथा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन गाड़ियों को संस्थान के अहाते में खड़ा करने तथा उनकी वहां सफाई किये जाने का विरोध किया है परन्तु प्राइवेट आपरेटरों ने ऐसा करना बन्द नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नगर-निकायों द्वारा लाश गाड़ियों की मरम्मत कराने या निजी वाहनधारियों को जनता से, सरकार द्वारा निर्धारित फीस लेकर लाश गाड़ी चलाने के लिये उदारतापूर्वक लाइसेंस देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसके पास 13 लाश गाड़ियां हैं जो शमशान घाटों अर्थात निगम बोध घाट, पंचकुइयां रोड और सुभाषनगर में लगा रखी हैं। औसत 5-6 गाड़ियां निगम बोध घाट शमशान घाट पर और एक-एक अन्य शमशान घाटों पर उपलब्ध हैं। नई दिल्ली नगर पालिका के पास एक लाश गाड़ी है जो मंदिर मार्ग पर खड़ी रहती है और मांग करने पर मिल सकती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निवासियों और नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से संस्थान के अहाते में लाश गाड़ियां खड़ी करने और उनकी वहां सफाई करने के बारे में कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु संस्थान के ध्यान में यह आया है कि अहाते में कभी-कभी कुछ गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं। जिन तीन क्वार्टरों के सामने कभी गाड़ियां खड़ी पाई गई थी उनके आवंटितियों को इन गाड़ियों के खड़ा करने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दिये गए हैं। संस्थान के पास अपनी कोई लाश गाड़ी नहीं है।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा लाश गाड़ियों की व्यवस्था करने की मौजूदा सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है और वे इस पर ध्यान दे रहे हैं।

रंगा राजन समिति की रिपोर्ट

*459. प्रो० रूपचन्द पाल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक गृह रंगा-राजन समिति की रिपोर्ट का बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त समिति की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा डा० रंगाराजन की अध्यक्षता में निजी निगमित क्षेत्रक की वित्त-व्यवस्था से संबंधित एक कार्यकारी दल इन बातों के लिए स्थापित किया गया है :

(1) निगमित निवेश को प्रभावित करने वाले उपादानों की जांच करना ; और

(2) निजी निगमित क्षेत्रक में धनराशियों के स्रोतों का मूल्यांकन करना और वह तरीका सुझाना जिससे छठी योजना में यथा परिकल्पित निवेश के वांछित स्तरों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते हैं ।

इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है ।

खानों के प्रबन्ध में प्रबन्धक के सक्षमता प्रमाण-पत्र के मानदण्ड

*460. श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खानों के प्रबन्ध में प्रबन्धक के सक्षमता प्रमाण-पत्र के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों से प्रबन्ध की कार्य-कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इस मामले में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) तत्कालीन इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा गठित खानन इंजीनियरिंग शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धी संयुक्त बोर्ड की सिफारिशों पर, खनन परीक्षा बोर्ड ने प्रबन्धक के सक्षमता प्रमाण-पत्रों के लिए नवम्बर, 1972 और दिसम्बर, 1974 में योग्यताएं शिथिल की थीं । तबसे प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप खनन परीक्षा बोर्ड इन शिथिलताओं की पुनरीक्षा कर रहा है ।

"आफिसर्स डेथ्स स्टन हेरीड सी० आर० पी० एफ० इन एन० ई०"
शीर्षक समाचार

*461. जैनुल बशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में "आफिसर्स

डेथ्स स्टन हेरीड सी० आर० पी० एफ० इन एन० ई०" शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या 34 बैटालियन के डिप्टी कमांडेंट 21 बैटालियन के एसिस्टेंट कमांडेंट की पत्नी और 38 बैटालियन के एसिस्टेंट कमांडेंट की हुई मौतों की उच्चतम स्तर पर जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) इस स्थिति को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर): (क) से (घ) सरकार ने दिनांक 8 जुलाई, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "आफिसर्स डेथ्स स्टन हेरीड "सी०आर०पी०एफ० इन एन०ई०" शीर्षक समाचार देखा है । केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के महानिदेशक ने स्वयं मामले की जांच की है । समाचार में उल्लिखित तीनों घटनाएं किसी प्रकार से भी एक दूसरी घटना से संबंधत नहीं है । जैसा आरोप लगाया गया है ऐसा कुछ नहीं है कि यह कहा जाए कि मिजोरम में बलों मे कुप्रबन्ध है अथवा उनका दुरुपयोग किया गया है अथवा बल में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच विश्वास समाप्त हो गया है । वास्तव में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के महानिदेशक ने कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा पाया । चूंकि स्थिति से कोई कमी अथवा गलती प्रकट नहीं होती है अत: स्थिति को सुधारने के लिए कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । जवानों की शिकायतों की जांच करने तथा उनके सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के निरन्तर प्रयास किए जाते हैं ।

केरल के उद्योगों में निष्क्रिय क्षमता का उपयोग

*462. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जिसकी अप्रयुक्त क्षमता 40 प्रतिशत से अधिक है ; और

(ख) क्या सरकार इस तथ्य पर विचार करेगी कि ऐसे उद्योगों में उत्पादन शुल्क कम करके और उद्योग को उसकी निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने के काबिल बनाकर रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जा सकते हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन विभिन्न उद्योगों के बारे में क्षमता उपयोग सम्बन्धी राज्यवार, जानकारी इकट्ठी या संकलित नहीं करता । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के "मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेलैक्टेड इन्डस्ट्रीज ऑफ इंडिया" नामक प्रकाशन में अधिष्ठापित क्षमताओं के आंकड़े दिए होते हैं और ये आंकड़े केवल अखिल भारतीय आधार पर ही होते हैं तथा इसमें किसी प्रकार का राज्यवार ब्यौरा नहीं दिया जाता । तकनीकी विकास के महानिदेशालय के अनुसार, वर्ष 1981 में तकनीकी विकास के महानिदेशालय के अधीन 45 महत्वपूर्ण चुने हुए उद्योगों का इन उद्योगों में क्षमता के उपयोग का अध्ययन करने के लिए विश्लेषण किया गया है । इन 45 उद्योगों में से 18 उद्योगों के एकक केरल राज्य में हैं । वर्ष 1981 के इन 18 उद्योगों के क्षमता उपयोग का एक विवरण

संलग्न है। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा रूग्णता की घटनाओं का अनुमान लगाने और उसके कारणों का पता लगाने की दृष्टि से किया जाने वाला निदानपरक सर्वेक्षण लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचुर द्वारा केरल राज्य में पूरा कर लिया गया है। केरल राज्य में शामिल नमूना एककों की संख्या 266 थी जो पंजीकृत एककों की कुल संख्या का लगभग 2 प्रतिशत बैठती है। लघु नमूने के आधार पर, वर्ष 1980-81 में 53 उद्योगों में, जिनके अन्तर्गत 125 एकक आते हैं और जो नमूना एककों का लगभग 47 प्रतिशत बैठते हैं, 40 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग नहीं हुआ था।

केरल राज्य सरकार के पास उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार वर्ष 1980-81 में, केरल में सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों/सरकारी बहुलांश वाली कम्पनियों में 26 उत्पादों के मामले में 60 प्रतिशत से कम क्षमता का उपयोग हुआ था, जबकि 24 अन्य उत्पादों में 60 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया गया था।

उत्पादन शुल्क में कटौती के प्रश्न पर विचार करते समय उद्योग के क्षमता उपयोग को भी एक कारण के रूप में ध्यान में रखा जा सकता है। किन्तु, विशिष्ट राज्यों या क्षेत्रों में स्थिति कुछ एककों या उद्योगों के संदर्भ में उत्पादन शुल्क में परिवर्तन, यदि कोई हो, करने के बारे में विचार नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, विशिष्ट उद्योगों में 12 महीनों अर्थात् मार्च, 1982 से फरवरी, 1983 की अवधि में माल के बढ़े हुए उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में रियायत देने की योजना का प्रावधान भी 1982-83 के बजट में है बशर्ते कि आधार वर्ष अर्थात 28 फरवरी, 1982 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के दौरान उत्पादन उपर्युक्त अवधि में 110% से अधिक बढ़ जाए। अतः यह योजना क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने में भी सहायक हो सकती है।

विवरण

उद्योग	प्रतिशत क्षमता उपयोग 1981
1	2
1. अल्युमिनियम	124
2. जस्ता	41
3. मोटर गाड़ियों के टायर	81
4. सीमेन्ट	78
5. कास्टिक सोडा	56
6. कैल्शियम कार्बाइड	60
7. कीटनाशक (डी० डी० टी०)	65
8. कीटनाशक (बी० एच० सी०)	57
9. नाइट्रोजन युक्त उर्वरक	62

1	2
10. फास्फेटयुक्त उर्वरक	60
11. मशीनी औजार	62
12. ट्रान्सफार्मर	59
13. सूखी बैटरी	63
14. साबुन	198
15. साइकिल और रिक्शा टायर	25
16. रबर के जूते	4
17. सिंथेटिक प्रक्षालक	26
18. कागज और गत्ता	33

अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम का क्रियान्वयन

*463. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम को अब भी क्रियान्वित नहीं कर रही है,

(ख) यदि हां, तो अधिनियम को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम को शीघ्र क्रियान्वित करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) नौ राज्य सरकारों, नामत: गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और दिल्ली ने अधिनियम के अधीन नियम बना लिए हैं और अधिसूचित किए हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, हरियाणा, गोवा, दमन और दीव की सरकारों और चण्डीगढ़ तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनों ने नियमों के मसौदों को अन्तिम रूप दे दिया है और उनको अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं। शेष राज्य सरकारों, जिन्होंने अभी तक नियम नहीं बनाए है, को नियमत रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं कि इसे शीघ्र पूरा करें।

श्रम मंत्रालय में 21 अगस्त, 1982 को 10 राज्यों के श्रम सचिवों की बैठक बुलाई गई है ताकि उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया जा सके।

पश्चिम बंगाल को लोहा व इस्पात सामग्री की सप्लाई

*464. **श्री अजित बाग** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल को लोहा और इस्पात सामग्री की सप्लाई के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का 20 जनवरी, 1982 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा क्या मांगें रखी गई हैं ;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) इस्पात विभाग में इस बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी, पूछताछ की जा रही है कि क्या ऐसा कोई पत्र किसी अन्य कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों तथा पश्चिम बंगाल के लघु उद्योग निगम को इस्पात सामग्री के आवंटत तथा सप्लाई के बारे में इस्पात विभाग के साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है और बातचीत चल रही है। पिछले कुछ समय से लगभग सभी श्रेणियों की इस्पात सामग्री की सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक रही है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा रंगीन टेलीविजन का विकास

*465. **श्री रशीद मसूद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी में लगभग तीन वर्ष पूर्व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा देश में रंगीन टेलीविजन का विकास करने के लिए परियोजना आरम्भ की गई थी ,

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक योग्य प्रौद्योगिकी विदों और वैज्ञानिकों को, अन्य प्राथमिकताओं वाले कामों की अनदेखी करके, रंगीन टेलीविजन के विकास के काम में लगा दिया गया जो अपेक्षाकृत गैर-प्राथमिकता वाली मद है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) रंगीन टेलीविजन के विकास पर अब तक अनुमानत: कितना व्यय हो चुका है और प्राप्त उपलब्धि की तुलना में इसकी क्या स्थिति है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस पर अनुमानत: लगभग 20 लाख रुपये की लागत आएगी । भारतीय इलेक्ट्रौनिकी निगम लिमिटेड और केन्द्रीय इलेक्ट्रौनिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के बीच इस प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिये 70 रुपये प्रति रंगीन दूरदर्शन सेट की दर से रायल्टी देने के बारे में बातचीत हुई थी, बशर्ते इस रायल्टी की सीमा 30 लाख रुपये से अधिक न हो ।

लघु उद्योगों का संवर्धन

*466. **श्री अरुणकुमार नेहरू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए बीस सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग लघु उद्योगों का संवर्धन और लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाना है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान योजना अवधि में यह विशेष कार्यक्रम किए प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योगों को उपलब्ध सेवाओं का समन्वय अधिकांश रूप से लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा विशिष्टि अभिकरणों और संस्थानों की सहायता से किया जाता है। लघु उद्योग विकास संगठन के कार्य क्षेत्र को हरियाणा, जो कि बिना संस्थान वाला एक मात्र राज्य था। में एक नया संस्थान खोल कर तथा पिछड़े क्षेत्रों में 12 शाखाएं खोल कर बढ़ाया जा रहा है और इसे पिछड़े क्षेत्रों तक फैलाया जा रहा है। गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए परीक्षण सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। कुछ विशिष्ट वस्तु समूहों के लिए 20 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों के गुण नियंत्रण हेतु विशिष्ट विनियमनकारी आदेश लागू किए जा रहे हैं। विभिन्न विस्तार केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को पुनर्गठित किया जा रहा है जिससे सामान्य सुविधाएं देने में उनकी दक्षता बढ़ाई जा सके। प्रणालियों के गुण नियंत्रण हेतु सहायता देने की एक योजना तैयार की जा रही है। ऋण, कच्चे माल, प्रशिक्षण आदि की समस्याओं को हल किया जा रहा है। उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

अखिल भारतीय सेवा संवर्गों की पुनरीक्षा

*467. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा संवर्गों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) तीन अखिल भारतीय सेवाओं, अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा को शासित करने वाले संवर्ग नियमों में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक तीन वर्षों के अन्तराल पर उक्त सेवा के प्रत्येक संवर्ग की पद संख्या तथा गठन की पुनरीक्षा की जाए और वह संवर्गों की पद संख्या तथा गठन में ऐसे परिवर्तन करें जो यह उचित समझे। नियम केन्द्रीय सरकार को यह भी शक्तियां प्रदान करते हैं कि वह किसी भी संवर्ग की पद संख्या तथा उसके गठन में किसी अन्य समय पर परिवर्तन कर सकती हैं। उक्त नियमों के अनुसरण में, राज्य सरकारों से प्राप्त संवर्गों की पुनरीक्षा के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जाता है और संवर्गों की पद संख्या तथा गठन में परिवर्तन करने के लिए लिए, गए निर्णयों को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

ट्रकों और ट्रैक्टरों का उत्पादन और बिक्री

*468. श्री आर० प्रभु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1981 से अब तक, महीने-वार कितने ट्रकों और ट्रैक्टरों का उत्पादन/बिक्री हुई हैं ;

(ख) क्या हाल ही के महीनों में इनके उत्पादन/बिक्री में गिरावट आई है ;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन/बिक्री में आई गिरावट के कारणों पर विचार किया है ;

(घ) क्या ट्रैक्टरों-ट्रकों की बिक्री में गिरावट आने के मामलों में एक कारण यह भी है कि उनकी खरीद के दो वर्षों के भीतर उनकी पुनः बिक्री करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ; और

(ङ) क्या सरकार इस उद्योग में आई मन्दी को समाप्त करने के विचार से पुनः बिक्री के आदेश को निरस्त करने के बारे में विचार करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) तथा (ख) : "ट्रकों" शब्द का उल्लेख करने में शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय वाणिज्यिक गाड़ियों से है। मार्च, 1981 से अब तक वाणिज्यिक गाड़ियों और ट्रैक्टरों का उत्पादन और बिक्री, माहवार, नीचे दी जाती है :—

	वाणिज्यिक गाड़ियां		ट्रैक्टर	
1981	**उत्पादन**	**बिक्री**	**उत्पादन**	**बिक्री**
अप्रैल	6119	4179	6927	7637
मई	6346	5692	6532	6647
जून	7738	7264	6515	6538
जुलाई	7507	6997	6814	6818
अगस्त	7903	7770	6719	6465
सितम्बर	7052	6485	7191	7204
अक्तूबर	7202	6640	7442	7238
नवम्बर	8112	7712	7425	7273
दिसम्बर	8871	10767	8149	7075
1982				
जनवरी	8033	6993	6333	5077
फरवरी	8537	7055	6385	5688
मार्च	9945	11745	7045	5443
अप्रैल	6841	7183	5037	4822
मई	8204	6428	4799	6082
जून	6402	6672	5050	6890

(ग) तथा (घ) सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और उद्योग की स्थिति को बराबर मानीटर किया जा रहा है। वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग अनेक बातों से उत्पन्न होती है जिनमें उनकी कुल उपलब्धता, उद्योग का विकासात्मक ढांचा, भावी ग्राहकों को बैंकों से वित्त की उपलब्धता और रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन में बचत शामिल है। कुल मिलाकर वही बातें पिछले वाक्य में उल्लिखित अंतिम बात को छोड़कर ट्रैक्टरों के मांग-ढांचे को भी प्रभावित करती हैं। वाणिज्यिक गाड़ियों को पुनः बिक्री पर प्रतिबंध इन गाड़ियों की बुकिंग और खरीद में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को रोकने की दृष्टि से लगाया गया था।

(ङ) सरकार द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

अधिक उम्र के श्रमिकों को संरक्षण देने के लिए कानून

* 469. **श्री रेणुपद दास :**
श्री सुधीरकुमार गिरि :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान और न्यूजीलैंड में विद्यमान ढंग की भांति देश में अधिक उम्र के श्रमिकों को संरक्षण देने के लिए सरकार की कोई कानून बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना का कोई ब्यौरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्तमान समाज सुरक्षा कानूनों के अधीन उपलब्ध प्रसुविधाओं की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर उनमें और सुधार किए जाते हैं।

दिल्ली नगर निगम द्वारा सहायक डिप्टी एसेंसर और कलक्टरस के पदों पर नियुक्ति

4974. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा सहायक/डिप्टी एसेंसर और कलक्टरों के पद पर नियुक्ति हेतु कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं;

(ग) क्या सेवा-निवृत्ति की आयु के बाद इन अधिकारियों के सेवाकाल को बढ़ाने के लिये कोई नीति निर्देश निर्धारित किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) 1981-82 के दौरान जिन अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया है अथवा जिन्हें पुनः नियुक्त किया गया है उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा सूचित किया गया है कि सहायक/एसेंसर और क्लैक्टर के पद के लिये भर्ती विनियम दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना सं० एफ-2 (126)/67-एल० एस० जी०, दिनांक 1-6-68 और डिप्टी एसेंसर और क्लैक्टर के लिए अधिसूचना संख्या एफ-2 (100) 72-एल० एस० जी०, दिनांक 6-3-75 और एफ-9 (71)/79-एल० एस० जी०, दिनांक 4-12-79 के अधीन अधिसूचित किए गए थे।

(ग) तथा (घ) दिल्ली नगर निगम म्युनिसिपल अधिकारियों की अधिवर्षिता के पश्चात् सेवाकाल को बढ़ाने के लिए मामलों पर विचार करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या-26/11/68-स्था० (ख), दिनांक 17-6-69 में निर्धारित नीति निदेशों का अनुसरण कर रहा है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने 1981-82 के दौरान अपने किसी अधिकारी/कर्मचारी का सेवाकाल नहीं बढ़ाया है। किन्तु एक सहायक एसेंसर और क्लैक्टर को करों की सवसूली के कार्य को पूरा करने के लिए और इस कार्य में किसी व्यवधान को दूर करने के लिए जो उसके स्थान पर नये पदधारक की नियुक्ति से हो सकती थी, 1-1-82 से 30 अप्रैल, 1982 तक 4 महीने के लिये पुनः रोजगार दिया गया था। अधिकारी अब निगम की सेवा में नहीं है।

सफेद सीमेंट संयंत्रों का लगाया जाना

4975. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जून, 1982 को रांची में प्रैस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा था कि किसी भी गैर-सरकारी सीमेंट संयंत्र को विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय इस वर्ष बड़े औद्योगिक घरानों के कुछ सीमेंट संयंत्रों को विस्तार की पहले ही अनुमति दे चुका है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि हां, तो उन औद्योगिक घरानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सफेद सीमेंट संयंत्र लगाने की अनुमति/लाइसेंस दिये गये हैं और क्या ये विद्यमान सीमेंट संयंत्रों से सम्बद्ध होंगे अथवा प्रथम इकाई के रूप में स्थापित किये जायेंगे, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन एककों को स्थापित करने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं वे कहां-कहां हैं और इस सफेद सीमेंट को किस प्रकार बेचा जायेगा ;

(ङ) विद्यमान एककों की लागत लेखा परीक्षा किये जाने के बाद कोई लाभ सीमा निर्धारित की जायेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या इस समय सफेद सीमेंट के निर्माण में बहुत अधिक लाभ है और यदि हां, तो इसे कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) सफेद सीमेंट के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र आदि द्वारा अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत करने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सफेद सीमेंट नियंत्रण आदेश के क्षेत्र से बाहर है अतएव सफेद सीमेंट पर कोई मूल्य और वितरण नियंत्रण नहीं है।

विवरण

सफेद सीमेंट के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्रों के द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा

क्रम सं०	आवेदक का नाम	स्थान	क्षमता मी० टन/वार्षिक	टिप्पण
(1)	मैं० एसोशिएटेड सीमेंट कम्पनीज लि०	पोरबन्दर जिला जूनागढ़ (गुजरात)	15,000	विद्यमान एकक का पर्याप्त विस्तार
(2)	—वही—	कैमूर जिला जबलपुर (म० प्र०)	25,000	—वही—
(3)	मैं० जे० के० सिन्थेटिक लि०	गोटन जिला नागौर (राजस्थान)	50,000	नया एकक
(4)	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन	गोटन जिला नागौर (राजस्थान)	66,000	नया एकक (संयुक्त क्षेत्र में)
(5)	श्रीमती शान्ताबेनेजडी पटेल	दोताद जिला सांबरकाठा (गुजरात)	45,000	नया एकक
(6)	मैं० हिमालय सीमेंट लि०	रानावाव जिला जूनागढ़ (गुजरात)	50,000	नया एकक
(7)	श्री अशोक अग्रवाल	गुजरात का पिछड़ा जिला	50,000	नया एकक
(8)	मैं० दि जनरल इण्डस्ट्रियल सो० लि०	रेवादार जिला सिरोही (राजस्थान)	100,000	नया एकक

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए योजनाएं

4976. श्री गुलाम मोहम्मद खान : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या क्या है तथा उनमें कितने परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं ;

(ख) अनुसूचित जाति के परिवारों के लाभ के लिये चल रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सहायता सहित उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या राज्य में अनुसूचित जातियों को हुये लाभों का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) अनुसूचित जातियों के लिए राज्य विशेष संघटक योजना (1982-83) के अनुसार, अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या 46 लाख होने का अनुमान है जिनमें कम से कम 30 लाख परिवार गरीबी के स्तर से नीचे जा रह रहे हैं।

(ख) विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए चलाई गई स्कीमों में कृषि-उत्पादन बढ़ाने, छोटी सिंचाई, पशु पालन विकास, मछली पालन, वन, डेरी उद्योग, शिक्षा, परिवहन और संचार, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा जलपूर्ति और आवास आदि के लिए स्कीमें शामिल हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 1980-85 के लिए विशेष संघटक योजना के लिए 624.4 करोड़ रु० की प्राप्ति का परिमाणन किया है। वर्ष 1980-81 में व्यय 55 करोड़ रु० था और वर्ष 1981-82 में अनुमानित व्यय 95.9 करोड़ रु० है। वर्ष 1982-83 के लिए 121 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1980 से 1982 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश को विशेष संघटक योजना के लिए 51 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(ग) अनुसूचित जातियों को प्राप्त हुए लाभों के सम्बन्ध में राज्य द्वारा किए गए किसी मूल्यांकन की सरकार को जानकारी नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना वर्ष 1980-81 से शुरू हुई और इस कार्यक्रम के प्रभाव का सार्थक मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में पदोन्नति की नई पद्धति

4977. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कुछ कर्मचारियों ने पदोन्नति की नई पद्धति के विरोध में जून, 1982 के अन्तिम सप्ताह में एक दिन का अनशन किया था ; और

(ख) पदोन्नति की पुरानी और नई पद्धति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, हां। बी० एच० ई० एल०, तिरुचि में 14,000 कर्मचारियों में से 48 कर्मचारियों ने उच्चतर अर्द्ध-कुशल और समकक्ष ग्रेडों में पदोन्नति के परिणामस्वरूप कुछ श्रमिकों को उच्च पदनाम न दिए जाने के विरोध में 29-6-82 को एक दिन का अनशन किया था।

(ख) कम्पनी में कैरियर पर आधारित पदोन्नति नीति है जिसके अनुसार विद्यमान ग्रेड में सेवा की निर्धारित पात्रता अवधि को पूरा करने के बाद कर्मचारियों पर अगले उच्च पद/ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। न्यूनतम पात्रता अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों और उनकी विद्यमान दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए पदनाम में परिवर्तन या जिम्मेदारी में उपयुक्त परिवर्तन किए बिना अगले ग्रेड में रखने के लिए भी कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को स्वीकार किया जाता है। यह योजना 1974 से प्रचलित है। उससे पहले बिना स्पष्ट रिक्त स्थान के अगले उच्च ग्रेड में रखने के लिए इस प्रकार विचार किए जाने का प्रचलन नहीं था।

मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में आदिवासी क्षेत्रों का विकास

4978. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में कुछ आदिवासी क्षेत्र पूर्णतः अपेक्षित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन क्षेत्रों को देश के शेष भागों के समकक्ष लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ; और

(घ) आदिवासियों के विकास के लिए शुरू की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में कुछ आदिवासी क्षेत्रों विगत में उपेक्षित रहे होंगे। किन्तु इस समय किसी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित आवंटन किए गए है :

आदिवासी क्षेत्रों के लिए छठी योजना में आवंटन

(रुपये करोड़ों में)

राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता		जोड़
मध्य प्रदेश	629.04	126.64	755.68
उड़ीसा	533.19	61.26	594.45
बिहार	625.26	64.03	689.29

पांचवी योजना के पांच वर्षों 1974-79 और छठी योजना के दो वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कृषि, सिंचाई, बागवानी, पशुपालन वानिकी, कुटीर, ग्राम और लघु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति आदि के क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं और इन राज्यों के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों जहां आदिवासी उपयोजना नीति लागू है, में कार्यान्वित की गई हैं। पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, शिक्षण और सम्बद्ध योजनाएं, कन्या छात्रा-

वास, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए है। समेकित ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।

मयूर विहार दिल्ली में पुलिस संरक्षण सम्बन्धी सुविधाएं

4979. **श्री ईरा अनवारासु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की मयूर विहार स्थित नई आवासीय कालोनी में पुलिस संरक्षण की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) कालोनी में 24 घंटे गश्त लगाई जाती है। रात में भी इस क्षेत्र में दो टुकड़ियां तैनात की जाती हैं। सुरक्षा प्रबन्धों में सुधार करने के लिए त्रिलोकपुरी में एक पुलिस चौकी, जिसमें मयूर विहार भी आ जाएगा, बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद का भरा जाना

4980. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने वरिष्ठ विज्ञान-सहायकों के तीन पदों के लिए जिनमें से एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, आवेदन आमंत्रित किए थे ;

(ख) क्या आरक्षित पद भर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या पद पर नियुक्ति के लिए विभाग के अनुसूचित जाति से सम्बद्ध कर्मचारियों के बारे में विचार किया गया था ; और

(घ) क्या पद को पुनः विज्ञापित किया गया था तथा आरक्षित पद को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह : (क) राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने तीन पदों के लिए विज्ञापन भेजा था जो एक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं एक वरिष्ठ क्रय सहायक के लिए था। इनमें से एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था उपयुक्त व्यक्ति मिलने पर उपरोक्त तीन पदों में से दो पदों में नियुक्ति करदी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विभाग के अनुसूचित जाति के प्रार्थी के सम्बन्ध में भी नियमानुसार विचार किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में आई० टी० आई० में दाखिला

4981. **श्री डूंगर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में आई० टी० आई० संस्थानों में 1980 के सत्र के लिए दाखिले में विलम्ब हुआ था अर्थात् दाखिला 15 नवम्बर, 1980 तक किया गया था और राज्य सरकार ने इस विलम्ब के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित नहीं किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन संस्थानों में 1981 सत्र के लिए दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 1982 तक दाखिला होता रहा था और राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह बताया था कि इन संस्थानों में केवल 15 नवम्बर, 1981 तक दाखिला हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1981 सत्र के लिए दाखिले 15 नवम्बर, 1981 तक किए गए थे। दिसम्बर, 1981 या जनवरी, 1982 तक ऐसे दाखिलों के विलम्ब के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह सूचित किया गया है कि चयन समितियों का देरी से गठन किए जाने के कारण दाखिलों में विलम्ब हुआ।

बोकारो के भण्डारों से 10 करोड़ रुपये के सामान का गुम पाया जाना

4982. **श्री रुद्रप्रताप सारंगी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा पिछले अनेक वर्षों के दौरान खरीदे गए करोड़ों रुपये के सामान में से 10 करोड़ रुपये मूल्य का सामान बोकारो इस्पात संयंत्र के भण्डारों से गुम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में उच्चस्तरीय जांच के आदेश देगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जनवरी, 1977 से जून, 1982 की अवधि में बोकारो इस्पात कारखाने के मुख्य स्टोर से चुराई गई सामग्री का, जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्टें पुलिस के पास दर्ज करा दी गई हैं ; कुल मूल्य मात्र 14.63 लाख रुपये है।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला में कैन्टीन का कार्यकरण

4983. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला में कैण्टीन तथा शौचालय की स्वच्छता संबंधी स्थिति अत्याधिक खराब है;

(ख) क्या यह सच है कि कैण्टीन का काम-काज ठीक नहीं चल रहा है तथा इसका हिसाब-किताब आदि उचित प्रकार से नहीं रखा जा रहा है ; और

(ग) संस्थान की स्वच्छता सम्बन्धी स्थिति में सुधार लाने तथा कैण्टीन का काम-काज ठीक प्रकार से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) नालियों के बन्द हो जाने की सम्भावना से बचने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सुधार करने हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया है ।

प्रति व्यक्ति आय

4984. श्री ए० के० राय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है तथा वर्तमान मूल्यों के आधार पर और वर्ष 1960-61 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का वर्षवार विवरण क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम जैसे पूर्वी राज्यों के सम्बन्ध में उपरोक्त जानकारी का विवरण क्या है ;

(ग) क्या (क) और (ख) के बीच में कोई अन्तर है तथा क्या यह अन्तर बढ़ता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा अन्तर को कम करने और असमान विकास की वृद्धि को रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं तथा तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न किया गया है जिसमें पूर्वी राज्यों के संबंध में राज्यों द्वारा तैयार किए गए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान और प्रचलित भावों तथा नवीनतम तीन वर्ष की अवधि जिसके लिए राज्य अनुमान उपलब्ध है, अर्थात् 1977-78 से 1979-80 तक 1970-71 के भावों पर वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत दिया गया है। ये अनुमान 1960-61 के भावों पर तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय स्तर की तुलना में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय तीनों वर्षों में अधिक है जबकि पूर्वी राज्यों के अन्य राज्यों, जिनके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है, कि प्रति व्यक्ति

आय कम है। 1977-78 को आधार वर्ष मानकर प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय के तैयार किए गए सूचकांकों से पता चलता है कि पूर्वी राज्यों के बड़े राज्य में राष्ट्रीय औसत से बहुत कमी नहीं हुई है।

(घ) छठी योजना में क्षेत्रीय असमानताओं में प्रगामी कमी लाने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसको विभिन्न तरीकों से किया जाना है, जिनमें विशेष महत्वपूर्ण है :—

(i) संसाधन अंतरण के मामले में पिछड़ेपन को एक वस्तु के रूप में माना गया है। राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के बटवारे के लिए वर्ष 1979 में आरम्भ की गई आई० ए० टी० पी० फार्मूला तथा पिछड़े हेतु क्षेत्रों को द्विगुणित करने सम्बन्धी गाडगिल फार्मूला में हाल के वर्षों में पिछड़े राज्यों राज्यों के लिए संसाधनों के वितरण में सुधार हेतु किए गए प्रयासों को दर्शाया गया है।

(ii) पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। क्षेत्रीय विसमता की समस्या के सम्बन्ध में समाकलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रफल योजनाकरण की प्रक्रिया अपनायी गई है तथा उपयोजना दृष्टिकोण को उन्नत किया गया है। इन दृष्टिकोणों से विशेष जनजातीय संघटक योजना, पहाड़ी क्षेत्र परियोजना तथा उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा संचालित विशेष कार्यक्रमों का विकास किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में इन सभी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

(iii) रियायती वित्त परियोजना, प्रारम्भिक/उपान्त राशि परियोजना, केन्द्रीय निवेश सहायिकी परियोजना, कर रियायत, विशेष ब्याज सहायिकी आदि के द्वारा निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय नीतियां तैयार की गई हैं।

विवरण

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय/पूर्वी राज्यों की राज्य आय

(रु०)

अखिल भारत राज्य	प्रचलित भावों के आधार पर			स्थिर भावों के आधार पर (1970-71)		विकास सूचकांक* (1977-78† 100)	
	1977-78	1978-79	1979-80	1978-78	1978-79	1979-80	
1	2	3	4	5	6	7	8
अखिल भारत	1198	1250	1316	695	715	661	110
	(10.7)	(4.3)	(5.3)	(6.4)	(2.9)	(-7.6)	
पूर्वी राज्य							
1. असम	949	1019	1083	574	555	533	114
	(7.4)	(7.4)	(6.3)	(5.5)	(-3.3)	(-4.0)	

1	2	3	4	5	6	7	8
2. बिहार	728	733	795	429	438	405	109
	(4.0)	(6.2)	(2.8)	(1.7)	(2.1)	(-7.5)	
3. मणिपुर	808	814	822	499	454	438	102
	(5.6)	(0.7)	(1.0)	(5.5)	(-9.0)	(-3.5)	
4. उड़ीसा	820	860	843	500	514	435	103
	(24.4)	(4.9)	(-2.0)	(18.8)	(2.8)	(-15.4)	
5. त्रिपुरा	862	861	—	558	558	—	—
	(3.7)	(-0.1)	—	(-1.6)	(0.0)	—	
6. पश्चिम बंगाल	1263	1253	1330	802	865	723	105
	(4.2)	(-0.8)	(6.1)	(5.2)	(-4.6)	(-5.5)	

टिप्पणी—(1) मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम इस प्रकार के अनुमान तैयार नहीं करते।

(2) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले साल की तुलना में प्रतिशत वृद्धि के द्योतक हैं।

* उपलब्ध नहीं।

† प्रचलित भावों के आधार पर

कालगर्ल गिरोह

4985. श्री रामजी भावणि :
श्री तारिक अनवर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के आलीशान होटलों में चल रहे एक "कालगर्ल" गिरोह के संबंध में 9-10 जुलाई, 1982 को दक्षिण दिल्ली के निकट एक सिनेमाघर के बाहर दो स्त्रियों को गिरफ्तार किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या ऐसी गैर-कानूनी और समाज विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की गई है ;

(घ) सरकार ने 1 फरवरी, 1980 से 30 जून 1982 तक ऐसे कितने गिरोहों का भंडाफोड़ किया है ; और

(ङ) प्रत्येक गिरोह का तथा प्रत्येक के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) एक कालगर्ल गिरोह के विषय में आसूचना मिलने पर एक फर्जी ग्राहक भेजा गया और जब लड़कियां सप्लाई करने का सौदा तय हो गया तो दो अन्तर्ग्रस्त महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम की धारा 4/8 के अन्तर्गत 9-7-82 को पुलिस स्टेशन कालकाजी में एक मामला दर्ज किया गया।

(ग) अपराध और रेलवे पुलिस उप आयुक्त के अधीन एक भ्रष्टता विरोध एकक कार्य कर रहा है। इसके अतरिक्त स्थानीय पुलिस को भी महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। जब कभी भी इस प्रकार की गतिविधियां ध्यान में आती है, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) सूचित किए गए मामलों की संख्या और की गई कार्रवाई नीचे दिखाई गई है :

वर्ष	दर्ज किये गये मामले	चालान किये गये मामले	दोष सिद्ध मामले	दोष मुक्त मामले	विचारण के लिए लम्बित मामले	जांच के लिए लम्बित मामले
1980	65	65	1	1	63	—
1981	79	78	12	—	66	1
1982 (30-6-1982 तक)	64	46	18	—	28	18

आई० बी० एम० में पूंजीनिवेश के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को हुआ घाटा

4986. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री रास बिहारी बेहरा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को एक गैर-सरकारी कम्पनी आई० बी० एम०, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, में पूंजीनिवेश से लगभग 20 लाख रुपये का घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो घाटे को खत्म करने और घाटे के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा एक प्रतिवेदन के रूप में इस घाटे के बारे में सरकार को सूचित किया गया था और यदि हां, तो रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अगस्त, 1980 में श्रम मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह बताया गया कि आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम द्वारा प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से कर्मचारी भविष्य निधि को 22.16 लाख रुपये की निवल हानि हुई। इस सारे मामले को जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया है।

सेवा सम्बन्धी मामलों के लिए विशेष न्यायालयों/न्यायायक न्यायाधिकरणों की स्थापना

4987. श्री कुसुम कृष्णामूर्ति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील आचरण नियमों का पालन करने और उनका ठीक निर्णयन करने में प्रशासनिक अधिकारियों का दोषी व्यक्तियों के दुराचार, गलतियों और अनियमितताओं के कारण, सेवा सम्बन्धी मामले चिरकाल तक न्यायालयों में पड़े रहते हैं और उनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है और जनशक्ति, बोन्स और धन बहुत अधिक बर्बाद होता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने (एक) विशेष न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित करने (दो) कोई अन्य प्राप्ति संपन्न निकाय स्थापित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) ऐसे निकायों की संख्या, शक्ति और कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों पर गौर करने के लिए सरकार एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्तावित न्यायाधिकरण के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात के लिए कोल स्लरी के लिए पाइप लाइन

4988. श्री दिग्विजय सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को 700 करोड़ रुपये की लागत से कोयला स्लरी के लिए पाइप लाइन के निर्माण के लिए योजना आयोग को दिसम्बर, 1980 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ; और

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि गुजरात को अपनी आवश्यकता का केवल 70 प्रतिशत कोयला मिलता है ; इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि इस कार्य के पूरा होने में विलम्ब न हो, कार्यवाही की जाएगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) गुजरात सरकार के अनुरोध पर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य बिजली बोर्ड के लिए 707 करोड़ रु० की लागत से मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला खानों से गुजरात में 3 तापीय बिजलीघरों तक लगभग 100 लाख टन प्रक्षालित कोयले के पाइप लाइन परिवहन के लिए योजना आयोग में दिसम्बर, 1980 में एक प्रारम्भिक तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रबन्ध किया गया था। इसमें योजना आयोग द्वारा अक्तूबर, 1980 में स्थापित किए गए उस अन्तर मंत्रालयीन कार्यकारी दल के सदस्य उपस्थित थे, जो छठी योजना में बताए गए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार देश में कोयले के घोल की पाइप लाइन द्वारा परिवहन व्यवस्था को शुरू करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए बनाया गया था।

2. इस कार्यकारी दल ने बाद में इस रिपोर्ट पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया तथा विभिन्न उपादानों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की कि भावी कार्रवाई की योजना के लिए उपयुक्त राय कायम कर सकने और इस संबंध में निवेश निर्णय करने के उद्देश्य से यह आवश्यक था कि अधिक व्यापक साध्यता अध्ययन किया जाना चाहिए जिसमें न केवल अन्वेषणों के अधिक परिमापकों का समावेश होगा बल्कि उत्तरी क्षेत्र में बिजलीघरों को कोयले का संचलन भी शामिल होगा। जिसके लिए यातायात की गहनता गुजरात से भी अधिक होगी। उक्त अध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की थी कि इस व्यापक अध्ययन का काम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को सौंपा जाए।

3. इस कार्यकारी दल की शिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इसके अनुसार देश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित कोयला खानों से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में तापीय बिजली घरों को कोयले को घोल के रूप में पाइप लाइन द्वारा परिवहन से संबंधित व्यापक तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन का काम नवंम्बर, 1981 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया गया था।

4. इस व्यापक साध्यता अध्ययन की रिपोर्ट का प्रारूप योजना आयोग में जुलाई, 1982 में प्राप्त हो गया है और इसकी जांच की जा रही है। इसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को अन्तिम रूप देने के लिए जल्दी ही लौटा दिया जाएगा।

5. इजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से अन्तिम साध्यता रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मार्गों पर कोयले के परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में पाइप लाइन द्वारा परिवहन के विस्तृत लागत -लाभ विश्लेषण का काम योजना आयोग में किया जाएगा।

6. इस प्रकार से इस समय कोयले के पाइप लाइन द्वारा परिवहन की तकनीकी-आर्थिक साध्यता का ही केवल अध्ययन किया जा रहा है और कोई ऐसी किसी पाइप लाइन को वास्तव में डालने का प्रकम अभी नहीं आया है और न ही इस समय यह कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ रु० के बहुत बड़े निवेश वाली ऐसी किसी परियोजना को निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा।

अशोक पेपर मिल्स के दोनों यूनिटों की अधिष्ठापित क्षमता और उनका वर्तमान उत्पादन

4989. श्री भोगेन्द्र झा : क्या उद्योग मंत्री अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के जोगी घोपा

और रामेश्वर नगर यूनिटों के बन्द हो जाने के बारे में 14 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 911 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के दोनों यूनिटों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा उनका वर्तमान उत्पादन कितना है ;

(ख) उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है, कितने कर्मचारी काम करते हैं तथा कम उत्पादन होने के ठीक-ठीक कारण क्या हैं ;

(ग) अधिष्ठापित क्षमता के स्तर तक उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपाय करने के बारे में क्या विचार किया जा रहा है ;

(घ) क्या रामेश्वर नगर यूनिट की मूल योजना लुगदी और कागज के लिए बनाई गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या बांस, घास अथवा भूसे से लुगदी का उत्पादन करने के बारे में पुनः विचार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अशोक पेपर मिल्स के जोगीघोपा और रामेश्वर नगर एककों की अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है :

जोगी] लुगदी—120 मी० टन प्रतिदिन और
घोपा] कागज—90 मी० टन प्रतिदिन

रामेश्वर नगर—45 मी० टन प्रतिदिन कागज वर्तमान में दोनों एककों में उत्पादन नहीं हो रहा है।

(ख) अशोक पेपर मिल्स में कुल निवेश 40.19 करोड़ रुपये के लगभग है और मिल ने 2500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है। उत्पादन शुरू होने से ही बिजली की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता और रख रखाव की कमी के कारणों से मिल में क्षमता का कम उपयोग हुआ है। वर्तमान में, कार्यशील पूंजी की कमी से उत्पादन बन्द है।

(ग) मिल का अध्ययन करने और सुधारात्मक अभ्युपाय सुझाने के लिए सलाहकारों की एक फर्म नियुक्त की है। आवश्यक कार्यवाही के लिए रामेश्वर नगर एकक में तेल के स्थान पर कोयले के प्रतिस्थापन पर जोगीघोपा के वन विभाग को पुनः गठित करने पर और रामेश्वर नगर में लुगदी संयंत्र को शीघ्र चालू करने के सम्बन्ध में सलाहकारों की सिफारिशों की जांच प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जा रही है।

(घ) रामेश्वर नगर एकक की योजना चीनी मिलों से खोई की उपलब्धता पर आधारित थी। परन्तु बाद में योजना में बांस की लुगदी से कच्चा माल प्राप्त करने का परिवर्तन कर दिया गया वह अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।

(ङ) रामेश्वर नगर में कृषीय अवशेष पदार्थों का उपयोग कर 30 मी० टन प्रतिदिन क्षमता वाला साइकिल्ड फाइबर पम्प संयंत्र स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर बिहार सरकार की अनापत्ति प्रतीक्षित है।

उद्योग बन्द करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति

4990. **श्री नवीन रवाणी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नियोक्ता परिषद ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उस प्रस्ताव को त्याग दे, जिसके अन्तर्गत किसी नियोक्ता द्वारा अपने उद्योगों को बन्द करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं को प्रदान करने के मामले में जनता के हितों की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है और विधेयक में जो प्रस्ताव किया गया है वह केवल उचित प्रतिबंध है ।

महाराष्ट्र में शीरे के अवैज्ञानिक ढंग से भंडार करने से उत्पन्न प्रदूषण

4991. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र ने केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि शीरे की भारी मात्रा का अवैज्ञानिक ढंग से भंडार करने से राज्य में प्रदूषण की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां, महाराष्ट्र के जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ने समस्या की ओर केन्द्रीय बोर्ड का ध्यान आकर्षित किया है ।

(ख) केन्द्रीय बोर्ड ने शीरे का अवैज्ञानिक ढंग से भंडार करने की समस्या की ओर, जो सतही तथा साथ ही भूमिगत जल को प्रदूषित कर सकती है, पहले ही ध्यान दिया है । समस्या पर केन्द्रीय बोर्ड, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय और राज्य व्यापार निगम के साथ विचार-विमर्श करने के लिए, पर्यावरण विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन अप्रैल, 1982 में किया गया था । सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के विवादों को राष्ट्रीय मजूरी न्यायाधिकरण के पास भेजना

4992. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गत वर्ष हड़ताल और तालाबन्दी के दौरान मजूरी के नियतन सम्बन्धी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के विवादों को राष्ट्रीय मजूरी न्यायाधिकरण के पास भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने (i) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर और (ii) हिन्दुस्तान एरोनौटिक्स लि०, बंगलौर के प्रबन्ध तंत्रों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवादों में समझौता विफलता रिपोर्ट भेजी है, जो हड़तालों (26-12-1980 से 14-3-1981) और तालाबन्दियों (7-5-81 से 3-6-81) की अवधियों की मजदूरी के बारे में है। ऐसा करते हुए, राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि क्योंकि संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की यूनिटें विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, इसलिए विवादों को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास भेजा जाना चाहिए, यदि विवादों में अन्तर्ग्रस्त मामलों की जांच करने के पश्चात भारत सरकार ऐसा महसूस करती है। श्रम मंत्रालय, इस मामले पर विचार कर रहा है।

अनुसंधान केन्द्र और राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुसंधान और नवीकरण के काम में कौन-कौन से अनुसंधान केन्द्र और राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं लगी हुई हैं ; और

(ख) उद्योगों को अनुसंधान के लाभ उपलब्ध कराने के लिए विद्यमान व्यवस्था क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किए जा रहे अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप गांवों तथा पिछड़े क्षेत्रों में अनुप्रयोग के लिए हैं। इनमें से कुछ क्रियाकलापों के फलस्वरूप ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए गए हैं। विशेष रूप से, निम्नलिखित संस्थानों का उल्लेख किया जा सकता है :

(1) स्कूल आफ एप्लायड रिसर्च, सांगली

(2) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन, पुणे

(3) नेशनल डेयरी डिवेल्पमेंट बोर्ड, आणन्द

(4) सैन्ट्रल फूड टैक्नालोजीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मैसूर

(5) नेशनल एनवायरनमेंटल इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नागपुर

(6) सैन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की

(7) सैन्ट्रल लैदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मद्रास

नेशनल रिसर्च डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया का "डिवेल्पमेंट एण्ड प्रोमोशन आफ एप्रोप्रिएट टैक्नालोजीज" (उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास तथा संवर्द्धन) शीर्ष से एक कार्यक्रम है जिसके अधीन निगम पहले से विकसित संगत प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रहा है और आवश्यकता पर आधारित प्रौद्योगिकियों को प्रायोजित कर रहा है।

अनुसंधान लाभ ग्रामीण विकास में लगे हुए स्थानीय स्वयं सेवी अभिकरणों के सहयोग से उद्योगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां भी पारस्परिक

रूप से तयशुदा शर्तों पर उन उद्यमकर्ताओं को निर्मुक्त की जाती है जिनकी इ= रुचि है।

गोआ की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पें=

4994. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करें

(क) क्या सरकार ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पे= लिया है, जो गोआ की आजादी के लिए लड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन स्वतन्त्रता सेनानियों में ऐसे व्यक्ति भी सम्मि= आजाद होने तक पुर्तगाली साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहे थे ;

(ग) यदि हां, तो पेंशन के लिए कितने स्वतन्त्रता सेनानियों की ओर से स प्राप्त हुए हैं तथा वे किन-किन राज्यों से सम्बन्धित हैं और उनमें से कितने स्वतन्= पेंशन मंजूर हो गई है तथा विचाराधीन आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) उन्हें पेंशन की मंजूरी देने में हो रहे अनुचित विलम्ब के क्या कारण

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंक और (ख) जी हां, श्रीमान् बशर्ते कि वे पेंशन योजना जिसका पुनः नामकरण करके सम्मान पेंशन योजना रखा गया है, के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के मानदंड को

(ग) विभिन्न राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने के आन्दोलन के सम्बन्ध में अपनी यातनाओं के आधार पर सम्मान पेंशन का दा बारे में कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं। फिर भी गोआ से प्राप्त आवेद= 30-6-1982 की स्थिति इस प्रकार है :

1972 के बाद प्राप्त हुए आवेदनों की कुल संख्या	स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या	अस्वीकृत किए गए मामलों की संख्या	निलंबित किए गए मामलों की संख्या	उन संख्या रा
2910	608	1484	11	

(घ) राज्यों से जांच रिपोर्टों और/अथवा आवेदकों से यातना के दावे के स सूचना न मिलने के कारण 807 मामलों को अन्तिम रूप दिया जाना है। आवे= दस्तावेज और राज्य सरकारों से जांच रिपोर्टों के प्राप्त होने पर मामलों पर तीव्र की जाती है।

प्रति व्यक्ति आय

4995. **श्री सुनीन मैत्रा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की क्या दर रही है ; और

(ख) विकसित और विकासशील देशों में इसकी स्थिति क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लेखा-1979 नामक संयुक्त राष्ट्र के शब्दकोश में प्रकाशित सूचना के अनुसार नवीनतम तीन वर्षों अर्थात वर्ष 1976 से वर्ष 1978 तक के लिए विकसित और विकासशील देशों और भारत के लिए प्रति व्यक्ति आय (सकल घरेलू उत्पाद) की औसत वृद्धि दर निम्नलिखित है :

विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाएं :		3.6%
विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाएं :		3.3%
भारत	:	2.9%

टिप्पणी : विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाएं आस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित यूरोप और उत्तरी अमरीका के देशों से मिलकर बनी हैं। विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाएं-अफ्रीका (दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर), कैरीबियन और लैटिन अमरीका, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया (जापान को छोड़कर), मध्यपूर्व (इजराइल को छोड़कर) और ओसियानिया (आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर) के देशों से मिल कर बनी हैं।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की मोटर गाड़ी से चोरी

4996. **श्री निहाल सिंह :**

श्री राम सिंह शाक्य :

क्या **उद्योग मंत्री** खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की गाड़ी से चोरी के बारे में 6-4-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की मोटरगाड़ी में हुई 22.806 12 रुपये मूल्य के सामान की चोरी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ख) यदि जांच अब तक पूरी नहीं हुई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) जांच कब तक पूरी होने की संभावना है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जांच अधिकारी ने 1-7-1982 को अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत कर दिया है और खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई द्वारा उसकी जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना की लागत

4997. **श्री बापूसाहिब पहलेकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरि एल्युमिनियम परियोजना की वास्तविक लागत क्या है ;

(ख) क्या कोई पुनरीक्षित अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो गत पुनरीक्षित अनुमान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 78.825 करोड़ रुपये ।

(ख) 168.89 करोड़ रुपये के विगत संशोधित लागत अनुमान जून, 1980 में लगाए गए थे, जो 1980 की प्रथम तिमाही के मूल्यों पर आधारित थे ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि निम्नलिखित है :

1979-80	1980-81	1981-82 (लाख रुपयों में)
3.70	2.48	2.13 (अनन्तिम, लेखा परीक्षा के अधीन)

मध्य प्रदेश में पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखना

4998. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पारिस्थितिक-सन्तुलन बनाए रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश में पारिस्थितिक-सन्तुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में वृक्षों की कटाई से वहां पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो वृक्षों की कटाई के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) प्रदूषण नियंत्रण के लिए विधायी तथा प्रशासनिक उपायों का प्रवर्तन, विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यनिर्धारण और परिरक्षित क्षेत्रों के रूप में क्रांतिक पारि-प्रणालियों का संरक्षण जैसे कुछ उपाय हैं जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने के लिए किए जा रहे हैं ।

(ग) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में वृक्षों को गिराने से क्षेत्र की पारिस्थितिकी को किस सीमा तक प्रभावित किया गया है, यह केवल वैज्ञानिक अध्ययन के बाद विनिश्चित किया जा सकता है ।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, अधिनियमित किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी वन क्षेत्र को गैर-वनीय प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अवर सचिवों की उप सचिवों के पद पर पदोन्नति

4999. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा की 1 जनवरी, 1981 की सिविल सूची (30 जून 1981 तक संशोधित) में क्रमांक संख्या 109 से क्रमांक संख्या 132 तक आने वाले 24 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अवर सचिव 1981 वर्ष के लिए उप सचिवों की सूची के लिए उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों की संख्या की दो गुणा थी (31 जनवरी, 1981 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वालों को छोड़कर) ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन 24 अवर सचिवों के नामों पर विचार किया गया था और उनके सेवा रिकार्ड के आधार पर उनके नाम एक साथ रद्द कर दिये गये थे ;

(ग) यदि नहीं तो किस आधार पर उनके नाम पर विचार नहीं किया गया और उनमें कुछेक 1981 की सूची के लिये चुने नहीं जा सके ; और

(घ) क्या गृह मंत्रालय द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या, 22011/3176 सिब्बन्दी (डी), दिनांक 24 दिसम्बर, 1980 में चयन ग्रेड हेतु चुनाव करने के लिये निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का 1981 की सूची के लिये पूरी तरह से पालन किया गया था ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रेड-1 के कुल 127 अधिकारी उप सचिव ग्रेड में पदोन्नति अर्थात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड की वर्ष, 1981 की प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए विचार क्षेत्र जोन में आते थे। सेवा-निवृत्त/मृत अधिकारियों के नाम निकाल देने के पश्चात 31-1-82 को विचार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों की संख्या केवल 114 थी। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड की वर्ष 1981 की प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रश्न में उल्लिखित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी 24 अधिकारियों पर समुचित विचार किया गया था। इन 24 अधिकारियों की सूची में सबसे ऊपर के एक अधिकारी के नाम को बाद में एक ऐसे अधिकारी जिसकी मृत्यु हो गई थी का नाम हटाए जाने के कारण हुई एक रिक्ति के कारण पैनल में शामिल कर लिया गया था। यह कहना सही नहीं है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के 24 पात्र अधिकारियों के समूह के सभी नामों की अनदेखी कर दी गई है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड की वर्ष 1981 की प्रवर-सूची को अन्तिम रूप देते समय इस विषय पर सरकारी हिदायतों पर उचित ध्यान दिया गया था। यद्यपि, प्रश्न में उल्लिखित 24 अधिकारियों का समूह विचार-क्षेत्र में आता था लेकिन ये अधिकारी विचार-क्षेत्र (जोन) में इतने वरिष्ठ नहीं थे कि वे उन रिक्तियों की संख्या अर्थात सरकार द्वारा निर्धारित 58 रिक्तियों के भीतर आ पाते जिनके लिए प्रवर सूची तैयार की जानी थी। चयन समिति द्वारा इन अधिकारियों पर समुचित

विचार किया गया था परन्तु उन्हें प्रवर सूची में इसलिए शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि विचार के क्षेत्र में 23 अधिकारियों के इस समूह से वरिष्ठ तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा चयन ग्रेड की 1981 की प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए चयन समिति द्वारा योग्य पाए गए अधिकारियों को प्रवर सूची में शामिल किए जाने के कारण रिक्तियां समाप्त हो गई थीं।

(घ) माननीय सदस्य द्वारा उद्धृत कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 24-12-1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/3176-स्थापना (घ) के पैरा 3 (ख) के अनुसार जहां फीडर ग्रेड (ग्रेडों) में पात्र अधिकारियों की संख्या उन अधिकारियों जिन पर विचार किया जाना है की संख्या, अर्थात रिक्तियों की संख्या के तीन गुने से कम है वहां इस प्रकार से पात्र सभी अधिकारियों पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, 1981 के पैनल को अन्तिम रूप देते समय इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया गया था।

माईनिंग एंड अलाईड मशीनरी कम्पनी लिमिटेड को हानि

5000. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड अलाईड मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, दुर्गापुर गत कई वर्षों से नुकसान में चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक इसे कितनी संचित हानि हो चुकी है ;

(ग) इसके ऊपरी खर्चों तथा अनुत्पादक खर्चों में कटौती करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(घ) गत 18 महीनों के दौरान (1 जनवरी, 1981 से 30 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान) गैस्ट हाउस में औसतन कितने व्यक्ति प्रति माह ठहरे ;

(ङ) किराए सम्बन्धी स्टाफकार तथा अन्य दिन-प्रति-दिन के खर्चों सम्बन्धी शीर्षों के अन्तर्गत इसके रख रखाव पर प्रति वर्ष कुल कितनी धन राशि खर्च होती है ; और

(च) उनके मंत्रालय में अन्य सरकारी उपक्रमों के गैस्ट हाउस की 'पुल-एकोमोडेसन' का उपयोग, जिसके लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने सिफारिश की थी, न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) 1972-73 से 1976-77 तक कम्पनी ने लाभ दिखाया लेकिन तब से इसे हानियां हो रही हैं।

(ख) 31-3-82 तक 109.05 करोड़ रु० (इसमें 1981-82 के लिए 13.80 करोड़ रु० की अन्तिम हानि भी शामिल है)।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) उत्पादन को मुक्तिपूर्ण बनाया जा रहा है तथा उन्हीं वस्तुओं के बार-बार निर्माण की वृद्धि की जा रही है।

(2) विभिन्न विभागों के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(3) रख-रखाव संयंत्र तथा मशीनों में सुधार किया जा रहा है।

(4) प्रणालियों तथा बजटीकरण नियन्त्रणों, उत्पादन तथा लागतों आदि में सुधार किया जा रहा है।

(घ) 72%

(ङ) 2,54,737 रुपये।

(च) एम० ए० एम० सी० के अतिथि गृह सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। उसी प्रकार जहां एम० ए० एम० सी० के अपने अतिथि गृह नहीं हैं वहां इसके अधिकारी सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के अतिथि गृहों का उपयोग करते हैं।

खादी भवन, नई दिल्ली को आगे किराये पर उठाना

5001. **श्री राम सिंह शाक्य :**
श्री निहाल सिंह :

क्या उद्योग मंत्री खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को आगे किराये पर उठाये जाने के बारे में 9 जून 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी भवन, नई दिल्ली ने रीगल बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के अपने किराएदार को एक हिस्सा आगे किराए पर चढ़ाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस प्रकार हिस्से को आगे किराए पर चढ़ाने की ऐसी स्थिति में किन आधारों पर अनुमति दी गई है, जबकि खादी भवन को इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के एक बड़े हिस्से के किराए के रूप में मात्र 256/-रूपए मिलते हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की पूरी-पूरी जांच करने के आदेश देगी ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) किराएदार ने किराएदारी तथा म्युनिसिपल अधिनियम के अधीन ग्राह्य अनुमति के अनुसार भवन को आगे किसी और किराए पर देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने अन्य शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति दे दी थी।

1. कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम एवं अन्य किसी भी लागू कानून और नियम के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

2. कि केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए ही और आगे किराए पर दिया जाएगा, रहने के लिए नहीं।

3. कि किराएदार आगे किराए पर देने हेतु अपनी मंशा की सूचना आयोग को लिखित रूप में उप-किराएदार के पूरे ब्यौरे सहित देगा।

(ग) सरकार आयोग से इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कह रही है।

श्रम न्यायालय के मुकदमों का निपटान

5002. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक एवं श्रम न्यायालयों संख्या 1, 2 और तीन में जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक की अवधि में कुल कितने मामले भेजे गए और कितने श्रम न्यायालयों में निपटाए गए ;

(ख) उद्योगवार वहां भेजे गए मामलों और श्रम न्यायालयों में गए मामलों की कुल संख्या कितनी है जो उपरोक्त औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय, धनबाद में लम्बित थे ;

(ग) इन मामलों के निपटाने में लम्बी देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) गरीब श्रमिकों को साथ ही उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

		निर्देश	आवेदन
श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) :	(क)	111	173
	(ख)	404	152

इनका उद्योगवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	निर्देश	आवेदन
कोयला खानें	378	इनमें से अधिकांश आवेदन कोयला उद्योग से संबंधित हैं। तथापि, उनका उद्योग-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
गैर-कोयला खानें	14	
बैंक	10	
अन्य	2	
	404	

(ग) इन मामलों को निपटाने में लम्बी देरी के कारणों में विवाद के पक्षकारों का तैयार न होना, समय पर लिखित बयान और दस्तावेज दाखिल न करना, पक्षकारों द्वारा स्थगनों का मांगा जाना शामिल है ।

(घ) अधिकरणों में पड़े बकाया काम को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं :—

(1) प्रत्येक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय के प्रति माह छः औद्योगिक विवाद निपटाने का मानक निर्धारित किया गया है ।

(2) हर माह मामलों की स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है, सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी के साथ मामला उठाया जाता है ।

(3) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1982 जो पहले ही संसद के समक्ष है, में अन्य बातों के साथ-साथ मामलों को तेजी से निपटाने की व्यवस्था की गई है।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, दिल्ली में इलेक्ट्रोप्लेटिंग एकक का कार्यकरण

5003. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, दिल्ली में इलेक्ट्रोप्लेटिंग एकक का काम-काज ठीक ढंग से नहीं चल रहा है ;

(ख) क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कुछ टैंकों और क्रोम वेपर के लिए "एक्जास्ट सिस्टम" का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इलेक्ट्रोप्लेटिंग एकक के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (घ) इलेक्ट्रो-प्लेटिंग एकक में अनेक टैंक हैं जिसमें से कुछ तो पुराने होने के कारण मरम्मत योग्य भी नहीं रह गये हैं। उन्हें बदलने तथा ऐग्जास्ट सुविधा देने के लिये अभ्युपाय प्रारम्भ कर दिये गये हैं। शेष उपकरणों से तथा अन्य चालू प्रतिष्ठानों में दौरों तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य संतोषजनक ढंग से चलाया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की संख्या

5004. **श्री बनवारी लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के अन्तर्गत (एक) उपायुक्त, पुलिस (दो) सहायक आयुक्त, पुलिस (तीन) निरीक्षक (चार) उप-निरीक्षक, (पांच) सहायक उप-निरीक्षक (छः) हैड कांस्टेबल और (सात) कांस्टेबल की श्रेणियों में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त सभी श्रेणियों में आरक्षण सम्बन्धी कोटा पूरा भरा हुआ है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(ङ) पिछली कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तथा (ख) :—

30-6-82 का विद्यमान संख्या निम्न प्रकार है :

	30-6-1982 को कुल विद्यमान संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1. उप पुलिस आयुक्त	37	5	1
2. सहायक पुलिस आयुक्त	121	10	3
3. निरीक्षक	363	43	4
4. उपनिरीक्षक	2280	193	47
5. सहायक उप-निरीक्षक	1677	174	9
6. हैड कांस्टेबल	4442	485	39
7. कांस्टेबल	17751	2539	313

(ग) जी, नहीं ।

(घ) तथा (ङ) आरक्षण कोटा, विशेषत: अनुसूचित जनजातियों के मामले में, उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं है । जब तक पिछली कमी पूरी नहीं होती, रिक्तियों को आगे लाया जा रहा है । केवल असुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अन्य राज्यों में भी विशेष भर्ती आयोजित की जाती है । पदोन्नति पदों के सम्बन्ध में आरक्षित श्रेणियों के लिये अर्हक मानकों को कम करने के अतिरिक्त विचार का सामान्य क्षेत्र 1:3 से बढ़ाकर 1:5 कर दिया जाता है।

नये 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई प्रगति

5005. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त करने के लिए योजना आयोग ने क्या पद्धति अपनाई है ;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना की प्रति-जांच किस तरह की जाती है ; और

(ग) क्या योजना आयोग ने नए- 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में किसी राज्य सरकार द्वारा भेजी गई इस प्रकार की सूचनाओं की प्रति-जांच करने का कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग में मासिक प्रगति रिपोर्टों की व्यवस्था कायम की गई है । योजना आयोग का तिमाही प्रगति रिपोर्ट निकालने का भी प्रस्ताव है । 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों की प्रगति के बारे में सूचना राज्य सरकारों द्वारा भेजी जाती है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्टों के लिए भेजे गए आंकड़ों की प्रति-जांच करने के लिए कोई अलग पद्धति आरम्भ नहीं की गई है।

एम-50 मोटर साइकिलों के लिये पंजीकरण

5006. **श्री हरिकेश बहादुर :**
डा० ए० यू० आजमी :

क्या उद्योग मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज आटो लिमिटेड ने देश भर में अपने डीलरों के माध्यम से, लाटरी निकालकर बजाज एम-50 मोटर साइकिल के आवंटन हेतु 31 मार्च, 1982 तक लोगों का पंजीकरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो एम-50 मोटर साइकिल की बुकिंग के लिए देश भर में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) कम्पनी को, डाकघरों में धन जमा रखने के बजाय अपने पास धन जमा रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) मै० बजाज आटो लिमिटेड ने बताया है कि उनको अपनी एम-50 मोटर साइकिलों जिनके लिए 15 मार्च, 1982 को बुकिंग खोली गई थी के लिए लगभग 11,44,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ग) इच्छुक खरीददारों से इकट्ठी की गई जमा राशि से कम्पनी जमा राशि नियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है ?

फैरो—सिलिकोन एण्ड चार्ज क्रोम का निर्यात

5007. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रायगटा स्थित इण्डियन मेटल्स एण्ड फैरो एलोयस लिमिटेड अपनी फैरो सिलिकोन एण्ड चार्ज क्रोम फैक्टरियों के सम्बन्ध में निर्यातोन्मुखी कम्पनियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दो फैक्टरियों के लिए इसका सालाना निर्यात लक्ष्य क्या था ; और

(ग) 197 -80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में उन्होंने प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में फैरो सिलिकोन तथा चार्ज क्रोम का निर्यात किया था और किन-किस देशों को ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) फैरो-सिलिकन और चार्ज-क्रोम का उत्पादन करने के लिए दि इण्डियन मेटल्स एंड फैरो-एलायस लिमिटेड की रायगढ़ (उड़ीसा) में कोई निर्यातोन्मुख इकाई नहीं है, लेकिन कम्पनी के पास प्रतिवर्ष 12,600

टन फैरो-सिलिकन इस्पात का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस है । जनवरी, 1980 में कम्पनी को अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 20,000 टन तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । यह स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि कम्पनी 7,400 टन वार्षिक की बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग केवल निर्यात के लिए करेगी । इसके अलावा कम्पनी को उड़ीसा राज्य के देनकनाल जिले में (न कि रायगढ़ में) प्रतिवर्ष 50,000 टन चार्ज-क्रोम का उत्पादन करने के लिए 13-5-1981 को एक आशय-पत्र दिया गया था । कम्पनी को उपर्युक्त आशय-पत्र इस शर्त के साथ दिया गया था कि चार्ज-क्रोम के समस्त उत्पादन का निर्यात किया जाएगा । कम्पनी से इस आशय-पत्र को "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख" इकाई के लिए आशय-पत्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया है । उनके आवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) कम्पनी द्वारा निर्यात की गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

फैरो-सिलिकिन

वर्ष	मात्रा	किस देश को निर्यात किया गया	टिप्पणी
1979-80	2100 मी० टन 500 मी० टन	जापान बंगला देश	
1980-81	—शून्य—	—	निर्यात की अनुमति नहीं दी गई ।
1981-82	1000 मी० टन	जापान	
1982-83 (30.6.82 तक)	—शून्य—	—	

चार्ज क्रोम

इस्पात की अनुमानित मांग और खपत

5008. **श्री अनन्तरामुलु मल्लु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान इस्पात उत्पादों की प्राक्कलित मांग और 1980-81 और 1981-82 के दौरान इसकी वास्तविक खपत कितनी रही है ;

(ख) 1980-81 के उत्पादन लक्ष्य और क्षमता उपयोग की तुलना में 1981-82 के दौरान इस्पात उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों और इस्पात संयंत्रों के क्षमता उपयोग के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस-किस प्रकार के अतिरिक्त इस्पात उत्पादों का निर्यात किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1981-82 में

इस्पात के उत्पादों की अनुमानित मांग 105 लाख टन थी। वर्ष 1980-81 और 1981-82 में इस्पात की वास्तविक खपत क्रमश: 85 लाख टन और 92.23 लाख टन थी (आंकड़े अस्थायी हैं)।

(ख) छ. सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य, क्षमता के उपयोग का लक्ष्य और क्षमता के वास्तविक उपयोग के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन का लक्ष्य (हजार टन)	क्षमता के उपयोग का लक्ष्य (प्रतिशत)	क्षमता का वास्तविक उपयोग (प्रतिशत)
1980-81	7320	83.9	72.2
1981-82	7850	90.2	83.4

(ग) वर्ष 1982-83 में सेल को 50,000 टन गर्म बेलित क्वायत और 30,000 टन ठंडे बेलित क्वायत का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

सरकारी उपक्रमों के चेयरमैन और प्रचार कर्मचारी तथा पत्रिकाएं

5009 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन से एकक हैं और इन एककों के चेयरमैनों और श्रेणी-वार प्रचार कर्मचारियों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इन एककों द्वारा प्रचार के लिए खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है और इन एककों द्वारा विज्ञापनों के लिए कौन-कौन से दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का उपयोग किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इन एककों द्वारा एकक वार की गई प्रेस रिलीजों का ब्यौरा क्या है और इन एककों, एककवार की डाक सूची में केन्द्रीय सरकार के प्रत्यायित संवाद-दाताओं के नाम क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व

5010 **श्री भीखा भाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों तथा उनके सहायक उपक्रमों की कुल संख्या कितनी है तथा नाम क्या हैं जिनके निदेशक मंडल में गैर सरकारी, अंशकालिक निदेशक नामजद किए जाने हैं;

(ख) किन-किन तारीखों से ये बोर्ड बनाए गए हैं और उनकी वर्तमान अवधि (टर्म) कब पूरी होगी और उपरोक्त बोर्डों में नामजद किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गैर-सरकारी, अंशकालिक निदेशकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकारी नीति में इन बोर्डों में गैर सरकारी/अंशकालिक निदेशकों के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किसी आरक्षण की व्यवस्था है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विधानों और अधिनियमों में, जिनके अन्तर्गत ये उपक्रम बनाये गये हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशकों को नामजद करने का प्रावधान नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो किन कारणों से, उपरोक्त बोर्डों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संशोधन नहीं किया जा रहा है;

उद्योग तथा इस्पात और खानमंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनके सहायक उद्योगों के निदेशक बोर्डों के गैरसरकारी/अंशकालिक निदेशकों को उनकी आवश्यकता रिक्त स्थानों की स्थिति तथा संबंधित उपक्रम की अन्तर्नियमावली के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर नामित/नियुक्त किया जाता है।

(ख) एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के निदेशक बोर्ड का गठन/पुनर्गठन संबंधित उपक्रम की अन्तर्नियमावली के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। निदेशक का कार्यकाल भी सम्बद्ध उपक्रम की अन्तर्नियमावली में दिए गए उपबंधों पर निर्भर करता है। उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों के गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशकों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक निदेशकों के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं होता है। जिन संविधियों और अधिनियमों के अंतर्गत इन उपक्रमों की स्थापना की गई है, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंद्ध गैर सरकारी/अंशकालिक निदेशकों को नामजद करने का प्रावधान नहीं है। सरकार की नीति जाति-पांति, समुदाय अथवा धर्म पर विचार किए बिना उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, ट्रेड यूनियनों आदि से सरकारी उपक्रम में आस्था रखने वाले प्रमाणिय योग्यता वाले उम्मीदवारों को ही सरकारी उपक्रमों के बोर्डों में नियुक्त करने की रही है। सरकार की उपर्युक्त नीति को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति में संविधियों और अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

विवरण

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	पदधारी
1	2	3
1.	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि० (हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० की एक सहायक कंपनी)	श्री टी० थाली ए० सी०

1	2	3
2.	—वही—	श्री वी० झाओ
3.	—वही—	श्री आई० लोंगकुमार
4.	—वही—	श्री टी० सी० के० लोथा
5.	भारत आप्थाल्मिक ग्लास लि० दुर्गापुर	श्री पी० एस० इंगटी
6.	टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	श्री मोहिन्दर सिंह
7.	—वही—	*श्री एच० एस० जाध
8.	भारत लेदर कारपोरेशन	—वही—
9.	—वही—	श्री मोहिन्दर सिंह

*अस्थायी आधार पर अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड एक के अधिकारियों की चयन सूची जारी किया जाना

5011. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1979, 1980 और 1981 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत ग्रेड 1 के अधिकारियों की चयन सूचियां किन तारीखों को जारी की गई और ये सूचियां किन तारीखों से लागू हो गई ;

(ख) क्या 1982 की चयन सूची तैयार है, यदि हां, तो सूची किस तारीख को जारी की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) वर्ष, 1979, 1980 तथा 1981 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड—1 अधिकारियों की प्रवर सूचियां क्रमश: दिनांक 27-6-1980, 22-12-1980 तथा 12-1-1982 को जारी की गई थी और उन्हीं तारीखों से लागू हो गयीं थी ।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1982 के लिए प्रवर सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह किस तारीख को जारी कर दी जाएगी निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी मंत्रालयों/विभागों से सूचना तथा रिकार्डों को एकत्रित करने की प्रक्रिया शामिल है ।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पर खर्च की गई धनराशि

5012. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पर से संबंधित कार्यक्रमों पर राज्यवार कितनी धन राशि खर्च की गई है और उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में ऐसे बंधुआ मजदूर हैं जिन्हें एक बार मुक्त कर दिया गया था लेकिन वे पुनः बंधुआ मजदूर बन गये; यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) वे मुख्य कारण कौन से हैं जिनसे वे पुनः बधुआ मजदूर बनने को बाध्य हुये; और

(घ) उन्हें इस बुराई से स्थायी रूप से मुक्त कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

भूतपूर्व आर० एम० आई० गदर में भाग लेने वालों के संध से प्राप्त अभ्यावेदन

5013. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :**
श्री एम० एम० लारेंस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व आर० आई० एन० गदर में भाग लेने वालों के संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) और (ख) : सरकार को आर० आई० एन० गदर 1946 में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के विषय में भूतपूर्व आर० आई० एन० गदर में भाग लेने वालों के संघ तूतीकोरन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । रायल गदर 1946 में भाग लेने वालों को, अलावा उनके जिनकी सेवाएं पूर्णतः प्रशासनिक आधारों पर बर्खास्त की गई थी, पहले ही सम्मान पेंशन का हकदार माना गया है । भूतपूर्व आर० आई० एन० गदर में भाग लेने वालों के संघ, तूतीकोरन के सचिव को स्थिति पहले ही बता दी गई है । यातना के स्वरूप अर्थात क्या यह उसके गदर में भाग लेने के कारण है या अन्य कारणों से, के विषय में किसी संदिग्धता या विवाद के मामले में, हमेशा रक्षा मंत्रालय से विचार विमर्श किया जाता है ।

औद्योगिक एकक जिन्हें गांवों का विकास कार्य सौंपा गया

5014. **श्री बी० के० नायर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के उन औद्योगिक एककों का क्या ब्यौरा है जिन्हें उनके आसपास के गांवों के विकास का दायित्व सौंपा गया है, उनके द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई, कितनी धनराशि खर्च की गई और उन योजनाओं से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ख) समृद्ध औद्योगिक एककों को इस प्रकार के मामलों में क्या रियायतें दी गई;

(ग) क्या इस योजना का विस्तार किया जा रहा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (घ) आयकर अधिनियम, 1961 धारा 35 ग ग के अधीन कपनियों और सहकारी समितियों को अपने कर लगने वाले लाभ में से ऐसा कोई भी व्यय घटाने की अनुमति दी गई है जो उन्होंने निर्धारित प्रधिकरण द्वारा स्वीकृत किसी ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर किया हो। आयकर अधिनियम की धारा 35 ग ग क के अधीन उन संगठनों और संस्थानों को की गई राशि के भुगतान को भी घटाने की अनुमति है जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चला रहे हैं। उक्त प्राधिकरण इस समय राज्य स्तरीय समिति है जिसके अध्यक्ष वह आयकर आयुक्त हैं जिनके क्षेत्राधिकार में वह राज्य/संघशासित क्षेत्र आता है जिसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम चल रहा है और इस समिति में राज्य सरकार के सचिव स्तर के पद का एक अधिकारी सदस्य होता है। प्रत्येक मामले में दी गई छूट के संबंध में आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(डसीला)

नई दिल्ली में नारायण बिहार के एक गेस्ट हाउस में अनैतिक व्यापार

5015. **श्री जे० एस० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में नारायण बिहार के एक गेस्ट हाउस में अनैतिक व्यापार के बारे में 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई-18, नारायण बिहार, नई दिल्ली स्थित गेस्ट हाउस में जिसे 22 जुलाई, 1981 से बन्द कर दिया गया था, "कपूर इन्टरनेशनल" के नये नाम से पुनः शुरू हो गया है ;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में उस गेस्ट हाउस पर छापा मारा है और दो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो गेस्ट हाउस के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है और क्या गेस्ट हाउस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे तत्काल बन्द करने के लिए अनेक अभ्यावेदन दिए जा चुकने के बाद भी एक अच्छी कालोनी के आवासीय क्षेत्र में इस गेस्ट हाउस को कार्य करने की अनुमति देने के क्या विशेष कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पुलिस ने 3-7-82 को लाइसेंस प्राप्त किए बगैर गेस्ट हाउस फिर से खोलने के सम्बन्ध में जांच की और उसका चालान किया।

(ग) न्यायालय ने गेस्ट हाउस को बन्द करने के लिए 5-7-82 को आदेश दिया था तथा अब गेस्ट हाउस को बन्द कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्वरोजगार योजनाएं

5016. **श्री के० मालन्ना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्वरोजगार कुशलता प्रदान करने हेतु कार्यक्रम बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) स्व-रोजगार/उद्यमकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त 1992 सत्र से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण तीन मोडयूलों में दिया जाएगा । पहला मोडयूल प्रशिक्षणार्थियों के बीच जानकारी सृजित करने के लिए है, जो प्रशिक्षण के आखिरी 6 महीनों के दौरान सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाया जाएगा । दूसरा और तीसरा मोडयूल केवल उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए बनाया गया है जो स्व-रोजगार अपनाने का निर्णय करते हैं । ये मोडयूल केवल चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध होंगे और आई० टी० आई० प्रशिक्षण के पूर्ण होने के उपरान्त इसका प्रबन्ध किया जाएगा ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित नए होटलों में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का प्रयोग

5017. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों सम्बन्धी आयोग ने भारत पर्यटन विकास निगम को परामर्श दिया है कि इसके द्वारा नए बनाए जा रहे होटलों को जहां तक सम्भव हो सके पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो बिजली से चलने वाले गीजर की तुलना में इसकी लागत के बारे में क्या ब्यौरा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बिजली से चलने वाले गीजर अथवा अन्य पारम्परिक जल तापन प्रणालियों की तुलना में सौर जल तापन प्रणाली की लागत प्रतिष्ठापना के आकार के अनुसार अलग-अलग हैं । सामान्य रूप से, सौर जल तापन प्रणालियों की प्रारम्भिक लागतें, पारम्परिक प्रणालियों की लागतों से अधिक हैं, फिर भी आवर्ती मूल्य न्यूनतम है । सौर जल तापन प्रणालियों की प्रारम्भिक लागतों को और भी कम करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ।

स्कूटरों का उत्पादन

5018. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्कूटरों का उत्पादन लक्ष्य, संस्थापित क्षमता और लाइसेंस शुदा क्षमता कितनी है ;

(ख) यह अन्तर किस तरह पूरा करने का विचार है ;

(ग) दो पहिये के स्कूटरों का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या ईंधन बचत की क्षमता और बेहतर तकनीकी विशेषताओं वाले नये माडल स्कूटरों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लि० के लाइसेंसधारियों की क्षमता सहित देश में स्कूटरों की लाइसेंस प्राप्त निर्माण की कुल क्षमता लगभग 6·20 लाख प्रति वर्ष है। अधिष्ठापित क्षमता 3·00 लाख प्रति वर्ष बताई गई है। 1981-82 में लगभग 2.02 लाख स्कूटरों का उत्पादन हुआ। 1982-83 में 2·75 लाख के आसपास स्कूटरों का उत्पादन होने की आशा है। 1984-85 तथा 1989-90 में क्रमशः 4·00 लाख तथा 8·00 लाख स्कूटर प्रतिवर्ष की मांग होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) भावी मांग को पूरा करने के लिए सरकार उपेक्षित क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान कर रही है।

(ग) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, जो केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है दो पहिये वाले स्कूटरों का निर्माण कर रहा है। इस समय संयुक्त क्षेत्र तथा राज्य सरकार के क्षेत्र में भी कुछ एकक स्कूटरों का निर्माण कर रहे हैं।

वे ये हैं :

(I) आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०

(II) कर्नाटक स्कूटर्स लि०

(III) जम्मू तवी स्कूटर्स लि०

(IV) गुजरात लघु उद्योग निगम लि०

(V) महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०

(घ) जी, हां। स्कूटर्स इण्डिया लि० ने एक नया माडल निकाला है जिसका नाम सेंटो है जिसमें सुधरी हुई ईंधन क्षमता वाला 100 सी० सी० क्यूबिक क्षमता का इंजन लगा है। ईंधन की बचत क्षमता के लिए स्कूटरों सहित दो पहिये वाले वाहनों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विभिन्न पार्टियों को भी सरकार ने स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मे० लोहिया मशीन्स लि०, आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०, ऐनफील्ड इण्डिया लि०, केल्वोनेटर आफ इण्डिया लि०, तथा चामुण्डी मोपेडस लि०, उन पार्टियों में शामिल हैं जिन्हें ऐसी स्वीकृतियां दी गई हैं।

मैसर्स जसवन्त शुगर एण्ड स्ट्राबोर्ड मिल्स के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि/ग्रेच्युटी का भुगतान

5019. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जसवंत शुगर एण्ड स्ट्राबोर्ड मिल्स, मेरठ, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के वेतन में से अंशदायी भविष्य निधि नियमित रूप से काटता रहा है और उसे अपने कर्मचारियों के खाते में जमा करने में लगातार चूक करता रहा है ;

(ख) क्या उन सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा सम्बद्ध भविष्य निधि आयुक्त से शिकायत की गई हैं जिन्हें अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारियों के शेयर के साथ अपनी जमाराशि वापस नहीं मिली है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली ग्रेच्यूटी की राशि का भी भुगतान नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने कितनी अवधि तक भविष्य निधि की राशि जमा करने हेतु भुगतान नहीं किया है, कितने कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि, अंशदायी/ग्रेच्यूटी अभी तक नहीं मिली है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जाएगा ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो सतर्कता जांच से लम्बित पड़ी कर्मचारियों की पदोन्नति

5020. **श्री विजयकुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवा में ऐसा कोई नियम है कि एक ऐसे कर्मचारी का, जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो/सतर्कता जांच का सामना कर रहा है, सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा सभी आरोपों को निपटा दिए जाने से पूर्व पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर बने नियम/मार्गदर्शी सिद्धान्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्य कर रहे कर्मचारियों पर स्वत: लागू होते हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) कोई सरकारी कर्मचारी इस आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से विवर्जित नहीं किया जाता कि उसके विरुद्ध विभागीय जांच अथवा न्यायालय की कार्यवाही लम्बित है। विभागीय जांच / न्यायालय की कार्यवाही लम्बित होने के दौरान जब पदोन्नति के लिए उस पर विचार किया जाता है तो पदोन्नति के लिए उस पर विचार करने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें एक मुहर बन्द लिफाफे में रख दी जाती हैं जिसे उक्त कार्यवाही की समाप्ति पर ही खोलना होता है। यदि विभागीय / न्यायालय की कार्यवाही की समाप्ति पर सम्बन्धित सरकारी

कर्मचारी को पूर्णतया दोषमुक्त कर दिया जाता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशो को कार्यान्वित कर दिया जाता है ।

हाल ही मे यह निर्णय किया गया है कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दो से अधिक वर्षों से विभागीय/न्यायालयी कार्यवाही लम्बित हो, वहां उसके मामले की संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जैसी भी स्थिति हो, के परामर्श से यह देखने के लिए समीक्षा की जा सकती है कि क्या उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाही पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, उस पर तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है ।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है यह उन्हीं उपक्रमों का कार्य है कि वे इस मामले में अपने नियम बनाएं और प्रक्रिया निर्धारित करें ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिपिक श्रेणी परीक्षा

5021. **श्री पियूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने 1981 में लिपिक श्रेणी परीक्षा आयोजित की थी ;

(ख) क्या इस बीच उसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और यदि हां, तो कितने प्रत्याशी सफल घोषित किए गए ;

(ग) क्या कोई पैनल भी बनाया गया है और यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों को पैनल में रखा गया है ;

(घ) पैनल में रखे गए अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित न करने के क्या कारण हैं और इस सूची की वैधता अवधि कितनी है ;

(ङ) सफल अभ्यर्थियों की दूसरी सूची कब निकाली जाएगी ; और

(च) क्या उन रिक्त स्थानों पर, जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिपिक श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों से भरे जाते हैं, केन्द्रीय लिपिकीय सेवा में उन लोगों को, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गए हैं ; स्थायी बनाया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । क्लर्क ग्रेड परीक्षा, 1981 में अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या 11,627 है ।

(ग) जी, हां । रिजर्व पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की कुल संख्या 35,426 है ।

(ख) चूंकि पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की नियुक्ति निश्चित नहीं है और कर्मचारी चयन आयोग को सूचित की जा रही प्रतिस्थापन रिक्तियों के अध्यधीन है इसलिए पैनल को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है । पैनल सामान्यत: अगली परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक वैध रहता है ।

(ङ) सफल उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(च) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में तदर्थ अवर श्रेणी लिपिकों को खपा लिए जाने के सम्बन्ध में एक योजना को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है, जिसके अनुसार उन्हें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली अर्हक परीक्षा पास करना आवश्यक होगा।

सरकारी कर्मचारियों के समयोपरि भत्तों की दरों की पुनरीक्षा

5022. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**
श्री भीखा भाई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि सरकारी कर्मचारियों को, जब उन्हें समयोपरि रोका जाता है तो, 6 बजे के बाद से समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 5 से 6 बजे तक का समय विश्राम समय माना जाता है ;

(ग) विश्राम समय, यदि कोई है तो, उसके विशेष उल्लेख सहित समयोपरि भत्ते के भुगतान की पद्धति के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि करने का है जिससे इसे डाक-तार विभाग के समयोपरि भत्ते के समान किया जा सके ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में कार्यालय स्टाफ तथा समतुल्य स्टाफ को निर्धारित कार्य समय के बाद किए गए समयोपरि कार्य के लिए बिना समयोपरि भत्ते का एक घण्टा काटने के बाद समयोपरि भत्ता देय है। इस प्रकार काटा गया एक घण्टा आराम करने के लिए दिया गया समय न होकर बिना समयोपरि भत्ते का घण्टा है।

(घ) जी नहीं, डाक व तार विभाग में आपरेशनल स्टाफ के कार्य के स्वरूप के कारण उनके समयोपरि भत्ते की दरें अलग हैं। किन्तु, डाक व तार विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों के स्टाफ को उन्हीं दरों पर समयोपरि भत्ता मिलता है जो अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यालय स्टाफ को मिलता है।

उद्योगों में नकदी सम्बन्धी प्रतिबन्ध

5023. **श्री जयनारायण रौत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास की औसतन सालाना दर के लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के विशेष क्षेत्रों में नकदी सम्बन्धी प्रतिबन्धों में ढील देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : वर्ष 1981-82 में किए गए विभिन्नक ऋण प्रतिबन्ध अभ्युपायों की संवीक्षा करने पर और बैंकों को मौसमी उद्योगों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ऋण सम्बन्धी नीति में निम्नलिखित संशोधन करने की घोषणा की है :

(क) नकदी जमा अनुपात को 9-4-82 से 7.75 प्रतिशत से घटाकर 7.25 प्रतिशत कर दिया गया था तथा इसे 11-6-82 से घटाकर अब 7 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) गैर-आवासी (बाह्य) रुपया खाते के अन्तर्गत जमाराशि सम्बन्धी नकदी जमा अनुपात को 9-4-82 से 7.75 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) खाद्य प्राप्ति के लिए ऋणसम्बन्धी पुनर्वित्त ग्राह्ता को बढ़ाकर 2200 करोड़ रुपये से अधिक राशि पर 50 प्रतिशत तथा 2600 करोड़ रुपये से अधिक राशि पर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे वर्ष 1982-83 में अपने गैर-खाद्य ऋण देनदारी को 16.8 प्रतिशत अर्थात् गत वर्ष की ही दर पर रखें। कुल मिलाकर इसका तात्पर्य यह होगा कि ऋण से 700-800 करोड़ रुपये अधिक। पहले जून, 1982 में बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी गई थी :

(1) मौसमी क़िस्म की चालू ऋण सम्बन्धी आवश्यकता पूर्णतया पूरी करें।

(2) विशेष रूप से लघु उद्योगों तथा इसी प्रकार के अन्य छोटे-छोटे खातों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सीमाओं में की गई कटौतियों, जहां कहीं वे उनका अब भी पालन कर रहे हैं को दूर करें।

(3) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने शाखा/मण्डलीय/क्षेत्रीय प्रबन्धकों को सामान्य स्वीकृति शक्तियां पुनः प्रदान करें।

(4) सभी प्रकार की ऐसे खुले प्रतिबन्धों को दूर करें जो नए खाते स्वीकार करने में अड़चन पैदा करे।

(5) उद्योग के ऐसे क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण प्रदान करे जिनमें विशेष कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं या महसूस किए जाने की सम्भावना है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन में कटौतियां

5024. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिसमें सेना, आजाद हिन्द फौज आदि के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से पेंशन के रूप में दी जा रही धनराशि में से कोई भी कटौती न करने का अनुरोध किया गया है जैसा कि उन संसद सदस्यों के मामलों में किया गया है जो कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकार को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों (भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों) से कोई

अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के रूप में दी जा रही पेंशन (आजाद हिन्द फौज-सेना आदि) में से कोई धनराशि न काटने का अनुरोध किया गया है। वास्तव में नीति के रूप में, स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन में से सेना सेवा पेंशन आदि की कोई कटौती नहीं की जाती है।

"सेल" (स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड) का प्रचार कार्य

5025. **श्री ए० के० बालन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने अपने विज्ञापन अभियान का एक भाग कांटीनेंटल एडवरटाइजिंग सर्विस, 1306, हेमकुट टावर,नई दिल्ली को सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो "सेल" ने अपना प्रचार कार्य तुलनात्मक रूप से छोटी और कम विशेषता वाली एजेंसी को कैसे सौंपा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि "सेल" ने इसकी एजेन्सी, जिसमें कोई शिल्पी अथवा प्रदर्शनी प्रचार कार्य का विशेषज्ञ नहीं है, के माध्यम से गत वर्ष आयोजित प्रदर्शनी में प्रगति मैदान में अपने "पेवेलियन" से सम्बन्धित कार्य सौंपा था ; और

(घ) यदि हां, तो एक प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का प्रचार कार्य एक ऐसी एजेन्सी को सौंपे जाने के क्या कारण थे जिसके पास प्रचार कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त कुछ ही कर्मचारी हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के लिए कार्य कर रहे अन्य अभिकरणों की तरह यह अभिकरण भी भारत सरकार के दृश्य एवम् प्रचार निदेशालय द्वारा अधिकृत अभिकरणों की बनाई गई नामिका में शामिल है।

(ग) जी, नहीं। यह कार्य दिल्ली के मैसर्स डिजाइन फोरम, जो वास्तुविदों की एक फर्म है, को सौंपा गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर और उसके कर्मचारियों के बीच न्यायालयों में लम्बित पड़े मुकदमों की संख्या

5026. **श्री दीनबन्धु वर्मा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर और उसके पृथक-पृथक कर्मचारियों के बीच तथा अलग-अलग रूप कर्मचारियों के कितने मुकदमें न्यायालयों में लम्बित हैं :

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड न्यायालयों में कितने मुकदमें हार गया है और कितने मुकदमों में जीता है ; और

(ग) कानूनी सलाह, वकीलों तथा अधिकारियों की फीस और न्यायालय में जाने सहित प्रत्येक मुकदमें पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से सूचना मंगाई गई है। यह यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक परीक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक 'नोट्स आन आफिस प्रोसीड्यूअर'

5027. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्स्टीट्यूट आफ सैक्रेटेरियल ट्रेनिंग एण्ड मैनेजमेंट द्वारा जारी की गई पुस्तक 'नोट्स आन आफिस प्रोसीड्यूअर' सरकारी काम काज में उल्लेख करने के लिए अधिकृत पुस्तक नहीं है फिर भी उपर्युक्त पुस्तक को अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिकों ग्रेड 'बी' सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे क्या औचित्य है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, हां।

(ख) 'कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां' सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा प्रकाशित एक प्रशिक्षण सामग्री पुस्तक है। अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक, ग्रेड 'ख' सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस पुस्तक से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य कार्यालय-पद्धति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन और बेहतर सूझ-बूझ उपलब्ध कराना है।

सीमेंट फैक्टरियों में पोलीथीन बैगों का उपयोग

5028. श्री सी० पलानी अप्पन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट फैक्ट्रियों को एक निश्चित तिथि से पोलीथीन बैगों का उपयोग करने हेतु आदेश जारी करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें क्या परेशानियां हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट पैक करने के लिए पोलीथीन के बोरों को काम में लाने के फलस्वरूप उपभोक्ता के लिए सीमेंट की लागत में बढ़ोतरी होगी तथा इससे पटसन उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अतः देशी बाजार में सीमेंट पैक करने हेतु पोलिथीन के बोरों को काम में लाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। सीमेंट के रिसने को न्यूनतम करने की दृष्टि से हाल ही में सीमेंट पैकिंग हेतु बेहत्तर बुनाई वाले पटसन के बोरों को उपयोग में लाना शुरू किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्तूबर, 1982 से जूट की केवल नई बोरियां ही उपयोग में लाई जायेंगी।

महाराष्ट्र में चानाल्ला और चानौर में सीमेंट संयंत्र स्थापित करना

5029. श्री बी० एन० गाडगिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की "सीकोम" ने महाराष्ट्र के यवतमाल और चन्द्रपुर जिलों में चानाल्डा और चानौर नामक स्थानों पर दो सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजनाओं को मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ग) दि स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड, बम्बई ने महाराष्ट्र चनखा (यवतमाल जिला) और चन्दूर (चन्द्रपुर जिले) में सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। इन आवेदन-पत्रों की योजना आयोग और सम्बन्धित विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।

"भूतपूर्व नरेशों के देवस्थानम सम्पत्ति" का अधिग्रहण

5030. श्री काली चरण शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों की रिआसतों को भारत में मिलाते समय "देवस्थानम सम्पत्ति" के अधिग्रहण के बारे में कुछ शर्तें तय की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत संघ और भूतपूर्व भारतीय नरेशों के बीच बूज और उत्तरी भारत में उन नरेशों द्वारा बनाए गए देवालयों और धार्मिक स्थानों के बारे में स्वीकृत शर्तों का संबन्धित राज्य सरकारों ने पूरे तौर पर अनुपालन किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) भूतपूर्व भारतीय राज्यों के विलय के समय कुछ राज्यों के सम्बन्ध में धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव के लिए संलग्न विवरण के अनुसार प्रावधान किया गया था। इस सम्बन्ध में खर्च अलग-अलग राज्यों द्वारा वहन किया जाता है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा सूचना नहीं रखी जाती।

विवरण

भूतपूर्व भारतीय राज्यों में धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव के लिए विलय के समय किए गए प्रावधान का विवरण

बनारस	रामलीला और मंदिरों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं के रखरखाव के लिए 1,00,000 रु० वार्षिक।

भोपाल	कानून के उपबन्धों के अनुसार भूमि, गांवों के सभी विद्यमान अनुदानों अथवा उनकी आय अथवा मस्जिदों, मंदिरों इत्यादि और पूजा के स्थानों तथा तीर्थ स्थानों और धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं के लिए नकद अनुदानों का जारी रखना ।
कोचीन	धार्मिक तथा धर्मार्थ प्रयोजनों हेतु वितरण के लिए देवस्वोम आयुक्त को 19,000 रु० वार्षिक ।
कूच बिहार	मंदिरों और विवादास्पद सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिए एक न्यास का सृजन ।
रामपुर	अतिप्राचीन धर्मार्थ अनुष्ठान और समारोहों पर तत्कालीन विद्यालय स्तर पर खर्च जारी रहेगा ।
सुदूर	मंदिरों और संस्थाओं के उचित रखरखाव के लिए राज्य मंदिर निधि के लिए 36,000 रुपये वार्षिक ।
टिहरी गढ़वाल	विभिन्न धर्मार्थ और बद्रीनाथ, केदारनाथ के मंदिरों के लिए और भूतपूर्व राज्य में सेवाओं के लिए तत्कालीन विद्यमान स्तर पर खर्च जारी रखना ।
ट्रावनकोर	देवस्वोमों के रखरखाव के लिए 50 लाख रुपये वार्षिक (यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेदन 290 (ए) में शामिल की गई है । और श्री मद्यनाभास्वामी मंदिर के लिए 1 लाख रु० वार्षिक ।
भूतपूर्व राज्य जिनसे हिमाचल प्रदेश बना ।	पवित्र मंदिरों के लिए तत्कालीन स्तर पर अनुदान जारी रखना ।

अन्वेषक ग्रेड-दो के पद के भर्ती नियमों का संशोधन प्रकाशित करने में विलम्ब

5031. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गजट में किसी अधिसूचना के प्रकाशित होने में कितना समय लगता है ;

(ख) क्या अन्वेषक ग्रेड-दो भर्ती नियम जी० एस० आर० संख्या 473 और 474 के संशोधन प्रकाशित करने में असाधारण विलम्ब हुआ था ;

(ग) इसके क्या कारण हैं कि लेवर ब्यूरो में अन्वेषक ग्रेड-दो के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरोक्त अधिसूचना की अवधि तथा राजभाषा आयोग से उसके अनुवाद की प्राप्ति की अवधि के दौरान आयोजित की गई थी ; और अन्वेषक ग्रेड-दो के पद पर पदोन्नति को नियमित करने के लिए भी वही विभागीय पदोन्नति समिति नियुक्त थी ;

(घ) क्या अन्वेषक ग्रेड-दो के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र कम्प्यूटरों की भारी संख्या को, उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, पदोन्नति से निर्वाचित कर दिया गया है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि भर्ती नियमों की इसी प्रकार की अधिसूचना अनुवाद की 48 घंटे की अवधि के भीतर प्रकाशित कर दी गई थी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के लिए कोई विशिष्ट समय निर्धारित नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) श्रम ब्यूरो में अन्वेषक श्रेणी II के पद पर संगणकों की पदोन्नति के लिए 20-2-1975 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी । श्रम ब्यूरो में विभागीय पदोन्नति समिति की यह बैठक सामान्य क्रम में आयोजित की गई थी । जिस संशोधन के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय में कार्यवाही चल रही थी, वह किस अवस्था पर है, इसके बारे में ब्यूरो को कोई जानकारी नहीं थी ।

(घ) जी, नहीं । इसके विपरीत, कई संगणक, जो स्नातक न होने के कारण, पहले अन्वेषक श्रेणी II के पद पर पदोन्नति के पात्र नहीं थे, संशोधन के बाद वे इस प्रकार की पदोन्नति के पात्र बन गए ।

(ङ) सरकार को ऐसी किसी अधिसूचना की जानकारी नहीं है ।

ओखला फेज 2 में शैडों के लिए किराया खरीद मूल्य निर्धारित करने में विलम्ब

5032. **श्री आर० वाई० धोरपड़े** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ओखला फेज 2 के औद्योगिक शैडों के बारे में डी० एस० आई० डी० सी० की भारी किराया नीति रखने के कारण युवा उपक्रमियों को प्रोत्साहन देने की निजी विफल रही है और उनमें से कुछ ने निराश होकर आत्म हत्या कर ली है ;

(ख) क्या कारण है कि वर्ष 1976 से लेकर इतनी लम्बी अवधि बीत जाने पर भी शैडों का किराया खरीद मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका और बकाया किराया राशि इतनी हो गई है जो शैडों के वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक उपक्रमियों को हैरान और परेशान करने के लिए ही वर्तमान बेदखली कार्यवाहियां आरम्भ की गई है और यदि हां, तो सरकार शैडों के किराया खरीद आधार पर मूल्य कब निर्धारित करने का विचार करती है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि ओखला औद्योगिक इस्टेट फेज एक और दो उपक्रमी मासिक किस्तें नहीं दे रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार बताएगी कि वह कब तक उन औद्योगिक शैडों को उपक्रमियों को आवंटित करेगी जो प्रारम्भ में उनको दिए गए थे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन का भूमि और भवन विभाग इस मामले पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं ।

(ग) बकाया राशि ज्यादा इकट्ठी न हो इससे बचने के लिए उद्यमियों से इन शैडों के बारे में उद्यमियों द्वारा किए गए पट्टे में निश्चित किराए की तुलना में बहुत ही कम दर पर किराया/भाड़ा खरीद के लिए तदर्थ भुगतान करने को कहा गया था। अधिकतर उद्यमी यह घटाया हुआ किराया भी नहीं दे रहे हैं। चूंकि बकाया राशि इकट्ठी हो गई है और निगम को अपनी ऋण भुगतान की देयताओं को भी पूरा करना है इसलिए कुछ मामलों में शैड खाली करवाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। किसी भी स्थिति में किसी भी उद्यमी को हानि पहुंचाने या परेशान करने की मंशा नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) किराया खरीद योजना में शैडों के आवंटन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जांच कार्य तेजी से हो रहा है।

राज्य मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा दौरों पर किया गया व्यय

5033. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री राज्य और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किए गए दौरे पर व्यय की गई राशि के बारे में 28 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9994 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊपर उल्लिखित प्रश्न में, राज्य और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किये गए दौरे पर व्यय के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे कब सभा पटल पर रखने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) लेखा तथा भुगतान कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रत्येक मंत्री या प्रत्येक वर्ग के मंत्रियों के दौरों पर हुए व्यय का अलग-लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। फरवरी 1980 से मार्च, 1982 के दौरान मंत्रि-परिषद् के सम्बन्ध में, दौरों पर हुआ कुल व्यय, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता सहित, लेखा तथा भुगतान कार्यालय मंत्रिमंडल सचिवालय के बहिखातों के अनुसार 3,48,68,281,70 रुपये हैं।

केन्द्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा केन्द्र खोलना

5034. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करने हेतु देश के सभी भागों में परीक्षा केन्द्र खोल दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों को खोलने के लिये क्या मानदण्ड रखे गए हैं ; और

(ग) सरकार ने सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के उम्मीदवारों को उपर्युक्त परीक्षा में भाग लेने के लिये आर्थिक और अन्य कठिनाइयां न होने देने के लिये और उन्हें बराबर लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) परीक्षा केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ किसी विशेष केन्द्र पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संभावित संख्या, स्थान की उपयुक्तता तथा उपलब्धता, संचार साधनों, सुरक्षा तथा चुने गए केन्द्र पर मूल सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग नए केन्द्रों को खोलने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करता है। वर्ष 1981 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, जोरहाट, एजल तथा ईटानगर में छः नए केन्द्र खोले गए थे।

फरीदाबाद (हरियाणा) में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय की स्थापना करना

5035. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने उप क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के स्थान पर हरियाणा में अलग से अपने आप में पूर्ण एक क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय खोलने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि यह सिफारिश सरकार के पास मंजूरी के लिये लम्बित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और सरकार सिफारिश को मंजूर करने में कितना समय लेगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार मामले में सक्रिय रूप से विचार कर रही है। आशा है कि निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

उचित दर दुकान एसोसियेशन, त्रिनगर, दिल्ली द्वारा पुलिस अधिकारियों की ज्यादतियों के विरुद्ध शिकायत

5037. **श्री रेशमा मोतीराम भोये :**

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :

श्री सुभाष यादव :

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उचित दर दुकान एसोसियेशन त्रिनगर, दिल्ली से उस क्षेत्र (लारेंस रोड और त्रिनगर) के पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने भी इस बारे में उन्हें पत्र लिखे हैं ;

(घ) क्या सरकार ने मामले की जांच की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) दो संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह आरोप लगाये गये हैं कि उचित दर दुकानों के मालिकों को दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है। उनकी शिकायतों के अनुसार पुलिस उनसे धन की मांग करती है अन्यथा उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है।

(घ) से (ङ) दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा जांच की गई है। दो सहायक उप-निरीक्षकों और एक कांस्टेबल जो संदेहास्पद मामला दर्ज करने में अन्तर्ग्रस्त थे, को निलम्बित कर दिया गया था और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। लारेंस रोड के थानाध्यक्ष को भी पर्यवेक्षण की कमी के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा पुलिस सहायक आयुक्त को अधीनस्थ कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण को सख्त करने की सलाह दी गई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय उद्योगों के बीच सम्बन्ध

5038. **श्री डी० एम० पुत्तेगौडा :**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा औद्योगिक सौहार्द्रता बनाये रखने हेतु सहायता मांगने के प्रति अपनी अनिच्छा जाहिर की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस बात को श्रम मंत्रालय को भी अवगत कराया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) जी, नहीं। केवल मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में ही मुख्य मंत्री से प्राप्त हुए एक पत्र में श्रम मंत्री का ध्यान इस बात की ओर खींचा गया था कि उक्त राज्य में गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक विवादों को तय करने के लिए राज्य औद्योगिक सम्बन्धतंत्र की सेवाओं का पूर्णतः तथा समय पर लाभ उठाने के मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने पर्याप्त सहयोग प्रदान नहीं किया।

(घ) श्रम मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी नियोक्ता मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धतत्रों को समुचित हिदायतें जारी करे जिससे कि वे राज्य श्रम विभागों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखें और औद्योगिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए उनकी सेवाएं प्राप्त करें।

राज्यों में लोकतांत्रिक ढांचा

5039. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम क्या हैं जहां इस ढांचा नहीं हैं ; और

(ख) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) असम रा क्षत्रों में से जिनमें लोकतांत्रिक ढांचा है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली ।

(ख) सरकार असम में विदेशियों के मुद्दे की समस्या का संतोषजनक ह सामान्य हालात बहाल करने के लिए सभी प्रयत्न कर रही है ताकि वहां चु कदम उठाए जा सकें । सरकार, संसद में विपक्ष के नेताओं और अखिल असम असम गण संग्राम परिषद् के प्रतिनिधियों की बैठक 25 अगस्त, 1982 को होग

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन अधिनियम 196 को निलम्बित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की अवधि 21 सितम्बर, 198 है । दिल्ली महानगर परिषद् के चुनाव कराने के विषय में निर्णय अभी लिया जा

"खालिस्तान बून टू जॉब रेकेटियर्स" शीर्षक से समाचार

5040. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा क

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मई, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" मे स्तान बून टू जॉब रेकेटियर्स" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ल) यदि हां, तो क्या सरकार ने तथाकथित खालिस्तानियों द्वारा किये रोजगार घोटाले के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार खालिस्तान आन्दोलन के नेत उत्प्रवास के इच्छुक सिक्खों को कथित "शरणार्थी प्रमाण पत्र" जारी कर एजेंसियों ने भावी उत्प्रवासियों को ऐसे प्रमाण पत्र दिलाने में विचौलियों का का सरकार ने इस सम्बन्ध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और भा० दं० सं 120 तथा भारतीय आप्रवासन अधिनियम 1922 की धारा 25/26 के अधीन किया है । किन्तु यह आरोप सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है कि खालिस्तान और दल खालसा पर लगाये गये प्रतिबन्ध का प्रयोग विदेशों को जनशक्ति की नि किया जाएगा ।

मैसर्स पायेशा इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को औद्योगिक ल

5041. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृप

(क) क्या मैसर्स पायेशा इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड ने केन्द्र से पंजि

तमिलनाडु में एक-एक फैक्ट्री खोलने के लिये औद्योगिक लाइसेंस के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) । (क) जी, हां ।

(ख) मैं० पायेशा इण्डस्ट्रियल कं० लि० को 1974 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विभिन्न प्रकार के 300 लाख डिब्बे (कन्टेनर्स) प्रति लाइसेंस बनाने के लिए दो औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे । कम्पनी ने लाइसेंसों को क्रियान्वित करने में काफी प्रगति की है यथा कारखाने के भवन का निर्माण/पट्टा, पूंजीगत माल का आयात आदि । सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि यह तो कम्पनी का ही काम है कि लाइसेंस क्रियान्वित किये जाएं और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाए ।

खनिज और भू-रसायन सर्वेक्षण

5042. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में बारकल्ला नदी के तल का खनिज और भू-रसायन सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इन परिणामों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) यद्यपि कोई धातुकर्मीय सर्वेक्षण नहीं किया गया था, तथापि वर्ष 1961-62 तथा वर्ष 1978-79 में समुद्र-तटीय रेत के अन्वेषण से सम्बन्धित खनिजीय और भू-रासायनिक सर्वेक्षण किए गए थे ।

(ख) तथा (ग) इन तलछटों के अध्ययन के परिणामस्वरूप यह संकेत मिले हैं कि इन चट्टानों में एक ऐसी चट्टान है जिसमें से मोनाजाइट और अन्य भारी खनिज निकलते हैं और समुद्र-तट के साथ-साथ जमा हो जाते हैं । इन अध्ययनों को प्रमुख उद्देश्य इस बारे में जांच करना था कि पश्चिमी तट के साथ-साथ जमा हो जाने वाला मोनाजाइट तथा अन्य महत्वपूर्ण भारी खनिज किन क्षेत्रों से आते हैं ।

राज्यों को सीमेंट के कोटे के बारे में केन्द्रीय निर्देशक सिद्धांत

5043. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के केन्द्रीय कोटे के बारे में जारी किए गए केन्द्रीय निर्देशक सिद्धांत विभिन्न राज्यों को प्रेषित कर दिये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय

नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत आने वाला लेवी सीमेंट केन्द्रीय सरकार के विभागों को जिनमें सिंचाई और बिजली परियोजना भी सम्मिलित है, केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सरकारी उपक्रमों को और बड़े और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के कारखाने बनाने के लिए वितरित किया जाता है केन्द्रीय सरकार के विभागों को जिनमें सिंचाई और बिजली परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं तथा केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को सीमेंट का नियतन संबंधित विभाग के अनुमान के आधार पर किया जाता है।

जहां तक बड़े और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के कारखाने निर्माण के लिए सीमेंट नियतन का संबंध है इस बारे में 7 मई, 1982 के प्रेस टिप्पण द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं। इसकी प्रति संलग्न है। इनसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भी सूचित किया गया है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिय संख्या एल०टी० 4507/82]

जाली जमानती आदेशों पर छोड़े गए विचाराधीन कैदी

5044. **श्री अशफाक हुसैन :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री आर० पी० यादव :
श्री वृद्धि चन्द्र जैन :
श्री हरिनाथ मिश्र :
डा० वसंत कुमार पंडित :
श्री मोहम्मद असरार अहमद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले लाए गए हैं जिनमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से जाली जमानत के आदेशों पर विचाराधीन कैदियों को जमानत पर छोड़ा गया है; और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे भी मामले लाए गए हैं जहां पर वास्तविक जमानती आदेशों को जाली समझ कर कार्यवाही नहीं की गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां पर जाली फैसले के आधार पर अपराधी को छोड़ा गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ऐसे सभी मामलों में न्यायालयों के कुछ कर्मचारियों और कुछ वकीलों के बीच सांठ-गांठ है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात असम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा तथा

नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, दमण और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी में से किसी ने भी जिनसे अब तक सूचना प्राप्त हुई है, गत एक वर्ष के दौरान ऐसी घटना होने की सूचना नहीं दी है।

किन्तु भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार ने 24 जून, 1982 को दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उच्चतम न्यायालय के नाम उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय जेल, फतेहगढ़ के कुछ कैदियों की रिहाई के निदेश देते हुए कुछ जाली जमानत के आदेश जारी किए गए थे। भा०दं०सं० की धारा 466/468/471 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी। अब तक की गई जांच से प्रकट हुआ है कि फतेहगढ़ जेल के 70 कैदियों के संबंध में जाली आदेश जारी किए गए थे तथा ऐसे कुछ और आदेश सितार गंज जेल, नैनीताल, उत्तर प्रदेश में कुछ कैदियों के संबंध में तैयार किए गए थे। जाली आदेशों के आधार पर केवल तीन अपराधी जमानत पर रिहाई प्राप्त कर सके थे, कुछ अन्य मामलों में रिहाई प्राप्त करने के प्रयत्न समय पर सुराग लगने से व्यर्थ कर दिए गए थे। रिहा किए गए सभी तीनों अपराधियों ने अब जेल प्राधिकारियों को आत्म समर्पण कर दिया है।

(घ) तथा (ङ) उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार की शिकायत पर दर्ज किए गए मामले में की गई जांच के आधार पर छः संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है इन में से तीन न्यायालयों के कर्मचारी हैं, दो उच्चतम न्यायालय में तथा एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हापुड़, उत्तर प्रदेश के न्यायालय में और दो अन्य क्रमशः बागपत और गाजियाबाद में वकालत कर रहे हैं।

इलेक्ट्रानिकी आयोग के अधिकारी की टोक्यो की गैर सरकारी यात्रा

5045. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को, जब सरकार एशियाड के लिए रंगीन टी० वी० की मांग को पूरा करने हेतु दक्षिण कोरिया, जापान और पश्चिमी जर्मनी से रंगीन टी० वी० उपकरणों को मंगाने के लिए 7.5 करोड़ रुपये का अनुबन्ध करने पर विचार कर रही थी इलेक्ट्रानिकी आयोग के एक अधिकारी की छुट्टियों में की गयी गैर-सरकारी टोक्यो यात्रा के बारे में जानकारी है ;

(ख) सम्बन्धित अधिकारी का नाम क्या है और क्या उसने टोक्यो की यात्रा करने हेतु सरकार से अनुमति मांगी थी ; और

(ग) क्या उस अधिकारी के विरुद्ध जांच के आदेश जारी किए गए हैं, और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिकी आयोग के सचिव एवं पदेन संयुक्त सचिव तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, श्री अशोक पार्थसारथी ने 23 जून और 3 जुलाई, 1982 के दौरान जापान तथा हांगकांग की यात्रा पूर्णतः व्यक्तिगत हैसियत से की थी। इस यात्रा की योजना कई सप्ताह पूर्व बनाई गई थी तथा एशियाड की रंगीन दूरदर्शन सेटों की मांग को पूरा करने के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों के संघटक-पुर्जों की खरीद से इसका कोई संबंध नहीं था। यह यात्रा सभी आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही की गई थी। इसलिए इस मामले में किसी प्रकार की कोई जांच का आदेश देने की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जातियों के लिए योजनाएं शुरू करना

5046. **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के चेयरमेन ने राज्यों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निदेशकों और उप निदेशकों के सम्मेलन में कहा है कि योजनाएं उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार का विचार योजनाओं के सही ढंग से क्रियान्वियन को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने जुलाई, 1982 में जब आयोग के निदेशकों तथा उप-निदेशकों को सम्बोधित किया था तो उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाओं और जनजाति उप-योजनाओं के कार्यान्वयन पर असंतोष व्यक्त किया था । उन्होंने विशेष कम्पोनेंट योजना तथा जनजाति उप योजनाओं की योजना प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास की नीति और 20 सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए सम्मिलित कार्यक्रमों की गति तेज करने की भी सराहना की ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में स्थिति निम्नलिखित पैरों में निर्दिष्ट की जाती है :

अनुसूचित जातियां

2. इस संदर्भ में यह ध्यान देने की जरूरत है कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना एक नई संकल्पना है और यह हाल ही में शुरू की गई है, इसी प्रकार विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता है, जो मार्च, 1980 में ही शुरू की गई थी । जैसा सभी नई नीतियों तथा योजनाओं के सम्बन्ध में होता है इनकी भी कुछ प्रारम्भिक समस्याएं हैं जैसा राज्यों का इनसे परिचित होना तथा नीति को उसकी व्यापकता सहित ग्रहण करना और सभी विभागों, निगमों तथा जिलों को हस्तांतरित करना । वास्तव में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ समय लगता है ।

विशेष कम्पोनेंट योजना के कार्यान्वयन को इस पृष्ठभूमि में देखना होगा । प्रत्येक राज्य की विशेष कम्पोनेंट योजना का कार्यान्वयन अलग-अलग राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का मामला है ।

अनुसूचित जाति विकास संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट 1980-85 जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, को 1980 में सभी राज्यों को भेजा गया था । इस रिपोर्ट में कार्यान्वयन, प्रबोधन और मूल्यांकन के लिए व्यवस्थाओं से संबंधित विशिष्ट अध्याय और कार्मिक नीति के सम्बन्धित क्षेत्र के बारे में एक अन्य अध्याय है ।

विशेष कम्पोनेंट योजना के कार्यान्वयन, प्रबोधन और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त प्रबन्ध

करने के प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान लिखितपत्रों और राज्यों के दौरों के समय राज्य सरकारों पर बल दिया गया है। यह 17-18 जुलाई, 1981 को हुए मुख्य सचिवों से सम्मेलन में कार्यसूची की मद थी। गृह मंत्री ने नए 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में 8 मार्च, 1982 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं।

अनुसूचित जनजातियां

3. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें जनजातीय उप-योजनाएं तैयार करती हैं। इन पर मंत्रालय और योजना आयोग में विचार विमर्श किया जाता है। जनजातीय विकास के लिए कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिए जाते हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी राज्यों का दौरा करते हैं और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करते हैं और यदि उनके सामने कोई कठिनाई आती है तो उसको दूर करने के लिए आवश्यक मार्ग दर्शन करते हैं।

जन जातीय विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने ऐसे प्रशासनिक ढांचे और कार्यक्रमों के सही कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शक्तियों के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में राज्यों को सुझाव दिया है। राज्य सरकारें भी जहां कहीं सुधार की आवश्यकता होती है, उसको करने के लिए कार्यक्रमों का प्रबोधन करती है।

राज्य को सलाह दी गयी है कि समग्र जनजाति विकास परियोजनाओं (आई० टी० डी० पी०) का मूल्यांकन सक्षम अभिकरणों जिनमें राज्यों के जनजाति अनुसंधान संस्थान भी सम्मिलित हैं द्वारा कराया जाय। इसका अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने भी चुने हुए समग्र जनजाति विकास परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया है।

भारत सरकार का यह प्रयास है कि राज्यों के साथ निरन्तर परस्पर कार्रवाई करके कार्यान्वयन की कोटि उच्च स्तर तक बढ़ायी जाय।

दक्षिण ध्रुव में वाणिज्यिक अनुसंधान

5047. श्री निरेन घोष : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दक्षिणी ध्रुव में 30 वर्ष तक प्राकृतिक संसाधनों का वाणिज्यिक विदोहन न किए जाने के लिए हुए समझौते का पालन किया जा रहा है ;

(ख) क्या दक्षिणी ध्रुव को मात्र वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही रखा गया था ;

(ग) क्या अब वाणिज्यिक अनुसंधान, भी किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन देश कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों ने यह विचार प्रकट किया है कि वर्तमान वाणिज्यिक हित पिछले 20 वर्षों में किए जा रहे अध्ययन के लिए खतरा बन गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग करने की व्यवस्था है । प्राप्त सूचना के अनुसार दक्षिणी ध्रुव प्रदेश के सभी देश इस व्यवस्था का सम्मान करते हैं । यह संधि सन् 1961 में लागू हुई थी तथा 30 साल के बाद सन् 1991 में समाप्त हो जायेगी ।

(ख) इस संधि में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग जीवित साधनों के संरक्षण की व्यवस्था है, यह पूर्ववर्ती प्रादेशिक दावों को रद्द करती है और सभी आणविक परीक्षणों और रेडियो धर्मी छीजन (रद्दी पदार्थ) की सामग्री को वहां डालने का निषेध करती है।

(ग) संधि में किसी वाणिज्यिक अनुसंधान या साधनों के दोहन का सीधा हवाला नहीं है ।

(घ) कुछ छपी हुई रिपोर्टों के अनुसार, अधिकतर राष्ट्र जो कि दक्षिण ध्रुव संधि के सलाहकार सदस्य हैं यानी अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नार्वे दक्षिण अफ्रीका, सोवियत रूस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी और पौलैंड खनिज साधनों का पता लगाने के लिए दक्षिण ध्रुव प्रदेश में अनुसंधान कर रहे हैं । कुछ जिनमें प्रमुख जापान, सोवियत रूस, पोलैंड, नार्वे और चिली हैं क्रिल की बहुत भारी मात्रा पकड़ रहे हैं और क्रिल मात्स्यिकी के विकास के लिए अनुसंधान कर रहे हैं ।

(ङ) कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश की भूमि के साधनों के दोहन से साधारणीकृत तथा बहुत कमजोर दक्षिणी ध्रुव प्रदेश की पारिस्थितिकी प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा जो कि पिछले अनेक वर्षों से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अद्वितीय तथा अप्रदूषित महाद्वीप रहा है ।

यमुना जल का प्रदूषण

5048. **श्री तारिक अनवर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 1982 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि केन्द्रीय जल प्रदूषण बचाव और नियंत्रण बोर्ड ने वजीराबाद और आगरा के बीच यमुना के पानी को पीने के आयोग्य घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित क्षेत्र के निवासियों को इस बारे में सूचित किया गया है और यदि हां, तो उन्हे कब सूचित किया गया ;

(ग) क्या सरकार यमुना के पानी में गन्दा और विषाक्त सामग्री न डालने के बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर लिया जायेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां । यमुना नदी का कच्चा पानी मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त है । तथापि, निवासियों को ऐसा पेय जल सप्लाई किया जा रहा है जिसे उपयुक्त उपचार के बाद निरापद बना दिया गया है ।

(ग) तथा (घ) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड एक ओर उद्योगों के साथ तथा दूसरी ओर नगर निगम के साथ यमुना नदी में प्रदूषित बहिस्रावों को बहाने से रोकने और उस द्वारा यमुना नदी के जल के गुण को उन्नत करने के सम्बन्ध में कार्य कर रहा है। अवज्ञा करने वाले एककों के विरुद्ध केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। परन्तु, इस प्रकार के उपाय के लिए निरन्तर प्रयास की अपेक्षा होती है।

एशियाड के काम में लगे मजदूर

5049. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड 1982 के निर्माण कार्य में विभिन्न राज्यों के (राज्य-वार) कितने मजदूर लगे हुए हैं ;

(ख) इस समय दिल्ली में उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) उपर्युक्त निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद उनको किस प्रकार काम पर लगाने और बसाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) कार्य के अस्थायी स्वरूप को देखते हुए, कर्मकार झुग्गियों/तम्बूओं/शेडों में रह रहे हैं, जिनकी व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा की गई है।

(ग) लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 6099 तारीख 31-3-82 के भाग (क) और (ख) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के लिए वित्तीय राज सहायता की सीमा बढ़ाना

5050. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय सहायता को 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया जायेगा ;

(ख) क्या यह बढ़ाया गया प्रोत्साहन सभी पिछड़े क्षेत्रों में दिया जायेगा ; और

(ग) क्या एकाधिकार घरानों को भी इन प्रोत्साहन का लाभ दिया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1 मार्च, 1981 से पूर्वोत्तर अंचल के पात्र क्षेत्रों के मामलों में, लम्बी परिवहन सीमा को स्वीकार करते हुए, केन्द्रीय निवेश राजसहायता की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है जो अधिक से अधिक 20 लाख रुपये तक होगी। अन्य अधिसूचित जिले/क्षेत्र 15 प्रतिशत राज-सहायता प्राप्त करने के पात्र बने रहेंगे।

(ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों सहित सभी औद्योगिक एककों पर लागू होती है, बशर्ते वे घोषित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित किए गए हों।

समुद्री अनुसंधान

5051. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार हिन्द महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई अनुसंधान करवा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) हिन्द महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में समुद्र विज्ञान अनुसंधान का काम, कई संस्थानों द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य संबंधित संस्थानों के नाम हैं : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत समुद्र विज्ञान संस्थान, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाएं, महासागर विकास विभाग, खनिज विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय आदि । अनुसंधान के क्षेत्र में यह विषय शामिल हैं : भौतिक, रासायनिक, जीव वैज्ञानिक, मात्स्यिकी, भूगर्भ विज्ञान तथा भू-भौतिक समुद्र विज्ञान जिसमें समुद्र के तीनों क्षेत्रों यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिन्द महासागर में तेल तथा गैस अन्वेषण संबंधी पहलू ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार एवं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक घरानों के लिए और उद्योग

5052. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार एवं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बड़े औद्योगिक घरानों में और उद्योग शामिल करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की औद्योगिक नीति में इस प्रकार का परिवर्तन करने का औचित्य क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आने वाले कुछ समय पर अपनी पूर्व नीति पर टिकी रहेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) 2 फरवरी 1973 के प्रेस नोट के अनुबंध-1 के उद्योगों में जिन्हें 21 अप्रैल, 1982 के प्रेस नोट द्वारा पुनर्परिभाषित किया गया है । एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम वाली कम्पनियां भाग ले सकती हैं बशर्ते कि बनाई जाने वाली वस्तु सरकारी क्षेत्र अथवा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित न हो । अन्य क्षेत्रों में वे विहित निर्यात बाध्यता स्तर की शर्त के अनुसार प्रवेश कर सकती हैं जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के मामले में 75 प्रतिशत है और अनारक्षित वस्तुओं के मामले में 60 प्रतिशत है । अभी इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

रंगीन टी० वी० का आयात

5053. **श्री जयराम शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रंगीन टी० वी० का आयात करने हेतु मंजूरी देने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना आयात शुल्क लगेगा और क्या इससे स्वदेशी रंगीन टी० वी० उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) क्या उन उत्पादकों को विशेष आयात शुल्क में राहत देने के बारे में विचार किया गया है जो वर्ष 1981-82 में कम से कम 5000 (पांच हजार) रंगीन टी० वी० सेट तैयार करेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित समय में कितने रंगीन टी० वी० सेटों का निर्माण किया जायेगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीव राव) : (क) तथा (ख) विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार के विचाराधीन हैं। स्थानीय रंगीन दूरदर्शन उद्योग के हितों की रक्षा की जायेगी।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। शुल्क में कोई राहत नहीं दी गई है। तथापि, श्याम तथा श्वेत (ब्लेक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के ऐसे सुस्थापित निर्माताओं को, जिन्होंने वर्ष 1981-82 में 5,000 सेटों का उत्पादन किया है, इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम के माध्यम से आयात संबंधी सुविधा दी गई है जिसके अन्तर्गत एशियाड के लिए 30 नवम्बर,1982 तक रंगीन दूरदर्शन सेटों के सामयिक संयोजन की विशेष सुविधा दी गई है। आज की तारीख तक इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम को ऐसे लगभग 90,000 सेटों के आर्डर प्राप्त हुए हैं।

विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों इत्यादि को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की देय बकाया धनराशि

5054. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को उपकरण, मशीनरी और फालतू पुर्जों की सप्लाई करने से 31 दिसम्बर, 1981 और 30 जून, 1982 तक की बकाया धनराशि वसूल करनी है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य को विभिन्न उपकरणों की सप्लाई के बिलों के 35 करोड़ से अधिक रुपये का भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को भुगतान करना है यदि हां, तो विलम्बित भुगतान को ब्याज सहित वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों ने ट्रांसफार्मरों और अन्य कीमती

मशीनरी के माल को जो लम्बे समय से उनके आदेशानुसार तैयार था, नहीं छुड़ाया है, यदि हां, तो प्रत्येक मामले में बकाया धन राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के वित्तीय श्रोतों को बढ़ाने और बहुत बड़ी ऋण वसूली से बचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दिसम्बर, 1981 और जून, 1982 के अन्त तक विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से क्रमशः 156 करोड़ रु० और 237 करोड़ रु० की धनराशियां वसूल करनी थी।

(ख) जून, 1982 के अन्त तक मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने बी० एच० ई० एल० को 28 करोड़ रु० का भुगतान करना था। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के प्रबंधकों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क और पत्रों के माध्यम से बी० एच० ई० एल० द्वारा इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में यह मामला राज्य के मुख्य मंत्री के स्तर तक भी उठाया गया है।

(ग) जी, हां। कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने क्रयदेशों के अनुसार ट्रांसफार्मरों आदि को नहीं छुड़ाया है। इनमें से कुछ मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(घ) बकाया राशियों की वसूली करने से संबंधित मामले को बी० एच० ई० एल० द्वारा और सरकार द्वारा भी राज्य बिजली बोर्डों के सामने उठाया जा रहा है। इसके अलावा, बी० एच० ई० एल० को सरकार द्वारा बजट सहायता भी दी जा रही है। बैंकों से अधिक नकद ऋण सीमाओं को प्राप्त करने के अलावा बी० एच० ई० एल० पब्लिक डिपाजिट भी प्राप्त कर रहा है।

विवरण

जुलाई, 1982 के अन्त तक राज्य बिजली बोर्डों द्वारा न छुड़ाए गए उपकरणों को बताने वाला वितरण

रु० लाख में

ग्राहक का नाम	उपकरण	राशि
1	2	3
1. पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	ट्रांसफार्मर	122.50
2. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	—वही—	150.00
राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	सर्किट ब्रेकर	8.52
3. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	स्विचगियर	11.25
4. मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	ट्रांसफार्मर	117.00
मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	सर्किट ब्रेकर	3.15
5. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	ट्रांसफार्मर	15.30

1	2	3
6. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	सर्किट ब्रेकर	22.90
7. गुजरात बिजली बोर्ड	ट्रांसफार्मर	113.50
8. असम राज्य बिजली बोर्ड	—वही—	40.63
असम राज्य बिजली बोर्ड	30 मे० वा० चन्द्रापुर सेट	7.60
9. बिहार राज्य बिजली बोर्ड	110 मे०वा० सेट मुजफ्फरपुर	33.97
10. तमिलनाडु बिजली बोर्ड	सर्किट ब्रेकर	1.33

मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि० के विरुद्ध शिकायतें

5055. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि० के कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या इस कम्पनी के प्रबन्धक विदेशों में अपने मूल मालिकों को बहुत अधिक धनराशि भेजते हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने और कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार को इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड (ई० पी० आई०) से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें कार्मिकों, परियोजना कार्यान्वयन, परियोजना पूरी करने में विलम्ब, वित्तीय कार्य आदि से सम्बन्धित मामले उठाए गए हैं।

(ख) विदेशों में ई० पी० आई० के मूल मालिक नहीं हैं, अतः उनको अधिक धनराशि भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई खेल 82 के लिए नरोरा परमाणु बिजलीघर से बिजली प्राप्त करने की योजना

5056. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल 1982 के दौरान बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार नरोरा परमाणु बिजलीघर से बिजली प्राप्त करने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) नरोरा परमाणु बिजलीघर की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) नरोरा परमाणु बिजलीघर कब तक अपनी पूर्ण क्षमता से बिजली का उत्पादन शुरू कर देगा तथा वहां से किन-किन जिलों को बिजली सप्लाई की जाएगी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : जी, नहीं ।

(ख) दो यूनिट वाले इस बिजलीघर की स्थापित क्षमता 470 मेगावाट होगी ।

(ग) यूनिटों के तैयार होने की सम्भावित तारीखें नीचे दी जा रही हैं :

पहला यूनिट	—	1986-87
दूसरा यूनिट	—	1987-88

इस बिजलीघर में पैदा हुई बिजली उत्तरी ग्रिड को दी जाएगी ।

समाचार पत्रों, पत्रकारों, मजदूर यूनियनों आदि को अमरीका/सोवियत रूस से प्राप्त विदेशी सहायता

5057. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अमरीका, सोवियत रूस और अन्य देशों द्वारा भारत के तथा तीसरे विश्व के देशों के प्रैस, पत्रकारों, दलों, समाचार पत्रों, मजदूर यूनियनों, ट्रेड यूनियनिस्टों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों को सहायता दी जा रही है, अथवा देने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1983 तक की अवधि तथा पिछली सरकार के शासन के दौरान ऐसी कितनी सहायता भारत में प्राप्त होने का अनुमान है ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) यह मामला हाल ही में लोक सभा में विचार विमर्श के लिये आया था । विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अधीन चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार, संवाददाता, स्तम्भ लेखक, व्यंग चित्रकार, किसी समाचार पत्र का सम्पादक, मालिक, मुद्रक और प्रकाशक सरकारी कर्मचारी अथवा किसी निगम का कर्मचारी, किसी विधान मंडल का सदस्य, राजनैतिक दल अथवा उसके पदाधिकारी के लिये किसी विदेशी स्रोत जिसमें किसी दूसरे देश अथवा क्षेत्र की सरकार भी शामिल है, से सीधे कोई विदेशी अभिदान स्वीकार करना निषिद्ध है । अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन राजनैतिक स्वरूप का कोई संगठन जो राजनैतिक दल न हो, जिसको भारत सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई विदेशी अभिदान स्वीकार नहीं करेगा । धारा 6(1) के अधीन ऐसे संघ को जिसका निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम है, केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना विदेशी अभिदान स्वीकार कर सकता है परन्तु इसके लिए प्राप्त किए गए विदेशी अभिदान, वह

स्रोत और वह तरीका जिस प्रकार ऐसा अभिदान प्राप्त किया गया हो और वह उद्देश्य तथा वह ढंग जिसमें ऐसे अभिदान का उपयोग किया गया हो, के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को छमाही विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती है। इसके बाद चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षर की गई वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

मुद्रणालय, पत्रकार, राजनीतिक दल तथा समाचार पत्र अधिनियम की धारा 4 के अधीन आते हैं। अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन अधिसूचित मजदूर संघ केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से विदेशी अभिदान स्वीकार कर सकते हैं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाया जाना

5058. **श्री चित्त बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक नीति वितरण के परिशिष्ट एक में हाल में किये गये संशोधन के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस नीति में काफी उदारता आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उदारता से अपेक्षानुसार पूंजी निदेश को बढ़ावा मिला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) 2 फरवरी, 1973 के प्रेस टिप्पणी के परिशिष्ट-1 की प्रविष्टियों को 21 अप्रैल, 1982 के प्रेस टिप्पणी में पुनः परिभाषित किया गया है। प्रमुख क्षेत्र तथा निर्यातक्षम अथवा आयात प्रतिस्थापन वाले उद्योगों में औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं में अग्रिम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर आनुषंगीकरण वाले जीव्यक्षम एककों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। उक्त अभ्युपाय के प्रभाव का अनुमान लगाना समय से पूर्व होगा।

पालम हवाई अड्डे पर सुरक्षा पद्धति के लिए उत्तरदायित्व

5059. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर सुरक्षा पद्धति के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन जिम्मेदार है—पुलिस उपायुक्त (हवाई अड्डा) अथवा सहायक पुलिस आयुक्त (हवाई अड्डा) अथवा हवाई अड्डे पर तैनात पुलिस के साधारण सिपाही ;

(ख) क्या हाल में पालम से ऐलीटालिया के विमान के अपहरण के मामले में केवल सिपाहियों को ही निलम्बित किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस रात को हवाई अड्डे पर सुरक्षा में कमी के वास्तविक कारणों का पता लगाने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) पुलिस उप-आयुक्त पालम हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबन्धों का पूर्णरूप से प्रभारी होता है पुलिस के

सहायक आयुक्त पारियों के प्रभारी होते हैं और अपर अधीनस्थ तथा निम्न अधीनस्थ ड्यूटी के अपने स्थान पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(ख) 29-6-82 को अलीटेलिया विमान के अपहरण के बाद किसी कांस्टेबल अथवा किन्हीं अन्य पुलिस कार्मिकों को निलम्बित नहीं किया गया था।

(ग) की गई जांच-पड़ताल से उस दिन सुरक्षा में कोई कमी प्रतीत नहीं होती।

हिमाचल प्रदेश को छठी योजना के लिए आवंटित की गई राशि

5060. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए कितनी राशि नियत की जा रही है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी योजना-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश की 1980-85 की छठी योजना के लिए 560 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं। स्कीमवार ब्यौरों का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 हिमाचल प्रदेश—परिव्यय

(लाख रु०)

विकास का शीर्ष	1980-85
1	2
अनुसन्धान और शिक्षा	600
फसल संरक्षण	2414
भूमि सुधार	600
लघु सिंचाई	2100
भूमि और जल संरक्षण	1577
खाद्य	625
पशुपालन	675
डेरी विकास	425
मछली पालन	180
वन	2900

1	2
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	×
विपणन	×
भंडारण और भांडागारण सामुदायिक विकास और पंचायतें	300
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1690
1. कृषि और संबद्ध सेवायें	**14086**
2. सहकारिता	**575**
सिंचाई	1045
बाढ़ नियंत्रण	335
विद्युत्	13973
3. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत्	**15353**
विकास का शीर्ष	**1980-85**
ग्राम और लघु उद्योग	905
मझोले और बड़े उद्योग	800
खनन	100
4. उद्योग और खनिज	**1805**
नागर विमानन	190
सड़कें और पुल	10000
सड़क परिवहन	950
जल परिवहन	10
पर्यटन	700
दूर-संचार	15
5. परिवहन और संचार	**118-65**
शिक्षा	1775
वैज्ञानिक सेवायें और अनुसन्धान चिकित्सा	
(कर्मचारी राज्य बीमा को छोड़कर) कर्मचारी	
राज्य बीमा स्कीम लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता	1618
मल-जल व्यवस्था और जलपूर्ति	5000
पुलिस आवास सहित आवास	1148

× फसल संरक्षण में शामिल किया गया है।

1	2
शहरी विकास	375
सूचना और प्रचार	50
श्रम और श्रमिक कल्याण	70
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	450
समाज कल्याण	198
पोषाहार	242
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	**10926**
विकास का शीर्ष	**1980-85**
सचिवालयीन आर्थिक सेवाएं (योजना तंत्र)	25
आर्थिक आसूचना और सांख्यिकी	20
7. आर्थिक सेवाएं	**45**
लेखन सामग्री और मुद्रण	170
लोक निर्माण कार्य	900
लोक प्रशासन संस्थान	50
जनजातीय क्षेत्रों के लिए सामान्य बजट	125
8. सामान्य सेवाएं	**1245**
कुल जोड़	**56000**

उद्योगों की स्थापना के लिए नगर-निगम लाइसेंस जारी किया जाना

5061. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने जून, 1963 में अनुपयुक्त क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए नगर-निगम लाइसेंस न देने और उक्त क्षेत्रों में 1 सितम्बर, 1962 से पहले एक वर्ष के आधार पर स्थापित किये गये उद्योगों के लाइसेंसों का नवीकरण न करने का निर्णय लिया था ;

(ख) क्या 1 सितम्बर, 1962 के दिन उद्योगों की जो संख्या 9360 थी वह 31 अक्तूबर, 1966 को बढ़कर 13360 हो गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा 1963 में लिया गया निर्णय अक्तूबर, 1976 में कार्यान्वित किया गया था ; और

(ङ) उसके पश्चात् कितनी बार नीति को अनुदार बनाया गया तथा उसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभापटल पर रख दी जायेगी ।

तटीय पानी में डूब गये जहाज के मलबे का निकालना

5062. श्री जगदीश टाईटलर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटीय पानी में डूब गये जहाज के मलबे को निकालने तथा ऐतिहासिक पत्तनों की खुदाई के लिए दो करोड़ रुपये की पंचवर्षीय परियोजना आरम्भ की है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोआ को इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है , और

(ग) यदि हां, तो खुदाई किये जाने वाले स्थानों और निकाले जाने वाले जहाज के मलबे का ब्यौरा क्या है और सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं, इस सम्बन्ध में यह बताना उचित होगा कि राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोआ, ने एक पंचवर्षीय योजना टूटे और डूबे हुए समुद्री जहाजों के अन्वेषण हेतु तैयार की है जिस पर शुरू में लगभग 20 मिलियन रुपये खर्च आएगा, इस सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की सहायता से एक द्विवर्षीय योजना पर जिसमें टूटे हुए जहाजों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक खोज होगी, कार्य शुरू कर दिया गया है । इस पर रु० 1.60 लाख खर्च आएगा ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है ।

विद्युत की भारी कमी के कारण वाल्कों की क्षमता के उपयोग में गिरावट

5063. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1982 को नई दिल्ली में इस्पात और खान राज्य मंत्री द्वारा पत्रकारों के समक्ष की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि विद्युत की भारी कमी के कारण "वाल्को" की कुल क्षमता के उपयोग में लगभग 50 प्रतिशत तक की कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (वाल्को) के कोरवा संयंत्र में पूर्ण क्षमता उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार और कम्पनी मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड तथा राज्य सरकार पर लगातार और नियमित बिजली पूर्ति करने के लिए लगातार जोर डालती रही है किन्तु स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है ।

स्थिति में सुधार हेतु दीर्घकालिक उपाय के रूप में सिद्धांततः कोरवा में एक गृहीत ताप बिजली घर लगाने का फैसला किया गया है। निर्णय इस बारे में मैटलर्जिकल एण्ड इन्जिनियरिंग कंसलटेंटस (इंडिया) लि० द्वारा तैयार साध्यता रिपोर्ट निवेश निर्णय लेने के लिए विचाराधीन है।

अल्पकालिक उपाय के रूप में आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ग्रिडों को बड़सूर-लोयर सिलेरू लाइन के जरिए जोड़ दिया गया है तथा निकट भविष्य में लिंक लाइन के जरिए कुछ बिजली उपलब्ध होने की आशा है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा एक्सरे फिल्मों की सप्लाई

5064. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत सरकार के कलकत्ता स्थित उपक्रम हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा निर्मित विभिन्न विवरणों को एक्सरे फिल्मों की सप्लाई बहुत ही अनियमित है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या एक्सरे फिल्मों का स्वदेशी निर्माण देश की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी कमी है और उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) कुछ स्थानों में, कुछ समय के लिए मांग अचानक बढ़ जाने और वितरण प्रणाली में कुछ समायोजन की आवश्यकता के कारण, मै० हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कं० ऊटकमण्ड, द्वारा निर्मित कुछ विशेष आकार की एक्सरे फिल्में प्राप्त करने में मामूली कठिनाई रही है। माल तेजी से उन स्थलों को भेज दिया गया था और कमी दूर कर दी गई थी।

(ग) तथा (घ) जी, हां। एक्सरे फिल्मों का समेकित विनिर्माण और जम्बो रोल्स का परिवर्तन देश की लगभग कभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं। विशेष प्रकार और आकारों की एक्सरे फिल्में आवश्यकतानुसार कम मात्राओं में आयात की जाती हैं।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में पदोन्नति सम्बन्धी नीति

5065. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पदोन्नति सम्बन्धी नीति भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० आदि जैसे सरकारी उपक्रमों पर लागू होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय में ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टर प्राइजेज द्वारा कारगर बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों और अनुदेशों को पदोन्नतियों में आरक्षण के सम्बन्ध में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० में क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण हेतु विदेशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लेखा कार्मिकों जैसे कितने गैर-तकनीकी लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया ; और

(घ) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० में वह रोस्टर बनाया गया है जैसा कि ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज द्वारा अपेक्षित है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) भारत सरकार की पदोन्नति नीति सरकारी उपक्रमों पर लागू नहीं होती है। किन्तु सरकारी उद्यम कार्यालय, वित्त मंत्रालय ने इस विषय पर सरकारी क्षेत्र के लिए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं और अपनी पदोन्नति नीति बनाने में बी० एच० ई० एल० द्वारा इन्हें ध्यान में रखा गया है। इस नीति के अनुसार, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता की अवधियां निर्धारित की गई हैं और निर्धारित पात्रता अवधियों को पूरा करने वाले सभी कर्मचारियों के मामले पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाता है और पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण किया जाता है। सरकारी उद्यम कार्यालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, पदोन्नति के मामले में मानदण्ड शिथिल करके अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों का निर्धारण किया जाता है।

(ग) चूंकि बी० एच० ई० एल० के कार्मिक और लेखा के क्षेत्रों में देश में प्रशिक्षण की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं अतः इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश नहीं भेजा जा रहा है।

(घ) जी, हां।

जेलों में अभियोगाधीन बन्दी

5066. **श्री सूरज भान :**
श्री ए० के० राय :
श्री कृष्ण कुमार गोयल :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे अभियोगाधीन बन्दी कितने हैं जो वहां तीन वर्ष, पांच वर्ष और 10 वर्ष से अधिक अवधि से हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे अभियोगाधीन बन्दी कितने हैं जो यदि न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाते और जिन्हें जितना दण्ड दिया जाता उससे भी अधिक अवधि जेलों में बीता चुके हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) और (ख) 30 जून, 1981 तक उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	तीन वर्ष से अधिक अवधि से जेलों में अभियोगाधीन बंदियों की संख्या	ऐसे अभियोगाधीन बंदियों की संख्या, जो दिये जाने वाले दण्ड से भी अधिक अवधि जेलों में बिता चुके हैं।
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—
2. असम	58	—
3. बिहार	1064	11
4. गुजरात	—	—
5. हरियाणा	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	1	—
7. जम्मू तथा काश्मीर	15	—
8. कर्नाटक	—	—
9. केरल	—	—
10. मध्य प्रदेश	10	उ० न०
11. महाराष्ट्र	—	1
12. मणिपुर	—	—
13. मेघालय	1	—
14. नागालैंड	6	—
15. उड़ीसा	12	2
16. पंजाब	—	3
17. राजस्थान	9	1
18. सिक्किम	—	—
19. तमिलनाडु	—	—
20. त्रिपुरा	—	—
21. उत्तर प्रदेश	59	उ० न०
22. पश्चिम बंगाल	16	3
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप	—	—

1	2	3
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—
25. चंडीगढ़	—	—
26. दादरा और नगर हवेली	—	—
27. दिल्ली	3	—
28. गोवा, दमण तथा दीव	—	—
29. लक्षद्वीप	—	—
30. मिजोरम	10	—
31. पांडिचेरी	—	—

टिप्पणी—कालम दो में दर्शाये गये अभियोगाधीन बंदियों के 5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक अवधि के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

रामानुजम-निवेटिया मध्यस्थ-निर्णय को समाप्त करना

5067. **डा० सरदीश राय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रामानुजम-निवेटिया मध्यस्थ निर्णय को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जो देश में सीमेंट श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : मध्यस्थों ने अपना अन्तिम अधिनिर्णय नहीं दिया है ।

सीमेंट की प्रति व्यक्ति आवश्यकता

5068 : **श्री रेणुपद दास** :

श्री आनन्द पाठक :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आवश्यकता कितनी है ;

(ख) सरकार उपरोक्त मानक किस प्रकार तैयार करती है ;

(ग) क्या सरकार ने लोगों में सीमेंट की खपत के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा कोई अध्ययन करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ङ) देश में सीमेंट की प्रति व्यक्ति आवश्यकता का कोई निर्धारण नहीं किया गया है । सीमेंट उद्योग के कार्यकारी दल ने 1984-85 में सीमेंट की मांग का पूर्वानुमान लगभग 380 लाख मी० टन लगाया

है। 1980 और 1981 के पंचांग वर्ष में देश में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत क्रमश: 28.4 कि० ग्रा० और 31.87 कि० ग्राम थी।

"लेबर-मार्केट" के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में पृथक सैल का गठन

5069. **श्री गुफरान आजम :**
श्री के० राममूर्ति :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में "लेबर मार्केट" के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों में पृथक सैल गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रम सचिव की अध्यक्षता वाले कार्यकारी दल ने विचार के लिए किन्हीं प्राथमिकताओं का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विदेशों में काम कर रहे भारतीय द्वारा स्वदेश भेजी जाने वाली राशियों को नियमित करने में हो रही बाधाएं दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) आंकड़े एकत्र करने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में अलग सैल सृजित करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) इस कार्यकारी दल के विचार-विमर्श चल रहे हैं।

(घ) नियोजन अनुबन्धों में यह व्यवस्था की जाती है कि विदेशी नियोजक श्रमिकों को भारत में रकम भेजने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस सम्बन्ध में भारतीय मिशन भी श्रमिकों की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्याशी उत्प्रवासियों को देश छोड़ने से पूर्व भारत में बैंक लेखे खोलने की सलाह दी जाती है, ताकि विदेशों से भेजी जाने वाली रकमें इस देश में आसानी से आ सकें। भेजी जाने वाली राशियां उन देशों के स्थायी कानूनों/विनियमों द्वारा नियंत्रित होती है, जो इन श्रमिकों को नियोजित करते हैं।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में आई० ए० एस० संवर्ग के अधिकारी

5070. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार में इस समय आई० ए० एस० तथा केन्द्रीय संवर्गों के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा ऐसे ही अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों में काम कर चुके हैं ;

(ख) उपरोक्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में कितनी अवधियों तक सेवा की ;

(ग) उन सभी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में काम कर चुके हैं और इस समय वित्त मंत्रालय में काम कर रहे हैं ;

(घ) देश में फैली हुई इस समान्य भावना का प्रतिभार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि ऐसे अधिकारी देश की वित्तीय अखण्डता और हितों के लिए खतरा है ;

(ङ)इस समय विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में काम कर रहे आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि वरिष्ठ अधिकारी तथा केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण सेवा संवर्गों के अधिकारी ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को स्वीकार न करें?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी ० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) सरकार ऐसा नहीं समझती कि ऐसे अधिकारियों की वित्त मंत्रालय में तैनाती से ऐसा कोई खतरा होता है।

(ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए तथा इस तथ्य की दृष्टि से कि भारत विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का सदस्य है ; यह आवश्यक नहीं समझा जाता कि वरिष्ठ अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण सेवा संवर्गों के अधिकारियों को विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में कार्य स्वीकार करने से रोका जाए।

विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	सेवा	धारित पद
1	2	3	4
1.	श्री के० के० सहगल	आई० ए० एस० (आ० प्र० : 73)	निवेश अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम
2.	श्री विनीत नैय्यर	आई० ए० एस० (एच० वाई० : 61)	ऊर्जा अर्थशास्त्री आई० बी० आर० डी० वाशिंगटन
3.	श्री जे० शिवकुमार	आई० ए० एस० (तमिलनाडु : 61)	वित्तीय विश्लेषक पूर्वी अफ्रीका परियोजना विभाग आई० बी० आर० डी० वाशिंगटन
4.	श्री के० सी० शिवरामकृष्ण	आई० ए० एस० (पश्चिम बंगाल : 58)	शहरी प्रबन्ध सलाहकार शहरी विकास विभाग विश्व बैंक

1982-83 में कागज मिल की स्थापना

5071. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1982-83 में कोई कागज मिल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा कितनी कागज मिलों की स्थापना किए जाने का विचार है ;

(ग) वे कागज मिलें किन-किन राज्यों में लगाई जायेंगी ; और

(घ) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सरकारी उपक्रम मै० हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० और एक राज्य सरकार का उपक्रम मै० मैसूर पेपर मिल्स सार्वजनिक क्षेत्र में 3 समेकित लुग्दी तथा कागज मिलें स्थापित करने में सचेष्ट रूप से संलग्न है, विवरण निम्नलिखित है :

(1) नागालैंड पेपर एण्ड पल्प प्रोजेक्ट (हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के अधीन) 33,000 मी० टन प्रतिवर्ष लाइसेंसी कृत क्षमता वाला लिखाई तथा छपाई और लपेटने (रैपिंग) तथा पैकिंग कागज के लिए ।

(2) केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट, मै० हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के अधीन 80,000 मी० टन अखबारी कागज प्रतिवर्ष की लाइसेंस क्षमता वाला ।

(3) मैसूर पेपर मिल्स (राज्य सरकार उपक्रम) 75,000 मी० टन अखबारी कागज और 37,000 मी० टन लिखाई तथा छपाई का कागज प्रति वर्ष की लाइसेंसी कृत क्षमता वाला ।

1982-83 तक निजी क्षेत्र के लगभग 33 कागज मिलों द्वारा उत्पादन आरम्भ कर देने की सम्भावना है ।

(ग) जिन राज्यों में कागज मिल स्थापित किए जाने हैं उनके नाम हैं--पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और केरल ।

(घ) नागालैंड पल्प एण्ड पेपर प्रोजेक्ट ने तो इस वर्ष के आरम्भ में उत्पादन शुरु कर दिया था किन्तु मै० मैसूर पेपर मिल्स और केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट ने परीक्षण के तौर पर उत्पादन आरम्भ कर दिया है और वाणिज्यिक उत्पादन के तीन मास के भीतर शुरू हो जाने की आशा है । निजी क्षेत्र के एकक क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं और इसके 1982-83 तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

अल्पसंख्यकों के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन

5072. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के लिए डा० गोपाल की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं, निर्णयों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्य में कितनी प्रगति हुई है और प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) सरकार ने डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त पेनल गठित किया है। इस पेनल ने सरकार को 31 जनवरी, 1981 को अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पेनल से परामर्श करके यह सहमति की गई थी कि अन्तरिम रिपोर्ट पर इस समय कोई कार्यवाई करने की आवश्यकता नहीं है और पेनल की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। पेनल अब अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे रहा है और उसने दिसम्बर, 1982 तक उसे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बिहार द्वारा अलग-अलग कोड आवंटित करना

5073. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 1(4) के अन्तर्गत टी० आई० एस० सी० ओ० (टिस्को) टी० ई० एल० सी० ओ० (टेल्को), के कुछ ठेकेदारों को अलग-अलग कोड आवंटित कर रहा है हालांकि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 1(3) (क) और 1(3) (ख) उन पर पूरी तरह से लागू होती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने ठेकेदार गत तीन वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत लाए गए हैं और उनका पूरा ब्यौरा क्या है तथा क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने धारा 1(3) (क) और 1(3) (ख) के इन ठेकेदारों पर लागू होने के बारे में स्वयं जांच की है ; और

(ग) क्या भारत सरकार से राजपत्र अधिसूचना जारी करने हेतु अब तक अनुरोध किया गया है जैसे कि अपेक्षित था और इस सम्बन्ध में उनका पूरा पालन किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिवों के रूप में पदोन्नति

5074. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों में पदोन्नति के मामले में भारी गतिरोध है जिसके परिणाम स्वरूप जिन अधिकारियों की 8-10 वर्षों से अधिक की नियमित सेवा पूरी हो चुकी है उनको अवर सचिवों के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है ;

(ख) क्या के० स० से० ग्रेड-तीन अनुभाग अधिकारी एसोसियेशन ने उनको तथा प्रधान मंत्री को अपनी पदोन्नति की संभावनाओं के बारे में 4 जून, 82 को अनेक अभ्यावेदन दिए थे ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ,

(घ) 1982 की पात्रता सूची में शामिल किए गए अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिवों के रूप में कब तक पदोन्नत किए जाने की संभावना है ;

(ङ) उनकी पदोन्नति-संभावनाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(च) क्या के० स० से० के सम्बन्ध में कोई संवर्ग समीक्षा की गई है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1970 और 1971 की प्रवर सूची के अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I की 1981 की प्रवर सूची में शामिल कर लिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) एसोसिएशन की इस धारण का आधार सही नहीं है कि अनुभाग अधिकारियों में तीव्र प्रगति-रोध है।

(घ) वर्ष 1982 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव अथवा समकक्ष पदों में) पदोन्नति के लिए प्रवर सूची तैयार की जा रही है। इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि 1982 की पात्रता सूची के सभी अनुभाग अधिकारियों को किस समय तक अवर सचिव के पदों पर पदोन्नत कर दिया जाएगा।

(ङ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पुनर्गठन पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद की एक समिति में विचार विमर्श किया जा रहा है।

11 अगस्त, 1982 को होने वाली सदन की बैठक के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए प्रयोग

5075. **श्री कुंवर राम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए निकट भविष्य में प्रयोग करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के क्षेत्र में बहुत से परीक्षणों पर काम लगातार आगे चल रहा है। भारत सरकार अपनी इस नीति पर कायम है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिमय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

एशियाई खेलों के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का पुनर्वास

5076. श्री रामलाल राही :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के लिए निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, जो दूर-दराज के क्षेत्रों से आए हैं, को निर्माण कार्य पूरा होते ही अपने-अपने जन्म-स्थान को वापस जाना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उनको यहीं कहीं बसाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) एशियाई प्रयोजनाओं का काम अस्थाई स्वरूप का है और इसका अधिकांश भाग पूर्ण होने की अवस्था में पहुंचने वाला है। दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसके परिणाम स्वरूप कई श्रमिक कार्यस्थलों से रवाना हो हैं। इन श्रमिकों को दिल्ली में चल रही कुछ अन्य प्रयोजनाओं में स्थायी रूप से नियोजित करने के बारे में कोई ठोस योजना नहीं है।

(ख) इस सम्बन्ध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 6099, दिनांक 31-3-82 के भाग (क) और (ख) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए कृतिक दल

5077. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कितने "कृतिक दल" गठित किये गए हैं और ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) अब तक कितने "कृतिक बलों" ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(ग) इन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े हुए जिलों में परियोजना संभाव्यताओं, सहायक उद्योगों की संभावनाओं और न्यूनतम; अवस्थापना आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए 23 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में 66 स्थापना स्थलों के लिए 31 कृतिक बल गठित किए गए हैं। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) अभी तक 9 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में 20 स्थापना स्थलों के लिए 12 कृतिक बलों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच संबंधित राज्य की औद्योगिक तथा अवस्थापना योजनाओं के संदर्भ में की जा रही है।

विवरण

राज्य	सुझाये गये जिले/क्षेत्र	टिप्पणी
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर**	सभी जिलों के लिए 3
	2. मेडक**	कृतिक दल स्थापित, केवल
	3. श्री काकुलम*	मेडक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
2. असम	4. गोलपारा*	दोनों जिलों के लिए
	5. कामरूप*	कृतिक दल स्थापित
3. बिहार	6. मधुबनी*	दोनों जिलों के लिए
	7. पालामू*	कृतिक दल स्थापित
4. गुजरात	8. कच्छ (क)	कृतिक दल स्थापित
	9. अमरेली (क)	
	10. साबर कंठा (क)	
5. हरियाणा	11. महिन्द्रगढ़*	कृतिक दल स्थापित कर दिया
	12. हिसार जिले के भाग*	गया
	13. जींद जिले के भाग*	
6. हिमाचल प्रदेश	14. कांगड़ा*	तीनों जिलों के लिए 2
	15. सोलन*	कृतिक दल स्थापित
	16. सिरमूर*	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
7. जम्मू और काश्मीर	17. बारामूला*	दोनों जिलों के लिए
	18. ऊधमपुर (क)	दल स्थापित
8. कर्नाटक	19. तुमकूर (क)	सभी चार जिलों के लिए
	20. दक्षिणी कनारा (क)	कृतिक दल की स्थापना की
	21. गुलबर्गा (क)	जा चुकी है।
	22. बेलगांव (क)	
9. केरल	23. एलेप्पी*	दोनों जिलों के लिए
	24. मालापुरम*	कृतिक दल की स्थापना एलेप्पी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

1	2	3	4
10.	मध्यप्रदेश	25. सीधी**	चारों जिलों के लिए 2 कृतिक दल स्थापित, झबुआ और सीधी की रिपोर्ट प्राप्त
		26. झबुआ**	
		27. मुरैना	
		28. धार	
11.	महाराष्ट्र	29. औरंगाबाद*	तीनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है
		30. चन्द्रपुर*	
		31. रत्नागिरी	
12.	मेघालय	32. पूर्वी गारोहिल्स*	सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
		33. पूर्वी खासी हिल्स*	
		34. जयन्तिया हिल्स*	
13.	नागालैंड	35. मोत*	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
		36. त्वेनसांग*	
14.	उड़ीसा	37. पुरी (चांडक क्षेत्र)	सभी जिलों के लिए 2 कृतिक दल स्थापित
		38. बोलंगीर	
		39. कालाहांडी*	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है
		40. ढेंकानल*	
		41. मयूरभंज*	
15.	पंजाब	42. अमृतसर (गोविन्दवाल साहिब)	दोनों जिलों के लिए 2 कृतिक दल स्थापित गोविन्दवाल साहिब के लिए कृतिक दल की रिपोर्ट प्राप्त हुई।
		43. होशियारपुर*	
16.	राजस्थान	44. जोधपुर*	सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित जोधपुर जिले की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
		45. चूरू	
		46. नागौर*	
		47. भीलवाड़ा*	
17.	सिक्कम	48. गंगटोक*	कृतिक दल स्थापित
		49. मनगांव*	
		50. ग्यालशिंग*	
		51. वामची*	

1	2	3	4
18.	तमिलनाडु	52. पुड्डुकोटई जिले में पुड्डुकोटई**	दोनों क्षेत्रों के लिए कृतिक दल स्थापित
		53. मदुराई जिले में डिडीगुल**	
19.	त्रिपुरा	54. उत्तरी त्रिपुरा*	कृतिक दल स्थापित
		55. दक्षिणी त्रिपुरा*	
20.	उत्तर प्रदेश	56. बलिया*	सभी जिलों के लिए 3
		57. झांसी*	कृतिक दल स्थापित
		58. अल्मोड़ा*	
		59. वस्ती*	
		60. फैजाबाद*	
		61. रायबरेली*	
		62. ललितपुर	
21.	पश्चिम बंगाल	63. जलपाईगुड़ी (क)	दोनों जिलों के लिए
		64. ब्राकुँरा	कृतिक दल स्थापित
22.	पांडिचेरी	65. पांडिचेरी*	कृतिक दल स्थापित
23.	मिजोरम	66. मिजोरम :	-वही-

टिप्पणी : * संपूर्ण जिला पूंजीगत निवेश राजसहायता का पात्र है ।

** जिले के अन्दर नामित क्षेत्र पूंजीगत निवेश राजसहायता के पात्र हैं ।

(क) रियायती वित्त पाने के लिए अर्ह जिला ।

एल्यूमिनियम प्रदावक संयंत्रों को रियायती दर पर विद्युत सप्लाई करने के लिए एल्यूमिनियम उद्योग की मांग

5078. **श्री भीकू राम जैन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा विदेशों के बाजार में की जा रही कड़ी प्रतियोगिता को देखते हुए सरकार को एल्यूमिनियम प्रदावक संयंत्रों को रियायती दर पर विद्युत सप्लाई करने के लिए एल्यूमिनियम उद्योग की मांग की जानकारी है ;

(ख) क्या उत्पादन शुल्क और विद्युत प्रशुल्क दोनों में ही कमी करने का विचार है ; और

(ग) उद्योग के लिए निर्यात संवर्धन हेतु समर्थन के रूप में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1981 में एल्यूमिनियम पर उत्पादन शुल्क पहले के 44% मूल्यानुसार स्तर से घटा कर आधा कर दिया गया था। जहां विद्युत टैरिफ दर का संबंध है यह मामला राज्य सरकारों से संबंधित है

(ग) इस समय देशी उत्पादित एल्यूमिनियम का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से काफी अधिक है। अतः एल्यूमिनियम निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, देश में धातु की मांग देशी उत्पादन से अधिक है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जानकारी पर भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम द्वारा रंगीन टेलीवीजन का निर्माण

5079. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय इलेक्ट्रोनिक निगम लि० हैदराबाद का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित स्वदेशी जानकारी पर आधारित रंगीन टेलीविजन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या स्वदेशी जानकारी का प्रयोग करके बनाये जाने वाले रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य आयातित पुर्जों से बनाये जाने वाले रंगीन टेलीविजन सेट के मूल्य से कम होगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम (एन० आर० डी० सी०) ने भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) से इस आशय का प्रस्ताव किया था कि भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों की तकनीकी जानकारी प्राप्त करलें जिसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला और केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया था। भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड ने इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में इस शर्त पर स्वीकार किया था कि सरकार दूरदर्शन रिसीवर के विनिर्माणकर्ताओं को रंगीन दूरदर्शन सेटों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति न प्रदान करे। तदनुसार, राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तकनीकी जानकारी उद्योग को प्रदान की जाती है, तथा भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) ने रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों से संबंधित केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान की प्रौद्योगिकी जानकारी के अन्तरण के लिए एक करार पर बातचीत की और इसे अन्तिम स्वरूप प्रदान किया था। यह एक सात वर्षीय करार के रूप में होता जिसके अनुसार भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान की तकनीकी जानकारी के

लिए रायल्टी के रूप में प्रति रंगीन दूददर्शन सेट 70 रुपये की अदायगी की जानी थी और इस रायल्टी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होती थी।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के स्वदेशी डिजाइन तथा पश्चिम जर्मनी/दक्षिणी कोरिया के आयातित डिजाइन दोनों में ही अनिवार्य आयातित संघटक पुर्जों का मूल्य थोक खरीद पर लगभग एक जैसा है। अतः इसकी संभावना बहुत कम है कि आयातित किटों से निर्मित रंगीन दूरदर्शन सेट के मूल्य की अपेक्षा स्वदेशी सेट का मूल्य अपेक्षाकृत कम होगा।

मध्य प्रदेश में ऐसी चट्टानों की खोज जिनसे सोना होने के संकेत मिलते हैं

5080. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 11 जुलाई, 1982 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश के रायपुर और रायगढ़ जिलों में ऐसी चट्टानों की खोज की गई है जिनसे वहां सोना होने के संकेत मिलते हैं ;

(ख) क्या यह भी बताया गया है कि बस्तर जिले में बाक्साइट के निक्षेप पाये गये है ;

(ग) क्या उक्त भंडारों का उपयोग करने के लिए कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही भी की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। रायपुर तथा रायगढ़ जिलों में स्वर्ण पाए जाने की सूचना मिली है तथा मध्य प्रदेश खनन व भूतत्व निदेशालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से खोज की जा रही है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रायगढ़ जिले के कुछ भागों में ईब नदी उसकी सहायक नदियों के किनारों पर प्लेसर स्वर्ण के लिए तथा क्वार्टज धारियों में भी इस खनिज धातु के लिए प्रारम्भिक खोज की है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) इन भंडारों के विदोहन का प्रश्न विस्तृत खोज के परिणामों पर निर्भर करेगा।

सेन्ट्रल कोल वाशरी को मैसर्स भारत कोकिंग कोल को सौंपना

5081. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई सेंट्रल कोल

वाशरीज आर्गेनाईजेशन को कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी मैसर्स भारत कोकिंगकोल को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सेन्ट्रल कोल वाशरीज आर्गेनाईजेशन के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की शर्तों के लिए अपनी सहमति दे दी है तथा 1976 के बाद पदोन्नत किये गए कुछ अधिकारियों को अपना विकल्प देने की अनुमति नहीं दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) "सेल" के केन्द्रीय कोयला शोधनशाला संगठन (सेन्ट्रल कोल वाशरीज आर्गेनाईजेशन) की चार कोयला शोधनशालाओं का स्वामित्व भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया गया है। स्वामित्व सौंपने के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें सेल तथा कोल इन्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि हैं।

(ग) और (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य होने के सन्देह में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही

5082. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मंत्रालयों को कोई ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दें, जिन पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सक्रिय सदस्य होने का सन्देह हो ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुदेश क्या हैं, और

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायते इस्लामी अथवा आनन्दमार्ग के सदस्य कहे जाने वाले ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सुनी-सुनाई बातों/किसी की शिकायत या पुलिस जांच के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियां इस स्वरूप की होंगी कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसी गतिविधियों में भाग लिए जाने पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 के उप नियम (1) के उपबन्ध लागू होंगे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, न सदस्य होगा न अन्यथा उससे सहयुक्त होगा और न वह राजनैतिक आन्दोलन या क्रियाकलाप में भाग लेगा और न ही वह उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य प्रकार से सहायता करेगा।

(ग) यदि सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं नियमों, आदेशों अथवा अनुदेशों का उल्लंघन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासन भंग हुआ है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भर्ती

5083. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक निर्माण तथा अन्य उद्योगों में प्रशिक्षण की सुविधाएं विद्यमान होने पर भी वे प्रशिक्षणों के पूरे कोटे के अनुसार भर्ती नहीं कर रहे हैं ;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में कितने स्थान खाली हैं और इस समय कितने प्रशिक्षु प्रशिक्षण पा रहे हैं ;

(ग) प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अधीन अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार किस योजना पर विचार कर रही है ; और

(घ) महिलाओं तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए क्या विशेष अवसर दिये जाने वाले हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) 31-7-82 की स्थिति के अनुसार, शिक्षुओं की नियुक्ति के बारे में स्थिति नीचे दी गई है।

(क) व्यवसाय शिक्षु :

क्षेत्र	निर्धारित की गई सीटें	उपयोग की गई सीटें	कमी
केन्द्रीय क्षेत्र	47973	24015	23958
राज्य क्षेत्र	132971	102419	30552

(ख) स्नातक तथा तकनीशियन शिक्षु :

निर्धारित सीटें	28569
उपयोग की गई सीटें	13072

स्नातक और तकनीशियन शिक्षुओं की योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से संचालित की जाती हैं।

(ग) सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप सीटों का निर्धारण किया जाता है जो कि एक सतत प्रक्रिया है। अधिक सीटों का निर्धारण करने तथा उनका उपयोग करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

(घ) विशेष व्यवसायों, जैसे कि दर्जी (पुरुष), दर्जी (महिला), दर्जी (सामान्य), होटल क्लर्क या स्वागतकर्त्ता, रेस्टोरेंट होस्टेस, बिल कलर्क तथा वाणिज्यिक व्यवसायों को शिक्षु अधिनियम,

1961 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है, जो कि महिलाओं के लिए उपयुक्त हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए विशिष्ट आरक्षण रखे गए हैं और तीन प्रतिशत विकलांग शिक्षुओं की भर्ती करने सम्बन्धी प्रशासनिक अनुदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में एच० एम० टी० घड़ियों की फैक्ट्री लगाना

5084. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एच० एम० टी० घड़ियों की फैक्ट्री लगाने के लिए 1981-82 और 1982-83 में सर्वेक्षण किया गया था और क्या सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में इस फैक्ट्री की स्थापना के लिए पांच स्थान चुने गए हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह फैक्ट्री स्थापित करने का विचार है और यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले यह फैक्ट्री देहरादून में लगाने का विचार था परन्तु बाद में स्थान बदल दिया गया ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) एक एच० एम० टी० घड़ी कारखाना स्थापित करने के लिए 1982-83 में एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रस्तावित कारखाने के लिए एच० एम० टी० ने निरीक्षण किये गये स्थानों में से रानीबाग (जिला नैनीताल) को चुना है। परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् शीघ्र ही कार्यान्वयन आरम्भ हो जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

हैदराबाद में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

5085. **श्री चिंगवांग कोनयाक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय इस्पात कारखाने की स्थापना

5086. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में कहीं भी एक तटीय इस्पात कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) विशाखापत्तनस में एक इस्पात कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। यद्यपि यह कारखाना तट पर स्थित है तथापि इस कारखाने को यथार्थ रूप से तटवर्ती इस्पात कारखाना नहीं कहा जा सकता है और न ही अन्य किसी तटवर्ती इस्पात कारखाने के निर्माण पर भी विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता में अवैध शस्त्रास्त्रों की बिक्री

5087. श्री जगपाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल हैरल्ड दिनांक 17 जुलाई, 1982 में, हाल की हिंसक गतिविधियों तथा बैंकों पर डकैतियों के परिप्रेक्ष में, कलकत्ता में अवैध शस्त्रास्त्रों में वृद्धि के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन

5088. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वहां उद्योग स्थापित करने हेतु किस प्रकार के प्रोत्साहन और रियायतें देने से सफलता मिल सकती है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पिछड़े क्षेत्रों के उद्यमियों को कार्यगत पूंजी के अन्तर्गत रियायती दरों पर वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) समय-समय पर आंतरिक कार्यों के अलावा, पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा औद्योगिक छित-राव पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय प्रोत्साहनों और रियायतों के कार्य संचालन का मूल्यांकन भी किया जाता है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। अपनी काम संचालन प्रक्रिया के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय समिति ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश के खम्माम और चित्तूर जिलों, महाराष्ट्र में नासिक व चन्द्रपुर, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और बुलन्द शहर तथा राजस्थान में अलवर जिलों में केन्द्रीय रियायतों और प्रोत्साहनों के प्रभाव के बारे में अध्ययन कराये हैं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा हाल ही में वर्ष 1975-76 तक के आंकड़ों के आधार पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में रियायती वित्त और अन्य प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में एक

मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इन सभी अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक वृद्धि में सहायता पहुंचाने में रियायतें और प्रोत्साहन एक साधन के रूप में काम कर रहे हैं फिर भी इस वृद्धि का प्रसार पिछड़े क्षेत्रों में असमान रहा है।

(ख) जहां तक रियायती वित्त का सम्बन्ध है, अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी संस्थान ब्याज की कम दरों, मोहलत और पुनर्भुगतान की अधिक अवधि, प्रवर्तकों के अंशदान में कमी करके तथा ऋण इक्विटी मानदण्डों में समुचित छूट देकर विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में एककों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कार्यकारी पूंजी के सम्बन्ध में इन संस्थानों के रियायती शर्तों पर पुनः वित्त देने सम्बन्धी कार्यक्रम भी मौजूद है।

हिन्दुस्तान लीवर नई दिल्ली द्वारा अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भविष्य निधि/ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान न करना

5089. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर नई दिल्ली के अनेक अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान किसी न किसी बहाने से लंबित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली के प्रबन्धकों को कर्मचारियों के लेखे की धनराशि का भुगतान करने हेतु यु० के० के कार्यालय से अनुमति मांगनी पड़ती है जिसमें इससे अत्यधिक विलम्ब लगता है और इसमें जानबूझकर विलम्ब किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार हिन्दुस्तान लीवर नई दिल्ली के कर्मचारियों के लेखे की धनराशि का सुचारू रूप से भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि सरकार ने इस दिशा में कोई अनुदेश जारी किए हों, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर, जिसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है और ब्रांच दिल्ली में है, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन एक छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे न्यासी बोर्ड द्वारा रखे जाते हैं। सूचित किया गया है कि न्यासियों ने अब तक प्राप्त हुए सभी दावों का निपटान कर दिया है। उपदान के भुगतानके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

सीमेंट में पोजोलेनिक मिलाने की अनुमति देने के पश्चात सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि

5090. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट नियंत्रक द्वारा 25 अगस्त, 1977 को सीमेंट के उत्पादन में पोजोलेनिक मिलाने की अनुमति देने के पश्चात इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या पोजोलेनिक सीमेंट की जांच की गई है और क्या सरकार को इस संबंध में अहमदाबाद स्कूल आफ आर्किटेक्चर की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं ;

(घ) देश में पोजोलेनिकल सीमेंट और पोर्टलेंड सीमेंट का उत्पादन कितना है ; और

(ङ) देश में लगाई जा रही सीमेंट की नई छोटी या बड़ी फैक्टरियों में किस किस्म की पोजोलेनिक या पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों में पोर्टलैण्ड सीमेंट के कुछ उत्पादन की तुलना में पोर्टलैण्ड पोजलाना सीमेंट का उत्पादन इस प्रकार रहा है :

वर्ष	सीमेंट का उत्पादन ("0" लाख मी० टनों में)	
	सीमेंट का कुल उत्पादन	पोजलाना सीमेंट का उत्पादन
1977	19.19	1.92
1978	19.62	6.38
1979	18.27	6.59
1980	17.90	8.41
1981	20.9	11.4

सरकार ने ऐसे किसी भी संस्थान को पोजलानिक सीमेंट की जांच का कार्य नहीं दिया है।

(ङ) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम सूची की मद संख्या 35 (1) में सभी प्रकार के सीमेंट सम्मिलित हैं। औद्योगिक लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों में इस बात का अलग से कोई उल्लेख नहीं है कि कुल क्षमता में से पोजलानिक सीमेंट की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उम्मीदवारों को काम पर लगाया जाना

5091. **श्री गदाधर साहा :**

श्रीमती संयोगिता राणे :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के रोजगार कार्यालयों की पुनरीक्षा कर ली गई है और यह संतोषजनक पाया गया कि उन कार्यालयों में रोजगार के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी किए गए सिद्धांतों, मार्ग दर्शनों के अनुसार उन्हें काम पर लगाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने तथा उनके कार्यकरण को सुधारने और नियमित करने के लिए कदम उठाने के लिए उनके कार्यकरण की कोई पुनरीक्षा की गई ; और

(ग) उनके कार्य निष्पादन की जांच करने, विशेषकर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में, क्या कार्यवाही करने का विचार सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की व्यापक रूप से पुनरीक्षा करने और सुधार लाने के लिए उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने श्री पी० सी० मैथ्यु, आई० सी० एस० (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी एक समिति गठित की थी । समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रुप "सी" तथा "डी" श्रेणियों के पदों अथवा इनके समकक्ष पदों की भर्ती के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों के नियोजकों द्वारा रोजगार कार्यालयों के अनिवार्य उपयोग की सिफारिश की और रोजगार कार्यालयों के नियमित निरीक्षणों की आवश्यकता पर भी जोर दिया ।

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रोजगार कार्यालयों के नियमित मूल्यांकन/निरीक्षण किए जाते हैं कि कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों सहित, उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में सरकारी आदेशों का सख्ती से अनुपालन हो ।

उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिलों में बाकसाइट के विशाल भंडार

5092. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिलों में बाकसाइट के विशाल भण्डारों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के इन दो जिलों में बाकसाइट के लगभग कितने भंडार होने की संभावना है ;

(ग) भारत के भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा वहां सर्वेक्षण कब किया गया था ; और

(घ) उड़ीसा के उन जिलों में तथा बाकसाइट की खोज के लिए अन्य राज्यों में प्रस्तावित खोजबीन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी, हां । इन क्षेत्रों में अब तक लगभग 1200 मि० टन बाकसाइट भन्डारों का अनुमान लगाया जा चुका है ।

(ग) बाकसाइट की खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1970 के दशक के प्रारम्भ में की गई थी, जिसे जनवरी 1976 से जून, 1977 के बीच पूर्वी घाट बाकसाइट परियोजना के अंग के रूप में और तेज कर दिया गया।

(घ) इन क्षेत्रों में बाकसाइट की खोज जारी है । चालू फील्ड सत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के लांजीगढ़ पठार में बाकासाइट की खोज पूरी कर ली है तथा सिजिमाली पठार और बिहार आमतीपानी पठार में खोज की जा रही है ।

जंगली पेड़ पौधों को समाप्त करना

5093. **श्री जैयनुल अबेदिन** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में कृषि पद्धति बदलने और वनों को समाप्त करने के परिणामस्वरूप लगभग 5000 लाभकारी जंगली पेड़ पौधों को समाप्त करने के बारे में बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) सरकार इस स्थिति को रोकने और इसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :(क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पेलियोबोटनी, लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा प्रकाशित एक वह लेख देखा है जिसका शीर्षक है—"वाइल्ड प्लांट्स इन इंडिया फोक लाइफ-ए हिस्टोरीकल पर्सपैक्टिव"। उक्त लेख में यह कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि कृषि प्रतिमान में परिवर्तनों के कारण तथा वनों के अनावरण किए जाने के परिणामस्वरूप 5,000 उपयोगी जंगली पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं। इस लेख ने इस बात की ओर इंगित किया है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए जंगली पौधों की स्पीशीज की उपयोगिता के बारे में लोक कथाओं और प्राचीन साहित्य में विपुल जानकारी भरी पड़ी है। उसने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जिन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को बसाया जा रहा है, उनमें क्रमिक रूप से नई और संशोधित कृषा तकनीकों के आरंभ किए जाने से इस विपुल ज्ञान के खो जाने की अधिक आशंका है। साथ ही उसने इस बात का आग्रह किया है कि इस जानकारी के संरक्षण की आवश्यकता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जैसी सरकारी वैज्ञानिक सर्जेसियां पहले से ही, पौधों के जनजातीय उपयोग पर सूचनाओं के एकत्रीकरण व जंगली पौधों के सर्वेक्षण सहित मानव जातीय वनस्पति अध्ययनों को हाथ में ले रही हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोहिया मशीन्स का पिएग्गिओं के साथ सहयोग के बारे में बजाज की शर्तें

5094. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज आउटो ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि पिएग्गिओं को केवल लोहिया मशीन्स और आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स के साथ केवल इस शर्त पर सहयोग की मंजूरी की दी जाए कि पिएग्गिओं बजाज आउटो व्हीकल्स के उन्मुक्त निर्यात का विरोध नहीं करेगा जबकि सच्चाई यह है कि पिएग्गियों ने विदेशों में बजाज स्कूटर्स की बिक्री के विरुद्ध मामले दायर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सरकार ने दो पहिये वाले वाहनों के निर्माण के लिए लोहिया मशीन्स तथा आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स को मे० पिआगों के साथ तकनीकी सहयोग करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। तत्पश्चात, बजाज आटो

लिमिटेड की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ प्रश्न उठाये गए हैं।

बजाज आटो लिमिटेड का मै० पिआगों के साथ कोई सबसिडिंग सहयोग करार नहीं है।

देश के सभी जिला औद्योगिक केन्द्रों के प्रमुखों का सम्मेलन

5095. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**
श्री आर० पी० गायकवाड़ :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिला औद्योगिक केन्द्रों के प्रमुखों का सम्मेलन बुलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुई चर्चा के निष्कर्ष क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) 19 जुलाई से 21 जुलाई, 1982 तक नई दिल्ली में देश के सभी जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। महाप्रबन्धकों के अलावा, राज्यों के उद्योग सचिवों, उद्योग निदेशकों, लघु उद्योग विकास निगमों के प्रबन्ध निदेशकों और राज्य वित्तीय निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को भी आमन्त्रित किया गया था। सभी सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। सम्मेलन में जिला उद्योग केन्द्रों के ढांचे, कर्मचारी और कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं, संस्थागत सम्पर्क, नये 20 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए नई बातों पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श, जानकारी का विनियम और अनुभवों का आदान-प्रदान लाभदायक रहा तथा इनके परिणामस्वरूप संरचना, कार्यकरण शक्तियों के प्रयोजन, ऋण, प्रशिक्षण, कच्चे माल, प्रबन्ध व्यवस्था आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर सरकार द्वारा विशिष्ट विचार किए जाने के लिए अनेक सिफारिशें की गई।

फलबनी जिले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों संबंधी योजनाओं में दुर्विनियोग

5096. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि फूलबनी जिले में डी० आर० डी० ए०, आई० टी० डी० ए० के० यु० डी० ए० आदि योजनाओं के नाम पर खूब धन लूटा जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को उक्त योजनाओं में दुर्विनियोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो प्रणाली को कारगार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) केन्द्र सरकार ने 1980-81 और 1981-82 के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की है और फूलबनी जिले में उक्त योजनाओं के लिए इस अवधि में कितनी राज सहायता दी गई है ;

(घ) क्या उक्त योजनाओं के विकास निकायों में शामिल संसद सदस्यों और विधान मण्डलों के सदस्यों ने जानबूझकर इन योजनाओं को समाप्त किए जाने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तथा (ख) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है, इनमें से किसी योजना में दुर्विनियोग की भी कोई शिकायत नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 1980-81 और 1981-82 के दौरान डी० आर० डी० ए० फूलबनी को क्रमशः 27.40 लाख रुपये और 33.75 लाख रुपये दिये हैं। जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता परियोजनावार नहीं दी जाती है तथा यह राज्य सरकार को एकमुश्त अनुदान के रूप में उपलब्ध कार्रवाई जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा 1980-81 के दौरान 8.6 करोड़ रुपये और 1981-82 के दौरान 11.66 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी। वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान फूलबनी जिले में आई० टी० डी० ए, डी० आर० डी० ए० आदि द्वारा 16,17,564 रुपये और 55,01,158 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी।

(घ) आई० टी० डी० ए० परियोजना स्तर समितियों और इन संगठनों की प्रबन्ध समितियों के सदस्य स्थानीय विधायक और सांसद हैं। इन समितियों द्वारा कार्यक्रम अनुमोदित किए जाते हैं और अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार निधियों का उपयोग किया जाता है।

परिवर्तन से खेती करने वाले आदिवासियों की समस्याएं

5097. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने परिवर्तन से खेती करने वाले आदिवासियों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया है ;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में (राज्यवार) कितने आदिवासी परिवर्तन से खेती करते हैं, और

(ग) परिवर्तन से खेती करने वाले आदिवासियों के पुनर्वास के लिए परिषद द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) से (ग) कुल 2.69 मि० हैक्टेयर क्षेत्र में परिवर्तन से खेती होती है जिस पर 4.33 लाख जनजातीय परिवार निर्वाह करते हैं। उत्तर पूर्वी परिषद ने अपने 5वीं पंचवर्षीय योजना में झूमियाओं के पूनर्वास के लिए 8 पायलेट परियोजनाओं को आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 11,300 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास करने के पश्चात 4500 परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया था। इन पायलेट परियोजनाओं के अनुभव के आधार पर वाटरशेड मनेजमेंट की नयी नीति को अपनाया गया है। 13 पायलेट परियोजनाओं की योजना, एक आसाम में और क्षेत्र की अन्य प्रत्येक यूनिट में दो, को 4.5 करोड़ रु० के परिव्यय से छठी योजना में आरम्भ किया जा रहा है। वाटरशेड मनेजमेंट की वर्तमान संकल्पना जो उक्त योजना के माध्यम से कार्यान्वियन के लिए लागू की जा रही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बराक वाटरशेड और अन्य मुख्य नदियों में भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल द्वारा किए गए गहन अध्ययन और सिफारिशों पर आधारित है।

परियोजना निर्माण और जांच कक्ष प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में उत्तर पूर्वी परिषद की वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन से स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तरपूर्वी परिषद सचिवालय में वाटरशेड मेनेजमेंट के निर्माण के मार्ग निदर्शन के लिए एक परियोजना निर्माण कक्ष भी है।

छठी योजना के लिए 40 लाख रु० के परिव्यय से मेघालय में क्षेत्रीय भू-संरक्षण कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। छठी योजना में उत्तर पूर्वी परिषद के भूमि और वाटरशेड मेनेजमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रावधान 450 लाख रु० है।

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आंतकवादी आत्मघाती सेवा, मणिपुर का नोटिस

5098. **श्री आर० आर० भोले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आतंकवादी आत्मघाती सेवा, मणिपुर ने मंत्रियों और अधिकारियों को नोटिस दिया है कि वे अपने व्यक्तिगत हितों के लिए सत्ता का दुरुपयोग और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न करें और यदि वे नहीं सुधरते तो वे उन्हें दण्डित करेंगे ; और

(ख) क्या इन आतंकवादियों द्वारा तीन भ्रष्ट अधिकारियों की हत्या कर दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 24 जून, 1982 और 12 जुलाई, 1982 के मध्य इम्फाल में तीन अधिकारियों को गोली मारी गई, दो अधिकारी जख्मों के कारण मर गए और एक को अस्पताल में भर्ती किया गया। आतंकवादी आत्मघाती सेवा ने इन घटनाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। राज्य सरकार मामले की जांच करवा रही है।

20- सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

5099. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगाह रखने के लिए कुछ राज्यों का दौरा किया है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सन्तोषजनक रूप से हुआ था ; और

(ग) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां विकास कार्यक्रम तथा कल्याणकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन सन्तोषजनक रूप से नहीं हुआ था ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री जी राज्यों के अपने दौरे में जहां कहीं सरकारी विचार-विमर्श करती हैं उनमें अन्य योजना-परियोजनाओं के साथ-साथ 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर सामान्यरूप से विचार-विमर्श करती हैं। इस प्रकार के विचार-विमर्शों का प्रयोजन महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में विकास संबंधी कार्यकलापों की गति तेज करने के लिए

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रयत्नों में अधिक अच्छे समन्वय को बढ़ावा देना है, कार्यान्वयन के स्तर के संबंध में कोई राय प्रकट करना नहीं है।

रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण

5100. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने सरकार से अनुरोध किया है कि बंगाल पौटरीज लिमिटेड, इण्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कण्टेनर एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, श्री दुर्गा वीविंन एण्ड स्पीनिंग मिल आदि जैसी रुग्ण एककों का रास्ट्रीयकरण किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (घ) सरकार संदर्भाधीन औद्योगिक उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का अंतिम निपटारा करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन जो प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में उक्त औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध चला रहा है, के परामर्श से राष्ट्रीयकरण सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

सीमेंट पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हटाना

5101. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उत्पादनकर्ता एसोसियेशन के अध्यक्ष ने सीमेंट पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हटाने की बात कही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की दिनांक 30 जुलाई, 1982 को हुई बैठक में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने भाषण में अन्य बातों के साथ यह भी कहा कि "आंशिक विनियंत्रण, सीमेन्ट के मूल्यों और वितरण से सभी प्रकार के नियंत्रण को क्रमानुसार हटाने की दिशा में केवल एक पहला कदम है···किन्तु, सीमेन्ट के मूल्यों और वितरण से सभी नियंत्रण हटाना केवल तब ही संभव हो जायेगा जब देश में सीमेंट की पूर्ति मांग के बराबर या उससे अधिक हो जायेगी।

(ख) सरकार सीमेंट के उत्पादन, वितरण और मूल्यों की स्थिति पर निगरानी रख रही है और लोकहित को देखते हुए उपर्युक्त अवस्थाओं में नियंत्रण लगाएगी।

श्रमिक शिक्षा केन्द्र को तेजपुर के अन्यत्र ले जाया जाना

5102. **श्रीमति प्रमिला दंडवते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय बोर्ड, श्रमिक शिक्षा द्वारा संचालित श्रमिक शिक्षा केन्द्र को, जो अशिक्षित तथा अर्द्ध-शिक्षित आदिवासी चाय श्रमिकों के लाभ के लिए एक चाय बागान में स्थित है, तेजपुर से अन्यत्र ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सिलचर, शिलांग या गोहाटी में श्रमिकों के लिए एक तीसरा केन्द्र क्यों नहीं खोल दिया जाता ; और

(घ) सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों के लिए शिलांग में ऐसा श्रमिक शिक्षा केन्द्र क्यों नहीं खोलती ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) श्रमिक शिक्षा केन्द्र उद्योगों के अनुसार नहीं खोले जाते बल्कि कुछ ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार खोले जाते हैं, जो केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना रखे हैं तथा जो मुख्यतया बोर्ड के कार्यकलापो के विकास के लिए उपलब्ध सम्भाव्य साधनों से सम्बद्ध हैं । बोर्ड ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पांच उप क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में हाल ही में प्रस्ताव भेजे हैं ।

ई० पी० एफ० संगठनों में क्षेत्रीय अधीक्षक के पद

5103. **श्री के० लकप्पा :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० पी० एफ० संगठन में हैड क्लर्कों के पदों की संख्या के 20 प्रतिशत के फार्मूले के आधार पर क्षेत्रीय अधीक्षकों के पद बनाए गए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हैड क्लर्कों के पदों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है परन्तु अधीक्षकों के पद तुलनात्मक अनुपात में क्षेत्रीय कार्यालयों को नहीं दिए गए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अधीक्षक, भविष्य निधि निरीक्षक ग्रेड-II तथा सहायकों के पदों के वेतनमानों की कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उनके समान पदों के वर्तमान वेतनमानों के बराबर करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का क्षेत्रीय अधीक्षक के पदों को मंजूरी देने के लिए तथा अधीक्षक, भविष्य निधि निरीक्षक ग्रेड-II तथा सहायकों के वेतनमानों की असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और इसमें कितना समय लगेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया है :—

(क) जी, नहीं ।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि अधीक्षकों के पद क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान लिपिकों की संख्या के अनुपात में सृजित किए जाने चाहिएं।

(ग) केन्द्रीय कार्यालय में अधीक्षकों तथा भविष्य निधि निरीक्षकों के वेतन मानों में संशोधन करने का निर्णय किया गया है, ताकि उनको अन्तर्बदल किया जा सके। सहायक के वेतन-मान में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) केन्द्रीय कार्यालय में सहायक के वेतन-मान में संशोधन करने सम्बन्धी निर्णय शीघ्र लिए जाने की संभावना है।

पंजीकृत श्रम संगठनों की सदस्यता

5104. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार, सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन, आल इण्डिया रेलवेमैन फैडरेशन और भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के साथ पृथक् रूप से सम्बद्ध पंजीकृत श्रम संगठनों की सदस्य संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : रेल मंत्रालय से सूचना मांगी गई है। प्राप्त होने पर यह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बेरोजगारों की संख्या

5105. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बेरोजगारों की संख्या कितनी है ;

(ख) देश में जून, 1982 तक रोजगार कार्यालयों में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे ; और

(ग) सरकार द्वारा 1978 से 1982 तक के वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दिलवाई गई और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरे क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या सम्बन्धी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि, रोजगार और बेरोजगारी सम्बन्धी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32वें दौर के सामान्य स्टेटस आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग द्वारा लगाए गए एक अनुमान के अनुसार, मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार देश में 15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 114.2 लाख थी।

(ख) सारे देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज व्यक्तियों की कुल संख्या, यह जरूरी नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, मई 1982 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त में 180.6 लाख थी।

(ग) इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1977-78 से 1980-81 के दौरान
सरकार द्वारा रोजगार में लगाए गए अतिरिक्त व्यक्तियों
की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजारों में)

सार्वजनिक क्षेत्र की शाखा	के दौरान अतिरिक्त रोजगार 1977-78	1978-79	1979-80	1980-81%
1	2	3	4	5
1. केन्द्रीय सरकार	14.2	37.9	43.8	18.2
2. राज्य सरकार	139.8	148.7	169.1	132.4
3. अर्ध-सरकारी (केन्द्रीय)	124.3	109.1	59.5	121.9
4. अर्ध-सरकारी (राज्य)	129.4	132.2	114.0	84.1
5. स्थानीय निकाय	26.2	48.2	16.2	45.3
कुल जोड़	433.8	476.1	402.5	401.9

स्रोत : रोजगार बाजार सूचना (ई० एम० आई०) डी० जी० ई० एण्ड टी० का कार्यक्रम ।

×नवीनतम आंकड़े

%अनन्तिम

नोट : 1. आंकड़े प्रत्येक वर्ष के अप्रैल-मार्च से सम्बन्धित हैं ।

2. पूर्णांकों के कारण आंकड़ों के जोड़ मेल नहीं खा सकते ।

गुजरात में नमक उद्योग के लिये वित्तीय व्यवस्था

5106. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का नमक उद्योग को वित्तीय सहायता के बारे में गुजरात से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार गुजरात में नमक उद्योग को वित्तीय सहायता के लिए बैंकों को निदेश देगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु, कुछ इस प्रकार के अपने अभ्यावेदन प्राप्त हुए

हैं कि नमक उत्पादन को एक उद्योग माना जाए ताकि बैंक और वित्तीय संस्थान उनके लिए ऋण दे सकें। मामले की जांच की जा रही है।

गत तीन वर्षों के दौरान देशी और आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

5107. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देशी और आयातित अखबारी कागज के मूल्य कितनी बार बढ़े और प्रति बार मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ख) छोटे और मझोले समाचार पत्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) आयातित अखबारी कागज का मूल्य हर तिमाही के लिए निर्धारित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में देशी और आयातित अखबारी कागज के मूल्य इस प्रकार रहे :

मूल्य प्रति मी० टन

प्रभावी तिथि	देशी (नेपा) अखबारी कागज	समुद्र पार से आयातित अखबारी कागज (बंगला देश के अतिरिक्त)
17-3-80	रु० 3632	रु० 4090
25-10-80	रु० 3886	रु० 4275
1-1-81	रु० 3956	रु० 4365
1-4-81	रु० 4277	रु० 4730
1-7-81	रु० 4700	रु० 5195
अप्रैल, 82	रु० 4700	रु० 6120

(ख) अखबारी कागज की आपूर्ति के मामले में छोटे और मंझौले समाचार-पत्रों की निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं :—

(1) जहां तक बैंक ऋण का सम्बन्ध है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निर्णय के अनुसार समाचारपत्र उद्योग को चयनात्मक आधार पर वित्तीय सहायता देना। इसके अतिरिक्त, लघु ऋण (लघु उद्योग) गारन्टी योजना 1981 के अनुसार, समाचारपत्रों को दी जाने वाली अग्रिम राशियां जो लघु उद्योग की परिभाषा के अनुरूप हों, डिपोजिट इन्श्योरेंस क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन की प्रतिभूति के अन्तर्गत आती हैं।

(2) इस श्रेणी के अन्तर्गत अखबारों का उच्च वृद्धि दर उपलब्ध करवाई गई है अर्थात् गत वर्ष की खपत से 7% अधिक या प्रतियों के मुद्रण में वास्तविक वृद्धि, दोनों में से जो भी अधिक हो।

(3) राज्य व्यापार निगम ने छोटे समाचारपत्रों के लिए विभिन्न आकार की अखबारी कागज की शीटों के आयात की व्यवस्था की है।

(4) 2000 प्रतियां तक मुद्रित करने वाले समाचार-पत्रों को ऊब चार्टर्ड एकाउटेंट से मुद्रण प्रमाण-पत्र (सर्कुलेशन सर्टिफिकेट) लेकर देने की आवश्यकता नहीं है।

(5) जिन मामलों में राज्य व्यापार निगम अखबारी कागज की शीटें देने में समर्थ नहीं है उनमें उनकी अर्हता के अतिरिक्त 5% और आवंटन का प्रावधान है।

(6) अब छोटे समाचार-पत्र अपनी अर्हताएं एक साथ मिलाकर अपने अभिकर्ताओं या राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से समुद्र पार से आने वाले अखबारी कागज की बिक्री में से कागज ले सकते हैं।

(7) छोटे समाचारपत्र अपना अखबारी कागज का कोटा किश्तों में उठा सकते हैं जिसके लिए 50 मी० टन तक की उनकी अर्हता 6 मास तक बढ़ा दी गई है।

(8) अधिकतम राज्य सरकारों ने छोटे समाचार-पत्रों को अखबारी कागज पर बिक्री कर देने से मुक्त कर दिया गया है।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता

5108. **श्री आनन्द पाठक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की गति को तेज करने के लिये राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता किन राज्यों को मिल रही है ;

(ग) पांचवीं योजनावधि में राज्यवार और वर्षवार इसका आवंटन क्या था और इन क्षेत्रों के लिये वास्तव में कितना धन दिया गया और छठी योजनावधि में इन क्षेत्रों के लिये राज्यवार और वर्षवार धन की क्या मांग थी और कितना धन आवंटित किया गया ;

(घ) ऐसी सहायता देने का मापदंड और आधार क्या है और क्या निकासी गतिविधियों के लिये अपेक्षित आवश्यक सामग्रियों की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार छठी योजना में योजना आवंटन और मांग का पुनर्मूल्यांकन करेगी और पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक विकास की गति को अबाधित रूप से तेज करने के लिये आवंटन की राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र तथा महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यों में तथा गोवा दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी घाट क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता क्षेत्र तथा जनसंख्या को समान महत्व देते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में आवंटित की जाती है। पश्चिमी घाट क्षेत्र के मामले में क्षेत्र के लिए 75 और जनसंख्या के लिए 25 को महत्व देते हुए आवंटन किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना की अवधि के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल धनराशि की व्यवस्था का निर्णय करते समय क्षेत्र की आवश्यकताओं और अन्य सम्बन्धित उपादानों को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विवरण

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रखी गई विशेष केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार और वर्षवार आवंटन तथा उपयोग इस प्रकार था :—

(लाख रु०)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रों के नाम	1974-75		1975-76		1976-77		1977-78	
	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पहाड़ी क्षेत्र								
असम	300.00	232.47	300.00	235.86	500.00	409.86	590.00	443.92
तमिलनाडु	100.00	77.57	100.00	100.00	150.00	150.00	180.00	175.57
उत्तर प्रदेश	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	2200.00	2200.00	2700.00	2700.00
पश्चिम बंगाल	250.00	236.66	250.00	250.00	300.00	300.00	325.00	325.00
2. पश्चिमी घाट								
कर्नाटक	29.00	28.04	29.00	27.07	90.00	90.00	120.00	110.57
केरल	38.00	23.99	38.00	33.43	118.00	86.79	144.00	136.05
महाराष्ट्र	45.00	31.55	45.00	45.00	140.00	116.92	195.00	192.65
तमिलनाडु	26.00	—	26.00	18.82	80.00	51.13	107.00	79.65
गोवा	7.00	—	7.00	7.00	22.00	22.00	30.00	30.00

2. छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए 560 रु० की व्यवस्था की गई हैं। वर्षवार आवंटन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्षानुवर्ष किए जाते हैं। 1980-85 की छठी योजना के लिए राज्यवार आवंटन तथा वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में किए गए आवंटन निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रु०)

क्षेत्र का नाम	छठी पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन (1980-85)	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
1. पहाड़ी क्षेत्र				
असम	71.58	9.60	12.55	13.70
तमिलनाडु	21.81	2.90	3.79	4.18
उत्तर प्रदेश	350.00	41.20	54.96	70.00
पश्चिम बंगाल	29.85	5.45	6.00	6.00
2. पश्चिमी घाट				
कर्नाटक	14.45	1.91	2.33	2.86
केरल	17.80	2.24	3.21	3.46
महाराष्ट्र	23.08	3.09	3.81	4.54
तमिलनाडु	13.02	1.80	2.56	2.43
गोवा	3.65	0.50	0-66	0.73
समन्वित कार्यात्मक अनुसंधान परियोजना	14.76	0.02	2.13	4.10
जोड़	560.00	68.71	92.00	112.00

वर्ष 1982 की दशहरा और दिवाली की छुट्टियों में गलतियां

5109. **श्री केशवराव पारधी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1982 के लिए दशहरा और दिवाली के लिए भारत सरकार की छुट्टियां क्रमशः 25 और 27 सितम्बर और 16 अक्तूबर की घोषित की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस वर्ष दुर्गा अष्टमी, महानवमी और विजया-दशमी क्रमशः 25, 26 और 27 अक्तूबर को पड़ रही है और दिवाली 15 नवम्बर को पड़ रही है क्योंकि इस वर्ष यथा सम्वत् 2039 विक्रमी में एक और आश्विन है ;

(ग) यदि हां, तो दशहरा और दिवाली की छुट्टियां गलत घोषित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन छुट्टियों को सही दिन के लिए घोषित करने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक विचारधारा ऐसी है जिसके अनुसार इस वर्ष दशहरा और दिवाली अक्तूबर और नवम्बर में पड़ रहे हैं।

(ग) दशहरा और दिवाली की सरकार द्वारा अधिसूचित छुट्टियां पोजीशनल एस्ट्रोनामी सेन्टर, कलकत्ता की सलाह पर आधारित है जो कि इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार की प्राधिकृत एजेन्सी है और जिसने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है और इस प्रकार घोषित की गई ये तारीखें गलत नहीं हैं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस कार्मिकों को महानगर भत्ता

5110. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 में इंसपेक्टर के रैंक तक के पुलिस कार्मिकों को 20 रुपये का महानगर भत्ता दिया जाना था जबकि न्यूनतम वेतन 75 रुपये प्रति मास था ;

(ख) क्या सरकार ने न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि के साथ भत्ते को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो पुलिस कार्मिकों के न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि के साथ-साथ भत्ते का पुनरीक्षण न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) 1967 में कांस्टेबलों/हैड कांस्टेबलों/सहायक उप-निरीक्षकों के लिए 20 रुपये प्रतिमाह की दर से और उप-निरीक्षकों तथा निरीक्षकों के लिए 30 रुपये प्रतिमाह की दर से महानगर भत्ता स्वीकृत किया गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रहन-सहन के खर्च में वृद्धि की प्रतिपूर्ति पुलिस कार्मिकों सहित सरकारी कर्मचारियों को अधिक ऊंची दर से मंहगाई भत्ता देकर की जाती है।

औद्योगिक आकस्मिक महानिदेशालय द्वारा वापिस भेजे गए पुलिस कर्मचारी

5111. **श्री टी० आर० शमन्ना :**
श्री एम० कण्डास्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन औद्योगिक आकस्मिकता महानिदेशालय 1976 में स्थापित किया गया था और राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए थे तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा आसूचना ब्यूरो के समान कुछ युक्तिसंगत की गई शर्तों और निबधंनों पर सभी राज्यों से पुलिस कर्मचारियों की सेवाएं ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति आए थे, उन्हें क्या शर्तें और निबधंन दिए गए थे और उनका इस संगठन में न्यूनतम और अधिकतम सेवाकाल कितना था और उनके शीघ्र वापस जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या कर्नाटक को कोई पुलिस कर्मचारी वापस भेजे गए हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और क्या उनके मामले निपटा दिए गए हैं या नहीं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों को बहाल करने और उनके मामलों को निपटाने के लिए शीघ्र क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) औद्योगिक आकस्मिकता महानिदेशालय की स्थापना उद्योग मंत्रालय के अधीन दिसम्बर, 1976 में की गई थी। तब से निम्नलिखित तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं जो उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से चल रहे हैं :

(1) नई दिल्ली—जनवरी, 1977

(2) बंगलौर—जुलाई, 1977

(3) पटना—फरवरी, 1978

औद्योगिक आकस्मिकता महानिदेशालय के पदों को संभालने के लिए कुछ राज्य सरकारों के समय-समय पर पुलिस कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। अभी तक उनकी सेवाएं अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों जैसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा आसूचना ब्यूरो द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिए गए राज्य पुलिस अधिकारियों पर लागू शर्तों के अनुसार ही युक्तिसंगत बनाई जाती हैं।

(ख) प्रारम्भ से लेकर 1 जून, 1982 तक 46 पुलिस कर्मचारी इस संगठन में आए हैं जो राज्य के पुलिस विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। 31 दिसम्बर, 1977 तक उनकी सेवाओं की अवधि केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू शर्तों के अनुसार बढ़ा दी गई है। 1 जनवरी, 1978 से उनकी सेवाएं वर्षानुवर्ष के आधार पर ऊपर भाग (क) में उल्लिखित किए जाने के आधार पर बढ़ा दी गई हैं। ये शर्तें अभी स्थायी नहीं हैं। औद्योगिक आकस्मिकता महानिदेशालय में इस प्रकार प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधि-

कारियों की सेवा अवधियां लगभग 1 महीने से लेकर 5 वर्षों तक की हैं। प्रशासनिक तथा वैयक्तिक कारणों से कुछ कर्मचारी अवधि समाप्त होने के पहले ही वापस भेज दिए गए थे।

(ग) कर्नाटक पुलिस के तीन कर्मचारी प्रशासनिक आधार पर वापस कर दिए गए थे। उनसे सम्बन्धित कोई भी मामला औद्योगिक आकस्मिकता महानिदेशालय में अनिर्णीय नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत रूस को उपकरण की सप्लाई

5112. **श्री लक्ष्मण मलिक**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित वल्कन लवेल संयन्त्र दूध का पास्च्युरीकरण करने के लिए डेयरी के उपकरण सोवियत रूस को सप्लाई करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित कार्यवाही की गई है और केन्द्र ने उसके प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही करने के लिए स्वीकृति दे दी है ;और

(ग) डेरी उपकरणों की सप्लाई कब की जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) उपलब्ध जानकरी के अनुसार 0.28 मिलियन अमेरिकन डालर मूल्य के दुग्ध पास्चुरीकरण संयन्त्र, टैंकों तथा स्पेयर्स की सप्लाई के लिए सोवियत रूस (मै० टक्नोग्रोम्पइम्पोर्ट, यू० एस० एस० आर०) से पुणे स्थित उद्योग, मै० वल्कन लवेल लिमिटेड को एक क्रयादेश प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जून, 1982 में पहले ही कुछ सप्लाई हो चुकी है, कम्पनी और क्रयादेशों की प्रतीक्षा कर रही है।

बुंदेलखंड में डीजल लोकोमोटिव फैक्टरी की स्थापना

5113. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या उद्योग मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के सहयोग से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के झांसी जिले में एक डीजल लोकोमोटिव फैक्टरी स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और इस फैक्टरी की स्थापना कब की जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ग) इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव के लिए निर्माण सुविधा स्थापित करने का एक प्रस्ताव बी० एच० ई० एल० के विचाराधीन है तथा झांसी, विचार किए जाने वाले स्थलों में से एक है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र के लिए उपकरण की सप्लाई

5114. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र के लिए उपकरण सप्लाई करने हेतु सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन सोवियत रूस के और भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत और सोवियत रूस का दौरा किया था तथा संयंत्र समझौते का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किए गए थे, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और जापान और फ्रांस की तुलना में ये टेंडर सोवियत रूस को देने का निर्णय करने का क्या कारण है; इस्पात की क्या कीमत निर्धारित की गई है और विश्व बाजार में बढ़ते हुए मूल्य को देखते हुए संयन्त्र के कितने लागत पर पूरा होने की सम्भावना है ; और

(घ) संयन्त्र की प्रत्याशित वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी और क्या उसका एक भाग निर्यात किया जायेगा और यदि हां तो किस देश को ?

इस्पात और खाद्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम में लोहे और इस्पात के कारखाने के निर्माण में सहयोग के लिए भारत सरकार और रूस की सरकार के बीच 12 जून, 1979 को हुए समझौते के अनुसरण में 16-11-1981 को विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना और रूस के मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

सप्लाई का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. उपस्कर	30818.881 मीटरी टन
2. इस्पात संरचनात्मक	9779.000 मीटरी टन
3. तापसह ईंटें	30401.000 मीटरी टन

इस बारे में 2-6-81 से 9-7-81 तक बातचीत करने के लिए एक शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था जिसमें मैसर्स त्याजप्रोनेक्सपोर्ट के निम्नलिखित प्रतिनिधि थे।

1. श्री यू० ए० कामनेस्की — उपाध्यक्ष, त्याजप्रोमेक्सपोर्ट
2. श्री पी० एल० क्रोशकीन
3. श्री वी० वी० अल्लाबेव
4. श्री वाई० एस० ओसीपोव
5. श्री ए० ए० चेपीकोच
6. श्री एन० एम० लियोनतेव
7. श्री ए० आई० कोजलोव

8. श्री ई० ए० आईसव
9. श्री ए० वी० स्गैचकोव
10. श्री वी० ए० तालकिन
11. श्री वी० बी० रैवाकोव

भारतीय शिष्टमण्डल में निम्नलिखित प्रतिनिधि थे :

1. श्री के० पी० सेनगुप्त, निदेशक (वित्त) "सेल" ।
2. श्री वी० सुब्रह्मण्यम, प्रबन्ध निदेशक, विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना ।
3. श्री आर० एन० राय चौधरी, वित्त तथा लेखा नियन्त्रक, विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना ।
4. श्री जी० बी० पाण्डे, महा—प्रबन्धक (एम० एम०) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना ।
5. श्री जे० एन० मैनी, उप-निदेशक, "सेल"
6. श्री डी० एन० राव, अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर, विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना ।
7. श्री ए० एन० खेमका, वरिष्ठ प्रबन्धक, "सेल" ।
8. श्री आर० पी० सिंह, प्रबन्धक, विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना ।
9. श्री एन० के० जैन, प्रबन्धक, विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना ।
10. श्री बी० गुप्त, वरिष्ठ रूपांकन इंजीनियर ।

(ग) 12-6-79 को हुए अन्तः सरकारी करार में इस बात की परिकल्पना की गई है कि ऐसे उपस्करों और माल की, जिनका निर्माण भारत में नहीं होता है और न ही जिनकी सप्लाई सोवियत संगठन परियोजना की समय-सूची के अन्दर कर सकते हैं, खरीद अन्य देशों से की जाएगी। चूंकि सोवियत रूस द्वारा इन उपस्करों की सप्लाई उनकी सरकार द्वारा किए जाने वाले रूबल ऋण के अन्तर्गत की जानी है, अतः इन उपस्करों की सप्लाई अन्य देशों से प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपस्करों, संरचनात्मकों और तापसह ईंटों का कुछ लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 152,94,50,250 रुपये है । वर्ष 1981 की अन्तिम तिमाही के मूल्यों के आधार पर विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के संशोधित लागत अनुमान 3897.28 करोड़ रुपये है ।

(घ) इस कारखाने के पूरा हो जाने पर इसकी द्रव इस्पात की वार्षिक उत्पादन क्षमता 34 लाख टन (लगभग 29 लाख टन विक्रेय इस्पात) होगी ।

निर्यात की सम्भावना वास्तविक उत्पादन, आन्तरिक मांग तथा निर्यात बाजार पर निर्भर करेगी ।

11 अगस्त, 1982 को होने वाली सदन की बैठक के लिए
पंजाब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

5115. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्र में उत्तरी क्षेत्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ में परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों का एक दल भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उस दौरे के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या इस दल ने पंजाब में इसी प्रकार का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए उस राज्य के पुराने अनुरोध पर भी चर्चा की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तरी विद्युत क्षेत्रों में नए परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के वास्ते एक समिति बनाई गई है । उस समिति की रिपोर्ट अभी मिलनी है ।

दिल्ली में कार्य कर रहे भर्ती एजेन्सियों द्वारा नौकरी ढूंढ़ने वाले
व्यक्तियों को धोखा दिया जाना

5116. **श्री बी० एस० विजयराघवन :**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्रीमती संयोगिता राणे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान दिल्ली में कार्य कर रहे भरती एजेन्सियों द्वारा नौकरी ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों को धोखा देने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) ऐसी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सितम्बर, 1981 (जब उत्प्रवास का कार्य श्रम मंत्रालय को आवंटित किया गया था) और जून, 1982 की अवधि के दौरान, दिल्ली में कार्य कर रही भर्ती एजेन्सियों द्वारा नौकरी ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों को धोखा देने की 12 शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) एजेन्सियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

सभी मामलों में कार्यवाही की गई है और ये मामले पुलिस को भेज दिए गए हैं ।

विवरण

1. मैसर्स आय स्टाफ मार्किटिंग कन्सलटैंट (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।
2. मैसर्स ब्रिन्दावन इन्टरप्राइजिज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।

3. मैसर्स टाइगर रिक्रुटिंग एजेंसी, नई दिल्ली ।

4. मैसर्स पूजा सेल्स कारपोरेशन, नई दिल्ली ।

5. मैसर्स वर्ल्ड लिंक ट्रेवल्स एजेन्टस, नई दिल्ली ।

6. मैसर्स अपामिज लिंक पर्सनल इन्टरनेशनल, नई दिल्ली ।

7. मैसर्स मल्टीप्लान इण्डिया लि०, नई दिल्ली ।

8. मिस्टर मेहंदी हसन एण्ड मिस्टर फयाज खान, नई दिल्ली ।

9. मैसर्स ओवरसीज मैनपावर, नई दिल्ली ।

10. मैसर्स फारगुड ओलो, नई दिल्ली ।

11. मैसर्स जरीमा बेको ट्रेवल्स, नई दिल्ली ।

12. मैसर्स यूनाइटिड टैक्नीकल कनसलटेंटस, नई दिल्ली ।

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग

5117. **श्री जेवियर अराकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग के कितने करार किए गए हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) भारत में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का कुल आयात कितना होता है और किस प्रकार की वस्तुएं आयात की जाती हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवीराव) : (क) संगठित तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में जो फर्म तथा विदेशी सहयोगकर्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण में लगे हैं, उनकी सूची क्रमश: अनुबन्ध-I तथा II में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 4495/82]

(ख) 4 हवाई अड्डों अर्थात बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास से एकत्रित आयात के आंकड़ों के आधार पर पिछले तीन वर्षों में दिखाई देने वाली आयात की प्रवृत्तियों को अनुबन्ध-III में दर्शाया गया है । इन प्रणालियों और उपस्करों में परीक्षण तथा परिमापन उपस्कर, कम्प्यूटर तथा उनके कलपुर्जे, संचार रेडार तथा अन्य व्यावसायिक उपस्कर शामिल हैं, जिनका आयात डाक तथा तार, रक्षा, आदि जैसे प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा किया जाता है । संघटक पुर्जे तथा सामग्रियां वे हैं, जो इलेक्ट्रानिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा आयात की जाती हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4495/82]

दिल्ली प्रशासन में अभियोजकों के पद

5118. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में अभियोजकों के कितने पद हैं और कितने अभियोजक दिल्ली में महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों में काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने स्थायी हैं ; कितने स्थायीवत् हैं कितने अस्थायी हैं और कितने तदर्थ हैं ;

(ग) ऐसे प्रत्येक अभियोजक की सेवा की अवधि क्या है ;

(घ) क्या उनमें से कुछ की सेवा 10 वर्ष से अधिक है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें अब तक स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अभियोजन निदेशालय ने अभियोजकों की स्वीकृत संख्या 70 है । अभियोजकों के स्वीकृत 70 पदों में से 51 पद इस समय मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों से सम्बद्ध हैं।

70 पदों की स्वीकृत संख्या में से इस समय 59 अभियोजक पद पर हैं और 11 पद खाली पड़े हैं । 59 अभियोजकों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

	15	स्थायी
	1	अर्ध स्थायी
	33	अस्थायी
	10	तदर्थ
जोड़	59	

1973 की नई दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप 43 अभियोजक 1-4-74 को पुलिस विभाग से स्थानान्तरित किये गए थे ।

9 अभियोजक 1977 में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गए थे ।

6 अभियोजक 1980 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किये गए थे।

एक अभियोजक 1982 में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था ।

जो 43 अभियोजक 1-4-1974 से पुलिस विभाग से स्थानान्तरित किये गये हैं उनमें से 15 अभियोजक पहले से स्थायी हैं । स्थायीकरण के लिए शेष 28 अभियोजकों के मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि 2 अभियोजकों ने रिट याचिकाएं दायर कर दी हैं। न्यायालय मामलों को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है । इन अभियोजकों की प्रस्तावित वरीयता के सम्बन्ध में आपत्तियां मांगी गई हैं । स्थायीकरण के उनके मामलों पर उनकी वरियता को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी ।

11 अगस्त, 1982 को होने वाली सदन की बैठक के लिए
देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा से बिजली

5119. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा से देश की विद्युत की पर्याप्त आवश्यकता पूरी करने हेतु तेजी से कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी स्कीम पर विचार करके उसे तैयार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसमें कुल कितना व्यय आयेगा ; और

(घ) इसको कब तक प्राप्त किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सो० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तावित एक दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत सन् 2000 तक 10000 मेगावाट परमाणु बिजली का उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर लेने की योजना है । इस कार्यक्रम में बहुत सी परियोजनाएं शामिल होंगी, जिनपर आने वाली लागत का अनुमान उचित समय पर लगाया जाएगा । छठी पंचवर्षीय योजना में 6 रिएक्टर यूनिट शामिल किए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी । इनमें से दो रिएक्टरों का काम दक्षिणी गुजरात स्थित काकरापार नामक स्थान पर आरम्भ कर दिया गया है । इस काम के लिए मंजूरी जुलाई, 1981 में दी गई थी ।

हिन्दुस्तान लीवर, दिल्ली का कर्मचारियों को उत्पीड़ित करना

5120. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान लीवर दिल्ली में कुल कितने कर्मचारी उत्पीड़ित किए गए ;

(ख) उन कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपो/अभियोगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे कर्मचारियों को अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करने का मौका नहीं दिया गया ; और

(घ) क्या उनको भविष्य निधि, ग्रच्युटी और अन्य लाभों का पूरा भुगतान करने के स्थान पर मामूली रूप से भुगतान किया गथा है और वह भी किश्तों में किया गया है और यदि हां, तो प्रवन्धकों द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध किए गए इस प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन, जो औद्योगिक विवाद के अधीन समुचित प्राधिकरण है, से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान लीवर, दिल्ली के किसी भी कर्मचारी को पदच्युत/ बर्खास्त नहीं किया गया है । तथापि, कुछ व्यक्ति या तो वार्धक्य की आयु पर पहुंचने के बाद सेवा निवृत्त हो गए हैं या उन्होंने स्वैच्छिक निवृत्ति मांगी है । इन सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि और उपदान सहित उनकी देय राशियां एकमुश्त अदा कर दी गई हैं ।

उद्योगों में नम्यकीय घण्टों का आरम्भ किया जाना

5121. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक श्रम विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया है कि औद्योगिक अशांति की समस्या हल करने और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कारखाने में परीक्षण के आधार पर "नम्य समय" (फ्लैक्स टाइम) यथा नम्य कार्य घण्टे की अवधारणा लागू की जाए; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय में ऐसे कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का कार्यकरण और "कैन्डु" प्रासेस का मूल्यांकन

5122. **श्री बाबूराव परांजपे :**
श्री एन० के० शेजवलकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर ऊर्जा स्टेशन एक ऐसा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जिसमें पिछले 12 महीनों के दौरान काम बिना किसी बड़ी बाधा के हुआ ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या परमाणु बिजली के उत्पादन जिसमें "केन्डु" प्रोसेस का प्रयोग होता है की लागत का कोई टैक्नोलाजिकल मूल्यांकन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) अन्य प्रोसेस की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दूसरे परमाणु बिजलीघर में, जो राजस्थान में है, उपस्करों और ग्रिड से सम्बन्धित समस्याएं सामने आती रही हैं।

(ग) से (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव यह है कि प्राकृतिक यूरेनियम तथा भारी पानी पर आधारित रिएक्टर समृद्ध यूरेनियम से चलने वाले रिएक्टरों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से बेहतर हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदूषण से बचाना

5123. **श्री धर्मबीर सिंह :**
श्री डी० पी० यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार देश में औद्योगिक क्षेत्रों को जल, वायु और मिट्टी के प्रदूषण से बचाने के लिये उपायों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा परिष्करण संयंत्र लगाना अनिवार्य करेगी, जहां विभिन्न कारखानों से बड़ी मात्रा में कचरा निकाला जाता है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री श्री (सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) पर्यावरण का वायु तथा जल प्रदूषण से संरक्षण करने के लिए सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किये हैं । अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने के लिए अनेक राज्यों में केन्द्रीय और राज्य बोर्डों की स्थापना की गई है । छान-बीन करने के बाद बोर्ड एक अवधि के लिए बहिस्रावों के बहाने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, परन्तु अनुबद्ध समय के अन्दर उपयुक्त शोधन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर बल देते हैं । नये औद्योगिक एककों के मामले में, बोर्ड इस बात के लिए अपने आपकी संतुष्टि करते हैं कि उद्योग से निस्सारण तथा उत्सर्जन और उद्योग को परिचालित करने के लिए आज्ञा प्रदान करने से पहले पर्याप्त प्रदूषण-नियंत्रण तंत्रों की स्थापना की गई है ।

भारत और बल्गारिया के बीच संयुक्त उद्यम के लिए औद्योगिक लाइसेंस का प्रदान किया जाना

5124. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री बी० वी० देसाई :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्मंत्रालय मतभेदों से भारत और बल्गारिया के बीच 100 प्रतिशत निर्यात उद्यम खतरे में पड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बल्गारिया के उन सहयोगियों को भारी चिन्ता हो गई है, जिन्होंने संयुक्त कम्पनी द्वारा निर्मित चमड़े के दस्तानों की अन्य देशों को सप्लाई करने की हामी भर ली थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय इस संयुक्त उद्यम के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने में विलम्ब कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं कि भारत-बल्गारिया निर्यात उद्यम को और आगे नुकसान न पहुंचे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ङ) जी, नहीं । राज्य व्यापार निगम का मै० इंडस्ट्रियल इम्पोर्टस, सोफिया और एस० ओ० पीरीन, सोफिया के साथ विदेशी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है और 19 जुलाई, 1982 को आशयपत्र जारी कर दिया गया है ।

नई ब्रांड की कारों का निर्माण

5125. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान दो किस्मों के अतिरिक्त अनेक नये ब्रांडों की यात्री कारों का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कारें बाजार में कब तक आयेंगीं और उनके मूल्य क्या होंगे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० तथा मैं० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड का विचार प्राप्त हुई स्वीकृतियों के अनुरूप कुछ ही समय में विभिन्न बाडी नमूनों के नये माडलों की कारें आरम्भ करने का है। सनराइज आटो लिमिटेड, बंगलोर जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत एक एकक है और जो तीन पहियों वाली यात्री कारों का उत्पादन कर रही थी, ने बताया है कि उनका विचार 1983 में एक चार पहिये वाली कार आरम्भ करने का है। मारुति उद्योग लिमिटेड जो एक सरकारी कम्पनी है का विचार जापान की मैं० सुजुकी मोटर कम्पनी के सहयोग से यात्री कारों का निर्माण करने तथा दिसम्बर, 1983 में उत्पादन आरम्भ करने का है। विभिन्न गाड़ियों का मूल्य किये जाने वाले निदेशों, चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम, अन्तर्वस्तुओं की लागत तथा कारखाने के अंदर निर्माण सीमा आदि पर निर्भर होगा।

आस्ट्रेलिया से अफगानिस्तानियों का निष्कासन

5126. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि आस्ट्रेलियाई सरकार ने उन 40 अफगानिस्तानियों को वापस भेज दिया है जो भारत से नकली पासपोर्टों से वहां पहुंचे थे ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें देश में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो इन अफगान राष्ट्रिकों का ब्यौरा क्या है, वे भारत में पहली बार कब आए थे, तथा वे यहां कितने समय तक रहे थे ;

(घ) क्या जब वे भारत में थे उनकी उस समय की गतिविधियों को जानने के लिए कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) नामों और भारत में पहुंचने की तारीख का एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जांच पड़ताल करने से उनके विरुद्ध जाली यात्रा दस्तावेज रखने के

अतिरिक्त अन्य किसी विशिष्ट बात का पता नहीं लगा। इनमें से 17 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाय गया और दोष सिद्ध पाया गया।

विवरण

उन अफगान राष्ट्रिकों के नामों की सूची जिन्होंने 12 जुलाई, 1982 को मद्रास से सिडनी तक इरानी पारपात्रों पर यात्रा की

क्रम सं०	नाम	भारत में आने की तारीख	पहुंचने का स्थान
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल मजीद हमीदी	30-6-80	दिल्ली
2.	श्रीमती अनीशा	—तदैव—	—तदैव—
3.	मास्टर तिमर शाह	—तदैव—	—तदैव—
4.	अहमद सुलेमान	—तदैव—	—तदैव—
5.	शिर्षा	—तदैव—	—तदैव—
6.	कुमारी नजीरा	—तदैव—	—तदैव—
7.	श्री अब्दुल रहीम	4-2-81	—तदैव—
8.	श्री मोहम्मद रहीम दादमुहम्मद	18-3-81	—तदैव—
9.	श्री उस्मान	11-7-81	—तदैव—
10.	हाफीजा	31-10-81	—तदैव—
11.	मोहम्मद हमीद तेहिर	—तदैव—	—तदैव—
12.	कुमारी दीना	—तदैव—	—तदैव—
13.	मोहम्मद जनाइद	—तदैव—	—तदैव—
14.	श्री मोहम्मद तेहिर	—तदैव—	—तदैव—
15.	श्री मोहम्मद असराज	3-3-82	—तदैव—
16.	श्रीमती अब्दुल रहीमा	15-1-77	अटारी रोड,
17.	अब्दुल अली	—तदैव—	—तदैव—
18.	रूकसाना	18-12-81	दिल्ली
19.	सरदाज	—तदैव—	—तदैव—
20.	मोहम्मद नईम मोहम्मद अलीम	1-3-81	—तदैव—

1	2	3	4
21.	श्री हमद फरीद अब्दुल गफ्फूर	14-10-81	—तदैव—
22.	श्री शाह मुहम्मद	—तदैव—	—तदैव—
23.	श्री अहमीद	—तदैव—	—तदैव—
24.	श्री जियाउद्दीन	28-10-81	—तदैव—
25.	श्रीमती शाहपेरियन	28-10-81	दिल्ली
26.	दबाद	—तदैव—	तदैव—
27.	फोना	—तदैव—	—तदैव—
28.	मोहम्मद नादिर	19-10-81	अटारी रोड
29.	श्रीमती महबूबा	—तदैव—	तदैव—
30.	अब्दुल्ला अब्दुल जब्बर	20 4-82	दिल्ली
31.	अजीज नियो अगाबी	6-4-81	—तदैव—
32.	श्री अब्दुल हाई	8-3-31	—तदैव—
33.	श्री एम कादिर	17-5-82	—तदैव—
34.	अहमद हादिक	30-8-76	—तदैव—
35.	अब्दुल रहमीन	27-5-81	—तदैव—
36.	श्री हबीबउल्लाह एच ओबियुदिल्ला	20-3-81	—तदैव—
37.	मोहम्मद आसिफ	19-10-81	अटारी रोड
38.	सराई	—तदैव—	—तदैव—
39.	अब्दुल अबीब सदाह	2-9-81	दिल्ली
40.	श्री हमीद खलील	—तदैव—	—तदैव—

भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड द्वारा कम्प्यूटर किटों का कथित आयात

5127. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 4 जुलाई, 1982 में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड ने विदेशों से कम्प्यूटर किटे प्राप्त की, अपने नाम से उनको पुनः संयोजित किया और कुछ सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों सहित कुछ भारतीय प्रयोक्ताओं को उनकी सप्लाई की ;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र ने प्रयोक्ताओं को वास्तव में आश्वासन दिया था कि उक्त उपस्कर उनके स्वयं निर्मित होंगे ;

(ग) क्या एकस्व कानून का कोई अतिक्रमण हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये जायेंगे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) कम्प्यूटरों में संसाधन के लिए आंकड़े भरने के लिए कम्प्यूटर के प्रयोगकर्ताओं को "आंकड़ा प्रविष्टि प्रणालियों" की आवश्यकता होती है । पहले इस प्रयोजन के लिए पंचकार्ड उपस्करों की आवश्यकता होती थी । पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसके स्थान पर "की टु फ्लांपी डिस्क" अथवा "की टु हार्ड डिस्क" का प्रयोग किया जाता रहा है । भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०), ने वर्ष 1973 में भारत में ब्रिटेन के मेसर्स कम्प्यूटर मशीनरी कार्पोरेशन (सी० एम०सी०) के साथ भारत में सी० एम० सी० द्वारा बनाई गई आंकड़ा प्रविष्टि प्रणालियों(डेटा एन्ट्री सिस्टम) के डिजाइन शुरू करने के लिए बातचीत की । प्रथम आयातित प्रणाली खुद भारतीय इलेक्ट्रांनिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) में ही प्रतिष्ठापित की गई । दूसरी आयातित प्रणाली में भारतीय इलेक्टानिकी निगम लिमिटेड, (ई० सी० आई० एल०) द्वारा यान्त्रिक दृष्टि से संशोधन किया गया और भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) के लेबल के अन्तर्गत बेची गई । इस पर ग्रेट-ब्रिटेन के मैसर्स कम्प्यूटर मशीनरी कार्पोरेशन ने एतराज किया । उसके बाद मेसर्स कम्प्यूटर मशीनरी कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सभी प्रणालियों पर भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड ने ई० सी० आई० एल० के प्रतीक चिन्ह (लोगों) का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड द्वारा अलग से खरीदे गए तथा एकीकृत किए गए उपान्त उपस्करों (पेरीफेरलों) पर ही अपने प्रतीक-चिन्ह का इस्तेमाल किया है। अतः हालांकि पेटेन्ट कानून का कोई उल्लंघन हुआ नहीं प्रतीत होता है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की निर्यात उत्पादन योजना

5128. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने 100 प्रतिशत निर्यात उत्पादन योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं ;

(ग) क्या ऐसी एक परियोजना 12 इन्च वाले टेलीविजन सेटों के निर्यात से सम्बन्धित है और यह भी सच है कि अमरीका को भेजे गए सेट बिना बिके पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना का वास्तविक मूल्यांकन क्या है और उनको वास्तव में लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पिछड़े समुदायों का आर्थिक पुनर्वास

5129. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के कुछ पिछड़े और गैर अधिसूचित समुदायों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रह रहे "लोधा" समुदाय के आर्थिक, पुनर्वास के लिए कोई ऐसे उपाय किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए अब तक की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क), जी हां, श्रीमान। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित गैर-अधिसूचित और पिछड़े समुदायों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और स्कीमों से लाभ होता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित न किए गये गैरअधिसूचित तथा पिछड़े समुदायों की विकास सम्बन्धी जरूरतों पर पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाओं और सामान्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ध्यान दिया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) प्रथम चरण में चार गांवों में 109 लोधा परिवारों का पुनर्वास कार्य शुरू किया गया है। लोधा परिवारों को मकान दिए गए हैं। और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए दो आवासीय स्कूल खोले गए हैं। सभी परिवारों को खेती की भूमि दी गई है। भूमि का सुधार कार्य शुरू किया गया है और बैलों समेत कृषि निवेषों की सप्लाई की गई है। लोधा युवकों के व्यावसायिक पेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध किए गए हैं। रेशम उद्योग शुरू करने सबाई रस्सी आधारित उद्योग आयोजित करने और लोधाओं की भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने का विचार है।

विदेशों में मित्रों और सम्बन्धियों के माध्यम से रंगीन टेलिविजन सेटों का आयात

5130. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीयों द्वारा विदेशों में अपने मित्रों और सम्बन्धियों के माध्यम से कम शुल्क दर पर अथवा विदेशी मुद्रा में शुल्क का भुगतान करके आयात किए जाने वाले रंगीन टेलीविजन सेटों की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो एशियाड के लिए 50,000 से अधिक सेटों की भारी मांग किस प्रकार पूरी करने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त् हुए हैं और सरकार के विचाराधीन हैं। स्थानीय रंगीन दूरदर्शन उद्योग के हितों की रक्षा की जाएगी।

(ग) एशियाड के लिए सरकार द्वारा घोषित तदर्थ नीति के अनुसार ऐसी 22 विद्यमान श्याम तथा श्वेत (ब्लेक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन विनिर्माण यूनिटों की, जिन्होंने वर्ष 1981-82 के दौरान 5, 000 से अधिक सेटों का उत्पादन किया है, रंगीन दूरदर्शन सेटों के संयोजन की अनुमति दी जा रही है।

ऊर्जा को पुन: उपयोग में लाने के साधन

5131. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऊर्जा को पुन: उपयोग में लाने के साधन उत्पन्न करने में कोई ठोस प्रगति की है ;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई वास्तविक योजनाएं क्या हैं ;

(ग) इससे ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी ; और

(घ) क्या कृषि उत्पाद से ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को समन्वित और कार्यान्वित करने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत का आयोग स्थापित किया है। जिन नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और प्रणालियों का विकास किया गया है उनमें सौर जल तापन प्रणालियां, सौर फसल शुष्कक, सौर इमारती लकड़ी के भट्टे, सौर पम्प सौर कुकर, सौर आसवन यूनिट, जल पम्पन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय सेल, पवन पम्प, पारिवारिक तथा सामुदायिक किस्म के जैव गैस संयन्त्र, बैटरीचालित वाहन, और सूक्ष्म जल ऊर्जा एककों के नए डिजायनों को शामिल किया जा सकता है। एक देशव्यापी क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जो इन उपकरणों और प्रणालियों के वाणिज्यिक उत्पादन और व्यापक उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इनमें से कुछ का वाणिज्यिकरण किया जा चुका है अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की स्थिति तक पहुंचने वाले हैं, ऐसी प्रणालियों और उपकरणों के विकास और विनिर्माण में अब कई एक विनिर्माण एकक सक्रिय काम में जुटे हुए हैं। वाणिज्यिकरण को त्वरित करने के लिये वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं। शुरू किए गए अन्य मुख्य क्रियाकलापों में, अनुसंधान तथा विकास का तीव्र-

करण, समय बद्ध लक्ष्यभिमुखी अनुसंधान विकास और उत्पाद/आदि प्ररूप विकास के लिए विशेषीकृत केन्द्र स्थापित करना, और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक सूचना कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) सभी राज्य सरकारों को, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। तदनुसार महाराष्ट्र सरकार ने जिसकी राज्य के लिए सम्बन्धित योजनाएं तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेवारी है, इस सम्बन्ध में दिशा प्रदान करने के लिए ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन नवीकरणीय ऊर्जा एकक स्थापित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सात जिलों में ऐसे 36 एकक पूरे किए जा चुके हैं और इस राज्य के चार और जिलों में 16 एककों को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। राज्य सरकार की सलाह से यह कार्य निरन्तर नए एककों और जिलों में फैल रहा है।

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां विशेष रूप से घरेलू, कृषि और ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। ज्यों-ज्यों विकास होगा और लागतें घटेंगी, ये प्रौद्योगिकियां आहिस्ता-आहिस्ता कम कुशलता प्राप्त ग्रामीण उर्जा आपूर्ति को प्रतिपूरित करने के लिए और उसका स्थान लेने के लिए अधिक से अधिक सहायक सिद्ध होगी।

(घ) ऊर्जा के लिए कृषि उत्पाद और जैव भार के उपयोग पर व्यापक रूप से तथा गहन अन्वेषण हो रहा है। इन अन्वेषणों में ठोस ईंधन के लिए ब्रिकेटिंग के लिए जैव भार के रूप में कृषि अपशिष्टों का उपयोग तथा जैव गैस के उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम के विकल्प के रूप में हाइड्रो-कार्बन पौधों, गैस उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्टों का जैव रूपांतरण, पाय रोलसिस द्वारा तापीय-रासायनिक से मेथेनोल और तेल में रूपांतरित करना, ब्रिकेटिंग आदि शामिल हैं।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा उत्पादन

5132. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन से बड़े औद्योगिक उपक्रम हैं जो इस समय अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों और 30 जून, 1982 तक के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम की लाइसेंस क्षमता और उसका उत्पादन क्या है ;

(ग) क्या इन उपक्रमों द्वारा सरकार की पूर्वास्वीकृति ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन की सूचना केन्द्रीय रूप से उद्योग मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) इस तथ्य को मनाते हुए कि यह जरूरी नहीं है कि अधिक उत्पादन अतिरिक्त क्षमता के फलस्वरूप ही हुआ है और यह भी कि लाइसेंसीकृत क्षमता सम्भवतः अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप नहीं होगी, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) 34 चुने हुए उद्योगों के मामले में अतिरिक्त क्षमता का नियमन करना।

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र पर उत्पादन क्षमता का पृष्ठांकन करना।

(3) व्यवसाय चलाते रहने के लाइसेंसों पर उत्पादन क्षमता का पृष्ठांकन करना।

वर्ष 1982-83 में सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षायें आयोजित करना

5133. **श्री डूंगर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए एक वर्षीय ट्रेड में न्यूनतम 1700 घंटे का तथा दो वर्षीय ट्रेड में न्यूनतम 3400 घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया होना अनिवार्य है, और यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में जुलाई 1982 की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों ने, 1700 अथवा 3400 घंटे का न्यूनतम अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की परीक्षाएं भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में जुलाई, 1981 की परीक्षा में अवैध तरीकों का प्रयोग करने वाले 462 उम्मीदवारों पर परीक्षा में जनवरी, 1982 तक रोक लगा दी गई थी, लेकिन मार्च, 1982 में उन्हें सफल घोषित कर दिया गया था और क्या इन उम्मीदवारों पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश उन्हें भेज दिए गये थे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां। यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के सभी मामलों में प्रति वर्ष प्रशिक्षण की 1700 घन्टे की अपेक्षा को जुलाई, 1982 परीक्षा के लिए पूरा कर लिया गया है या नहीं।

(ख) भारत सरकार केवल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र बनाने तथा उन्हें भेजने और प्रमाणपत्र के रिक्त फार्मों को भेजने के लिए उत्तरदायी है। परीक्षाओं का वास्तविक आयोजन तथा प्रमाणपत्र प्रदान करने का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में आई० टी० आई० परीक्षा में कदाचार

5134. **श्री डूंगर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आई० टी० आई० परीक्षाओं में और प्राइवेट उम्मीदवारों को अनुमति देने में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के बारे में समाचार पत्र में शिकायतें प्रकाशित हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामलें को उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु ला दिया गया है, चूंकि राज्य सरकारें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं ।

केनिया में रुके पड़े भारतीय

5135. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों को देखा है जिसमें कहा गया है कि भारत से गए तीस नवयुवकों, जिन्हें युगान्डा में नौकरियों का आश्वासन दिया गया था और जिन्होंने एयर टिकटों और नौकरी सम्बन्धी औपचारिकताओं के लिए प्रत्येक ने 12,000 रुपये अदा किए थे, को केनिया में एक होटल में अपनी व्यवस्था स्वयं करने के लिए छोड़ दिया गया था ;

(ख) क्या इस मामले में नौकरी दिलाने वाले गिरोह के सरगना व्यक्ति को पकड़ा गया था ; और

(ग) सरकार द्वारा इन युवा निर्दोष भारतीयों की क्या मदद और सहायता की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला पुलिस प्राधिकारियों को भेजा गया है और अभी तक उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ग) नेरोबी में भारतीय उच्चायोग से सूचित किया है कि श्रमिकों को आवश्यक सहायता दी गई और भारत में उनकी वापसी के लिए प्रबन्ध किए गए ।

केन्द्रीय औद्योगिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

5136. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आदेश है कि केन्द्रीय असैनिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी तीन में 10% और श्रेणी चार में कम से कम 20% रिक्त स्थान आरक्षित होने चाहिये ;

(ख) क्या "सी" ग्रेड के स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग 10 प्रतिशत रिक्त स्थान भूतपूर्व सैनिक अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित कर रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के ग्रेड "ग" ग्रेड-II आशुलिपिकों जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, को समूह "ख" (श्रेणी-II) पदों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है और इसलिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार के आरक्षण के उन आदेशों के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं जो केवल समूह "ग" (श्रेणी-III) और समूह "घ" (श्रेणी-IV) पदों पर लागू होते हैं ।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में पदावनति तथा सेवा से हटाया जाना

5137. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में अप्रैल, 1977 से कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदावनति तथा सेवा से हटाये जाने की घटनाएं हुई हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या निवृतमान चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा जारी किए गए आदेशों को पुनरीक्षा के लिए अप्रैल, 1977 में असक्षम प्राधिकार द्वारा और बिना निर्देश पद/मार्गदर्शी सिद्धांत /उद्देश्य तय किये एक समिति गठित की गई थी ;

(ग) क्या नवम्बर, 1977 में नियुक्त किये गए प्रबन्ध निदेशक ने, पिछली तारीखों से पदोन्नतियों के आदेश देकर और कुछ अन्यों को भिन्न मापदंड/नियमों लागू का पालन किये गए बिना उनको बहाल करके पद्दावतियों/सेवा से हटाये जाने के आदेश देने में अपनी शक्तियों का प्रतिक्रमण किया है ; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार की कार्यवाहियों के कारण कर्मचारियों में उत्पन्न शिकायतों को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) अप्रैल, 1977 और दिसम्बर, 1979 के दौरान निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को कार्य से हटाया और पदावनत किया गया था :

(1) 126 तदर्थ और दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को जिन्होंने सेवा के 240 दिन पूरे नहीं किए थे, कार्य से हटा दिया गया था ।

(2) पुनः रोजगार पर लगाये गए 8 कर्मचारियों को उनकी अवधि समाप्त हो जाने पर कार्य से हटा दिया गया था ।

(3) ठेके के आधार पर नियुक्त किए गए 24 कर्मचारियों को उनकी कार्य अवधि समाप्त हो जाने पर कार्य से हटा दिया गया था ।

(4) प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे 38 कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में पदावनत कर दिया गया था।

(5) विशिष्ट वेतन मान में प्रोन्नत 65 कर्मचारियों को संवीक्षा के बाद पदावनत कर दिया गया था।

(ख) अध्यक्ष महोदय ने निवर्तमान अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक द्वारा पारित आदेशों की संवीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था।

(ग) 1800 रु० और 1600 रुपयों से अनधिक वेतनमान वाले पदों पर नियुक्तियों और पदोन्नतियों के संबंध में निदेशक मंडल ने अपने 7-5-1977 को हुई बैठक में सभी शक्तियां क्रमशः अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक में प्रत्योजित कर दिया था।

(घ) 25-9-1981 को हुई अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने पदोन्नति आदि संबंधी मामलों की, जिनके बारे में 15-3-1977 के बाद आदेश दिए गए थे, संवीक्षा करने के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति को अपनी सिफारिशें दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी जो उन पर अन्तिम निर्णय लेंगे।

जौनपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में एल्यूमीनियम परियोजना की स्थापना करना

5138. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 500 करोड़ रुपये लागत वाली 6 लाख टन प्रतिवर्ष एल्यूमीनियम परियोजना स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित की जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो बहुत पिछड़ा हुआ है, में स्थापित की जाने वाली सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) एल्यूमिनियम एक भारी पूंजी खपत का उद्योग है। अतः पूंजी निवेश योजनाबद्ध विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप करना होता है। इसके अलावा कोई एल्यूमिनियम संयंत्र आर्थिक दृष्टि से तभी उपादेय होगा जब उचित लागत पर अपेक्षित ग्रेड का बौक्साइट तथा पर्याप्त और नियमित बिजली उपलब्ध होती रहे। अतः पूंजी लगाने का निर्णय लेने से पहले विस्तृत साध्यता अध्ययन करने होते हैं।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि० तथा हिन्दुस्तान एरोना-

टिकल लि० पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ परियोजनाएं चला रहे हैं। जौनपुर में राज्य सरकारी क्षेत्र में एक कताई मिल स्थापित की जा रही है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती

5139. **श्री डूंगर सिंह :**
श्री रास बिहारी बहेरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती के लिए 1976 में बनाए गए पैनल को कुछ व्यक्तियों को नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद रद्द कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त पैनल को रद्द कर दिए जाने के बाद दो और पैनल बनाए गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो 1976 के रद्द किए गए पैनल को 1978 में दोबारा चालू करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कोका कोला निर्यात निगम समाप्त करना

5140. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला निर्यात निगम को भारत से अपना काम समाप्त करने के लिए दी गई समय-सीमा क्या है ; और

(ख) यह समय-सीमा कितनी बार बढ़ाई गई थी और वे अन्तिम रूप से अपना काम कब तक समाप्त कर देंगे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) कोका कोला निर्यात निगम का भारत में अपना काम समाप्त करने के लिए प्रारम्भ में 31 मार्च, 1979 तक का समय दिया गया था और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। अन्तिम बार बढ़ाई गई अवधि 30 सितम्बर, 1982 तक है।

कोका कोला निर्यात निगम ने अपनी व्यापारिक, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक गतिविधियां बन्द कर दी हैं। किन्तु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा उनको कराधान संबंधी कुछ बकाया मामलों के निपटाने, परिसम्पत्तियों की बिक्री करने आदि के लिए भारत में अपना कार्य समाप्त करने के लिए एक कार्यालय रखने की इस शर्त पर अनुमति दी है कि वे अपने कार्य समापन की प्रगति के सम्बन्ध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को भेजते रहेंगे। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के लिए भारत में इनके कार्य संचालन संबंधी सभी बकाया मामलों के निपटाये जाने तक के

लिए कुछ और समय बढ़ाना आवश्यक हो सकता है और इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी उनके द्वारा भेजी जाने वाली तिमाही विवरणी से मिलती रहती है।

देश में निर्मित हल्के पेय (साफ्ट ड्रिंक्स) को बढ़ावा देना

5141. **श्री आर० एन० राकेश**
श्री रतन सिंह राजदा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला के चले जाने के बाद देश में निर्मित हल्के पेय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार अब भारतीय बाजार में किसी विदेशी ब्रांड के हल्के पेय को शुरू करने की अनुमति देगी जो देश में निर्मित हल्के पेय उद्योग के विकास के लिये हानिकारक हो सकता है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) कोका कोला के चले जाने के बाद बहुत से देशी रूप से विकसित मृदु पेय बाजार में आ गए हैं।

(ख) जी, नहीं। सरकार किसी भी विदेशी नाम (ब्रान्ड) वाले मृदु पेय को भारतीय बाजार में आने की अनुमति नहीं देगी जो कि देशी मृदु पेय उद्योग के लिए हानिकारक हो।

'ड्राउट एनिमल पावर सिस्टम' में सुधार करने की योजना

5142. **श्रीमती ऊषाप्रकाश चौधरी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 'ड्राउट एनिमल पावर सिस्टम' में सुधार करने के लिए सरकार के विचाराधीन योजनाएं कौन सी हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सरकार के विचाराधीन योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :

(1) बैलगाड़ियों में सुधार,

(2) उन्नत पशु चालित पम्पों और अन्य मशीनों का विकास,

(3) उन्नत पशु पालन योजनाएं, हारनेसिंग और जुआ प्रणाली।

लघु सीमेंट संयंत्र

5143. **श्रीमती ऊषाप्रकाश चौधरी :**
श्री अजित कुमार साहा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस मंजूर किये गये थे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार वे कहां-कहां स्थित होंगे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : देश में मिनी सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने के लिए योजनाओं को स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

देश में मिनी सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने के लिए योजनाओं को स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र०	पार्टी का नाम	स्थान	लाइसेंस संख्या और दिनांक	क्षमता मी० टन/ वार्षिक
1	2		3	4
1.	**आन्ध्र प्रदेश**			
1.	मै० डकन सीमेंट्स लि०	ग्राम महाकाली गुडम तहसील हजूरनगर जिला नालगोण्डा (आ० प्र०)	सी० आई० एल० 288 (80) दि० 9-10-80	66,000
2.	मै० काकतिया सीमेंट्स लि०	तहसील हजूर नगर जिला नालगोण्डा (आ० प्र०)	सी० आई० एल० 294 (80) दि० 13-10-80	66,000
3.	मै० सोमेश्वर सीमेंट्स लि०	ग्राम रेगनघाट तहसील आसिफाबाद जिला आदिलाबाद (आ० प्र०)	सी० आई० एल० 206 (81) दि० 5-8-81	66,000
4.	मै० नागार्जुन सीमेंट लि०	तहसील हजूरनगर जिला नालगोण्डा (आ० प्र०)	सी० आई० एल० 186 (81) दि० 29-7-81	66,000
2.	**गुजरात**			
5.	मै० श्रीराम सीमेंट लि०	तहसील दांता जिला बनासकांठा (गुजरात)	सी० आई० एल० 282 (81) दि० 24-9-81	66,000
3.	**महाराष्ट्र**			
6.	मै० हरीगंगा सीमेंट लि०	तहसील राजूरा जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	सी० आई० एल० 305 (81) दि० 19-10-81	66,000

1	2	3	4
4. राजस्थान			
7. मैं० स्वदेशी सीमेंट लि०	कोटपुतली जिला जयपुर (राजस्थान)	सी० आई० एल० 336 (81) दि० 10-11-81	66,000
5. उत्तर प्रदेश			
मैं० ए०आर०सी० सीमेंट लि०	तहसील् गुनियाल गांव जिला देहरादून (उ० प्र०)	सी० आई० एल० 292 (81) दि० 14-10-81	60,000

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, दिल्ली में अधिकतम आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति

5144. **श्री डूंगर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के कार्यालय में व्यक्तियों की, जो कि नियुक्ति के समय अधिक/कम आयु के थे, नियुक्ति में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों की जांच के परिणाम क्या हैं ; और

(ग) ऐसी अनियमित नियुक्तियों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आरोपो की जांच की जा रही है ।

दिल्ली में हत्या की घटनाओं में वृद्धि होना

5145. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों में दिल्ली में हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में हुई हत्याओं का ब्योरा क्या है ;

(ग) हत्या की घटनाओं में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) और (ख) गत चार वित्तीय

वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हत्या के मामलों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए हैं :

1978-79	177
1979-80	189
1980-81	192
1981-82	207

1981-82 में सूचित किए गए हत्या के मामलों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) हत्या के मामलों में वृद्धि के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया जा सकता है। हत्या की प्रत्येक घटना की अपनी पृथक विशेषता होती है। कभी-कभी हत्याएं पुरानी दुश्मनी के कारण की जाती हैं तथा कुछ अकस्मात उत्तेजना के कारण होती हैं। अन्य हत्याएं इर्ष्या, प्रतिस्पर्धा अथवा मनोविकार के कारण हो सकती है, इनका उद्देश्य लाभ अथवा बाधा को हटाना हो सकता है।

(घ) चूंकि अधिकांश हत्याएं व्यक्तिगत कारणों से और तत्काल की जाती हैं अत: निवारक के उपाय के रूप में बहुत कम कार्रवाई की जा सकती है।

एकाधिकार गृहों में उद्योगों में होने वाले लाभ तथा कर्मचारियों के वेतन में हुई वृद्धि के बीच अनुपात

5146. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में एकाधिकार घरानों द्वारा अपने उद्योगों में अर्जित लाभ और कर्मचारियों के वेतन में हुई वृद्धि का अनुपात क्या है ; और

(ख) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) एकाधिकार घरानों और उनके औद्योगिक उपक्रमों के बारे में मजदूरी आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। लाभों तथा श्रमिकों की वेतन-वृद्धियों के बीच अनुपात के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

सीमेंट मजदूरों का कार्यभार

5147. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप देश में सीमेंट मजदूरों के कार्यभार में कोई वृद्धि न हो ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : मजदूरी के पुनरीक्षण सहित सीमेंट श्रमिकों की मांगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (क) के अधीन विवाचन के लिए निर्देशित कर दिया गया है। विवाचन में श्रमिकों और प्रबंधतंत्र दोनों के हित रक्षण का ध्यान रखा जाएगा।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड की एल्यूमिनियम परियोजना में कार्य कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों का कोरवा परियोजना में स्थानांतरण

5148. **श्री बापू साहिब परूलेकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेट की एल्यूमिनियम परियोजना में कार्य कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों का कोरवा परियोजना में स्थानांतरण किया गया है और यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम क्या हैं और वे किस पद पर थे ;

(ख) क्या विभिन्न पदों में रत्नागिरी में कोई नियुक्तियां की गई हैं ;

(ग) क्या अन्य कर्मचारियों को भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के अन्य एककों में जाने अथवा नौकरी छोड़ देने के लिए नोटिस जारी किए गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) श्री डी० एल० येओलकर, ग्रेड-3 अधिकारी को कोरबा में ग्रेड-4 में पदोन्नति पर स्थानांतरण के आदेश दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

ड्यूटी पदों पर स्थानापन रूप से कार्य कर रहे "डी० ए० एन० आई० सी० एस०" के अधिकारी

5149. **डा० गोलम याजदानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० ए० एन० आई० सी० एस० के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो दस वर्षों से अधिक समय से ड्यूटी पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कौन-कौन से अधिकारी किस तारीख से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं जिन्हें दिनांक 12 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना द्वारा मूल पद पर नियुक्त किया गया था और वर्ष 1978 में नियमित नियुक्ति के लिए इनकी दोबारा सिफारिश की गई थी ;

(ग) क्या क्रमशः दिल्ली प्रशासन बनाम सी० बी० शर्मा (एल० पी० ए० 39/1977) और बालेश्वर दास और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार उनकी स्थानापन्न सेवा की समस्त अवधि वरिष्ठता और परिणामस्वरूप प्राप्त सुविधाओं के लिए गिनी जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) 12(बारह)।

(ख) क्रम सं०	अधिकारियों का नाम	ड्यूटी पदों पर लगातार स्थानापन्न रूप से कार्य करने की तारीख
1.	सर्वश्री आर० एस० माथुर	2-4-68
2.	आर० के० चावला	6-9-67
3.	सर्वश्री नूर अहमद	8-2-71
4.	एफ० एस० रिआजुद्दीन	28-5-71
5.	बी० चक्रवर्ती	22-11-71
6.	लक्ष्मन सिंह	26-12-68

उक्त अधिकारियों की नियमित नियुक्ति इस मंत्रालय की दिनांक 12-9-73 की अधिसूचना में अधिसूचित की गई थी परन्तु इसको सिविल रिट याचिका सं० 1215/73-चन्द्रगुप्त बनाम भारत संघ में दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थान आदेश के कारण लागू नहीं किया जा सका।

(ग) तथा (घ) दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा में वरिष्ठता दिल्ली अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा नियम, 1971 के नियम, 29 के अनुसार निर्धारित की जाती है। इन दो निर्णयों की जांच दिल्ली अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा अधिकारियों की वरिष्ठता के निर्धारण से उनके सम्बन्ध का अध्ययन करने के लिए की जानी है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास योजनायें

5150. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से अपर्याप्त प्रत्युत्तर मिलने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र की विकास योजनायें खटाई में पड़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ बड़े राज्य सर्वाधिक दोषी हैं ;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास योजनाओं को पूरी तरह से कार्यान्वित करें, और

(घ) जिन राज्यों ने पूरी तरह से योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया है उनके मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाओं और जनजातीय उप-योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन के महत्व के सम्बन्ध में राज्यों पर जोर देती रही है। यह पत्रों द्वारा, योजना आयोग में विचार विमर्श द्वारा जिनसे गृह मंत्रालय सम्बद्ध है और

राज्यों के दौरों द्वारा किया जा रहा है। विशेष कम्पोनेंट योजनाओं और जनजातीय उपयोजनाओं का कार्यान्वयन अप्रैल, 1981 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा योजना मंत्रियों की बुलाई गई बैठक के लिए कार्यसूची में भी एक मद था। इस पर जुलाई, 1981 में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया गया था, जिसमें इन सभी कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन तथा प्रबोधन की आवश्यकता पर पूर्ण सहमति थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तीव्र विकास को नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है जिसका राज्यों द्वारा पूरी तरह प्रबोधन किया जा रहा है।

स्टेशन हाउस अधिकारी (एस० एच० ओ०) के रूप में कार्य कर रहे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर

5151. **श्री बनवारी लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के कितने इंस्पेक्टर गत 10 से 15 वर्षों में स्टेशन हाउस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक इंस्पेक्टर को स्टेशन हाउस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अवसर दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) जहां तक संभव होता है, दिल्ली पुलिस के प्रत्येक निरीक्षक को थानों समेत दिल्ली पुलिस की विभिन्न शाखाओं में बारी-बारी से लगाया जाता है।

दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थानाध्यक्ष

5152. **श्री बनवारी लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं ;

(ख) दिल्ली पुलिस में थानाध्यक्ष के रूप में इंस्पेक्टरों की नियुक्ति करने के क्या मानदण्ड हैं ; और

(ग) इस समय दिल्ली के प्रत्येक जिले में थानाध्यक्ष के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने इंस्पेक्टर नियुक्त हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) :

(क) जिला	थानों की संख्या
1. उत्तरी जिला	15
2. केन्द्रीय जिला	10

3. दक्षिणी जिला	14
4. पूर्वी जिला	9
5. पश्चिमी जिला	9
6. नई दिल्ली जिला	6
7. अपराध और रेलवेज	2
8. दिल्ली हवाई अड्डा	1
जोड़ :	66

(ख) जहां तक सम्भव है दिल्ली पुलिस के प्रत्येक निरीक्षक को थानों समेत दिल्ली पुलिस की विभिन्न शाखाओं में बारी-बारी से लगाया जाता है। थानाध्यक्ष के पद के लिए अधिकारियों का चयन कार्य निष्पादन तथा अनुभव के आधार पर किया जाता है।

(ग) अनुसूचित जाति के तीन निरीक्षक हैं जो इस समय थानाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और एक अपर थानाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। अनुसूचित जनजाति का कोई निरीक्षक इस समय थानाध्यक्ष/अपर थानाध्यक्ष के रूप में तैनात नहीं किया गया है।

दिल्ली पुलिस के इंसपेक्टरों, और सब इंसपेक्टरों, को केन्द्रीय खुफिया पुलिस प्रशिक्षण

5153. **श्री बनवारी लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के कितने इन्सपेक्टरों को केन्द्रीय खुफिया पुलिस प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ख) क्या गृह मंत्रालय के ऐसे आदेश हैं कि केन्द्रीय खुफिया पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों पर तथा अन्वेषण कार्य के लिये नियुक्त किया जाना चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस द्वारा इन आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) 48 निरीक्षकों तथा 67 उप-निरीक्षकों ने जनवरी, 1977 से 30 जून 1982 तक केन्द्रीय खुफिया पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(ख) से (घ) ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। फिर भी, यह वांछनीय है कि पुलिस कार्मिकों की सेवाएं उन कार्यों में उपयोग की जाएं, जिनके लिए उन्होंने विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और जिलों/यूनिटों में तैनातगी करते समय इसको ध्यान में रखा जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के बीच बोनस के भुगतान में असमानता

5154. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत दो समकक्ष संगठन हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक संगठन के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ दूसरे संगठन के कर्मचारियों को भी दिए जाते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बोनस के भुगतान के मामले में उपरोक्त नीति का पालन नहीं किया गया है, चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को 23 दिन की मजदूरी के बराबर बोनस दिया गया है, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को केवल 10 दिन की मजूरी के बराबर बोनस दिया गया, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित रूप से बताया है :

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं : एक संगठन के कर्मचारियों को स्वीकृत लाभों का विस्तारण दूसरे संगठन के कर्मचारियों को स्वतः नहीं हो जाता।

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा तैयार की गई और निगम द्वारा अनुमोदित उत्पादकता सम्बद्ध बोनस स्कीम के आधार पर बोनस दिया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए भी उत्पादकता सम्बद्ध बोनस स्कीम तैयार कर रही है। इस स्कीम को अन्तिम रूप देने तक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को वर्ष 1980-81 के लिए तदर्थ आधार पर 10 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया गया।

पिछड़े राज्यों में सीमेंट कारखानों की स्थापना करना

5155. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में पिछड़े राज्यों में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये उनके मंत्रालय को गैर-सरकारी क्षेत्र से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए कोई गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ग) 1981-82 के दौरान निजी क्षेत्र के प्रवर्तकों से केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिलों में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु 48 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इनमें से 14 को आशय-पत्र स्वीकृत कर दिया गया है, 27 रद्द किए गए हैं और 7 अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

उड़ीसा में धेनकनाल में इस्पात पिण्ड और बिलेट निर्माण एकक की स्थापना करना

5156. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में धेनकनाल में इस्पात पिण्ड और बिलेट निर्माण एकक की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो धेनकनाल में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उपरोक्त एकक की अनुमानित लागत क्या होगी ;

(ग) उपरोक्त एकक में कब तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) प्रति वर्ष 18,000 टन इस्पात पिण्ड/बिलेट का उत्पादन करने के लिए 31-12-1981 को श्री एस०एस० सिंहदेव को एक आशय-पत्र जारी किया गया है। यह इकाई उड़ीसा राज्य के किसी पिछड़े जिले में लगाई जानी है। आवेदक ने दो स्थानों के बारे में बताया है जिनमें से एक स्थान धेनकनाल (पिछड़ा जिला) में है।

(ख) आवेदक के अनुसार कारखाने और मशीनरी का प्रस्तावित पूंजी-निवेश 130.24 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) आशय-पत्र जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है। आवेदक ने सूचित किया है कि वह आशय-पत्र को कार्यान्वित करने लिए प्रभावी कदम उठा रहा है।

उद्योगों की रुग्णता में वृद्धि

5157. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में रुग्णता में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या वह इन क्षेत्रों का पता लगाएंगे ;

(ग) इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(घ) क्या नियोक्ता अपनी एककों को बन्द करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ले रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन नियोक्ताओं और उनकी एककों के क्या नाम हैं जो गत 18 महीनों के दौरान बन्द किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, जो वाणिज्यिक बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करता है, गत तीन वर्षों में देश के रुग्ण औद्योगिक एककों का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	दिसम्बर, 1979 को	दिसम्बर, 1980 को	जून 81 के अन्त तक (अनन्तिम)
1. बड़े एकक (एक करोड़ रु० और उससे अधिक की बैंक ऋण सुविधा का लाभ उठाने वाले एकक)	378	409	422
2. मझोले एकक (एक करोड़ रु० से कम बैंक ऋण का लाभ उठाने वाले लघु एककों से भिन्न एकक)	1013	992	960
3. लघु एकक	20,975	23,149	22,360
कुल	22,366	24,550	23,742

बैंकों की धारणा के अनुसार, प्रबन्ध की कमियां (कुप्रबन्ध और धन का दिशान्तर करना आदि सहित) दोषपूर्ण प्रारम्भिक योजना, तकनीकी कमियां, श्रमिक असंतोष, बाजार की मंदी, बिजली की कमी और कच्चे माल की कमी, उद्योग में रुग्णता का मुख्य कारण रही हैं।

(ग) देश में औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती घटनाओं की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए कुछ नीतिविषयक अभ्युपायों की घोषणा की है। मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं लोकसभा में दिनांक 21-7-82 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2067 के उत्तर में प्रस्तुत कर दी गई है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ण) जिसके अधीन किसी औद्योगिक एकक को बन्द करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित था, उच्चतम न्यायालय द्वारा सितम्बर, 1978 में विखण्डित कर दी गई थी। तभी से एकक बन्द करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

सीमेंट की कमी

5158. श्री दिगम्बर सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरी मूल्य नीति के बावजूद और अभी हाल में पुनः सीमेंट की कमी हो गई है और सीमेंट की बोरी सरकार द्वारा मुक्त बिक्री कोटे के लिए निर्धारित मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या व्यापारी बाजार में यह कमी पैदा करने के लिए हेराफेरी कर रहे हैं, और जरूरतमन्द लोग मुंह मांगे दाम देने के लिए मजबूर हैं ;

(ग) क्या दूसरी समस्या यह है कि व्यापारी और भंडारी लोग इसमें मिलावट कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार किस प्रकार इसे रोकने का विचार करती है ; और

(घ) क्या किसी सरकारी अभिकरण द्वारा भंडारियों के माल गोदामों से सीमेंट के नमूने लेने हेतु अचानक जांच की जा रही है और उसमें मिलावट का पता लगाने के लिए सीमेंट का परीक्षण किया जा रहा है तो किस प्रकार, यदि नहीं, तो कारण ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट की कुल मांग की तुलना में देश में समग्र सीमेंट की कमी है । अन्य बातों के साथ क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करके देश में ही अधिक उत्पादन प्राप्त करने के विचार से सीमेंट पर से आंशिक विनियंत्रण योजना को 28-2-1982 से लागू किया गया था । संभरण की कमी को पूरा करने के लिए सीमेंट को वर्ष 1982-83 की आयात और निर्यात नीति में चुनिंदा सामान्य खुले लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत रखा गया है । सीमेंट की आंशिक विनियंत्रण योजना के अन्तर्गत गैर-लेवी वाले सीमेंट को मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त खुले बाजार में बेचा जाता है । फिर भी सीमेंट मैन्युफैक्चर्स एसोशिएसन ने देश के विभिन्न भागों में सीमेंट के अधिकतम मूल्य निर्दिष्ट कर दिए हैं । जहां कहीं देश के किसी भी भाग में गैर-लेवी वाले सीमेंट की अनुपलब्धता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तब कमी के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु सीमेंट उत्पादकों पर दबाव डालने के लिए उपाय किए जाते हैं ।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यदि कोई कदाचार हों तो उन पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं । क्योंकि इस बारे में राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा विवरण नहीं रखा जाता है ।

ताइवान से 8000 टन सीमेंट का आयात

5159. श्री दिगम्बर सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ताइवान से 8000 टन सीमेंट के आयात के लिए सिंगापुर की एक एजेंसी के साथ करार किया है जिसका समाचार कलकत्ता से प्रकाशित "बिजिनेस स्टेन्डर्ड" दिनांक 15 जुलाई, 1982 में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे का ब्यौरा क्या है, कलकत्ता में इस आयातित सीमेंट की लागत बीमा भाड़ा सहित का क्या मूल्य है और भुगतान की रीति क्या होगी तथा किस मुद्रा में भुगतान होगा ;

(ग) यह मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के मुकाबले में कैसा है और सिंगापुर की इस एजेंसी को कितना कमीशन दिया जा रहा है ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने इस सौदे की स्वीकृति दी है और यह मूल्य कोरिया तथा अन्य देशों से आयातित सीमेंट के मुकाबले में कैसा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (घ) वेस्ट बंगाल एसेन्शियल कॉमेडिटीज सप्लाई कारपोरेशन ने सूचित किया है कि उन्होंने सिंगापुर के एक संभरण-कर्त्ता और एक भारतीय एजेन्ट के माध्यम से ताइवान से 8,000 मी० टन सीमेन्ट के आयात की व्यवस्था की है । यह निगम सीमेन्ट के आयात की 1982-83 की निर्यात-आयात नीति के पैरा 119 के उपबन्धों के अधीन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित अभिकरण है । इन उपबन्धों के अधीन, नामित अभिकरण वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से सीमेन्ट, जो अब चयनात्मक खुले सामान्य लाइसेन्स पर है, का आयात करने के पात्र हैं और इसके लिए केन्द्र सरकार की कोई भी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ।

रेयन और सिंथेटिक फायबर बनाने वाले एककों के कारण प्रदूषण

5160. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि रेयन और सिंथेटिक फायबर बनाने वाले एकक जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम तथा जल नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करके उनके द्वारा छोड़े गए निसरणी के कारण वातावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के आसपास के क्षेत्रों में इस औद्योगिक जन-संहार को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इन एककों से किसी के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) रेयन तथा सिंथेटिक रेशा बनाने वाले उद्योग अत्यन्त प्रदूषण कारी हैं और उनके बहिस्राव कार्बनिक द्रव्य और ठोस अन्तर्वस्तु में नितान्त उच्च हैं । देश में 28 निर्माणकारी एककों में से, अभी तक केवल 18 एककों ने बहिस्राव शोधन की व्यवस्था की है । तीन एककों ने शोधन के लिए आंशिक व्यवस्था की है ।

जून 1982 में, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने मानव-निर्मित रेशों वाले उद्योगों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए अल्पतम राष्ट्रीय मानक विकसित किये और अपनाये । अल्पतम राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए एककों के लिए एक कार्यान्वयन समय-सारणी तैयार की गई है।

कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए देश में विभिन्न एककों का निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिकारियों के एक दल को प्रतिनियुक्त भी किया गया है।

(ग) अपने बहिस्रावों को बहाने के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने के लिए, केरल के मैसर्स ग्वालियर रेयन लिमिटेड के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। बाकी कारखानों को प्रदूषण उपशमन संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

"फारेन एसाइनमेंट सैक्शन" में कार्य कर रहे कर्मचारियों का बारी-बारी से बदलना

5161. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में "फारेन एसाइनमेंट सैक्शन" में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को एक शाखा/सैक्शन से दूसरी शाखा/सैक्शन में बारी-बारी से बदला जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सैक्शन में कार्य कर रहे सहायक/अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव कब से अपने इस पद पर हैं—अवर सचिव के मामले में अनुभाग अधिकारियों के रूप में रुकने की अवधि सहित इस सैक्शन में उनकी रुकने की कुल अवधि क्या है : और

(ग) क्या इन व्यक्तियों के हाथों में व्यापक संरक्षण को देखते हुए सरकार का विचार स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों विशेष रूप से अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों को बारी-बारी से बदलने की वांछनीयता पर सोचने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक अधिकारी के रुकने की अवधि के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) बारी-बारी से बदलने की पद्धति पहले से ही प्रचलित है और कर्मचारियों को प्रशासनिक सुविधा और वांछनीयता के आधार पर बारी-बारी से एक शाखा से दूसरी शाखा में बदला जाता है।

विवरण

विदेश नियुक्ति अनुभाग में कर्मचारियों अर्थात् अवर सचिवों, अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	अधिकारी का नाम तथा पदनाम	विदेश नियुक्ति अनुभाग में तैनाती की तारीख
1	2	3
1.	श्री ओ० पी० डंग, अवर सचिव	1-7-81
2.	श्री हजारा सिंह, अवर सचिव	1-7-81
3.	श्री एन० के० शारद, अनुभाग अधिकारी	23-9-80
4.	श्री मोहिन्दर नाथ, —वही—	16-11-81

1	2	3	4
5.	श्री आर० सी० कौरा	—वही—	5-4-82
6.	श्री गुरबक्स लाल	—वही—	15-7-82
7.	श्री पी० के० अग्रवाल	—वही—	14-7-82
8.	श्री पी० एन० भाटिया,	सहायक	3-10-76
9.	श्री आर० एल० मिनोचा	—वही—	24-10-72
10.	श्री आर० पी० शर्मा	—वही—	13-2-68
11.	श्री रामफल सिंह	—वही—	21-8-76
12.	श्री विजय कुमार	—सहायक	30-8-77
13.	श्री विलियम कुजुर	—वही—	12-2-81
14.	श्री एन० एल० दुराद	—वही—	9-7-82
15.	श्री राम लाल	—वही—	जून, 1981
16.	श्री डी० आर० मेंहदीरत्ता	—वही—	24-7-81
17.	श्री हरि सिंह	—वही—	10-3-81
18.	श्री एस० एल० घमीजा	—वही—	22-7-81
19.	श्री नरेन्द्र सिंह	—वही—	3-4-82
20.	श्री राजीव बत्रा	तकनीकी सहायक	11-2-80

उद्योगपतियों द्वारा एककों को मनमाने रूप से बन्द किया जाना

5162. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगपति सरकार की पूर्वानुमति लिये बिना ही अपने एककों को बन्द कर रहे हैं, और इस प्रकार श्रमिकों को बेरोजगार बना रहे हैं ;

(ख) क्या उद्योग में अच्छे एककों को रुग्ण बनाने और इस प्रकार मनमाने रूप से इन्हें बन्द करने के मामले, विशेषकर पश्चिम बंगाल से, सरकार के नोटिस में आए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इन एककों को बन्द होने से रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ग) एकक को बन्द करने के लिए सरकार की पूर्व-अनुमति लेना जरूरी नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-0 को जिसके अन्तर्गत पहले ऐसी अनुमति लेना आवश्यक था, सितम्बर, 1978 में उच्चतम न्यायालय द्वारा विखंडित कर दिया गया था।

देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०) के अस्पतालों की संख्या

5163. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा के कुल कितने अस्पताल हैं ;

(ख) उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा के कुल कितने अस्पताल हैं और वे कहां पर स्थित हैं ; और

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में विशेषकर खनन क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा के नए अस्पताल खोलने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) 81 अस्पताल

(ख) चार अस्पताल, चौद्धार, कंसाबहल, ब्रजराजनगर, और जेकेपुर में एक-एक अस्पताल।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने राउरकेला में एक नया अस्पताल स्थापित करने का निर्णय किया है जिसके लिए जमीन का पता लगाया जा रहा है।

उड़ीसा में आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनायें

5164. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आदिवासियों के कल्याण के लिये शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) हाल ही में शुरू की गई आदिवासी उप-योजना के लिये संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान सरकार ने कितनी संस्थाओं को सहायता दी है और वर्ष 1981-82 और जून, 1982-83 तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) तथा (ख) आरम्भ की गई योजनाओं और की गई प्रगति का एक विवरण संलग्न है।

(ग) क्षेत्रों के लिये संशोधित क्षेत्र विकास नीति के अंतर्गत विकास खण्डों के अतिरिक्त किसी संस्थान के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। क्षेत्रों में परिवार शामिल किए जाने और अन्तःसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं अतः क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में जनजातीय जनसंख्या सामुदायिक लाभ की योजनाओं से लाभान्वित होती है।

विवरण

जनजातीय-उप-योजना क्षेत्र में अन्तःसंरचना के विकास के लिये अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने, संचार का विकास करने, पेयजल की व्यवस्था करने, गांवों का विद्युतिकरण करने,

स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान करने और शिक्षा का विस्तार करने के लिये योजनाएं आरम्भ की गई हैं। 1980-81 और 1981-82 के दौरान 68000 हैक्ट्रेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न की गई थी। 4189 किलोमीटर सरफैस्ड रोड्स और 3569 किलोमीटर अनसर-फैस्ड रोड्स का रख-रखाव किया गया। 12612 किलोमीटर विद्यमान सड़कों का सुधार किया गया, 8 पुल और 24 पुलियाओं का निर्माण आरम्भ किया गया था। 1048 नये सेनीटरी वैल कार्य आरम्भ किए गए थे, 2160 अधूरे सेनीटरी वैल्स को पूरा किया गया था और 3000 नल-कूप लगाए गए थे। 5046 जनजातीय गांवों को बिजली दी गई थी। 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 नये आयुर्वेदिक और 6 नए होम्योपैथिक औषधालयों, 134 उप-केन्द्रों और कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया गया था। 616 नये प्राथमिक स्कूल खोले गए थे 610 प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर यू० पी० स्कूल कर दिया गया था। 190 यू० पी० स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर एम० ई० स्कूल कर दिए गए थे। 2 नये उच्च विद्यालय 759 एलीमेंटरी स्कूल परिसरों और प्राथमिक स्तर पर 122 कम मूल्य वाले छात्रावास खोले गए थे।

2. पारिवारिक लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, बागबानी, रेशम उद्योग भू-संरक्षण परि-वर्तन की खेती, पशुपालन और डैयरी विकास, मत्स्यपालन तथा लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में योजनाएं आरम्भ की गई हैं। 1981-82 के दौरान पिछले वर्ष में 55,254 परिवारों के मुकाबले विभिन्न आय उत्पन्न करने वाली योजनाओं के अधीन 72,013 जनजातीय परिवारों की सहायता की गई है।

3. इसके अतिरिक्त विभिन्न स्व-नियोजन योजनाओं के अन्तर्गत जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। शोषण से जनजातीय व्यक्तियों की रक्षा करने के लिये भूमि हस्तातरण विनियम, ऋण राहत अधिनियम और बन्धुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम जैसे विभिन्न विधायी उपाय लागू किए जा रहे हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में चाथल सा मिल के श्रमिकों को अर्जित अवकाश की सुविधा देना

5165. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन विभाग के अन्तर्गत चाथम सा मिल, अण्डमान और निकोबार प्रशासन के श्रमिकों को अर्जित अवकाश की सुविधा देने के बारे में अण्डमान और निकोबार के प्रशासन से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; जैसे कि उस संघ शासित क्षेत्र के अन्य विभागों में यह सुविधा दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) इस मामले की कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय (कृषि विभाग) से परामर्श करके छान-बीन की जा रही है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में उपनिवेशन ऋण का वापिस किया जाना

5166. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपनिवेशन ऋण को वापिस करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो इस ऋण को माफ करने से पूर्व संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के राजस्व अधिकारियों द्वारा एकत्र किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि को वापिस करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इसको वापिस करने में लगभग कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या तहसील-वार कोई सर्वेक्षण किया गया है यदि हां, तो प्रत्येक तहसील में ऐसे कितने मामले पाए गए हैं;

(घ) क्या इस सूची को तैयार करते समय मलयाली, तमिल और रांची से होकर बसे लोगों को भी ध्यान में रक्खा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रखा दी जाएगी ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में आकर बसे लोगों को कृषि भूमि का आवंटन

5167. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में तहसील वार, तथा ग्राम-वार, आवंटन के ऐसे कितने मामले हैं जहां सरकार की योजना के अन्तर्गत आज तक कृषि भूमि का पूरा कोटा यहां आकर बसे लोगों को आवंटित नहीं किया जा सका है ;

(ख) क्या सरकार का ऐसे व्यक्तियों को पूरा कोटा आवंटित करने हेतु कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकारी योजना के अन्तर्गत यहां आकर बसे कामगार परिवारों को मकान बनाने हेतु स्थान आवंटित किए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो तहसील-वार कितने व्यक्तियों को स्थल नहीं दिए गए हैं और सरकार का जो कार्यवाही करने का विचार है उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) से (घ) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में अद्यतन तारीख तक यहां आकर बसे लोगों को 147 मामलों में कृषि भूमि का पूरा कोटा आवंटित नहीं किया जा सका क्योंकि यहां आकर बसे लोगों को पहले आवंटित भूमि से लगी उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं थी । ऐसे मामलों के तहसील-वार और गांव-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

I. फेरार गंज तहसील	
(1) चोलदारी गांव	12
(2) बदनाशपहाड़	1
(3) क्रेकाबाद	3
(4) फैंरार गंज	21
(5) मथुरा	2
(6) शोल वे	1
(7) बन्दूर	7
(8) होमफिएरी गंज	3
(9) मंगलूटन	3
(10) गुप्तापुरा	6
(11) तुशनाबाद	1
(12) मानपुर	14
(13) टेम्पलियो	5
(14) कोलिनपुर	6
(15) हरबरटाबाद	4
(16) तिरुर	1
(17) वामुना घर	3
II. रंगत तहसील	
(1) गांव कदम तला	27
(2) उत्तरा	25
III. मायाबन्दर तहसील	
गांव परोफुल्या नगर	2

2. अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने भूमि उपलब्धता की शर्त पर इन सभी मामलों में आवंटन का पूरा कोटा पूरा करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

3. सरकारी योजना के अंतर्गत बसे सभी दस्तकारों के परिवारों को मकान-स्थल आवंटित किए गए हैं।

11 अगस्त, 1982 को होने वाली सदन की बैठक के लिए टेलीविजन सेटों की बिक्री हेतु इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा डीलरशिप प्रदान करना

5168. **श्री भीखा भाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने अपने टेलीविजनों की बिक्री हेतु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न नगरों में स्नातक इंजीनियरों को डीलरशिप दी है, यदि हां, तो क्या कोई डीलरशिप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित किए गए थे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि डीलरशिप अधिकांशतः उन कम योग्यता वाले तकनीशियनों आदि को दिए गए हैं जो इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया में काम करते हैं और योग्य तथा अनुभवी इंजीनियरों को डीलरशिप नहीं दी गई, यदि हां तो इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया के उन भूतपूर्व कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव का ब्यौरा क्या है, जिन्हें ये एजेंसियां दी गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है जिनके प्रार्थनापत्र अस्वीकार किए गये हैं; और

(ग) क्या गाजियाबाद के लिए केवल एक डीलरशिप दी गई है जबकि वहां दो डीलरशिप देने का प्रस्ताव था, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

तारापुर में जले हुए ईंधन का परिष्करण

5169. **श्री जयनारायण रौत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तारापुर में जले हुये ईंधन का परिष्करण करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) तारापुर, बिजलीघर के मुक्त-शेष ईंधन को फिर से संसाधित करने का निर्णय यथासमय लिया जाएगा तथा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा वैकल्पिक ईंधन के विकास का प्रयास जारी रखा जाएगा ।

पैदल चलने वालों के लिए जनपथ के फुटपाथों को साफ कराया जाना

5170. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक गैर सरकारी होटल निर्माता ने जनपथ के फुटपाथों पर अपनी कार्यस्थल एवं भंडारण स्थान के रूप में कब्जा कर लिया है इससे जनपथ विंडसर प्लेस का चौराहा खतरनाक स्थान और यातायात में बाधा बन गया है ।

(ख) यदि हां, तो यातायात पुलिस विभाग इस मामले पर क्यों चुप है और पैदल चलने वालों के प्रयोग के लिए फुटपाथ को साफ कराने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है ;

(ग) सरकार इस मामले में किस प्रकार कदम उठाने जा रही है ;

(घ) यदि कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) से (ङ) जनपथ की पश्चिमी पटरी तथा विंडसर प्लेस के चौराहे के निकट रायसीना रोड की पटरी जहां पर एक गैर-सरकारी होटल निर्माणाधीन है, पर कुछ भवन सामग्री जमा कर रखी है। नई दिल्ली नगर पालिका ने भवन निर्माण सामग्री तथा उपकरण के भंडारण के लिए पटरी का उपयोग करने की अनुमति दी है। दिल्ली पुलिस निगरानी रख रही है ताकि इस क्षेत्र में यातायात में बाधा न हो।

बोनस के मामले आदि पर विचार करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की फेडरेशन सहित ई० पी० एफ० फेडरेशन को आमन्त्रण

5171. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तथा ई० पी० एफ० अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी तीन फेडरेशनों के साथ बोनस के मामले आदि पर विचार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और कर्नाटक सहित बम्बई फेडरेशन की सम्बद्ध यूनिटों को चर्चा में न बुलाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया है :

(क) और (ख) आमतौर पर वे अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी फेडरेशन, नई दिल्ली, जो मान्यता प्राप्त फेडरेशन हैं, के साथ सेवा मामलों पर वार्ता करते हैं। परन्तु वे अन्य फेडरेशनों द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों की जांच भी करते हैं। इस समय संगठन के विभिन्न फेडरेशनों के प्रतिनिधि स्वरूप का सत्यापन किया जा रहा है और इस प्रश्न पर सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात् विचार किया जाएगा कि क्या वार्ता के लिए बम्बई फेडरेशन को आमन्त्रित किया जाना चाहिए।

केरल राज्य और केन्द्रीय जल प्रदूषण बोर्डों द्वारा किया गया कार्य

5172. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

गत दो वर्षों के दौरान केरल राज्य जल प्रदूषण बोर्ड और केन्द्रीय जल प्रदूषण बोर्ड द्वारा क्या कार्य किए गए ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिए केरल राज्य बोर्ड द्वारा किया गया कार्य

जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण केरल बोर्ड के 1974 में प्रारम्भ होने से लेकर अब तक यह जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत इसे सौंपे गए कार्य-कलापों को सक्रिय रूप से करने में लगा रहा है। केरल बोर्ड द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

1. जल अधिनियम, 1974 के अनुबन्धों के अनुसार औद्योगिक अथवा मल-जल बहिस्राव निस्सारित कर रहे उद्योगों को सहमति आदेश जारी करते समय, बोर्ड प्रदूषण उपशमन के लिए अपेक्षित शर्तों को प्रभावशाली रूप से निर्दिष्ट कर रहा है और लागू कर रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा सहमति के लिए 100 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे। 17 प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में निर्णय कर लिए गए थे और सहमति आदेश जारी कर दिए गए थे।

2. बोर्ड औद्योगिक एककों को पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रण उपाय अपनाने और बहिस्राव शोधन एकक स्थापित करने के लिए परामर्श देता रहा है। राज्य में लगभग 150 बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान 8 बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों ने पहले ही आवश्यक शोधन सुविधाएं स्थापित करली हैं। छः बड़े एककों ने आंशिक शोधन सुविधाएं स्थापित करली हैं और अतिरिक्त शोधन एकक स्थापित करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

3. पिछले दो वर्षों के दौरान बोर्ड ने चूककर्ता उद्योगों के विरुद्ध तीन न्यायिक मामले दायर किए हैं, जिनमें से दो मामलों में बोर्ड के पक्ष में निर्णय हुआ है और एक मामला निपटान के लिए विचाराधीन है।

4. बोर्ड ने अभी हाल ही में पेरियार नदी का एक पर्यावरणीय स्थिति अध्ययन पूरा कर लिया है और इदिक्की हाइडल परियोजना के चारों ओर एक पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन कार्य कर रहा है। अर्नाकुलम में बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला नेमी जल क्वालिटी प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जल और अपशिष्ट जल के 2000 से अधिक नमूनों का विश्लेषण कर रही है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्वजनीय पर्यावरणीय प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 190 नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। कालीकट, कोचीन और त्रिवेन्द्रम में अपने तीन प्रादेशिक कार्यालयों के माध्यम से बोर्ड नेमी प्रबोधन और निगरानी की कार्यवाहियां करती हैं। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण अधिनियम, 1981, को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये गए हैं। वायु प्रदूषण के स्रोतों और प्रकृति की एक तालिका तैयार की जा रही है।

जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान किया गया कार्य

जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण अधिनियम, 1974, और वायु प्रदूषण निवारण तथा

नियन्त्रण अधिनियम, 1981, के अन्तर्गत केन्द्रीय बोर्ड एक राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य बोर्ड के रूप में कार्य करता है।

जल प्रदूषण निर्धारण, निवारण और नियन्त्रण के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, विशिष्ट अल्पतम राष्ट्रीय मानकों (एम० आई० एन० ए० एस०) का विकास करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बोर्ड ने 12 विशिष्ट प्रकार के उद्योगों के लिए विस्तृत उद्योग दस्तावेज तैयार करने और उक्त उद्योगों से प्रदूषण नियन्त्रण के लिए नीति तथा अभिगमन तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया। पांच विस्तृत उद्योग दस्तावेज पूरे कर लिए गए हैं और अन्य दस्तावेज तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

सात राज्यों में स्थिति 33 प्रबोधन केन्द्रों से आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। केन्द्रीय बोर्ड प्रबोधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आंकड़ों के एकत्रीकरण और विश्लेषण के लिए राज्य बोर्डों का मार्गदर्शन करता रहा है। इलाहाबाद में अर्ध-कुम्भ मेला मैदान में एक चल-प्रयोगशाला स्थापित कर कर केन्द्रीय बोर्ड के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा गंगा और यमुना नदी का प्रबोधन भी किया गया था।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में, केन्द्रीय बोर्ड ने वायु प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए, विशेष रूप से औद्योगिक और स्वचालित वाहनों से वायु में उत्सर्जित निलंबित विविक्त द्रव्यों और सल्फर डाइआक्साइड सम्बन्धी, सर्वेक्षण किए।

केन्द्रीय बोर्ड ने देशी उपकरण निर्माताओं की सहायता से एक देशी स्टैक किट का विकास भी किया है। वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्रों, प्रबोधन उपकरण, प्रदूषण मानक आदि की घोषणा पर विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त भी तैयार किए गए थे और सभी राज्य बोर्डों को परिचालित किए थे।

केन्द्रीय बोर्ड ने देश में विभिन्न स्थानों पर 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संगठित/प्रवर्तित किए। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनेक सम्मेलन, परिसंवाद/संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया।

राज्य बोर्ड के रूप में, केन्द्रीय बोर्ड निस्सारण, प्रदूषण नियन्त्रण उपायों के कार्यान्वयन में प्रगति के निरीक्षण, सतर्कता तथा प्रवर्तन, औद्योगिक बहिस्रावों के प्रबोधन और निगरानी, प्रयोगशाला विकास और प्रबन्ध के लिए सहमति प्रदान करने के कार्य में सक्रिय रूप से लगा रहा। पिछले दो वर्षों के दौरान, दिल्ली, पांडिचेरी, गोवा और चण्डीगढ़ संघ-राज्य क्षेत्रों में, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रदूषण नियन्त्रण शर्तों के अधीन, बहिस्रावों को बहाने के लिए 92 उद्योगों को सहमति प्रमाणपत्र प्रदान किए गये थे। केन्द्रीय बोर्ड बहिस्राव शोधन संयन्त्र लगाने के लिए बहुत से उद्योग को सहमत करने में सफल रहा। इन उद्योगों में कुछ ये हैं : मैसर्स सरदार कार्बोनिक गैस फैक्ट्री, मदर डेयरी, और बिरला काटन मिल्स। कुछ बड़े उद्योगों के मामले में, बहिस्राव शोधन संयंत्रों का निर्माण करने के लिए कार्य प्रारम्भ किया गया है।

कुटीर और मिनी उद्योगों के लिये सप्लाई किया गया सीमेंट और कच्चा माल

5173. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर और मिनी उद्योगों आदि के लिए सारे देश में राज्यवार और बिहार में जिला -वार कुल तथा प्रति व्यक्ति कितना सीमेंट, तथा कच्चा माल सप्लाई किया गया ; और

(ख) बिहार को अनुपातहीन सप्लाई के क्या कारण हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) ऐसा जान पड़ता है कि प्रश्न के भाग (क) में लघु और कुटीर क्षेत्र में सीमेंट पर आधारित उद्योगों को सीमेंट की आपूर्ति करने के संबंध में जानकारी मांगी गई है। सरकार द्वारा यह पहले ही निर्णय कर लिया गया है कि कच्ची सामग्री के रूप में सीमेंट उपयोग कर रहे लघु और छोटे उद्योग लेवी सीमेंट प्राप्त करने के पात्र होंगे क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम में ऐसे उद्योगों को अपनी प्रौद्योगिकी में वृद्धि करने व उसे अद्यतन बनाने के लिए सभी सुविधाएं बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। स्थिति स्पष्ट करने वाला एक प्रेस टिप्पण 21-4-1982 को जारी किया गया था।

सीमेंट वितरण संबंधी प्रचलित योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण के लिए राज्य सरकारों को सीमेंट का इकट्ठा आवंटन किया जाता है। इस थोक उपलब्धता के अन्तर्गत व नई नीति में लेवी सीमेंट के वितरण सम्बन्धी मानदण्डों के अनुसार विभिन्न जिलों को सीमेंट वितरण करने का कार्य राज्य सरकार का है। लघु और छोटे क्षेत्र में औद्योगिक एकक लेवी सीमेंट विषयक अपनी आवश्यकता संबंधित राज्य सरकार से पूरी करते हैं। इस प्रकार ऐसे उप-आवंटनों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में 200 मे० वा० जनरेटरों का निर्माण

5174. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्स द्वारा डिजाइन किए गए 200 मे० वा० स्टीम जनरेटरों में, जिनका समझौते के अन्तर्गत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, द्वारा निर्माण किया जाना है, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किये जा रहे जनरेटरों की प्रबलता (एटरडोनेस) विद्यमान नहीं है और हो सकता है कि वे भारतीय परिस्थितियों में ठीक काम नहीं करें ;

(ख) क्या इस डिजाइन को पश्चिमी देशों द्वारा पहले ही अस्वीकार किया गया है और इसलिए इस देश पर थोपा जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस करार की पुनरीक्षा करने जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) स्टीम जनरेटरों अर्थात बायलरों के निर्माण के लिए पश्चिम जर्मनी की मै० सीमेन्स तथा बी० एच० ई० एल० के बीच कोई सहयोग करार नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिमी बंगाल के लोगों की मांगों के बारे में ज्ञापन

5175. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के लोगों की बहुत समय से चली आ रही मांगों के बारे में दिनांक 5 अप्रैल, 1982 का ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त ज्ञापन में उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल की मांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना (बिहार) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वकीलों की नियुक्ति करना

5176. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री आर० पी० यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि आयुक्त, पटना (बिहार) ने नवम्बर, 1981 में किसी समय अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान अपराधिक/सिविल मामलों की पैरवी कर रहे कुछ वकीलों को नियुक्त किया था ;

(ख) क्या यह नियुक्तियां, विधि मंत्रालय और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के आदेशानुसार की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981 से अब तक तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया है :

दोषी प्रतिष्ठानों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में बिहार के क्षेत्रीय कार्यालय के विरुद्ध दायर मामलों की ओर उचित ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह निर्णय किया गया कि कलकत्ता में विधि मंत्रालय की शाखा सचिवालय के पैनल में से एक वरिष्ठ एडवोकेट नियुक्त किया जाय। इस मामले पर विधि मंत्रालय की सचिवालय शाखा के साथ विचार-विमर्श किया गया। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एडवोकेट कलकत्ता ने दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मामलों की पैरवी करने के लिए श्री डी० एन० दास को नियुक्त किया। उनकी सलाह पर, श्री एस० एन० बनर्जी, जो विधि मंत्रालय के पैनल में भी हैं, को उनके कनिष्ठ के रूप में नियुक्त किया गया।

अरबों द्वारा भारतीय लड़कियों के शोषण के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश के काजी संघ के सुझाव

5177. **श्री अन्नतरामुलु मल्लु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के काजी संघ ने अरब दूल्हों द्वारा भारतीय लड़कियों का शोषण करने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के मैनेजर के विरुद्ध मुकदमा

5178. **श्री निहाल सिंह :**
श्री राम सिंह शाक्य :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मैनेजर, खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के विरुद्ध कार्यालय एवं सरकारी धनराशियों के दुरुपयोग के आरोपों के लिए कोई मुकदमा दर्ज किया था और क्या उस मामले में अभी भी जांच चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच के दौरान मैनेजर द्वारा सान्ध्य समाचार, दिनांक 8 जून, 1982 में कुछ परस्पर विरोधी बातें प्रकाशित की गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री : (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ग) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के भूतपूर्व प्रबन्धक के खिलाफ जनवरी, 1982 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया है कि उन्होंने दो पार्टियों के प्रति अनुचित पक्षपात किया है । मामले की जांच की जा रही है । खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के भूतपूर्व प्रबन्धक द्वारा 8 जून, 1982 के सान्ध्य टाइम्स में इस बारे में कुछ खण्डन प्रकाशित किया गया था ।

दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के लिए भवन किराए पर लेना

5179. **श्री बनवारी लाल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फरवरी, 1980 में निविदाएं आमन्त्रित किए बिना भविष्य निधि कार्यालय हेतु 60, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में 52,000.00 रुपये प्रति मास की दर से किराए पर आवास प्राप्त किया था, जबकि यह भवन 19 मई, 1979 को आग लगने से पूर्णतः नष्ट हो गया था ;

(ख) क्या इस कार्यालय के वहां जाने से पहले सी० पी० डब्ल्यू० डी०, पी० डब्ल्यू० डी०, डी० डी० ए०, एम० सी० डी० अथवा एन० डी० एम० सी० द्वारा आग के सम्बन्ध में इस भवन का निरीक्षण किया गया था, यदि नहीं, तो भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा इस भवन को कैसे स्वीकार किया गया ;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि की स्टाफ यूनियन (पंजीकृत तथा मान्यता प्राप्त) ने भविष्य निधि कार्यालय को नेहरू प्लेस में आग से क्षतिग्रस्त भवन में ले जाने की बात पर कठोर आपत्ति की थी, और

(घ) आग से नष्ट तथा क्षतिग्रस्त इस भवन का भविष्य निधि कार्यालय, दिल्ली को खाली करने में कितना समय लगेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया है :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने कोटेशन आमंत्रित करने के पश्चात् 60, नेहरू प्लेस में स्थित भवन के सातवें और आठवें खंड पर जगह ली थी। वर्ष 1979 में आग लग जाने के कारण भवन के अन्य भागों को हुई क्षति के बावजूद किराए पर लिए गए हिस्से को प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझा गया।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने कार्यालयों के लिए जगह की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न भवनों को किराए पर लिया जाता है और सामान्य पद्धति यह है कि विभागीय निरीक्षण किया जाता है, जो कि इस मामले में भी किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) भवन को खाली करने का विचार नहीं है, क्योंकि इस किराए को किफायती समझा गया है और यह स्थान परिवहन द्वारा शहर के लगभग सभी भागों से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा जोखिम भी नहीं है। तथापि, यह प्रस्ताव है कि वर्तमान भवन में जगह की कमी को दूर करने के लिए एक और भवन किराए पर लिया जाए।

हरिजनों की सामूहिक हत्या के लिए मृत्यु दण्ड

5180. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ आंकड़े हैं कि उन मामलों में, जहां हरिजनों पर सामूहिक आक्रमण किया गया है या डाकुओं द्वारा आक्रमण किया गया है, वहां साक्ष्य सुस्पष्ट है और अपराधियों को ऊंची से ऊंची सजा अर्थात् मृत्यु दण्ड दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायालयों को सहायता देने हेतु कानून में कोई सुधार करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) और (ख) सरकार के पास

उपलब्ध सूचना के अनुसार 27 मई, 1977 को गाँव बेलछी (बिहार) में अनुसूचित जातियों पर हुए सामूहिक आक्रमण के एक मामले में दो अभियुक्त व्यक्तियों को 19 मई, 1980 के निर्णय के द्वारा मृत्यु दण्ड दिया गया था।

(ग) सरकार के पास इस समय इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय

5181. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह मंत्रालय, कब तक बनाया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास की देखभाल करने के लिए गृह मंत्रालय में एक पृथक विभाग बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

वर्ष 1980 और 1981 के दौरान नार्वे से आयातित कागज

5182. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्वे सरकार के साथ द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कितना कागज आयात किया गया ;

(ख) उन पार्टियों का ब्योरा क्या है जिन्हें यह कागज सप्लाई किया गया था और इसका उपयोग किस कार्य हेतु किया गया ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) नार्वे से वर्ष 1979-80 और 1980-81 में आयात किए गए लिखाई और छपाई के कागज का ब्योरा निम्नलिखित है :

वर्ष	परिमाण
1979-80	4,574 मी० टन
1980-81	3,473 मी० टन

(ख) आयातित कागज की आपूर्ति सरकारी विभागों/मुद्रणालयों में उपयोग हेतु पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को तथा वास्तविक उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को की गई थी।

मिजो नेशनल फ्रण्ट के आन्दोलन को रोकने के लिए सेना का भेजा जाना

5183 **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो नेशनल फ्रंट के आन्दोलन के नये चरण को रोकने के लिए सेना भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या एम० एन० एफ० गुरिल्लाओं का आन्दोलन जून के महीने में बढ़ गया था और सेनाओं को बुलाना आवश्यक था ;

(ग) क्या सेना को बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सुरक्षा सेनाओं के बहुत से लोग उन गुरिल्लाओं द्वारा मारे गये ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितने सैनिक मारे गये और इस आन्दोलन से निपटने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) और (ख) मध्य जून, 1982 से मिजो नेशनल फ्रण्ड की हिंसक गतिविधियों जिनके कारण 2 मिजो और 9 गैर-मिजो मारे गए, को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया था।

(ग) और (घ) सुरक्षा बल कार्मिकों में से कोई हताहत नहीं हुआ।

बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करना

5184. **श्री विजय कुमार यादव : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में विशेषकर बिहार में 20-सूत्रीय कार्यक्रम की कियान्विति ठीक ढंग से नहीं हो रही है ; और

(ख) चालू वित्त वर्ष और छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) यह कहना सही नहीं होगा कि देश में, विशेषरूप से बिहार राज्य में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गड़बड़ी है।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल स्कीमें तथा उनके वास्तविक/वस्तुगत लक्ष्य वे ही हैं जो 1982-83 की वार्षिक योजना और छठी योजना के हैं। कार्यकारी अभिकरण —राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र अथवा केन्द्रीय मंत्रालय 20-सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। योजना आयोग द्वारा मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए इस कार्यक्रम का गहन प्रबोधन किया जाता है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों की सेवा समाप्त करना

5185. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री केशोराम पारधी :
श्री भीकू राम जैन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी सेवा नियम, 1978 में प्रावधान

है कि किसी कर्मचारी में विश्वास समाप्त हो जाये तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की संगत प्रक्रिया का पालन किये बिना ही उसकी सेवा समाप्त कर दी जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक कर्मचारियों की सेवाएं उनके विरुद्ध बिना किसी आरोप के और उसको अपना बचाव करने के लिए कोई अवसर दिए बिना इस नियम के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई है और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या ऐसा प्रावधान अन्य सरकारी उपक्रमों के सेवा नियमों के अन्तर्गत है भी या ऐसा प्रावधान भारत सरकार के लिखित सेवा विनियम के अनुरूप है ; और

(घ) क्या प्रबन्ध का विचार नियमों के उक्त प्रावधान को हटाने का है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी सेवा नियमों के नियम 26(I)(II) के अन्तर्गत 4 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। उनमें से एक कर्मचारी ने जिसकी इस प्रकार सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, दिल्ली उच्च न्यायायालय में याचिका दायर की है।

(ग) इस प्रकार का प्रावधान सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारी सेवा नियमों में भी विद्यमान है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेल से तथा पोत से ढोये गये नमक की अवतरण लागत

5186. **श्री रूपचन्द पाल :**

श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में रेल तथा पोत से ढोए गए नमक की अवतरण लागत में वर्तमान अन्तर औसतन 120/- रुपये प्रति मीलियन टन है ;

(ख) क्या यह नमक के लिए तटीय भाड़े में जुलाई, 1980 और जुलाई, 1981 में वृद्धि के कारण हुआ है ;

(ग) क्या सरकार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लाभ के लिए मूल्य में अन्तर के बराबर राज-सहायता दे रही है ;

(घ) यदि हां, तो कब से ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री(श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 9-7-1980 से नमक पर लगने वाले तटीय भाड़े में बढ़ोतरी हो जाने के कारण-

जहाज द्वारा लाया गया नमक रेल द्वारा लाए नमक की अपेक्षा काफी महंगा हो गया था। 1-4-82 से सरकार ने नमक के रेल भाड़े में पहले दी गई रियायतें वापिस ले ली हैं, साथ ही तूतीकोरिन तथा कलकत्ता में लगने वाले पत्तन प्रभार/लादने/उतारने सम्बन्धी प्रभार कम कर दिए गए हैं। जिसके परिणामस्वरूप जहाज से लाए गए नमक और रेल द्वारा लाए गए नमक की लागतों के बीच अन्तर कम हो गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने वर्ष 1980-81 में केवल कलकत्ता में 9-7-80 से 31-3-1981 तक प्राप्त लदानों के लिए नमक के तटीय भाड़े में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए राजसहायता प्रदान की थी।

(ङ) जहाज द्वारा लाए नमक की तटागत लागत और रेल द्वारा लाए नमक की तटागत लागत के बीच अन्तर कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बायो-गैस संयन्त्रों की स्थापना किया जाना

5187. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग की सहायता से देश में 1000 से भी अधिक कम्युनिटी बायो-गैस संयन्त्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या आयोग ने अपनी क्रियान्वयन एजेंसी जैसे राज्य खादी बोर्ड के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम रोशनी में योजना प्राथमिकताओं का उचित पुनरीक्षण करने हेतु दो दिन की बैठक बुलाई थी ; और

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन बायो-गैस संयन्त्रों को कब तक स्थापित करेगा और इन संयन्त्रों को किन क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को कोई निश्चित लक्ष्य नहीं सौंपा गया है। किन्तु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने आयोग से चालू वर्ष में 100 कम्युनिटी गोबर संयन्त्र बनाने का प्रस्ताव किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में रेलों द्वारा नमक का आयात

5188. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अखिल भारतीय स्तर पर आयातित नमक की लागत के अन्तर को कम करने हेतु पोत द्वारा नमक को आयात करने के बजाय, रेलों द्वारा नमक को आयात करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को स्वीकृति देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ग) नमक के लाने ले जाने पर रेल भाड़े में अनुमत कुछ रियायतें दिनांक 1-4-1982 से वापिस ले ली गई हैं। कलकत्ता और तूतीकोरिन स्थित पत्तन प्राधिकरणों ने भी पत्तन प्रभार/लादने-उतारने सम्बन्धी प्रभार स्वेच्छा से कम कर दिए हैं। इन अभ्युपायों के परिणामस्वरूप रेल द्वारा लाए जाने वाले नमक और जहाज द्वारा लाए जाने वाले नमक की लागत के बीच अंतर कम हो गया है तथा इस समय पश्चिम बंगाल में रेल द्वारा और जहाज द्वारा खुले रूप से नमक लाया ले जाया जा रहा है।

डुप्लीकेट उपकरणों और मशीनों का निर्माण

5189. श्री रामविलास पासवान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को धोखा देने के लिए डुप्लीकेट उपकरणों और मशीनों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन उपकरणों के तकनीकी परीक्षण और जांच नहीं की जाती, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अपराधों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कानून बन जाने की आशा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) नकली (डुप्लीकेट) उपस्कर तथा मशीनें बनाने और किसानों को धोखा देने के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) संगठित क्षेत्र में निर्मित खेती के ट्रैक्टरों और अन्य उपकरणों को बेचे जाने से पूर्व नियमित आधार पर ट्रैक्टर ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, बूंदी, मध्य-प्रदेश तथा टैक्टर ट्रेनिंग सेंटर, हिसार, हरियाणा में जांच की जाती है। भारतीय मानक संस्थान ने कुछ उपकरणों के लिए मानक निश्चित किए हैं। किन्तु सभी उपकरण बनाने वालों को उपकरण और मशीनें जांच हेतु भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(ग) तथा (घ) पावर थ्रेशरों को पहले ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया है। किसानों को उत्तम कृषि उपकरण तथा मशीनें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार मानक निर्धारित करने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। किन्तु कृषि उपकरणों की बड़ी संख्या और विभिन्नता को देखते हुए यह एक निरन्तर चलने वाली दीर्घावधि प्रक्रिया होगी।

रिलायन्स टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

5190. श्री रामजी भाई मावणी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिलायन्स टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने सिद्धपुर (गुजरात राज्य) की बन्द की गई सिद्धपुर मिल्स के मजदूरों को मुआवजा अदा कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अदा किए गए मुआवजों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त मुआवजा किस समझौते के अन्तर्गत अदा किया गया ;

(घ) मजदूरों, कर्मचारियों, प्रबंधकों तथा मजदूर संघ प्रतिनिधियों के बीच अन्य क्या शर्तें तय हुई ;

(ङ) उक्त मिल कब से बन्द थी, वहां पर कितने कर्मचारी काम करते थे ; और

(च) नए प्रबन्धकों ने किस प्रकार कब तथा किन शर्तों पर कार्य तथा उत्पादन आरम्भ किया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (च) गुजरात राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

विद्युत उत्पादन के विकास में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की भूमिका

5191. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से विद्युत संयन्त्रों का आयात करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए देश में विद्युत उत्पादन के भावी विकास में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की क्या भूमिका होगी ;

(ख) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० 500 मे० वा० और 1000 मे० वा० उत्पादन संयन्त्रों का निर्माण करने में समर्थ है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की इस प्रयोजन के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को शीघ्र तैयार करने की योजना है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) देश में विद्युत उत्पादन के भावी विकास में बी० एच० ई० एल० की भूमिका विद्युत क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान देने की होगी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

धनबाद स्थित राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद की बन्द होने की स्थिति

5192. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद जो समाप्ति के कगार पर है, को बचाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद (एन० सी० एस० एम०) धनबाद ने दिसम्बर, 1981 में कोयला खान श्रम कल्याण निधि से पांच लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया था। कोल इण्डिया लि०; ने भी इस वर्ष परिषद को चार लाख रुपये का कुल अनुदान रिलीज करने का मई, 1982 में निर्णय किया है। इस परिषद् को और अनुदान रिलीज करने के प्रश्न को ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के साथ उठाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लिवर्स लिमिटेड द्वारा साबुन का उत्पादन

5193. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान यू० एस० आई० लिवर लिमिटेड यू० के० की आनुषंगी कम्पनी हिन्दुस्तान लिवर्स लिमिटेड ने क्रमश: परम्परागत तेलों और गौण तेलों पर आधारित साबुन की कितनी-कितनी मात्रा का उत्पादन किया ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) परम्परागत तेलों और गौण तेलों पर आधारित साबुन के उत्पादन के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का 1981 के दौरान साबुन का कुल उत्पादन 1,66,243 मी० टन हुआ।

पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा सबइंसपेक्टर (एक्जीक्यूटिव) के लिए दूसरी नापतोल परीक्षा

5194. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा शारीरिक नापतोल/शारीरिक सहनशीलता परीक्षा और साक्षात्कार में सावधानी पूर्वक 1981 में सब इस्पेक्टरों (एवजीक्यूटिव) की एक सूची बनाई थी और इसे पुलिस आयुक्त, दिल्ली को 425/700 रु० के ग्रेड में नियुक्ति हेतु परिचालित किया था ;

(ख) क्या पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने कर्मचारी चयन आयोग की अनुमति के बिना सभी चुने गए उम्मीदवारों की दूसरी नापतोल परीक्षा ली ;

(ग) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने चुने गए उम्मीदवारों की दुबारा नापतोल परीक्षा को स्वीकृत किया है, यदि हां, तो किस निगम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा यह परीक्षा कराई गई थी जिसने इस संवर्ग में नियुक्ति हेतु अनुसूचिती जातियों के उम्मीदवार अलग कर दिए गए थे ;

(घ) क्या सरकार को दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत) अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस सम्बद्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) से (ग) कर्मचारी चयन आयोग ने 106 उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं, जिनकी 425/600 रुपये के वेतनमान में उस निरीक्षक (कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई है, बशर्ते कि वे पद के लिए निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करते हों।

कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता परीक्षा लेते समय दिल्ली पुलिस ने अपने आप उम्मीदवारों की शारीरिक नापतोल की थी। कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों की सूची भेजते हुए दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों को सूचित किया था कि शारीरिक क्षमता परीक्षा के समय की गई शारीरिक नाप-तोल पर विचार नहीं किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने आगे दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों से उम्मीदवारों को नियुक्ति देने से पहले उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के विषय में अपने आपको संतुष्ट करने का अनुरोध किया था।

तद्नुसार, उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने से पूर्व उनके शारीरिक मानकों की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उम्मीदवारों का नाप-तोल किया गया। अनुसूचित जाति के केवल 5 उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं कर पाए। तथापि कर्मचारी चयन आयोग से अनुपूरक पैनल प्राप्त नहीं होने पर आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति के 5 अन्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया।

(घ) तथा (ङ) यभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को उचित पाया गया।

मिनी सीमेंट संयंत्रों के लिए वित्तीय साधन

5195. **डा० कृपा सिंधु भोई : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनी सीमेंट संयंत्र सरकारी वित्तीय संस्थाओं से संसाधनों के अभाव में पीड़ित है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सक्षम बनाने तथा उनके लिए आसानी से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) सीमेंट रिचर्स इंस्टिट्यूट द्वारा देश में और सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए कौन से स्थान चुने गए हैं और भावी उद्यमियों को कहां तक सहायता दी जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) यह कहना ठीक नहीं होगा कि लघु सीमेंट संयंत्र सरकारी वित्तीय संस्थानों की प्राप्ति के अभाव में कठिनाई में हैं। 37 लघु सीमेंट परियोजनाओं से प्राप्त कुल आवेदनों में से संस्थानों ने 13 परियोजनाओं को सहायता हेतु स्वीकृति दे दी है, 3 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं और शेष पर कार्यवाही हो रही है।

(ग) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु अस्थायी रूप से चुने गए स्थलों की सूची संलग्न है :

विवरण

भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा अस्थायी रूप से लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए चुने गए स्थलों को दर्शाने वाली सूची

1. आन्ध्र प्रदेश

1. कस्तूरपल्ली, जिला महबूब नगर

अरुणाचल प्रदेश

2. टिड्डिंग

असम

3. गरमपानी, उत्तरी कछार पहाड़ियां
4. टुबुंग, बस्ती, उत्तरी कछार पहाड़ियां

बिहार

5. बुंदू-बसरिया, कुकुंट्टा रेलिगेरा जिला हजारीबाग

गुजरात

6. पसुवल—दीवानिया, जिला बनासकांठा
7. करामुनिफुनिया, जिला बनासकांठा
8. तड़केश्वर, जिला सूरत

हिमाचल प्रदेश

9. धरमकोट, जिला कागड़ा
10. बारथल जिला सिरमूर

जम्मू और काश्मीर

11. कुनान, बाबा गुण्ड, जिला बारामूला
12. सलात और कन्धार, जिला उधमपुर

कर्नाटक

13. यान, जिला उत्तरी कनारा
14. इट्टीगेहाल्ली, जिला चित्रदुर्ग
15. कुट्रेकनीवे, जिला तुमकुर

16. हलकू मेटगाड, जिला बीजापुर
17. लोकापुर, जिला बीजापुर
18. याडवाड, जिला बेलगांव
19. मनामी, जिला बेलगांव
20. कुलीगोड, जिला बेलगांव
21. कडालगाड्डी, जिला उत्तरी कनारा
22. वाज्जत, जिला गुलबर्ग
23. पालकपल्ली और अनवर, जिला गुलबर्ग

मध्य प्रदेश

24. बाबरामालैया, जिला दमोह
25. बाग मनावर, जिला धार

महाराष्ट्र

26. पर्दी, जिला नांदेड़
27. संगोडा, जिला चंदा

मणिपुर

28. उखरुल
29. हुंगडुंग

मेघालय

30. दारांग-एरी
31. तुमशुनांग

पांडिचेरी

32. सेदाराम्पाथी-अकासनपाथू

राजस्थान

33. किवर्ली—मुर्थाला, जिला सिरोही
34. रामपुरा, नीम का थाना, जिला सीकर

नागालैंड

35. नीमी
36. वाजेहो

तमिलनाडु

37. कोटागुंडी, जिला मदुरई

28. पांडालकुडी, जिला रामनाथपुरम

39. नमक्कल, जिला सेलम

उत्तर प्रदेश

40. झिरोली-सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा ।

दिल्ली में लड़कियों का अपहरण

5196. डा० कृपा सिन्धु भोई :
श्री तारिक अनवर :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल के महीनों में विशेष रूप से जमुना-पार कालोनियों में लड़कियों के अपहरण की घटनाएं चिन्ताजनक स्थिति पर पहुंच गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में (कालोनी-वार) कितनी लड़कियों का अपहरण हुआ ;

(ग) अब तक कितनी लड़कियों का पता चला है और उन्हें उनके माता-पिता को अथवा नारी निकेतन को भेजा गया है ; और

(घ) शेष लड़कियों को बरामद करने तथा समाज में इस बढ़ती हुई बुराई को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 1-1-1982 से 31-7-1982 की अवधि के दौरान 277 लड़कियों के अपहरण के मामले सूचित किए गए हैं जबकि वर्ष 1981 की इसी अवधि के दौरान 308 मामले सूचित किए गए थे ।

जमुनापार कालोनियों के संबंध में 1981 में समकालीन अवधि के दौरान सूचित किए गए ऐसे 89 मामलों की तुलना में इस अवधि में 80 लड़कियों के अपहरण के मामले सूचित किए गए हैं ।

(ख) संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	बरामद की गई लड़कियों की संख्या	अभिभावकों को वापस दी गई लड़कियों की संख्या	नारी निकेतन को भेजी गई लड़कियों की संख्या
1979	436	431	5
1980	449	448	1
1981	426	415	11

(घ) माता पिता-संरक्षकों द्वारा बताए गए संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाते हैं। यदि किसी संदिग्ध का नाम नहीं बताया जाता है तो देश के विभिन्न भागों में संदेश भेजे जाते हैं और लड़कियों का हुलिया/फोटोग्राफ को रेडियो/दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। अपराधियों के पकड़े जाने पर मुकदमे चलाये जाते हैं।

हिमालय के मध्य से दक्षिणी पहाड़ियों तक रेगिस्तान का फैलाव

5197. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**
श्रीमती कृष्णा साही :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नदियां सूख गई हैं, पहाड़ वन विहिन हो रहे हैं और हिमालय के मध्य से दक्षिणी पहाड़ियों (घुट हिल्स) तक तेजी से रेगिस्तान फैल रहा है ;

(ख) क्या भूमि का कटाव भी तीव्र गति से हो रहा है ;

(ग) क्या वाणिज्यिक किस्मों के नए बागान लगाने में वृद्धि से प्राकृतिक वनों का गिरना भी बढ़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इनको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) यह वास्तविकता है कि हिमालय क्षेत्र के दोषपूर्ण (वल्नरबल) क्षेत्रों में पर्यावरणीय निम्नीकरण के संकेत हैं और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न और साथ ही अन्धाधुन्ध वन की कटाई और प्राकृतिक वनस्पति भूमि (कवर) की हानि के कारण मरुस्थलीकरण के लक्षण भी हैं।

(घ) हिमालय क्षेत्र का संरक्षण करने के लिए समाकलित उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें ऐसी विकासात्मक कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करना जो कि पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल हैं, और वृक्षों का गिराना, अधिक चराई कराना और प्राकृतिक वनों का अतिक्रमण रोकना शामिल हैं।

प्रति व्यक्ति आय

5198. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1979-80 के दौरान प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक थी ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र-वार प्रति-व्यक्ति आय क्या थी ; और

(ग) अन्य विकासशील देशों की तुलना में यह आंकड़े किस प्रकार हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1977-78 से वर्ष 1979-80 तक की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम आंकड़े संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं । दिल्ली में वर्ष 1979-80 के दौरान प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक नहीं थी ।

(ग) संलग्न विवरण-2 में भारत तथा अन्य विकासशील देशों के लिए प्रति व्यक्ति आय दी गई हैं ।

विवरण-1

प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य आय
(प्रचलित भावों के आधार पर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78	1978-79	1979-80
(1)	(2)	(3)	(4)
1. आन्ध्र प्रदेश	1018	1083	1176
2. आसाम	949	1010	1083
3. बिहार	728	773	795
4. गुजरात	1462	1505	1623
5. हरियाणा	1736	1797	1867
6. हिमाचल प्रदेश	1178	1295	1317
7. जम्मू तथा काश्मीर	1114	1212	1254
8. कर्नाटक	1129	1136	1246
9. केरल	994	1086	1141
10. मध्य प्रदेश	930	892	877
11. महाराष्ट्र	1652	1788	2021

1	2	3	
12. मणिपुर	808	814	822
13. उड़ीसा	820	860	843
14. पंजाब	1966	2088	2278
15. राजस्थान	1047	1088	1011
16. तमिलनाडु	1027	1114	1274
17. त्रिपुरा	862	861	—
18. उत्तर प्रदेश	952	971	994
19. पश्चिम बंगाल	1263	1253	1330
20. दिल्ली	2318	2390	2498
21. गोआ दमन तथा दीव	2000	2174	2426
22. पांडिचेरी	2021	2347	2747

टिप्पणी :—1. मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्ष्यद्वीप और मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र ऐसे अनुमान तैयार नहीं करते हैं।

2. प्रयुक्त स्रोत सामग्री में भिन्नताओं के कारण विभिन्न राज्यों के आंकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं है।

—आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(स्रोत :—राज्य सांख्यिकीय कार्यालय)

विवरण-2

भारत और अन्य विकासशील देशों की प्रतिव्यक्ति आय (सकल राष्ट्रीय उत्पाद)

(अमरीकी डालर)

क्र० सं०	विकासशील देश	प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1977	1978	1979
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अल्जीरिया	1140	1450	1770
2.	अंगोला	280	420	430

1	2	3	4	5
3.	अर्जेन्टाइना	1870	2030	2210
4.	बोलिविया	480	510	550
5.	ब्राजील	1410	1510	1770
6.	बर्मा	140	140	150
7.	कमेरून	420	490	590
8.	चीली	1250	1470	1890
9.	बीन	उ० न०	230	260
10.	कोलम्बिया	760	900	1060
11.	कोस्टारिका	1390	1610	1630
12.	डोमिनिकन रिपब्लिक	840	900	1030
13.	इक्वेडर	820	950	1110
14.	मिश्र, अरब गणराज्य	340	420	500
15.	इथोपिया	110	110	120
16.	धाना	370	380	400
17.	ग्रीस	2950	3450	4140
18.	ग्वाटेमाला	830	930	1010
19.	गुआना	200	260	270
20.	होन्डरस	420	480	520
21.	हांगकांग	2620	3340	3640
22.	भारत	160	180	210
23.	इण्डोनेसिया	320	340	370
24.	इराक	1570	1850	2710
25.	आइवरी कोस्ट	770	950	1070
26.	जमाइका	1060	1190	1110
27.	जार्डन	940	1100	1200
28.	केनिया	290	350	390
29.	कोरिया गणराज्य	980	1000	उ०न०
30.	कुवैत	12690	15970	20250

1	2	3	4	5
31.	लीसोथो	250	300	370
32.	लिबेरिया	410	460	520
33.	माडागास्कर	230	250	330
34.	मालावी	150	180	220
35.	मैलेसिया	970	1150	1450
36.	मौरिटानिया	270	270	300
37.	मेक्सिको	1160	1400	1880
38.	मोरक्को	610	680	780
39.	मोजाम्बिक	140	240	250
40.	नीदर लैंड, एन्टील्स	7710	9200	10490
41.	निकारागुआ	870	840	610
42.	नाइजर	190	240	300
43.	नाईजीरिया	510	600	910
44.	पाकिस्तान	200	240	270
45.	पनामा	1200	1260	1550
46.	पपुआ न्यू गिनिया	510	620	760
47.	पाराग्वे	750	920	1140
48.	पेरू	720	680	850
49.	फीलीपिन्स	460	530	640
50.	पुर्तगाल	1840	1940	2060
51.	सौदी अरब	7230	6590	9960
52.	सिनेगल	380	360	450
53.	सिंगापुर	2820	3260	3770
54.	दक्षिणी अमरीका	1400	1580	2000
55.	स्पेन	3260	3960	4920
56.	श्री लंका	160	200	230
57.	सुडान	330	340	450
58.	तंजानिया	210	240	250

1	2	3	4	5
59.	थाईलैंड	430	530	600
60.	त्रिनिदाद और टुबैगो	2620	3010	3910
61.	तुनिसिया	840	990	1160
62.	तुर्की	1110	1250	1380
63.	उरुग्वे	1450	1790	2500
64.	वेनेज्वेला	2630	2850	3440
65.	युगोस्लाविया	2100	2100	2370
66.	जाम्बिया	460	510	540
67.	जिम्बगमरे	उत्तर नहीं	480	550

स्रोत : विश्व बैंक एटलस—1980 और 1981

पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता न होने के कारण न्यायालयों में लम्बित मामलों में विलम्ब

5199. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें एक मजिस्ट्रेट ने कहा है कि "न्यायालयों में अधिकांश लम्बित मामलों में पुलिस अधिकारियों की अनुपलब्धा के कारण विलम्ब होता है क्योंकि उन्हें साक्षी के रूप में आना पड़ता है ;"

(ख) क्या न्यायालय ने दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दो समन भेजने के बाद भी उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से इन्कार करने पर उसे चेतावनी दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सख्त निर्देश देगी कि पुलिस अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति में और इससे भी अधिक कार्य में व्यस्त रहने के बहाने पर न्यायालय के समनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ; और

(घ) क्या न्यायालय में उपस्थित न होने को कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता समझा जायेगा और इस तथ्य की प्रवृष्टि "कैरेक्टर रोल" में की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) और (घ) सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित तारीख पर न्यायालयों में उपस्थित होने के अनुदेश जारी किए गए हैं ; ऐसा न करने पर गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस्पात की वस्तुओं के भण्डार का जमा होना

5200. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में अब इस्पात की वस्तुओं का भारी भंडार जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार कितना भंडार जमा हो गया है ; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1982-83 की उत्पादन-योजना तैयार कर ली गई है तथा क्या ऐसा करते समय बढ़ते हुए वर्तमान भंडार पर ध्यान रखा गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) 1-8-1982 को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का स्टाक इस प्रकार था :—

(हजार टन)

कारखाना	1-8-1982 को स्टाक (आंकड़े अस्थायी हैं)
राउरकेला	37.3
भिलाई	102.8
दुर्गापुर	76.0
बोकारो	69.3
इस्को	28.6
कुल :	314.0

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए इन इस्पात कारखानों के लिए उत्पादन का कार्यक्रम प्रत्येक कारखाने के उत्पाद-मिक्स (प्राडक्ट-मिक्स) और उसकी उत्पादन क्षमता तथा उत्पादों की मांग को ध्यान में रख कर बताया गया है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार द्वारा इंसपेक्टरों को तैनात किया जाना

5201. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ने कुछ भविष्य निधि इन्स्पेक्टरों को निरीक्षण तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए तैनात करने के स्थान पर, जैसा कि अधिनियम की

धारा 13 में कहा गया है, उनको कार्यालय कार्यों के लिए पटना स्थित मुख्यालय में तैनात किया है जो अंशदान करने वाली तथा कर्मचारियों के हितों के पूरी तरह विरुद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया है कि बिहार में काम कर रहे 26 में से चार भविष्य-निधि निरीक्षकों की सेवाओं का मुख्यालय कार्यालय, पटना में उपयोग किया जा रहा है। उनको दिए गए कार्य को नीचे बताया गया है :

(i) उनमें से एक स्वागत अधिकारी के रूप में काम कर रहा है ताकि अंशदाताओं को अपनी शिकायतों का निपटान करने में मदद दी जा सके ;

(ii) उनमें से एक धारा 7-क कार्यवाहियों में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की सहायता कर रहा है ;

(iii) इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में तैनात एक भविष्य निधि निरीक्षक, जिसका कार्यक्षेत्र पटना क्षेत्रीय कार्यालय के समीप है, अपने क्षेत्रीय कार्य के अतिरिक्त सांख्यिकीय विवरणी से सम्बन्धित काम को भी देख रहा है।

(iv) एक और भविष्य निधि निरीक्षक को केवल न्यायालय के मामलों और अन्य सम्बद्ध मामलों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल श्रमिकों को परेशान किए जाने के मामलों को बन्द किया जाना

5202 . **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इण्डिया रेलवे इम्पलाइज कन्फेटशन, आल इन्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, इंडियन रेलवे लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन, धनबाद डिवीजन, पूर्वी रेलवे ने रेल श्रमिकों को उनकी मजदूर संघ गतिविधियों के कारण परेशान किए जाने के सम्बन्ध में उठाए गए अनेक औद्योगिक विवादों के मामले जो सहायक श्रमायुक्त (सी) धनबाद के समक्ष उठाए गए औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत अपेक्षित असफलता प्रतिवेदन सरकार को भेजे बिना बन्द कर दिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो सहायक श्रमायुक्त (सी) धनबाद द्वारा 1980 और 1981 के दौरान बन्द किए गए ऐसे मामलों के ब्यौरे क्या हैं और क्या ये मामले बाद में अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं जैसा कि पटना उच्च न्यायालय ने सी० डब्ल्यू ० जे० सी० नं० 193/1982 (आर) दिनांक 2 जुलाई, 1982 के द्वारा कहा गया था ; और

(ग) रेल कर्मचारियों के विवादों को माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन निपटाने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1980 में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद द्वारा प्राप्त किए गए अभिकथित तंग करने के मामलों का ब्यौरा तथा उन पर की गई कार्यवाही दर्शाई गई है। 1981 में उन्होंने कोई मामले बन्द नहीं किए थे। सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद ने श्री दुर्गा प्रसाद एम० एस० ग्रेड-I की गैर-कानूनी सेवा समाप्ति सम्बन्धी औद्योगिक विवाद के बारे में समझौता-विफलता रिपोर्ट भेजी है। सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

(ग) यह पता लगाने के लिए कि सरकार को इस संबन्ध में क्या कोई कार्यवाही करनी है, निर्णय की प्रति प्राप्त की जा रही है।

विवरण

1980 के दौरान सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद द्वारा प्राप्त किए गए रेलवे श्रमिकों को ट्रेड यूनियन संबंधी गतिविधियों के सिलसिले में अभिकथित सताए जाने के मामलों का ब्यौरा

क्र०	शिकायत करने अथवा विवाद उठाने वाली यूनियन का नाम	संक्षेप में उत्पीड़न का स्वरूप	प्रबंधतंत्र का नाम	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	इंडियन रेलवेज लोको-मकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन	श्री दुखी यादव के धनबाद से चौपान में अभिकथित स्थानान्तरण करके उन्हें तंग करने के बारे में।	डी० ई० एम० पूर्वी रेलवे, धनबाद	रेलवेज को पत्र लिखे जाने पर, रेलवे प्रशासन ने इन आरोपों को अस्वीकार किया और आदेश को
2.	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ	सचिव/वीकू/ बेमोब्रांच के. मंत्री और डी० ई० एन० (3), धनबाद के अधीन श्री भीम टी० बी० एस० मैन हानिया का अन्तर्प्रभागीय पेनल स्थानान्तरण के रूप में सताया जाना	डी० ई० एम पूर्वी रेलवे धनबाद	बदलने से इनकार कर दिया। इस लिए इन मामलों को बन्द कर दिया गया और ऐसोसिएशन/महासंघ को तदनुसार सूचित कर दिया गया।

1	2	3	4	5
3.	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ	श्री दुर्गाप्रसाद, एम० एस० जी० आई०, धनबाद और प्रभागीय मंत्री आई० आर० एल० एम० एस० ए० को ट्रेड यूनिम्न संबंधी गतिविधियों के सिलसिले में सेवा समाप्ति का गैर-कानून आदेश जारी करने के रूप में सताया जाना।	डी० ई० एम० पूर्वी रेलवे धनबाद	
4.	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ	श्री शिवधानी, बायलर मेकर खलासी बखाडिन और सहायक मंत्री, आई० आर० एल० एम० एस० ए० को ट्रेड यूनियन गतिविधियों के सिलसिले में सेवा समाप्ति का गैर-कानूनी आदेश जारी करने के रूप में सताया जाना।	डी० ई० एम०, पूर्वी रेलवे, धनबाद।	

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना को प्राप्त हुई दोषी मालिकों के विरुद्ध अभियोग रिपोर्टों की जांच

5203. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बिहार, पटना को गत तीन वर्षों के दौरान भावष्य निधि निरीक्षक संथाल परगना की ओर से दोषी मालिकों के विरुद्ध बहुत बड़ी संख्या में अभियोग रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और क्या उक्त आयुक्त ने क्षेत्र निरीक्षक द्वारा बार-बार स्मरण-पत्र दिये जाने के बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार किन्हीं उच्च अधिकारियों के माध्यम से सदस्यता के प्रश्न सहित समूचे मामले की जांच करवाने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार को भविष्य निधि निरीक्षक,संथल परगना से 67 अभियोजन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 26 रिपोर्टों में त्रुटियां पाई गई और उन्हें भविष्य निधि निरीक्षक को वापस भेजा गया। शेष 41 रिपोर्टों के बारे में की गई कार्यवाही का उल्लेख नीचे किया गया है :

(i) बकाया राशि निर्धारित की गई और अभियोजन मामले दायर/स्वीकृति किए गए ... = 12

(ii) बकाया राशि निर्धारित की गई लेकिन आगे कार्यवाही रोक दी गई क्योंकि प्रबन्धकों ने रिट याचिकाएं दायर कर दी ... = 8

(iii) ऐसे मामले जिन पर कार्यवाही की जा रही है। ... =21

(ग) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उन अभियोजन रिपोर्टों पर, जो उन्हें प्राप्त हुई हैं, पहले से ही कार्यवाही कर रहा है। अतः सरकार द्वारा छानबीन करने के आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में अण्डमान भवन का निर्माण

5204. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार सरकार ने अण्डमान भवन बनाने के लिए कलकत्ता में जमीन खरीदी है, और यदि हां, तो कब और किस मूल्य पर ;

(ख) इस जमीन पर रक्षात्मक रेलिंग यदि कोई लगाई गई है तो उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) अण्डमान भवन का निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क), (ख) और (ग) अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने कलकत्ता में अण्डमान भवन के निर्माण के लिए 61,498 रुपये की जमीन खरीदी और खरीद जनवरी, 1971 में पंजीकृत की गई थी। जून, 1982 तक रक्षात्मक रेलिंग के लिए 9,724 रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है। इस समय अण्डमान भवन के निर्माण के प्रश्न की कलकत्ता में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों से परामर्श करके जांच की जा रही है।

इण्डोनेशिया में चीनी के कारखानों की स्थापना

5205. **श्री राम लाल राही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय फर्मों ने इण्डोनेशिया में चीनी के विद्यमान कारखानों का विकास करने में तथा नये कारखाने खोलने में सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की एक कम्पनी ने इण्डोनेशिया में आद्योपान्त (टर्न-की) आधार पर 3000 टी० पी० डी० क्षमता वाले एक चीनी संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

आंध्र प्रदेश में समुद्र तटीय क्षेत्र में पवन चक्की लनाने के लिए राज सहायता

5206. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्र में पवन चक्कियां लगाई जा सकती हैं ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसी पवन चक्कियां लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज सहायता/अनुदान/सहायता दी है ;

(ग) कितने राज्यों ने केन्द्रीय सहायता प्राप्त की है ; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में 1982-83 में केन्द्रीय सहायता से कितनी पवन चक्कियां लगाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पवन चक्कियों की प्रतिष्ठापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कोई प्रत्यक्ष सहायता या अनुदान नहीं दिया गया है। तथापि, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, आन्ध्र प्रदेश सहित, विभिन्न राज्यों में, प्रदर्शन और क्षेत्र परीक्षणों के लिए जिन पवन पम्पों को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, उनकी पूंजी और परिवहन लागत को ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा पूरा किया जा रहा है। स्थानीय अवसंरचना की लागत पाने वाले राज्यों/अभिकरणों को देनी होगी।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में छः पवन पम्पों की प्रतिष्ठापना को पूरा कर लिया गया है और नौ और पवन पम्पों को लगाने का काम चल रहा है। 1982.83 कार्यक्रम के अन्तर्गत पवन पम्पों की प्रतिष्ठापना के लिए पचास और स्थलों को चुना जा रहा है।

पवनचक्कियों की स्थापना का कार्यक्रम

5207. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पवनचक्कियों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने के संसाधन का हमारे देश में भरपूर उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1982-83 में देश के विभिन्न भागों में पवनचक्कियों की स्थापना करने से संबंधित कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इससे बिजली का कितना उत्पादन होने की आशा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1982-83 में देश के विभिन्न भागों में पवनचक्कियों को, जिनको पहले से ही विकसित किया जा चुका है, प्रदर्शन एवं क्षेत्रीय परीक्षण के उद्देश्यों से लगाने का प्रस्ताव है । अभी तक जिन पवनचक्कियों का विकास हुआ है उनसे 1 से 4 अश्वशक्ति तक के विद्युत पम्पों द्वारा निकाले गए पानी के बराबर पानी निकाला जा सकता है । अभी इन पम्पों का कार्य निष्पादन आंतरायिक है व विद्यमान पवन वेग, चूषण, जलस्तर, विसर्जन नलिका इत्यादि कारकों पर निर्भर है । ये पवनचक्कियां 2.5 मील प्रति सैकण्ड की हवा की गति से कम हवा पर काम नहीं करती हैं, व 10 मील प्रति सैकण्ड या इससे अधिक की गति पर रुक जाती हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की हानि न हो । विकेन्द्रीकृत शक्ति उत्पादन के लिए 1 से 2.5 किलोवाट की क्षमता के पवन जनित्र प्रयोगात्मक स्तर पर विकसित कर लिये गए हैं और उनके भी क्षेत्रीय परीक्षण किये जायेंगे ।

कन्नागी मन्दिर का स्थान

5208. **श्री एन० डेनिस :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीमती कन्नागी मन्दिर के स्थान के बारे में तमिलनाडु और केरल सरकारों के बीच के विवाद के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या पुरातत्व प्रशासन ने इस मामले में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में विवाद को हल करने हेतु की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) से (ग) मंगलादेवी (कन्नागी) मन्दिर के स्थान के विषय में तमिलनाडु और केरल सरकार के विचारों में भिन्नता है । भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा मामले की कोई जांच नहीं की गई है । भारत सरकार ने दोनों राज्य सरकारों को आपसी विचार-विमर्श से मामले को हल करने पर विचार करने की सलाह दी है । यदि राज्य सरकारें इस विषय में कोई सहायता चाहेंगी तो भारत सरकार को इस प्रकार की सहायता देने में प्रसन्नता होगी ।

हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी का राष्ट्रीयकरण

5209. **श्री रेणुपद दास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय उप-समिति ने हुगली डाकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) कम्पनी के भविष्य के बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत

5210. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक मंत्रालय में कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अब तक छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : विभिन्न मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अपने कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत दावे मंजूर करने के लिए सक्षम हैं । चूंकि ऐसे दावों के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का कोई विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है इसलिए यह सूचना इस विभाग द्वारा नहीं रखी जाती ।

परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के कारण हानि

5211. **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल के संघ द्वारा किए गए अध्ययन की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि 100 करोड़ रुपये की एक परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने में एक दिन के विलम्ब से सम्बन्धित कम्पनी को 2.5 लाख रुपये, सरकार को 16 लाख रुपये के राजस्व और देश को 27 लाख रुपये के उत्पादन का घाटा होता है और इस प्रकार देश को पिछले 30 वर्षों के दौरान, 5,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष घाटा हुआ है ;

(ख) उत्तर आंकड़ों की तुलना में सरकारी निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) क्या विलम्ब को रोकने के लिए स्वीकृति देने की प्रकिया को सरल बनाया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ग) सम्बन्धित वक्तव्य फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के 27 मार्च, 1982 के 55 वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण का ही एक अंग है । किस आधार पर इन आंकड़ों की गणना की गई है, सरकार को इसका पता नहीं है । अभी तक सरकार के लिये इसकी गहराई की जांच करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हुआ है । जो भी हो, सरकार द्वारा अनुमति देने

की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले अन्य किसी भी वर्ष की अपेक्षा एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत दी गई अनुमतियां अधिक शीघ्रतापूर्वक तथा बड़ी संख्या में दी गई हैं। अब विलम्ब स्वीकृति प्रदान करने की स्थिति से हटकर स्वीकृति देने के उपरान्त कार्यान्वयन के स्तर पर रह गया है।

चरस तथा अफीम का बरामद होना

5212. **श्री दौलत राम सारण :**
श्री जगपाल सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 20 जून, 1982 के "नवभारत टाइम्स" में "डेढ़ लाख रुपये की चरस मारफीन बरामद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि पुलिस इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त तस्करों से पैसे लेकर इन मामलों को बन्द कराने का षड़यन्त्र कर रही है ; और

(घ) ऐसी तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस सम्बन्ध में पुलिस स्टेशन रजौरी गार्डन में दो मामले दर्ज दिए गए हैं और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) यह कहना सच नहीं है कि पुलिस मामलों को बन्द कराने के लिए षड़यन्त्र कर रही है। जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद मामले न्यायालय को भेजे जायेंगे।

(घ) नशीली दवाइयों सहित विभिन्न वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए निवारात्मक और आसूचना तन्त्र को सुदृढ़ किया गया है और केन्द्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य और अन्य देशों की प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाया जा रहा है।

एल्यूमिनियम के उत्पादन में सुधार

5213. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एल्यूमिनियम के उत्पादन में सुधार हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एल्यूमिनियम के उत्पादन की वर्तमान दर और भंडार से देश की मांग को पूरा किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो दिनांक 30 जून, 1982 तक देश में एल्यूमिनियम की कुल घरेलू मांग कितनी थी तथा उसकी उत्पादन दर क्या थी ;

(घ) क्या उत्पादन में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार का वर्ष 1982-83 में उक्त धातु के आयात पर पाबन्दी लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) 1982-83 की प्रथम तिमाही में एल्यूमिनियम का उत्पादन गत वर्ष की समान अवधि के 52,343 टन उत्पादन की तुलना में 51897 टन है। हीराकुण्ड प्रद्रावक के बन्द हो जाने तथा बिजली की कमी से अन्य प्रद्रावकों में कम क्षमता उपयोग के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। पुनः बिजली उत्पादन बढ़ाने पर इस उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार होने की आशा है।

एल्यूमिनियम की मांग कम रही है क्योंकि राज्य विद्युत बोर्ड पहले अनुमानों के अनुसार कांडक्टरों और फेबुलों के लिए आर्डर नहीं दे रहे हैं। बिजली और अन्य निवेश सामग्री के लागत मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप एल्यूमिनियम मूल्य अधिक हो जाने के कारण वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम की खपत भी प्रभावित हुई है। 1982-83 की प्रथम तिमाही में उत्पादकों और खनिज एवं धातु व्यापार निगम से 58,636 टन धातु की खरीद की गई।

1981-82 से आयात में भारी कटौती की गई है तथा चालू वर्ष में अभी तक कोई आयात नहीं किया गया है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और यदि कमी की सम्भावना होगी तो मांग और देसी उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिए आयात किया जाएगा। जून 1982 क अन्त में उत्पादकों और खनिज एवं धातु व्यापार निगम के पास एल्यूमिनियम का स्टाक 37,000 टन था।

नए 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

5214. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को क्या अनुदेश दिए गए थे और ये किन तारीखों को दिए गए थे ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं तथा इसके सुचारु और व्यवस्थित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रशासनिक उपाय किए गए हैं ; और

(ग) कौन-कौन-सी राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को ठीक ढंग से क्रियान्वित कर रही हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) प्रधान मंत्री जी ने इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए सलाह देते हुए दि० 21-1-82 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था। इस कार्यक्रम में शामिल सभी स्कीमें जारी स्कीमें हैं और कार्यान्वयन के लिए अनुदेशों की दृष्टि से किसी नई बात की आवश्यकता नहीं थी। योजना आयोग द्वारा इस कार्यक्रम की प्रगति के प्रबोधन के बारे में दि० 29-1-82, 17-4-82 और 26-6-82 को अनुदेश जारी किए गए थे।

(ख) और (ग) यह कार्यक्रम सभी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की प्रगति की प्रत्येक महीने में समीक्षा की जा रही है।

अनुसूचित जातियों के लिए नगरपालिका की दुकानों/कियोस्कों का आरक्षण

5215. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन (रजि०) अम्बेदकर भवन, नई दिल्ली से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें अनुसूचित जातियों के पक्ष में नगर-पालिका के दुकानों/कियोस्कों के प्रचार और आरक्षण की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि आर० पी० सैल के सहायक आयुक्त ने उपरोक्त एसोसिएशन को समय समय पर आश्वासन दिया है कि यह मामला विचाराधीन है ; और

(घ) वर्ष 1980 से 1982 तक पाकेट-वार और वर्ष-वार कुल कितनी दुकानें/कियोस्क बनाये गये और अब तक आवंटित किये गये तथा उपयुक्त अभ्यावेदन की प्राप्ति से पहले और बाद में अनुसूचित जातियों को कितनी दुकानें/कियोस्क आवंटित किए गए ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन्हें दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष में नगर निगम की दुकानों/कियोस्कों का आरक्षण करने और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संगठनों में इसका पर्याप्त प्रचार करने की मांग की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के उपबन्धों के अनुसार जिस सम्पत्ति को सामान्य और उचित प्रतियोगिता से प्राप्त किया जाता है, उसके अलावा सम्पत्ति का निपटान निगम द्वारा नहीं किया जा सकता है, निगम के लिए उनके अनुरोध को सीधे मानना सम्भव नहीं है। प्राप्त अभ्यावेदनों और निगम द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने, 1980-81 और 1982 के दौरान क्रमशः लगभग 30,30 और 15 कियोस्क बनाए हैं। इन सभी कियोस्कों का निपटान आम नीलामी से किया गया था, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य भी भाग ले सकते थे। चूंकि आरक्षण कोटे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कोई कियोस्क आवंटित नहीं किया गया था, अतः यह सूचना कि क्या कोई खरीदार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय का सदस्य था, दिल्ली नगर निगम के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

स्वतंत्र सेवा न्यायाधिकरणों का बनाया जाना

5216. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री आर० प्रभु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवा स्थितियों और अनुशासनात्मक नियमावली सम्बन्धी मामलों को उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से अलग करने के लिए स्वतंत्र सेवा न्यायाधिकरण बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेवा सम्बन्धी अनेक मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में पर्याप्त समय से लम्बित हैं और जिसका प्रभाव अन्य संवर्गों के आवश्यक मामलों पर पड़ता है, सरकार का विचार ऐसे न्यायाधिकरण शीघ्र स्थापित करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्तावित प्रशासनिक न्यायाधिकरण के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कोयला खानों में घातक दुर्घटनायें

5217. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कोयला खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए अथवा घायल हुए ;

(ग) क्या सभी मामलों की जांच कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

अखबारी कागज की कमी

5218. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अखबारी कागज बनाने के लिए कच्चे माल के स्रोतों के संबंध

में कोई अध्ययन कराया है अथवा कच्चे माल का उपयोग करने के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में अखबारी कागज के कच्चे माल की गम्भीर रूप से कमी चल रही है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अखबारी कागज के कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ; और

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1980,1981 और 1982 में अब तक अखबारी कागज के कच्चे माल की आपूर्ति की है अथवा आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार अखबारी कागज के उत्पादन के लिए कच्चे माल के सम्भाव्य संसाधनों से अवगत हैं।

(ग) और (घ) अखबारी कागज के लिए कच्चे माल के परम्परागत साधन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, सरकार परम्पराभिन्न कच्चे माल के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और खोई तथा मिले-जुले रद्दी कागज और अखबारी कागज की रद्दी से अखबारी कागज के उत्पादन के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है

(ङ) लकड़ी की लुगदी, जो अखबारी कागज बनाने के लिए प्रमुख कच्चा माल है, प्रतिस्पर्धी आधार पर न्यूजीलैण्ड, कनाडा, उत्तरी अमरीका और स्वीडन से आयात की जा रही है।

विदेशी सहयोग प्राप्त टायर उत्पादक कम्पनियां

5219. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी टायर उत्पादक कम्पनियां हैं जिन्हें विदेशी सहयोग मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग कर रखा है ; और

(ग) उसमें वस्तुतः कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है तथा विदेशी निवेश का प्रतिशत कितना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

टायर कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	निहित वास्तविक राशि (विदेशी इक्विटी धारित)	विदेशी निवेश का प्रतिशत
1. मै० डनलप इंडिया लि०	मै० डनलप लिमिटेड, यू० के०	रु० 7,51,52,290/-	50.113
2. मै० गुडइयर इंडिया लि०	मै० गुडइयर टायर एण्ड रबर कं०, यू० एस० ए०	रु० 4,48,42,000/-	59.93
3. मै० सिएट टायर्स आफ इण्डिया लि०	मै० सिएट इण्टरनेशनल एस० ए०, स्विटजरलैंड	रु० 2,08,39,200/-	39.00
4. मै० मोदी रबर लि०	मै० कान्टीनेंटल गम्मी वर्के, वैस्ट जर्मनी	—	—
5. मै० एम० आर० एफ० लिमिटेड	मै० वी० एफ० गुडरिच, यू० एस० ए०	—	—
6. मै० जे० के० इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मै० जनरल टायर इण्टरनेशनल कम्पनी, यू० एस० ए०	—	—
7. मै० अपोलो टायर्स लि०	—वही—	—	—
8. मै० विक्रान्त टायर्स लि०	मै० एवन टैक्नीकल सर्विसेज, यू० के०	—	—

करोल बाग स्थित दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय को खतरनाक भवनों के बारे में प्राप्त शिकायतें

5220. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम जोनल कार्यालय, करोल बाग की ओर से खतरनाक भवनों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) सरकार को दिल्ली नगर निगम जोनल कार्यालय, करोल बाग़ की ओर से खतरनाक भवनों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2966 दिनांक 28-7-82 में शुद्धि करने वाला विवरण

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : प्रश्न का उत्तर प्रथम मुद्रित रूपान्तर के आधार पर दिया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा मोटर साइकिलों और कारों का आयात करने का उल्लेख था। बाद में शब्द "आयात" के स्थान पर "खरीद" करके प्रश्न में संशोधन कर दिया गया। संशोधित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है :—

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या एशियाड 1982 के दौरान प्रयोग करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में नई मोटर साइकिलों और कुछ कारों की खरीद की है ;	(क) और (ख) :—गत वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए 15 एम्बेसडर कार, एक जीप और 90 मोटर साइकिलें खरीदी गई हैं जिनका मूल्य 22,28,215.00 रुपये है
(ख) ये वाहन कब खरीदे गए तथा उनकी संख्या और कीमत कितनी है ;	
(ग) क्या तब से ये वाहन पुलिस लाइंस में प्राकृतिक क्षति से अरक्षित पड़े हुए हैं।	(ग) पुरानी पुलिस लाइन में केवल 9 कारें और 10 मोटर साइकिलें खड़ी हैं।
(घ) क्या देर तक उपयोग न किए जाने से वाहन बाद में उपयोग के योग्य नहीं रह जाते हैं ; और	(घ) तथा (ङ) वाहनों को चालू हालत में रखने के लिए उन्हें समय-समय पर बाहर निकाला जाता है। मोटर साइकिलें गैरेज में रखी जाती हैं।
(ङ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ताकि अनावश्यक हानि न उठानी पड़े ?	

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : महोदय, मैंने तमिलाडु में प्रेस की स्वतंत्रता कम करने के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव दिया था। **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : प्रधान मंत्री जी जा रही हैं। हम लोग बिहार प्रैस बिल के बारे में जानना चाहते थे। **(व्यवधान)**

श्री सी० टी० दण्डपाणि : विधान परिषद के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल में रखा गया था। उन पर अजमानती अपराध लगाया गया है। मैं इस मामले पर पूरी चर्चा चाहता हूं। तमिलनाडु में प्रेस को बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। सम्पादकों को सरकार द्वारा धमकी दी जा रही है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : बिहार के मुख्य मंत्री महोदय संसद सदस्यों पर उस विधेयक के हक में अपने हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहें हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम अफवाहों में विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें आने दीजिए। आप उनकी ओर से इस काम को नहीं कर सकते। उन्हें ही इसे करने दीजिए, यदि··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? आपको किया है ?

श्री हरिकेश बहादुर : कुछ लोगों को किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप कैसे कह सकते हैं ?

इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। संसद सदस्य काफी जिम्मेदार, स्वतंत्र तथा काफी शक्तिवान हैं।

श्री रामविलास पासवान : फ्रीडम आफ दी प्रेस का सम्बन्ध देश की स्वतंत्रता से है। पेपर्ज में यह मामला आया। कांग्रेस (आई) के जनरल सेक्रेटरी श्री तारिक अनवर ने कहा है कि एम० पीज को प्रेशराइज किया जा रहा है : **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले पर पहले ही विचार-विमर्श कर लिया है। जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : मैंने तमिलनाडु में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह समाप्त हो गया है। आपके नेता ने ऐसा किया है।

श्री के० मायातेवर : वे तानाशाही तथा निरंकुश ढंग से कार्य कर रहे हैं। प्रेस को दबाया गया है। मुझे सूचना मिली है कि तमिलनाडु में इथीरोली, थिनाकरम तथा मलाई मुरन जैसे समाचार पत्रों के सम्पादकों को गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में पहले ही सुन चुका हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। **(व्यवधान)****

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गंगवार ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : आडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है कि तेरह करोड़ रुपये का गेहूं बरबाद हो गया है, एफ़-सी० आई०··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । इस तरह नहीं । उसके लिए इस तरह अनुमति नही दी जाती है । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को 377 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति दे चुका हूं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । इस तरह नहीं । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है । पी० ए० सी० के पास चली जाएगी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (जादवपुर) : हमारा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था । लेकिन प्रेस की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित प्रश्न गम्भीर होता जा रहा है·····

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस सत्र में मैं कुछ नहीं कर सकता । जी नहीं, अनुमति नहीं है । अब श्री बी० डी० सिंह ।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : तेरह तारीख को सेशन खत्म हो रहा है । एम० पीज के लिए एशियाड की···टिकटों के बारे में क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आ रहा है । (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैंने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया है··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है । कोई प्रश्न नहीं । अनुमति नहीं है । फिजूल की बात करने का कोई फायदा नहीं है । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल अनुमति नहीं है ।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री जगपाल सिंह : क्यों नहीं ?···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । मैं आपको कोई कारण नहीं बता सकता । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पहले ही दे चुका हूं । अनुमति नहीं है । (व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । जो कुछ वे कहते हैं उसे कार्रवाई में शामिल न किया जाए। श्री शास्त्री । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता । अनुमति नहीं है । (व्यवधान)**

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, के अन्तर्गत अधिसूचना, पटेन्ट, डिजाइन तथा पण्य चिन्ह के महानिदेशक का 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना, ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, आदि-आदि ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) मैसर्स आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपटनम के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में का० आ० 442(अ), जो 25 जून, 1982 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) मैसर्स एसोशिएट इण्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में का० आ० 480(अ), जो 7 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) मैसर्स ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में 21 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित का० आ० 515(अ)।

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 466(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 30 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो मैसर्स कार्टर पूलर एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4438/82]

(3) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेंट, डिजाइन तथा पण्य-चिह्न महा-नियन्त्रक के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4439/82]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 432 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 जून,

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें कागज (संरक्षण और प्रयोग का विनियमन) आदेश, 1974 के विखण्डन से सम्बन्धित आदेश दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4440/82]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4441/82)

(ख) (एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त मद (5) के (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4442/82]

इस्को-स्टेंटन पाइप एण्ड फाउंड्री कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट एवं विलम्ब के लिए विवरण।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इस्को-स्टेंटन पाइप एण्ड फाउंड्री कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता, के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इस्को-स्टेंटन पाइप एण्ड फाउंड्री कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4443/82]

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को बताने वाला विवरण ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण एवं आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से :

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन* तथा लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथागार में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4444/82]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग के वर्ष 1979-80 का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई सम्बन्धी ज्ञापन (1979-80 तथा 1980-81) और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन ।

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग के वर्ष 1979-80 के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी०-4445/82]**

(2) संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1979-80 और 1980-81 के प्रतिवेदन-भाग 1 और 2 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4446/82]**

(3) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15-क की उपधारा (4) के अन्तर्गत 31 सिदम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 15-क के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी०-4447/82]

टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा, विलंब के कारणों के बारे में एक विवरण ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

*वार्षिक प्रतिवेदन 4 मार्च, 1982 को सभा-पटल पर रखा गया था ।

(1) टाटा इन्स्टीच्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(2) (क) टाटा इन्स्टीच्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी०-4448/82]

हिन्दी के प्रसार तथा विकास तथा उसके कार्यान्वयन के बारे में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951, तथा दिल्ली पुलिस (दंड तथा अपील) संशोधन नियम 1982 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : मैं श्री पी० वेकट सुब्बैय्या की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) हिन्दी के प्रसार और विकास तथा केन्द्र में विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को तेज करने के कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के बारे में वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी०-4449/82]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनिमम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम 1982, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत में राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 616 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1982 जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 617 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1982, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 618 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन विनियम, 1982, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 619 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी०-4450/82]

(3) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस (दण्ड तथा अपील) (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 27 जुलाई, 1982 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-5/132/81-होम (पी)/इस्टेब्लिशमेंट में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए । सं० एल० टी०-4451/82]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप क्यों नहीं अलाऊ कर रहे हैं ?··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं अलाऊ कर रहा हूं। (व्यवधान)*

भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1982, जो 22 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 477 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1982, जो 5 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 530 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 4452/82]

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत सम्पत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन नियम, 1982 तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण और आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(एक) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत सम्पत्ति के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 482(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये स० एल० टी० 4453/82]

(तीन) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का०आ० 2612, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1975-76 से 1982-83 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "ड्रौट प्रोन एरिया प्रोग्राम एजेंसी, अहमदाबाद" को छूट देने के बारे में है।

(दो) का० आ० 2612, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

*अनुमति नहीं दी गई।

था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारित वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "साबरमती आश्रम प्रेजर्वेशन एण्ड मैमोरियल ट्रस्ट" को छूट देने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 2614, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1981-82 से 1983-84 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "चिल्ड्रन्स लिटल थियेटर" को छूट देने के बारे में है।

(चार) का० आ० 2615, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1978-79 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "गंगाजली फंड ट्रस्ट" को छूट देने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 2616, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "दि अहमदाबाद टैक्सटाइल मिल्स फाउंडेशन" को छूट देने के बारे में है।

(छः) का० आ० 2618, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 और 1983-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "इण्डिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर (पंजीकृत)" को छूट देने के बारे में है।

(सात) का० आ० 2619, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1981-82 से 1982-83 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "सर होमी मेहता चेरिटी ट्रस्ट" को छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 2620, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 और 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "श्री राम चन्द्र मिशन" को छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 2621, जो 24 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1979-80 से 1982-83 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "मराठी मिशन" को छूट देने के बारे में है।

[प्रन्यालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 4454/82]

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

सचिव : मैं 1 जून, 1981 से 31 मई, 1952 तक की अवधि के बारे में 'संसदीय समितियां—कार्य का सारांश' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं०-एल० टी० 4455/82]

———

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया प्रथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1982 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 अगस्त, 1982 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

———

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, कहीं का चीफ मिनिस्टर किसी एम० पी० को धमकी दे सकता है ?···(व्यवधान)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री पी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण तथा दहेज प्रथा की बुराई से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधि में किये जाने वाले संशोधनों के प्रश्न की जांच करने के लिये दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

———

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 संबंधी संयुक्त समिति

साक्ष्य

श्रीमती कृष्णा साही : मैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण और दहेज प्रथा की बुराई से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधि में किये जाने वाले संशोधनों के प्रश्न की जांच करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखती हूं ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

रेल अभिसमय समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : मैं रेल व्यय के पूंजी और राजस्व लेखाओं को नियतन के वर्तमान नियमों, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि तथा दुर्घटना प्रतिपूर्ति, सुरक्षा और यात्री सुविधाएं निधि की समीक्षा सम्बन्ध, रेल अभिसमय समिति (1980) के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही" सम्बन्धी रेल अभिसमय समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब तक क्या कर रहे थे ?···(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा पौइंट आफ आर्डर है । क्या यहां के सम्मानित सदस्य को कोई मुख्य मंत्री धमका सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा अगर किसी मेम्बर को कोई धमकी देता है तो वह मेरे पास आ सकता है । (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : हमने नोटिस दिया है । हमने ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है । मेम्बर्स की प्रिवलेज का मामला है ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको दी किसी ने धमकी ? आप सारे क्यों बोल रहे हैं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार (पीलीभीत) : हमको धमकी दें, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रेस वालों को धमकी न दें।

अध्यक्ष महोदय : आपको धमकी दी है तो आप आयें। जिसको दी है वह आये। अगर किसी आनरेबिल मेम्बर को कोई धमकी देगा तो मेरे पास आ जाए।

मैं सुनी-सुनाई बात पर कोई कार्यवाही नहीं करूंगा। अब श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी बोलें। (व्यवधान)

अगर किसी मेम्बर को कोई धमकी देगा तो मेरे पास आएगा। आपने ठेका लिया है ?

आप खामखाह ऐसी हास्यजनक बातें करने का यत्न क्यों कर रहे हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह हमारा राइट है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, देखिये बिना वजह समय बरबाद करना ठीक नहीं है अगर कोई मेम्बर को तकलीफ है तो मेरे से कह सकता है। अब आपकी बात का मैं कैसे विश्वास करूं ?

मैं आपकी बात का विश्वास नहीं करूंगा। होने दो शोर-शराबा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आपको पूरे फैक्ट्स दे रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस शोर को सुनने वाला नहीं हूं।

मैं आपको समय नहीं दूंगा। समाप्त (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समय नहीं दे सकता ?

एक माननीय सदस्य : इस बीमारी का कुछ इलाज कीजिए। (व्यवधान)

यह रोज की बीमारी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं नियमों के अनुसार चला हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस शोर को सुनने का आदी नहीं हूं।

श्री जगपाल सिंह : मैं भी दबने वाला नहीं हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मत करिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए सब बराबर हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। जो कुछ वह कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह व्यक्ति उन्मत्त हो गया है। नहीं मानता मैं।

श्री जगपाल सिंह : क्यों नहीं मानते ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनको बता दो कि यह फैक्ट्स इसमें नहीं आते।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पहले आप नियम पढ़िये उसके बाद मेरे पास आइए। चिल्लाइये मत। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनको पढ़ दो, यह रूल्स। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने रूल दे दिया। इसकी अनुमति नहीं है। समाप्त।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। नियम पढ़िए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। और यही मेरा विनिर्णय है। आप मुझे तथ्य दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समझ में नहीं आती, इस तरह करने से क्या हाउस चलता है? सारा हाउस बैठा है कम-से-कम इस तरह के मामले में हाउस को सोचना चाहिए। इस तरह से गाड़ी नहीं चलती है। क्या यही शिष्टाचार है? इसकी अनुमति लेने का यह तरीका नहीं है। बाहर के लोग क्या सोचते होंगे? ऐसे क्या डैमोक्रेसी चलती है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इटारसी में हजारों थैले डाक के रेलवे स्टेशन पर आर० एम० एस० के कार्यालय में इकट्ठे हो गए। ये तीन महीने से इकट्ठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिए। ऐसे थोड़े ही होता है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिए। हां, श्री गिरधारी लाल व्यास क्या बात है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे काम चलेगा तो दुनिया में एक ही आदमी चला लेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री राय आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं कहना चाहता हूं कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री ए० के० राय : व्यवस्था का प्रश्न है। केवल एक प्रार्थना है। कुछ दिन पहले आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप नियम 184 के अधीन टोपा कोयला खान दुर्घटना पर चर्चा की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बाबा, नहीं टाइम मिला, मैंने इसे यहीं तक लिया था। मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब इन्कार किया आपको? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आपको सुना था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : राष्ट्रीय राजमार्ग देश में बहुत-से राज्यों के 6 बड़े भीड़-भाड़ वाले शहरों और कस्बों से होकर गुजरते हैं। गत कुछ दशकों के दौरान शहरों और कस्बों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है और इन शहरों और कस्बों के बीच में राष्ट्रीय राजमार्गों का होना न केवल खतरनाक साबित हुआ है बल्कि जनजीवन के लिए सतत शांति भंग करने का माध्यम भी साबित हुए हैं। भारी और तेज गति वाले वाहन राष्ट्रीय राजमार्गों पर से गुजरते रहते हैं और सघन आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में इससे गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं।

भीड़-भाड़ वाले शहरों में इन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना सम्भव नहीं है। इस समस्या का एक मात्र हल यह है कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों को शहरों के मध्य से गुजारने की बजाय शहरों की सीमाओं के साथ से गुजारा जाए। इसके लिए इन सभी शहरों में, भीड़-भाड़ वाले इलाकों को बचाकर, अतिरिक्त वाहन सड़कें बनाई जानी चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 अमरावती में से गुजरता है। यह शहर महाराष्ट्र का प्रभागीय मुख्यालय है और सघन आबादी वाला शहर है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस शहर के संबंध में पहले एक स्कीम का अनुमोदन किया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

ऊपर बताई गई राष्ट्रीय राजमार्गों सम्बन्धी समस्याएं राष्ट्रीय समस्याएं हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अतिरिक्त मार्ग खण्ड बनाने के लिए स्कीमें बनानी होंगी ताकि शहर में भीड़-भाड़ वाले इलाके से बचा जा सकें। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अपेक्षित धन देना होगा और राज्य सरकारों को ऐसे कार्यक्रमों का तेजी से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी करने होंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, लंच आवर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कहते हैं, तो नहीं रखते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इससे ज्यादा काम निपट जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : गंगवार के कहने पर भोजन काल स्थगित किया जाता है। क्या यह सभा की मर्जी है कि वह इसे स्थगित करे ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह प्रजातंत्र है। जब प्रधान मंत्री चली गई हैं तो सभी चले गए हैं।

मंत्रीगण भी चले गए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं यहीं हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप तो आश्रित हैं।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय प्रजातंत्र किसी पर आश्रित नहीं है।

प्रजातन्त्र समस्त सदन पर आश्रित है। (व्यवधान)

(दो) उड़ीसा में पारादीप में एक आयल टर्मिनल स्थापित करना

श्रीमती जयन्ती पटनायक (केन्द्रपाडा) : राज्य में एक तेल टर्मिनल की कमी के कारण उड़ीसा के विभिन्न भागों में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई असम्भव हो गयी है। राज्य सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में वृद्धि करने की दृष्टि से पारादीप में एक तेल टर्मिनल की स्थापना करने के लिए भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। तदनुसार भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिससे उस पत्तन पर एक तेल टर्मिनल की स्थापना करने की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया था तथा उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। लेकिन भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में आगे और कार्यवाही नहीं की है। यदि राज्य में एक तेल टर्मिनल की स्थापना नहीं की जाती है तो राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के पर्याप्त स्टाक को रख पाना बहुत कठिन है।

तेल टर्मिनल की स्थापना के लिए पारादीप एक उपयुक्त स्थान है। पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई को सम्पूर्ण राज्य में तेल टर्मिनल की स्थापना करके ही तेज किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह मांग करती हूं कि भारत सरकार को पारादीप में जल्दी से जल्दी तेल टर्मिनल की स्थापना के कार्यक्रम को तेज करना चाहिए।

(तीन) मिर्जापुर जिले के कुछ खण्डों को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र घोषित करने की मांग

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में स्थित मेरा मिर्जापुर जिला लगभग 300 किलोमीटर लम्बा है तथा 100 किलोमीटर चौड़ा है। मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग में एक ही तहसील में कोयले की खान तथा बिजली के कारखाने एवं लाइम-स्टोन होने के कारण वहीं पर व्यक्तिगत क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में जिले के एक भाग में उद्योग स्थापित होने के कारण सम्पूर्ण जिले की औसत आय तथा औसत राजस्व बढ़ जाने के कारण हमारा मिर्जापुर जिला औद्योगिक पिछड़ेपन की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आ पा रहा है, जबकि जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का 75 प्रतिशत जन-समूह गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहा है। हमारे क्षेत्र का पुराना मिर्जापुर शहर तथा आसपास का ग्रामीण क्षेत्र उजड़ रहा है। शहर के पास तथा तहसील मिर्जापुर में बड़े तथा मझोले उद्योगों का सर्वथा अभाव है। औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित न होने के कारण निजी क्षेत्र में भी कोई उद्यमी मिर्जापुर में उद्योग लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि

उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्र की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। मिर्जा तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारों को काम रहा है। गरीबी बढ़ रही है। लोग बाहर भाग रहे हैं। परम्परागत उद्योग भी क्षीण हो मेरा सरकार से निवेदन है कि मिर्जापुर जिले के छानवे, लालगंज, सिटी, हलिया, कौन या मिर्जापुर की सदर तहसील को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जाए तथा शहर के आसपास कम से कम एक बड़ा तथा कुछ मझोले उद्योग स्थापित किए जाएं।

(चार) बिहार के कटिहार जिले में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के लिये राहत उपाय

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो बिहार सूखे से था किन्तु अब बाढ़ से जूझ रहा है। अभी विशेष वर्षा न होने पर भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिले के अहमदाबाद ब्लाक स्थित नाम गुआगाची तथा आजमनगर ब्लाक में धवौल महा के कटाव के कारण चिन्ताजनक हालत में हैं तो बरारी ब्लाक में जौनियां तटबन्ध त चौकिया पहाड़पुर तटबन्ध के चेन संख्या शून्य से 200 तक में गंगा नदी के कटाव से गम्भी उत्पन्न हो गया है। महानन्दा तटबन्ध के धवौल ग्राम में तटबन्ध टूट गया है एवं उसी त सिकरिया बहारखाल एवं शेशपुरा में भयंकर कटाव जारी है। किसी समय भी तटबन्ध कर है। इसलिए उन सभी लोगों को बचाने के लिए तत्काल कोई उचित व्यवस्था सरकार करे

बाढ़ की उक्त स्थिति से निपटने के लिए काफी पहले एक योजना बनाई गई उसके एस्टीमेट को भी अक्टूबर 1981 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। किन्तु स अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही 10 महीने बीतने पर भी कोई कार्यान्वयन आज हो सका तथा बाढ़ का खतरा क्षेत्र की जनता के समक्ष उपस्थित हो गया। इस प्रकार की के कारण वहां की जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है जो स्वाभाविक भी है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि कटिहार जिले की जनता को बाढ़ की भयाव से बचाने के लिए तत्काल कोई ठोस व्यवस्था करे तथा उन लोगों को मदद आदि भी पहुंच उनके सामने भुखमरी की स्थिति और अधिक पैदा न हो। इसके साथ ही बाढ़ का प्रको होने के तत्काल बाद ही उक्त योजना पर अमल शुरू कराया जावे ताकि भविष्य में बाढ़ होने वाले जन एवं धन के नुकसान से बचा जा सके और वहां की जनता को भी कष्ट मिल सके।

(पांच) पेरियार ई० वी० रामास्वामी के जन्म दिन 17 सितम्बर को सामाजि न्याय दिवस के रूप में मनाना*

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) श्री थनथाई पेरियार के जन्म दिन को मान 17 सितम्बर को सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जाये। वर्ष 1922 से 1973 त पेरियार ने वर्णाश्रम धर्म तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक अत्याचार लगातार संघर्ष किया। उनका जन्म 17 सितम्बर को इरोड में हुआ था। उनका जन्म

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

देश की जनता में एक उल्लास का दिन हो गया है। उन्होंने अपने जीवन का अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों की सेवा तथा उनकी सामाजिक बराबरी तथा उत्थान की वेदी पर बलिदान किया। उनके जन्म दिवस, 17 सितम्बर को उनकी यादगार में एक सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए।

(छः) कागज का मूल्य अधिक होने के कारण प्रकाशन उद्योग में कथित संकट*

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं। प्रकाशन उद्योग कागज के अधिक मूल्य के कारण गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। पिछले वर्ष से यह उद्योग पाठ्य पुस्तकों के लिये रियायती दर पर कागज प्राप्त करने में असफल रहे हैं। कागज उपलब्ध न होने से पाठ्य पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि हुई है। नये प्रकाशनों की संख्या भी घट गयी है।

यह खेदजनक है कि पिछले दशक में कागज की कीमत में 400 प्रतिशत से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप किताबों की कीमतों में वृद्धि हुई है जिससे सामान्य जनता को ही कठिनाई नहीं हुई है बल्कि छात्रों, लेखकों यहां तक कि स्वयं प्रकाशकों को भी कठिनाई हुई है।

जब तक कागज की कीमत में वृद्धि को रोका नहीं जाता है, तब तक सरकार की साक्षरता प्रसार तथा शिक्षा योजना को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा।

अतः प्रकाशन गृहों को सोफ्ट कवर संस्करण तथा पाठ्य पुस्तकों के लिये रियायती दरों पर कागज सप्लाई किया जाना चाहिए। छपाई के कागज के कोटे में भी वृद्धि की जाये। साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि 1974 के कागज नियंत्रण आदेश के उपबंधों को सख्ती से लागू किया जाये।

(सात) त्रिवेन्द्रम से डोहा और मस्कट के लिये एअर इण्डिया की सीधी विमान सेवा की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा): डोहा और मस्कट में रहने वाले भारतीयों ने भारत सरकार को बहुत-से अभ्यावेदन भेजे हैं और उनमें उन्होंने भारत सरकार से डोहा और मस्कट से त्रिवेन्द्रम के लिये सीधी उड़ानों की मांग की है। लगभग 1 लाख भारतीय, जिनमें अधिकतर केरल राज्य के हैं, इन दो स्थानों में रहते हैं और वे सीधी उड़ानों के अभाव में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस समय वे बम्बई हवाई अड्डे होकर केरल आ रहे हैं वहां उन्हें बहुत-सी असुविधाएं होती हैं तथा उन्हें तंग किया जाता है। मैंने बहुत-सी बार केरल वासियों को इन देशों से बम्बई हवाई अड्डे पर आते हुए तथा कोचीन उड़ान में सीट प्राप्त करने के लिये वहां कई दिनों तक ठहरते हुए देखा है। उनमें से अधिकतर लोग विदेशों से ओ० के० टिकट लेकर आते हैं लेकिन यहां उनको आई० ए० अधिकारियों द्वारा यह बताया जाता है कि उनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। और अन्त में उन्हें बम्बई में रहकर कीमती छुट्टियों को बरबाद करके अधिक धन व्यय करने और कठिनाइयां झेलने के लिये मजबूर किया जाता है। इसका एकमात्र समाधान डोहा और मस्कट से

* उड़िया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

त्रिवेन्द्रम के लिये सीधी उड़ानें आरम्भ करना है। एअर इण्डिया इन उड़ानों को शुरू करने के पक्ष में है। मंत्री महोदय ने भी कई बार इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि इन उड़ानों को शुरू करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अब तक आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है।

मैं नागर विमानन के मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वह डोहा-त्रिवेन्द्रम तथा मस्कट-त्रिवेन्द्रम उड़ानों को शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठायें।

(आठ) बंगलौर नगर में सर्कुलर रिंग रोड परिवहन सेवा की मांग

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : पिछले वर्षों में बंगलौर शहर के आकार तथा इसकी जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 में बंगलौर शहर की जनसंख्या 16 लाख थी और यह 1981 में बढ़कर 30 लाख हो गयी। 20 वर्ष पहले शहर 40 वर्ग मील में बसा हुआ था अब यह लगभग 80 वर्ग मील में बसा हुआ है। तेजी से बढ़ता हुआ यह शहर अपर्याप्त यातायात सुविधाओं का सामना कर रहा है। शहर की बढ़ोतरी अधिकतर सपाट है। इसकी पूर्व-पश्चिम लम्बाई लगभग 20 किलो मीटर है और उत्तर-दक्षिण लम्बाई 18 किलोमीटर है।

यद्यपि वहां एकाधिकार बस सेवा (बंगलौर यातायात सेवा) तथा बहुत-से दोपहिया तथा तिपहिया वाहन हैं फिर भी यातायात सुविधा बहुत कम है। बहुत-से नयी कालोनियों तथा अविकसित क्षेत्रों में यातायात के साधन नहीं हैं। 5 लाख से अधिक फैक्टरी मजदूर, कार्यालयों में आने-जाने वाले दैनिक कर्मचारियों को अपने घरों से कार्य स्थलों को जाना पड़ता है। दिल्ली में लगभग 3500 बसें हैं जबकि बंगलौर में केवल लगभग 600 बसें हैं। आमतौर पर बसों में भीड़-भाड़ होती है और बस स्टापों पर लम्बी-लम्बी कतारें होती हैं। प्रतिदिन हजारों लोग आसपास के गांवों तथा राज्य के अन्य भागों से आते हैं।

पानी की कमी तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की कमी के कारण नगर के बाहर छोटी-छोटी बस्तियां बनाने की बहुत आवश्यकता होती है। वर्ष-प्रति वर्ष यातायात की समस्या खराब होती जा रही है। शहर की बढ़ती हुई यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिक्रमा या रिंग रेल सेवा शुरू करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

बंगलौर शहर के लिए रिंग रेल सेवा शुरू करने के लिए प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए पर्याप्त वित्त की कमी का सामान्यतः बहाना किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार की राजधानी होने के नाते दिल्ली के लिए एक विद्युत रेल परियोजना बनायी गयी है जिसे जल्दी ही शुरू किया जाएगा। यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि बंगलौर शहर के बढ़ते हुए यातायात को पूरा करने के लिए वहां के लिए एक रिंग रोड परियोजना शुरू करने के सम्बंध में कार्यवाही की जाए। शहर के आस-पास उपलब्ध खुली जगह का इस्तेमाल मकान तथा फैक्ट्री निर्माण के लिए किया जा रहा है। यदि इसमें विलम्ब होता है तो भूमि अर्जन की लागत अधिक हो जाएगी। कर्नाटक सरकार शहर निगम तथा बंगलौर विकास प्राधिकरण भूमि देने तथा वित्त के प्रमुख भाग को वहन करने के लिए सहमत हो गई है।

मैं रेल मंत्री महोदय तथा योजना आयोग से इस महत्वपूर्ण परियोजना को बिना किसी और विलंब के शुरू करने की प्रार्थना करता हूं।

(नौ) मध्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा आदिवासियों की कथित बेदखली

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में विशेष रूप से छिंदवाड़ा-मंडला आदि के हजारों आदिवासी परिवार विगत 25-30 वर्षों से वन विभाग की भूमि पर काश्तकारी कर अपने परिवारों का पालन-पोषण करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश वन अधिकारी इस वर्ष खेतों की खड़ी फसल काटकर नष्ट कर रहे हैं। उन आदिवासी कृषकों के साथ मार-पीट तथा अत्याचारों की घटनायें भी बढ़ती जा रही हैं। फारैस्ट अधिकारियों ने यह बताया कि केन्द्र सरकार के आदेश हैं कि वन-भूमि पर काश्तकारी करने वालों को शक्ति के बल पर बेदखल किया जाये, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए तथा अदालतों में मुकदमे चलाए जायें ; इसी आदेश के अनुसार कब्जाधारी आदिवासी किसानों से जमीनें छीनी जा रही हैं।

मध्य प्रदेश वन अधिकारियों द्वारा विगत 25-30 वर्षों से इन आदिवासियों से मुआवजे तथा जुर्माने के रूप में बहुत बड़ी राशि वसूल की गई है।

इसलिए केन्द्र शासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्र शासन के नाम पर जो आदिवासियों के साथ अत्याचार तथा जुर्मानों से बेदखली की जा रही है, उस पर तुरन्त रोक लगाई जाये तथा पूरे प्रकरण की जांच के आदेश पारित किए जायें।

(दस) बिहार में सन्थाल परगना के सूखे से पीड़ित आदिवासियों के लिए राहत उपाय

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

संथाल परगना में भूख से मरने का सिलसिला आरंभ—

लगातार तीन साल से सूखे से पीड़ित बिहार के संथाल परगना जिले में भूख से मरना शुरू हो गया है। जामताड़ा अनुमंडल के नाला थानान्तर्गत जीवनपुर गांव में एक आदिवासी किसान 28 जुलाई को भूख से तड़प-तड़प कर मर गया।

संपूर्ण जिला भयंकर अकाल की स्थिति से होकर गुजर रहा है। स्वयं जिले के उपायुक्त ने भी स्वीकार किया है कि संपूर्ण गोड्डा और जामताड़ा अनुमंडल अकाल की चपेट में है। दुमका अनुमंडल के लिट्टीपाड़ा गांव में पहाड़ी आदिवासी पहाड़ों से उतर-उतर कर घर-घर माड़ मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें माड़ भी नहीं मिलता।

बड़े-बूढ़े लोगों का कहना है कि जिले में पिछले साठ वर्षों से ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा। अगर सरकार की ओर से किसी तरह का राहत कार्य नहीं चलाया गया तो भूख से मरने वालों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है।

अकाल पीड़ित दर्जनों ग्रामों का भ्रमण करने के बाद बतलाया गया है कि 50 प्रतिशत से

अधिक धान के बिचड़े रोपने के पहले ही सूखकर जल चुके हैं। वर्षा के अभाव में अधिकांश ग्रामों में रोपनी शुरू भी नहीं की जा सकी है। कुछ ग्रामों की एक से पांच प्रतिशत जमीन में किसी प्रकार रोपनी सभव हो सकी है। खेत मजदूरों को कहीं काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वे भयंकर भुखमरी के कगार पर हैं। अगर तुरन्त राहत कार्य शुरू नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर लोग भुखमरी के शिकार होंगे।

यह भी कहा जाता है कि जामताड़ा में 60 प्रतिशत से भी अधिक धान के बिचड़े जल चुके हैं। उनका कहना है कि जामताड़ा के दर्जनों ग्रामों में धान की रोपनी शुरू भी नहीं हो सकी है। इस प्रकार संपूर्ण जिला अकाल के मुह में समा चुका है।

अत: ऐसी प्राकृतिक विपत्ति के समय सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि वह अकाल पीड़ित क्षेत्रों में तत्काल सभी प्रकार का राहत कार्य शुरू करें, ताकि कोई भी व्यक्ति भूख से मरने नहीं पावे।

(ग्यारह) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर-दरभंगा और समस्तीपुर-खगड़िया सेक्शनों पर यात्री रेलगाड़ी सेवाओं को पुन: शुरू करना

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में कोयले का अभाव नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय बराबर गौरव के साथ इसका दावा करता रहा है। फिर भी पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर-खगड़िया खंड तथा समस्तीपुर-दरभंगा की कई लोकप्रिय गाड़ियों का परिचालन कोयले की कमी दर्शा कर निरस्त की जाती रही हैं। यदि कोयले का वास्तविक अभाव ही गाड़ियों के निरस्त होने का कारण है तो यह दोष रेलवे के उन अधिकारियों का है जिन पर कोयले की आपूर्ति का उत्तरदायित्व है। किन्तु आज तक नहीं सुना गया है कि किसी ऐसे अधिकारी को हजारों यात्रियों को असुविधा में डालने के आरोप में दंडित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि निजी यातायात में चलने वाले बस के मालिकों का इनसे गठजोड़ होने के कारण जानबूझ कर कोयले के कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा की जाती है जिससे जरूरतमंद यात्रियों को विवश होकर अपनी यात्रा बस में करनी पड़े। इसी प्रकार के निहित स्वार्थ का हाथ समस्तीपुर मंडल का कुछ हिस्सा काट कर सोनपुर मंडल में मिलाने के पीछे लगता है क्योंकि हर स्टेशन से कुछ अधिकारियों को चढ़ावा जो मिलता है। इस पुनर्गठन से परिचालन में कोई सुविधा नहीं बढ़ी। समस्तीपुर जंक्शन पर मीटरगेज और ब्राडगेज का द्वै-शासन कायम है जिनमें समुचित सामंजस्य का अभाव है। परिणामस्वरूप एक गेज की गाड़ी बदल कर दूसरे गेज की गाड़ी पकड़ने वाले यात्रियों की गाड़ी कुछ मिनटों के लिए छूटती रही है। हां, साठाजगत तक के व्यापारियों की असुविधा अवश्य बढ़ गई है क्योंकि अब उनको रेलवे से सम्बन्धित हर काम के लिए कुछ किलोमीटर तय कर निकट के आफिस समस्तीपुर के बदले 70-80 कि० मी० दूर सोनपुर जाना पड़ता है। अत: मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यात्रियों की सुविधा के लिए इन खंडों पर गाड़ियों को निरस्त न होने दें तथा समस्तीपुर मंडल के हलके को पूर्ववत कर दें।

(बारह) श्रमिकों के भविष्य निधि अंशदान को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की आवश्यकता

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, भारत में उद्योगों को भारी उद्योग, खनिज उद्योग, मोटर कार उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है। और इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1952 में एक भविष्यनिधि अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम के अधीन मजदूरों के वेतन से 6 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि के लिए अंशदान काटा गया था तथा नियोक्ताओं की ओर से भी इतनी ही धनराशी मजदूरों के अंशदान में जोड़ी गयी थी। सेवा निवृत्ति के समय, भविष्यनिधि की धनराशी मजदूरों को दे दी जाती है।

मूल्य में भारी वृद्धि होने तथा रुपये की क्रय शक्ति के घटने के कारण 6 प्रतिशत के अंशदान को बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया था चूंकि यह सोचा गया था कि 6 प्रतिशत से सेवा निवृत्ति के समय मजदूरों को कुछ नहीं मिलेगा। इस समय रुपये का मूल्य केवल 26 पैसे है इसका अनुमान देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों ने लगाया है। और मूल्य बहुत ज्यादा ऊंचे हो गए हैं।

जब तक 6 प्रतिशत के भविष्यनिधि अंशदान में वृद्धि करके इसे 10 प्रतिशत नहीं किया जाता है। तब तक मजदूरों को अन्त में अपनी बचत से कोई लाभ नहीं होगा। इस अंशदान में वृद्धि करने से सरकारी राजकोष को भी लाभ होगा और प्रबन्धकों की ओर से भी इसके बराबर अंशदान इस राशि में जोड़ा जायेगा।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह मांग है कि सरकार को भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और भविष्य निधि के अंशदान को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

———

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्यवाही शुरू करेंगे अर्थात मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे। श्री के० राममूर्ति।

इस विधेयक के लिए 42 मिनट का समय है। एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक, अर्थात चिटफंड विधेयक पर भी चर्चा होनी है और केवल तभी हम नियम 193 के अधीन मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा कर सकते हैं। अतः, हम तेजी से कार्य करते हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है। इस पर 2 म० प० पर चर्चा शुरू होती है।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शर्त का प्रश्न नहीं है। यह तो सहयोग का प्रश्न है। श्री के० राममूर्ति।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चाधीन वर्तमान विधेयक का बहुत ही सीमित कार्यक्षेत्र है। मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982 में श्रम मंत्री महोदय द्वारा सुझाये गये संशोधनों का बहुत ही सीमित कार्यक्षेत्र है। हालांकि मूल अधिनियम को 1936 में ही पारित किया गया था, फिर भी बहुत लम्बे समय के पश्चात श्रमिकों के कष्टों को कम करने के लिए इस मन्त्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संशोधन लाये गये हैं।

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि श्रमिकों के प्रबन्धकों को यह लिख कर देने की अनुमति दी गई है कि उनके वेतन से मजदूर संघ का अंशदान काटा जा रहा है। अब यह मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत एक प्राधिकृत कटौती बन चुकी है। यह एक स्वागत योग्य बात है। मैं उस सुझाव का भी समर्थन करता हूं।

दूसरे पक्ष के कुछ मेरे मित्र चर्चा करते समय इसका भी विरोध कर रहे थे। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वे इस विशेष धारा का विरोध क्यों कर रहे हैं जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है और काफी लम्बे समय से सभी राष्ट्रीय केन्द्रों द्वारा भी मांग की गई थी। सम्भवतः, यदि वे पड़तालमुक्त पद्धति को अपनाते हैं, तो इस पड़तालमुक्त पद्धति के द्वारा उनकी मूल संख्या का पता चल जाएगा। वे जब तो यह कहने में समर्थ नहीं हो सकते कि उनके सदस्यों की संख्या बढ़ गई है और यह कि "हमारे सदस्य 1,000 हैं अथवा 1,200 हैं।" अतः इस मामले में, हम सभी को इस उपबन्ध का स्वागत करना चाहिए।

दूसरी बात वेतन सीमा को एक हजार से बढ़ाकर 1600 रुपये करना है। आजकल प्रायः सभी सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों की मजदूरी इतनी बढ़ गई है कि वह 1,000 रुपये से भी अधिक हो गई है। कुछ उपक्रमों में इस वर्ष के दौरान बातचीत होने वाली है, इस सम्बन्ध में भी यह उपबन्ध श्रमिक वर्ग के लिए बहुत सहायक है।

इन दोनों संशोधनों के अतिरिक्त, कुछ अन्य संशोधन बहुत ही तकनीकी स्वरूप के हैं। एक बात है, यदि एक श्रमिक इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान न की गई मजदूरी अथवा कुछ कल्याण कार्यों के धन का दावा करता है जिनके बारे में प्रबन्धक मान गये थे और यदि श्रमिक इस मजदूरी संदाय अधिनियम के अन्तर्गत यह प्राधिकरण देना चाहता है, तो उसे स्टैम्प ड्यूटी अदा करनी होगी। मजदूर संघ से सम्बन्धित होने के नाते मेरा विचार यह है कि श्रमिक के लिये नियोजक से देय राशि अथवा मजदूरी या कुछ अन्य कल्याणकारी उपायों या कुल लाभों को प्राप्त करने के लिये स्टैम्प ड्यूटी अदा करना अनावश्यक है। सरकार को कम से कम राज्य सरकार को निदेश तो देना चाहिये जिसे कानून के अन्तर्गत स्टैम्प ड्यूटीआदि को समाप्त करने के लिए इस अधिनियम में नियमों को बनाने का अधिकार प्राप्त है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद!

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में सुझाये गए संशोधन अधिकांश श्रमिकों को

लाभ पहुंचाने के इरादे से तथा दण्डों को थोड़ा अधिक कड़ा बना करके इस अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। इस विधेयक से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि "औद्योगिक प्रतिष्ठान" परिभाषा का विस्तार किया गया है और श्रमिकों की वर्तमान मजदूरी सीमा को जो 1,000 रु० से कम थी उसे बढ़ाकर 1,600 रु० कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त एक अच्छा उपबन्ध यह भी किया गया है कि आगे से किसी भी ऐसे फंड के हेतु अंशदानों के लिए संबंधित कर्मचारियों के लिखित प्राधिकरण के बिना कर्मचारी के वेतन में से कटौतियां नहीं की जायेगी जिसे या तो कर्मचारियों के द्वारा अथवा किसी पंजीकृत संघ के द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपयुक्त सरकार की मंजूरी से और किसी पंजीकृत मजदूर संघ के लिए उनके सामान्य शुल्कों के भुगतान के लिए गठित किया गया है। मैं इसे वर्तमान स्थिति में सुधार समझता हूं। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि जहां मैं इसके उपबन्धों का स्वागत करता हूं वहां मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर तदर्थ आधार पर विचार कर रही है। आप देखेंगे कि खण्डशः रूप में विधानों को लाया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तदर्थवाद के आधार पर कार्य कर रही है। अन्यथा सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, बोनस अधिनियम जैसे विभिन्न अधिनियमों को बनाने की बजाय मजदूरी के निर्धारण हेतु और मजदूरी के भुगतान हेतु एक व्यापक विधेयक लाती। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि सरकार तदर्थ आधार पर कार्य कर रही है, क्योंकि वह व्यापक विधान पेश नहीं कर रही है। कृपया आप याद करिये कि कल ही जब इस सभा में मोटर वाहन संशोधन विधेयक पर विचार हो रहा था, तब मंत्री महोदय ने आखिरकार एक आश्वासन दिया था कि सभा के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा। अभी हाल में जब सम्पदा कर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जा रही थी, तो वित्त मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि एक व्यापक विधेयक सभा में लाया जाएगा। इस प्रकार हमें केवल व्यापक विधानों का वचन ही दिया जा रहा है। इस संबन्ध में इस समय सरकार केवल खण्डशः रूप में ही कार्य कर रही है जिसका परिणाम यह हुआ है कि समस्याओं का केवल खण्डशः समाधान का ही सुझाव दे रहे हैं। अतः देश में समस्यायें बनी रहेंगी।

वर्तमान संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि असंगठित श्रमिकों की सहायता की जाये जिनका शोषण हो रहा है। इस विधेयक में केवल संगठित क्षेत्र के बारे में ही बताया गया है। मंत्री महोदय को चाहिए कि वह हमें यह बताते कि इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने से कितने और श्रमिकों को इस कानून की परिधि में लाया जा रहा है। यदि यह मान भी लिया जाये कि इसका कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है, तो भी 85 प्रतिशत से अधिक श्रमिक अछूते रह जाते हैं और वह 85 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रमिक 2600 लाख के लगभग हैं और उसमें से 85 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं। उसमें भी कृषि श्रमिक अधिक प्रभावी हैं। यद्यपि यह प्रश्न वर्तमान विधेयक से संबंधित नहीं हैं, फिर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि क्षेत्र पर नियंत्रण करता है और यह एक राज्य-विषय भी है। गजेन्द्र गडकर आयोग ने सुझाव दिया है कि समय-समय पर मजदूरी का संशोधन किया जाना चाहिए, अर्थात ऐसा प्रत्येक तीसरे वर्ष के अन्त में किया जाना चाहिए। मुझे पता चला है कि 1980

में सरकार ने मजदूरी में 25 प्रतिशत की वृद्धि पहले ही कर दी है। फिर भी मैं यह महसूस करता हूं कि इस अधिनियम में जीवन निर्वाह की बढ़ती हुई लागत के साथ मजदूरी के स्वतः समायोजन के लिए उपबन्ध किए जाने की आवश्यकता है। मूल्य तो बढ़ते रहते हैं किन्तु किसी विशेष स्तर पर मजदूरी स्थिर हो जाती हैं। आप जानते है कि बड़ी संख्या में कृषि क्षेत्र के लोग यह महसूस करते रहते हैं कि भूमि सुधारों के धीमे कार्यान्वयन और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अप्रभावी रूप से लागू करने के कारण उनको उपेक्षा हुई है। इसके अतिरिक्त देश में बड़ी संख्या में लोग यह-महसूस करते हैं कि उनको विकास का फल प्राप्त नहीं हो रहा है और उन्हें उससे वंचित रखा जा रहा है। वे अभी भी वंचित हैं और वे अभी भी गरीबी और अभावग्रस्तता में पड़े हुए हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें विकास के लाभ से वंचित रखा जा रहा है और इससे उनमें असंतोष तथा नैराश्य भी पैदा हो रहा है और मेरे विचार में यहां उपस्थित माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत असंतोष व्याप्त है और यह जन आन्दोलनों के रूप में प्रकट हो रहा है। कहीं-कहीं यह हिंसात्मक कार्यों में प्रकट हो रहा है क्योंकि सामाजिक-आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है और लोग यह देखते हैं कि समाज में असमानतायें बढ़ रही हैं और असंगठित क्षेत्र में इन भूमिहीन श्रमिकों अथवा कृषि श्रमिकों का बड़ा प्रतिशत यह महसूस करता है कि उनकी ओर आवश्यकतानुसार ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः मैंने यह सोचा कि यद्यपि यह हमारे समक्ष विचाराधीन विधेयक से संबंधित नहीं है, तो भी मुझे मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए क्योंकि स्थिति इतनी विस्फोटक है कि उसकी ओर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

अब जहां तक मजदूरी संदाय अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है? उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया था कि क्या खदान श्रमिकों अथवा भट्टा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है या नहीं और आयोग ने यह बताया है कि इस संसद के केवल 100 किलोमीटर के भीतर भी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इन उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है और अभी तक संबंधित लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र के संबंध में क्या हो रहा है? वह राष्ट्रीय दैनिक सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित है और उसके कार्मिकों को गत 2 से 3 महीनों से उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है और इस कानून के उपबन्धों को लागू नहीं किया गया है और इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने तथा दोषियों तथा कार्मिकों को मजदूरी के भुगतान करने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह एक बहुत ही गम्भीर स्थिति है और मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाता हूं कि इस विधेयक में उपबन्ध तो अनेक हैं किन्तु आप उन्हें लागू करने में असमर्थ हैं। श्रमिक इन उपबन्धों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि ये उपबन्ध जटिल हैं और वे न्यायालय जाने तथा विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं का पालन करने में असमर्थ हैं।

वे इस विधेयक का लाभ उठाने में असमर्थ हैं और इस लिए कल वाद-विवाद में भाग लेने

वाले सभा के इस पक्ष के अनेक वक्ताओं द्वारा ये आशंकायें व्यक्त की गई थीं कि ये उपबन्ध केवल पूंजीपतियों अथवा नियोजकों की सहायता के लिए लाए गए हैं और वे कर्मचारियों की सहायता नहीं करते हैं। यह आरोप तथ्यों पर आधारित है क्योंकि आपने उस गम्भीरता तथा कड़ाई से कानून को लागू नहीं किया जिसकी आवश्यकता थी और नियोजक इसका भुगतान न करने पर भी दंड से बचे रहे हैं। अतएव, महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सरकार को मजदूरी नियत करने की समस्त समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि मजदूर को उचित वेतन मिले और कानून के उपबन्धों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभा में यथाशीघ्र एक व्यापक विधेयक लाया जाये।

यद्यपि सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए संशोधन कुछ समस्याओं तक ही सीमित हैं फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं तथा मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजन। माननीय सदस्य कृपया पांच मिनट से अधिक समय न लेकर सभा की कार्यवाही का संचालन करने में सहयोग करें।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : महोदय, 1936 के मूल अधिनियम का यह संशोधन है। पहले यह अधिनियम अंग्रेजों के शासन काल के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य मजदूरों को मजदूरी संदाय सुनिश्चित करना है।

महोदय, हमारे यहां मजदूर प्रतिष्ठित उद्योगों में काम कर रहे हैं। सामान्यतया किए गए कार्य के लिए मजदूरों को मजूरी दी जाती है। परन्तु यहां हमें जबरदस्ती मजूरी संदाय को सुनिश्चित करना पड़ रहा है। मुझे इस बारे में ठीक-ठीक पता नहीं है कि क्या किसी अन्य विकसित राष्ट्र में इस प्रकार का कोई कानून बनाया गया है ? हमारी स्वतन्त्रता के 36 वर्षों के बाद भी इस सम्बन्ध में कानूनी रूप नहीं दिया गया है। निःसन्देह कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया है तथा कतिपय सुधार किए गए हैं। 36 वर्षों के बाद भी हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जिनमें विभिन्न उद्योगों के प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों को सामान्य मजूरी नहीं दी जाती है। आपको याद होगा कि वर्ष 1978 में स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर में व्यापक आन्दोलन तथा बड़ी हड़ताल हुई थी और पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण कई लोगों की मृत्यु के बाद ही वह हड़ताल समाप्त हुई थी। जनमत को देखते हुए सरकार को उक्त मिल को अपने अधिकार में लेना पड़ा था। वहां के प्रबन्धक श्री जयपुरिया के मजदूरों को मजूरी देने से मना करने पर वहां अशांति हुई थी। हाल ही में हमारे राज्य के त्रावनकोर रेयन्स में मजदूरों को अधिक मजूरी दिये जाने की मांग की गई थी। उन्हें हड़ताल करनी पड़ी थी फिर भी वह मामला सुलझा नहीं है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको यह बता सकूं कि कानूनों के होते हुए भी कुछ उद्योगों में मजदूरों को नुकसान उठना पड़ रहा है। मैं सामान्य टिप्पणी करना चाहता हूं कि यह समस्या मजदूरों को मजूरी न दिये जाने के कारण उत्पन्न होती है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके खण्ड 3 (पी) में 1 हजार रु० के स्थान पर 1600 रुपये करने का प्रस्ताव है। बेशक यह एक सुधार है तथा मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 1600 के आंकड़े तक वेतन रखने का

औचित्य क्या है ? आपने स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ उद्योगों में मजूरी-स्तर बढ़ गया है। मजदूरों को 1600 रु० से ज्यादा वेतन भी मिल रहा है। यह एक तथ्य है। मंत्री जी को कृपया यह बताना चाहिए कि उन्होंने इस विधेयक में 1600 रुपये के आंकड़ों को क्यों रखा है ?

क्या इसका अर्थ यह है कि 1600 रु० वेतन पाने वालों को ही इस संशोधन के अन्तर्गत लाया जायेगा ? मैं चाहता हूं कि सभी मजदूरों को इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाये। आप यह दावा कर सकते हैं कि 1000 रु० के स्थान पर 1600 रु० करने से कुछ सुधार किया गया है। यहां 1600 रु० निर्धारित करने का क्या औचित्य है ? मेरा विचार है कि यह सीमा बोनस प्राप्ति से सम्बन्धित है। क्या इसका कोई अन्य उचित कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तर न दें। इसका उत्तर मंत्री जी देंगे।

श्री के० ए० राजन : मैं भी माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं।

महोदय, इसके अतरिक्त एक अन्य खण्ड के लिये मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। वह खण्ड 13 के बारे में है। प्रस्तावित संशोधन में उपबन्ध किया गया है कि यदि नामनिर्देशित किया गया हो तो कानूनी वारिस को भुगतान किया जाये। मेरा संशोधन कानूनी वारिस को भुगतान करने के बारे में है।

नई धारा 25-ण (1) के अन्त: स्थापन द्वारा मूल अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। खण्ड 13 में फिलहाल यह व्यवस्था है :

> "(ख) जहां ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या जहां किसी कारण से ऐसी रकम इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त नहीं की जा सकती है, वहां उसे विहित प्राधिकारी के पास निक्षिप्त किया जायेगा जो इस प्रकार निक्षिप्त रकम के बारे में कार्यवाही ऐसी रीति से करेगा जो विहित की जाए।"

मेरा प्रस्ताव है कि नामनिर्देशित न होने की स्थिति में भी कानूनी वारिस को भुगतान किया जाना चाहिए। यहां इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि :

> " इस प्रकार नामनिर्दिष्ट" के पश्चात
>
> " अथवा इसके कानूनी वारिसों " अन्त: स्थापित किया जाये।

महोदय, मैं कटौतियों से संबंधित खण्ड 7 की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैंने देखा था कि श्री राममूर्ति ने इस खण्ड-विशेष के बारे में उल्लेख करते हुए व्यवसाय संघों पर इस प्रकार का आक्षेप किया था कि इस खण्ड को क्रियान्वित कर दिये जाने पर कुछ संघों की गति विधियां प्रकट हो जाएंगी अथवा उनकी मजदूर संख्या का मूल्यांकन किया जा सकेगा। प्रश्न यह नहीं है , महोदय, खण्ड 7 (ट ट) में यह व्यवस्था है :

> "(ट ट) नियोजित व्यक्तियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों या दोनों के कल्याण के लिये नियोजक द्वारा या व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ द्वारा स्थापित और राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के लिए

ऐसे अनुमोदन के जारी रहने के दौरान, उसके अभिप्राय का संदाय करने के लिए नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से की गई कटौती : "

महोदय, वास्तविक प्रश्न यह है कि नियोजक को कटौती करने की अनुमति क्यों दी जाये ? इसका उद्देश्य क्या है ? प्रतिष्ठानों में कतिपय उचित कल्याणकारी उपायों पर व्यय को नियोजक द्वारा वहन किया जायेगा । इस खण्ड के बारे में मुझे नियोजकों द्वारा इस उपबन्ध का दुरुपयोग किये जाने की पूरी-पूरी संभावना है, विशेषत: जहां कोई संगठित मजदूर संघ नहीं है । कल्याणकारी उपायों जैसे आवास आदि के लिये नियोजक को पूरा व्यय वहन करना होगा । अत: इस उपबन्ध के दुरुपयोग किये जाने की पूरी संभावना है । इसके अतिरिक्त मैं (ट ट ट) के भी पूर्णतया विरुद्ध हूं क्योंकि स्वस्थ ट्रेड यूनियन प्रणाली पर कुठाराघात है । कोई भी मजदूर किसी भी मजदूर संघ का अपनी इच्छा तथा विश्वास से सदस्य बनता है । प्रत्येक मजदूर संघ अपने संविधान में कटौती आदि के लिए कुछ उपबन्ध करता है । यदि वह मजदूर संगठन है तो वह स्वयं संघों के संविधान के अनुसार संघ में निर्धारित शुल्क जमा करायेगा । तब इस उपबन्ध की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार इस संस्था में अनुचित ढंग अपनाये जाने लगेंगे । उदाहरण के लिए बम्बई में क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे कथित गैर-मान्यता प्राप्त संघों से चन्दा वसूल नहीं करेंगे ?

श्री के० ए० राजन : मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने का देश में कोई कानून नहीं है । सरकार को यह स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए । बम्बई की तथाकथित मान्यता प्राप्त संघ ने चैक करने की प्रणाली के अन्तर्गत पिछले कई वर्षों से 2½ लाख मजदूरों से नियमित रूप से कटौती की है । अब मजदूरों ने इस संघ की सदस्यता छोड़ दी है । अब उक्त संघ में एक भी मजदूर नहीं है । हम जानते हैं कि चैक करने की प्रणाली ट्रेड यूनियन आन्दोलनों के स्वस्थ्य विकास में मजदूरों के अधिकारों को हानि पहुंचा रही है । यह एक अनुचित प्रणाली है । इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । इसके द्वारा सब प्रकार की अनियमितताएं हो सकती हैं । नियोजक अपना संघ बना सकते है । मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं ।

महोदय, यद्यपि कुछ सुधार किए गए हैं तथा अनेक उद्योगों को तथा मजदूरों को इसके अन्तर्गत लाया गया है, तथा दण्ड के संबंध में भी कुछ सुधार किये गये हैं, तथापि विधेयक के अन्य पहलुओं में बहुत सुधार की गुंजाइश है । मैं कटौती से संबंधित खण्ड (ट ट ट) का विरोध करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पेमेंट आफ वेजेज बिल का समर्थन करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए एक बहुत अच्छा कानून यहां पेश किया है, इसके जरिये जितनी भी इंडस्ट्रीज आज तक इसके नीचे नहीं आई थीं, उन सबको इसके नीचे लाकर मजदूरों की भलाई का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इसलिए यह सरकार और खास तौर से हमारे श्रम मंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं ।

मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इंडस्ट्रीज को इसमें

लाये हैं, कंस्ट्रक्शन के लेबर्रर्स, बिल्डिंग, कैनाल, रोडज वगैरह सबको इस पेमैंट आफ वेजेज में लाये हैं, मगर एक बात आप छोड़ गए। इंडस्ट्रीज के अन्दर जो कांट्रेक्ट लेबर रहती है, उसके लिए इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है। उन पर पेमैंट आफ वेजेज लागू नहीं होता है। इसलिए जो कांट्रेक्ट लेबर किसी भी इंडस्ट्री में काम करती है, जहां कि पेमैंट आफ वेजेज एक्ट लागू होता है, वहां पर इन मजदूरों के लिए भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। जो ठेकेदार होते हैं, वह इनका शोषण करते हैं, मिनीमम वेजेज इनको नहीं देते, अगर ऐसा आप कर देंगे तो इनकी व्यवस्था ठीक हो सकेगी। आशा है मंत्री महोदय इस पर तवज्जह देंगे।

जो डिडक्शन्ज वैलफेयर के सम्बन्ध में मजदूरों के काटे जाते हैं, चाहे वह प्रावीडैंड फंड हो, ई० एस० आई० हो या अन्य व्यवस्था के सम्बन्ध में हो, उनका आथेराइजेशन लेते हैं, उसके बाद उनका पैसा डिडक्ट कर देते हैं। प्रावीडैंड फंड की एक नजीर मैं आपके सामने रखता हूं।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़े में है उसमें 30 लाख रूपया मजदूरों का प्रावीडैंड फंड का काटा गया, लेकिन सरकार में आज तक वह 30 लाख रूपया जमा नहीं कराया गया है, उनके खिलाफ आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रासीक्यूशन की कार्यवाही होनी चाहिए। मगर आपके विभाग के लोग उनसे मिले हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस तरह से 7,8 साल इसको हो चुके हैं।

मेरा निवेदन है कि ऐसे कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और ऐसे पूंजीपतियों को जेल के शिकन्जे में बन्द कर देना चाहिए जो मजदूरों के 30 लाख रुपये खाकर बरसों से उसका उपयोग कर रहे हैं। उनके खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ?

इसी तरीके से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल में ई० एस० आई० के साढ़े 3 लाख रुपये मजदूरों के काट लिए गए और वह आज तक जमा नहीं कराए गए। इस तरह से बरसों से यह रकम उनके पास है। आपने कलैक्टर के यहां उसकी डिग्री का प्रोफार्मा भी भेजा है, मगर आपका डिपार्टमैंट सुस्ती दिखाता है। सब लोग जानते हैं कि वहां के अधिकारी लोग पूंजीपतियों से मिले रहते हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो पैसा उनके पास बकाया है, उसके लिए उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि यह व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके।

इसके लिए प्रावीडैंड फंड और ई० एस० आई० के डिपार्टमैंट्स को आपको रिआर्गेनाइज करना चाहिए। हमने देखा है, हमारे जिले में माइका के कम से कम 10, 15 हजार मजदूर हैं, सोपस्टोन के 6 हजार हैं, खड़िया मिट्टी के 4, 5 हजार हैं और इसी तरह से एसवैस्टज के अन्दर बहुत-से मजदूर हैं, खान के काम में लगभग कम से कम 20, 30 हजार मजदूर हैं। इन सबको प्रावीडैंड फंड मिलता है, 10,10 साल हो गये, लेकिन उनके प्रावीडैंड फंड की रसीदें उन्हें नहीं मिली हैं। इस महकमे को भी आप रिकांस्टीट्यूट या रिआर्गेनाइज करें, जिससे गरीबों और मजदूरों का पैसा सही जगह जमा हो सके और बीच के बिचौलिये, पूंजीपति उसको न खा सकें और मजदूर को समय पर वापस पैसा मिले जिससे उसे फायदा हो। ई० एस० आई० का पैसा जमा न होने से मजदूरों और उनके परिवार के लोगों को दवा मिलनी बन्द हो जाती है। मजदूर का पैसा खा

जाना गबन से भी बड़ा अपराध है, जिसके लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को एक मिनट की जेल भी नहीं हुई है। हमारे कानून तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन न होने की वजह से मजदूरों को लाभ नहीं हो पाता है।

अभी सी० पी० आई० के माननीय सदस्य, श्री राजन, ने कहा कि वह सेक्शन 7 (2) में (के० के० के०) को जोड़ने का बहुत विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय अगर सबसे बढ़िया क्लाज लाए है, तो वह (2) (के के के) है। आज सी०पी० आई० और सी० पी० एम० के लोग लाठी, छुरेबाजी और ताकत के जरिये से यूनियन चलाते हैं। वे मजदूर का दिल तो जीतते नहीं हैं, उलटे और जबर्दस्ती के बल पर उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। इस संशोधन से उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी और थोड़े दिनों में यह साफ जाहिर हो जाएगा कि सी० पी० आई० और सी० पी० एम० की ट्रेड यूनियनों, ए० आई० टी० यू० सी० और सीटू में कितनी ताकत है। इस नई व्यवस्था के अनुसार मजदूर अपने एम्पलायर को लिखकर दे देगा कि वह अमुक यूनियन में पैसा देना चाहता है और उसका पैसा सीधे कट जायेगा। ए० आई० टी० यू० सी० और सीटू डंडे के जरिए मजदूरों को मार-मार कर हकीम बनाते हैं। इस नई व्यवस्था से उनकी पोल खुल जाएगी।

खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज में 30 लाख आदमी काम करते हैं। उनको न तो मिनीमम वेज मिलती है और न पेमेंट आफ वेजिज के कानून का लाभ मिलता है। जो लोग मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं उनमें से कोई किसी का चेला बना हुआ है और कोई किसी का, कोई अमरीका से चन्दा लेता है और कोई जर्मनी से। वे इन संस्थाओं को बदनाम तो करते ही हैं, साथ ही मजदूरों का भी भयंकर शोषण करते हैं। ऐसे लोगों पर खास तौर से नजर रखने की जरूरत है। मंत्री महोदय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि मजदूरों को पूरा पैसा मिले और कानून के अनुसार मिले।

मैं राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल के क्लोजर के बारे में बराबर ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। आपने मुझे इन्डस्ट्रियल डिस्पूट्स एक्ट पर बोलने नहीं दिया, आपने मेरा गला बन्द कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक दिन में एक बार ही बोलने की अनुमति दूंगा, तीन या चार बार बोलने की नहीं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने मुझे चार दिन से बोलने नहीं दिया।

उस मिल के एम्पलायर ने इन्डस्ट्रियल डिसपूट्स एक्ट की खिलाफवर्जी की। जब कानसिलीएशन की कार्यवाही चल रही थी, तो उसने कलोजर कर दिया। राजस्थान सरकार ने सैक्शन 10 (के) के तहत आर्डर निकाला। उस आर्डर में दो बातें थीं : एक तो यह कि मजदूरों को क्लोजर के समय का वेतन दिया जाए और दूसरे जिन 11 आदमियों को क्रिमिनल एसाल्ट के आरोप में डिसमिस कर दिया गया है, उनके बारे में एनक्वायरी की जाए। मिल के आवेदन पर राजस्थान सरकार ने इस आर्डर को रिवाइज कर दिया और इन दोनों मामलों को ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिया, जबकि मिल का क्लोजर और मजदूरों का डिसमिसल इन्डस्ट्रियल डिसपूट्स एक्ट के खिलाफ थे। इस बात को ध्यान में रखकर मंत्री महोदय को राजस्थान सरकार को एडवाइज करना चाहिए

कि इस मामले में मजदूरों का शोषण हुआ है और गलत क्लोजर हुआ है जिसके लिए एम्पलायर का प्रासीक्यूशन किया जाए और सजा दिलाई जाए, मजदूरों को क्लोजर के टाइम का पैसा दिया जाए और जिन 11 आदमियों को निकाला गया है, उन्हें वापस लिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं यह बिल लाने के लिए श्रम मंत्री को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं।

श्री चित्त बसु (बारासात) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मेरे लिए इस विधेयक को पूरा-पूरा समर्थन देना सम्भव नहीं होगा। प्रारम्भ में, मैं सदन के सामने यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक से सरकार की अनिश्चित स्थिति का पता चलता है। एक बात तो यह है कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया है, अथवा यदि उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है; तो वह कार्रवाई एक कुटिल चाल है। मैं ऐसा इस विधेयक की धारा विशेष रूप से खण्ड (टटट) के सम्बन्ध में कह रहा हूं। विपक्ष की ओर के कुछ माननीय सदस्य प्रकट रूप से इस सीधे-साधे विधेयक में इस विशेष खंड को घुसेड़ने के फलस्वरूप आने वाली अड़चन के बारे में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

महोदय, आप एक ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, और आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में ठीक ही संकेत किया है। प्रश्न यह है कि इस खंड के अनुसार एक नियोजक यूनियन अथवा यूनियनों से ट्रेड यूनियन फीस की कटौती कर सकता है ; चाहे वह एक यूनियन से हो अथवा कई यूनियनों से। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जो आपने उठाया है कि क्या इस विधेयक के पास हो जाने के बाद एक नियोजक एक यूनियन अथवा कई यूनियनों की फीस की कटौती कर सकेगा ? इस विधेयक में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है।

जैसा कि आप जानते ही हैं ट्रेड यूनियनों को मान्यता देना ट्रेड यूनियन सम्बन्धों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस विधेयक में यह कहा गया है कि नियोजक द्वारा ट्रेड यूनियन फीस की कटौती की जानी चाहिए। मजदूर संघों को मान्यता देने का प्रश्न भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में दो स्थितियां हैं ; या तो चैक प्रणाली अपनाई जाए अथवा गुप्त मतदान प्रणाली। ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के केवल दो ही रास्ते हैं। जहां तक सरकार के दृष्टिकोण का संबंध है, मैं नहीं जानता कि वे किस रास्ते को अपनाएंगे, लेकिन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। एक ओर सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन इस मामले पर एक जुट हैं कि मान्यता गुप्त मतदान के आधार पर दी जानी चाहिए, उनमें मतभेद नहीं है, लेकिन इन्टक अकेला इस बात पर बल दे रहा है कि मान्यता चैक प्रणाली के आधार पर दी जानी चाहिए। सरकार ने इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं किया है। यदि सरकार इस बात पर सहमत हो जाती है तो वे यह घोषणा कर सकते हैं कि इस मामले को सर्वसम्मति से अथवा परस्पर समझौते या केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श करके सुलझाया जा सकता है और विशेष रूप से इस मामले पर शीघ्र होने वाले त्रिपक्षीय सम्मेलन में चर्चा किए जाने अथवा इसे उसमें प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है। श्री आजाद यह मानेंगे कि जहां तक चैक प्रणाली अथवा गुप्त मतदान द्वारा मान्यता देने की कार्य पद्धति का संबंध है, उन्होंने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने अपनी राय दे दी है। जबकि एक ओर इन्टक वाले जांच-पड़ताल प्रणाली चाहते हैं, दूसरी ओर गैर-इन्टक केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें गुप्त मतदान प्रणाली पर बल दे रही हैं। हम अभी तक कोई निर्णय नहीं कर सके हैं लेकिन

खंड (ट ट ट) को शामिल करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानो सरकार ने निर्णय ले लिया है और वह सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई मांगों के विपरीत है। महोदय, यह हमारी नजर से नहीं बच सकता। यदि हम एक बार इस विधेयक में दी गई स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को नुकसान पहुंचेगा। और यह कहा जाएगा कि जब लोकसभा में आपके प्रतिनिधियों ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता दिए जाने के बारे में जांच-पड़ताल की प्रणाली को स्वीकार करने की स्थिति को मान लिया है, तब आप यहां इसका कैसे विरोध कर सकते हैं ? सरकार केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को एक अनिश्चितता की स्थिति में डाल रही है। अतः हमारे लिए इसका पूरी तरह विरोध करने के अलावा और कोई चारा नहीं है।

मेरे विचार में माननीय मंत्री जी इस बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों से अवगत हैं। उन्होंने सामूहिक सौदेबाजी के लिए कानूनी सौदेबाजी करने वाले एजेन्ट का पता लगाने के बारे में सिफारिश की थी। मैं यहां सामूहिक सौदेबाजी की धारणा की व्यवस्था नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानता है। और सफल सामूहिक सौदेबाजी के लिए यह उतना ही आवश्यक है कि सौदेबाजी के लिए कोई कानूनी एजेन्ट हो। यह एक बहुत ही महत्व-पूर्ण मामला है। और राष्ट्रीय श्रम आयोग कहता है कि कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सौदेबाजी करने वाले अथवा एजेन्ट के बारे में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों की ट्रेड यूनियन फीस काटने की सुविधा समाप्त की जानी चाहिए। यद्यपि मान्यता देने के प्रश्न को अलग रखा गया है, नियोक्ता के माध्यम से ट्रेड यूनियन फीस इकट्ठी करने के अधिकार से जो कि आप दे रहे हैं, इन्टक के उद्देश्य की पूर्ति होगी। यह बिल्कुल स्पष्ट है। श्री राममूर्ति, जो एक बहुत ही वरिष्ठ तथा पक्के ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, ने इस आशय को समझ लिया है। अतएव, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि खंड (टटट) उन्हें बिल्कुल स्वीकार्य है। जहां तक श्री व्यास का सम्बन्ध है प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वे क्या बोलते हैं। लेकिन पुनः उन्होंने इस धारणा को दोहराया है कि इस सौदे में जो बात सर्वोत्तम है वह (टटट) है। अतएव, बात सामने आ गई है। आपने जांच-पड़ताल करने की प्रणाली लाने का निर्णय ले लिया है, आपने ट्रेड यूनियनों के साथ द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय वार्ता करने के विचार को छोड़ दिया है और इस विधेयक के माध्यम से इसे पास करवाना चाहते हैं। अतएव यह एक ऐसी सीधी-सादी बात नहीं है। यह एक कुटिल चाल है जिसके द्वारा सरकार मान्यता देने की नीति को एक साधारण ढंग से मनवा लेना चाहती है। चूंकि आप मुझे अधिक समय तक बोलने की अनुमति नहीं देंगे, अतएव, मैं केवल यही कहूंगा कि इस चाल को सरकार द्वारा हाल में अपनाई गई मजदूर विरोधी नीति के संदर्भ में लिया जाना है।

आपने औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक तथा इस प्रभाव को देख लिया है। यहां एक और विधेयक ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इन सब बातों को एक संघर्ष-रत ट्रेड यूनियन को शक्तिहीन बनाने के विचार से लाया गया है, सभी प्रयास नियोक्ता के हाथों को मजबूत करने के लिए किए गए हैं और इसके पीछे यही विचार है कि इन्टक अथवा किसी अन्य यूनियन, जिसे या तो इन्टक द्वारा अथवा नियोक्ता द्वारा समर्थन दिया जा रहा है या समर्थन दिया जा सकता है, को बढ़ावा···दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, आप यह क्यों नहीं कहते कि यह सरकार इस विधेयक

को श्रमिक वर्ग के संघर्ष के कारण लाई है। उन्हें इस प्रकार का विधेयक लाने के लिए मजबूर किया गया है, आप यह क्यों नहीं कहते ?

श्री चित्त बसु : मैं आपकी बात की ताईद करता हूं। इसमें अच्छी बातें भी हैं। मुझे उनके प्रति कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस स्पष्ट रूप से सीधे-सादे विधेयक में ये विषैली अथवा कुटिल बातें क्यों लाई गई हैं ? जैसा कि मैं समझता हूं, खंड (टटट) सामूहिक सौदेबाजी के एजेन्ट का पता लगाने से सम्बन्धित है। यह ट्रेड यूनियनों तथा औद्योगिक सम्बन्धों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। सरकार कहती है कि यह चर्चा के लिए एक विषय है। यह त्रिपक्षीय सम्मेलन में चर्चा का विषय है। और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकार ने इस विधेयक में इस धारणा को व्यक्त कर दिया है। अतएव, इसमें या तो सरकार ईमानदार नहीं है—मैं बेईमान नहीं कहता —या सरकार ने इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया है। मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय से यही आग्रह करूंगा कि क्या वे यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि वह करना क्या चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे ऐसा करेंगे।

श्री चित्त बसु : खंड (ट ट ट) के बारे में यह पहली बात है। दूसरा मामला बहुत ही सरल है। मैं केवल एक मिनट लूंगा।

मैं समझता हूं कि 'वेतन' को इसके अन्तर्गत ले लिया गया है। लेकिन मेरे विचार में 'मजदूरी' की परिभाषा पुरानी है। इसे इस आधार पर पुनःपरिभाषित किया जाना चाहिये कि आजकल अब मजदूरी कई अवयवों से मिलकर बनती है। जहां तक मजदूरी भुगतान का सम्बन्ध है मजदूरी के कुछ भाग को इस अधिनियम का प्रयोग करके वसूल किया जा सकता है। लेकिन मजदूरी में कहीं-कहीं कभी-कभी यात्रा भत्ते भी शामिल होते हैं, और अन्य पारिश्रमिक को भी मजदूरी समझा जाता है और इस प्रकार मजदूरी कई परिलब्धियों का सम्मिश्रण है। यदि हम मजदूरी को पुनः परिभाषित नहीं करते हैं, तो मजदूरों को इस अधिनियम का अधिकतम लाभ नहीं मिलेगा। अतएव माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि—यद्यपि यह यहां सम्भव नहीं है—क्या वे वास्तव में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मजदूरी की पुनः परिभाषा की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सरकार 'कामगार' की व्याख्या या तो ट्रेड यूनियन अधिनियम अथवा फैक्टरी अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार क्यों नहीं करती है ? इन दोनों अधिनियमों में उसका अर्थ व्यापक है। क्या सरकार 'कामगार' का या तो फैक्टरी अधिनियम अथवा ट्रेड यूनियन अधिनियम के अनुसार स्पष्ट अर्थ करने पर विचार करेंगी कि जो कोई भी ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत आता है वह एक यूनियन बनाने का पात्र अथवा हकदार है और ऐसा 'कामगार' इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है ? अतएव, उसका अर्थ व्यापक होगा और उस प्रश्न को कुछ सीमा तक हल किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक, विशेष रूप से इसलिए कि उसमें खण्ड (ट ट ट) को शामिल किया गया है, का विरोध करता हूं, मेरे विचार में मुझे इस विधेयक का समर्थन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि सरकार खंड (ट ट ट) को वापस ले ले।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि कुछ सदस्यों ने यह बात देखने की कोशिश नहीं की कि इस संशोधन विधेयक के पीछे अच्छी भावना छिपी हुई है। मैं कुछ सदस्यों की बात कह रहा हूं क्योंकि मैं विपक्षी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में सदस्यों का इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए आभारी हूं। प्रो० बी० डी० सिंह जैसे कुछ सदस्यों ने इस विधेयक तथा इसके प्रावधानों का समर्थन किया है।

आखिरकार इसमें हमने ऐसा क्या किया है जो श्री चित्त बसु या भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों ने इस विधेयक की इतनी आलोचना की है ? मैं जानता हूं कि उनकी क्या शिकायतें हैं और देश की सामान्य औद्योगिक संबंध नीति पर हमारे साथ उनके क्या मतभेद हैं। यह हम जानते हैं, इस आधार पर हम उन्हें तब तक संतुष्ट नहीं कर सकेंगे जब तक वे हमें हटा कर सरकार नहीं बना लेते और ऐसा वे कभी नहीं कर सकेंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि हम कोई संशोधक विधेयक प्रस्तुत करते हैं—जिसमें श्रमिकों की दशा में सुधार के प्रावधान हो, तब उसे काला विधेयक कहा जाता है। जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह एक काला विधेयक है। इस पर मैंने सोचा कि चूंकि वे पिछले दिन इसमें पुरस्थापन के समय अध्यक्ष पीठ पर हावी होने में सफल नहीं हो पाये थे इसीलिए वे ऐसा कह रहे हैं। और हम औद्योगिक संबंधों पर एक बहुत अच्छे विधान पर, जिसे मैंने सदन में प्रस्तुत किया था, सदन की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल हो गये थे। परन्तु आज भी ऐसा कहना आश्चर्यजनक है।

हमने खंड II (ट ट ट) में ऐसा क्या किया है ? आपने भी बिल्कुल सही टिप्पणी की है। हम सीधे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। हम खंड I (ट ट ट) द्वारा क्या-क्या कटौतियां कर रहे हैं ? हमारा कहना है :

> "ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता हेतु देय फीस के भुगतान के लिए, कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किए जाने पर, कटौतियां की जाती हैं।"

अत: श्रमिक लिखित रूप से सहमत होता है कि उसके वेतन में से इन-इन चीजों का अंशदान काट लिया जाए। मैं उन पर दबाव नहीं डाल रहा हूं। किसी पर भी दबाव नहीं डाला जाएगा। असल बात यह है कि कुछ यूनियनें जिन्हें उग्रपंथी संगठन कहा जा सकता है—सदस्यता फीस हड़पने का प्रयास करती हैं, और श्रमिकों की जेब से हासिल करना चाहती हैं। अब ये यूनियनें ऐसा नहीं कर पाएंगी। मैं एक ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति हूं और मैं उन्हें वचन देता हूं—कि मैं इस पर राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन में बातचीत करूंगा। मैं श्रमिकों की ओर से सौदेबाजी करने से गुप्त मतदान जैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन के समक्ष विचारार्थ रखूंगा। पर यह कहना सही नहीं है कि सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें गुप्त मतदान के प्रश्न पर सहमत हैं, इंटक जो कि इस देश की सबसे बड़ी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन है इस बात से सहमत नहीं है चाहे वे इसको समाप्त करना चाहते हों तथापि केवल चाहने से उन्हें फायदा नहीं होगा।

श्री चित्त बसु : मैंने कहा है कि इण्टक को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनें···

श्री भागवत झा आजाद : मैं उनकी बात का ही उल्लेख कर रहा हूं। कृपया आप रिकार्ड देखें।

ठीक है, आपकी बात सही है। पर मेरा यह कहना है कि इस देश की केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों में सर्वाधिक सदस्य-संख्या वाली सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन इंटक इससे सहमत नहीं है तो सरकार देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन की अवहेलना कर अन्य के मतानुसार नहीं चल सकती। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन निश्चित करने के लिए हमने सदस्यता-संख्या भेजने के लिए कहा था। इंटक, एच० एम० एस०, बी० एम० एस०, यू० टी० यू० सी० ने ऐसा ही किया, परन्तु मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एटक तथा सीटू ने ऐसा नहीं किया। अब मुझे यह तय करना है कि ये केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें हैं अथवा नहीं। यदि वे ऐसा चाहते हैं तो उन्हें सदस्यता-संख्या प्रस्तुत करनी होगी। अब मैं इसका निर्णय कैसे ले सकता हूं ? जांच द्वारा, यदि व्यवहार्य हो तो या बाद में गुप्त मतदान द्वारा। मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है और न ही मैं इस विधेयक में कुछ छिपा रहा हूं। मैं खुलेआम कहता हूं कि मैं इस विधेयक को श्रमिकों के हितार्थ लाया हूं। श्री लारेंस के दल—भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स)—जिसने इसे काला विधेयक कहा है—दूसरी सभा में इसका समर्थन किया है। पता नहीं कैसे वे अपनी राय और नीति इतनी जल्दी बदल देते हैं। दूसरी सभा के रिकार्ड से आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है। कल श्री बी० डी० सिंह ने बड़े ही सुन्दर ढंग से कहा है कि वे विधेयक के इस महत्वपूर्ण प्रावधान का समर्थन करते हैं परन्तु जहां अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है वे उनसे सहमत नहीं हैं। मैं जानता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को हमारी सभी नीतियों से सहमत होना संभव नहीं है। परन्तु वे जिन मुद्दों पर सहमत हैं, उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए। प्रत्येक मुद्दे को मजदूर विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए। इसका यही अभिप्राय है कि उनका दृष्टिकोण गलत है या उनकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है। इसे किस दृष्टि से काला विधेयक कहा जा सकता है ? मैं श्री लारेंस और उनके दल से यह जानना चाहता हूं। मैंने इसमें एक व्यापक परिभाषा दी है। 'औद्योगिक स्थापना' की परिभाषा की गई है। इसमें मजदूरी संदाय अधिनियम द्वारा प्रदान स्थापनाओं की तुलना में देश की अधिक स्थापनाओं को शामिल किया जाएगा, मैंने स्वयं यह कहा है कि स्वतन्त्रता के 35 वर्ष बाद मजदूरी के भुगतान संबंधी विधेयक लाना उचित नहीं है। परन्तु देश में ऐसे नियोक्ता मौजूद हैं जो अर्जित मजदूरी का भुगतान नहीं करते। मैंने यह विधेयक उन्हें यही सबक सिखाने के लिए प्रस्तुत किया कि उन्हें मजदूरी का भुगतान करना होगा।

जैसा कि मैंने दोनों सदनों में यह कहा कि जब तक ऐसी बातें देश में विद्यमान है, हमें श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करना होगा। और श्रमिकों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम की परिभाषा को व्यापक बनाना है। क्या वे इस प्रावधान-विशेष को काला प्रावधान कहते हैं ?

श्री चित्त बसु : नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : यदि ऐसी बात है तो उन्हें कम से कम इस पहलू पर तो सरकार के कदम को उचित ठहराना चाहिए, जैसा कि श्री बी० डी० सिंह ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विधेयक का प्रारूप बनाते समय काले पैन का प्रयोग कर रहे होंगे। विधेयक का प्रारूप बनाते समय तथा उसके मुद्रित होने में काले पैन और काली स्याही का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इसे काला विधेयक कहा गया है। आप इस बात को इस ढंग से स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मुझे यह बात स्वीकार करने में प्रसन्नता होगी। मैं इसे आपके सुझाव के अनुसार ही लूंगा।

माननीय सदस्यों की कुछ मामलों में आपत्ति उचित हो सकती है। उदाहरणार्थ, वे यह प्रश्न कर सकते हैं कि मैंने वेतन-सीमा 1600 रुपये से अधिक निश्चित क्यों नहीं की? उन्हें यह प्रश्न पूछने का हक है। मेरा उत्तर यह है कि मैंने इसे कम नहीं किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इन प्रावधानों की प्रशंसा की गई है। मैं विपक्ष के सदस्यों—विशेषकर श्री बी० डी० सिंह तथा श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, जो यहां मौजूद नहीं हैं, का इस विधेयक का समर्थन करने तथा इसके कुछ प्रावधानों का स्वागत करने के लिए आभार प्रकट करता हूं।

धारा 7 का हवाला देते हुए श्री चित्त बसु ने इसे काला विधेयक कहा है। श्री लारेंस ने कहा कि यह एक स्थायी निधि बन जाएगा तथा इसे वापस नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया कि यूनियन इसे वापस नहीं ले सकेगी। मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने यही व्यवस्था की है कि श्रमिक स्वेच्छा से लिखित रूप में यह कहेगा कि कल्याण निधि में "मैं अंशदान करना चाहता हूं" या "मैं अंशदान नहीं करना चाहता हूं"। इसे संबद्ध सरकार द्वारा अनुमोदित नियोक्ता या पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा स्थापित किया गया है। सरकार की अनुमति से यदि नियोक्ता या पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा किसी कल्याण निधि की स्थापना की जाती है तो श्रमिक चाहे तो उसमें हिस्सा ले सकता है अथवा नहीं, वह इसके लिए किसी भी तरह बाध्य नहीं है। वह नियोक्ता या ट्रेड यूनियन द्वारा स्थापित कल्याण निधि में लिखित रूप से एक रुपया या 10 रुपये, 50 या 100 रुपये अंशदान करने की इच्छा व्याप्त कर सकता है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। मैंने इस प्रावधान को रखकर कौन-सी गलती की है? यदि सरकार श्रमिकों के कल्याण का ध्यान नहीं रख पाती है तो इस निधि को सरकार की स्वीकृति से नियोक्ता या पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए तथा इसे निश्चित नियमों के अन्तर्गत कार्य करना होगा। अगर श्रमिक इस निधि के स्वेच्छा से सदस्य होना चाहें तो वे इसमें अपना अंश दान कर सकते हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने यह कहा है कि एक ट्रेड यूनियन श्रमिक को यह अधिकार होगा कि वह प्रबन्ध को यह लिखकर दे कि उसके वेतन का एक भाग काटकर अमुक यूनियन या कल्याण निधि को दे दिया जाए, उन्हें बाध्य कौन कर रहा है? कोई नहीं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आज भी जैसे ही श्रमिक को उनका वेतन मिलता है तो बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन अधिकारी उनका घेराव कर लेते हैं तथा कहते हैं कि अमुक यूनियन या अमुक कल्याणनिधि में अंशदान करो। वे पहले से ही ऐसा करते आ रहे हैं। जैसा वे पहले करते रहे हैं, वही क्रम वे अब भी जारी रख सकते हैं। मैंने कोई अनिवार्यता निश्चित नहीं की है। मैंने कोई गलती नहीं की है। यह श्रमिकों की स्वेच्छा पर निर्भर है, चाहे वे अंशदान करें या जब चाहें इसे बन्द कर दें।

यह कहना कि इससे प्रबन्धकों का श्रमिकों पर दबाव पड़ेगा—तर्क पूर्ण नहीं लगता क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ट्रेड यूनियनें कितनी सशक्त हैं। हम यह भी जानते हैं कि नियोक्ता कितने

समर्थ हैं, जिन पर हमें नियन्त्रण रखना है। इसलिए मैं इस विधेयक को श्रमिकों के कल्याण के लिए, न कि नियोक्ताओं के लाभ के लिए—आगे लाया हूं। अतः यह कहना सही नहीं है कि हमने इस दृष्टि से कोई गलती की है।

साथ ही जहां तक दण्ड का सम्बन्ध है। उस पर मतभेद हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह दण्ड पर्याप्त नहीं है। परन्तु मैंने इसे कम नहीं किया है ; मैंने इसे बढ़ाया ही है। आप कह सकते हैं कि इसे 1000 रु० से बढ़ाकर 1500 रु० कर दिया जाए। पर आप यह नहीं कह सकते कि मैंने इसे 1000 रु० से कम कर 500 रु० कर दिया है और इसलिए मैं किसी नियोक्ता का रिश्तेदार हूं।

श्री चित्त बसु : ऐसा किसी ने नहीं कहा है।

श्री भागवत झा आजाद : कल यह बात कही गई थी और मैंने इसे नोट किया है।

इस विधेयक में मैंने एक और व्यवस्था की है। अब तक बहुत कम राशि के जुर्माने लगाए जाते थे। महोदय, मैंने कहा है कि जुर्मानों की एक न्यूनतम राशि निश्चित की जानी चाहिए। इस बारे में मैं भी विचार कर रहा हूं और मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में जुर्माना और जेल दोनों हों। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। सभा ने मुझे मंजूरी दे दी है। मैं तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, चाहे कानूनी या अन्य जो भी अड़चनें हों···

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अब मैं संशोधन पेश करता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : आपको संशोधन पेश करने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं भरसक कोशिश कर रहा हूं और आप देखेंगे कि इसकी आवश्यकता नहीं रही है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं। मैं आजाद हूं, मैं इसे पेश कर सकता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैं यह कहता हूं कि इस विधेयक में मैंने इन सभी बातों को काफी स्पष्ट कर दिया था कि ये प्रावधान श्रमिकों के कल्याण के लिए हैं। मेरे मन में तो कोई चोर नहीं है जिसको आपने पकड़ लिया है। चोर तो आपके मन में है। आप उसे भगाइये। उसके बाद हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार प्रारम्भ करेगा।

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 7

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2

पंक्ति 31 से 37 तक का लोप किया जाये। (3)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री के० ए० राजन द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं० 3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3 पंक्ति 15—

"तीन प्रतिशत" के स्थान पर "आधा प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये। (24)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब प्रो० अजीत कुमार मेहता द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 8 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 11

प्रो० अजीत कुमार मेहता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 35,—

"एक हजार रुपये" के स्थान पर "रोकी गई कटौती की रकम या देय तारीख के पश्चात् दी गई मजदूरी का बीसगुना" प्रतिस्थापित किया जाये। (25)

पृष्ठ 3, पंक्ति 39,—

"दो सौ" के स्थान पर "पांच सौ" प्रति स्थापित किया जाये। (26)

पृष्ठ 4, पंक्ति 5,—

"दो सौ" के स्थान पर "दो हजार" प्रतिस्थापित किया जाये। (27)

पृष्ठ 4, पंक्ति 5,—

"एक हजार" के स्थान पर "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये। (28)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,—

"एक मास" के स्थान पर "पांच मास" प्रतिस्थापित किया जाये। (29)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,—

"छह मास" के स्थान पर "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। (30)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,—

"पांच सौ" के स्थान पर "छह हजार" प्रतिस्थापित किया जाये। (31)

पृष्ठ 4, पंक्ति 11,—

"तीन हजार" के स्थान पर "बीस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये। (32)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाये :—

'(छ) उपधारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त.स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(7) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वसूल किये गये समस्त जुर्माने या दण्ड की कुल रकम उस कर्मचारी या उन कर्मचारियों को यथास्थिति उचित अनुपात में दी जायेगी।"।' (33)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० अजीत कुमार मेहता द्वारा. प्रस्तावित खण्ड 11 के सभी संशोधनों को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 11 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं : प्रश्न यह है !

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 12

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 13

श्री के० ए० राजन : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

पृष्ठ 4 पंक्ति 12 और 13,—

4. "इस प्रकार नामनिर्दिष्ट" के पश्चात "अथवा इसके कानूनी वारिसों को" अन्तः स्थापित करें।" (4)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 4, पंक्ति 31,—

या" के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये :

"हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार मजदूरी कमाने वाले मृतक के वारिस को दी जाएगी या"। (34)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 4 और 34 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 14

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 5 पंक्ति 17,—

"दशा में" के पश्चात "उस पुरुष या स्त्री की सेवा के पुष्टिकरण के पश्चात" अन्तः स्थापित किया जाये : (35)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 35 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा, दो मिनटों में अपना भाषण पूरा करिये।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन तो करता हूं, क्योंकि यह श्रमिकों के हित के लिए लाया गया है, लेकिन मंत्री जी ने आश्वासन दिया था मजदूरों को सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बिल लाया जाएगा, लेकिन यह बिल पूरी बातों का समाधान नहीं करता। भूतपूर्व श्रम मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि श्रमिकों की जो भी मजदूरी संबंधी कठिनाइयां हैं और कमियां रह गई हैं, उन पर राष्ट्रीय स्तर पर जो सिफारिशें आई हैं, उन सबको बिल में शामिल किया जाएगा। 1980 में उन्होंने यह कहा था। स्वामीनाथन जी ने भी आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय मजदूर संगठनों के विचारों पर भी ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद बिल लाएंगे, लेकिन मंत्री जी ने दो-तीन बातों का ही समावेश इसमें किया है।

यह तो सही है कि औद्योगिक स्थापना के लिए क्षेत्र इन्होंने विस्तृत कर दिया है और राज्य सरकारों को भी यह कहा है कि वे केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से कुछ औद्योगिक संस्थानों को इसके अन्दर ले सकती हैं। यह अच्छी बात है। इसके बावजूद देश में ऐसे बहुत-से औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जिनके श्रमिकों के हितों को अनदेखा किया गया है। उनके बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। भवन-निर्माण में जो श्रमिक काम करते हैं, कांट्रेक्ट पर चलते हैं और बोकारो तथा एस० टी० सी० आदि में कांट्रेक्ट पर लेबर काम करते हैं, वहां पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है। उनके हित के लिए कोई विचार नहीं किया जाता है। वे बरसों वहां काम करते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं दिया जाता है। खादी ग्रामोद्योग में और खेतों पर जो मजदूर काम करते हैं, इनके अलावा और भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर मजदूरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री मेहता।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको समय देना चाहा था । क्या आप सहयोग नहीं देंगे ? किसी और समय, मैं आपको एक घंटे का समय भी दे दूंगा । इस सयम नियम 193 के अधीन एक महत्व-पूर्ण चर्चा चल रही है । हां, श्री मेहता । आप दो मिनट में पूरा करिये । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तो ठीक है । आप बैठ जाइये । आप हमारी बात नहीं मानते । हमें एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करनी है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका है ! मैं सभी सदस्यों को मना कर सकता हूं । (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ इन्होंने कहा है उसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल मत कीजिए । (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है कि इन्होंने अपना नाम आज सुबह ही दिया है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : आपने मुझे एमेंडमेंट पर बोलने नहीं दिया । अब मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं । आठवें क्लाज में आपने अब आधा आने के बदले तीन प्रतिशत रखा है । आधा आने का मतलब होता है दो पैसे । दो पैसे का परसेंट आप जोड़िये तो होता है 3.21 इस वास्ते इसको आपको साढ़े तीन परसेंट तो कर ही देना चाहिये ।

वेज पेमेंट अगर डिले होता है तो आपने फाइन की कुछ मात्रा रखी है । अभी तक क्या होता था ? मिनिमम जो फाइन की व्यवस्था होती थी व्यवहार में वही फाइन किया जाता था । सभी पर इतना ही फाइन होता था । अब आपने सौ या दो सौ फाइन की व्यवस्था की है । यहां भी व्यवहार में यही होगा कि हमेशा उन पर सौ या दो सौ ही फाइन हुआ करेगा । इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि फाइन के साथ-साथ इम्प्रिजनमेंट की बात भी अगर आप रखें तो ज्यादा अच्छा होगा । तब इंडस्ट्रियलिस्ट कभी डिले नहीं करेंगे । चूंकि उनको लाभ होता है साल-छः महीने वेज रोक रखने में, इस वास्ते पचास रुपया फाइन देकर वे छुटकारा पा लेते हैं । आपने स्वयं स्वीकार किया है कि आप चाहते हैं कि पैनेल्टी मजदूरों को मिले । उस सम्बन्ध में मैंने एक सुझाव रखा था, संशोधन रखा था । आप उसको मान क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के तीसरे वाचन में इसलिए भाग ले रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के प्रति हमारे रुख के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं ।

हमने देखा कि कुछ अहितकारी प्रावधानों को छुपाने के लिए विधेयक में कुछ अच्छे प्रावधान किये गए हैं । यही कारण है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं जैसाकि औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक की तरह जिसमें कुछ अच्छे प्रावधान थे । मैंने मंत्री महोदय जी को स्वयं बताया कि इस विधेयक में कुछ प्रावधान हैं, परन्तु विधेयक की सूक्ष्मता से समीक्षा करने के बाद सरकार की बलवती इच्छा यह प्रतीत हुई कि श्रमिकों के अधिकार छीने जाएं । और श्रमिकों तथा ट्रेड यूनियनों, जो कि उनके विरुद्ध हैं, के लिए वे कठिनाइयां पैदा करते हैं । इसलिए हम इसे काले कानून का नाम देते हैं । इसके लिए उन्हें इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । क्या माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि हमने

वास्तव में कल्याणकारी उपाय का कभी विरोध किया है ? जब कभी भी हम सरकार के किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जो हमारी राय में श्रमिकों के कल्याण के लिए नहीं है, बोलते हैं तो माननीय मंत्री जी हम पर आरोप लगाते हैं। वे यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि हम लोकसभा और राज्य-सभा में परस्पर-विरोधी रुख अपना रहे हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। जब हमने इसे काला विधेयक कहा था तो हमने उन प्रावधानों के बारे में बताया था जिनका हम विरोध कर रहे थे। और इन प्रावधान में सब बातें आ जाती हैं जिन्हें माननीय मंत्री जी पुरःस्थापित करना चाहते हैं। हम कुछ प्रावधानों, जैसे विधेयक के क्षेत्र का प्रसार, और 1600 रुपये तक की सीमा करना और ऐसी ही बातों का स्वागत करते हैं। परन्तु जुर्माने लगाने के सम्बन्ध में, यह हास्यास्पद बात है कि इसके लिए 1000/-रु० के अर्थदण्ड का प्रावधान किया जा रहा है। वे किसी की परवाह नहीं करते, वे केवल फेंक देते हैं। इस देश के ऐसे लोगों के लिए जो 10,000 रुपये के करोड़ों रुपयों के बीयरर बांड अपने काले धन से खरीद सकते हैं। 1000 रुपये जुर्माना क्या आपने रखा है ! यह तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार मेहता ने ठीक ही बताया है कि हमेशा ही उन पर न्यूनतम जुर्माना किया जाता है, कामगार बेरोजगार हो जाते हैं उन्हें मजदूरी नहीं मिलती लेकिन इसमें केवल न्यूनतम जुर्माने की ही व्यवस्था की गई है। यह कोई राहत नहीं है।

इसलिए मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मंत्री महोदय को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूल कि इसमें इतना संवेदनशील होने की कौन-सी बात है, क्योंकि इसमें कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी नजरों में यह एक काला विधेयक है। आप इस बात को इस रूप में मत लीजिये कि हम कामगरों की भलाई के विरुद्ध हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह समुचित कल्याणकारी उपायों के प्रस्ताव पेश करें, हम उनका निश्चय ही समर्थन करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : मैं उसके लिए संवेदनशील नहीं हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि अभी-अभी श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपने वक्तव्य का सारांश बताते हुए कहा है कि "हमारी नजरों में यह एक काला विधेयक है।" जब वह एक उपबन्ध को भी काला बताते हैं और मैं उसे सफेद बताता हूं तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों न जाहिर करूं ? मैं कह रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : इस प्रकार के वक्तव्य में आप कुछ अच्छे उपबन्धों को बुरा बता रहे हैं। यह बहुत ही घटिया बात है। इसलिए मैंने कहा है कि आप मुझे कोई बधाई नहीं दे रहे हैं। एक ओर आप यह कह रहे हैं कि आप मुझे बधाई दे रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम कामगरों की भलाई के लिये कटिबद्ध हैं और हम हमेशा ही श्रमिकों के कल्याण के लिये कोई न कोई कानून बनाते हैं; हम उनके साथ हैं और भविष्य में भी हम उनकी भलाई के लिए प्रयास करते रहेंगे क्योंकि कामगारों की भलाई करना इस सरकार की नीति है। कुछ ऐसे मित्र हैं, कुछ ऐसी ट्रेड यूनियनें हैं जो उनका अहित करने की कोशिश कर रही हैं। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं ? मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकता। और न ही वह मेरे साथ सहमत हो सकते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस विधेयक को पारित किया जाए। जो कुछ प्रो० मेहता ने कहा है, उसका मैंने

स्पष्टीकरण कर दिया है। जो कुछ श्री वर्मा ने कहा है उसका स्पष्टीकरण मैं पहले ही कर चुका हूं।

मैं अब सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सर्व सम्मति से पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

चिट फंड विधेयक

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चिट फंडों तथा इससे सम्बन्धित मामलों के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए राज्य सभा द्वारा इस विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :

खण्ड 7

(1) कि पृष्ठ 6 पर उपखण्ड (2) के प्रथम परन्तुक की खण्ड (ग) के **पश्चात्** निम्नलिखित **मद अन्तः स्थापित की जाये अर्थात्** :

"कि (घ) प्रधान किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, जो नैतिक अधमता से सम्बन्धित है और किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, जब तक कि उसके निर्मोचित होने से पांच वर्ष की अवधि बीत न गई हो।"

खण्ड 16

(2) कि पृष्ट 9 पर उपखण्ड (3) के **स्थान पर** निम्नलिखित उपखण्ड **प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात्** :

"(3) जहां इनाम की कोई रकम इस आधार पर नहीं निकाली गई थी कि 2 ऐसे अभिदाता जिनकी उपस्थिति उपधारा (2) के अधीन रकम निकालने के समय अपेक्षित थी, उपस्थित नहीं थे या किसी अन्य आधार पर वहां रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या प्रधान द्वारा या अभिताओं में से किसी के द्वारा आवेदन किए जाने पर यह निदेश दे सकेगा कि इनाम की रकम उसकी उपस्थिति में या उसके द्वारा प्रतिनियुक्ति किसी व्यक्ति की उपस्थिति में निकाली जाएगी।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (जादवपुर) प्रकिया क्या है ? सबसे पहले तो प्रस्ताव पारित होना है। इसके बाद संशोधन पर विचार किया जा सकता है। आप संकल्प रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको संशोधन पर विचार करने के लिए प्रस्ताव करना है।

"कि चिट फण्डों तथा इससे सम्बन्धित मामलों के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए राज्य सभा द्वारा इस विधेयक में किए गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये।"

उन्होंने प्रस्ताव कर दिया है। आप विधेयक पर अपने विचार प्रगट कीजिये। यही विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव है। विचार के लिये कोई विरोध नहीं है। इसलिये मैंने आपका नाम लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक इस विधेयक पर इस पक्ष में विचार किया गया था मैंने कहा था कि इस विधेयक में चिटों पर पूर्ण प्रतिबन्ध की व्यवस्था होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात पर सहमत हैं। हम इस पर विचार-विमर्श पूरा कर रहे हैं। इसके पश्चात् हमें 193 पर विचार-विमर्श करना है। यह बात मान ली गयी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने कहा है कि ये संगठन विशेष रूप से मध्यम वर्गों और आम लोगों में तथा अनुसूचित जातियों के लोगों में, जिन्हें कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, भारी अव्यवस्था फैला रहे हैं, परन्तु उससे हमारी अर्थव्यवस्था में भी भारी गड़बड़ी पैदा हो गई है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि इन लोगों ने अपने स्वयं के लिये किस प्रकार पैसा बनाया है। एक संगठन है संचयिता जिसने कम से कम 100 करोड़ रुपये कमाये हैं और कल ही मैं उस निर्णय की प्रति लेने उच्चतम न्यायालय गया था जिसमें न्यायालय ने फौजदारी-अभिकरणों द्वारा संचयिता के मामलों में जांच करने का आदेश दिया था। मैं इस सरकार से यह पूछ रहा हूं कि "आप संचयिता के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं।" परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि "क्या आयकर विभाग ने कोई कार्यवाही की है ?" क्योंकि यह बताया गया है कि "आयकर विभाग कार्यवाही कर रहा है।" उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कार्यवाही की जानी है। लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं है। वर्षों से इस फर्म ने कोई आयकर विवरण नहीं दाखिल किया है। इसके सम्बन्ध में कोई कर निर्धारण नहीं किया गया है। अब इस प्रकार की फर्मों को नियमित किया जा रहा है। आप इस बुराई में न तो परिवर्तन कर सकते हैं और न ही इस बुराई को दूर कर सकते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस विधेयक में और सुधार करने के लिये राज्य सभा से एक-दो सुझाव आये हैं। मैं इनका विरोध भी नहीं करता, लेकिन इस सिद्धान्त पर मैं इसका विरोध करता हूं कि जितनी जल्दी ये संस्थायें समाप्त हों, उतनी ही जल्दी लोगों की सुरक्षा होगी; अन्यथा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु वह इन साहूकारों की सनक के आगे घुटने टेक रही है। वास्तव में ये संस्थायें साहूकारी संस्थायें हैं और ऐसा करना देश के हित में नहीं होगा। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इस सरकार को साफ तौर से यह कहना चाहिए कि वह इन संगठनों पर पूर्णतया पाबन्दी लगायेगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार(पीलीभीत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं और सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि आपने बैंकों का नेशनलाइजेशन तो कर दिया,

मगर यह दूसरे प्राइवेट बैंक खोल दिए, जिससे किसी प्रकार भी देश की इकॉनामी को फायदा नहीं पहुंचता है। ये लोग भोली-भाली जनता का पैसा जमा कर लेते हैं, 15-20 साल तक पैसा अपने यहां जमा रखते हैं, लोगों को देते नहीं हैं और बहुत सारे लोग अपने दफ्तर उठाकर भाग जाते हैं। रामपुर, बरेली, मुरादाबाद में ऐसा ही हुआ है। लोग पैसा लेकर भाग गए।

पीअरलैस कम्पनी पैसे का बहुत बड़ा काम कर रही है, बरेली में इसका दफ्तर खुलता ही नहीं है। वहां लोग भटकते रहते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता ये लोगों का पैसा 15-15 और 20-20 साल तक अपने पास रखकर देश की अर्थ-व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इन प्राइवेट बैंकों को, जो कि पैसा लेते हैं, देते नहीं हैं, आप क्यों चला रहे हैं ? क्या इस तरह से आपने कैपिटलिस्टों की मदद नहीं की है ? धोखाधड़ी करने वालों को, वंचकों को क्या आप इस तरह से आश्रय नहीं दे रहे हैं ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चिट फण्ड पूरा का पूरा बन्द होना चाहिए, इनका नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए और जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, उनको बन्द कर देना चाहिए।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जब इस चिट फण्ड विधेयक पर डिबेट हुई तो मैंने इस पूरे बिल का विरोध किया था और यह कहा था कि यह चिट फंड बिल जो आप लाए हैं, और इसको जो कानूनी हैसियत आपने दे दी है, इससे यह लोगों को चीट करेगा, इसलिए इसकों चिट फंड की जगह अगर चीट फंड नाम दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि यह एजेन्सीज जो चिट फंड कम्पनीज चलाती हैं, रातों-रात करोड़ों रुपये की मालिक हो जाती हैं। और ये ब्लैक मनी को ह्वाइट मनी करके चलाती हैं। यह सीधे-सादे लोगों से पैसा लेकर अपने पास रखती हैं जबकि इस पैसे का कोई भी मकसद इस देश के विकासों में लगाने का इनका नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि आप इन चिट फंड कम्पनीज से ऐसा करें कि ये 20 परसेंट या 40 परसेंट देश के डैवलपमेंट और विकास के लिए लगायें, आप इन पर ऐसा प्रतिबन्ध लगायें। लेकिन वह संशोधन आप नहीं लाए हैं।

आप छोटे-छोटे संशोधन लेकर आते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि आप अब भी इस बिल को वापिस ले लें तो अच्छा है। आप को-आपरेटिव सोसाइटीज चला सकते थे, इनके नेशनलाइजेशन के द्वारा इस तरह से काम कर सकते थे। हमारे चटर्जी साहब का इस तरह का प्रपोजल था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से इस तरीके की सुविधा लोगों को दिलवायें। जो व्यक्तिगत लोग इस तरीके से सीधे-सादे लोगों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं उसके बदले मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंक से आप इस तरीके से सुविधा लोगों को दिलवायेंगे।

(वित्त मंत्रालय में उपमंत्री) श्री जनार्दन पुजारी : इस विधेयक पर इस महान सदन तथा राज्य सभा में भी विस्तृतरूप से चर्चा की गयी थी तथा मैंने इसका व्यापक उत्तर दिया था। दुर्भाग्यवश माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी उस समय उपस्थित नहीं थे जब मैंने यहां उत्तर दिया था लेकिन उनकी पार्टी के उनके मित्रों ने इसे राज्य सभा में भी उठाया था और मैंने इसका व्यापक रूप से उत्तर दिया था।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह एक कठोर विधेयक है तथा इसे यहां नहीं लाना चाहिए था कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि सजा निवारक नहीं है और कुछ निवारक

सजा का उपबन्ध किया जाना चाहिए। ये तर्क दिए गए हैं। मेरा यह निवेदन है कि हमें संतुलन पैदा करना है, यह एक संतुलित कानून होना चाहिए। कुछ माननीय सदस्य एक कठोर कानून चाहते थे, कुछ सदस्यगण निवारक सजा का उपबन्ध चाहते थे और कुछ अन्य सदस्यगण यह चाहते थे कि निवारक सजा का उपबन्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए यह सरकार का दायित्व है कि वह एक सन्तुलित कानून बनाए।

बैंकिंग संस्थानों के बारे में एक अन्य प्रश्न यह उठाया गया है कि बैंकिंग संस्थानों द्वारा यह कारोबार किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। मैंने इस तथ्य का उल्लेख किया है, मैंने राज्य सभा में भी इसका विस्तृत उत्तर दिया है।

बैंकिंग क्षेत्र के कृत्य बिल्कुल भिन्न हैं। उन्हें उन निधियों के अन्तिम उपयोग को देखना होता है जो जनता अर्थात कर्ज लेने वालों को दी गई हैं। हमें धनराशि की उस मात्रा को देखना होता है जो कर्ज लेने वालों को दी गई है। हमें यह देखना होता है कि क्या बैंकिंग क्षेत्र को दी गयी धनराशि का ठीक प्रकार से उपयोग किया गया है या नहीं। जैसा कि चिट फंड कारोबार के मामले में जहां तक कर्ज लेने वाले अर्थात अभिदाता का सम्बन्ध है उसे उस धनराशि को अपनी इच्छानुसार किसी भी कार्य के लिए खर्च करने की स्वतंत्रता होती है। वह इस धनराशि को अपनी लड़की की शादी अथवा मकान निर्माण जैसे गैर उत्पादक कार्यों के लिए भी खर्च कर सकता है। यही नहीं, बैंकिंग क्षेत्र में हमें यह भी देखना होता है कि आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम, डी० आर० आई० योजना तथा 20-सूत्री कार्यक्रम को ठीक प्रकार के कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं। इसलिए मेरे विचार से बैंकिंग कार्य चिट-फण्ड कारोबार के समान नहीं हैं।

इन परिस्थितियों में, मैं यह अनुरोध करता हूं कि यह सभा राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गए संशोधनों को स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि चिट फण्ड के विनियम तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :

खण्ड 7

(एक) कि पृष्ठ 6 पर उपखण्ड (दो) के प्रथम परन्तुक की मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाये—अर्थात :

> "(घ) कि प्रधान किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो नैतिक अधमता से सम्बन्धित है और किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जब तक कि उसके निर्मोचित होने से पांच वर्ष की अवधि बीत न गई हो।"

खण्ड 16

(दो) कि पृष्ठ 9 पर उपखंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :

"(3) जहां इनाम की कोई रकम इस आधार पर नहीं निकाली गई थी कि दो ऐसे अभिदाता जिनकी उपस्थिति उपधारा (2) के अधीन रकम निकालने के समय अपेक्षित थी, उपस्थित नहीं थे, या किसी अन्य आधार पर वह रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या प्रधान द्वारा या अभिदाताओं में से किसी के द्वारा आवेदन किये जाने पर यह निदेश दे सकेगा कि इनाम की रकम उसकी उपस्थिति में या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में निकाली जाएगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

खण्ड 7

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 6 पर, उपखंड (2) के प्रथम परन्तुक की मद (ग) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाये अर्थात :

"(घ) कि प्रधान किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया है जो नैतिक अधमता से सम्बन्धित है, और किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया जब तक कि उसके निर्मोचित होने से पांच वर्ष की अवधि बीत न गई हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 9 पर उपखंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :

"(3) जहां इनाम की कोई रकम इस आधार पर नहीं निकाली गई थी कि दो ऐसे अभिदाता जिनकी उपस्थिति उपधारा (2) के अधीन रकम निकालने के समय अपेक्षित थी, उपस्थित नहीं थे या किसी अन्य आधार पर वह रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या प्रधान द्वारा या अभिदाताओं में से किसी के द्वारा आवेदन किए जाने पर यह निदेश दे सकेगा कि इनाम की रकम उसकी उपस्थिति में या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में निकाली जाएगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पिछड़े वर्ग आयोग, 1980 के प्रतिवेदन पर चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे।

श्री रामविलास पासवान।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन्, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसका प्रभाव देश की जनसंख्या के बहुत बड़े वर्गों पर पड़ता है और मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि सदन में कोरम पूरा नहीं है। श्रीमन्, मैं औपचारिक रूप से कोरम का प्रश्न उठाता हूं। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हमारे सभी माननीय मंत्री उच्च जातियों के हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते, सभा का कोरम पूरा है। मैंने सदस्यों को गिन लिया है। सभा का कोरम पूरा है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मुझे खुशी है कि श्री पी० शिवशंकर उपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये बातें कभी-कभी होती हैं। कभी-कभी यहां इस ओर अधिक संख्या में सदस्य होते हैं और कभी उस तरफ अधिक सदस्य होते हैं। मैं केवल कोरम के बारे में सावधान रह सकता हूं। मैं प्रत्येक सदस्य को यहां उपस्थित रहने के लिए नहीं कह सकता हूं। प्रो० दण्डवते ने कोरम के बारे में प्रश्न उठाया है और मैं कहता हूं कि सभा का कोरम पूरा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोरम इसलिये पूरा है क्योंकि विपक्ष के सदस्य उपस्थित हैं। इस बात को नोट किया जाना चाहिए।

रक्षा तथा गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : यह प्रक्रिया का कोई नियम नहीं है कि कोरम केवल इस तरफ का होना चाहिए। यह सभा का कोरम है।

श्री रामविलास पासवान : श्रीमन्, आप भी पिछड़े वर्गों के सदस्यों में से एक सदस्य हैं और आप पिछड़े वर्गों के हितों के लिये चैम्पियन हैं। आपको इसे अवश्य ही महसूस करना चाहिए···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां मद्रास उत्तर से संसद सदस्य चुनकर आया हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ;

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए उस दिन कहा था···(व्यवधान) नहीं-नहीं, अभी मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर हूं। (व्यवधान) अंडर रूल 376 मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा यह कहना है कि मैंने उस दिन आबजेक्शन उठाया था और अमेंडमेन्ट दिया था। मैंने उस दिन कहा था कि मंडल कमीशन को आप नियम 184 के अन्तर्गत लें, उसमें मेरा उद्देश्य यही था कि उसके अन्तर्गत यह मोशन के रूप में आएगा और तब, एम०पीज बाउण्ड रहेंगे। यहां पर प्रेजेन्ट रहने के लिए गवर्नमेन्ट को भी डर रहेगा कि वोटिंग हो सकती है। लेकिन उस दिन विश्वास दिलाया गया था कि इसको उतनी ही गम्भीरता से लिया जायेगा जितना 184 में। आज हमको लगता है कि जानबूझकर सरकारी पक्ष के लोग चले गये हैं केवल पांच-सात मेम्बर्स को छोड़कर सभी हरिजन एवं पिछड़ी जाति के सदस्य ही हैं, इसका मतलब है कि यदि शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस पर बहस होगी तो सिर्फ उसी क्लास के लोग यहां पर रहेंगे? यह ट्रेजरी बेचेज का ट्रेन्ड दिखाई पड़ता है। मैं इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि ह्विप जारी करते और अपने लोगों को यहां रहने के लिए कहते? इतना इम्पार्टेंट ईश्यू लिया जा रहा है, उनको अपने मेम्बरों को यहां रहने के लिए कहना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, मैं यहां कोई अन्य चर्चा नहीं चाहता हूं। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं। कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट पर सभा में पहले ही चर्चा हो चुकी है। आपको नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करनी होगी। इसे सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, मैं श्री पासवान को पिछड़ा वर्ग आयोग 1980-81 की रिपोर्ट पर, जिसे 30 अप्रैल, 1982 को सभा-पटल पर रखा गया था, चर्चा आरम्भ करने के लिये कह रहा हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : इस पर प्रधान मंत्री जी को यहां मौजूद होना चाहिये था।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 340(2) तथा (3) के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान उसमें दिए गए उपबन्ध की ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूं। सभा के समक्ष एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव लम्बित पड़ा है। शायद वह प्रस्ताव हमारे साथी प्रो० दण्डवते तथा श्री पासवान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप इस तथ्य को जानते हैं कि संविधान-निर्माता हमारे भारतीय समाज को जानते थे इसलिए उन्होंने एक संवैधानिक उपबन्ध द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया था। इन लोगों के उत्थान के लिए एक अन्य उपबन्ध की विशेष सहायता लेना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 340 को संविधान में जोड़ा गया है जिसके द्वारा जनता के किसी भी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार की सहायता, मदद अथवा कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। परन्तु आयोग नियुक्त करने सम्बन्धी यह संवैधानिक उपबन्ध सरकार पर बाध्यकारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय संविधान निर्माण के 32 वर्ष बाद भी सरकार ने समाज के इस वर्ग के प्रति, जो कि हमारी जनसंख्या का 52 प्रतिशत है, घोर लापरवाही, ईर्ष्यालु दृष्टिकोण अपनाया है। मंडल आयोग ने अन्य बातों के अतिरिक्त एक अच्छा कार्य किया है। मैंने इसका विश्लेषण

नहीं किया है। उन्होंने देश को इस तथ्य से अवगत करा दिया है कि अन्य पिछड़ी जातियां हमारी जनसंख्या का 52 प्रतिशत भाग हैं।

महोदय, आप पहले प्रतिवेदन के बारे में की गई कार्यवाही से अवगत हैं। उस पर इस सभा में चर्चा की अनुमति भी नहीं दी गई थी। हमारे समाज के प्रमुख वर्ग के प्रति सरकार का ऐसा रवैया है। अब दूसरे आयोग ने 1½ वर्ष पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसके बाद यदि सरकार चाहती तो उसके पास काफी समय था कि वह आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करे तथा राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त करे और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कुछ प्रभावी कदम उठा सकती थी।

महोदय, संविधान द्वारा इसे सरकार पर बाध्यकारी किया गया है तथा अनुच्छेद 340 (2) के अनुसार :

> "इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए विषयों का अनुसन्धान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें पाये गए तथ्यों का समावेश होगा तथा जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी, जिन्हें आयोग उचित समझें।"

आयोग द्वारा यह कार्य पूरा कर लिया गया है। अतः उप-खण्ड (3) में कहा गया है कि :

> "राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित···रखवाएगा।"

भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यहां इसे सरकार पर बाध्यकारी बनाया गया है।

"···संसद के दोनों सदनों के समक्ष।"

महोदय, मैं आपको उस समय का स्मरण कराना चाहता हूं कि जब यह प्रतिवेदन इस सभा में प्रस्तुत किया गया था, तथा यह इसीलिए प्रस्तुत किया गया था क्योंकि सभा के सभी पक्षों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की थी। मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं। उस समय हमारा यह विचार था कि यदि हमने उस समय यह मसला उठाया तो सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में और अधिक विलम्ब किया जाता। अतः हमने उस समय इस पर जोर नहीं दिया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस सभा के दोनों पक्षों की ओर से कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी तथा उन्होंने व्यक्तिगत रुचि ली थी और गृह मंत्री से उस समय दोनों संस्थाओं में यह वक्तव्य देने को कहा था कि राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है तथा सरकार उन पर यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी। यह रिपोर्ट पिछले सत्र में प्रस्तुत की गई थी। यदि सरकार देश के पिछड़े वर्गों के उत्थान में वास्तविक रुचि रखती तो इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उसके पास पर्याप्त समय उपलब्ध था। परन्तु यह कहते हुए मुझे खेद है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रही है तथा वह इन मामलों को राज्य सरकारों पर छोड़ रही है और बहुत-सी राज्य सरकारें इस दिशा में कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रही हैं।

(व्यवधान)

महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आप एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य से चुनकर आए हैं तथा

दक्षिण के अधिकांश राज्यों ने इस सम्बन्ध में अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया है परन्तु उत्तर के अधिकांश राज्यों ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनमें 1½ वर्ष की अवधि के पश्चात् भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है तथा कुछ भी निर्णय नहीं ले सकी है। यदि वे निर्णय सभा के समक्ष रखे जाते तो यह चर्चा कुछ अधिक अर्थपूर्ण हो सकती थी। मेरी व्यवस्था का यही प्रश्न है। अतः मेरा अनुरोध है कि श्री पासवान के भाषण से पहले गृह मंत्री को इस सभा में यह बताना चाहिये कि सरकार समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग के प्रति अपने इस प्राथमिक तथा महत्वपूर्ण कर्त्तव्य को पूरा करने में क्यों असफल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है परन्तु यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। फिर भी मंत्री अपना उत्तर दिये जाने के समय आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों का भी उत्तर दे सकते हैं।

———

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, प्रसंगवश क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, एक मिनट। चूंकि आपने इसकी चर्चा की है···

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आप अपना विनिर्णय दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं। चूंकि आपने इसे उठाया है।

प्रो० मधु दण्डवते तथा श्री रामविलास पासवान ने गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बया के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं दी हैं क्योंकि मंत्री द्वारा 30 अप्रैल, 1982 को सभा में यह कहा गया था कि वे पिछड़ा वर्ग आयोग, 1980 के प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रख रहे हैं, परन्तु की गई कार्यवाही प्रतिवेदन को प्रतिवेदन के साथ नहीं सलंग्न किया गया था। प्रो० मधु दण्डवते के अनुसार मंत्री के वक्तव्य द्वारा सभा का विशेषाधिकार भंग किया गया है। श्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मंत्री महोदय ने सभा को गुमराह करने का प्रयत्न किया है।

पिछले सत्र के दौरान सर्वश्री रामविलास पासवान तथा जयपाल सिंह कश्यप द्वारा ऐसी ही सूचनाएं दी गई थीं।

30 अप्रैल, 1982 को श्री पी० वेंकटसुब्बय्या द्वारा "दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही व्याख्यात्मक ज्ञापन" सभा पटल पर रखा गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि "आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में महत्वपूर्ण तथा जटिल मुद्दों को उठाया गया है जिनका सम्पूर्ण देश पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा" तथा "केन्द्रीय सरकार ने प्रतिवेदन

के बारे में राज्य सरकारों की राय प्राप्त करने के लिए उसे विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दिया है। उनके उत्तर प्राप्त होने के पश्चात सरकार प्रतिवेदन पर और आगे विचार करेगी···।"

विशेषाधिकार सम्बन्धी ऐसा ही प्रश्न 1974 में भी उठाया गया था; जब चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन के साथ की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन अगस्त, 1974 में सभापटल पर रखा गया था। प्रो० मधु दण्डवते ने तब यह कहा था कि "जांच आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने के बावजूद की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है : अत्यधिक वित्तीय परिव्यय तथा अन्तर्निहित जटिल प्रशासनिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार को मामले की गहराई से जांच करने तथा कोई निर्णय लेने में और अधिक समय लगेगा।"

उस मामले में, मेरे विशिष्ट पूर्ववर्ती अध्यक्ष महोदय जी० एस० ढिल्लों ने उक्त मामले को सभा में उठाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी।

मैं अपने विशिष्ट पूर्ववर्ती अध्यक्ष महोदय से सहमत हूं। इसमें विशेषाधिकार सम्बन्धी कोई प्रश्न अन्तर्निहित नहीं है। नियम 222 के अन्तर्गत सहमति प्रदान नहीं की जाती है।

यह अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका अर्थ है कि "निष्क्रियता प्रतिवेदन" को की गई कार्यवाही प्रतिवेदन समझा जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पासवान बोलेंगे।

पिछड़े वर्ग आयोग, 1980 के प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी हैं, मैं उसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा, लेकिन हिन्दुस्तान की आम जनता की नजर इस महत्वपूर्ण मंडल कमीशन की तरफ लगी हुई है। यदि अभी तक के नतीजे निकालें जायें, तो हिन्दुस्तान की जनता इस बात पर निश्चित राय से पहुंच गई है कि इस रिपोर्ट का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं हैं।

आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, बहस करने जा रहे हैं। संविधान की धारा-340 के तहत बनाए गए इस कमीशन पर हम बहस करने जा रहे हैं, लेकिन इसी तरह का कमीशन काका कालेलकर की अध्यक्षता में भी बना था। उस कमीशन का क्या हश्र हुआ, उसकी क्या दुर्गति हुई हमको मालूम है। संसद में उस पर कभी न विचार हो सका और बहस तक न हो सकी। मैं सदन के दोनों तरफ के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि यदि दोनों तरफ के लोगों ने प्रेशराइज न किया होता, सरकार को बाध्य न किया होता, तो मैं समझता हूं कि आज भी इसके ऊपर बहस नहीं होती। मैं ऐसा इस लिये कह रहा हूं—आप देखें कि इस आयोग को, इस कमीशन को किस प्रकार हल्के ढंग से लिया जा रहा है, कल शाम को साढ़े 6 बजे तक मैं पता लगाता रहा कि कमीशन की रिपोर्ट पर आज बहस होने वाली है या

नहीं। इसको आज के आर्डर-पेपर पर लेने वाले हैं या नहीं। मुझे शाम 6 बजे तक बतलाया गया कि अनिश्चितता की स्थिति है. बहस नहीं होगी। मैं स्पीकर साहब से मिला। स्पीकर साहब ने कहा—"मैंने हाउस में कमिट किया है, इस पर बहस होगी।" फिर उन्होंने सैक्रेटरी को बुलवाया और पता चला कि मिनिस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक लम्बा पत्र आया है जिसमें कहा गया है कि बहुत-पा बिजनेस पेंडिग है, इस लिए इस कमीशन की रिपोर्ट पर कल बहस नहीं होगी, तब मैंने कहा—"कमीशन की रिपोर्ट पर बहस नहीं होगी, तो कल पार्लियामेंट में वह सीन क्रिएट होगा, वह हंगामा होगा जो आज तक नहीं हुआ है। इसके साथ करोड़ों लोगों का, मैजोरिटी लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है।" इससे पता चलता है कि सरकार इसको किस तरह से लेना चाहती है।

पिछली दफा भी आपको याद होगा—30 अप्रैल को यानी अन्तिम तिथि को इस रिपोर्ट को यहां पर पेश किया गया था। परसों तक आपका यह अधिवेशन चलने वाला है। परसों प्राइवेट मेम्बर्स डे है और आज हम इस पर बहस कर रहे हैं। इस लिये मैं एक बात कहना चाहता हूं—यदि सरकार ने सारे दरवाजे बन्द कर लिए हैं, भारत सरकार, भारत के गृह मंत्री और प्रधान मंत्री अपने सारे फाटक बन्द कर चुके हैं कि इस के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करनी है तब तो इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यदि आपकी नीयत साफ है तो इस रिपोर्ट में, जो स्वर्गीय बी० पी० मंडल जी ने बहुत मेहनत से तैयार की है, जिसके दो खण्ड हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सर्व प्रथम तो, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सोमनाथ चैटर्जी पीठासीन हुए।)

मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि हमने संविधान के प्रति क्या कसम खाई थी, संविधान ने आपको क्या दायित्व दिए हैं। इस संविधान के निर्माता डा० अम्बेडकर को छोड़ कर, मैं समझता हूं, अधिकांश लोग, ऊंची जाति के थे जिनके दिल में राष्ट्र प्रेम था, जो आजादी की लड़ाई से निकले थे, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में युद्ध करके आये थे, उन लोगों के द्वारा बनाया गया यह दस्तावेज है और इस दस्तावेज के प्रिएम्बिल में, प्रस्तावना के शुरू में तीन शब्द लिखे गये हैं—

"जस्टिस—सोशल, इकानामिक एण्ड पोलिटीकल"

"न्याय—सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक"

सामाजिक को पीछे नहीं रखा गया है, पहला शब्द है—सामाजिक, न्याय प्रदान किया जाएगा। कांस्टीचूशन की यह धारा हमने नहीं बनाई है। यहां जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से शायद दो-तीन ही ऐसे हैं जो उस समय मौजूद थे। प्रो० रंगा थे, हालांकि वह इस समय मौजूद नहीं हैं।

आप संविधान की धारा 15(4) को लीजिये। उसमें लिखा है—

> "15 (4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की किसी बात से राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।"

रिपोर्ट में कहा गया है—गौर करने की ही बात है—सोशली एण्ड एजूकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक। अब आप आर्टीकल 16 (4) को लीजिए—इसमें कहा गया है—

"16 (4) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।"

इतना ही नहीं, आर्टीकल 46 को देखें—इसमें कहते हैं—

"46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति—राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि हमने यह कसम खाई थी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा—काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई। मोटिव की या डाउट की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब रिपोर्ट मैजोरिटी से पास हो गई थी तो फिर 32 पेज की चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति जी को नहीं भेजनी चाहिए थी कि इस में आर्थिक क्राइटेरिया रहना चाहिये। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक सवाल गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इनके गृह मंत्रालय ने 14 अगस्त, 1961 को सभी राज्य सरकारों को यह बताते हुए नहीं लिखा है कि राज्य सरकारों को पिछड़ेपन की परिभाषा करने के लिए अपना मापदंड निश्चित करने का अधिकार है और भारत सरकार के विचार में यह अच्छा होगा यदि जाति की अपेक्षा आर्थिक मापदंड लगाया जाए। गृह मंत्रालय अथवा गृह मंत्री किस प्रकार संविधान के उपबन्धों के विपरीत निदेश जारी कर सकते हैं? भारत का संविधान कहता है, भारत का प्रीएम्बिल लिखता है, भारत के संविधान की आर्टीकिल्स 15, 16, 46 और 380 में फंडामेन्टल राइट्स में इस बात को जोड़ा गया है और हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक लोगों, जो सोशली और एजूकेशनली दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जिनके पेट पर और जिन के मन पर हजारों साल से लात मारी गई है, को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, तो होम मिनिस्ट्री कौन होती है इस तरह की डाइरेक्शन्स इशू करने वाली कि तुमको जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर यह करना है। इसलिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, इस देश में नीति की कमी नहीं है, सबसे बड़ी कमी है, नीयत की। आपकी नीयत साफ नहीं है वेंकटरामन जी, और जब तक आपकी और प्रधान मंत्री जी की नीयत साफ नहीं होगी, तब तक इस देश में कुछ नहीं बनने वाला है चाहे इस पक्ष की सरकार हो और चाहे उस पक्ष की सरकार हो, मुझको इस विवाद में नहीं जाना है।...(व्यवधान)... मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आर्थिक मापदंड इसके साथ में जोड़कर, संविधान के मूलभूत सिद्धान्त को और जो संविधान निर्माताओं की दृष्टि थी, उसको होम मिनिस्ट्री ने मारने का काम किया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि यह आर्थिक मामला नहीं है। आज तक मेरे दिमाग में यह बात समझ में नहीं आई है कि इसको आर्थिक मामला कैसे कहते हैं। मेरे पास श्री छेदी लाल साथी की एक रिपोर्ट

है, और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट है। इसमें क्या कहा गया है। हिन्दू कोड आफ कन्डक्ट क्या है ? अध्याय 8 में अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है। मनुस्मृति अध्याय 1, श्लोक 91 के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि (ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य) तीनों वर्णों की बिना निन्दा किये हुए सेवा करना ही शूद्रों के लिए प्रधान कर्म बनाया। ब्राह्मण का मंगल सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से युक्त, वैश्य का धन वाचक शब्द से युक्त और शूद्र का निन्दित शब्द से युक्त "नामकरण" करना चाहिए। इसके बाद यह कहा गया है कि शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, न यज्ञ का उचिछष्ट और न होम से बचा हुआ भाग देना चाहिए और न उसको धर्म का उपदेश देना चाहिए। इसमें आगे लिखा है 'यदि शूद्र द्विज जातियों को लगने वाली बात कहे तो उसकी जीभ काट डाली जाय क्योंकि वह नीच से उत्पन्न है।' यह आपका हिन्दू कोड बिल है, जिसके बारे में मनुस्मृति के श्लोक देकर इस रिपोर्ट में बताया गया है। (व्यवधान) हिन्दू की परिभाषा के बारे में मैंने कई बार पूछा है।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : हम ऐसी चीजों की भर्त्सना करते हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैंने कई बार कहा है कि ब्राह्मण हिन्दू, राजपूत हिन्दू, वैश्य हिन्दू और शूद्र हिन्दू, लेकिन हिन्दू कोड सब के लिए अलग-अलग है। यह कहते हैं कि शूद्र से तो सेवा ही करवायें चाहे वह खरीद कर आया हो, चाहे बिना खरीदा, ब्रह्मा ने शूद्र को ब्राह्मणों की दासता करने के लिए उत्पन्न किया है। यदि स्वामी छुटा भी दे, तो भी शूद्र दास क्रम से छुटकारा नहीं पा सकता क्योंकि दासता उसका स्वाभाविक धर्म है। कौन उसे उस कार्य से अलग कर सकता है।

श्री राम प्यारे पनिका (रोबर्ट्सगंज) : जो हम चर्चा कर रहे हैं, उससे यह सम्बन्धित नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस प्रकार व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकते। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। कृपया व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री राम प्यारे पनिका : इसका कोई महत्व नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आपकी निगाह में इसका कोई महत्व नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि चर्चा को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने में सहयोग दें।

श्री राम प्यारे पनिका : बात ऐसी करो, जो समझ में आए।

श्री रामविलास पासवान : सर, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। मैं समझता हूं पनिका जी हरिजन सदस्य के नेता हैं। हरिजनों में दो प्रकार के नेता होते हैं। एक तो वो होते हैं जो ब्राह्मणवाद और पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं और दूसरे वे होते हैं जो उनका चरण चुम्बन करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मै समझता हूं कि आपको पहली श्रेणी में रहना चाहिए। (व्यवधान)

मैं जो कुछ कह रहा हूं अगर कोई सदस्य इसमें आब्जेक्शन उठाता है तो उसे कम से कम रिपोर्ट को पढ़ने का काम करना चाहिए। आप रिपोर्ट को क्यों नहीं पढ़ते हैं ? (व्यवधान)

इसके 14-15 पेज पर पढ़ लीजिए। इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा।

एक माननीय सदस्य : यह रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : सभापति महोदय, फिर यह रिपोर्ट आगे कहती है कि—

> "धन कमाने की शक्ति रखते हुए भी शूद्र को धन का संचय न करना चाहिए क्योंकि शूद्र धनवान होकर ब्राह्मण को बाधा देता है। यदि लोभ में आकर शूद्र ऊंच जाति के कर्मों को कर धन बचाने लगे तो राजा उसका सब धन छीनकर उसे फौरन देश से निकाल दे।"

यह आगे कह रहा है कि—

> "ब्राह्मण को चाहिये कि निर्भय होकर शूद्र का द्रव्य ले ले, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ नहीं, उसका धन उसके मालिक, जिसकी कि वह सेवा करता है, का ही है।"

इसमें आगे कहा गया है कि—

> "बिल्ली, नेवला, चिड़िया, मेंढक, कुत्ता, गधा, उल्लू और कौवा को मार डालने पर जितना पाप होता है, उतना ही शूद्र को मार डालने में होता है।"

इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग आर्थिक आधार की बात उठाते हैं, वह इससे कहां प्रकट होता है ? होम मिनिस्टर साहब ने अपने यहां से डायरेक्शन इशू कर दिये हैं कि इसको आर्थिक आधार पर रखा जाए। इसका आर्थिक सम्बन्ध कहां है, इसका सम्बन्ध तो सामाजिक व्यवस्था से है।

और सुनो—

> "यदि शूद्र जप और होम आदि शुभ कर्म में तत्पर है तो वह राजा से कठोर दंड पाने योग्य है क्योंकि जप, तप, होमादि करने के कारण वह राजा के देश का नाश करने वाला है जैसे अग्नि का नाशक जल है।"
>
> "जप, तप, तीर्थ यात्रा, संन्यास ग्रहण, मंत्र साधना व देवता की आराधना इन छः कर्मों के करने से स्त्री और शूद्र पतित हो जाते हैं।"

आगे कहा गया है कि—

> "वह (शूद्र) स्वर्ग अथवा स्वर्ग तथा जीविका दोनों के लिए ब्राह्मण की सेवा करे। 'यह ब्राह्मणाश्रित है' इतने से ही शूद्र कृतकृत्य हो जाता है।"

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उपस्थित न करें। अपनी बारी आने पर आप अपनी इच्छानुसार कह सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : आगे कहा गया है कि—

> "ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है, इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है, उसका कर्म निष्फल होता है।"

श्री रामविलास पासवान : यह उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन में दिया गया है। रेड्डी साहब, कम से कम आपको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए।

मैं यह रिकार्ड पर लाना चाहता हूं क्योंकि यह पार्लियामेंट का रिकार्ड है और मैं चाहता हूं कि इसको रिकार्ड पर लाया जाए।

"सेवक शूद्र के लिए जूठा अन्न खाने को, फटे-पुराने वस्त्र पहनने को, पुवाल का बिस्तर व पुरानी खाट व टूटे-फूटे बर्तन ब्राह्मण सेवा के बदले देवें।"

लास्ट मैं यह पढ़ कर सुनाता हूं। (व्यवधान) यह मनुस्मृति का दिया हुआ है। इसको पढ़ कर मैं खत्म करता हूं।

श्री उमाकान्त मिश्र : (मिर्जापुर) : यह मंडल आयोग की रिपोर्ट में नहीं है। यह तो उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति की रिपोर्ट में है।

श्री रामविलास पासवान : शूद्र में एक अछूत होते हैं और इसका सबूत आप इनको डिवाइड करने की, विभाजित करने की कोशिश मत कीजिए।

सभापति महोदय : श्री पासवान, या तो आप इनकी बात स्वीकार कर लें अथवा उन्हें उत्तर न दें। कृपया व्यवधान उपस्थित न करें। चर्चा को उचित रूप में जारी रखने में सहयोग दें।

श्री रामविलास पासवान : आप उन लोगों को रोकिए।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : जो बातें मध्यकालीन युग में कही गयी हैं, उनको आप कह रहे हैं। वेदों में कहा गया है कि :

मित्रस्य चक्षुसः समीक्षा महे।
सं गच्छध्वं सं वदध्वं ॥

जो बात आप कह रहे हैं उनसे सरकार सहमत नहीं है, वह तो इनको निकालना चाहती है।

श्री रामविलास पासवान : आगे कहा गया है कि ब्राह्मण अगर दुश्चरित्र है तब भी पूजने योग्य है।

ये सारी बातें हैं। अभी श्री ए० पी० शर्मा जी भी इसको पढ़ रहे हैं, पेज संख्या 14-15 में यही बातें हैं। आप लोगों को क्यों गुस्सा आता है? क्या आप इन सब बातों के जिम्मेदार हैं? यह तो जाति-व्यवस्था, जो देश को खा रही है, उसके बारे में मैं बतला रहा हूं। (व्यवधान)

यह रिपोर्ट आपकी सरकार के समय में ही रखी गई है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मैं तो इतना ही कहता हूं कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड या शूद्र का ठेकेदार बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट या शूद्र ही नहीं है। जो भी इनके लिए काम करता है वह पूजनीय हो जाता है। दयानंद सरस्वती, भगवान देव जी तो आर्यसमाजी हैं, उनको मालूम हैं, वे ब्राह्मण थे। उनको जहर दिया गया और ब्राह्मणों ने ही जहर दिया। तो यह तो व्यवस्था के बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। डा० अम्बेडकर जिनके संबंध में कहा जाता है कि बड़ी जलन की राजनीति थी, लेकिन उन्होंने बुद्ध को गुरु चुना "बुद्धं शरणं गच्छामि"। क्या बुद्ध शेड्यूल कास्ट थे या शूद्र थे? वे तो क्षत्रिय थे।

तो सबसे बड़ी बात व्यवस्था है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था कोई भी इसके ऊपर चोट करेगा तो उसे भोगना पड़ेगा। चाहे वेंकटरमन जी चोट करें या प्रधानमंत्री चोट करें। यह ब्राह्मणवाद है। जिसकी चक्की में हम और आप पिस रहे हैं।

आगे देखिए कि जाति व्यवस्था पर विवेकानंद जी ने क्या कहा था···।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह शताब्दियों पुराना है। इस शोषण ने भारतीय समाज को बदनाम कर दिया है। इसे दूर करना पड़ेगा। यह एक महामारी है। (व्यवधान)

क्या आप अपने निहित स्वार्थों को जारी रखना चाहते हैं ?

सभापति महोदय : श्री यादव, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्रीरामविलास पासवान : मैंने उस दिन भी कहा था और ये लोग यहां पर बातें करते हैं, यदि सौ साल का क्षत्रिय भी होगा तो 10 साल के ब्राह्मण को वह बाबूजी कहेगा हिन्दू कोड आफ कन्डक्ट के मुताबिक।

एक माननीय सदस्य : लोग जगजीवनरामजी को बाबूजी कहते हैं।

श्री रामविलास पासवान : इसलिए अगर वे पत्थर को छूते हैं तो पत्थर को धोया जाता है। संपूर्णानंद जी की मूर्ति का उन्होंने उद्घाटन किया था तो मूर्ति को क्यों धो दिया गया था, इसलिए कि शूद्र का हाथ लग गया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि यदि अंग्रेज नहीं आते तो "कानून के सामने समानता" के लिए हमको दस जन्म तक और लड़ना पड़ता। यह कानून होता, कि अगर ब्राह्मण हत्यारा हो तो उसको थोड़ा धन देकर के बिहार से बंगाल भेज दो और यदि शूद्र आंख भी उठा दे तो उसकी गर्दन काट दो। दोनों के लिए अलग-अलग विधान होता। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ब्राह्मणों में तिवारी, शुक्ला, झा, दुबे, चौबे, गौड़, पाण्डे, चतुर्वेदी, छब्बे, पंजे सब हैं। इसलिए आपको भी यह सब समझना पड़ेगा।

स्वामी विवेकानंद जी कोई शूद्र नहीं थे, हरिजन या बैकवर्ड नहीं थे, उन्होंने कहा था···।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा :—

> "आप (सवर्ण जातियों) ने बहुत दिनों से इस उपेक्षित उत्पीड़ित जनता को दबा कर रखा है। अब उनका इससे मुक्ति पाने का समय आया है और आप देखेंगे कि आपका सारा जीवन जीविका के खोजते ही बीतेगा और आपका सारा प्रयास निष्फल होगा।
>
> यदि मजदूर लोग काम करना बन्द कर देंगे, तो आपको खाना और कपड़ा मिलना भी बन्द हो जाएगा और आप उनको नीच वर्ग का समझते हो और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हो। केवल जीवित रहने के लिए वे सदा संघर्षरत रहे जिसके कारण उन्हें अपनी बुद्धि के विकास करने का अवसर नहीं मिला।"

वे बेचारे फिजीकल लेबर करते रहे और उच्च वर्ग के लोग उनका शोषण करते रहे।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा :—

"वे(श्रमिक शूद्र)बुद्धिजीवियों द्वारा मशीनों की भांति निरन्तर काम में लगाए रखे गए और चतुर शिक्षित वर्ग अपने बुद्धि-चातुर्य द्वारा उनके परिश्रम के फल का अधिकांश भाग स्वयं अपने उपयोग में लाता रहा। अधिकांशतः निम्नवर्ग के लोगों में अब इस शोषण-जनित तथ्य के प्रति जागृति आई है और अब वे संगठित होकर अपने वैध वंचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कमर कस कर खड़े हो गए हैं। उच्चवर्गीय लोग चाहें जितना भी प्रयास क्यों न कर लें, अब इस निम्नवर्ग को और अधिक दिन तक दबाए नहीं रख सकते। अतः उच्चवर्ग की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वे निम्नवर्ग के लोगों को उनके वैध अधिकार प्राप्त करने में उनकी सहायता करें।

एक माननीय सदस्य : हमें अंग्रेजों ने समानता नहीं सिखाई।

श्री रामविलास पासवान : अंग्रेजों ने हमें समानता नहीं सिखाई, लेकिन उन्होंने "ईक्वालिटी बिफोर ला" का कानून बनाया, जो मनुस्मृति नहीं बना सकी।

स्वामी विवेकानन्द आगे कहते हैं :—

"वर्ना जब वे (शूद्र) जागेंगे और आप (उच्चवर्ग) द्वारा अपने प्रति किए गए शोषण को समझेंगे, तो अपनी एक फूंक से वे आप सबको पूर्णतया उड़ा देंगे। यही (शूद्र) वे लोग हैं, जिन्होंने आपको सभ्यता सिखाई और वही आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। सोचें कि किस तरह शक्तिशाली रोमन सभ्यता गाल्ज के हाथों में मिट्टी में मिला दी गई।"

जिन लोगों को जाति के आधार पर चोट लगती है कि हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वे मानवता के दृष्टिकोण से सोचकर इसे एक सोशल डिजीज क्यों नहीं मानते हैं, इसे राष्ट्र के माथे पर कलंक क्यों नहीं मानते हैं ? यह पार्टी का प्रश्न नहीं है। हमारी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, ब्लैक स्पाट सब जगह हैं।

महात्मा गांधी ने इस बारे में जो कहा, मुझे उसके एग्जेक्ट वर्ड्ज याद नहीं हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है, 1934 के बाद महात्मा गांधी ने इस आधार पर मंदिर में जाना छोड़ दिया था कि मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगा, जिसमें समाज के एक वर्ग को जाने की अनुमति नहीं है।

इस समाज में गाय को माता कहा जाता है। कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, बैल हमारा पिता है। जब गाय किसी की मां है, तो उसके मरने पर मां की तरह उसका भी दाह-संस्कार करना चाहिए। गऊ माता का दूध तो ये पीते हैं, उसका घी तो ये खाते हैं, लेकिन जब गऊ मां मर जाती है, तो उसे हरिजनों के कंधे पर फेंक देते हैं।

इस देश में चींटी को चीनी खिलाई जाती है, सांप जैसे जानवर को दूध पिलाया जाता है, गाय को मां कहा जाता है लेकिन इन्सान को इन्सान नहीं समझा जाता है। अगर मंदिर में गधा, घोड़ा या बिल्ली चले जाएं, तो वह अपवित्र नहीं होता है, लेकिन अगर एक इन्सान उसमें चला जाए, तो वह अपवित्र हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर नया बनाया जा रहा है, क्योंकि पुराने मंदिर में शूद्र का प्रवेश हो गया है, वह अछूत हो गया है।

एक बार मैंने शंकराचार्यों का जिक्र किया, तो अटल जी को बुरा लगा। मैं शंकराचार्य पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हिन्दू समाज इस बात की गारंटी देगा कि चारों शंकराचार्यों के पदों पर अछूत और बैकवर्ड व्यक्ति की बात तो छोड़ें, कोई गैर-ब्राह्मण कभी बैठ सकता है ? कोई गारन्टी देगा ? यह सदन जो हिन्दुस्तान की सर्वोच्च सत्ता-सम्पन्न संस्था है इसके अंदर गृह मंत्री आज यह कहने का साहस रखते हैं कि कोई गैर-ब्राह्मण भी जा कर शंकराचार्य के पद को सुशोभित करेगा ? तो मन्दिर का पुजारी होगा जाति के आधार पर, शंकराचार्य होंगे जाति के आधार पर, जीवन से मरण तक लेखा लिखा जायगा जाति के आधार पर और जब जाति के नाम पर रिजर्वेशन की बात आएगी, विशेष अवसर देने की बात आएगी, तो तिलमिलाहट क्यों होती है ? जिसे आप ने हजारों साल से हाथ-पांव बांधकर रखा है, जिसके बोलने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, वेद सुनने पर जिसके कान में गरम सीसा डालने की बात कर रखी है, उसके लिए रिजर्वेशन की बात आएगी तो आप यह कहेंगे कि मेरिट शुड नाट वी इग्नोर्ड। समानता और डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन किस के प्रति कौन कर रहा है ? पांच हजार साल से हमारे प्रति डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। पांच हजार साल से जो हिन्दुस्तान के शूद्र कहे जाने वाले लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हैं उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है उसके लिए किसीको दुख नहीं है। दुख तब हो जाता है, जब थोड़ा-बहुत उनको कुछ मिलने की बात आती है। तो कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है।

यह आप की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है—

राष्ट्रपति सचिवालय में प्रथम श्रेणी की 49 जगहें हैं, उसमें पिछड़े वर्ग का एक भी नहीं है। उपराष्ट्रपति के यहां प्रथम श्रेणी में 7 हैं लेकिन उसमें पिछड़े वर्ग का एक भी नहीं है। प्रधान मंत्री के कार्यालय में क्लास 1 के आफिसर 35 हैं जिसमें पिछड़े वर्ग का सिर्फ एक है। मंत्रिमंडल सचिवालय में 20 हैं, यह मैं प्रथम श्रेणी की बात कर रहा हूं, उसमें बैकवर्ड क्लासेज का सिर्फ एक है। परमाणु ऊर्जा विभाग जो प्रधान मंत्री का है, उसमें 34 हैं, बैकवर्ड क्लासेज का एक भी नहीं है। नागरिक आपूर्त्ति और सहकारिता विभाग में 61 हैं, बैकवर्ड क्लासेज का एक भी नहीं। संचार मंत्रालय में 52 हैं, बैकवर्ड क्लासेज का एक भी नहीं है। एलेक्ट्रानिक्स में 92 हैं और बैकवर्ड क्लासेज के केवल 2 हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 240 हैं जिसमें बैकवर्ड क्लासेज का एक भी नहीं है, नाट ए सिंगल वन। गृह मंत्रालय में 409 हैं, बैकवर्ड क्लासेज के वहां 13 हैं। संसदीय कार्य मंत्री का भी है, भीष्म बाबू का विभाग है, उनके यहां प्रथम श्रेणी के 18 हैं, बैकवर्ड क्लासेज का उनमें एक भी नहीं है। पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के विभाग में 121 हैं, बैकवर्ड क्लासेज का एक भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आप चाहते नहीं होंगे लेकिन जब लिखा रहेगा कि मेरिट शुड नाट वि इग्नोर्ड तो कहां से वह आएंगे ? यह है आपका लेखा-जोखा। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुल मंत्रालयों में जहां टोटल एम्पलाइज प्रथम श्रेणी के 11707 हैं उसमें बैकवर्ड क्लासेज, जिनकी आबादी का परसेंटेज 52 प्रतिशत है, और शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को मिला कर जो 80-85 प्रतिशत हो जाते हैं, उन 52 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज का 11707 में कितना शेयर है—303। जरा आंकड़े आप लगाइए। स्वायत्त निकाय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में 11325 हैं जिसमें बैकवर्ड क्लासेज के 4047 हैं। सार्वजनिक उपकरण में 80984

हैं जिसमें बैकवर्ड क्लासेज के 3719 हैं।

दूसरी तरफ यदि मैं आपको वह आंकड़े बतला दूं जो मैंने उस दिन भी बतलाया था—आंकड़े कितने झकाझक हैं ? गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की टोटल संख्या 27 हैं जिसमें केवल ब्राह्मण 13 हैं। गवर्नर के सचिव 24 हैं जिसमें ब्राह्मण 13 हैं। चीफ सेक्रेटरी 26 हैं जिसमें ब्राह्मण 14 हैं। भारत सरकार के मंत्री जो हैं, कैबिनेट में क्या हैं, बोलिए। कुल 18 हैं और उनमें ब्राह्मण 9 हैं यानी 50 परसेन्ट।

प्रो० मधु दंडवते : कैबिनेट में पोलिटिकली बैकवर्ड ज्यादा लिए हैं।

श्री रामविलास पासवान : इसी तरह से मन्त्री, राज्य मन्त्री और उपमन्त्री जो हैं वे हैं 49 जिनमें ब्राह्मण हैं 34। इसी प्रकार से सचिव, अतिरिक्त सचिव और उनके समकक्ष जो अधिकारी हैं उनकी संख्या है 500 जिनमें ब्राह्मण हैं 320। विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं 98 जिनमें ब्राह्मण हैं 50; सुप्रीमकोर्ट के जज हैं 16 जिनमें ब्राह्मण हैं 9। हाईकोर्ट के जज और एडीशनल जज हैं 336 जिनमें ब्राह्मण हैं 169। राजदूत और उच्चायुक्त हैं 140 जिनमें ब्राह्मण हैं 91 1 स्टैंडिंग कमेटी आन पब्लिक एन्टरप्राइजेज में चीफ एग्जीक्यूटिव्ज की संख्या है 158 और उनमें ब्राह्मण हैं 91। **(व्यवधान)**

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : मैं यह जानना चाहूंगा कि विरोध पक्ष में ब्राह्मणों का क्या अनुपात है ?

श्री रामविलास पासवान : मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं लोकदल से जीतकर यहां आया था जिसके 42 मेम्बर थे लेकिन उनमें ब्राह्मण एक भी नहीं था।

एक माननीय सदस्य : कौन-सी लोक दल ?

श्री रामविलास पासवान : दोनों में से किसी में भी नहीं था। उनमें 11 शेड्यूल्ड कास्ट, 9 मुसलमान और बाकी सबके सब बैकवर्ड थे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप हमें चैलेन्ज मत करें।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : जाट बैकवर्ड में नहीं हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैं यह कह रहा था कि यह जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है इसके ऊपर हम सभी को मिलकर कुठाराघात करना है। मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं लेकिन अगर हेटरेड का वातावरण होगा तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्यों बना और बंगलादेश क्यों बना। अगर गर्म पत्थर जमीन के अन्दर से न निकलने पाए तो ज्वालामुखी एक दिन फूटेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए स्वामी विवेकानन्द ने, महात्मा गांधी ने, दयानन्द सरस्वती ने, डा० अम्बेदकर ने, पेरियार ने कहा था कि इनको धीरे-धीरे आगे बढ़ने का मौका दो।

सभापति जी, मैं विदेश भी गया हूं, मैंने देखा है सरस्वती की पूजा कहीं नहीं होती है लेकिन फिर भी वहां पर हन्ड्रेड परसेन्ट, शत-प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे और विद्वान हैं। केवल हिन्दुस्तान में ही सरस्वती की पूजा होती है लेकिन फिर भी वहां पर 75 प्रतिशत लोग मूर्ख हैं। इस

देश में ही सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा भी होती है लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा कंगाल हैं। इस देश में भगवान का अवतार दस बार हो चुका है लेकिन विदेश में भगवान ने अवतार लेने की आवश्यकता नहीं महसूस की। यहां पर भगवान भी अवतार लेते-लेते थक गए, उन्होंने सोचा कि यह ऐसा देश है जो कंगाल ही रहेगा और यहां पर हम जातिवाद मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ने भी अब जन्म लेना बन्द कर दिया है। विदेश में एक बार भी भगवान का अवतार नहीं हुआ, लेकिन विदेश में सम्पत्ति भी है, विदेश में विद्या भी है, वहां ऊंच-नीच का भेदभाव नहीं है और हमारे यहां भगवान के दस अवतार हुए, 56 करोड़ देवता हैं, सरस्वती की पूजा, लक्ष्मी की पूजा और इसके बावजूद भी दरिद्रता है। इसके बावजूद भी कहा जाता है कि जो भाग्य में लिखा है, वही होगा। मैंने कहा कि एक बार आल इंडिया मैडिकल इंस्टीचूट में जाकर भाग्य का एक्स-रे करवा लो तो सबको पता लग जाएगा कि किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हम लोगों को ठगने के लिए कहा जाता है कि यह भाग्य है, भाग्य का फल है। इसलिए सभापति महोदय, मैंने कहा सारी चीजों का जजमेंट होता है जाति पर, सारी चीज जाति के आधार पर तय की जाती है, तो फिर जो लोग समानता की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि वे गुमराह करने की बात करते हैं।

कहा गया है—समानता का सिद्धान्त बहुत ही उचित मालूम पड़ता है—

सभापति महोदय: पासवान महोदय, आप 35-36 मिनट ले चुके हैं, आप और कितना समय लेंगे?

श्री रामविलास पासवान : मैं केवल दस-पन्द्रह मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं तो मूवर हूं।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है।

श्री रामविलास पासवान : "समानता का सिद्धान्त बहुत ही उचित और सही मालूम पड़ सकता है, लेकिन समानता केवल समान लोगों के बीच ही होती है। असमान के साथ समान जैसा व्यवहार करना समानता को अस्थिरता प्रदान करना है। जब हम समान रूप से बलवान और कमजोर को प्रतियोगिता में उतारते हैं तो बलवान पक्ष का पलड़ा स्वतः ही भारी हो जाता है, अतः यह जंगली कानून है।" जिन लोगों द्वारा कहा जाता है कि मैरिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड और आर्टिकल-29 का हवाला देते हुए कहते हैं कि जितने भी कास्ट और क्रीम के लोग हैं, सबको कानून में बराबर का हक दिया गया है—वह देश को ठगने का काम करते हैं। मैंने पहले भी एक बार जब शिक्षा मंत्रालय पर बहस हो रही थी, तो कहा था—"राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की ही सन्तान, ब्राह्मण या भंगी का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान।" आप कर दीजिए शिक्षा एक समान। आप कर दीजिए कि जन्म से कोई लखपति नहीं रहेगा कोई खाकपति नहीं होगा। जब एक मां गर्भवती रहती है, तो उस मां की नजर रहती है कि हमारा बेटा जज बनेगा और दूसरी मां सोचती है कि हमारा बेटा वही झाड़ू लेकर कल इसी पार्लियामेंट की गली में सफाई करेगा। दोनों बेटे एक साथ जन्म लेते हैं। लेकिन एक करोड़पति, दूसरा कंगाल और आगे चल कर कहा जाता है कि मैरिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इक्वैलिटी बिफोर लॉ। हम कहेंगे कि सबको समान अवसर, यह समान अवसर क्या है—एक लड़का मुंह में सोना लेकर पैदा हुआ है और दूसरा जिसकी मां को खाने के लिए दोनों वक्त सूखी रोटी नहीं है। इसलिए जो लोग इस तरह का तर्क देते हैं, वे देश को

ठगना चाहते हैं। वे अपने प्रति धोखा करते हैं और देश के प्रति भी धोखा करना चाहते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानन्द जी पचास साल पहले कह चुके हैं—यदि समय रहते आप नहीं चेते, तो जो यह आग सुलग रही है, उसको ध्वस्त करने में समय नहीं लगेगा, सिर्फ एक फूंक काफी है।

इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसको गम्भीरता से सोचिए, इसको रियलाइज कीजिए। आज जब धर्म परिवर्तन की बात आती है, तो बजाय आप इस रियलिटी को समझते कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, बजाय इसके कि धर्म परिवर्तन के पीछे क्या कारण हैं, कह दिया जाता है कि विदेशी पैसा काम कर रहा है। आप जले पर नमक छिड़कने का काम क्यों करते हैं। यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है, तो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन राष्ट्र को उनसे क्या क्षति है ? नैशनलिटी और रीजन का क्या संबन्ध है—एक हिन्दू भी देश के प्रति गद्दार हो सकता है और एक मुसलमान देश के प्रति वफादार हो सकता है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र हमीद को मिला था। जब कोई शूद्र अपने अधिकार को लेकर जगेगा, जब कोई भी अपने अधिकार की मांग करता है, तो बजाय उसकी समस्या का निदान करने के, आप कहेंगे कि यह बिकाऊ माल है और पैसा उसके पीछे काम कर रहा है।

इसलिये, सभापति महोदय, आज जो चर्चा हो रही है, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह कोई मामूली विषय की चर्चा नहीं है। भूल से भी यदि इसमें पार्टी-पोलिटिक्स घुसेड़ने का काम किया गया तो इसके भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। इसीलिये मैंने उदाहरण दिया—पाकिस्तान बनने के पीछे क्या था ? वहां के लोगों के मन में, मुसलमानों के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि हमारे प्रति इन्जस्टिस हो रहा है। आज शेड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के दिमागों में भी यही बात पैदा हो रही है। यदि "मैरिट" को ही रखना था तो अंग्रेजों को क्यों भगाया ? वह आपसे ज्यादा मैरिटोरियस थे। उस समय आप तो पुलिस इंस्पेक्टर बनने के भी काबिल नहीं थे, अंग्रेज ही पुलिस इंस्पेक्टर बनता था, उसको क्यों भगा दिया ? इसलिये यहां मैरिट का प्रश्न नहीं है, यह देश के आत्मसम्मान का प्रश्न है। यह जो रिजर्वेशन का दस्तावेज है इसके पीछे कुछ नहीं है, कोई आर्थिक समस्या का निदान नहीं है, इससे किसी का कोई इकॉनामिक स्टेटस ऊंचा नहीं हो जाता, इसके पीछे केवल सम्मान है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। यदि कोई लड़का कल एस० पी० बन जाता है तो सुपरिन्टेण्डेन्ट पुलिस के भय से सब उसको प्रणाम करते हैं। यदि वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसके पास 5 रुपया भी नहीं बचेगा, इसलिये इसमें आर्थिक बात कोई नहीं है। आर्थिक लाभ के लिये तो कोटा-परमिट हैं, कुकिंग गैस की ऐजेन्सी है, पैट्रोल पम्प की ऐजेन्सी है, लेकिन इसमें आर्थिक मामला कहां है ? केवल सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो समाज है उस में मेरा भी शेअर होना चाहिये। सभापति महोदय, यहां तो शुरू से ही इन्जस्टिस की गई, जहर के बीज बोये गये।

मैं यह विश्वास भी नहीं कर सकता हूं कि कोई सरकार यह कह दे कि इस जाति-व्यवस्था को हम कल-परसों तक खत्म कर देंगे। कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। हम कोई लकीर खींच दें कि 5 सालों में जाति-व्यवस्था खत्म हो जायगी—यह बात भी चलने वाली नहीं है। लोग दूसरे धर्म में क्यों जाते हैं ? वहां भी वे परेशानी से नहीं बच पाते हैं, वहां भी जाति-व्यवस्था है।

कोई मुसलमान हो जाता है, तो वहां भी हैं, सैयद हैं, जुलाहे हैं, दूसरे लोग हैं। कोई क्रिश्चियन हो जाता है तो वहां भी उसको वही बातें फेस करनी पडती हैं। इसलिये इस समस्या का निदान दो दिनों में हो जायगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि हमारी नीयत साफ है, हमारे दिल और दिमाग साफ हो जायं तो इसे तोड़ा जा सकता है, फेस-वाइज किया जा सकता है। यह जाति-व्यवस्था कैसे खत्म होगी—इसके लिये हमारा सीधा-सा सुझाव है—जब तक रोटी-बेटी की समस्या का निदान नहीं होगा, तब तक देश से जाति-व्यवस्था खत्म नहीं होगी। रोटी तो हमारे साथ खा लेते हैं, लेकिन समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो बेटी देने को तैयार हैं? जब तक यह नहीं होगा तब तक समानता कहां से आयेगी! आज एक अरबी घोड़ा है प्रेसीडेन्ट हाउस में उसको बादाम खिलाया जाता है, बढ़िया-बढ़िया माल खिलाया जाता है, दूसरी ओर एक गांव के घोड़े को क्या मिलता है, सूखी घास। लेकिन दोनों को समान कम्पिटीशन में उतारा जाता है, तो गांव का घोड़ा कैसे कम्पिटीशन करेगा। इसलिये, सभापति महोदय, दोनों फ्रंट्स पर हमको लड़ना होगा। क्या सरकार में हिम्मत है, क्या वैंकटरमण साहब कह सकते हैं कि मन्दिरों में या अन्य रिलीजस इंस्टीचूशन्ज में पुजारी सब जाति के हो सकते हैं? जो पढ़ा-लिखा होगा, जो वेद को जानेगा, कुरान को जानेगा, बाइबल को जानेगा, सब धर्मों को पढ़ने वाला मन्दिर का पुजारी बन सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है।

पिछले दिनों मैं साउथ में गया था। हमारे दण्डपाणि जी यहां बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय : कोई-कोई उनको ठंडा पानी भी कहते हैं।

श्री रामविलास पासवान : इनके यहां डी० के० के संचालक वीरमणि जी हैं।

किसी पार्टी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेरियार के नेतृत्व में उन्होंने वहां सोशल रिफार्म किया है, सेल्फ-रेस्पेक्ट के आधार पर उन्होंने मूवमेंट चलाई है। हम लोगों ने वहां देखा—उनके यहां शादी-विवाह सेल्फ-रेस्पेक्ट के आधार पर होते हैं, न कोई ब्राह्मण है, न दान-दक्षिणा है, लेकिन उन पर भी एटेक किया गया। इस तरह का एटीचूड रहेगा, तो बतलाइये, कैसे काम चलेगा। जितनी आर्थिक प्राब्लम है, मैं उसको नकारता नहीं हूं, वह भी जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सामाजिक समता।

सामाजिक समता और उस सामाजिक समता की दिशा में आरक्षण पहला कदम है, क-ख-ग इसमें कुछ नहीं है। जिसकी पापूलेशन 52 प्रतिशत हो, वह भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। आज 52 प्रतिशत वाला 85 प्रतिशत फायदा लेने वाले से भीख मांगता है कि हमको 15 प्रतिशत दे दो, हमको 10 प्रतिशत दे दो, हमको 5 प्रतिशत दे दो। इसको करने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। बिहार के श्री कर्पूरी ठाकुर ने 26 परसेन्ट रिजर्वेशन किया था। उसमें 3 परसेंट ऊंची जाति वालों के लिये, 3 परसेन्ट महिलाओं के लिए, 12 परसेन्ट उनके लिए जो एनेक्चर 1 में हैं जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार नाई आदि, 8 परसेन्ट पिछड़ी जातियों के लिये जिनकी मासिक आमदनी-इन्कम 1 हजार रुपये से कम थी लेकिन उसके लिये रेलें तोड़ी गईं, तार जलाए गये और कर्पूरी ठाकुर और हम लोगों को मां-बहन की गालियां दी गईं। तो यह देश कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। इसलिए आप अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लावें। मैं इस सदन के माध्यम से इस देश के तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि यदि आपके दृष्टिकोण—आपके एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं आया, तो जो बूढ़े लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वे तो किसी तरह से निभा गये लेकिन जो जवान हैं

और आनेवाली सन्तान है, वे दबेंगे नहीं। वे आपसे प्रत्येक चीज में अपना अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे और जब अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे, तो जैसा स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि या तो आप अधिकार के लिये शनैः-शनैः रास्ता खोलो, नहीं तो फिर बवंडर होगा और फिर यह देश जलेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस सदन के सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं और सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सरकार अभी तक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के सम्बन्ध में जो एटीट्यूड अपनाए है, उस एटीट्यूड को छोड़े और आज इस सदन को साफ-साफ बतलाए कि हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए आदिवासियों के लिए और हरिजनों के लिए वह क्या करने जा रही है। हरिजनों का अभी तक कोटा पूरा नहीं हो पाया है, रिजर्वेशन आपकी मोटी-मोटी किताबों में ही है। आज पिछड़ा समुदाय छोटा-सा न्याय मांग रहा है वह भी उसको नहीं मिलता है। आज वह कहता है :

न्याय अगर दो तो आधा दो
इसमें भी अगर बाधा हो
तो दे दो केवल पांच ग्राम
रखो अपनी धरती तमाम।

आप जानते ही हैं कि कृष्ण ने अन्त में क्या कहा था :

लो मैं भी जाता हूं, अन्तिम संकल्प सुनाता हूं।
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।

अब याचना से काम नहीं चलने वाला है। अब अपना अधिकार लोग लेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गृह मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आपने जो यह बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को राज्य सरकारों को भेजा है एक्शन टेकन रिपोर्ट के नाम पर, यह नखरेबाजी अब खत्म कीजिए, यह आप चकमा देने का काम जो कर रहे हैं, इसको खत्म कीजिए और जिस रूप में भी जितना मंडल कमीशन ने कहा है, वे बेचारे तो मर गये, उसको मान लीजिये और इस रिपोर्ट के अनुसार बहुसंख्यक जनता जो थोड़ा-बहुत अपना अधिकार मांग रही है, उसको आप दे दीजिए और नहीं देंगे तो 'हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।'

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सभापति महोदय, मैं इस सभा में यह चर्चा उठाने के लिये श्री रामविलास पासवान तथा प्रो० मधु दण्डवते को धन्यवाद देता हूं। इसे बहुत पहले उठाया जाना चाहिये था।

हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे संविधान में "पिछड़े वर्ग" शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। संविधान तथा न्यायपालिका द्वारा निरूपित किये गये पिछड़े वर्ग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी अनुसूचित जाति की है, दूसरी अनुसूचित जनजाति की तथा तीसरी श्रेणी अन्य पिछड़े वर्गों की है। अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 391 तथा अनुसूचित जनजातियों के संबन्ध में अनुच्छेद 342 में उल्लेख किया गया है। दुर्भाग्यवश, संविधान के निर्माण के समय "अन्य पिछड़े वर्ग" शब्द की परिभाषा नहीं की जा सकी थी अतः अनुच्छेद 340 के पुरःस्थापन के समय यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों के निर्धारण संबंधी

मानदण्ड तैयार करने के लिए एक आयोग गठित किया जायेगा तथा इन लोगों की दशा सुधारने के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

तदनुसार जनवरी, 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था तथा 30 मार्च, 1953 को प्रतिवेदन प्रस्तुत भी कर दिया गया था।

इस प्रतिवेदन पर चर्चा राष्ट्र भर में की गई थी और अधिकांश पिछड़े समुदाय ने यह महसूस किया कि उनके लिये कुछ किया जायेगा। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि श्री काका कालेलकर ने, जो महात्मा गांधी के साथी थे, अपने पत्र द्वारा ऐसा प्रभाव पैदा किया जिसने पूरी तरह इस प्रतिवेदन को समाप्त कर दिया।

अन्त में 1961 में इस प्रतिवेदन को समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकारों को अपने राज्यों में पिछड़े वर्गों का निर्णय करने के लिये अपना मापदण्ड बनाने के लिये कह दिया गया किन्तु राज्य सरकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई स्वैच्छिक अथवा वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई। आखिरकार यह मालूम हुआ कि सभी राज्यों में से, केवल 10 राज्यों, अधिकांश दक्षिण के राज्यों, ने पहल की और उन्होंने अपने राज्यों में पिछड़े वर्गों का निर्णय करने के लिये 15 आयोगों का गठन किया।

किन्तु आज भी हमारे देश में मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जिसके नाम का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, जैसे तीन मुख्य राज्य हैं किन्तु उन्होंने सूची तैयार नहीं की है। उड़ीसा के मामले में सूची तैयार की गई थी, परन्तु उसे छोड़ दिया गया था। ये सभी बातें इस देश में पिछड़े वर्गों के हितों के विरुद्ध जाती हैं।

आप जानते हैं कि इस देश में हमारे यहां एक विशिष्ट तरह की जातिप्रथा है। हम उस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते हैं। यह सच है कि हमारे यहां जाति प्रथा है और हम इसका पालन करते हैं। किन्तु, व्यवसाय में हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और यही कारण है कि यह आवश्यक है कि वर्ष 1979 में गठित किये गये इस मण्डल आयोग के प्रतिवेदन को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। सबसे पहले मण्डल आयोग का यह विचार था कि काका कालेलकर आयोग के प्रतिवेदन को इस लिये पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया क्योंकि पिछड़े वर्गों के बारे में निर्णय करते समय सैद्धान्तिक परीक्षण नहीं अपनाये गये थे। अतः, उसने विभिन्न लोगों की सहायता ली। प्रमुख समाजशास्त्रियों, अनुसंधान संगठनों और विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं की सहायता से वे कुछ ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचे जिसका उन्होंने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है। राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, सामान्य जनता तथा स्वयं सेवी संगठनों को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थीं। आयोग ने समस्त देश का दौरा किया था। आयोग के समक्ष साक्ष्य लिये गये। सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में अध्ययन किये गये। टाटा समाज विज्ञान संस्थान द्वारा मामले सम्बन्धी अध्ययन किया गया। भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण द्वारा ग्राम अध्ययन किये गये और कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया गया।

उसके पश्चात जहां तक हिन्दू समुदायों का सम्बन्ध है आयोग कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा।

गैर-हिन्दू समुदाओं के लिए उन्होंने दो परीक्षण किए। एक परीक्षण गैर-हिन्दू धर्म परि-

वर्तित सभी अछूतों के बारे में था। यह एक परीक्षण था। और दूसरा परीक्षण अपने परम्परागत पैतृक व्यवसाय के नाम से ज्ञात ऐसे व्यावसायिक समुदाओं के बारे में था और जिसके हिन्दू प्रतिरूप को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर लिया गया है। मंडल आयोग द्वारा इन बातों का सुझाव दिया गया है।

अब हमने यह देखना है कि काका कालेलकर के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद हमने क्या प्राप्त किया और उसके पश्चात् 10 राज्य सरकारों द्वारा क्या कुछ उपाय किए गए थे। आप देखेंगे, जैसा कि श्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश भर में श्रेणी I की सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता 5.68 है और अन्य पिछड़े वर्गों की प्रतिशतता 4.69 है। दूसरी श्रेणी की सेवाओं में इनकी प्रतिशतता 18.18 प्रतिशत है और अन्य पिछड़े वर्ग की प्रतिशतता 24.40 है।

मैं नहीं जानता हूं कि ऐसी बातें क्यों हों। हमारे जैसे देश में, जो लोगों की सहायता लेने में विश्वास रखता है, जो लोगों को यह बताता है कि "आप आइये और सत्ता का हिस्सा पाइये", "आप अपने आप को हमारे साथ सम्बद्ध कर सकते हैं", "आप आइए और राष्ट्रीय प्रवृत्ति के साथ एकरूपता स्थापित कीजिए", ऐसी बातें क्यों हों मैं एक पिछड़े वर्ग के होने के नाते, एक आपराधिक आदिवासी होने के नाते यह महसूस करता हूं कि जब काका कालेलकर के प्रतिवेदन को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, तो हमारे लोगों के विकास अथवा उत्थान के प्रयोजन से किए गए सभी प्रयासों को भी बन्द कर दिया गया था। इसके विपरीत यह कहा गया था कि जाति की बजाय आर्थिक मापदण्ड को अपनाया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अनुच्छेद 340 में आर्थिक मापदण्ड को अपनाये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु इसमें यह बताया गया है कि केवल सामाजिक तथा शैक्षणिक तौर से पिछड़े लोगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि जाति उत्तराधिकारिता विभिन्न समुदायों की प्रगति में एक बड़ी बाधा रही है। हम सभी जानते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं दी जा सकी थी। आप जानते हैं कि 1956 में, जब एक हरिजन लड़के को, जो पुराने बम्बई राज्य के धारवाड़ जिले के एक प्राथमिक स्कूल में प्रवेश लेना चाहता था, प्रवेश नहीं दिया गया था, तो उसे प्रीवी कौंसिल में जाना पड़ा था और अन्त में उसे उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई थी। उन दिनों में ये परिस्थितियां थीं और इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। किन्तु सामाजिक गतिशीलता तथा जनशिक्षा तथा राजनीतिक जागृति जैसी कुछ अन्य बातों के कारण हम निकट आ रहे हैं। किन्तु इन पिछड़े वर्ग के लोगों का भाग्य, जिन्हें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है अथवा दिखाया नहीं गया है, अभी भी वही है।

हम कानून के सामने बराबरी की बात करते हैं। इसे मूलभूत अधिकार समझा गया है। किन्तु शक्तिशाली व्यक्ति तथा अपंग व्यक्ति के बीच समानता कैसे हो सकती है? क्या हम इस तथ्य को नहीं जानते हैं कि इन लोगों को एक सामाजिक कलंक लगा हुआ है, उन्हें आपराधिकता का कलंक लगा हुआ है? ये सभी लोग अपंग हैं। अतः, सरकार का यह काम है कि वह उनके लिए कुछ करे और उनकी उपेक्षा न करे।

महोदय, आपको याद होगा कि हम मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर इसे 31 दिसम्बर को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात चर्चा करना चाहते थे। तब से लेकर विभिन्न समाचार पत्रों में कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। लोगों ने गुण-दोष के बारे में कहा है। श्री पासवान ने भी इसके बारे में कहा है। लोगों ने प्रगतिशील समुदायों के बारे में कहा है। क्या आप उच्च जाति से एक भी ऐसे बन्धुआ मजदूर अथवा उसके बारे में बता सकते हैं जिसके बारे में राज्य सरकारों अथवा गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा भी उल्लेख किया गया है ? यदि आप ऐसा कर दें तो मैं अपनी बात को वापिस ले लूंगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको इस जातिवाद की कसौटी को स्वीकार करना होगा। कोई भी अन्य बात उनके साथ न्याय नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं कि सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए काफी कुछ कर रही है। सरकार को वैसा करना चाहिए। किन्तु उन लोगों के बारे में क्या किया गया है जिनमें सामाजिक जागरूकता नहीं है और जो राजनीतिक रूप से सचेत नहीं हैं ? आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं ? यद्यपि अंग्रेजों ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की दशा को सुधारने का प्रयास किया था, तथापि उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल पायी। यद्यपि हम संविधान के आरम्भ से ही यह प्रयास करते रहे हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को अन्य लोगों की बराबरी के दर्जे पर लाया जाए, फिर भी हमने अधिक सफलता नहीं पायी है। अधिकांश युवक, जो इस समय भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों से आये हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र से हैं। इनमें बहुत कम युवक मध्य भारत से आये हैं, और आपको यह बात अवश्य ही जान लेनी चाहिए, और वे लड़के इसलिए इसमें स्थान प्राप्त कर सके क्योंकि मिशनरियों ने वहां काफी काम किया है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः, मैं यह कहता हूं। कृपया इस मापदण्ड को स्वीकार कर लीजिए, दूसरी बातों पर विचार मत कीजिए। किसी बात से मत डरिए। मैं यह जानता हूं कि लोग यह सोचते हैं कि यदि यह किया जाता है, तो हमें आन्दोलनों का सामना करना पड़ेगा जैसाकि हमें बिहार और गुजरात में इनका सामना करना पड़ा था। ऐसी बातें तो होंगी। किन्तु आपको सदा लिए उन लोगों के साथ न्याय करने के लिए यह निर्णय करना ही होगा, जो पददलित हैं, जो सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है, जो हमारे पूर्वजों की गलतियों तथा गत 30 वर्षों से न्याय न कर सकने वाली सरकार की गलतियों के कारण से भी पिछड़े रहे हैं। मुझे आशा है कि सभा इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेगी और सरकार इस मंडल आयोग के प्रतिवेदन को पूरी तरह कार्यान्वित करेगी और हमारे साथ न्याय करेगी चाहे यह विलम्ब से ही किया जाए।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही बहुत ही पेचीदा है। किन्तु मुझे यह बात ज्ञात नहीं है कि क्या हमारे देश के लाखों मौन लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के हैं, कभी यह भी पता चल पायेगा कि हम आज यहां किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वे इतने पिछड़े हुए हैं कि उन्हें इस बात के अन्तर का पता नहीं चल सकता है कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उनके जीवन की दशा क्या है।

इस पिछड़ा वर्ग आयोग को, जिसे बी० पी० मंडल के रूप में जाना जाता है, 1978 में किसी समय गठित किया गया था और इसने विचारार्थ विषयों के अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

दिया था और 16 मास के विलम्ब के पश्चात् इसे सरकार द्वारा संसद के सभा पटल पर रखा गया।

इस आयोग का कार्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की परिभाषा करने तथा पहचान करने के लिए मापदण्ड का निर्धारण करना तथा इस तरह पहचान किए गए सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के हेतु पत्रों की सिफारिश करना था। इस समस्या का सार यह है, इसका पहला भाग यह है कि किस प्रकार पिछड़ेपन की पहचान की जाये। जनवरी 1953 में ही प्रथम केन्द्रीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था और इसके परिणाम के बारे में सभी को मालूम है। उस समय भी यही समस्या उठाई गई थी कि मापदण्ड क्या होना चाहिए। क्या यह एकमात्र जाति पर आधारित हो ? अथवा यह आर्थिक स्थिति तथा जाति का मापदण्ड हो अथवा यह आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति तथा जाति का मापदण्ड हो अथवा यह व्यावसायिक स्थिति, निवासीय स्थिति, आर्थिक स्थिति तथा जाति का मापदण्ड हो।

ये सारे प्रश्न न केवल प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग कहा जाता है और जिसकी रिपोर्ट पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, के सामने आये थे बल्कि ये प्रश्न विभिन्न राज्य सरकारों, चाहे वह कर्नाटक है या बिहार या उत्तर प्रदेश, द्वारा गठित आयोगों के समक्ष भी आये थे। 1961 में डा० आर० नागनगोड़ा की अध्यक्षता में गठित मैसूर पिछड़ा वर्ग समिति ने भी इस पर विचार किया था। ये प्रश्न आन्ध्र समिति के समक्ष भी आये थे और 1965 में केरल समिति के समक्ष भी। इन समितियों ने जाति एवं समुदाय के आधार पर साधनों की सिफारिश की थी। बिहार समिति के सामने भी ये प्रश्न आये थे और अन्ततः इस सम्बन्ध में एक निर्णय लिया गया, मैं उस विषय को बाद में लूंगा—वह निर्णय था जाति व आर्थिक आधार को मानदण्ड बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में छेदीलाल समिति के सामने भी यह प्रश्न आया था। जिसका उल्लेख माननीय सदस्य श्री रामविलास पासवान ने किया था। पिछड़े वर्गों सम्बन्धी समूची समस्या भारतीय समाज में एक अभिशाप है। हिन्दू व्यवस्था का यह एक अभिन्न अंग है और यह गत 3000 वर्षों से इस समाज में विद्यमान है। मैं इस व्यवस्था के बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। सभी जानते हैं कि यह एक व्यापक व्यवस्था है तथा कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे अब तक भारतीय प्रजाति पार्थक्य के रूप में माना है। कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने काफी समय पूर्व इसके विषय में कहा था कि यह नृशंस विषाद की अति विशाल व्यवस्था है। यह बात आज भी सच है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रश्न की ओर ध्यान दिलाने के लिए संविधान में उपबन्ध शामिल किए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस विषय पर कई बार चर्चा की गई। कई आयोग गठित किए गए। अब यह प्रश्न दोबारा उठा है। बी० पी० मंडल आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं कि अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां जो नौकरियों, शिक्षा संस्थाओं इत्यादि में 22.5 प्रतिशत आरक्षण का दावा कर सकती हैं, जबकि अन्य पिछड़े वर्ग जिनकी संख्या लगभग 52 प्रतिशत है और उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार किसी भी वर्ग या वर्गों के समूह के लिए पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता। दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किया जाना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : इससे भी अधिक आरक्षण किया जा सकता है।

प्रो० रूपचन्द पाल : मैं उस विषय को भी लूंगा। जिसका उल्लेख आयोग की रिपोर्ट में किया गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

अतः महोदय, हमें इन दलित वर्गों के साथ पूरी सहानुभूति है। हम सदैव ही महसूस करते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। मैं केवल इन्हीं लोगों की ही बात नहीं कर रहा हूं। दूसरे भी ऐसे वर्ग हैं जिनके सम्बन्ध में सभा महसूस करती है कि कुछ किया जाना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं कि उन्हें जीवन-धारा के साथ जोड़ने चाहिए। इन पिछड़े लोगों को धारा-प्रवाह से जोड़ने के लिए कुछ सुरक्षात्मक भेदभाव आवश्यक है। यदि हम निरन्तर आधुनिकीकरण या आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो उन्हें धारा-प्रवाह से जोड़े बिना ये लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि "गुन्नार मिरदिल" ने अपने "एशियन ड्रामा" में इसी पहलू को उजागर करते हुए कहा है कि जाति प्रथा के कारण यहां आधुनिकता सम्भव नहीं है। महान समाजशास्त्री, मैक्सवेवर ने इसी बात का बार-बार उल्लेख किया है और हम इसका समर्थन करते हैं कि इस विषय में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। परन्तु आरक्षण की व्यवस्था से तो इस समस्या का एक ही पहलू प्रभावित होता है।

सरकारी सेवाओं में कितने लोग हैं—अधिक से अधिक पांच प्रतिशत। पिछड़े वर्गों की समस्या बुनियादी तौर पर ग्रामीण जनता की समस्या है। भारत गांवों में बसा है। कितने लोगों को नौकरियां दी जाती हैं? इदि इस बात को मान लिया जाये कि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण हैं तो भी उन्हें सुअवसर कहां मिले? इन लोगों के लिए नौकरियां सृजित नहीं की जा रहीं। जो लोग नौकरियों में पहले से ही हैं उन्हें भी गहरे संकट के कारण नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। आज नए नारे दिए जा रहे हैं। असम में क्या नारा दिया गया है? इस धरती के बेटों को नौकरी दो। वे किन्हें बाहर कर रहे हैं? हाल ही में किसी अन्य चर्चा के बारे में कामरेड समर मुखर्जी उन लोगों का हवाला दे रहे थे, जो असम में तीस वर्षों से रह रहे हैं और उन्हें विदेशी नागरिकों का नाम देकर राज्य से बाहर किया जा रहा है। वे कौन लोग हैं? वे सब कृषक हैं जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध हैं। उत्तरी राज्यों की सरकारों ने अलिखित आदेश एवं अनुदेश दिए हैं कि नौकरियों के मामले में अपने राज्य के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि मेरी बात गलत है तो इसमें सुधार किया जा सकता है। मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर एक समस्या और पैदा होती जा रही है कि हिन्दुओं को न कि मुसलमानों को समर्थन दिया जाए। व्यवहार में जातिवाद, प्रान्तीयतावाद, साम्प्रदायिकता का चोलीदामन का साथ है। जतः मैं यह बता रहा हूं कि आरक्षण के बाद भी कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा। यह मेरा प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है स्वयं मंडल आयोग का। आयोग का कहना है :

> "उपर्युक्त परिस्थिति का यह परिणाम है कि इन बड़े आंकड़ों के होते हुए भी, पिछड़े वर्ग अभी भी ऊंची जातियों एवं धनी जमींदारों के मानसिक रूप से एवं वास्तविक बन्धक हैं। इसके परिणामस्वरूप, यद्यपि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 3/4 भाग है तथापि इनका राजनैतिक प्रतिनिधित्व बहुत ही सीमित है,

हालांकि देश में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू हुए तीन दशकों से अधिक समय गुजर चुका है। उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार होने के कारण ऊंची जातियां पिछड़े वर्गों को अपने हितों के खिलाफ कार्य करने पर मजबूर कर देती हैं।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है :

"इस बात को देखते हुए, जब तक भूमि सुधारों में आमूल परिवर्तन करके वर्तमान उत्पादन सम्बन्धों की कड़ी पकड़ को नहीं हटाया जाता तब तक पिछड़े एवं दलित वर्ग ऊंची जातियों की पराधीनता से मुक्ति नहीं पा सकेंगे।"

महोदय, हालांकि हमें इन पिछड़े वर्गों के लिए किसी न किसी प्रकार के आरक्षण की मांग करते रहना चाहिए तथापि हमें सचेत रहना चाहिए कि यह मांग भूमि सुधारों में आमूल परिवर्तन करने की हमारी मुख्य मांग से हमारा ध्यान न मोड़ दे, इससे ही पिछड़े लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है।

महोदय, मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं। क्या रिपोर्ट के कुछ अंश का हवाला दे सकता हूं जिसमें उल्लेख है कि :

"कर्नाटक (अर्स शासन काल) और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जिन्होंने इस कार्य को बहुत ईमानदारी से किया है, न केवल पिछड़े वर्गों की वास्तव में सहायता करने में सफल हुए हैं बल्कि उन्होंने इस सौदेबाजी में बहुत राजनैतिक लाभ कमाया है।"

महोदय, "स्टेट्समैन" ने कल अपने सम्पादकीय में कहा है :

"भूमि की समस्या और देश भर में स्थित केन्द्र सरकार ने भूमि सुधारों को बेमन से तथा विलम्ब से लागू करने पर पहली बार चिन्ता नहीं व्यक्त की है और सरकार इस दिशा में कार्य की गति बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। पिछले अनुभव को देखते हुए, इस बारे में सन्देह है कि क्या इसका कोई तत्काल प्रभाव होगा···?"

तत्पश्चात्, फालतू घोषित भूमि, प्रयोग में लाई जा रही भूमि और वितरित की गई भूमि तथा पेश आ रही कठिनाइयों एवं न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का उल्लेख किया गया है। यह भी बताया गया है कि सरकार इन सब बातों से बचने के लिए भूमि सुधारों को नवीं अनुसूची में रखने के बारे में विचार कर रही है। महोदय, वस्तुतः पिछड़े वर्गों की समस्या देश की समस्या है। हमारे जैसे देश में जातिवादिता, साम्प्रदायिकता एवं प्रान्तीयता को भूमि सम्बन्धी प्रश्न के बिना नहीं आंका जा सकता।

महोदय, इस तस्वीर का दूसरा पहलू लीजिए। इस सबके बावजूद, क्या आपने कुछ लोगों की यह मांग नहीं सुनी, हमें पिछड़े हुए घोषित करें ? महोदय, मैं किसी राज्य विशेष का हवाला नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा हर जगह हो रहा है। भूमिधारी लोगों ने भी स्वयं

को 'पिछड़ा हुआ' घोषित करा लिया है। वे धनी लोग हैं लेकिन वे दूसरे पिछड़े और दलित लोगों का शोषण करते हैं। परन्तु अब मैं उनका हवाला नहीं दे रहा हूं। मैं कुछ अन्य वर्गों का उल्लेख कर रहा हूं, कुछ भागों में ब्राह्मण प्लेटें साफ करने का काम करते हैं। इसलिए हमें देखना है कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाए। परन्तु आरक्षण के नाम पर, हमें उस बुनियादी लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए जिसके द्वारा ही इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या यह लोगों को बांटने का एक तरीका नहीं है? ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था? उन्होंने आरक्षण का नारा बुलन्द किया था ताकि ईर्ष्या और भेदभाव की भावना पनपे क्योंकि सबको समान अवसर नहीं दिये जा रहे हैं। महोदय, ऐसा क्यों हो? आइए, हम तत्कालीन मामले "एशियाड" पर नजर डाले—हमने इस पहलू पर कई बार चर्चा की थी। हम देखते हैं कि बंधुआ मजदूर व्यवस्था है। मूलतः यह प्रश्न भी पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों से सम्बद्ध है। "एशियाड" हेतु हो रहे निर्माण कार्यों में श्रमिकों से बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जाता है। 'हरित क्रांति' के आपके देश में यह क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछता हूं। बहुत-से समाचार-पत्रों में यह खबर छपी है कि हरित क्रांति के इस देश में बंधुआ मजदूर हैं। महोदय, बिहार से हजारों लोग यहां आ रहे हैं जो यहां आकर बंधुआ मजदूर बना दिये जाते हैं। उनसे अधिकतम कार्य कराने के लिए अफीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाती है? नहीं। ये सब संबंधित प्रश्न हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। परन्तु हम उन्हें कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं। मैं एक और संबंधित रिपोर्ट का हवाला दूंगा। इस रिपोर्ट में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न को लिया गया है। इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल का उल्लेख है। जब कभी भी हम गलती करते हैं, हम आपकी बात सुनने के इच्छुक होते हैं। यदि हमसे कोई चूक हो जाए तो आप हमें बता दें; हम सुनेंगे। परन्तु इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के विषय में ऐसा कहा गया है। इस रिपोर्ट को किसी कम्यूनिस्ट ने नहीं लिखा। इस मद को आयुक्त की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। कृपया रिपोर्ट का पृष्ठ 39 देखें। इसमें कहा गया है :

> "राज्यों को इस गैर-विकासीय व्यय के लिए योजना आयोग से पर्याप्त निधियां प्राप्त करने में मुख्य कठिनाइयां पेश आती हैं। इस संबंध में श्रम मंत्रालय पश्चिम बंगाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, जिसने समाज कल्याण शीर्ष के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने के लिए धन प्राप्त किया है, की सिफारिश करेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की प्रक्रिया से सही स्थिति का पता चलता है।"

अतः महोदय, यह रिपोर्ट है : पश्चिम बंगाल में जातिवाद का कोई सवाल नहीं है। अत्याचार नगण्य हैं। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। पश्चिम बंगाल में अत्याचारों के बारे में कहा गया है कि ऐसे मामलों की संख्या नगण्य है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। जातिवाद समाप्त होता जा रहा है। 19वीं शताब्दी में विवेकानन्द और राम मोहनराय जैसे समाज सुधारकों द्वारा चलाए गए तथा विभिन्न दूसरे लोकतान्त्रिक आन्दोलनों द्वारा यह प्रथा समाप्त होती जा रही है।

लेकिन, महोदय; मैं जो आपको बता रहा हूं, वह यह है कि हिन्दू समाज अपनी जाति प्रथा के साथ हमारे देश के आधुनिकीकरण के रास्ते में एक रुकावट के रूप में आएगा। शासक वर्ग यह बहुत अच्छी प्रकार जानता है कि वह सामन्ती ढांचे को न तोड़कर और आवश्यक भूमि सुधार लागू करके जानबूझकर पूंजीवादी शक्ति का पक्ष ले रहे हैं। अब वह भली प्रकार जम गई है। हर कहीं आर्थिक संकट है। किसी भाग में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए शोर है तो दूसरी ओर हिन्दू उग्रराष्ट्रवाद है और कुछ अन्य भागों में पिछड़े वर्गों का नारा बुलन्द किया जाता है और वे मांग करते हैं कि "हमें हमारा हिस्सा दो।" मैं नहीं जानता कि क्या होगा और इसका क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन, मैं सही विचारधारा वाले व्यक्तियों की जानकारी में एक बात यह लाना चाहूंगा कि केवल संगठित आन्दोलन से ही सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। शासकों की सहायता करने वाले लोग शोषण की प्रणाली को बनाए रखना चाहते हैं, वे उनके प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते हैं।

अब, भारत की स्थिति को देखिए। कुछ लोग, उंगलियों पर गिनने लायक अधिक अमीर होते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति, जिसके पास 20 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति थी अब उसके पास एक हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की परिसम्पत्ति है। जबकि राष्ट्रीय आय का औसत 700 रुपये प्रति वर्ष है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कृषि श्रमिकों की संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ रही है। कृषि से सम्बन्ध रखने वाले गरीब लोगों को उनकी भूमि से वंचित किया जा रहा है। लेकिन साथ ही सामन्ती ढांचा बरकरार है और सामन्ती जमीदार अपने कृषि उत्पादों के वाणिज्यिकरण, आधुनिक मशीनीकरण द्वारा उभर रहे हैं और इस प्रकार भूमिहीन श्रमिकों अर्थात बन्धुआ मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। यह स्थिति है। जब तक मूल प्रश्न, भूमि सुधार के प्रश्न और फालतू जमीन को वास्तविक भूमिहीन लोगों को बांटने के प्रश्न को नहीं लिया जाएगा तब तक समस्या का हल नहीं हो सकता। हम तब तक समस्या को हल नहीं कर सकते जब तक इस दिशा में तुरन्त तथा अविलम्ब कार्रवाई शुरू न की जाए। हम उन्हें अपने समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। हम उच्च वर्ग के लोगों से सहनशीलता बरतने के लिए अपील करते हैं। यहां मुझे रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता याद आती है। यह कुछ इस प्रकार है। ओह, मेरी अभागी मातृभूमि, जिनकी तुमने रक्षा की है वे ही तेरी पीठ में छुरा घोपेंगे, जिनको तुमने पीछे रखा है वे तुम्हें भी पीछे खीचेंगे और जिनको तुम नीचे गिराओगी वे तुमको भी नीचे ढकेलेंगे इसलिए मेरे देशवासियो इस जांत-पांत की अभागी भूमि में जो लोग आरक्षणों के बारे में चिल्लाते हैं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि पददलितों की एकता को नष्ट नहीं करना चाहिए और लोगों को शासन वर्ग का शिकार न बनने दिया जाना चाहिए। हमने देखा है कि एक राज्य में कोई मानदण्ड अपनाया गया है और साथ के राज्य में जाति का मानदण्ड अपनाया गया हैं, जहां 12000 रुपये प्रति वर्ष की आय वाले लोगों को भी पिछड़ा वर्ग समझा जाएगा, अर्थात 1000 रुपये प्रति मास की आय वाले लोगों को भी पिछड़ा वर्ग समझा जाएगा। अब औसत राष्ट्रीय आय क्या है ? यह प्रति वर्ष 700 रुपए से भी कम है। अब ये अमीर लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वे कहते हैं कि ये लोग भी पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें स्वयं यह महसूस करना चाहिए कि उनके लिए यह उचित नहीं है कि उन

लोगों को जो थोड़ी-सी सुविधायें दी गई हैं, उनसे उनको वंचित न किया जाए। हमने बिहार की घटनायें, गुजरात की घटनायें और देश के अन्य भागों की घटनायें देखी हैं···(व्यवधान)। मेरा तात्पर्य बिहार और गुजरात की वर्तमान घटनाओं से है। इन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जा रहा है कि भारतीय परिस्थितियों में वर्ग युद्ध नहीं वरना केवल जाति युद्ध होगा। किन्तु, जाति की लड़ाई अन्ततोत्वा वर्ग की लड़ाई में बदल जाएगी। इन सिद्धान्तों को निहित स्वार्थों द्वारा बीच में घुसेड़ा जा रहा है, लेकिन हम कम्युनिस्ट निम्न प्रकार के वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते हैं। हम आपसे इसका तुरन्त समर्थ करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन अन्ततोगत्वा हम जानते हैं आप घूम-फिर कर इस बात पर आ जाएंगे। हल्की-फुल्की औषधियों से रोग का निदान नहीं होगा ; भारतीय परिस्थितियों में इस रोग का केवल एक ही निदान है क्रांतिकारी भूमि-सुधार लागू करना (व्यवधान)। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारतीय परिस्थितियों में अन्ततोगत्वा इस समस्या को इस ढंग से हल करना पड़ेगा।

अन्त में मैं ईमानदारी से सरकार से एक अपील करूंगा। आजकल कतिपय कार्यक्रमों के बारे में काफी बातचीत की जा रही है। कभी, इस कार्यक्रम को सामान्य रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है, कभी वे इसे नया संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम कहते हैं। इन नारों का क्या लाभ है ? सरकार खुद जानती है कि पिछले 35 वर्षों के दौरान हम उन मूल बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हैं जो समस्या को हल कर सकती हैं। अब वे भूमि सुधार को 9 वीं अनुसूची में लाने पर विचार कर रहे हैं।

फिर भी यदि इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो हम नहीं समझते कि उसके कुछ परिणाम निकलेंगे। हमें यह विश्वास नहीं है कि वे कुछ कर सकते हैं। वे एकाधिकारियों के हितों की सेवा करते रहे हैं ; वे सामन्ती जमींदारों के हितों की सेवा करते रहे हैं। आज वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की शर्तों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के साथ समझौता, करके हमारे देश को दास बनाने का प्रयास कर रहे है।

हमें यह विश्वास नहीं है कि यह सरकार कोई कार्य कर सकती है लेकिन वे दिन ज्यादा दूर नहीं हैं जब भारत की जनता स्वयं अपने हाथ में डण्डे ले लेगी और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, क्रान्तिकारी भूमि सुधार लाने के लिए एक संगठित आन्दोलन शुरू करेगी और केवल तभी इन समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा।

यद्यपि मैं पिछड़े लोगों की समस्याओं तथा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों का समर्थन करता हूं परन्तु सरकार को यह चेतावनी देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) : श्रीमान् जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। इस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।

बैकवर्ड क्लासिज कमीशन की जो रिपोर्ट तैयार हुई है वह बहुत मेहनत के बाद तैयार हुई है। इसका ठीक से उपयोग हो सके, इसकी बातों को लागू करने के लिए एक अच्छा वातावरण बन सके, ऐसा करने की हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है।

श्रीमान्, यह संविधान हमारे बुजुर्ग नेताओं, जिनमें से अधिकतर ने इस देश की आजादी की

लड़ाई में प्रमुख हिस्सा लिया था, ने बनाया था। उसी के 380 में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रपति एक ऐसे कमीशन की नियुक्ति करेंगे जो कि सोशली एण्ड एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासिज की स्थितियों का पता लगाये और यह पता लगाये कि वे किन-कन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए एवं गवर्नमेंट को उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह की रिपोर्ट देने के लिए कमीशन बनाने की बात कही गयी है। वह कमीशन इन सब चीजों का पता लगायेगा और फिर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को अपने मेमोरेण्डम के साथ कि सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया, सदन के सामने रखेंगे। इसी के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई।

श्रीमन्, इस बात का दुःख जरूर है कि अभी तक यह संभव नहीं हो सका कि वर्तमान पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट रखने के बाद सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया, इसका कोई मेमोरेण्डम सदन के सामने नहीं रखा। अच्छा होता कि यदि इसमें देर नहीं होती क्योंकि यह इस देश की छोटी-सी आबादी का सवाल नहीं है, यह एक ऐसे क्लास का सवाल है जिसकी कि जनसंख्या 52 प्रतिशत है। यह इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है और उसके बारे में सरकार को तत्परता से विचार करना चाहिए, उसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए।

एक कमीशन काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था। उसका क्या हश्र हुआ यह हम सब जानते हैं। हालांकि उसकी रिपोर्ट में कुछ कमियां थीं। इस कमीशन ने उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया है और वे सब कमियां दूर कर दी गयी हैं। अब इसकी रिपोर्ट पर एक्शन लेने में देर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें देर हुई है।

श्रीमन्, हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि सभी को समान अवसर और समान बर्ताव की सुविधा हो। हमारे कांस्टीच्युशन के फ्रेमर्स ने इसका प्रावधान करना उचित समझा था। लेकिन अगर खाली यही बात हो कि समान अवसर आदि की ही व्यवस्था हो तो जो मजबूत वर्ग है और जो कमजोर वर्ग है उन दोनों के बीच अन्तर बढ़ता जाएगा, कभी उनमें समान स्तर नहीं आ सकेगा। इसलिए हमारे संविधान के बनाने वालों ने एक दूसरी व्यवस्था की कि इस व्यवस्था के होते हुए भी स्टेट को यह अधिकार होगा कि वह बैकवर्ड क्लासिज के लिए जिनका कि सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व न हो, रिजर्वेशन की व्यवस्था करे। यह भी हमारे संविधान के फ्रेमर्स ने सोच-समझ कर किया, कोई ऐसे ही व्यवस्था नहीं कर दी। उनके दिमाग में यह बात थी कि केवल एक समान बर्ताव की व्यवस्था रहेगी तो एक बहुत बड़ी आबादी जो कि पिछड़ी हुई है उसका क्या होगा। इस देश में जनतंत्र की सफल व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि इस व्यवस्था में देश का पूरा समाज हिस्सा ले। अगर किसी देश में 75 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ी हुई है, इनको डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग से दूर रखा जाए तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कभी सफल नहीं हो सकता और हमारे देश में वह हालत रही है। इसलिए इस बात को समझ करके कि उनको भी ऊपर उठाया जा सके, वे आगे आ सकें, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में उनका भी हिस्सा हो, इस तरह की व्यवस्था की गई।

इसी तरह से एक व्यवस्था 15 (1) में थी कि जाति, धर्म, रेस आदि के आधार पर किसी आदमी के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा। इसका दुष्परिणाम हो सकता था और हमारे देश में हुआ। हमारे देश में मद्रास ने और मैसूर स्टेट ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, आजादी

आने से पहले से कि पिछड़ी जातियों को, दबे हुए लोगों को उठाने के लिए कुछ काम किया जाए। मद्रास सरकार ने एक कम्युनल जी० ओ० निकाला था, जिसके आधार पर सारी सेवाओं का बंटवारा किया गया था। कम्युनिटीज के आधार पर पांच कैटेगरीज बनाकर व्यवस्था कर दी थी। इस तरह से बंटवारा हो गया था। लेकिन संविधान के आने के बाद।

श्री के० मायातेवर : तमिलनाडु में यह केवल कागजों पर है।

श्री जयराम वर्मा : उस मामले में अड़चन पैदा हो गई और वह स्ट्रक डाउन हो गया कि जाति के आधार पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो हमारे कांस्टीट्यूशन के फ्रेमर्स के सामने पहली बार विचार करने का अवसर आया कि यह सुविधा कैसे जारी रखी जा सके, किस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ और 15 (4) उसमें जोड़ दिया गया और उसमें रखा गया कि 15 (1) में जो है कि जाति, धर्म और रेस आदि के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं होगा, उसके 29 (2) की व्यवस्था के होते हुए भी ऐसे लोगों के लिए जो एजूकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकेगी।

16.04 **(श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए)**

इसमें भी संशोधन करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि कौन-से शब्द रखे जाएं। 340 में सोशली, एजूकेशनली बैकवर्ड क्लास का जिक्र था, यहां पर इकॉनामिक सवाल पैदा नहीं होने दिया गया इसमें भी सोशली, एजूकेशनली बैकवर्ड शब्द रखा गया, जानबूझकर रखा गया कि अगर इकॉनामिक आधार कहीं हो गया तो फिर उन लोगों को जो सोशली और एजूकेशनली पिछड़े हुए हैं, हमारी व्यवस्था के कारण उनको ऊपर उठने का उचित मौका नहीं मिल सकेगा। इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई। समझ-बूझ कर ये सब व्यवस्थाएं की गई।

एक कमीशन अपायंट हुआ। उसका हश्र बुरा हुआ। कुछ नहीं हो सका। अब दूसरा कमीशन अपायंट हुआ। उस कमीशन के सामने वे बातें थीं कि पहली रिपोर्ट में क्या खामियां थीं, जिनके आधार पर वह नामंजूर हुई। एजूकेशनली, सोशली बैकवर्ड क्लास का किस तरह से पता लगाया जाये, उसके लिए जो आब्जेक्टिव टेस्ट करना चाहिए था, वह नहीं हो सका था। यह खामी रह गई थी और जाति के आधार पर उन्होंने मान लिया था। हमारे सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने यह बात कही हैं कि केवल जाति, धर्म, सेक्स को एकमात्र क्राइटेरिया नहीं माना जा सकता, लेकिन वह क्राइटेरिया उससे अलग भी नहीं हो सकता है।

क्या मेरा सयम हो गया ?

सभापति महोदय : दो मिनट सयम और है।

श्री जयराम वर्मा : ऐसा तो नहीं होना चाहिए···। मैंने तो जिन्दगी भर इसमें काम किया है। मुझे इस बारे में जिन्दगी भर का तजुर्बा है।

दूसरी रिपोर्ट में प्रयास किया गया कि गलतियां न रहें। उसमें आब्जेक्टिस टेस्ट इस्तेमाल किए गए और जो संस्थाएं इसमें स्पेशलिस्ट हैं, उनका उपयोग किया गया और उसके आधार पर

क्राइटेरिया तय किए गए। लोग कहेंगे कि कास्ट के लिए व्यवस्था कैसे हो सकता है; इसमें तो क्लास आफ पीपल लिसा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि कास्ट भी क्लास आफ पीपल है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि इसमें कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन की बात कही गई है वह उचित नहीं है। कुछ लोगों का कहना होगा कि 49½ परसेंट कुल रिजर्वेशन हो जाने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है। बैकवर्ड क्लासिज के लिए यह व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं करनी है, बल्कि उस वक्त तक के लिए करनी है, जब तक वे आगे बढ़े हुए लोगों के करीब-करीब बराबर न होजाएं। उनकी वर्तमान कठिनाइयां दूर न हो जाएं।

जैसा कि अभी उल्लेख किया गया है, सेवाओं में इन लोगों का रिप्रेजेन्टेशन बहुत कम है। मैं आकड़े पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 52 परसेंट आबादी का स्थान है केवल 4.5 परसेंट। सबसे बड़ा एतराज यह किया जाता है कि जाति के आधार पर व्यवस्था करने से जातीयता या जात-पांत बढ़ेगी। सभी चाहते हैं कि हमारे देश में एक जातिहीन और वर्गहीन समाज हो, और अगर वह हो, तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। लेकिन तथ्यों को छिपाया नहीं जा सकता, उन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। जहां तक जात-पांत का सम्बन्ध है, आजादी के बाद रिचुअल फ्रंट पर उसमें जरूर कुछ ढील आ गई है, लेकिन पोलिटिकल फ्रन्ट पर वह और मजबूत हुई है। आज जो कुछ हो रहा है, उसे देखत हुए कुछ लोगों का यह कहना समझ में नहीं आता कि जल्दी वह वक्त आने वाला है, जब जातियां समाप्त हो जायेंगी। डेमोक्रेसी में, पालिटिक्स में, लीडर्ज के लिए जाति को आधार बना कर काम करना आसान हो गया है। वे उसका सहारा लेकर अपने आपको उठाने की कोशिश करते हैं। इलैक्शन्ज में चाहें कितनी बातें कही जाएं, लेकिन साधारणतया हर एक आदमी जीतने के लिए जाति का सहारा लेता है और चाहता है कि अपनी जाति या कम्युनिटी के वोट उसे मिल जाएं। कहने को चाहे जो कहा जाए, लेकिन असलियत यही है। इस देश में जो 52 परसेंट आबादी सोशली और एजूकेशनली पिछड़ी हुई है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करने से जाति और मजबूत हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है।

थोड़े दिन के लिए इसे चाहते हैं कि वह सब के बराबर हो जायं तो इसको होने दीजिए, फिर वह समाप्त कर दिया जाय और इसमें हम अकेले मांग तो जरूर करते हैं बैकवर्ड क्लासेज के लोग लेकिन यह जिम्मेदारी जो फारवर्ड क्लास के लोग हैं उनकी भी है। अगर मांग को मंजूर नहीं किया जाता तो आखिर में नाराजगी होगी, असंतोष होगा। उसका कोई अच्छा परिणाम तो होता नहीं। आपस में प्रेम से रहें, सब लोग मिल-जुल कर काम करें, सब जाति के लोग आपस में कंधे से कंधा मिलाकर देश का उत्थान कर सकें, यह तभी होगा जब जो लोग ऊपर हैं, जिनके हाथ में सारी शक्ति है वह अपने हृदय की विशालता से ये जो दबे हुए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए जो भी साधन हो सकते हैं वह उनको देने की कोशिश करें। अगर कुछ लोग दबे हुए हैं और जिनके हाथ में शक्ति है वह यही पसंद करें कि वह दबे रहें तो इतनी बड़ी आबादी है कब तक उसको असंतुष्ट रखा जा सकेगा? भाग्य का सहारा कब तक इतनी बड़ी आबादी लेती रहेगी? आखिरकार उसको कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा, असंतोष पैदा होगा। वह हानिकार होगा। इसलिए जो ऊपर के लोग हैं उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इनको ऊपर उठाने की कोशिश करें और

कमीशन की रिपोर्ट के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करें। जो सिफारिशें उसकी हैं उनको स्वीकार करें और जल्दी से जल्दी उनको लागू किया जाय।

मैं इस बात को कह सकता हूं कि जितनी बार मेरी बात प्रधान मंत्री से हुई है हर बार वह इस बात को महसूस करती हैं कि सचमुच इनको उठाना चाहिए और इनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन एक बात उनके दिल में जरूर रहती है कि जब कोई तरीका इस तरह से निकले, तो जो पिछली बार उत्तर प्रदेश और बिहार में रिजर्वेशन की व्यवस्था के बाद वायलेंट एजीटेशंस हुए उस तरह की बात न हो क्योंकि उससे वातावरण दूषित हो जाता है, कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। इसलिए सिफारिशों की मंजूरी हम सब लोग चाहते हैं, इधर के लोग भी चाहते हैं और उधर के लोग भी चाहते हैं, हमने जो लोगों से बात की, दस्तखत करवाये उसमें जो अच्छे विचार के अपर क्लास के लोग थे उन्होंने भी खुशी से दस्तखत किए और कहा कि इनका यह अधिकार उचित है, और हम कोशिश करेंगे कि यह जरूर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग ही चाहते हैं, अपर क्लास के लोग भी, जिनके हाथ में शक्ति है, वह भी इस बात को महसूस करते हैं। वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, इसमें जरूर सुधार होना चाहिए और कमीशन की सिफारिशों को मंजूर होना चाहिए, उनको लागू किया जाना चाहिए।

यह इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें लाभ होगा देश का। अगर सभी लोग विकसित होकर इस देश की सेवा कर सकें तो देश की तरक्की ज्यादा तेजी से होगी। अगर 75-80 प्रतिशत लोग दबे हुए हैं, उनकी पूरी शक्ति का विकास नहीं होता है तो जो उनकी दबी हुई शक्ति है वह अन्दर पड़ी रह जायगी। वह विकसित होकर देश की सेवा में नहीं लगेगी। जिस देश में 100 खानें हों मोती, जवाहर और लालों की उसमें 75 खानें बन्द कर दी जायें और 25 खानों से मोती और जवाहर निकाले जायें तो देश का क्या हाल होगा ? तो सौ खानों से क्यों नहीं लाल, मोती और जवाहर निकालते ? इससे देश का कल्याण होगा।

इसलिए इस तरह से सोचना कि ऐसा करने की क्या जरूरत है इससे जातीयता बढ़ जाएगी, यह हो जायेगा, वह हो जाएगा, इस तरह से भ्रमवश इस बात को सोचकर इस कमीशन की रिपोर्ट का भी वही हस्र नहीं होने देना चाहिए जो पहले कमीशन का हुआ था। इससे देश का नुकसान होगा। देश की तरक्की में बाधा पड़ेगी। देश की तरक्की की रफ्तार वगैर उनको ऊपर लाये तेज नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा यह हम सब की जिम्मेदारी है कि वातावरण को हम लोग ठीक बनाएं रखें। ऐसा वातावरण बनाए रखें कि जो भी सुविधाएं बैकवर्ड क्लासेज को दीं उसके ऊपर कोई आन्दोलन वगैरह न हो और अगर हम सब लोग यह चाहते हैं तो कोई आन्दोलन नहीं होने वाला है। सब लोग इसको स्वीकार करेंगे। वह तो जब अन्दर से उकसाया जाता है तब इस तरह के आन्दोलन होते हैं।

दक्षिण में हर जगह सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन है। कर्नाटक में 66 प्रतिशत रिजर्वेशन हैं, जिसमें 48 प्रतिशत बैकवर्ड के लिए और 18 प्रतिशत हरिजनों के लिए रिजर्वेशन है। तमिलनाडु में 68 प्रतिशत रिजर्वेशन हैं, 50 प्रतिशत बैकवर्ड के लिए और 18 प्रतिशत हरिजनों के लिए है। इस तरह की व्यवस्था कर देने से कोई एजीटेशन नहीं हो सका। यदि हम सब लोग इस

काम को मिल कर करना चाहते हैं तो उसी तरह का वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे तो रास्ते में किसी प्रकार की अड़चनें पैदा नहीं होंगी। इस प्रकार की व्यवस्था कर देने से हमारे देश की तरक्की की रफ्तार और तेज हो सकेगी। रोज हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि हमारी पंच-वर्षीय योजना को जिस तरह से कामयाब होना चाहिए, जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, उस तरह से आगे नहीं बढ़ती है, उसका एक कारण यह भी है जो हमारी, पिछड़े वर्गों की छिपी हुई शक्ति है, उसका उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं इस बात को मानता हूं कि चाहे कोई भी क्लास हो, शैड्यूल्ड कास्ट यो या बैकवर्ड हो या अपर क्लास हो—सबमें प्रतिभा करीब-करीब बराबर होती है। किसी को उस प्रतिभा को विकसित करने का मौका मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता है। यदि इस प्रतिभा को विकसित करने का मौका दे दिया जाए तो देश को तरक्की करने में सुविधा हो सकेगी और देश तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आज संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले, एक राष्ट्रीय मामले, जो हमारी अधिकांश जनता की जिन्दगियों से संबंधित है, पर चर्चा कर रही है। मुझे यह भी खुशी है कि अब तक दोनों पक्षों के वक्ताओं ने लगभग एक जैसी भावना जाहिर की है, क्योंकि उन सभी ने यह महसूस किया है कि यह केवल एक वर्ग का ही प्रश्न नहीं है क्योंकि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां मिलकर हमारी जनसंख्या का 75 प्रतिशत हैं। इसलिए यह एक राष्ट्रीय प्रश्न, एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। जब तक हमारी जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ रहता है और वे गरीबी तथा बेरोजगारी के शिकार बने रहते हैं, तब तक समस्त देश कमजोर बना रहेगा। अतएव यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, यह समाज के एक वर्ग का प्रश्न नहीं है।

हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में, ऐतिहासिक कारणों से, जाति व्यवस्था के कारण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों का शताब्दियों से सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से शोषण किया गया है। संविधान के निर्माताओं को हमारे समाज की पूरी जानकारी थी। वे जानते थे कि हमारे समाज के कुछ वर्ग हजारों वर्षों से पिछड़े रहे हैं। यही कारण था कि उन्होंने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संविधान में विशिष्ट प्रावधान रखकर आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस कार्य को मामूली कार्यकारी आदेशों के माध्यम से किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने इसे उस ढंग से नहीं किया। संविधान सभा में स्वतंत्रता आन्दोलन के बहुत-से दिग्गज मौजूद थे और वे जानते थे कि जब तक इस आरक्षण को संवैधानिक अनिवार्यता नहीं प्रदान की जाती है तब तक वे इन लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस आरक्षण को भारतीय संविधान का एक अंग बनाया गया था। उन्होंने जो निर्णय लिया था, वह एक बहुत बड़ा निर्णय था और उससे किसी भी तरह से उन नेताओं की महत्ता कम नहीं होती है। वास्तव में, इसे संविधान का अंग बनाने से उनकी महत्ता बढ़ी है क्योंकि इस कार्य के द्वारा उन्होंने दिखा दिया कि उनके दिलों में इन वर्गों के प्रति सहानुभूति थी जो हजारों वर्षों से प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए थे।

यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि समग्र देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण है, यदि आप वास्तविक आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्ष बाद भी ये आंकड़े 7 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वह अभी भी 7 प्रतिशत से कम हैं और सरकार के सभी अच्छे इरादों के बावजूद सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि साढ़े तीन शताब्दियों से भी ज्यादा समय के बाद इन वर्गों के लोग अभी भी गरीब बने हुए हैं। वे अभी भी समूचे भारतीय समाज का अंग नहीं बन पाए हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से गरीब हैं, क्योंकि अभी भी इस देश में उनका सामाजिक निरादर हो रहा है। क्या यह हमारे देश के लिए शर्म की बात नहीं है कि समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले हजारों लोग मारे जा रहे हैं और 35 वर्षों के बाद व्यापक रूप से जनसंहार हो रहा है ? ये घटनाएं कभी भी नहीं हो सकती यदि उन्हें भी आर्थिक रूप से अन्य लोगों के बराबर बना दिया जाए। उन्हें जहां कहीं आर्थिक समानता प्राप्त है वहां वे इस किस्म के लोगों का सामना करने में असमर्थ हैं जो अभी भी गुण्डागर्दी, जनसंहार तथा अत्याचार करते हैं। महोदय, मैं यह कहूंगा कि केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलावा समाज के अन्य ऐसे वर्ग भी हैं जो शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और इसीलिए धारा 340 को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। मुझे केवल इस बात का खेद है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्षों के बाद तथा संविधान लागू होने के 32 वर्षों के बाद भी सरकार ने कुल जनसंख्या के 52 प्रतिशत लोगों, जिन्हें 'अन्य पिछड़े वर्ग' के नाम से पुकारा जाता है, के हितों की रक्षा के लिए धारा 340 के अन्तर्गत कुछ नहीं किया है। इन वर्गों में मछुआ जाति तथा बढ़ई जाति के लोग आते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो देश की विभिन्न जातियों से सम्बन्ध रखते हैं, जिनकी हालत भी उतनी ही खराब है जितनी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की खराब है। उनके लिए क्या किया गया है ? क्योंकि संविधान में उनके लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया था, समाज के ये वर्ग कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि सरकार धारा 340 के ऊपर सो रही है। इसने कुछ नहीं किया है। क्या मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछ सकता हूं। क्या वह इस बात का कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि जब 1953 में काका कालेलकर आयोग नियुक्त किया गया था, मान लीजिए सरकार ने किसी कारण से उस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था, तो ऐसी क्या बात है कि सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त नहीं किया ? उन्हें दूसरा आयोग नियुक्त करना चाहिए था और उन्हें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए था। वे चुप बैठे रहे और जनता सरकार के सत्ता में आने तथा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त होने तक उसकी ओर से आंखें मूंदे रहे। मुझे खुशी है कि सरकार ने बी० पी० मण्डल आयोग को समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया। जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उस समय समापन बैठक में प्रधानमंत्री ने स्वयं भाग लिया था। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि अन्य श्रेणियों के लोगों को भी ऊपर उठाने की आवश्यकता है। आज मैं किसी जाति के ऊपर किये जा रहे उत्पीड़न तथा अत्याचारों की गहराई में नहीं जा रहा हूं। दुर्भाग्यवश ये बातें सामान्य बन गई हैं। मुझे भारतीय संस्कृति, भारतीय परम्परा तथा भारतीय सभ्यता पर गर्व है। भारत उन देशों में से है जिनकी सभ्यता बहुत पुरानी है। हमारा कुछ जीवन दर्शनिक है। हमने यह कहा था कि 'वासुदेवाकुटुम्बकम्'—सारा विश्व एक

परिवार की तरह है। इससे और अधिक ऊंचा उद्देश्य कोई नहीं हो सकता। मुझे भारतीय जीवन दर्शन पर गर्व है, लेकिन साथ ही यह हमारे लिए शर्म की बात है कि इस समाज में बहुसंख्यक लोगों के साथ पशुओं से बदत्तर व्यवहार किया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा मुस्लिम लोगों के साथ छूआछूत का व्यवहार किया जाता है। वे जिस पानी को छू देते हैं उसे हम नहीं छूते हैं। वह पीने योग्य नहीं रहता है यह क्या बात है ? क्या हमें इस पर गुस्सा नहीं उठता ? क्या हम इस किस्म की बातों के खिलाफ जेहाद छेड़ने जैसी भावना महसूस नहीं करते जबकि सारा विश्व काफी आगे जा चुका है ? 20 वीं शदी में जब हम मानवीय अधिकारों की बात कर रहे हैं, मुझे यह देखकर शर्म आती है कि ब्रिटेन के किसी संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकार आयोग में जाकर यह कहा है कि भारत में अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो दासों की तरह रह रहे हैं। यह वास्तव में सत्य भी है। बन्धुआ मजदूर, छूआछूत, हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों का काफी बड़ी संख्या में संहार इस देश में अभी भी चल रहा है। लोग किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जिलाधीश बनना सहन नहीं करते। हमेशा यह कहा जाता है, "अनुसूचित जाति का व्यक्ति वहां मौजूद है। इसलिए वहां ये समस्याएं हैं। उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है।" इसके लिए बहुत सशक्त आंदोलन होता जा रहा है और आगे भी होते रहना चाहिए; मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह सरकार इस देश के लोकप्रिय जनादेश से चुनी गई सरकार है। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, हम अवसर की समानता में विश्वास करते हैं। हम समतावादी समाज में विश्वास करते हैं, इसलिए मैं यह कहता हूं कि जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई सरकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा और मुख्य सिद्धान्त है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जनता की है क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी गई है। परन्तु यह अभी तक जनता के लिए और जनता के प्रति निष्ठावान सिद्ध नहीं हुई है। यह जनता के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या की 75 प्रतिशत जनता अभी भी सामाजिक दुर्व्यवहार तथा सामाजिक और आर्थिक शोषण का शिकार है। उन्हें अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे आपकी सभी योजनाओं व अन्य कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाए हैं। स्वाधीनता के 35 वर्ष बाद भी हमारे देश की जनता को पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पाई है। क्या यह ऐसी स्थिति नहीं है, जिस पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए ?

मैं प्रमुख मुद्दों पर बात करता हूं ; मैं इन पर विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं। इस पर शोध किए जा सकते हैं पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। पर मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। प्रमुख उद्देश्य क्या-क्या हैं ? (एक) यदि हम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दें, तो उससे योग्यता एवं कुशलता में गिरावट आएगी। इस तर्क का मैं खण्डन करना चाहता हूं। यदि आप तमिलनाडु में जायें, कर्नाटक में जायें तो इन राज्यों में आप देखेंगे कि जहां समाज के उक्त सभी वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण किए गए हैं ; कार्य कुशलता और योग्यता में कमी नहीं हुई। महोदय, मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि तमिलनाडु राज्य के उच्च अधिकारियों में से थे—से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि "मैं अपने अनुभव से आपको यह बताता हूं कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लड़के अन्य लड़कों के समान अच्छे और योग्य हैं बल्कि उनसे कहीं अधिक ईमानदार एवं कुशल हैं। बात केवल यही है कि वे सुन्दर अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं पर वे

तमिल भाषा में सुन्दर प्रारुप और आदेश लिखते हैं।" क्या योग्यता ही एकमात्र कसौटी है ? अगर किसी योग्य व्यक्ति को किसी प्रशासन का प्रमुख बना दिया जाता है और यदि वह अनुसूचित जाति विरोधी तथा पिछड़े वर्गों का विरोधी हो और उसका समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास न हो तो हमें ऐसे योग्य अधिकारियों का क्या फायदा है ? मैं ऐसे अधिकारी के हक में हूं जो सहानुभूति का रुख अपनाये और जो उन लोगों के प्रति हमदर्दी जताये जिनके लिए सरकार ये कार्यक्रम बना रही है। मैं अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देता हूं जो कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति रखता हो तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति आस्था रखता हो। योग्यता और अन्य बातों के बजाय मैं ऐसे प्रशासन के साथ रहने की कोशिश करूंगा।

अब यह मुद्दा और कुछ अन्य मुद्दे भी जब श्री रामविलास पासवान उठा रहे थे तो सत्तारूढ़ पक्ष में बैठे हमारे कुछ मित्रों ने यह कहा कि नहीं,इन बातों को मत उठाइएं, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने अभी श्री वीरमणि द्वारा लिखी एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी है। सन् 1912 में जब अंग्रेजों ने यह देखा कि सम्पूर्ण नौकरशाही पर कुछ गिने-चुने लोगों का एकाधिकार है, तमिलनाडु की सम्पूर्ण प्रशासकीय सेवाएं और अधिकांश जनता इससे परेशान है तो तब उन्होंने इसका औचित्य समझा और 1912 में सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक रायल कमीशन नियुक्त किया, मैं यहां जाति की बात नहीं कह रहा हूं परन्तु दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से। जिनके हितों को धक्का पहुंचा वे ब्राह्मण लोग थे। उन सब में से जो भी कमीशन में साक्ष्य देने गए उन्होंने यही कहा, नहीं, आरक्षण नहीं कीजिए ; अन्यथा कार्य कुशलता में कमी हो जाएगी, योग्यता कम हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि इन सेवाओं में उनका एकाधिकार, उनका आधिपत्य समाप्त हो जायेगा। उन सभी ने इसका विरोध किया। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों ने इसकी मांग की और कमीशन ने उनके लिए आरक्षण किया तथा बाद में इससे विवाद उत्पन्न हुआ, समाज में सामाजिक तनाव पैदा हो गया, अंततः अपने राजनीतिक शक्ति के आधार पर तमिलनाडु में जन-शक्ति का उदय हुआ तथा उन्होंने वहां आरक्षण किया, उन्होंने तमिलनाडु में 68 प्रतिशत तथा कर्नाटक में 62 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त किया।

महोदय मैं किसी भी समुदाय के किसी गरीब लड़के या लड़की के विरुद्ध नहीं हूं, मुझे उनके प्रति उतनी ही सहानुभूति है जितनी किसी अन्य से, मैं इस सदन में हर जाति तथा समुदाय के युवकों तथा युवतियों के लिए रोजगार की मांग कर रहा हूं। प्रत्येक युवक तथा युवती को नौकरी प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, पर इसके साथ ही हम अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते।

महोदय, आप आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश में जब प्रधान के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, तो अनुसूचित जाति के लोग बहुत कम निर्वाचित हो पाते थे, क्योंकि लोग उनके वोट खरीद लेते थे। परन्तु जब प्रत्यक्ष चुनाव होने लगा तो, उन्हें उनका हक मिला और वे निर्वाचित हुए। मैं कहता हूं, आज जबकि राजनीति पैसे की राजनीति बन गई है, संसद व राज्य विधान सभाओं में यदि आरक्षण नहीं होता तो गरीब लोगों का इनमें आना और निर्वाचित होना बहुत ही कठिन हो जाता। आरक्षण के बल पर ही समाज में उनका स्तर उठ पाया है। उन्हें कम से कम इस बात

की संतुष्टि है कि जब भी उनके हितों पर आघात पहुंचेगा, जब भी उनके प्रति भेदभाव बरता जाएगा, उनके प्रतिनिधि इसके विरोध में आवाज उठाएंगे। अतएव मैं यह कहता हूं कि योग्यता और कुशलता का यह तर्क समाज के इन पिछड़े वर्गों के साथ न्याय न करने के लिए एक बहाना मात्र है।

एक अन्य बात यह कही जाती है कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। कैसा जातिवाद ? इससे किसे मदद मिलेगी ? जातिवाद का लाभ किसे प्राप्त हुआ है ? जातिवाद से केवल उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचा है जो जन्म से ही यह सोचते हैं कि "मैं उच्च जाति का हूं इसलिए मेरा यह अधिकार है कि तुम जब भी मेरे पास आओ तो दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते करो।" वह यह सोचता है कि "मैं जन्म से ही उच्च जाति का हूं, इसलिए मुझे मंदिर जाने का अधिकार है, मैं पुजारी बन सकता हूं।" वह सोचता है "मैं उच्च जाति का हूं इसलिए मैं चारपाई पर बैठ सकता हूं पर तुम मेरे सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकते।" जातिवाद से किसे फायदा पहुंचा है ? जातिवाद से केवल उच्च जाति के लोगों को फायदा पहुंचा है। इसलिए ये लोग ऐसे जातिवाद की हिमायत करते हैं। जातिवाद से इन्हीं लोगों को लाभ मिला है। अतः मैं कहता हूं इससे जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। ये सब समाज में निहित स्वार्थ रखने वाले उन लोगों के बहाने मात्र हैं जो समाज के पिछड़े वर्गों की उन्नति नहीं चाहते हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री जयराम वर्मा ने कहा कि दक्षिण में असंतोष नहीं है। क्यों ? क्योंकि सौभाग्यवश दक्षिण में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों में एकता है। दुर्भाग्यवश, उत्तर में एकता नहीं है। मैं कहता हूं कि यह पिछड़े वर्गों के लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि वे यह देखें कि पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोगों में एकता हो। वे अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध दमनकारी भावना न रखें। उन्हें अनुसूचित जाति के अपने भाइयों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति के लोगों की एकता से ही एक नई सामाजिक-आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है।

भारत में एक नई सामाजिक-आर्थिक क्रांति की जरूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक गरीबी है। उन्होंने कहा "मैं सभी प्रकार के सामाजिक-आर्थिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष कर रहा हूं। क्या माननीय गृह मंत्री यह कहेंगे कि हमने अपने समाज से सामाजिक आर्थिक भेदभाव को समाप्त कर दिया है ? हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसलिए भारत में एक नई सामाजिक-आर्थिक क्रांति की जरूरत है और वह तभी आ सकती है जब इन वर्गों में एकता होगी और इन्हें एक होना होगा।

महोदय आज जबकि भारतीय संसद में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर बहस चल रही है, यह राष्ट्रीय आवश्यकता है कि संसद-समाज के उन पिछड़े वर्गों को उन्नति करने की गारन्टी प्रदान करे जो कि अपनी गलती से नहीं पिछड़े हैं वरन् इसलिए कि उनके लिए स्कूल व कालेज के दरवाजे बन्द कर दिए गए, क्योंकि उन्हें सुअवसर प्रदान नहीं किए गए और क्योंकि उन्हें उन लोगों में गिना गया जिसका काम दूसरों की सेवा करना था।

एक नई जागृति की भावना पैदा हुई है और इसके लिए मैं भारतीय संविधान निर्माताओं के प्रति बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने विवेक से यह निर्णय लिया कि भारतीय

जनता को चाहे वह गरीब हो या अमीर, वयस्क मताधिकार मिले और इस वयस्क मताधिकार से एक नई जागरुकता और चेतना का उदय हुआ है। माननीय गृह मंत्री यदि आरक्षण संबंधी कुछ आंकड़े प्रस्तुत करें तो मैं उनका बड़ा आभारी रहूंगा। मैं जानता हूं कि वे इसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे और कहेंगे कि जाति के आधार पर जनगणना नहीं की गई है और इस आधार पर सभी तथ्य एकत्र करना बहुत कठिन है। मैं इस संबंध में सम्पूर्ण देश की वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूं।

पिछड़े वर्गों से संबंधित कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों में से दो तिहाई लोगों के प्रति वायदों और प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया है।

दूसरे समुदाय—मुस्लिमों की क्या स्थिति है ? मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूं। स्वाधीनता पूर्व इस देश में प्रतिभावना तथा योग्य मुस्लिम लोग नौकरियां प्राप्त कर लेते थे पर स्वीधीनता के बाद की क्या स्थिति है ? सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों की संख्या वर्ष-प्रति-वर्ष घटती जा रही है। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। क्या इस देश के सभी योग्य लोग देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए ? क्या यह सही है ? नहीं। यह केवल इसलिए हुआ कि उच्च स्थानों पर आसीन लोगों में साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह व जातिगत पूर्वाग्रह है और इन लोगों के कारण इन वर्गों के लोगों को हानि उठानी पड़ रही है।

एक प्रश्न और उठाया जा रहा है। तथाकथित उन्नत समुदाय के लड़कों व लड़कियों की क्या स्थिति है। वे भी गरीब हैं। मैं उनके साथ हूं। यदि भारतीय संसद उसके हितार्थ कोई उपाय निकालती है, तो मैं इसके लिए उनके पक्ष में हूं। संभवतः इस दिशा में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने एक मार्ग बताया है। इसमें तथाकथित उन्नत समुदाय के उन लड़कों व लड़कियों पर भी ध्यान दिया गया है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तथा गरीब हैं।

भारत सरकार को यह मानना चाहिए कि इन तीन समुदाओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? क्योंकि मेरी राय में संसद तथा विधान सभाओं में केवल इन वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना ही पर्याप्त नहीं है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक सेवाओं, प्रशासनिक तन्त्र में उनके द्वारा भाग लिए जाने को सुनिश्चित किया जाय। क्यों ? क्योंकि प्रशासनिक सेवाएं व नौकरशाही ही नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करने के बड़े महत्वपूर्ण साधन हैं। अच्छे-अच्छे कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। संसद पंचवर्षीय योजनाजों योजना-दर-योजना को पारित कर सकती है। परन्तु उन्हें क्रियान्वित कौन करेगा ? चूंकि इसे क्रियान्वित करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार नौकरशाही है और इसलिए यदि इसके लिए राशि निश्चित की जाए तो भी वह उपयोग में नहीं लाई जाती और वह व्ययगत हो जाती है। यदि आप धन देते हैं तो उसे अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। यदि आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे सैकड़ों तरीके अपनाए जाते हैं जिससे यह धन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अतः नौकरशाही, प्रशासनिक सेवाएं, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रजातंत्र में ये सेवाएं महत्वपूर्ण हैं और प्रतिनिधित्व वाले प्रजातंत्र में समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि यह प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि

कुछ कानूनी कठिनाइयां हैं इसलिए मंडल आयोग ने कहा है कि समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। यदि इसमें कुछ कानूनी अड़चने आती हैं, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय निर्णय देता है। उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित किए गए कुछ अधिनियमों को गलत करार देता है। हम संविधान में तत्काल संशोधन करते हैं और नया विधान लाते हैं और यदि उच्चतम न्यायालय इस विधान पर अपना निर्णय देता है चाहे वह निर्णय उलट हो चाई वह निर्णय अधिकतर लोगों के हितों के प्रतिकूल हो। सरकार संविधान में संशोधन करने और इसे प्रभावकारी बनाने के संबंध में गम्भीरता से विचार क्यों नहीं करती ? मैं मांग करता हूं कि पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी ऐसा संवैधानिक उपबन्ध किया जाना चाहिए जैसाकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में किया गया है। इसलिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

मंडल आयोग ने अन्य महत्वपूर्ण बातों की ओर भी ध्यान दिलाया है। आयोग ने यह भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है, अथवा इस उद्देश्य के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था किसी भी समाज में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है और मंडल आयोग ने आमूल भूमि सुधारों की सिफारिश की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे। शासक दल इन सभी बातों की निगरानी करता रहता था।

स्वयं प्रधान मंत्री इन बातों की निगरानी करती रहीं थीं कि भूमि सुधारों का उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं।

परन्तु बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें भूमि सुधारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कोई भी भूमि सुधारों की ओर ध्यान नहीं देता है। यदि आप बिहार जाएं तो देखेंगे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्ष बाद भी भूमि सम्बन्धी उचित रिकार्ड ही नहीं रखा जाता। यह खेद की बात है। हमें मालूम है कि हमारे देश में ऐसे परिवार हैं जिनके पास हजारों एकड़ भूमि बेनामी है। इसकी जांच करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। हमने सुना है कि बड़े-बड़े दावे दिए गए हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भूमि दी जा रही है। महोदय, आप मुझे बताएं कि आपके अनुभव के अनुसार वहां की कैसी स्थिति है। क्या ये लोग सबसे गरीब नहीं है ? ये लोग कौन हैं जो कि जनसंख्या का आधे से भी ज्यादा हैं, इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं वे कौन हैं ? क्या माननीय गृह मंत्री जी इसके आंकड़े देंगे ? 90 प्रतिशत लोग जो आज गरीबी की रेखा से नीचे हैं इसी समुदाय के हैं। 10 प्रतिशत बेरोजगार युवक जो कि नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं, जो निराश हैं, जिनका मनोबल गिर रहा है और जो लुटेरे और डाकू बन रहे हैं और जिनका भविष्य में कोई विश्वास नहीं है, वे इसी समुदाय और समाज के इन्हीं वर्गों के हैं। इसलिए, मैं यह कहता हूं कि यह सब हमारे उन उच्च आदर्शों के अनुरूप होगा जिनको लेकर हमने अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी थी। स्वतन्त्रता की लड़ाई में यह उद्देश्य स्पष्ट था कि हम केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी जी लोगों को हमेशा याद दिलाते रहते थे कि "जमींदारी प्रथा समाप्त करनी होगी क्योंकि जमींदारी प्रथा शोषण करने वाली प्रथा है; जमींदारी प्रथा को इसलिए भी खत्म करना है ताकि भूमि खेतिहरों को दी जा सके"। आजादी के बाद यह

नारा नहीं था। आजादी से पहले यह नारा था जिसने इस देश के लाखों भूमिहीन लोगों और श्रमिकों को प्रेरित किया था और वे राष्ट्रीय आन्दोलन का अंग बन गए थे। इस देश के लाखों युवक स्वतन्त्रता संग्राम में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि, "स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश हमारा होगा ; हम देशशासक होंगे।" निस्सन्देह, अधिकतर लोग सतर्क थे। श्री डागा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और मैंने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के लोग अपने आर्थिक पिछड़ेपन और निरक्षरता के बावजूद भी राजनैतिक रूप से बहुत समझदार हैं। उन्होंने बार-बार अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है; वे सरकारें बदलते रहे हैं; वे अपना असन्तोष जाहिर करते रहे हैं ; वे एक नये रास्ते की तलाश में रहे हैं ; परन्तु उन्हें वह रास्ता नहीं मिला। दुर्भाग्यपूर्ण बात केवल यह है कि अपनी सरकारें चुनने के बाद जब उन्हें अपनी भूमिका नहीं निभानी होती तो उन्हें अगले पांच वर्षों तक चुप्पी साधनी पड़ती है। भारतीय जनता ने सही समय पर अपनी सतत और सही भूमिका अदा की है। उन्हें एक नये परिवर्तन, नये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए सजग रहना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि देश में एक नये प्रकार की सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति की जरूरत है। मैं यह कहता हूं कि सरकार को बिना किसी हिचकिचाहट के मंडल आयोग की सिफारिशें मान लेनी चाहिएं जिसमें कि पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिस की गई है। मेरा दल उनकी जनसंख्या के अनुसार सरकारी सेवाओं में उन्हें प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करता है। यह आरक्षण कम से कम अगले 20 वर्षों के लिए किये जाने चाहिए। 20 साल के बाद हम दोबारा बैठकर इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि हमने उनके लिए कितना किया। हमें मालूम है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित-जनजातियों के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए किए गये थे। क्या हमें वहां अधिक सफलता मिल सकी ? हमें वहां अधिक सफलता नहीं मिल पाई।

आंदोलनों का भी जिक्र किया गया है। गुजरात आन्दोलन और बिहार आन्दोलन में शामिल होने वाले लोग कौन थे ? ये लोग केवल वही लोग हैं, जो 1912 में रायल कमीशन के पास गए और जिन्होंने तमिलनाडु में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का विरोध किया था। यही लोग आज भी कमजोर वर्गों को इस प्रकार की सुविधाएं दिए जाने को सहन नहीं करते। इसलिए इसके पीछे निहित स्वार्थ हैं।

आरक्षण ही केवल इसका हल नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें इस देश में संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं को बदलना है ताकि गांवों में रहने वाले 80 प्रतिशत लोग जो लोग शहरों के गन्दे इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें जीवन की अनिवार्य अवश्यकर्ताओं में उच्च प्राथमिकता दी जा सके। निःसन्देह भारतीय अर्थ व्यवस्था का विकास हो रहा है। भारत ने तरक्की की है। परन्तु आजादी के 35 वर्षों के बाद हम कहां पहुंच गए हैं ? भारतीय संसद को एक आयोग नियुक्त करना चाहिए या भारतीय संसद को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करनी चाहिए जो इस मामले की जांच करे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस समय प्रो० महलानोबिस समिति नियुक्त की थी। भारतीय संसद को भी एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करनी चाहिए जो इन मामलों की जांच करे और यह पता लगाए कि, आजादी के 35 साल बाद भी देश में 10% लोग 90% लोगों पर कैसे हक जमाए हुए हैं और देश में सरकारी सेवाओं के केवल 10%

लोग 90% पर कैसे हक जमाए बैठे हैं। इसलिए, चाहे सरकारी सेवा हो या औद्योगिक उत्पादन हो या जमीन हो, 10% लोग ही मालिक बन गए हैं। और 90% लोग उनके नौकर बन गए हैं। और ये लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसे बन गए हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं यह कहूंगा कि इस बात के बावजूद भी कि हमें आदर्श दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, हमें बहुत उच्च सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए, परन्तु हमें वास्तविकताओं को नहीं भूलना चाहिए।

महोदय, आज मैंने भी देख लिया है और शायद आपने भी देख लिया होगा और मुझे विश्वास है कि आप इस बात को नजरअन्दाज नहीं करेंगे। पंजाब सरकार ने सभी समाचारपत्रों में एक विज्ञापन दिया है, 'देखिए, सिखों के साथ भेदभाव नहीं बरता गया। सिखों के लिए बहुत कुछ किया गया है। बहुत से उच्च अधिकारी, बहुत से पुलिस महानिरीक्षक, बहुत से जज और बहुत से अध्यक्ष सिख हैं और यहां तक कि भारत का राष्ट्रपति भी एक सिख है। तो फिर, आप सिखों के साथ भेदभाव का प्रश्न क्यों उठाते हैं? यह प्रश्न इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि यह वास्तविकता है। कभी-कभी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा और वे इसका विरोध करते हैं। यदि मुस्लिम समुदाय भी इसी प्रकार विरोध करे तो आप उसे साम्प्रदायिकता का नाम देंगे क्योंकि वे राष्ट्रवादी नहीं हैं और उनकी वफादारी पर शक किया जाता है। यदि वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो वे साम्प्रदायिक बन जाते हैं यदि अनुसूचित जाति के लोग इसकी मांग करते हैं तो जातिवादी बन जाते हैं। यदि पिछड़े वर्ग अपने उचित प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं तो वे प्रतिक्रियावादी कहे जाते हैं। सरकार को इस प्रकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अब महिलाएं भी सम्मिलित हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। यह तो दृष्टिकोण और भावना का प्रश्न है। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जो हर समय यह कहती रही हैं कि वे गरीब लोगों के लिए एक 20 सूत्री कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम ला रही हैं, उन्हें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि इस भय का क्या कारण है? यदि आपको कोई डर है कि पूंजीवादी वर्ग और निहित स्वार्थी लोग सुदृढ़ हो रहे हैं और यदि आपको इस बात का डर है कि वे इकट्ठे होकर आपका विरोध करेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी और आप निहित स्वार्थी लोगों के समक्ष आत्मसम्पर्ण कर देंगी। क्या ऐसा ही होने जा रहा है?

इसलिए मैं यह कहता हूं कि सरकार की यह नैतिक और सांवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करे और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान को भी ईमानदारी से लागू करे और इस पर गम्भीरता से विचार करे तथा अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण करे।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : पहले तो मैं सरकार को इस बात की बधाई दूंगा कि उसने मण्डल आयोग की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा करने का अवसर दिया।

वास्तव में संविधान में जो भी मामले अनिर्णित छोड़े गए थे वे हमेशा समस्या खड़ी करते रहे हैं। आर्थिक हितों के सम्बन्ध में जब मैं संविधान के कुछ अनुच्छेदों का अध्ययन करता हूं तो मैं इसे बहुत रुचिकर पाता हूं और मुझे बहुत हैरानी भी होती है कि इन मामलों को बिना हल किए ही छोड़ दिया गया है। संविधान निर्माताओं के समक्ष एक मामला यह था कि पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक वास्तविक मापदण्ड निर्धारित किया जाए। इसलिए, उन्होंने अनुच्छेद 340 के अधीन इस समस्या को सुलझाने का मौका दिया। इसके आधार पर पहला पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया था और इसकी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की गई थी और विचित्र बात तो यह है कि इसके चेयरमैन, काका कालेलकर को भी इसके उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे और इसके 11 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने विमत टिप्पणी की थी। इसके अलावा, उन्होंने स्वयं भी कहा है कि सरकार यह महसूस करती है कि आयोग ने जनसंख्या के एक बहुत बड़े वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया है।

उन सभी लोगों को विशेष रियायतें दी जानी चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद हों। जो मानदण्ड निर्धारित किया गया है आज भी वह उतना ही महत्वपूर्ण है।

शहरीकरण, औद्योगीकरण, व्यापक शिक्षा और इन सब से ऊपर वयस्क मताधिकार प्रणाली लागू करने के बावजूद हम क्या देखते हैं ? स्वर्गीय श्री मंडल के शब्दों में जातिगत आधार में परिवर्तन हुआ है परन्तु जातिगत ढांचा अभी वैसा का वैसा ही है। इसलिए, जातियों के महत्व को कम करने का और इन वर्गों के लोगों का पता लगाकर उन्हें रियायत न देने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब हम समानान्तर स्थिति पर गौर करते हैं। मैंने श्री यादव का वक्तव्य सुना है जिन्होंने एक नई दिशा यह सुझाई है कि यह मानदण्ड न केवल जातिगत आधार पर होना चाहिए बल्कि इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो वास्तव में गरीबी का शिकार हो रहे हैं चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हों। उन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिये। यह एक समस्या है और यह समस्या पैदा की गई है। इन परिस्थितियों में, यहां तक कि अध्यक्ष महोदय श्री काका कालेलकर को भी इस विषय की प्रमाणिकता के बारे में बहुत संदेह था। इसलिए, इस सारे मसले को ऐसे ही छोड़ देने के बजाये जैसा कि हमारे मित्र महोदय ने बताया है, हमें एक बात जान लेनी चाहिये। यह कहा जाता है कि अनेकों राज्य सरकारों को लिखित में यह आदेश दिये हैं कि वे मानदण्ड निर्धारित करके इन लोगों का पता लगायें और इनके उत्थान के लिये काम करें। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों का कार्य काफी उत्साहवर्द्धक रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा 1961 में दिये गये मानदण्ड निर्धारित करने संबंधी आदेशों के परिणाम स्वरूप भी ऐसा हुआ है। विभिन्न राज्य सरकारों को कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पिछड़े वर्गों की स्थिति अच्छी है। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल और पश्चिम बंगाल तक में स्थिति अच्छी है। इसलिए सरकार का इरादा नेक है। सरकार वास्तव में इस समस्या को हल करना चाहती है और स्थिति पहले से अच्छी है। जब तक इन लोगों के लिए लक्ष्य संबंधी मानदण्ड निर्धारित नहीं कर दिये जाते तब तक हम संसद सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पायेंगे। यहां तक कि संविधान सभा में भी इस प्रश्न पर न तो समुचित विचार विमर्श हुआ था और न ही कोई निर्णय किया गया था। इसलिये, यदि हम लक्ष्य सम्बन्धी मानदण्डों के बारे में

कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वास्तव में हमारी माननीय प्रधान मंत्री जी एक विदाई समारोह में उपस्थित थीं और यह देखकर कि इस समस्या का जिस प्रकार से समाधान किया जा रहा है उन्हें प्रसन्नता हुई थी। बाद में श्री बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। उसने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। 25 वर्षों के बाद उसने कुछ मानदण्डों का निर्धारण किया है और उनके आधार पर उसने यह सिफारिश की है कि ओ० बी० सी० के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिये। जिसके लिये यहां बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह भी कहा गया है कि यदि एक बार आरक्षण दे दिया गया तो इससे अन्य लोगों में भयंकर प्रतिक्रिया होगी और इससे अक्षमता भी पैदा होगी। इससे उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो आज भी अच्छी स्थिति में हैं। ये बातें बहुत ठोस तर्कों पर आधारित नहीं हैं क्योंकि जैसा कि हमारे मित्रगण कहते हैं कि "हमने संसदीय समितियों में और आरक्षित कोटे में चुने गये व्यक्तियों के साथ काम करके यह अनुभव किया है कि प्रशासन इन लोगों की समस्याओं को सुलझाने के प्रति पूरे प्रयास किए हैं।

क्या यह कहना सही है कि जो लोग मैरिट या योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, वह पूर्णतया कुशल, मेहनती, ईमानदार और कर्तव्यपरायण हैं ? यह बात सही नहीं है। इसलिए अपने अनुभवों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वह लोग जो आरक्षण के आधार पर चुने गए हैं, घटिया स्तर के नहीं हैं। क्योंकि वे लोग कठिनाइयों में पले हैं और आम जनता की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह परिचित हैं इसलिए वे उनकी समस्याओं को पूरी तरह से हल कर सकते हैं।

एक और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची में जातियों को शामिल करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करके समस्या को कम कर दिया गया है। महोदय, 1978 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए एक संसदीय संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया था। मैं भी उस संयुक्त प्रवर समिति का सदस्य था। समिति ने देश के सभी भागों का दौरा किया और जहां कहीं भी हमने बैठक की वहीं अनेकों अभ्यावेदन हमारे पास पहुंचते रहे। हमने तो जातियों को इस सूची में शामिल करने का एक ही मानदण्ड रखा कि वह जाति अस्पर्श्यता के कलंक से पीड़ित है या नहीं और इस प्रकार यह समस्या हमारे लिए बड़ी आसान हो गई। जहां हमें यह मालूम हो गया कि किसी जाति विशेष के लोग अस्पर्श्यता के रोग से कलंकित हैं हमने उन्हें इस सूची में शामिल कर लिया अन्यथा उन्हें इस सूची से बाहर रखा दिया। यही स्थिति जनजातियों के बारे में भी रही। जब एक मानदण्ड निर्धारित कर दिया जाता है तो समस्ता बहुत आसान हो जाती है। इसी प्रकार से जब मंडल आयोग या काका कालेलकर आयोग ने इसकी जांच की थी तो उनके सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य या मानदंड नहीं था। इसलिए उन्हें परेशानी हुई। जब उन्होंने 2000 जातियों को शामिल किया तो आयोग के सदस्यों ने कहा कि इससे हमारा मूल प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा। इसलिए उसमें विश्व टिप्पण भी रिकार्ड किया गया था और इसलिए सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकी थी।

महोदय, कुछ बातों में मंडल आयोग की रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है और इसलिए उन सिफा-

रिशों को बिना किसी झिझक के कार्यान्वित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब मैंने इस आयोग की रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि कुछ बातों में संशोधन होना जरूरी है। आरक्षण के बारे में अपनी सिफारिश देते हुए आयोग ने अनारक्षण का भी उल्लेख किया है मैं इस अनारक्षण प्रणाली का पूर्णतया विरोध करता हूं जिसका इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। अनारक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम जिस मात्रा में आरक्षण कर सकते हैं उतना ही अनारक्षण भी कर सकते हैं, जिस प्रकार सावधानी से टोंटी का नियंत्रण करके जिस मात्रा में पानी भरा जा सकता है उतना ही निकाला भी जा सकता है। महोदय, वास्तविक स्थिति तो यह है कि संविधान में इस उपबंध के मौजूद होने के 30 साल बाद भी विभिन्न सेवा संवर्गों में अभी तक भी भारी अन्तर (बैकलाग) चला आ रहा है और इसलिए आज तक वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है जिसके लिए यह आरक्षण नीति अपनाई गई थी। इसलिए अनारक्षण को पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए।

महोदय, एक बात में तो वह एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी आरक्षण का सुझाव दिया है। सरकारी क्षेत्र में तो सीमित ही अवसर हैं परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र को भी जिसे सरकार से विशेष सहायता मिलती है इन वर्गों के लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहियें।

महोदय, जो कुछ मैंने कहा है इसके अतिरिक्त भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून बनाने से ही समस्या का हल नहीं निकल सकता। यह हमारा अनुभव रहा है कि केवल कानून बना देने से ही समस्या नहीं हल की जा सकती। एक ऐसी निगरानी व्यवस्था भी होनी चाहिए जिसके द्वारा आप यह पता लगा सकें कि इन उपबंधों को कहां तक लागू किया गया है और यदि उन्हें लागू नहीं किया गया है तो उन्हें किस तरह से लागू किया जाए। महोदय, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी एक संसदीय समिति है। इसका कार्य केवल शिफारिश करना है वह कार्यवाही नहीं कर सकती। इसी प्रकार एक आयोग है जिसमें आप अध्यक्ष थे और आपने एक रिपोर्ट दी थी तथा आपके उत्तराधिकारी ने भी एक रिपोर्ट दी है लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब तक कोई ऐसी निगरानी व्यवस्था नहीं होगी जिसके द्वारा आप इसका मूल्यांकन कर सकें इसका कार्यान्वयन नहीं हो सकेगा और वह उद्देश्य जिनके लिए कानून बनाये गये हैं, पूरे नहीं हो पायेंगे।

एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा करने का उल्लेख किया है। मेरा ख्याल है कि इस अवधि को घटाकर 10 वर्ष कर देना चाहिए। हम उनके कार्य निस्पादन की समीक्षा कर सकते हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर तथा समय-समय पर दिये गये सुझावों के आधार पर लोकतांत्रिक ढंग से परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए, यदि हम हर दस वर्ष बाद इस प्रकार की समीक्षा करते हैं तो ऐसे परिवर्तनों को हर दस वर्ष में करना चाहिए। हम अपनी पद्धति को भी संशोधित कर सकते हैं। महोदय, कानून परिवर्तनशील होना चाहिए। अतः ये सभी बातें की जा सकती हैं। महोदय, सरकार इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए बहुत उत्सुक है। क्योंकि हमें पिछड़े वर्गों का निर्णय करने अथवा उनकी पहचान करने के लिए एक लक्ष्यात्मक मानदण्ड तलाश करने में कठिनाई हो रही है। इसलिए, 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है। जब हमने इस कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश में लागू किया

तो हमें यह देखकर भारी प्रसन्ता हुई कि इससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो गईं और यहां तक कि इसके लिए संविधान या कानून में किसी उपबंध विशेष जोड़ने की भी जरूरत नहीं हुई। इससे निर्धन वर्गों की आवश्यकताओं को समुचित रूप से पूरा किया गया। हमें इस बात की भी भारी प्रसन्नता है कि सरकार ने वास्तव में रिपोर्ट को स्वीकृत किये बिना ही पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछड़े वर्गों के लिए वित्त निगम की व्यवस्था करने सम्बन्धी सिफारिश का कार्यान्वयन कर दिया है जिसके बारे में मंडल आयोग की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उनकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक हमारे सारे प्रयास पूरी तरह निष्फल होते रहेंगे। सरकार पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों तथा समाज के अन्य निर्धन वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रति पूरी तरह सजग है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है और उसका परिणाम भी अवश्य निकलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम प्यारे पनिका : वक्तव्यों के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य को चाहे वह किसी भी दल के हों, 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल है सदन इस बात से सहमत होगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री भगत।

श्री बी० आर० भगत : (सीतामढ़ी) कृपया मुझे कुछ अधिक समय चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि जब मंत्री जी आपकी बातों का उत्तर देंगे तो आप में से यहां कोई नहीं होगा।

श्री बी० आर० भगत : उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज सुबह हम 150 संसद सदस्यों ने जो सभी दलों के थे, प्रधान मंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उनसे यह अपील की गई है कि वह मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करें तथा उसे कार्यान्वित करें। आज का वाद-विवाद हम किसी आम सहमति की प्रक्रिया पर पहुंचने के लिए कर रहे हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे वास्तविक रूप से प्रशंसा है।

जो वाद-विवाद अभी यहां चल रहा है उससे इस तथ्य पर जोर पड़ता है कि यह मूल समस्या जो अभी तक भी नहीं सुलझ पाई है, किसी एक दल की नहीं है। इसे दलगत आधार पर हल नहीं किया जा सकता है। सदन का हर वर्ग और देश इससे पूरी तरह सम्बन्धित है और हमें

पूरी आशा है कि हमारी प्रधान मंत्री एक ऐसी नेता हैं जो समयानुकूल कार्यवाही करेंगी और इस मूल समस्या को हल करने का भरसक प्रयास करेंगी। मुझे तो यह भी आशा है कि यह वाद-विवाद जिसमें सदन के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया है, आम सहमति पर पहुंचने में सहायक होगा जिससे सरकार को इस समस्या का समाधान खोजने में सुगमता होगी।

इसके पश्चात मैं इस समस्या के कुछ मूलभूत पक्षों पर भी कुछ कहना चाहूंगा। इस रिपोर्ट के बारे में काफी भ्रम फैला हुआ है। इससे सम्बन्धित अनेकों ऐसे प्रश्न जिन्हें संविधान सभा में तय भी किया जा चुका है, यह कहने के लिए उठाये गए हैं कि इनमें ये-ये आधारभूत कठिनाइयां और बाधाएं हैं। मैं मंडल आयोग को ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं इसे एक 'वैज्ञानिक रिपोर्ट' की भी संज्ञा दी जा सकती है। ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिसे वैज्ञानिक रिपोर्ट कहा जा सके, इसमें न केवल ऐसा आधार अपनाया गया है जिसमें अधिकांशतः हर एक स्थान पर और हरेक राज्य में जाकर क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया है, बल्कि इसमें ऐसे अनुसंधान संस्थानों की मदद ली गई है जो इस मामले में एक वस्तुपरक राय दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, इस समस्या का एक कानूनी पहलू है, और वह है जाति को या आरक्षण की मात्रा को मानदण्ड माना जाए या नहीं। उन्होंने न्यायिक जांच की प्रक्रिया को अपनाया है। इस प्रश्न पर कई निर्णय दिए जा चुके हैं। उस आयोग ने अपनी ओर से निर्णय देने के बजाय सभी पहलुओं को विधि संस्थानों द्वारा जांच के लिए भेजा था और यह संस्थान बहुत ही प्रतिष्ठित निकाय है। इस संबंध में सभी कानूनी मामलों के बारे में कानूनी राय देने के लिए कोई और बड़ा निकाय नहीं हो सकता और उन्होंने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें विधि संस्थान की रिपोर्ट भी शामिल है। इस कानूनी पहलू से संबद्ध विभिन्न मामलों के बारे में उन्होंने स्पष्ट और सुनिश्चित राय दी है।

इसी प्रकार इस सम्बन्ध में सामाजिक पहलू भी है। पिछड़े लोग कौन हैं? पिछड़ेपन का मानदण्ड क्या है? यह काम टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान को दिया गया था और इसके लिये उन्होंने आधुनिकतम तकनीक अपनायी है। उन्होंने विशेषज्ञों की सूची भी दी है। उसमें सामाजिक क्षेत्र के कुछ विद्वान भी शामिल हैं और वे ऐसे लोग हैं जो इस समय सर्वोत्तम समाज शास्त्रियों में से हैं। नमूना सर्वेक्षण में उन्होंने यथासंभव वृहत नमूना लिया। इसमें प्रत्येक गांव को शामिल किया गया है और उन्होंने हरेक परिवार तक पहुंचने का प्रयत्न किया है ताकि पिछड़ेपन का मानदण्ड निर्धारित किया जा सके। नमूना सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप जो आंकड़े सामने आये हैं उन्हें कम्प्यूट्रिकृत किया गया ताकि जो परिणाम निकलें वे वस्तु परक और वैज्ञानिक दृष्टि से सही हों। इसलिए मूल विषयों के बारे में हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये और हमारे लिये यह निष्कर्ष निकालना सरल होगा कि मूल विषय कौन से हैं। उदाहरण के लिये, इस मूल विषय को लें कि क्या इस मामले पर यहां चर्चा के दौरान निर्णय किया जाये? यहां लोगों ने कहा कि सामाजिक-मानदण्ड ठीक नहीं है, जाति का मानदण्ड भी ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप इस समस्या को आर्थिक आधार पर हल करते हैं, यदि आप आर्थिक मानदण्ड अपनाते हैं, तब समस्या हल हो सकती है। आइये देखें कि हमारे संविधान में इस मामले पर क्या कहा गया है।

अब, विश्व के प्रत्येक संविधान में एक विशेष बात है। अमरीका के संविधान में शक्तियों के संतुलित वितरण संबन्धी विशेष व्यवस्था है। फ्रांस के संविधान में स्वतन्त्रताओं के बारे में एक

विशेष व्यवस्था है। इस प्रकार भारतीय संविधान में भी एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामाजिक आधार दिया गया है। इस सम्बन्ध में हमारा संविधान अनोखा है। मंडल आयोग ने संविधान सभा की चर्चाओं की सूची दी है। पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अनुच्छेद हैं···अनुच्छेद 16 (4), अनुच्छेद 46, जिनमें इन पिछड़े वर्गों को कमजोर वर्ग बताया गया है और उनकी उन्नति के बारे में उपबन्ध किया गया है और अन्ततः अनुच्छेद 340 में इन वर्गों का निर्धारण करने के लिये एक आयोग नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। तदनुसार, इस आयोग की नियुक्ति की गयी है और इससे पहले काका कालेलकर आयोग नियुक्त किया गया था। अब, इसका आधार क्या है। अगर आप संविधान सभा की चर्चाओं को देखें तो आप पायेंगे कि संविधान सभा में इस बात पर पूर्ण सहमति है कि भारतीय समाज में जाति एक ऐसा पहलू है जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, जाति एक ऐसा पहलू है जो विकास की गति को अवरुद्ध करता है। यह एक ऐसा प्रतिक्रियात्मक पहलू है जो गतिशील समाज को पीछे धकेलता है और इसलिये उन्होंने संविधान में यह व्यवस्था की है कि जाति-प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाये जायें जो प्रथम संशोधन के रूप में अनुच्छेद 15/47 में है जो संसद में किया गया था। धारणा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की है। यहां तक कि यह केवल सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ेपन की भी नहीं है। अतः एक सुस्पष्ट धारणा दी गई है यदि कोई पिछड़ा है तो उसका अर्थ है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिये और उन्हें परिभाषित करने के लिए हमारे संविधान में कहीं भी आर्थिक मानदण्ड नहीं दिया गया है।

पिछड़े वर्गों के बारे में एक और गलत धारणा है। कई उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने ऐसे कई निर्णय किये हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि वर्गों का अर्थ है जातियां। नागरिकों के एक वर्ग से अर्थ है एक जाति। कोई जाति, जिसे आमतौर पर शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई समझा जाता है, उसे पिछड़ी जाति माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में हम संविधान सभा की चर्चाओं को देखते हैं। डा० अम्बेडकर, प्रारूपण समिति के सभापति और जिन्हें हम आधुनिक मनु, विधि निर्माता, कहते हैं, ने इस विषय पर क्या कहा है। उन्होंने इसे पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। इस सम्बन्ध में कोई गलत धारणा नहीं है। उन्होंने संविधान सभा में एक घोषणा की थी :

"पिछड़े वर्ग और कुछ नहीं बल्कि कुछ जातियों का समूह है।"

अब हम देखते हैं कि हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में क्या कहा था ? उन्होंने अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 46 और 340 के बारे में विचार व्यक्त किये थे और उन पर इस दृष्टि से विचार किया था कि कोई सामाजिक संसक्तता बनाने और समाज में एकता बनाने तथा जातियों को समाप्त करने में उनका क्या महत्व है। उन्होंने कहा था :

"हमें इन सभी असीमित विभाजनों को समाप्त करना है जो हमारे सामाजिक जीवन में पनप रहे हैं। हम उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, जाति प्रथा आदि···"

उन्होंने कहा कि हमें इसे समाप्त करना है। इन प्रश्नों को उठाने कि यदि आप आरक्षण को लागू करते हैं यदि आप आरक्षण करते हैं तो इससे जातीय भावना पैदा होगी, इससे जाति

वाद को बढ़ावा मिलेगा, विशेयत्तर है। यह असंगत विषय को जबरदस्ती यहां लाना है और मूल विषय से हटना है।

यह मामला स्पष्ट है कि भारतीय समाज के सन्दर्भ में, जाति प्रथा से ग्रस्त हिन्दू समाज में, आपको दोनों मानदण्ड लागू करने पड़ेंगे···पहले सामाजिक, न्याय और उसके बाद आर्थिक न्याय।

अब मैं अनुच्छेद 340 पर आता हूं। अनुच्छेद 340 क्यों रखा गया था? यदि आप संविधान सभा की चर्चाओं को देखें तो पिछड़ा वर्ग एक सामान्य शब्द था और फिर इस बात पर चर्चा की गई थी कि पिछड़े वर्गों का निर्धारण जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग शामिल थे, कैसे किया जाये। ये दोनों शब्द बाद में आये। पिछड़े वर्गों का पता लगाने में जिनमें अनुसूचित जातियों का पता लगाना आसान था क्योंकि इनके बारे में एक आम कलंक है और वह है अस्पृश्यता। इसलिए उनका पता लगना आसान है। फिर दूसरा वर्ग है अनुसूचित जन जातियों का। अनुसूचित जन जातियों के रहने के स्थान एक ही जैसे थे। वे किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे थे जो मुख्यत: पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें पहले से ही कुछ ऐसे लड़ाकू लोगों ने ऐसे क्षेत्रों में रहने के लिए विवश कर दिया था। इसलिए उनका पता लगाना भी आसान था। अब प्रश्न यह उठा कि अन्य पिछड़े वर्गों का पता कैसे लगाया जाये। और उनका निर्धारण कैसे किया जाए जो पिछड़े वर्गों के सामान्य वर्ग के भाग में आते हैं। इसलिए अनुच्छेद 340 को संविधान में रखा गया है। यदि आप संविधान सभा में दिए गए डा० अम्बेडकर के भाषणों और विचारों को देखें तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक आयोग नियुक्त करना होगा जो अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगायेगा।

पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग, ने इस सम्बन्ध में काफी समझ-बूझ से काम किया है और आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया है जिसमें कम्प्यूटर भी शामिल है। इस आयोग ने वस्तुपरक अनुसंधान किया है और देश में शैक्षिक तथा अन्य सामाजिक तथ्यों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम इस सम्बन्ध में मतैक्य हो जायें तो हम सरकार को इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए राजी कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में कई बातें कहीं गयी हैं। मैं केवल कुछ का उल्लेख करूंगा। पूर्ववर्ती आयोग और इस आयोग ने भी यह कहा है कि जाति को मानदण्ड माना जाए। वास्तव में डा० अम्बेडकर ने स्वयं यह कहा था कि पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए केवल जाति ही मानदण्ड हो सकती है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि पिछड़े वर्गों के लोगों को जाति के अनुसार पहचाना जा सकता है। एक के बाद एक न्यायिक निर्णयों ने पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए जाति को ही मानदण्ड माना है, उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं। यह बात न केवल अधिकतर—उच्च न्यायालयों ने बल्कि उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों में भी मानदण्ड के रूप में मानी गई है।

इस प्रकार आरक्षण-मात्रा के प्रश्न को लें। यह ठीक ही कहा गया है कि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का सम्बन्ध है आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। यह लगभग 22·5 प्रतिशत है। पिछड़े वर्गों के प्रश्न पर इस आयोग ने 1931 की जनगणना के आंकड़ों का बहिर्वेशन करने की तकनीक को अपनाया है और इस अवधि में जनसंख्या में हुई वृद्धि

कीदर को भी ध्यान में रखा है। इस आधार पर उन्होंने आंकड़े निर्धारित किये हैं जो लगभग सही हैं। भारतीय साख्यिकी संस्थान और अन्य सभी प्रतिष्ठित सांख्यिकी निकायों इस बहिर्वेशन प्रक्रिया को वैज्ञानिक माना है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़ों को सुनिश्चित माना जा सकता है। हमारे पिछड़े वर्गों में देश की लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या आती है। फिर उन्होंने कहा कि इस मामले में आरक्षण 27 प्रतिशत होना चाहिये। और उन्होंने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को माना है कि संवैधानिक और समता की दृष्टि से यदि मैरिट पर प्रभाव न पड़े तो कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। कम-से-कम इससे मैरिट का प्रश्न भी तय हो जाता है।

अब मैं हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा मैरिट के बारे में दिए गए निर्णय का जिक्र करता हूं जिसमें कहा गया है कि सभी प्रकार का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के 50 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी निदेश को पूरा करने के लिए, अनुसूचित जातियों और जन जातियों जिनका आरक्षण 22·5 प्रतिशत है, के अलावा पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किया जाना चाहिये। यह बात सर्वाधिक सही है। मैं समझता हूं कि यदि इसे नहीं माना गया और लागू नहीं किया जाता तो यह हमारे राष्ट्रीय जीवन में सबसे बड़ी त्राइसदी होगी।

अपने हाल ही के निर्णय में न्याय मूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने कहा कि 50 प्रतिशत के आरक्षण को भी बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में कुछ राज्य हैं जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु जहां कई तरीकों से उन्होंने 68 प्रतिशत तक आरक्षण कर दिया है। श्रीमान्, मैं उच्चतम न्यायालय के एक बहुत ही प्रमाणिक और अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय से उद्धृत करता हूं जो सुभाषिनी बनाम मैसूर राज्य के मामले में आरक्षण की मात्रा के बारे में है। उस निर्णय में कहा गया है :

यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसका इस पर प्रभाव पड़ता है। इसमें कहा है कि :

> "सामाजिक तथा वैज्ञानिक रूप से पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अतिरिक्त अन्य वर्गों के लिए आरक्षण की वैधता, अनुच्छेद 14 की अपेक्षाओं के आधार पर परखी जानी है....."

अनुच्छेद 14 अर्थात् कानून के समक्ष समानता से यह स्पष्ट है, कि आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों के लिए है जिसमें तथाकथित उच्च-वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब भी अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं। इसमें और आगे कहा गया है :

> "ऐसे आरक्षण को अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत विशेष आरक्षण के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए....."

अर्थात सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। निर्णय में इसे विशेष आरक्षण कहा गया है। इसमें और आगे कहा गया है :

> "बालाजी मामले में निर्धारित उच्चतम सीमा..." इसमें निर्धारित किया गया है केवल 50 प्रतिशत आरक्षण होगा। इसमें कहा गया है :

"बालाजी मामले में निर्धारित उच्चतम सीमा केवल अनुच्छेद 15 (4) के अधीन किए जाने वाले आरक्षण के लिए लागू होती है। इसमें अन्य प्रकार से किया गया आरक्षण शामिल नहीं है।"

यह मामला तब उठा, जब कर्नाटक सरकार ने कमजोर वर्गों, महिलाओं अल्पसंख्यकों तथा उच्च वर्ग के अन्य गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, तथा उन्होंने उसे स्वीकृती प्रदान की। फिर भी कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से कहीं अधिक हो गया था।

अब जो प्रश्न बार-बार उठाया गया है, वह यह है। यह गुजरात में तब उठाया गया जब सभी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के खिलाफ यह आंदोलन प्रारम्भ हुआ। गुजरात कर्मचारी फैडरेशन जो कि बख्शी रिपोर्ट का विरोध कर रहा है तथा दाखिला देने में अनुसूचित जाति—पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जन जाति दोनों ही—के लिए आरक्षण का भी विरोध कर रहा है—उच्चतम न्यायालय तक गया और उसका कहना था कि इससे योग्यता प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनका मुख्य तर्क यह था कि 70 या 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल रहा है और पिछड़े वर्ग के एक विद्यार्थी को कम अंक प्राप्त करने पर भी अर्थात 60 प्रतिशत या उससे कम अंकों पर भी प्रवेश मिल रहा है, इससे चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार यह कहा जाता है कि सेवाओं में पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के कारण प्रशासनिक सेवा के स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष था; और उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने एक निर्णय दिया जिसे मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। उससे इस तर्क का समाधान हो जाना चाहिए कि आरक्षण के स्तर में गिरावट आती है। निर्णय में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में उठाया गया योग्यता या कार्य कुशलता का प्रश्न एक ऐसा होआ है जिसके पीछे कोई उपयुक्त तथ्य नहीं है। इस मुद्दे के बारे में यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है।

अतः, इन सभी मामलों पर, मानदण्ड यह है अर्थात क्या आरक्षण का आधार आर्थिक या सामाजिक या शैक्षणिक हो। हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक होना चाहिए। इसमें अन्य किसी चीज के लिए गुन्जाइश ही नहीं है। यह सामाजिक और शैक्षणिक ही होना चाहिए। आर्थिक मानदण्ड इसके नजदीक कहीं भी नहीं है। पिछले 20 वर्षों में आरक्षण के मामले में न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में यही कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में शैक्षणिक तथा सामाजिक पहलू ही एकमात्र सिद्धान्त है जो कि संविधान में प्रथम संशोधन के माध्यम से लाए गए थे। मूलतः अनुच्छेद 16 (4), 30 एवं 340 ही पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित थे। जब तमिलनाडु का साम्प्रदायिक आदेश रद्द किया गया था, तब प्रथम संशोधन अर्थात अनुच्छेद 15 (4) प्रथम संशोधन के रूप में इस सदन में लाया गया था। और इसमें कहा गया है कि यह सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। मेरा कहना है कि यह सच है कि लोगों को डर है, लोगों में एक भावना व्याप्त है—और यह इस रिपोर्ट में भी यह कहा गया है तथा कई माननीय सदस्यों ने भी यह कहा है—कि तथाकथित उच्च वर्गों के युवा लड़कों तथा लड़कियों के मन में यह डर उचित ही है कि यदि आरक्षण जारी

रहता है तो उन्हें अवसर नहीं मिल पायेंगे और उनके भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह सत्य है। डर वास्तविक ही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सभी वर्गों में बेरोजगार युवा लड़के और लड़कियां मौजूद हैं।

लेकिन यह कहना भी सच है कि अनुपातिक रूप में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में उच्च जातियों की अपेक्षा अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हैं। अपनी बड़ी संख्या के बावजूद उन्हें सरकारी सेवाओं में बहुत कम आरक्षण प्राप्त हुआ है जो कि सरकारी क्षेत्र में नगण्य है और निजी क्षेत्र में बिलकुल भी नहीं है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए सेनाओं में 22.5 प्रतिशत के आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन सेनाओं में उनका प्रतिशत केवल 7 है। श्रेणी एक की सेवा को ही लीजिए। श्री पासवान के पास आकड़े होंगे उनका प्रतिशत 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है जबकि 22.5 प्रतिशत होना चाहिए जो कि एक संवैधानिक गारंटी है। लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों की हालत बहुत बुरी है। मेरे राज्य में आरक्षण के मामले में सरकार ने थोड़ा-बहुत जो कुछ दिया है उसे इस आयोग ने अपर्याप्त बताया है, उसके बावजूद जातीय दंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी जातीय दंगे हुए हैं। हम इन्हें नजर अदाज नहीं कर सकते। अतः उसके बारे में मेरा उत्तर इस प्रकार है। इसके लिए पुनः यह आम राय बन रही है। मेरा कहना यह है कि आपको अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत 27 प्रतिशत आरक्षण का उपबन्ध करना चाहिए। उसके अलावा, आम उच्च वर्ग के गरीब लड़कों के लिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण का उपबन्ध रखें, जिससे उन्हें यह महसूस न हो कि उनका भविष्य धुन्धकारणय है। यह अनुच्छेद 15 (1) के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। तब आम विशेषकर उत्तरी राज्यों में उच्च वर्ग के युवाओं के साथ-साथ पिछड़ वर्ग के युवाओं, की वैद्य आकांक्षाओं के बीच समन्वय कर पाएंगे। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम उनके मध्य संबंधों में तालमेल बिठा सकते हैं। इस प्रकार समाज में और अधिक फूट नहीं होगी और इस प्रश्न को सुलझाने के लिए हिंसा नहीं होगी।

निदेशक सिद्धांतों में हमने कहा है कि हम सभी को रोजगार प्रदान करेंगे। संविधान में समाजवाद का उपबन्ध किया गया है। यदि सभी को रोजगार उपलब्ध किया जा सके, तो यह सभी प्रश्न नहीं उठेंगे। बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में केवल सरकार ही नियोजक संस्था है, क्योंकि वहां आर्थिक गतिविधि अधिक नहीं हैं, और औद्योगिक गतिविधि भी बहुत कम है। अतः वहां केवल सरकार ही प्रमुख नियोजक संगठन होने के कारण रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। वे लोग रोजगार के थोड़े से अवसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं है और रोजगार की आश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः अपर्याप्त हैं। अतः हमें भूमि सुधार सहित कुछ सामाजिक आर्थिक उपाय अपनाने चाहिए, जो कि असमानता को दूर करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सामन्तवाद और जातिवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे एक उद्धारण याद आता है। यह रिकार्ड में उपलब्ध है। छठे दशक के अंत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन का दौरा किया, माओ की उनसे बातचीत हुई। वे लोग चीनी तथा भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। पंडित जी ने माओ से पूछा "आप इस समस्या का सामना कैसे कर रहे हैं?" माओ ने कहा "मैं सामन्तवादी तत्वों की ओर से ही सबसे अधिक कठिनाई का सामना कर रहा हूं। लेकिन आपकी समस्या दुगुनी है। मैं सामन्तवादी तत्वों से निपट सकता हूं;

मैं सामन्तवाद बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। लेकिन आपके वहां सामन्तवादी और जातिवादी दोनों ही तत्व विद्यमान हैं। आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे ? मेरी आपसे सहानुभूति है।" माओ ने उस समय यह कहा था और इसी समस्या का सामना आज हम कर रहे हैं। अतः भूमि सुधार करके और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाकर आप सभी लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। मंडल आयोग ने अपने सामाजिक-आर्थिक उपायों के अन्तर्गत इनका समाधान सुझाया है। यह एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। गांधी जी ने कहा था हमें न केवल एक वर्गहीन वरन जाति विहीन समाज का भी निर्माण करना है। आधुनिक समाज का निर्माण जातियों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इस देश में, हमें सामन्तवाद, जातिवाद तभी असमानता के अन्य सभी कारणों को समाप्त करके एक "जातिविहीन और वर्गविहीन" समाज का निर्माण करना है। आइए हम उस ओर और अधिक प्रयत्न करें। मैं पुनः आपको पंडित जी का एक उद्धरण देकर याद दिलाता हूं कि भारत में सभी भेदभावों जाति आदि पर आधारित सामाजिक अन्तरों को समाप्त करना है। हमें हमें जातिवाद को समाप्त करना है, और यह उस दिशा में किया गया एक प्रयत्न है। इसलिए, मेरा विचार है कि इस चर्चा से उस समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी। इस चर्चा से वह आम राय बनेगी और मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित कर, इस समस्या को सुलझाने में जो कि सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर एक आवश्यक कदम है, अन्ततोगत्वा सरकार को सहायता मिलेगी।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंडल कमेटी ने एक ऐसी पृष्ठ भूमि हम लोगों को दी है, जिसमें हम इस देश की एक बड़ी गम्भीर समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार भी इस मामले की गम्भीरता के साथ ले। आज आजादी को 35 वर्ष हो गए हैं और अभी भी इस देश में बहुमत जनसंख्या के लोगों को यही दुःख है, उनको असंतोष है कि शासन व्यवस्था में बराबर के अधिकारों में उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। उनको भाग नहीं मिल रहा है। इसमें दो रायें नहीं है कि आजादी के 35 वर्षों में···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक सदस्य को इस पक्ष से बुलाउंगा और फिर दूसरे को उस पक्ष से, मैं सभी दलों को अवसर दूंगा।

श्री जैनुल बशर : ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम कैसे उनकी बात सुनेंगे।

···(व्यवधान)···

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह चाहता हूं कि एक मैम्बर इधर से और एक मैम्बर उधर से बोलना चाहिए, न कि तीन उधर से और एक इधर से।···(व्यवधान)···

रक्षा तथा गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं जब तक माननीय सदस्य चाहेंगे बैठने को तैयार हूं, चाहे 10 बजे तक या 11 बज जाएं। ···(व्यवधान)···

श्री जैनुल बशर : अपनी बात सुनाना चाहते हैं और हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। शास्त्री जी बोलने ही नहीं दे रहे हैं ···(व्यवधान)···

श्री जैनुल बशर : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि 35 वर्षों के अन्दर सरकार ने इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम कुछ नहीं किया है। सरकार ने आर्थिक उत्थान के जितने भी

कदम उठाए, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पिछड़े कहे जाने वाले लोगों को मिला है। जमींदारी प्रथा तोड़ी गई और जमींदारी तोड़े जाने का सबसे बड़ा फायदा पिछड़े वर्ग के लोगों को ही मिला। लैंड रिफार्म्स का फायदा इन्हीं लोगों को मिला। खेती की तरक्की के लिए, सिंचाई के लिए, गांव में बिजली देने के लिए जितने भी कदम उठाए गए, उसका अधिक से अधिक फायदा पिछड़े वर्ग के लोगों को ही मिला है।

दस्तकारों के लिए, आर्टीजन्ज के लिए, हैण्डलूम वर्कर्स के लिए, बुनकरों के लिए, जितनी भी अधिक से अधिक सहायता इन 35 वर्षों में दी गई उसका सबसे अधिक फायदा पिछड़े वर्ग के लोगों को हुआ और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि आज देश की सारी आबादी के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर पिछड़े वर्ग के लोग चल सकते हैं। जहां तक आर्थिक समानता का सवाल है, पिछड़े वर्ग में भी लोग अमीर हैं, बीच के हैं और गरीब हैं। फार्वर्ड वर्ग में भी लोग पिछड़े हैं, अमीर हैं और गरीब हैं। इसलिए आर्थिक प्रश्न, जहां तक मैं समझता हूं, पिछड़े वर्ग के लिए भी उतना ही है जितना फार्वर्ड कम्यूनिटीज के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा असन्तोष जो देश के इन बहुसंख्यक लोगों के अन्दर पैदा हो रहा है, वह यह है कि इस देश में सत्ता के मामले में, अधिकार के मामले में वे बराबर के भागीदार नहीं हैं। यह सारा मामला इकानामिक से बढ़ कर मनोवैज्ञानिक ज्यादा है, साइकलोजिकल ज्यादा है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने से मुझे ऐसा आभास हुआ कि पिछड़ेपन को आर्थिक रूप से दूर करने के लिए, सामाजिक रूप से दूर करने के लिए, सामाजिक रूप से दूर करने के लिए जो सबसे बड़ी सिफारिश मंडल कमीशन ने सोची—वह नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के बारे में थी। स्वयं मंडल जी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है—मैं उनकी रिपोर्ट का कुछ भाग पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

> "हमारा बिल्कुल भी यह दावा नहीं है कि अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को थोड़े से रोजगार प्रदान करके हम भारतीय जनता के 52 प्रतिशत को आगे ले जा सकेंगे। लेकिन हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि सामाजिक पिछड़ेपन के विरुद्ध लड़ाई का एक आवश्यक भाग पिछड़े वर्ग के लोगों के दिलोदिमाग में लड़ा जाना है।"

मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं। वे यह महसूस कर सके कि इस देश की शासन व्यवस्था में उनका भी हक है, वे भी भागीदार हैं और, उपाध्यक्ष जी, इस देश में विडम्बना यह रही है कि हजारों सालों से यह देश जाति के आधार पर बटा रहा है। हजारों सालों से यहां ऊंचे रहे हैं, उससे नीचे रहे हैं, उससे नीचे रहे हैं, उससे नीचे रहे हैं। यहां हर व्यक्ति किसी से ऊंचा है तो किसी से नीचा भी है। पासवान जी भी किसी से ऊंचे हैं तो किसी से नीचे भी हैं। हर जगह लोग ऊंचे और नीचे हैं। जहां नीचे हैं वहां गुस्सा आता है और जहां उनसे कोई नीचा है तो उसके थोड़ा बकड़ने पर भी उनको गुस्सा आता है। यह हमारे देश की परम्परा रही है, लेकिन भारतीय संविधान के बनने के बाद उसको दूर करने की कोशिश की गई और अभी हमारे विद्वान सदस्यों ने संविधान की धाराओं का उल्लेख करते हुए ठीक ही कहा है कि संविधान निर्माताओं ने इस बात को देख लिया था कि इसके लिए बेचैनी होगी, इसके लिए असन्तोष व्याप्त होगा और उस बेचैनी और

असन्तोष को देखते हुए ही उन्होंने इस तरह का कमीशन बनाये जाने का प्रावधान रखा और उनको यह आशा रही होगी कि इस तरह की व्यवस्था से उनके लिए कुछ किया जा सकेगा।

आज सबसे बड़ा सवाल इस देश में सत्ता-राहदारी में साथ-साथ चलने का है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है। मंडल कमीशन ने इस रिपोर्ट के बनाने में जो मेहनत की है वह बेकार नहीं गई है। उसने इस देश की प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को ठीक से पहचाना है। यह बात सही है और अभी रामविलास पासवान जी ने यहां पर बहुत सारे फैक्ट्स एंड फीगर्स दिये कि कुछ लोगों ने इस देश में सरकारी नौकरियों और सत्ता को मोनोपोलाइज कर लिया है। 35 वर्षों की आजादी में आर्थिक रूप से जो आर्थिक सम्पन्नता आई है उन वर्गों में, अभी भी उनमें यह लालसा कायम है कि उनको भी सत्ता में भागीदार बनाया जाए। यह लालसा उनमें है और इस हिसाब से मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट का स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं एक खतरे की तरफ इशारा करना चाहता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट यूनेनीमस नहीं है। अभी तक जितने लोगों ने, जितने वक्ताओं ने बात कही है, उन्होंने मंडल कमीशन की इस इस्पेक्ट को नहीं देखा। इस कमीशन के एक सम्मानित सदस्य श्री एल० आर० नायक ने एक डिसेंटिंग रिपोर्ट दी है। इस देश में पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग हैं, जिनका ब्यौरा श्री नायक ने अपने डिसेंटिंग नोट में दिया है। मुझे अफसोस है कि ऐसे लोगों को इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बहस के वक्त इगनोर कर दिया। मैं उस वर्ग से ताल्लुक नहीं रखता हूं लेकिन कोई उसका जिक्र नहीं किया गया है। अभी तक जो भाषण हुए हैं, उनसे ऐसा पता चलता है कि बैकवर्ड क्लाससेज के कुछ ऊंचे लोग, कुछ ऊंची जाति के लोग, 52 परसेन्ट के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं को मोनोपोलाइज करना चाहते हैं जैसे आज कहा जाता है कि एक वर्ग ने, मैं उसका नाम लेता हूं, ब्राह्मण वर्ग ने सत्ता को मोनोपोलाइज कर लिया है। वे कहीं पर 60 परसेंट हैं, कहीं पर 65 परसेंट हैं और कहीं पर 75 परसेंट हैं और उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। उसी आधार पर आज जो मैंने इन वक्ताओं की बात सुनी उसके बाद मुझे दिखाई देता है, वे मुझे माफ करेंगे, कि 52 परसेंट के नाम पर ये जो 15-16 परसेंट लोग हैं, वे मिलने वाली सुविधाओं को मोनोपोलाइज करना चाहते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में भी कुछ जातियों ने सबको इकट्ठा मिलने वाली सुविधाओं को मोनोपोलाइज कर लिया है। उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है, उसकी तरफ हमने नहीं सोचा। वही बात यहां पर है। मैं नायक साहब के डिसेंटिंग नोट में से कुछ बातों को इस माननीय सदन में रिकार्ड के लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

> "मेरी यह गम्भीर धारणा है कि सामान्य सूची में उल्लिखित जातियां वर्ग, जिनमें कि प्रत्येक में समान स्तर या मात्रा में सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन नहीं है और मुझे भय है कि उनकी उन्नति के लिए सुझाए गए रक्षोपाय उन पिछड़े वर्गों में अपेक्षाकृत कम पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचा सकेंगे और संविधान में घोषित समतावादी समाज का उद्देश्य एक स्वप्न दिवास्वप्न ही रह जाएगा।"

नायक साहब ने यह बताया है कि दो हिस्सों में इसको बांटा है, इन्टरमीडिएट बैकवर्ड क्लासेज और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेज। इन्टरमीडिएट बैकवर्ड क्लासेज में 26.4 और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेज में 25.56 परसेन्ट, नायक साहब ने अपने हिसाब से जोड़-घटा कर बताया है। आबादी का कोई बहुत फर्क नहीं है। इसलिए उन्होंने यह सजेस्ट किया 27 परसेन्ट में से 15 पर सेन्ट डिप्रेस्ट क्लासेज के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए और बाकी इन्टरमीडिएट बैकवर्ड क्लासेज के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, निगल जाती और अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, जिसके बारे में इस सदन में इतना कहा गया, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वही स्थिति होगी, जो आज है। अगर मोस्ट डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास के लोग इस माननीय सदन में आ गये तो बैकवर्ड क्लासिज के नाम पर सारी की सारी जगह मोनोप्लाईज कर लेंगे यह उन्हें डर है।

मैं राम विलास पासवान जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने इस पर बोलते हुए बैकवर्ड क्लासिज कमीशन की रिपोर्ट के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वे सारी बातें शेड्युल्ड कास्ट्स के बारे में ही कहते रहे। छेदीलाल कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में ही वे कहते रहे।

श्री रामविलास पासवान : असल में आपके साथ दिक्कत यह है कि शेड्युल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज में क्या अन्तर है, इसको आप समझते ही नहीं हैं।

श्री जैनुल बशर : वही मैं बता रहा हूं। छेदीलाल कमेटी की रिपोर्ट मोस्ट बैकवर्ड क्लासिज, सबसे पिछड़े वर्ग के बारे में है। उसका नाम भी मोस्ट बैकवर्ड क्लासिज कमीशन, सबसे पिछड़ा वर्ग आयोग था। उस रिपोर्ट में 15 परसेंट सबसे पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए कहा गया है, उसमें इन्टरमीडियेट बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के लिए नहीं कहा गया है। यह तो जब जनता पार्टी शासन में आयी तो उसने इन्टरमीडियेट बैकवर्ड क्लास को भी शामिल कर लिया। इन्टरमीडियेट बैकवर्ड क्लास के 25 से 30 परसेंट लोग अपने आप सेवाओं में जा रहे थे। इससे 15 परसेंट जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उन्हें घाटा होना था, इससे वे नाराज हो गये। (व्यवधान) मेरिट पर जो लोग आने वाले हैं उनको मोस्ट बैकवर्ड क्लासिज जो कि 15 परसेंट हैं, उसमें उनको नहीं जोड़ा जाना था। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे पासवान जी फर्क की बात कर रहे थे। फर्क तो हमारे चन्द्रजीत यादव जी ने बतला दिया है। बेलछी में हरिजन मारे गए, वे किसके द्वारा मारे गए।

श्री रामविलास पासवान : क्या आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं?

श्री जैनुल बसर : क्या यह फर्क नहीं है? आज जो भी शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको परेशान करने वाले फारवर्ड कम्युनिटी और इन्टरमीडियेट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और इसके बारे में श्री चन्द्रजीत यादव ने सही कहा है। (व्यवधान)

अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्युल्ड ट्राइब्स, डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास, इन्टरमीडियेट बैकवर्ड क्लास, माइनोरिटी कम्युनिटी के लोग आपस में मिल जाएं तो सब मिलकर 80 परसेंट लोग हो

जाते हैं। अगर ये आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ आपस में व्यवहार करने लगें तो इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम खुद सत्ता में चले आयेंगे।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सोशली, एजूकेशनली, इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के सारे लोगों के बारे में मंडल कमीशन ने काम पूरा नहीं किया है। माइनोरिटी कम्युनिटी को उसने छोड़ दिया है। मैं कह सकता हूं कि माइनोरिटी कम्युनिटी में मुसलमान भी एजूकेशनली, सोशली और इकोनोमिकली बैकवर्ड हैं। आज आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट में, प्रेजीडेंट हाउस में, विभिन्न मिनिस्ट्रीज में, वाइस चांसलरों के दफ्तरों में कितने मुसलमान आपको मिलेंगे। बहुत कम मिलेंगे। बैकवर्ड क्लास से भी कम मिलेंगे।

श्री रामविलास पासवान : आपके साथ दिक्कत यह है कि जब माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बहस होगी तब भी आप उसका विरोध करेंगे।

श्री जैनुल बशर : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन रिजर्वेशन के लिए तीन कैटेगरीज बनाई जानी चाहिए। एक कैटेगरी इंटर मीजिएट बैकवर्ड क्लास के लिए, एक कैटेगरी डिप्रैस्ड बैकवर्ड क्लास के लिए और एक कैटेगरी माइनारिटीज के लिए बनाई जानी चाहिए और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि 27 परसेंट ही रिजर्वेशन हैं, उसको भी जितना हो सके सरकार की ओर से बढ़ाया जाना चाहिए। इन तीन कैटेगरीज के लिए अगर आप रिजर्वेशन अलग-अलग नहीं करेंगे और इंटर मीजिएट बैकवर्ड क्लासेस के लिए सारे रिजर्वेशन को मोनोपलाइज करने की छूट देंगे तो माइनारिटीज और डिप्रैस्ड बैकवर्ड क्लासेस के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और फारवर्ड क्लास भी आपके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उनके साथ तो आप टक्कर लेने जा रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : फारवर्ड क्लास के लोगों ने भी बहुत संख्या में लिखकर भेजा है, वे समर्थन कर रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : आप राजनीतिक तौर पर सत्ता हथियाने के लिए टकराव चाहते हैं और डिप्रैस्ट बैकवर्ड क्लासेस और माइनारिटीज अपने पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं।

तो मैं समझता हूं कि अगर ये तीन कैटेगरीज बनाई जायें तो मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का जो मकसद है पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधा देने का और जो संविधान में प्रावधान है सभी वर्ग के लोगों की उन्नति का, यह हल हो जाएगा और सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस चर्चा में डी० एम० के० की ओर से भाग लेते हुए बहुत हर्ष है। यह ऐतिहासिक चर्चा पिछड़े वर्गों के बारे में मंडल आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध है। इस सरकार अथवा जनता सरकार द्वारा जो कुछ भी अच्छा काम किया गया हो, यह मेरा और मेरे दल का कर्त्तव्य है कि मैं उस सरकार को बधाई दूं, तथा इस सरकार को लोगों की भलाई के लिए किए गए सभी अच्छे कार्यों के लिए बधाई दूं। उदाहरण के लिए, यह आयोग जनता सरकार द्वारा नियुक्त किया गया तथा इसके पीछे पिछड़े वर्गों का

उत्थान करने की अच्छी भावना थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर इस सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के लिए मैं इस सरकार को अत्यधिक बधाई देता हूं। चूंकि यह तत्कालीन जनता सरकार द्वारा आरम्भ की गई थी इसलिए इस आयोग की रिपोर्ट के लागू किए जाने में किसी प्रकार का राजनैतिक विद्वेष नहीं अपनाया जाना चाहिए। इस सरकार को भारत की 75 से 80 प्रतिशत, बहुसंख्यक जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। हर हालत में और हर प्रकार से सभी सिफारिशों को इस सरकार द्वारा यहां के पिछड़े वर्ग के लोगों के बहुत समय से अनिर्णीत पड़े उपेक्षित हितों की रक्षा करनी चाहिए। जनता सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की। वह सरकार तो चली गई लेकिन इस सरकार ने उस निर्णय को क्रियान्वित किया। अतः, इस प्रकार, भारत के लोगों के हित में आप इस मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी अवश्य ही लागू करें।

आयोग और विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न तथ्य और आंकड़ों एवं सरकार द्वारा की गई उद्घोषणाओं और घोषणाओं के अनुसार, इस देश की कुल जनसंख्या का 75 से 80 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की है। क्योंकि यह जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य की इस सरकार द्वारा उचित रूप से एवं प्रभावकारी तरीके से रक्षा की जानी चाहिए। बाकी 10 प्रतिशत उन्नत पांतियों के लोग हैं तथा जब तक 85% पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, उन्हें बाकी 10 प्रतिशत लोगों के स्तर तक ऊपर नहीं उठाया जाता। इस देश देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हित के लिए आरक्षण जारी रखना चाहिए।

थान्थाई पेरियार ई० वी० रामास्वामी नाइकर और पेरारिगनार अन्ना ने तमिलनाडु और इस देश को यह बताया कि 'हमें स्वतन्त्रता एक वर्ग के लोगों के लिए ही नहीं प्राप्त हुई, हमें ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्रता इस धरती पर रहने वाले सभी पुरुष और महिलाओं के कल्याण के लिए प्राप्त हुई है।' अतः पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और इसीलिए मंडल आयोग गठित किया गया था।

पिछड़े वर्ग के लोग इस देश का आधार हैं, शरीर में रीढ़ की हड्डी के समान हैं जिसके बिना कोई भी मनुष्य, जानवर अथवा कोई भी चल-फिर नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। खा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए, यह स्वाभाविक, अनिवार्य और उचित ही है कि मंडल आयोग की समस्त सिफारिशों को लागू किया जाए। हमारे संविधान के निर्माताओं ने, सरकार को सही रूप में कुछ अवसर, मौके और अधिकार प्रदान किए ताकि वह अनुच्छेद 340 के अधीन पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की देखभाल कर सकें। उसी अनुसार आयोगों का गठन किया जाता है। मेरा इस सरकार से पुरजोर आग्रह है कि हमें केवल इस संकल्प पर विचार करके ही नहीं छोड़ देना चाहिए···

(श्री आर० के० राजामल्लू पीठासीन हुए)

हमें इस पर विचार विमर्श करके निर्णय लेना चाहिए और देश के हित में, पिछड़े वर्गों के हित में इसे लागू भी करना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने अभी, मेरे भाषण से पहले आरक्षण के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की है। कुछेक लाभ, उपेक्षित किस्म के लाभ अनु० जाति० अनु० जनजाति के लोगों को दिए गए हैं। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि खुली प्रतियोगिता के बारे में आप कहेंगे ? क्या ऐसा नहीं है कि खुली प्रतियोगिताओं की सभी रिक्तियां तथा-कथित उन्नत समुदायों द्वारा हासिल कर ली जाती हैं ? मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है और न ही मेरा दल किसी विशेष समुदाय के खिलाफ ऐसा सोचता है। मैं एक बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या ऐसा नहीं है कि खुली प्रतियोगिता में सभी रिक्तियां और स्थान तथाकथित उन्नत समुदायों द्वारा नहीं भरे जाते ? आजादी प्राप्त हुए 35 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन हम अब भी पिछड़े हुए हैं। खुली प्रयियोगिता, में पिछड़े वर्ग के 2% लोग भी भाग नहीं ले पाते, उसे पास नहीं कर पाते। खुली प्रतियोगिताओं में 98 प्रतिशत तथाकथित उन्नत समुदायों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। महोदय, हम लोग बरसों से पिछड़े हुए हैं। यहां तक कि छत्रपति शिवाजी, जो महाराष्ट्र के सम्राट बने थे, उन्हें भी इन तथाकथित उन्नत समुदाय के लोगों ने, जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहता, इतिहास इसकी जानकारी दे देगा, बाहर निकाल दिया था। पिछड़े वर्ग के लोगों का वर्गीकरण, काम के आधार पर अथवा व्यवसाय अथवा अन्य किस्म के काम-धन्धे, जो कि वह पहले कर रहे थे, अथवा कर रहे हैं, के अनुसार किया गया है। कुछ सदस्यों ने ठीक ही बताया है कि गांव वाले कारीगर जैसे नाई, धोबी और बढ़ई एवं अन्य बहुत से कारीगर नौकरी आरक्षित करने के लिए अनु० जाति अनु० जनजाति की सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

ब्रिटिश शासन के दिनों में पिछड़ी जाति का कोई भी व्यक्ति अनु० जा० अनु० जनजाति का व्यक्ति वकील नहीं बन सकता था। वे डाक्टर नहीं बन सकते थे। वे श्रेणी एक अथवा दो के अधिकारी नहीं बन सकते थे यहां तक कि ब्रिटिश शासन में श्रेणी तीन अथवा चार का पद भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब, ये लोग ऊपर उठ रहे हैं क्योंकि, इन लोगों को संविधान के अधीन संरक्षण दिया गया है। इसलिए, इन लोगों को अनुच्छेद 340 के अधीन संरक्षण दिया जाना चाहिए।

महोदय, अब भी पिछड़े वर्ग के लोग उन्नत लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनका पिछड़ापन सदियों से चला आ रहा है। विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा प्राप्त बहुत-सी उपलब्धियों के बावजूद ये लोग पिछड़े हुए हैं, और प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि इन लोगों के कल्याण और इनके हितों की रक्षा के लिए हम विशेष आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

तमिलनाडु में उन दिनों तमिलनाडू सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों में 21 प्रतिशत तक का आरक्षण भी नहीं कर पाई। डी०एम०के० शासन में, तमिलवासियों के लिए डी०एम०के० शासन स्वर्ण युग के समान था—मेरे नेता, कलैगनार करुणानिधि, तमिलनाडू के एक भू० पू० मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 21% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया।

पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किए गए। छात्रों के लिए अलग से छात्रावासों का निर्माण किया गया तथा 1967 से 1975 तक—डी०एम०के० शासन काल के

अन्तर्गत तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा श्रेणी-एक के बहुत से अधिकारियों का चुनाव और नियुक्ति की गई। उदाहरण के रूप में डी०एम०के० शासन से पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय में पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति का कोई भी जज नहीं था। डा० कलैगनार करुणानिधि के शासन काल में अनुसूचित जाति के न्यायाधीश श्री बरदराजन को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह पहले मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन केवल एक न्यायाधीश थे। यह डी० एम० के० शासन में 1967 से 1975 तक किया गया। आपको मुझ से यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मद्रास उच्च न्यायालय में अधिकतर न्यायाधीश पिछड़े वर्ग से हैं। डा० कलैगनार करुणानिधि ने पिछड़े वर्ग के लोगों, हरिजनों को न्यायाधीश के पद तक पहुंचाया। इसी का परिणाम है कि न्यायाधीश श्री वरदराजन इस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। बी० ई० और एम० बी० बी० एस० में दाखिला पिछड़े वर्ग के संबंध में संथानम आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है। इन्हें डी० एम० के० शासन में मद्रास के भू० पू० मुख्य मंत्री कलैगनार करुनानिधि के नेतृत्व में लागू किया गया। महोदय, तमिलनाडु की वर्तमान सरकार के बारे में कुछेक सदस्यों ने काफी कुछ कहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा किए जा रहे वर्तमान नाटक के कारण वे उन बातों के बारे में नहीं जानते। जहां तक पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्बन्ध है, वर्तमान सरकार ने वार्षिक आय की एक सीमा निर्धारित की अर्थात उन परिवारों जिनकी वार्षिक आय 9000 रु० और अधिक है, उन परिवारों के विद्यार्थियों को कालेज और स्कूल में छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होगी। वर्तमान सरकार द्वारा, विधान सभा में पिछड़ा-वर्ग विरोधी वह विधेयक लाया गया। कांग्रेस के समर्थन में डी० एम० के० दल ने इसके विरोध में आन्दोलन आरम्भ किया जिसके परिणामस्वरूप 1980 के आम चुनावों में तमिलनाडु की जनता ने ए० आई० डी० एम० के० को उखाड़ फेंका। उन्हें अच्छा सबक मिला। उसके पश्चात उन्होंने इस सीमा को हटा लिया।

महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के बारे में कुछ कहा गया है। महोदय, उन्होंने इसकी घोषणा इसलिए की है, क्योंकि 1980 के आम चुनावों में उनकी बुरी तरह हार हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा अचानक की गई यह घोषणा तमिलनाडु के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। यह सब झूठे वायदे हैं। लोगों को इन गलत वायदों से गुमराह किया गया और उसकी वजह से उन्होंने विधान सभा चुनावों में उन्हें वोट दिए थे। अब मैं आपको वर्तमान आरक्षण नीति की वास्तविकता और आन्तरिक स्थिति के बारे में बताऊंगा। तमिलनाडु सरकार ने सभी कॉलिजों, जिनमें व्यावसायिक कॉलिज भी शामिल हैं, को निदेश दिया है कि पिछड़े वर्ग के जो छात्र बी० ई० और एम० बी० बी० एस० में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र देते हैं उनके अंक 60 प्रतिशत या उससे अधिक होने चाहिए। जिन छात्रों के अंक 60 प्रतिशत से अधिक हैं उन्हें भी प्रवेश नहीं मिला है। मेरे पास उसे बहुत से व्यक्तियों की सूची है। बी० ई० और एम० बी० बी० एस० ये स्थान तमिलनाडु में एक लाख रुपए देने पर प्राप्त होते हैं। श्रेणी एक अधिकारियों के पद 50,000 रुपये में मिलते हैं। यह स्थिति है। बी० कॉम की सीट के लिए मैं सिफारिश लेकर गया परन्तु उन्होंने 15,000 रुपये की मांग की। तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के छात्रों की ऐसी दयनीय स्थिति है।

महोदय, वर्तमान तमिलनाडु सरकार ने न केवल पिछड़े वर्ग को धोखा दिया है वरन्

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी । वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए वार्षिक आय की सीमा नहीं थी । वर्तमान सरकार ने अब सीमा निर्धारित कर दी है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिन परिवारों की वार्षिक आय 6,000 रुपये से कम है उनके छात्रों को पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी, जिनकी आय 6,000 रुपये से 9,000 रुपये के बीच है उन्हें 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाएगी । जिनके परिवारों की वार्षिक आय 9,000 रुपये से अधिक है उन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम० जी० आर० द्वारा यही सरकारी आदेश दिए गए हैं। इसलिए तमिलनाडु की वर्तमान सरकार एम०जी०आर० सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को धोखा दिया है । महोदय 1950 में पहला संविधान संशोधन लागू हुआ । महोदय आप जानते हैं वह कैसे लागू हुआ ? जब मद्रास में एम० बी० बी० एस० छात्र एम० बी० बी० एस० सीटों के लिए आवेदन देते थे तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तत्कालीन सरकार द्वारा अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत 'कम्यूनल जी० ओ० के आधार पर 'विशेष आरक्षण' के रूप में दिया जाता था । परन्तु उच्च वर्ग ने उसे चुनौती दी जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया । राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की । सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को ही बरकरार रखा । तद इस देश और विश्व के राजनीति के महानतम नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान संशोधन पेश करने का विचार किया जिसमें अनुच्छेद 15 में उपखंड 4 जोड़ा गया जिसमें राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करने का अधिकार दिया गया । इसलिए पहला संशोधन तमिलनाडू में हुए इस विवाद के कारण पेश किया गया कि अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए अथवा नहीं । महोदय हम संविधान में अब तक 46 संशोधन कर चुके हैं, हम एक दो संशोधन तो और भी कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि ऐसा संवैधानिक संशोधन करना चाहिए जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के 'कप्पूनल जी० ओ० के निर्णय के खिलाफ पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो । ई० वी० आर० अरिगनार अन्ना, कलैगनार करुणानिधि और हमारी पार्टी ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किये जाने के लिए आन्दोलन किया था ।

पंडित नेहरू के कारण पहला संशोधन हुआ और राज्यों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया । मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री, जो उनकी सुपुत्री हैं, वह भी चाहें तो ऐसा हो सकता है । मेरे विचार से कोई भी भावी प्रधान मंत्री इन सब सिफारिशों को लागू नहीं करेगा । इसलिए हम वर्तमान प्रधान मंत्री से निवेदन करते हैं कि वह इन सिफारिशों को लागू करें और भारतीय संविधान में संशोधन करें । यदि पिछड़े वर्गों की पहचान में कोई परेशानी हो तो तमिलनाडु में इसकी एक सूची है, जो उस समय तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसका सहारा लेकर पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सकती है ।

इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह प्रतियोगिता सिर्फ पिछड़े वर्ग में ही होनी चाहिए, आरक्षित केन्द्रीय सेवाओं व अन्य सरकारी क्षेत्र की अन्य सेवाओं के लिए केवल पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं को ही भाग लेना चाहिए । इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी उन्हें

प्रतियोगिता में भाग लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को खुली प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाना चाहिए। सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

अब प्रश्न यह उठता है कि आरक्षण का कितना प्रतिशत हो? मंडल आयोग ने 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है। महोदय भारत में पिछड़े वर्गों के लोगों की जनसंख्या 52 प्रतिशत है। परन्तु यदि बाकी सभी पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को जोड़ा जाए, तो हमारा कुल प्रतिशत 80 से 85 प्रतिशत तक होता है। इसलिए वर्तमान 27 प्रतिशत आरक्षण पर्याप्त नहीं है। देश में पिछड़ी जाति की प्रतिशतता को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। अन्य समुदायों के मुकाबले हमारी जनसंख्या अधिक है। इसलिए केन्द्रीय सेवाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हमें 40 से 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। वर्तमान 27 प्रतिशत आरक्षण पर्याप्त नहीं है।

इसलिए, महोदय, पिछड़े वर्ग की जनता को उनके समुदायों के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सभी केन्द्रीय सेवाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पिछड़े वर्ग को आनुपातिक सामुदायिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब बहुत से संसद सदस्य और राज्यों के विधान सभा सदस्य भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के हैं। यद्यपि राज्यविधान सभाओं व अन्य स्थानों पर हम बहुमत में हैं, परन्तु केन्द्रीय सेवाओं में हमें आरक्षण का उचित कोटा क्यों नहीं मिल रहा है। पिछड़े वर्गों को संविधान के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं।

महोदय, हम सब जानते हैं कि 18वीं शती में अमरीका में ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध घोषित किया गया और उनका कहना था कि यदि प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो जनता कर भी नहीं देगी। ब्रिटेन की सरकार ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स में अमरीकी उपनिवेशीय जनता को यदि ब्रिटेन की सरकार प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो उन्हें शुल्क या कर लगाने का भी अधिकार नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों को सरकार को केन्द्रीय कर नहीं देने चाहिए। इब्राहीम लिंकन ने 19वीं शती में यह घोषणा की थी कि "हम जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार बना रहे हैं।" इसलिए महोदय, यहां भारत में भी जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा ही चुनी सरकार है। यह जनता कौन है? इनमें से अधिकतर बहुमत पिछड़े वर्ग का है। इसलिए आरक्षण कोटा, प्रतिनिधित्व, विशेषाधिकार और संरक्षण सभी पिछड़े वर्गों को दिया जाना चाहिए। महोदय हमारी डी० एम० के० पार्टी उसी सरकार को सहयोग देती आई है जो पिछड़े वर्गों के भावी हितों को ध्यान में रखे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : सभापति महोदय, इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भावपूर्ण और उत्तेजनापूर्ण वक्तव्यों को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। जहां तक पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रश्न है यहां उत्तेजना से काम नहीं चलेगा। यह केन्द्रीय सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है कि वह इन सिफारिशों को क्रियान्वित करे। यदि जाति ही पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का मानदण्ड है तो केवल पिछड़ा समुदाय ही पूरे देश में नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बाकी जनता के लिए कुछ

नहीं बचेगा। संविधान के अन्तर्गत यह छोटी सी छूट दी गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जो रियायतें दी गई हैं और सिफारिशें की गई हैं वह निम्नलिखित हैं।

पहली रियायत अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत हैं जिसमें शिक्षा सम्बन्धी मामलों और वित्तीय सहायता में छूट है। अनुच्छेद 15 (4) के अनुसार जाति, वर्ग समुदाय, जातिवाद आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 (4) में तो विशेष व्यवस्था है। क्योंकि इसमें यह व्यवस्था है कि पिछड़े वर्ग की जनता की भलाई के लिए राज्य विशेष उपबंध बना सकता है। इसलिए, यह केवल सामान्य नियमों से ही थोड़ा अलग है, अन्यथा नहीं। यदि जाति के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के हित के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाया जाता है तो अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत यह किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है।

अनुच्छेद 16 (1) में सरकारी नौकरीं और सेवा में भेदभाव किए जाने की मनाही है। दूसरे शब्दों में सबको रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिएं। अनुच्छेद 16 (4) में भी अलग व्यवस्था है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य सरकार यदि चाहे तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान कर सकती है। इसलिए जो मना किया गया है वह इन लोगों को छूट देने के लिए विशेष तौर पर अलग से दिया गया है।

जैसा कि मैंने कहा कि अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए केवल शैक्षणिक सुविधाओं और वित्तीय सहायता की व्यवस्था है इससे अधिक कुछ नहीं। और अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जनता के हित के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। और संविधान में केवल 'पिछड़े वर्ग' शब्द को ही मान्यता दी गई है। यह सब रियायतें किस प्रकार दी जाएंगी? यह विचार किए जाने योग्य है।

अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सके। और नियुक्ति के बाद यह आयोग का कर्त्तव्य है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जनता की दशा का पता लगाए और उनकी स्थिति सुधारने की सिफारिश करें। इन विशेष वर्गों के लिए ही यह विशेष उपबंध किया गया है।

अब इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। अनुच्छेद 340(3) के अन्तर्गत प्रतिवेदन को सभा के पटल पर रखना ही पड़ता है। सरकार के लिए लाजमी है कि वह प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन प्रस्तुत करे। मेरे खयाल से यह एक अनिवार्य उपबंध है। आयोग की सिफारिशों पर कोई न कोई कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए कि मंत्री होने के नाते मुझे एक याचिका प्राप्त होती है और मैं विस्तृत टिप्पण के लिए उसे अपने सचिव को भेज देता हूं, क्या यह कोई कार्यवाही हुई? नहीं, इसे की गई कार्यवाही नहीं माना जाएगा। इसीलिए ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कार्यवाही करने में और आयोग की सिफारिशें प्राप्त करने में सरकार को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में वह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। महोदय, मैं फिर से निवेदन करता हूं कि यदि ज्ञापन में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार सिफारिशें मंजूर की गईं और उन्हें लागू किया गया तो उससे अधिक महत्व के मामले पैदा हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि प्राधिकारियों के दिमाग में यह आशंका कैसे उठ खड़ी हुई। महोदय यह तो बहुत ही आसान है।

पिछड़ेपन को वर्गीकृत करने के लिए जाति को मानदण्ड बनाया जाए या प्रतिशतता के को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जाए, ये दो अलग-अलग मुख्य-मुख्य बातें हैं।

मैं पहले विषय की चर्चा पहले करूंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। संविधान में केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को ही पिछड़े लोगों के रूप में मान्यता दी गई है। किसी अन्य दृष्टि से पिछड़े लोगों का उल्लेख नहीं किया है जैसा कि मेरे विद्वान मित्र श्री बी० आर० भगत ने बताया था कि अनुच्छेद 46 में अन्य प्रकार के पिछड़े वर्गों का भी उल्लेख किया गया है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 46 में जो उपबन्ध किया गया है वह समाज दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों में वृद्धि करने के लिए है।

श्री बी० आर० भगत: यही तो मैंने कहा था।

श्री डी० एन० नायकर: मैं उसी को स्पष्ट कर रहा था। वे पिछड़े वर्ग नहीं है वरन् वे समाज के कमजोर वर्ग हैं। यह निदेशक सिद्धान्त सम्बन्धी अध्याय में है, जबकि ये अनुच्छेद 14 और 16 मौलिक अधिकार सम्बन्धी अध्याय के अन्तर्गत आते हैं। यहां तक कि ये उपबन्ध मौलिक अधिकार सम्बन्धी अध्याय में आते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई भी ऐसा कानूनी उपाय नहीं है। ताकि वे कानूनी प्रक्रिया द्वारा उन्हें न्यायालय में लागू किया जा सके। इसे कार्य पालिका की दया पर छोड़ दिया गया है। यही मुश्किल है कि क्या मन्डल आयोग की सिफारिशों को मन्जूर किया जाए अथवा नहीं। यही एक पहलू है।

अनुच्छेद 46 निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आता है, और यह स्पष्ट उपबन्ध है कि विधेयक सिद्धान्त न्यायालय के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आ सकता है, किन्तु किसी कानून को बनाते समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए आप प्रगति के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकते हैं या कुछ और उपबन्ध कर सकते हैं।

अब यह समस्या है कि समाज और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ापन कैसे निश्चित किया जाए। सामाजिक पिछड़ापन जाति विशेष पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि हिन्दू सामाजिक संरचना में जहां तक समाज में व्यक्ति के सामाजिक स्तर का सम्बन्ध है जाति प्रथा की महत्वपूर्ण भूमिका है और उससे बेहतर कुछ भी नहीं माना गया है। मैं इसके ठोस उदाहरण दे सकता हूं। यदि आप सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जाति के हैं और आप उन्नत वर्ग के किसी विवाह-समारोह में शामिल होते हैं तो आपका आपकी जाति के अनुसार स्वागत किया जाएगा और वैसी ही प्रतिष्ठा दी जाएगी। इसीलिए इन लोगों का सामाजिक स्तर भिन्न है और मुख्यत: जाति पर आधारित है। इसीलिए महोदय मेरा विनम्र निवेदन है कि हिन्दू सामाजिक संरचना में जाति प्रथा की महत्वपूर्ण भूमिका है, अत: पिछड़ेपन के लिए मानदण्ड निर्धारित करने हेतु इस महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार किए जाये।

महोदय, आप यह भी जानते हैं कि कुछ मामलों में कतिपय उच्च न्यायालयों का कहना है कि न्यायपालिका ने भी कहा था कि पिछड़ापन अनिश्चित करने के लिए जाति को मानदंड बनाया जाना चाहिए किंतु उसके साथ ही कुछ और पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वे पहलू कौन-कौन से हैं? वे हैं कुछ जाति विशेष द्वारा अपनाया गया व्यवसाय और उससे होने वाली आय तथा रहने का स्थान सामाजिक पिछड़ापन सुनिश्चित करते समय इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना

चाहिए। किसी जाति विशेष को सामाजिक या आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए ये बातें लाभदायक हो सकती हैं, किंतु सामाजिक पिछड़ापन निश्चित करने के लिए यह मानदण्ड नहीं बन सकता। अतः सामाजिक पिछड़ापन ही वही पहलू है जो जातिगत स्थिति और आर्थिक स्थिति पर ही आधारित है। इसीलिए सबसे पहले लोगों को सामाजिक पिछड़ेपन की दृष्टि से बांटा जाए फिर उसे शैक्षिक पिछड़ेपन से जोड़ा जाए, तत्पश्चात वर्ग भी पिछड़ा होना चाहिए। अन्यथा जहां तक संवैधानिक उपबन्ध का सम्बन्ध है सभी इसके अन्तर्गत आ सकते हैं।

अब आप जाति का ही मामला लें। संविधान कहता है कि लोगों के पिछड़ेपन से अभिप्राय है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन वर्ग का मतलब है लोगों का समूह अथवा लोगों का वर्ग। अतः यदि संविधान के अन्तर्गत विशेष उपबन्ध लोगों के समूह के आशय से है, और यदि लोगों का वह समूह या वर्ग किसी श्रेणी या जाति के अन्तर्गत आता है। तो वह जाति पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित की जा सकती है। निश्चित रूप से यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह मेरा विनम्र निवेदन है। यदि आप आर्थिक मानदन्ड मानते हैं अर्थात प्रत्येक परिवार के लिए 2000/रुपये या 3000/रुपये मानते हैं तो यह तहसीलदार या सहायक आयुक्त द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर निर्भर करता है।

मान लीजिए कि मेरे दो पुत्र हैं, दोनों सरकारी नौकरी के लिए योग्य हैं तब क्या स्थिति होगी ? उन्नत परिवार का सदस्य होने के कारण मेरा पहला पुत्र खुली प्रतियोगिता में सफल हो जाता है, और योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर लेता है, फिर दूसरा पुत्र एक सक्षम प्राधिकारी से पिछड़ेपन का प्रमाण-पत्र बनवा लेता है। इसका क्या प्रयोजन है ? यदि आप आर्थिक मानदण्ड अपनाते हैं तो दोनों पक्षों पर एक ही वर्ग के लोग नियुक्त हो जाते हैं।

यदि केन्द्र सेवाओं में अपेक्षित प्रतिनिधित्व न दिया जाए तो अनुच्छेद 16 (4) का मुख्य प्रयोजन पदों या नौकरियों का आरक्षण है, अतः यदि अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाये तो आरक्षण का प्रश्न पैदा होता है। यदि आप आर्थिक मानदण्ड 0% अपनाते हैं तो आप पर्याप्त प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे ? मुझे मालूम है कि कुछ विभागों में यदि 100% पर भर लिए जायें और ये 100%पद बहुमत समुदाय के लोगों से भरे जाएं लेकिन जो वास्तव में इसके पात्र हैं अर्थात दलित वर्ग लोग, जो चालाक लोगों के मुकाबले में नहीं आ सकते, वे कोई पद या स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः यदि आरक्षण का उद्देश्य पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है तो आर्थिक मानदण्ड ध्यान में रखने पर वह लक्ष्य समाप्त हो जायेगा। यही मेरी सच्ची राय है।

इस सन्दर्भ में जहां तक आरक्षण का सम्बन्ध है मण्डल आयोग ने सिफारिश की है कि इसे बढ़ाकर 50% तक लिया जाना चाहिए लेकिन यह उचित नहीं है।

कुछ निर्णय भी दिए गए होंगे। मैं न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों से असहमत नहीं हूं। जब भी उनके सामने आवेदन प्रस्तुत किया गया, न्यायाधीशों ने अपने निर्णय दिए। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे संसार में हो रही सारी बातें जानें। अतः जो भी तर्क दिए गए उनके आधार पर निर्णय दिए गए। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। अतः मैं निर्णयों पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि मान लीजिए कर्नाटक में कुल आबादी की 80% जन-

संख्या इसी श्रेणी की है, और यदि आप पिछड़ी जातियों के लिए 80% आरक्षण नहीं करते हैं, और केवल 50% आरक्षण किया जाता है, तो आरक्षण 20% लोगों के लिए होगा 80% लोगों के लिए नहीं। अतः यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। अतः आरक्षण की प्रतिशतता को कम कर पर्याप्त प्रतिनिधित्व के मुख्य लक्ष्य को पूरा होने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आरक्षण की प्रतिशतता किसी राज्य या देश की आबादी की प्रतिशतता के अनुसार निश्चित की जानी चाहिए। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

अन्ततः यह बिल्कुल सरल और संवैधानिक मामला है। मुझे नहीं मालूम कि कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी और राज्य सरकार को सब जानने के लिए इसे क्यों भेजा गया था, यह विशेष उपबन्ध एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही है। राष्ट्रपति को शक्ति दी गयी है। वे निर्णय ले सकते थे, और राज्यों को लागू करने के लिए मार्ग निर्देश के रूप में निर्देश दे सकते थे। जब तक केन्द्रीय सरकार तुरन्त कार्यवाही नहीं करेगी, तब तक मेरे ख्याल से कोई भी राज्य सरकार इसे लागू नहीं करेगी। किंतु सौभाग्यवश मेरे राज्य में इसे लागू किया गया है और आरक्षण लगभग 68% है। हमने आय की भी उच्चतम सीमा निर्धारित की है। यदि पिछड़े समुदाय के किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये या उससे अधिक हो, तो वह उससे लाभ नहीं उठा सकता है, केवल पात्र व्यक्ति ही इसका लाभ उठा सकता है। हमने कर्नाटक में ऐसा ही किया है।

महोदय आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। यह एक बहुमूल्य प्रतिवेदन है। मेरे एक मुसलमान मित्र ने कहा कि कुछ अल्पसंख्यक समुदाय शामिल नहीं किए गए हैं और उन पर भी विचार किया जाना चाहिए। जो भी परीक्षण हमने निश्चित किए हैं, यदि वे उसके अनुसार उस श्रेणी में आते हैं, तो वे भी उसके हकदार हैं। हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहब, बड़ा लेट मुझे टाइम मिला है लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री जय राम वर्मा जी ने बड़ा शानदार भाषण दिया कि जो लोग एकोनामीकली फारवर्ड हैं, उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए और श्री चन्द्रजीत यादव ने भी बड़ा शानदार लैक्चर दिया। बस लैक्चर दे दिया और काम बन गया, काम तो कोई करना नहीं है। शानदार लैक्चर दे दिया और सारा संसार ठीक हो गया। कहते हैं कि 35 साल हो गये और हमारा कुछ बना नहीं। ठीक है, जैसा अपोजीशन तैसी गवर्नमेंट। आप देखो कि इन्साफ कहां है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट है और मध्य प्रदेश में जाओ, तो वहां क्या हालत है। हरिजनों को मार रखा है। हिमाचल प्रदेश में जाकर देख लो। शेड्यूल्ड कास्ट्स के 16 मैम्बर हैं लेकिन एक राज्य मंत्री बनाया है और बनियों के दो-तीन मैम्बर हैं, जिनमें से दो फुलफ्लैज्ड कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मेरा कहना यह है कि इनके लिए काम किसको करना है, आप लोगों को करना चाहिए, हमारी तो कोई मानता नहीं। यहां क्या हो रहा है? यहां कितनी भारी आबादी है। पहले दो मिनिस्टर थे और दुनिया उनसे कांपती थी। अब क्या है जगह-जगह पर हरिजनों का कत्ल हो रहा है और ये यहां बैठे हैं। हरिजनों को ही मरना है। हरिजन खत्म होते जा रहे हैं और इसका कारण यह है कि हरिजनों में कोई लीडरशिप नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि कुछ चले जाएंगे लोक दल में, कुछ चले जाएंगे

जनता पार्टी में और कुछ कहीं और चले जायेंगे । इससे उनके हाथ कुछ नहीं आना है । तो आज यह हालत है ।

अब रह गया अपोजीशन का सिलसिला । अपोजीशन बड़ा शानदार है, बोलता बहुत शानदार है मगर हमारा कोई फायदा उससे नहीं होता है । हम तो बोल भी नहीं सकते । मगर पासवान जी ने बड़ा शानदार लैक्चर 40 मिनट में दे दिया, 50 मिनट में दे दिया मगर उनके लैक्चर देने का कोई फायदा है ? मैं कहना चाहता हूं कि आप वोट लेकर यहां पार्लियामेंट में आ गये और स्टेट्स में हरिजन मर रहे हैं वहां रह कर उनके लिए क्यों नहीं लड़े । आज उनकी बुरी हालत है । आज जो हमारे यहां डेमोक्रैसी है, उसमें कहीं ब्राह्मणक्रैसी है, कहीं जाटोक्रेसी हैं और कहीं ठाकुरक्रैसी है और इस तरह से डैमोक्रैसी का बेड़ा डूबता जा रहा है ।

आप अगर इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसका इलाज मैं आपको बताना चाहता हूं । हम 75 फीसदी हैं और ये 75 फीसदी क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते । 75 फीसदी जो गरीब आदमी हैं, उनको साथ ले लो । कहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज वाले आयेंगे, तो हम मर जायेंगे । गरीब आदमी आ जाएगा, तो कोई मरने वाला नहीं है । जमींदार जो है, उसकी हड्डी मजबूत होती है, वह जेल में चला जाएगा, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा । हरिजन जेल में जाते नहीं हैं और जब तक जेल में नहीं जायेंगे, कोई काम चलने वाला नहीं है ।

किसी को भी मांगने का अधिकार नहीं मिल सकता है । इसे अनिच्छुक लोगों से छीना जाता है ।

ये जो बड़े लोग हैं ये तो अपने सगे लड़के को भी अधिकार नहीं देते हैं तो आपको क्यों देंगे । हुकूमत के लिए ये अपने आदमी को भी मार देते है और आप कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स दिए जाएं । चर्चिल हिन्दुस्तान को आजादी देने के खिलाफ था क्योंकि वह कहता था कि इनको अगर आजादी दी, तो ये हिन्दुस्तान को ही लूटकर खा जायेंगे । वे खुद खाते रहे हैं, चंद आदमी खाते रहे हैं । बेसिक बात जो है वह है इन्डीविजुअलिटी । इन्डीविजुअलिटी इज बेसिक ।

मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं । इनका भी बुरा हाल है । जब हिन्दुस्तान की 34 करोड़ आबादी थी तो ये मुसलमान 9 करोड़ थे । अब क्या हालत है ? आपमें तो सौशलिज्म है क्योंकि आप लड़कियों को हिस्सा देते हैं । हिन्दू तो लड़कियों को मार देते हैं । यह अच्छा सिलसिला नहीं है । आपने पाकिस्तान को मान लिया । आज पाकिस्तान में क्या हालत है ? वहां लोग लड़ रहे हैं । वहां भी बुरी हालत है । महात्मा गांधी ने कहा था—

> "मैं फिर से जन्म लेना नहीं चाहता, किंतु यदि मुझे फिर से जन्म लेना ही पड़े, तो मैं अछूत के रूप में जन्म लेना चाहूंगा, ताकि मैं दुःख, कष्टों, अपमान, जो उन्हें झेलने पड़े हैं मैं भागीदार हो सकूं । इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े, तो मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में नहीं वरन् अतिशूद्र के रूप में जन्म लूं ।"

उन्होंने और आगे कहा था :

"मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा, जिसमें निर्धनतम भी महसूस करे कि यह मेरा देश है और उसके निर्माण में उनका काफी महत्व है, वह भारत जिसमें कोई ऊंची जाति या नीची जाति के लोग नहीं है, जिसमें सभी समुदाय मिलजुल कर रहते हैं।"

हम बड़े-बड़े लोगों का नाम लेते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं लेकिन उनकी बातों पर अमल कोई नहीं करता। सीधी सी बात है कि अमल से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अमल से दुनिया बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। हमारी छोटी-छोटी बातों से पता चलता है कि हम कितने बहादुर हैं। आप बातें करते रहो, उनसे कुछ नहीं बनने वाला है। अगर हम सब एक हो जाएं तो बहुत कुछ हो जाएगा।

मैं बराबर लेण्ड रिफार्म्स के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूं, मैंने बराबर कोशिश की है। हमारे आदमी बड़े-बड़े लेक्चर दे देते हैं लेकिन असली बात को कोई नहीं पकड़ता है। गरीबों के खाने-पीने की तरफ कोई नहीं देखता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक इण्डीविजुअल बात है। हम मन्दिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों पर कितना पैसा लगा देते हैं लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं करते।

"आप भगवान को कहां खोजेंगे ? क्या गरीब और अभागे दलित भगवान नहीं हैं ? पहले उनकी पूजा करो। मैं ऐसे किसी भगवान या धर्म में विश्वास नहीं करता जो किसी विधवा के चेहरे के आंसू न पोंछ सके और किसी अनाथ को रोटी का टुकड़ा न दे सके।"

"खुशफहमी रखिए और यकीन करिए कि हमें भगवान ने अच्छे काम करने के लिए भेजा है और हम वही करेंगे। खुद को तैयार रखिए अर्थात अपने आपको शुद्ध और पवित्र रखें तथा प्रेम के लिए प्रेम करें, गरीबों, अभागों और दलितों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करें, और फिर भगवान आपको आशीष देगा।"

हम स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गांधी का नाम तो ले लेते हैं लेकिन उनकी बातों पर अमल नहीं करते। गरीबों के लिए जो उन्होंने कहा था अगर उसपर अमल किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है।

मैं बैकवर्ड क्लासिज के बारे में कहना चाहता हूं कि जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप घबराते क्यों हैं ? हम सब अगर एक हो जायेंगे तो 75 परसेंट लोग हो जायेंगे। फिर हमें लड़ाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट होगी। जहां तक समझदार आदमियों का ताल्लुक है वे जानते हैं कि प्रेक्टिकल बातें की जायें।

जो लोग महात्मा गांधी और जवाहरलाल जी के साथ रहे हैं, वे जानते हैं। मैं पंडित जी के साथ रहा हूं। मुझे जमीन कोई नहीं देता था। मैंने पण्डित जी को कहा कि गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने प्रताप सिंह जी को कहा तो मुझे जमीन मिली। आज हमें कोई हिला नहीं सकता है। इसलिए कोई प्रेक्टीकल बात करो, कोई फुल-फ्लैश मिनिस्टर बनाओ, तब देखें कैसे काम

नहीं होता है। मध्यप्रदेश से भी हमें मार पड़ रही है, कांग्रेसी गवर्नमेंट है, बेइन्साफी हो रही है और कोई पूछता नहीं है। हम चीखते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। हमें इन बातों का बहुत अफसोस है।

मैं तो कहता हूं कि हरिजनों पर और अधिक जुल्म होना चाहिए, जिससे ये इकट्ठे हो जाएं। सब कहते रहते हैं कि हमको टिकट दे दीजिए, हमको टिकट दे दीजिए, लेकिन जब तक ये 75 फीसदी लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब 35 वर्ष में कुछ नहीं हुआ तो अब आप किस वक्त की तलाश कर रहे हैं। कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल कर देश को बदले।

आज क्या हो रहा है कि मुट्ठी भर आदमी मजे कर रहे हैं और बाकी मर रहे हैं। अफसर भी कुछ नहीं कर पाते। इनको कौन ठीक करेगा, हमको ही ठीक करना पड़ेगा। काम करने से काम होगा, लम्बे-चौड़े भाषण देने से काम नहीं होगा। जो लोग जितना ज्यादा खाते हैं उतना ही कम काम करते हैं :

> "चरित्र के बिना शिक्षा केवल बुराई के लिए ही शक्ति प्राप्त होती है, जैसा कि अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है कि —विश्व में दक्ष चोर और भद्र बदमाश भी होते हैं।" —मो० क० गांधी

ये खाते ज्यादा हैं और काम कम करते हैं। अगर आप महात्मा गांधी और जवाहर लाल जी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं तो जितने यहां मेम्बर बने हुए हैं इनको यहां नहीं बैठना चाहिए। इनको तो अपने क्षेत्रों में जाकर लड़ाई करनी चाहिए। आप मेजारिटी में हो, जो आपको तंग करता है, उसे हरा दो। जो एंटीहरिजन है, एंटी पुअर है, उसको कभी यहां मत आने दो। जब आप मेजारिटी में हैं तो एक्सप्लाइट क्यों होते हैं। इसलिए सारा कुसूर आपका ही है। "दबने वाले का कसूर है, दबाने वाले का नहीं।" यह विवेकानन्द जी ने कहा है। सोसायटी में सोशलिज्म 8-8 सब्जियां खाने वाले लायेंगे क्या? यहां तक कि जो रोटी का टुकड़ा हम खाते हैं वह भी किसी के मुंह से छीना हुआ होता है। रंगा जी जैसे लोग जोकि लेबर के साथ मिलकर यहां चाय पी लेते हैं जब वे पावर में आयेंगे तब समाजवाद आएगा। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर, जवाहर लाल जी के सिद्धान्तों पर आज चलता कौन है? गांधी जी का नाम तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनके सिद्धान्तों पर चलना हो तो नाम ले, वर्ना मैं आपको नाम नहीं लेने दूंगा और ठीक करके रख दूंगा। चैरिटी बिगिंज एट होम। हरिजनों आदि का कल्याण करना है तो सैंटर से हम इस काम को शुरू करें। फिर स्टेट्स में अच्छे आदमियों को लाएं। निकम्मे आदमियों को नहीं गद्दियां दी जानी चाहिए। इस तरह से कोटा पूरा नहीं होना चाहिये। यह एक्सप्लायटेशन है जो हो रहा है। पण्डित नेहरू मर गए, महात्मा जी मर गए, अब कौन देखेगा? हमको सबको इकट्ठे हो जाना चाहिये, जितने गरीब हैं चाहे वे हरिजन हों, बैक्वर्ड क्लासिस के हों या कोई भी हों, सबको इकट्ठे हो जाना चाहिये। तभी महात्मा गांधी का जो आदर्श था वह साकार होगा।

रिपोर्ट पर अमल किसने करना है? पहले कहां हुआ है?

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी में फर्क क्या है?

श्री सुन्दर सिंह : इन्दिरा गांधी जी की वजह से तो आपका भट्टा बैठा हुआ है। उनके मुकाबले का लीडर आपमें से किसी के पास भी है ? एक माननीय सदस्य ने उधर से कहा था कि मौलाना आजाद का फोटो लगा है, सरदार पटेल का लगा है तथा दूसरे लगे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या चौधरी चरण सिंह का लगा दें या चौधरी देवीलाल का लगा दें या राही जी का लगा दें ? प्रेक्टिकल आपने काम करना है तो आप गरीब आदमियों को आगे लायें, उनको इकट्ठा करें, उनमें यूनिटी पैदा करें और तब आप देखेंगे कि अमल होता है या नहीं होता है। तब सारा सिलसिला ठीक हो जाएगा।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मंडल आयोग की रिपोर्ट पर हम घंटों से चर्चा कर रहे हैं। यह एक दुखद प्रसंग है कि जब भी कोई रिपोर्ट आती है हम केवल चर्चा मात्र करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग आदि की रिपोर्ट आई हैं और जिन लोगों को अधिकार और हक देने की बात है, इन्साफ देने की बात है, वह न देकर केवल चर्चा के रूप में उस पर बहस करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। प्रजातन्त्र के साथ यह एक मखौल है, खिलवाड़ है। गणराज्य में हर व्यक्ति का समान हिस्सा होता है। दुख है कि 35 वर्ष की आजादी के बाद भी देश के सम्पूर्ण समाज को समानता के आधार पर नहीं लिया गया है और उसका सर्वांगीण विकास करने के बजाय पांच या दस प्रतिशत लोगों में ही बन्दरबांट चलती रही है और मत्स्य न्याय के आधार पर ये पांच दस प्रतिशत लोग 95 प्रतिशत लोगों के हकों पर कुठाराघात करते रहे हैं, उनके पैसों का दुरुपयोग करते रहे हैं, जो विनियोग किया जाता रहा है, उसका दुरुपयोग करते रहे हैं। समाज के साथ यह एक भयंकर अन्याय है जो होता आ रहा है। यही कारण है कि आज विस्फोटक रूप में अस्सी प्रतिशत जनसंख्या, हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की सारे देश में अपना आक्रोश विस्फोटक रूप से प्रकट कर रही है और सब जगह पर अपने अधिकार की लड़ाई कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर संसद में केवल 193 के अधीन चर्चा ही हो, प्रस्ताव के रूप में भी न आये, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि हम कितने चिन्तित हैं। आना तो सरकार की ओर से विधेयक था और उसे पास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 35 वर्ष के बाद भी सरकार की नीति और उदारता इससे स्पष्ट हो जाती है कि हम आज भी उपेक्षित समाज को न्याय नहीं देना चाहते हैं। 80 प्रतिशत समाज राष्ट्र के शरीर का अभिन्न अंग है, जिस तरह से शरीर में खून की धमनियां बहती हैं और किसी अंग का अगर ठीक से उपचार न करें तो सारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है उसी तरह से राष्ट्र रूपी सम्पूर्ण समाज की विभिन्न जातियों से जानी जाती है उनका सर्वांगीण विकास करना लोकतांत्रिक सरकार का परम कर्तव्य हो जाता है। लेकिन अभी तक जो भी रवैया रहा है, जो भी कार्यान्वियन हुआ है, जो भी नीतियों के परिणाम सामने आये हैं उनसे साफ जाहिर हो जाता है कि अभी भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान के अनुच्छेद 16(4) में जो बताया गया है कि समाज के शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उपेक्षित पद दलित और अधिकार वंचित समाज के लिये आरक्षण की व्यवस्था होगी, उसको आज भी मांगने के समान समझा जाता है। सब लोग कहते हैं कि यहां समाजवादी व्यवस्था चल रही है और प्रजातन्त्र में हर आदमी का समान हिस्सा है। क्या यही व्यवस्था है। क्या कोई कह सकता है कि आज समाज के अन्दर 70 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे क्यों हैं ? इसीलिए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनमें से भी 10 प्रतिशत लोग ही सत्कार,

सम्मान सम्पत्ति और प्रशासनिक सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। देश विदेशों में जो राजनयिक हैं, 30 विभागों और 24 मंत्रालयों की प्रशासनिक व्यवस्था में, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सभी जगह इन गरीबों की उपेक्षा हो रही है। यही कारण है कि हमारे समाज का विकास सम्भव नहीं हो पाया है।

माननीय पासवान जी ने आंकड़े पेश किये थे, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पर जहां तक मांग की जा रही है वर्ग प्रथम की सेवाओं में हरिजन आदिवासी के लिए अभी तक 5.68 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 4.69 प्रतिशत स्थान मिले हैं। श्रेणी 2 में 18.10 प्रतिशत हरिजन आदिवासी के लिए और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 10.62 प्रतिशत और श्रेणी 3 और 4 के लिए 24.40 हरिजन आदिवासी के लिए और 24.40 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अभी तक हुआ है। मिला जुलाकर सभी श्रेणियों में हरिजन आदिवासी के लिए देखा जाए तो 18.71 औसतन प्रतिशत होगा और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 12.55 प्रतिशत हुआ है, जबकि हरिजन और आदिवासी लोगों की आबादी पूरे देश की जनसंख्या का 22.5 प्रतिशत है और पिछड़े वर्ग की आबादी 52 प्रतिशत है। अन्य आदिवासियों को छोड़कर के 78 या 81 प्रतिशत सामप्रतिक जनगणना के अनुसार होता है। इतनी बड़ी जनसख्या के लोगों को समाज के साथ-साथ समानता के आधार पर बढ़ने में बहुत बड़ी अड़चनें डाल दी जाती हैं। अगर सोचा जाये तो 18 परसेंट या 12 परसेंट जो अभी तक उनको सुविधा मिली हुई है, क्या इससे 52 परसेंट लोग आगे बढ़ सकेंगे, क्या यह आर्थिक कारणों से है ? यह निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमताओं के कारण और भेद-भाव भाई-भतीजावाद, जातिवाद, फेवरोटिज्म आदि के कारण ही उसके दुष्परिणाम हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा में अभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

संसदीय परम्परा में जो काका कालेलकर आयोग, संविधान के अनुच्छेद 340 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गठित हुआ 1953 में, उसकी 1955 में जो रिपोर्ट आई, उसकी अनुशंसाओं पर कुछ नहीं हुआ, पानी फिर गया। जब जनता सरकार आई तो 1-1-79 को उस समय के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग गठित किया और उसकी रिपोर्ट 31-12-80 को पेश की गई।

सरकार को संसदीय परम्पराओं के अनुसार उसकी परम्पराओं को प्रतिष्ठित करने के लिए श्रीमती गांधी को चाहिये था कि इसको कानून का रूप देकर समाज के इन 52 प्रतिशत लोगों को उचित हक देती, इसके लिए प्रयास करना चाहिए था। इस दिशा में हमारी जनता सरकार के समय जनता पार्टी के संसद-सदस्य श्री रूपनाथ यादव ने भी एक बिल यहां पेश किया था, जो काका कालेलकर आयोग के दृष्टि से उस पर 3 दिन बहस हुई थी। 23 फरवरी, 1979 को गृह-मंत्री ने हाउस में यह आश्वासन दिया था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने पर उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा।

हमारे प्रधान मंत्री ने 12 दिसम्बर 1979 को इसके समापन समारोह में भाग लिया था, और आश्वासन दिया था, उपरोक्त आश्वासन के अनुसार इसको अंगीकृत करना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का समाज के साथ-साथ विकास किया जाए और समस्त राष्ट्र के शरीर को सुदृढ़ और सुन्दर व स्वस्थ बनाया जाए तो सभी को एक साथ अवसर प्रदान किया जाए।

इस दिशा में मैंने भी एक बिल मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया है जो 1981 का विधेयक संख्या 135 है, जो भारतीय सामाजिक विषमताएं और निर्धनता उत्पादन विधेयक, 1981 के नाम से है, जिसमें हमने मांग की है, उसके प्रावधान के अनुसार प्रथम श्रेणी में 27 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में 27 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी में 30 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में 40 प्रतिशत आरक्षण का फार्मूला अपनाना चाहिये। इस तरह से समाज के इन लोगों का उद्धार हो सकता है। सरकार चाहे तो इस विधेयक को स्वीकृत करे अथवा सरकार अपनी तरफ से एक विधेयक बनाकर इस आयोग की सिफारिशों पर अमल करने के लिए कटिबद्ध हो, यही प्रजातांत्रिक सरकार का परम कर्तव्य हो जाता है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह समाज के, राष्ट्र, हरिजन, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ विश्वासघात होगा और जो दलील है कि आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, यह सब परम्परावादी, पोंगापंथी और कट्टर ब्राह्मणवादी विचारों क है। इसलिए इससे ऊपर उठकर समस्त समाज को ऊपर लाकर बढ़ाने के लिए यह जातिभेद से ऊपर होना चाहिये न कि मत्स्य न्याय या बन्दर बांट होना चाहिये। ताकतवर के हित की बात को समाप्त होना चाहिये और डैमोक्रेसी में हरेक को इक्लेलिटि विफोर ला होना चाहिये, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिये। यह संविधान की प्रस्तावना में है। अगर यह किताबों में ही रह जायेगा तो इन लोगों के साथ अविश्वास होगा और सारे देश में गृह-युद्ध होगा। सरकार को इस तरह के वातावरण को नहीं पनपने देना चाहिए। गीता और रामायण में बताया गया है कि सभी लोग सुखी और स्वस्थ हों, "सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व संतु निरामयाः।" सरकार को इस भावना को अपने सामने रखना चाहिए। "जन्मना जायते शूद्रः"—जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म से सभी ऊपर उठ सकते हैं। यह बात नहीं है कि कोई जन्म से ब्राह्मण है और कोई नीचे है। ये छुआछूत और विभिन्न सामाजिक विषमतायें पैदा की गई हैं।

यह एक गलत धारणा है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के कारण ही इन वर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसी बात होती, तो क्यों एकलव्य को गुरु-दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काट कर देना पड़ा, क्यों शम्बूक की गर्दन काटी गई, क्यों मराठवाड़ा विश्व-विद्यालय का नाम डा० अम्बेडकर पर रखने का विरोध हुआ, क्यों हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश और यज्ञोपवीत धारण करने में बाधा डाली जाती है ? क्या यह सामाजिक और जातिगत दोष नहीं हैं ? क्या इन बातों के पीछे आर्थिक कारण हैं ? श्री जगजीवन राम द्वारा बाबू सम्पूर्णानन्द की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उसे गंगा-जल से धोया गया। क्या इसके पीछे भी कोई आर्थिक कारण था ? इन बातों के पीछे सामाजिक और शैक्षिक कारण हैं।

इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अधिक दिनों तक पिछड़े वर्गों की उपेक्षा न करे। राष्ट्र के हित में और सम्पूर्ण समाज के सम्पूर्ण विकास के लिए यह जरूरी है कि उन्हें उचित स्थान दिया जाए और इसके लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए।

श्री ईरा अनवारासु (चिंगलपट्टु) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् यद्यपि यह सभा तीन चौथाई खाली है, मैं फिर भी चाहता हूं कि···मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा। मैं इस देश के पिछड़े वर्ग की जनता की ओर से अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यगणों से सभा में उपस्थित रहने का अनुरोध करता हूं। जब

मंत्री महोदय उत्तर दें तो पूरे सदन की ओर से कम से कम एक सदस्य उनकी बात को सुनने के लिये यहां होना चाहिए।

श्री ईरा अनवारासु : हम प्रतीक्षा करेंगे। हम उनकी बात सुनने के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके पश्चात वक्ताओं को नये प्रश्न उठाने चाहिए और वे ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो पूर्ववर्ती वक्ताओं ने नहीं रखे हों, (व्यवधान) मैं केवल आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि वह तब तक बैठेंगे जब तक आप बैठे रहेंगे।

श्री ईरा अनवारासु : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, मैंने विपक्ष के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों को सुना है, उन्होंने हमेशा की तरह राजनैतिक मामलों को यहां तक कि इस मामले को भी उठाया है, मैं उन्हें फिर याद दिलाना चाहता हूं। यह केवल कांग्रेस पार्टी ही है जिससे हमेशा पददलित समाज तथा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता की है। केवल इंदिरा गांधी जी ने ही··· (व्यवधान)···निःसंदेह यह एक सत्य है, यह एक निर्विवाद सत्य है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने ही हमेशा पददलित समाज की भलाई की है जिसमें अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियां भी शामिल हैं। मैं बहुत से उदाहरण भी दे सकता हूं। यह सर्वविदित सत्य है कि इस आयोग का गठन जनता पार्टी के शासन में किया गया था। यदि श्रीमती इन्दिरा गांधी की इससे कोई परोक्ष आपत्ति होती तो वह इसे रद्दी की टोकरी में फेंक सकती थी। लेकिन उन्होंने इस कार्य के लिये सभी सुविधाएं दिलवाईं, उन्होंने काम को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के प्रबन्ध किये।

एक माननीय सदस्य : कार्यान्वियन को छोड़कर।

श्री ईरा अनवारासु : नहीं, उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए आयोग के लिए सभी प्रबंध किये। इससे निश्चय ही यह स्पष्ट है कि वह पिछड़े वर्गों के लोगों तथा समाज के अन्य पदवलित वर्गों की भलाई के लिए कितनी वचनबद्ध है। केवल इतना ही नहीं मैं दूसरे उदाहरण भी देना चाहता हूं कि जो मेरे राज्य तमिलनाडु में हुए हैं। जब जस्टिस पार्टी 1925 के शुरू में किसी समय सत्ता में थी मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था—कॉम्यूनल गो ने सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया और महान नेता राजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कॉम्यूनल गो का समर्थन किया था 'कॉम्यूनल गो' 'जाति विशेष की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण चाहती थी। मैं उस गो का भी यह उल्लेख करना चाहता हूं। वर्ष 1947 में उच्चवर्ग द्वारा एक विशाल आन्दोलन किया गया कि कॉम्यूनल गो को समाप्त किया जाए। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा चलाये गये आन्दोलन पर राजा के नेतृत्व वाली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पददलित तथा पिछड़े वर्ग द्वारा कांग्रेस बनाई गयी और जनसंख्या के अनुसार आरक्षण किया गया। यह आरक्षण इस प्रकार है गैर ब्राह्मण जातियां—44 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के हिन्दू—14 प्रतिशत। ब्राह्मण 14 प्रतिशत, अनुसूचित जातियां 14 प्रतिशत, एग्लोइन्डियन क्रिस्चियन 7 प्रतिशत, मुस्लिम 7 प्रतिशत तथा बाद में इसमें वृद्धि कर दी गयी थी। मैं इसे इसलिए बताना चाहता हूं कि इससे यह पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी पददलितों की कितनी भलाई करना चाहती थी। आखिरकार पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए किए गए इस आरक्षण

तथा दी गयी अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध समतावादी समाज की स्थापना करने के एक मात्र उद्देश्य से है। यह उद्देश्य होना चाहिए लेकिन समाज अथवा देश में एक बार फिर जाति प्रथा नहीं बनानी है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि पिछड़ी हुई जातियों या पददलित जातियों के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के स्तर के बराबर लाया जाये। कोई व्यक्ति इस बात को नहीं भूल सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रारम्भ के दिनों में भी सामाजिक परिवर्तन किए तथा जाति प्रथा का उन्मूलन करने के लिए सामाजिक क्रान्ति की। हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश कराने के किए मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, तथा पिछड़ी जातियों के लोगों की डांडी मार्च, आदि कांग्रेस पार्टी के कार्य कलापों से निश्चय ही यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही पददलितों के हितों की रक्षा की है।

मानदंडों के बारे में बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा कि क्या हमें लोगों की आर्थिक स्थिति अथवा उनकी शिक्षा अथवा सामाजिक पिछड़ेपन को मानदंड रखना चाहिए। मेरे एक विद्वान मित्र श्री जैनुल बशर ने कहा था कि आर्थिक स्थिति मानदंड होना चाहिए।

श्री जैनुल बशर : मैंने यह कभी नहीं कहा था।

श्री ईरा अनवारासु : उन्होंने इस बात का भी आग्रह किया था कि अल्पसंख्यक वर्गों को भी उस श्रेणी में शामिल किया जाए। मैं यहां यह बात बताना चाहूंगा कि संविधान निर्माता एक सिद्धांत विकसित करने तथा केवल सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन को मानदंड रखने में इतने कठोर नहीं थे। इसका निर्णय करने में आर्थिक स्थिति के इस विचार पर जोर दिया गया था। मैं यहां उस बात की याद दिलाना चाहता हूं जिसे हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे। उन्होंने जब 29-5-1951 को संसद संविधान के अनुच्छेद 15 के सम्बन्ध में एक संशोधन रखा था और "आर्थिक रूप से" शब्द के साथ-साथ सामाजिक रूप से तथा "शैक्षिकरूप से" शब्दों का विरोध किया था। सरदार हुकम सिंह तथा डा० एस० पी० मुखर्जी ने "नागरिकों को पिछड़ा वर्ग" की परिभाषा में "आर्थिक रूप से" शब्द को जोड़ने के लिए एक संशोधन रखा। जब इसे। 1-6-1951 को श्री नेहरू की जोरदार दलील पर मतदान के लिए रखा गया तो उनका संशोधन 343 मतों से गिर गया और इसके पक्ष में केवल 5 मत ही पड़े।

अत: जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 340 में निर्धारित किया गया है। मानदंड केवल सामाजिक रूप से तथा शैक्षिक रूप से होना चाहिए न कि आर्थिक रूप से। और यह मुख्य यह कारण है जिससे काका कालेलकर द्वारा दी गयी रिपोर्ट को शालीन तथा अनौपचारिक ढंग से दबा दिया गया है। केवल यही नहीं। इसके कारण ही काका कालेलकर की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया गया है। उस रिपोर्ट की कोई निष्पक्ष जांच नहीं की गयी थी। केन्द्रीय सरकार ने आयोग की सिफारिशों को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए कोई निष्पक्ष जांच नहीं की गयी थी। आयोग के 12 सदस्यों में से पांच सदस्यों ने मतभेद होने के सम्बन्ध में टिप्पणियां दी थी। सरकार ने यह महसूस किया कि आयोग ने जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया है। और यदि जनता के सभी लोगों को विशेष सहायता दी जाती है, तो इस सहायता से वे लोग वंचित रह जायेंगे जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। और ज्यादातर उन लोगों को सहायता मिलेगी जिन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान अनुच्छेद 340 में सामाजिक रूप से तथा शैक्षिकरूप से पिछड़े वर्ग के बारे में बताया गया

है। इसलिए उनकी पहचान के लिए आर्थिक जांच न करना नासमझी प्रतीत होती है इस कारण से काका कालेलकर की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया गया था। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने विदाई सम्मेलन में भाग लिया तथा उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि वह आयोग की रिपोर्ट तथा उसके कार्यान्वयन पर कार्यावाही करने पर उचित ध्यान देंगी। इसलिए मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देता हूं कि मंडल आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये और इस सम्बन्ध में भी मैंने कुछ सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित करने के बारे में शोर मचाते हुए सुना है इससे मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि यदि यह आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए किया जाता है उनका माननीय विचार है कि उच्चवर्ग के लोग अपने कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित हो जायेंगे। इससे ऐसा न से प्रार्थना करते से यहां तक कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण पर भी कोई करें। यदि इसकी।

आखिर कार केवल अन्ध व्यक्ति को धूप-चश्मे की अथवा एक लंगड़े व्यक्ति को एक घूमने की छड़ी की आवश्यकता होती है।

यह केवल एक अस्थायी उपाय है। केवल यही एक रास्ता है जिससे पिछड़े वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को उच्च वर्ग के लोगों के बराबर लाया जा सकता है। यदि उच्चवर्ग तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के मध्य कोई मतभेद होता है तो मेरा यह विनम्र निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 15 या 16 या 29 में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उन लोगों को आरक्षण उपलब्ध हो सकें और उसके द्वारा हम इन सभी अड़चनों से बच सकें।

अतः संविधान में एक विशेष अनुच्छेद जोड़ा जाए जिससे उच्चवर्गों में वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके। आखिर कार जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के लोगों का बहुमत है। वे प्रमुख मतदाता हैं और जनसंख्या में से 52 प्रतिशत जनसंख्या उनकी है। अल्पसंख्यक 5 से 8 प्रतिशत हैं। उन्हें इस प्रकार के आरक्षणों का विरोध नहीं करना चाहिए। यदि इसका किसी प्रकार विरोध होता है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे इस प्रकार के विरोध की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए।

मैं उस पर जोर इसलिए देना चाहता हूं कि इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जाए, इसका कारण यही है। उन्होंने औपचारिक जांचों पर आधारित इस बढ़िया तथा वैज्ञानिक रिपोर्ट को तैयार करने में व्यापक कार्यवाही की है। एक अन्य माननीय सदस्य ने भी यह कहा था कि श्री वी० पी० नायक ने एक विमति टिप्पणी दी है और इसलिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उसने पिछड़े वर्गों के भी ये दो उप वर्ग बना दिये हैं दलित पिछड़ा वर्ग तथा मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग उन्होंने इसे भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के पश्चात किया है। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि मैं इस स्थिति में श्री नायक के विचार का समर्थन करता हूं। हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इससे कुछ हल निकलने दीजिए। कुछ न होने से कुछ होना अच्छा होता है। इसका कुछ हल निकलने दोजिए क्या यथा समय इसमें कोई संशोधन अथवा इसमें कोई वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए कि श्री नायक द्वारा की गयी असहमति टिप्पण के तर्क के आधार पर मैं निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसमें औपचारिक जांच का प्रयोग किया है और इसे तैयार करने में बहुत सावधानी बरती है।

श्रीमन, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो हमारे दूसरे पक्ष के सदस्य बहुत शोर मचायेंगे और अपने जीवित रहने के लिए इससे कम से कम राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि स्वयं पिछड़े वर्ग के लोग बड़े अधिक हो गये हैं और वे और अधिक विलंब सहन नहीं करेंगे।

श्रीमन, मैंने अभी-अभी तमिलनाडु में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था और मैंने वहां देखा है कि वहां अभी भी हरिजन, बेन्नियार मुकलाथोर, ओडर, नाडार, नाई, मरामेरी, तथा मछुए गांवों में खानाबदोशी की तरह रह रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अ[illegible] रक्षा की [illegible]कार द्वारा किये गए सुधार सम्बन्धी उपायों से कम से कम उन्हें इस सीमा तक पुनर्[illegible] या है और उन्हें इस स्तर तक लाया गया है (व्यवधान)

श्रीमन, मैं श्री नायक की भावनाओं को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, उन्होंने किस प्रकार लोगों की स्थिति के बारे में महसूस किया है, मैं उसे यहां उद्धृत करता हूं।

मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं की ओर से की गई इस चूक से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय पर आधारित एक समानतावादी समाज की स्थापना करने में एक गम्भीर अड़चन पैदा कर दी है। स्वतन्त्रता के उदय तथा आजादी के तीस वर्षों बाद भी अभी सुदूर ग्रामों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले भारतीय समाज के इन दुर्बल वर्गों को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंच पाया है। वे आज भी भाग्य के भरोसे ही रहते हैं। जबकि उन्हें हमारे आधार भूत कानूनों का लाभ मिलना चाहिए था। हमारे देश के संविधान में आधारभूत सिद्धान्त स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व इनके लिए कोई सार्थकता नहीं है। इसे हम पूर्णरूप से इन्कार नहीं कर सकते। इस प्रकार की स्थिति गांवों में चल रही है। अतः जब तक सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का फार्मूला नहीं बनाती है, तब तक पिछड़े वर्गों को स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की उचित प्रकार से रक्षा नहीं होगी। मैं यह चाहता हूं कि जब तक सरकार तत्काल इसके लिए कोई अपने आपमें पूर्ण कानून नहीं बनाती, तब तक के लिए मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से तत्काल कार्यकारी आदेश निकालने का अनुरोध करता हूं ताकि इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके।

श्रीमन, देशभर में आरक्षण की एक समान नीति होनी चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि उत्तर में आरक्षण की समान नीति नहीं है। अतः आरक्षण की एक समान नीति होनी चाहिए और एक अस्थायी उपाय के रूप में मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया जाना चाहिए और आवश्यक होने पर यथासमय एक व्यापक कानून भी बनाया जाना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इन सिफारिशों के समुचित कार्यान्वन का निरीक्षण करने के लिए निगरानी करने सम्बन्धी एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण किया तो गया है किन्तु उसे उचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। गत वर्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का केन्द्रीय सेवाओं की प्रथम श्रेणी में प्रतिनिधित्व 0.56 प्रतिशत था।

दूसरी श्रेणी के लिए इनका प्रतिनिधित्व 0.79 प्रतिशत था और तीसरी श्रेणी के लिए यह 4.23 प्रतिशत है। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इनका प्रतिनिधित्व 2.36 प्रतिशत है। यह सरकार का दोष नहीं है। सत्तारूढ़ लोगों का कसूर नहीं है। ऐसा उन कुछ लोगों के कारण हो रहा है जो मनुशास्त्रों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने सभी प्रकार के भेदभाव पैदा किये है—मेरा अभिप्राय नौकरशाहों से है और उन्होंने विभिन्न सेवाओं में इन लोगों के प्रवेश को रोक दिया ताकि उनकी प्रगति को रोका जा सके। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि इन विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वियन की उपयुक्त निगरानी करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं माननीय प्रधान मंत्री के चरणों को छूता हूं जो इस देश के लोगों की आकांक्षाओं का श्रोत है और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को विधायी रूप तथा कार्यकारी रंग प्रदान करें। यदि इसकी परवाह न की गई, तो किसी न किसी दिन पिछड़े वर्गों की निराशा एक ज्वालामुखी पर्वत की तरह फूट पड़ेगी। अतः, मैं एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिये और उचित सतर्कता बरती जानी चाहिए कि यथा शीघ्र कार्यान्वयन किया जाये। धन्यवाद।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अच्छा शकुन है कि इस देश का उच्चतम विधानमण्डल दूसरे पिछड़े आयोग के प्रतिवेदन पर शान्त मन से विचार कर रहा है।

जहां तक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सम्बन्ध है, मैं सारे सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 1953 के पश्चात जब काका कालेलकर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उस प्रतिवेदन को किसी भी कारण से ताक पर रख दिया गया था, इसे कूड़ेदान में डाल दिया गया था और कुछ कारणों से इसे सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, सैद्धान्तिक परीक्षणों को लागू नहीं किया गया था और उस आयोग के कुछ सदस्यों द्वारा विमत टिप्पणियां दी गई थी। किन्तु इसके चाहे कोई भी कारण रहे हों, इसके पश्चात हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ शोरोगुल्ल हुआ कि इन पिछड़े वर्गों के साथ सामाजिक न्याय तथः आर्थिक न्याय किया जाए। समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक वर्षों तक यह मांग निरन्तर रही। इस देश में यह प्रबुद्ध लोक मत था कि हमारे समाज के अधिक निर्बल वर्गों के साथ अवश्य ही सामाजिक न्याय किया जाना चाहिए और जो कुछ भी आज हो रहा है, अर्थात अत्याचार तथा दमन एवं सभी प्रकार का जो उत्पीड़न आज किया जा रहा है, उसे सरकार चुप रहकर नहीं देख सकती है। महोदय उसी दृष्टि से, जब जनता दल सत्तारूढ़ था, एक मांग की गई थी और एक गैर-सरकारी विधेयक पेश किया गया था और उस पर तीन दिन, अर्थात 8-12-78, 22-12-78 और 23-2-79 को, चर्चा की गई थी।

जनता शासन के दौरान शान्त रूप से विचार-विमर्श किया गया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने सभा में 20-12-78 को घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न मांगों तथा उनकी आवश्यकता पर विचार करने के पश्चात इस मंडल आयोग के गठन के बारे में उल्लेख किया था और उन्होंने इस सभा को आश्वासन दिया था कि आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा उचित रूप से विचार करने के पश्चात कार्यान्वित किया जायगा।

अब यही पृष्ठभूमि है और इस पृष्ठभूमि के आधार पर हम इस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस आयोग ने इस समूची समस्या पर पूरी तरह विचार किया है। उसने इस पुरानी समस्या पर विचार किया है। उस आयोग ने समूचे सामाजिक ढांचे का विस्तार से अध्ययन किया है और हमें भारतीय समाज की वास्तविक छवि से अवगत कराया है। भारतीय समाज की प्रारम्भ में इस आयोग ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी है, मैं उस ढंग के प्रति अपनी प्रारम्भिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। जिस तरह से सरकार ने इस मामले में कार्य किया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह आयोग के प्रतिवेदन के साथ की गई कार्यवाही रिपोर्ट को भी सभा पटल पर रखे जिसे सरकार द्वारा नहीं रखा गया है। मुझे इसका कारण मालूम नहीं है, इसके कारण तो सरकार को ही मालूम हैं। ऐसा करना सरकार के लिए संवैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है। किन्तु सरकार ऐसा करने में विफल रही है। उसने संविधान के उपबन्धों की अवहेलना की है और सरकार इस सभा के समक्ष इसके लिये उत्तरदायी है। वैसा क्यों नहीं किया गया? मुझे मालूम हुआ है कि प्रो० मधु दंडवते द्वारा विशेषाधिकार के मामले के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कुछ विनिर्णय दिया है। उस विनिर्णय में हम सरकार की निष्क्रियता का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तर्कसंगति के आधार पर मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हम सरकार की तर्क विरुद्ध बात का औचित्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जब सरकार के लिये यह अनिवार्य है कि वह आयोग के मूल प्रतिवेदन के साथ की गई कार्यवाही रिपोर्ट भी पेश करे, तो सरकार इधर-उधर के कुछ बहाने देकर के बच नहीं सकती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण दें क्योंकि सभा के प्रति उनका दायित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस सम्बन्ध में श्री यादव का उत्तर देने के लिए मान गये हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं यह बात जानता हूं। अब सारा प्रश्न ही हम आयोग के प्रतिवेदन के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। हम सभा के लिए यह ऐतिहासिक समय है क्योंकि हम शान्त रूप से जीवन और मृत्यु के प्रश्न, देश के सामाजिक ढांचे के बारे में विचार कर रहे हैं। इस देश की पृष्ठ भूमि चाहे कुछ भी हो, हम उसके बारे में बहुत ही प्रसन्न हैं और हम सदैव ही अपने अतीत के गौरव के बारे में कहते रहते हैं। जबकि हमें इस समय के गौरव प्राप्त नहीं है। यह भी एक कारण है। किन्तु हमें इस बुराई के मूल कारण की आलोचनात्मक समीक्षा करनी होगी। हमारे देश का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। हमारा देश बहुत ही प्राचीन देश है। इसके पास एक महान उत्तराधिकारिता है, अर्थात धार्मिक उत्तराधिकारिता तथा लोग हैं जिनके उच्च विचार हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक दूसरी विचारधारा अर्थात प्रतिक्रियावादी विचारधारा भी है। दोनों ही विचारधाराएं देश में साथ-साथ चल रही हैं और उसने असंगतिपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है जिसने हमारे समाज को वर्तमान अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां समाज के सभी वर्गों को मानवीय अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं और इन्हें इन से वंचित रखा जा रहा है। आरम्भ में यह उच्च विचार आया। पहले भी हमें अपनी विद्वत्ता पर गर्व था। अतः, हम सामाजिक, मानवीय संस्कृति के उच्चतम शिखर पर थे और हम सारे विश्व को कुछ दे रहे थे। लोग निम्नलिखित बात कह रहे थे :

एतछेशप्रसूतस्थ सकाशादग्रजन्मत
स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरेन पृथ्व्या सर्वमानवाः

इसका अर्थ यह है कि सारा विश्व यहां आये और हमारे लोगों से ज्ञान प्राप्त करें, कि मौलिक मूल्य, मानवीय मूल्य क्या हैं। इसी बात का हम विश्व को यही उपदेश दे रहे थे। हम "वसुदेवा कुटुम्बकम" की बात कर रहे थे। इसका अर्थ यह है कि समस्त विश्व मेरा परिवार है। अब क्या हो गया ? हम इस उच्च विचार से भ्रष्ट हो गये और अब हम अवनति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके कारण क्या हैं ? कारण यह हैं कि उसके पश्चात समाज में कुछ निहित स्वार्थी पैदा हो गये थे। और इन निहित स्वार्थों ने इन धार्मिक पुस्तकों की भी व्याख्या कर दी और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कुछ कहा है उसकी भी अपने ढंग से व्याख्या कर दी।

चातुवर्णः मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः

किसी ने भी इसकी ठीक व्याख्या नहीं की। और भगवान श्रीकृष्ण का वह नारा या वह श्लोक, जाति पर आधारित भावनाओं को केवल नजबूत करने के लिए ही उद्धृत किया गया है··· (व्यवधान)। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि निहित स्वार्थ भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेश में बताये गये श्रेष्ठ विचारों की गलत व्याख्या कर रहे थे। यही कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे देश की इन विभिन्न धाराओं तथा परस्पर विरोधी विचारों के कारण तथा निहित स्वार्थों के कार्यों के कारण हमारा समाज आज टुकड़े-टुकड़े हो गया है और यह एक विभाजित समाज बन गया है। समाज की तह में तथाकथित अछूत तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं। हमने एक पिरामिड ढांचे की उत्पत्ति कर दी है जिसमें ऊपरी सिरे पर वे सभी व्यक्ति हैं जो शोषक हैं और सामाजिक ढांचे के निचले सिरे पर वे सभी व्यक्ति है जो पद दलित तथा उत्पीड़ित हैं। जिनको बोलने का अधिकार नहीं है, जीवित रहने का अधिकार नहीं है। यह सामाजिक ढांचा अनेक वर्षों तक चलता रहा, किन्तु सौभाग्यवश महात्मा गांधी जैसे लोग भी थे। महात्मा गांधी सामने आये और उन्होंने भारतीय समाज तथा राजनीतिक स्थिति की कड़ी आलोचना की और उन्होंने एक महान क्रान्ति पैदा कर दी। वह केवल एक राजनैतिक नेता ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने राजनीतिक तथा सामाजिक विचारधारा को धक्का पहुंचाया। मुझे एक घटना याद है। जब उस आश्रम का उद्घाटन किया जाना था, एक पूंजीपति ने शुरू में इस आश्रम के लिये लाखों रुपये का चन्दा देने का वचन दिया था, किन्तु जब उसे यह मालूम हुआ कि महात्मा गांधी उस आश्रम में हरिजनों को जाने दे रहे हैं और आश्रम का उद्घाटन एक हरिजन द्वारा किया जा रहा है, तो वह महात्मा गांधी के पास गये और उन्हें बताया कि यदि एक हरिजन उनके आश्रम का उद्घाटन करने जा रहा है, तो वह एक भी पाई का चन्दा नहीं देंगे। उन दिनों पाई की मुद्रा का प्रचलन था। महात्मा गांधी द्वारा उन्हें यह उत्तर दिया गया था "मैंने आपको इस आश्रम के लिए चन्दा देने के लिए कहा, मुझे बड़ा दुःख है कि यदि आप जैसे लोग एक पाई भी न दे, तो देश के लिए यह बेहतर ही होगा। मैं आप से कुछ स्वीकार करना पाप समझूंगा। महात्मा गांधी का यह रुख था।

महात्मा गांधी जीवन पर्यन्त इन पद-दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए काम करते रहे और उनकी उन्नति के लिए सोचते रहे। उन्होंने लोगों का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित

किया और लोगों की धारणा को धक्का लगा। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक चरण और प्रत्येक दृष्टि से आलोचना की और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के साथ-साथ समाज में सामाजिक चेतना थी। जहां तक हमारी सामाजिक विषमताओं, त्रुटियों और असमानताओं का सम्बन्ध है, लोग इस बारे में भी जागरूक थे। इस तरह उन्होंने देश में महानतम क्रान्ति पैदा कर दी थी।

कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या कई तरह से की है और इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, किन्तु इसे किसी ने भी बदलने का प्रयास नहीं किया है। इसे वास्तव में बदला किसने ? यह महात्मा गांधी ही थे जो इसके लिए लड़े और कष्टों को सहन किया और उन्होंने समस्त समुदाय के सोचने के ढंग को झटका दिया।

हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति को पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन्होंने हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की व्यापक छवि का उल्लेख किया है। असमान सामाजिक ढांचे के कारण जाति प्रथा सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उच्चतर वर्गों तथा निम्नतर वर्गों के बीच प्रतीक तथा विभाजन करने वाली दीवार बन गई। और निहित स्वार्थ चाहते थे कि जातिप्रथा दिन-प्रतिदिन मजबूत हो।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, आप मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कब बोलेंगे ?

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, मैं विषय की पृष्ठभूमि दे रहा हूं। मंडल आयोग ने इन सभी मुद्दों को लिया है। मुझे आशा है कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं इस रिपोर्ट को अक्षरशः पढ़ चुका हूं। जब तक हम उन मुद्दों को नहीं समझेंगे, जिन्हें मंडल आयोग ने उठाया है, तब तक हम आयोग की सिफारिशों एवं निष्कर्षों को नहीं समझ पायेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुये, मैं यह विचार व्यक्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप मंडल आयोग पर आइये। आप समुचित आधार तैयार कर चुके हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, आपने मेरा तारतम्य बिगाड़ दिया है। आपने इसका सबसे अधिक अहित किया है।

श्री राम प्यारे पनिका : महोदय, उन्हें अपना भाषण मंडल आयोग तक ही सीमित रखना चाहिए।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, मेरे विचार से मेरे पास पर्याप्त समय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को 15 से 20 मिनट का समय दे रहा हूं। आप 12 मिनट का समय ले चुके हैं। अतः आपके पास केवल 5 से 8 मिनट है। आप 10 मिनट में अपना भाषण पूरा कर सकते हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, कुछ लोगों ने मनुस्मृत्ति का जिक्र किया है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं इसकी पृष्ठभूमि दूं। लेकिन वर्तमान समाज में

भी, जो जातियों, समुदायों आदि से भरा है, बहुत से ऐसे रूढ़िवादी हैं जो उस उक्ति में आस्था रखते हैं जो मनु के समय में भी प्रचलित थी :

ढ़ोल गंवार शूद्र पशु नारी,
ये सब ताड़न के अधिकारी ।

आज भी ये लोग इस कथन में विश्वास रखते हैं । और इसी वजह से वे हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों पर अत्याचार करते हैं । प्रतिदिन हम देखते हैं कि दमन का यह दुश्चक्र किस प्रकार चल रहा है ।

आज आरक्षण का सिद्धांत चर्चा का विषय नहीं है । समूचे देश ने आरक्षण के सिद्धांत को विचार-उपरान्त स्वीकार किया है । जब तक हम निर्धन और पिछड़े वर्गों को ऊपर उठा कर समाज के दूसरे वर्गों के समकक्ष नहीं ला देते, तब तक यह आरक्षण जारी रहेगा । इन पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना अनिवार्य है । अतः आरक्षण को जारी रखना होगा । आज यह चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि पहले ही आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर चुके हैं । जब गुजरात में अशान्ति फैल गई थी, वहां आग सी फैली हुई थी । उस समय मैंने सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर पांच घंटे बहस हुई । इस प्रश्न पर सभा में दो बार पांच-पांच घंटे बहस हुई । सभा ने एकमत से आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन किया । तत्पश्चात् गुजरात विधान सभा ने भी एकमत से आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन किया क्योंकि समाज का एक बड़ा भाग इस समय पंगु है । अतः वर्तमान समाज में आरक्षण अनिवार्य है ।

अब प्रश्न उठता है कि आरक्षण कितना हो और इसे किस तरीके से लागू किया जाये । यहां सरकार और समाज का दायित्व आता है । मैं सारा काम सरकार पर ही नहीं थोपना चाहता, क्योंकि सरकार की अपनी सीमाएं हैं । सरकार कानून पास करेगी और संविधान में उपबन्ध करेगी । परन्तु देश में जब तक सामाजिक चेतना नहीं पैदा होती, जब तक यहां कोई जन आन्दोलन नहीं छिड़ता, जब तक इनका समर्थन करने के लिए कोई आन्दोलन नहीं होता, तब तक हम अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे ।

इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत है । आयोग ने यह सिफारिश की है और मेरे विचार में यह सही है । आयोग की सिफारिश बहुत ही उचित हैं और उन पर बिलकुल निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है । इस आधार पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पिछड़े वर्गों का सेवाओं तथा शिक्षा संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए । मेरे विचार में यह एक उचित और रचनात्मक सुझाव है ।

दुर्भाग्यवश, इस समय केन्द्र सरकार की प्रथम श्रेणी की सेवाओं में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व केवल 4.69 प्रतिशत है । यह बहुत ही कम है । संविधान अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार, जहां कहीं भी पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, वहां सरकार को कानून बनाने चाहिये । आयोग ने यह सिफारिश की है । मेरे विचार में सभा के सामने एक ऐतिहासिक रिपोर्ट विचारार्थ है । इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि हमारे समाज के सभी वर्गों के सभी समझदार व्यक्ति इसका समर्थन करेंगे ।

इसमें एक बाधा है, जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यद्यपि हम निर्बाध आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं तथापि हमें देखना होगा कि पिछड़े वर्गों में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है। उदाहरणतः महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री वसंतराव नाइक बहुत ही सम्पन्न परिवार से थे। वे इन पिछड़े वर्गों से ही सम्बद्ध थे। ऐसे परिवारों को पिछड़े वर्गों को मिलाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठाना चाहिए। इसलिए, हमें इन पिछड़े वर्गों को दी जानी वाली आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य सुविधाओं के बारे में बहुत सावधानी बरतनी होगी। सम्पन्न लोगों को यह लाभ नहीं उठाने चाहिए।

मेरे विचार में अभी हमने केवल समस्या के एक पहलू पर विचार किया है। हमने अभी समाज के सबसे निर्धनतम व्यक्ति तक सुविधायें नहीं पहुंचाई हैं। हमें यह देखना चाहिए कि ये सभी लाभ समाज और पिछड़े वर्गों के सबसे निम्न व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए।

अब मैं मंडल आयोग को इस अच्छी रिपोर्ट के लिए मुबारकबाद देता हूं। मेरे विचार में समूची सभा और समूचा देश मेरी बात का समर्थन करेगा। मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में सही कदम उठाये जायेंगे। यहां कुशल एवं अकुशल हर प्रकार के व्यक्ति हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि अकुशल एवं अर्धकुशल लोगों को सभी सुविधायें दी जायें। सरकार को यह देखना चाहिए कि निर्धनतम व्यक्ति का जीवनस्तर ऊपर उठे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, विपक्ष के पांच सदस्यों को बोलना है—प्रत्येक पार्टी से एक सदस्य। मैंने समय नोट कर लिया है। यदि कोई भी सदस्य 15 मिनट से अधिक समय नहीं लेता तो इसमें कुल 75 मिनट लगेंगे। सत्तारूढ़ दल से 11 माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे। यदि प्रत्येक सदस्य 10 मिनट का समय लेता है तो इसमें कुल 110 मिनट लगेंगे। इस प्रकार हमें कुल 3 घंटे 5 मिनट का समय चाहिए। वर्तमान स्थिति के अनुसार, माननीय मंत्री जी 11 बजे (अपराह्न) ही उत्तर दे पायेंगे। उन्हें कम से कम एक घंटा लगेगा। इस प्रकार हम सभा की कार्यवाही 12.30 अर्थात कल सुबह ही स्थगित कर पायेंगे।

अतः आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यदि माननीय सदस्य बार-बार उन्हीं बातों को न दोहराये और आवश्यक बात कहें तो हम 10 बजे (अपराह्न) सभा की कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं।

अब श्री विजयराघवन बोलेंगे। वे कृपया करके इस दिशा में शुरूआत करें। मैंने सभी बातें सभा के सामने रख दी हैं। मंत्री जी सभी सदस्यों की सुनने के लिए सहमत हो गये हैं।

* **श्री बी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मागांधी ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 'हरिजन' की संज्ञा दी, अर्थात "भगवान के बच्चे।" और हरिजन कल्याण को स्वराज्य का मुख्य ध्येय बनाया। जब राष्ट्र निर्माता स्वर्गीय पंडितजी प्रधान मंत्री बने उन्होंने देश से जात-पात की बुराई को समाप्त करने के लिए हर

* मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सम्भव कदम उठाया । हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी हमारे समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में गहरी दिलचस्पी ली है । उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु बहुत से कदम उठाये हैं । महोदय, जब यह बहस शुरू हुई थी उस समय श्री वेंकटरामन ने कहा था कि वह उस समय तक बैठने के लिए तैयार हैं जब तक सभा चाहे और प्रत्येक सदस्य जितना चाहे समय ले सकता है। इससे इस बात का पता चलता है कि वह विचारार्थ विषय में कितनी दिलचस्पी रखते हैं । अधिकांश माननीय सदस्य सभा में उप-स्थित हैं और चर्चा में दिलचस्पी से भाग ले रहे हैं इसी से पता चलता है कि हमारी अधिकांश जनता पिछड़ी जातियों से सम्बद्ध है ।

महोदय, हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 में यह व्यवस्था है कि पिछड़ी जातियों का अभिनिर्धारण करने और उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए उपाय सुझाने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है । उस उपबन्ध के अन्तर्गत 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था । इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी । इसमें केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण करने की सिफारिश की गई थी । इसकी प्रमुख सिफारिश थी कि श्रेणी I पदों में 25 प्रतिशत, श्रेणी II पदों में 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशत और श्रेणी III पदों में 40 प्रतिशत आरक्षण किया जाये । परन्तु केन्द्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया । सरकार ने कहा कि पिछड़े वर्गों की राष्ट्रीय स्तर पर सूची तैयार करने और केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है । और राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने तथा उस क्षेत्र में विद्यमान विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान करने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया । चूंकि केन्द्र सरकार ने इस मामले में कोई ठोस आधार नहीं लिया, इसलिए आज भी केन्द्रीय सेवाएं पिछड़े वर्गों की पहुंच से परे हैं । इन सेवाओं पर ऊंची जातियों का वास्तव में एकाधिकार है । इस हालत को बदलना चाहिए । मैं पुरजोर मांग करता हूं कि केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण होना चाहिए ।

मंडल आयोग को हिन्दू समाज के ढ़ाचे को देखते हुए पिछड़ेपन के मानदण्ड का पता लगाने के लिए कहा गया था । मंडल आयोग ने सिफारिश की है कि पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए जाति मापदंड होना चाहिए । निसन्देह जाति को प्रमुख मापदंड मानने से भारी विवाद उठ गया है । जो जाति को पिछड़ेपन का मापदण्ड मानने का विरोध करते हैं उनका तर्क यह है कि आर्थिक पिछड़ेपन को कसौटी माना जाना चाहिए । हम इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इससे वास्तव में पिछड़े वर्गों को अवसर नहीं मिल पायेंगे । इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान स्वतन्त्रता पूर्व की केरल की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं ।

प्रत्येक जाति को अपने परम्परागत धंधे को अपनाना पड़ता था । एक पिछड़ी जाति के डा० पल्पू नामक व्यक्ति ने उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद सरकारी सेवा में नौकरी की खोज की । उस समय श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर ट्रावनकोर राज्य के दीवान थे । उदारमना दीवान ने डा० पल्पू को कृपा पूर्वक पांच नारियल के पेड़ रस निकालने हेतु निशुल्क प्रदान कर दिए जैसा कि उनका पुरतैनी धंधा रस निकालने का था । पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं से बाहर रखा जाता था । बेहूदा जातिवाद का जहर अब भी सर्वोपरि व्याप्त था । इस दशा को केरल के प्रसिद्ध कवि श्री

कुमारन आसन ने बड़े प्रभावी ढंग से निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है :

यहां अछूत हैं
यहां ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं
ऐसे भी हैं जिनका देखना भर कलुषित कर देता है
जो परस्पर प्रणय-सूत्र में बंध सकते नहीं
मिलकर खा सकते नहीं।
ये जाति-दानव हैं।

अतः पिछड़े वर्गों के प्रति भेदभाव का मुख्य आधार जाति था इसलिए यही तर्कसंगत है कि जाति को ही पिछड़ेपन का मुख्य मापदंड रखा जाए।

महोदय, मंडल आयोग ने 3743 समुदायों एक सूची बनाई है। ये सब जातियां कुल जनसंख्या की 52 प्रतिशत हैं। पर इन्हें कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है। आयोग ने सरकारी सेवाओं और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में आरक्षण करने की सिफारिश की है। इसी तरह इसने शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण करने की सिफारिश की है। ये समुदाय शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली उच्च जातियों पर आधारित हैं जिनके पास साधन हैं। मैं आपको एक उदारण देता हूं। बच्चों की योग्यता छात्रवृत्ति की अखिल भारतीय परीक्षा में बच्चों से बम्बई से कलकत्ता तक की हवाई जहाज से काल्पनिक यात्रा पर एक विस्तृत निबंध लिखने को कहा गया। गांव के किसान का लड़का या कृषि श्रमिक का लड़का हवाई यात्रा की कल्पना कैसे कर सकता है और इस पर निबन्ध लिख सकता है? इसका अर्थ है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। परन्तु एक करोड़पति का बेटा जो हवाई जहाज में कई बार यात्रा कर चुका है वह आसानी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अतः ऊंची जाति पर आधारित वर्तमान शिक्षा प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि केन्द्र-सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों के उत्थान सम्बन्धी योजनाएं शुरू करने के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध की जानी चाहिए। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन समस्याओं के प्रति निश्चित दृष्टिकोण अपनाया गया है। परन्तु वास्तविक समस्या उन योजनाओं को लागू करने की है। निहित स्वार्थों की गहरी जड़े इन लाभों को पिछड़े वर्गों तक नहीं पहुंचने देती हैं। अतः केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को पहुंचे। अंग्रेजी शासन के दौरान आई० सी० एस०, आई० एफ० एस० आदि सरकारी सेवाएं उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। यहां तक कि ग्राम अधिकारी का पद भी आनुवंशिक था। जहां तक निम्न श्रेणी की सेवाओं का सम्बन्ध है स्वाधीनता के बाद इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है। परन्तु आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० आई० पी० एस० आदि जैसी सेवाएं अभी भी उच्च वर्ग पर आधारित हैं। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारी प्रधान मंत्री के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों को न्याय मिलेगा।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, हम लोग इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को तैयार करने वाले लोगों ने बहुत ही ज्ञानवर्द्धक तथ्यों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इससे बहुत सारी बातों का ज्ञान हममें से बहुतों को पहली बार होगा।

इस रिपोर्ट को तैयार करने में विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया गया। आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ सदियों से जिस तरह का अन्याय किया जाता था, उसके रोंगटे खड़े हो जाने लायक बातों का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। मैं केवल एक बात का जिक्र इस रिपोर्ट में से करूंगा—

मैसूर की बात है। मैसूर में एक जमाने में ऐसी अवस्था थी कि वहां औरतों को कहा जाता था कि बिल्कुल सीने को खोलकर चलो। उन्हें कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था। वहां पर इसके खिलाफ आन्दोलन हुआ। मैसूर के महाराजा को मजबूर होकर कहना पड़ा कि औरतें कंचुकी पहन कर चल सकती हैं।

यह स्थिति आज से नहीं, सदियों से रही है और इस स्थिति को मजबूत करने में मनुस्मृति ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, जिसके खिलाफ पूरे समाज को बगावत करनी चाहिए।

आजादी के आंदोलन में हिन्दुस्तान की सारी जनता ने, सभी वर्गों और जातियों के लोगों ने, हिस्सा लिया था और उन्होंने उम्मीद की थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद सदियों से दबाए गए कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आजादी का फल गरीबों को मिलेगा, अमीर उससे वंचित रहेंगे। लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि हम आज भी यहां पर उनकी दुर्दशा पर विचार कर रहे हैं।

आजादी के बाद लोगों में—सब तरह के लोगों में, हरिजनों और आदिवासियों में, पिछड़े वर्ग के लोगों में और ऊंची जाति के गरीबों में भी—चेतना जागने लगी कि हमें आजादी का वांछित फल नहीं मिला। इस पर तरह तरह के आंदोलन होने लगे, जिनका फल यह हुआ कि जनवरी, 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। जिसने मार्च, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में भी आरक्षण के सिद्धान्त का समर्थन किया गया था, जबकि काका कालेलकर ने उसके विरोधी विचार भी व्यक्त किए थे। लेकिन आरक्षण के सिद्धान्त को कार्यान्वित नहीं किया गया।

कमजोर वर्ग के लोग शासन में भागीदार बनना चाहते थे, जबकि शासन में बैठे हुए लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसके परिणामस्वरूप कमजोर वर्ग के लोगों ने आन्दोलन शुरू किया। आपको स्मरण होगा कि गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू हुआ। उस समय उन राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें थीं। आन्दोलन के बाद 20 दिसम्बर, 1978 को मंडल कमीशन का गठन हुआ, जिसने 31 दिसम्बर, 1980 को अपनी रिपोर्ट दी। काका कालेलकर कमीशन ने 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया था। मंडल कमीशन ने पूरे हिन्दुस्तान का दौरा करने के बाद यह साबित किया कि विभिन्न राज्यों में 3507 जातियां दूसरे पिछड़े वर्गों में आती हैं। उसी कमीशन की रिपोर्ट पर आज हम बहस कर रहे हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्त रूप से आरक्षण का समर्थन करती है। आज से नहीं,

बहुत पहले से हम इसका समर्थन करते आ रहे हैं। 27 प्रतिशत आरक्षण की जो सिफारिश है, हम उसका भी समर्थन करते हैं।

एक माननीय सदस्य : उससे अधिक नहीं होना चाहिए ?

श्री रामावतार शास्त्री : वह मैं आगे चल कर बताऊंगा। उसके अलावा ···(व्यवधान)··· मैं पार्टी की ही नीति बता रहा हूं। ···(व्यवधान)···जब आप एक पार्टी में हैं इन्दिरा जी के खिलाफ आप बोल सकते हैं ? है हिम्मत ? है तो बोलिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह मेरा टाइम चला जायगा।

मैं आज इस सिद्धान्त का भी समर्थन करता हूं कि जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में जितनी भी आर्थिक मदद हो, सामाजिक अदद हो, शैक्षणिक मदद हो वह सारी मदद दी जानी चाहिए और इस बात का भी समर्थन करता हूं कि अगर किसी सूबे में 27 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण है तो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, वह जारी रहना चाहिए। इस तरह सिद्धान्त रूप में हम इस नीति का समर्थन करते हैं।

अब इस नीति का समर्थन करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज हमारे देश में पिछड़े वर्ग या दूसरे लोगों की स्थिति क्या है ? मंडल कमीशन ने जो बातें कही हैं उसीमें से पढ़ कर मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। सभी सम्प्रदायों के पिछड़े वर्ग की संख्या 52.10 प्रतिशत है जिसमें हिन्दू पिछड़ा वर्ग 43.70 और गैर हिन्दू पिछड़ा वर्ग 8.40 प्रतिशत है। कुल मिलाकर 52.10 प्रतिशत हैं। उसी तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 22.50 है जिसमें अनुसूचित जाति के लोग 15.5 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जाति के लोग 7.51 प्रतिशत हैं। अब जो जातियां ऐसी हैं जिनको सी-कास्ट अपर क्लास कहा जाता है उनकी संख्या 17.58 प्रतिशत है। यह हिसाब है। लेकिन हिन्दुस्तान के शासन सूत्र पर अधिकार किनका है वह आपने भाई राम विलास पासवान जी से आंकड़ों में सुन लिया। उनके बहुत सारे आंकड़ों को मैं सही मानता हूं, नौकरियों में जो स्थिति बतायी है वह सही है। इसलिए जब इतनी नाबराबरी रहेगी तो बड़ी मुश्किल होगी। देश को नया बनाना है, गरीबी मिटानी है, समाजवाद लाना है तो इतना अन्तर अगर रहेगा, अगर यह भेदभाव रहेगा कि कुछ लोग शासक रहेंगे और कुछ लोग शासित रहेंगे तो फिर हिन्दुस्तान का नक्शा नया नहीं बन सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 5 मिनट और ले लिए हैं। 10 मिनट का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ कहना है। बहुत से सदस्य बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आप मुझे बाधा पहुंचा रहे हैं। क्या मुझे बैठ जाना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप समय गंवा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : तो ये जो ऐस्पिरेंशस हैं कुचले हुए, दबे हुए, पिसे हुए लोगों के कि हमें भी शासन में भागीदार बनाना चाहिए, उसके बारे में मंडल कमीशन की तीन चार लाइनों का कोटेशन सुनाना चाहता हूं, उसमें बिलकुल सही कहा गया है :

"लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को इस देश में शासन करने के लिए भाग लेने का वैध अधिकार और आकोण होनी चाहिए। देश की जनसंख्या के लगभग 52 प्रतिशत जनता के अधिकारों को प्रदान न किए जाने की ऐसी किसी भी स्थिति में तुरन्त सुधार किए जाने की आवश्यकता है।"

(रिपोर्ट की पृष्ठ सं० 57) बहुत स्पष्ट है। ठीक इसी तरह से अब सवाल उठाया जाता है जाति का। आन्दोलन हुआ तो जाति का इस्तेमाल करने वाले भी उसमें पैदा हो जाते हैं और सही माने में उसकी सही समझ कर उसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं। जाति के बारे में मैं एक कोटेशन पंडित नेहरू का पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। रिजर्वेशन के सवाल पर ही उन्होंने 2 दिसम्बर 1954 को कहा था :

"मैं जातिवाद पर विशेष जोर देता हूं क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक प्रवृति है। हम जातिवाद की चर्चा करते हैं और इसकी निन्दा करते हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। परन्तु तथ्य यह है कि आधे दर्जन या दस-ग्यारह तथा कथित हिन्दू उच्च जातियों ने भारतीय समाज पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि हम जातिवाद हटाने की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं वर्तमान वर्ग व्यवस्था—जिसमें कुछ लोगों को उच्च स्थान पर आसीन किया गया है और कुछ को निकृष्ट स्थान पर—को यथावत रखना चाहता हूं। यदि हम समानता नहीं ला पाते या हमारी समानता की ओर झुकाव नहीं होता तो जातिवाद निसन्देह अत्यन्त खतरनाक तरीके से फैलता रहेगा।"

बहुत स्पष्ट कहा गया था कि हमको समानता लानी होगी और समानता केवल जबान से नहीं आयेगी, उनको सहूलियत शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तथा सभी क्षेत्रों में देनी होगी। आज जो भी पिछड़े हुए हैं, हरिजन आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोग, उनको आगे बढ़ाना होगा। इस आधार पर आरक्षण का समर्थन होना चाहिए कि हमको समाज को आगे बढ़ाना है और एक नया समाज बनाना है।

एक आब्जेक्शन इस सम्बन्ध में यह भी रेज किया जाता है कि लोगों में हार्ट-बर्निंग होगी। यानी जो लोग अभी नौकरियों में हैं अगर उनकी नौकरियां कम होंगी या आगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो हार्ट-बर्निंग होगी। इस सम्बन्ध में भी एक कोटेशन है :

"13.8 यह बिल्कुल सच है कि आप पिछड़े जाति के वर्गों के लिए आरक्षण करने से आपको बहुत आघात पहुंचेगा परन्तु इस आघात मात्र को ही इस सामाजिक सुधार के विरुद्ध नैतिक विशेषाधिकार मान लिया जाना चाहिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ते समय बड़ा आघात पहुंचा, दक्षिण अफ्रीका के श्वेतों पर तब बड़ा आघात पहुंचा जब काले लोगों ने रंगभेद नीति का विरोध किया।"

जमीदारों को हमने हटाया, बहुतों को मार कर भगाया और प्रिंसली आर्डर को समाप्त किया तो सभी में हार्ट-बर्निंग हुई। इसलिए हार्ट-बर्निंग के डर की वजह से, हम जो सामाजिक

सुधार करना चाहते हैं, न्याय की तुला पर जो हम समाज को तौलना चाहते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इससे भी साबित होता है कि आरक्षण की नीति सही है।

यह बात भी सही है, जैसा कि हमारा दल समझता है कि आरक्षण 27 परसेन्ट कर दिया जाए या 50 प्रतिशत कर दिया जाए उससे बेकारी की समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। यही बात कमीशन भी कहता है। अगर सारी नौकरियों में अपर कास्ट्स को ही भर दिया जाए तब भी उनमें जो आज बेकार हैं, उन सभी को नौकरी नहीं मिल जायेगी। इसी प्रकार से यदि हम बकवर्ड और पिछड़ी जाति के लोगों को ही नौकरी में डालें तब भी उनमें जो बेकारी है वह दूर नहीं होगी। इसलिए इसमें सिद्धान्त रूप से प्रश्न आता है शासन में बराबरी से हिस्सा लेने का। इसलिए मंडल कमीशन ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, समाज के ढांचे के परिवर्तन के सम्बन्ध में, उसको आपके समक्ष पढ़ देना चाहता हूं :

> "13.4 आयोग का यह दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान उत्पादन सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन करना एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जिसे सभी पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा उत्थान के लिए उठाया जा सकता है।"

> "13.35 अतः समिति की यह पुरजोर सिफारिश है कि देश में वर्तमान उत्पादन संबन्धों में आधारभूत रचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रगतिशील भूमि कानून अधिनियमित और लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिये जाएं।"

यदि देहात में हम आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो जमीन का बटवारा जरूरी है। यह करना ही होगा और इसकी तरफ आपका ध्यान जाना ही चाहिए। इसलिए कमीशन ने आरक्षण पर भी ज्यादा जोर दिया है और उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से जो हमारे समाज में देहातों के अन्दर, शहरों के अन्दर जो अन्तर है, गरीबी है, इस पर चोट करने की बात कही है।

आखिर में, मैं बिहार के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय एक आन्दोलन चल रहा था और जनता पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई थी। उच्च जाति के लोग आरक्षण का विरोध कर रहे थे और नेता बनकर आन्दोलन किए हुए थे। दूसरी तरफ जनता पार्टी में जो पिछड़ी जातियों के लोग थे, वे पिछड़ी जातियों के नेता बनकर आन्दोलन किए हुए थे। दोनों में क्लैश लगता था। उस समय वहां की स्थिति को देख कर लगता था कि गृह युद्ध हो जाएगा। सामान तोड़ा जा रहा था और सार्वजनिक सम्पत्ति तोड़ी जा रही थी और नष्ट की जा रही थी। उस समय कम्यूनिस्ट पार्टी ने कहा कि इस तरह की भावनाओं से काम नहीं चलेगा और कहा कि हम आरक्षण के सिद्धान्त को मानते हैं और इस तरह आपस में आंदोलन करने से, टकराने से हमारी एकता टूटती है। वर्ग संगठन की एकता टूटती है और हम समाज को बदलने के लिए जो आन्दोलन करते हैं, उसकी एकता टूटती है। हम लोगों ने विचार करके वहां एक फार्मूला दिया। उस फार्मूले को वहां की सरकार ने विचार करने के बाद स्वीकार किया। 24 परसेंट रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए है और 26 परसेंट रिजर्वेशन में जो अत्यन्त ही पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए 12 परसेंट एनैक्सचर-I और जो कुछ कम पिछड़े

हुए हैं, उनके लिए 8 परसेंट और इन सबके लिए एक आर्थिक सीमा लगाई। उस समय जो इनकम टैक्स की जो सीलिंग थी, उस सीलिंग से ज्यादा किसी की आमदनी होगी तो उसको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। क्योंकि जाति की बात चल रही थी, इसलिए महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण और तीन प्रतिशत जो उच्च जाति के गरीब लोग हैं, जो बहुत ही गरीब है, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कायस्थ हैं, इत्यादि। इस तरीके से उन्होंने 26 प्रतिशत किया। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए, ताकि समाज में जो वर्ग संगठनों की एकता को तोड़ना चाहते हैं, उनको मौका न मिले। आरक्षण के लिए आपकी संख्या 15000/- रखी जाए। इन बातों की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं और 27 प्रतिशत रिजर्वेशन का इम्पलीमेंटेशन करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो रही है, इस सन्दर्भ में मैं भी अपने मौजू ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि जो बातें पहले ही कही जा चुकी हैं, उनको मैं न दोहराऊं, लेकिन कुछ प्वाइंट शायद दोहराने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, 27 प्रतिशत बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की सिफारिश की गई है। जिसके तहत 22 परसेंट शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिए आल-रेडी रिजर्वेशन है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस सिफारिश को स्वीकार कर ले। मैं इसको सपोर्ट करता हूं। इस सिलसिले में हम काफी देर से सुन रहे हैं कि सरकार जल्दी ही शेडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स और अदर-बैकवर्ड-क्लासेज की लिस्ट को रिवाइज करने के लिए कोई बिल लाने वाली है। अगर यह बात दुरुस्त है तो यह एक वैल-कम-स्टेप होगा और सरकार को इस तरह का कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए। लिस्ट को रिवाइज करते वक्त इस बात का ख्याल रखना जरूरी होगा कि जो बैकवर्डस इकानामिकली अच्छे हैं उनको बैकवर्ड की यार्ड-स्टिक से नहीं मापना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है—कहां तक यह सच है कि राजस्थान में एक तबका ऐसा है जो आलरेडी बैकवर्ड की लिस्ट में है लेकिन वह काफी वैल-आफ है। जो रिजर्वेशन पहले से दी गई है उससे उनको काफी फायदा पहुंचा है—इससे जो दूसरे बैकवर्ड हैं, जो सही मायनों में बैकवर्ड हैं उनके अन्दर काफी हार्ट-बर्निंग है।

इसी तरह से शेडयूल्ड ट्राइब्स में कुछ ऐसे तबके हैं जो तालीमी और दूसरे लिहाज से काफी एडवांस हैं और आज तक शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए सरकारी मुलाजमत में या टेक्नीकल कालिजिज के एडमीशन में जो रिजर्वेशन रखे गये हैं उससे उन तबकों को काफी ज्यादा फायदा मिला है। चूंकि वे अब तालीमी लिहाज से काफी आगे हैं, इसलिये सरकार को कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए कि जो काफी वेल-आफ हैं, उनकी जगह जो दूसरे बैकवर्ड तबके हैं, जो तालीमी और दूसरे लिहाज से अभी भी काफी पीछे हैं, उनको फायदा पहुंच सके। दोनों को एक ही यार्ड-स्टिक से नहीं मापना चाहिये। जिन्होंने फायदा उठा लिया है उनके लिए कोई दूसरा तरीका बनाया जाए; जिनको फायदा नहीं मिला है, जिनको जगह नहीं मिली है, उनको उसमें लिया जाए।

हमारा मुल्क एक सैकुलर स्टेट है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म हमारे उसूल हैं, लेकिन एक चीज

मेरी समझ से बाहर है—मिसाल के तौर पर जो "नीयो-बुद्विस्ट" हैं, जो इनीशियली हरिजन थे या किसी दूसरे बैकवर्ड तबके से ताल्लुक रखते थे, नाबराबरी की वजह से या किसी दूसरी वजह से उन्होंने बुद्विस्ट धर्म एम्ब्रेस किया, तो जिस दिन से वह एम्ब्रेस करते हैं उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक आदमी अगर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी इकानामिक कण्डीशन उसी दिन से ठीक हो जाएगी, तालीमी हालत उसी दिन से ठीक हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए इस किस्म की बात अच्छी नहीं लगती है। हम यहां पर सैकुलरिज्म की चर्चा करते हैं, बैकवर्डस के लिये बड़ी-बड़ी तक़रीरें करते हैं, लेकिन जब प्रेक्टीकली करने पर आते हैं तो इस तरह की बात डिस्क्रीमिनेशन का मौजूं बन जाती है। इस चीज़ के बारे में आपको गौर करना चाहिए।

अब मैं अपने इलाके के बारे में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। पिछले कई सालों से लद्दाख में एजीटेशन चल रहा है। आपको पता है आज भी इसी मौजूं पर एक सवाल था कि वह एजीटेशन क्यों चल रहा है? वह इसलिये चल रहा है कि वह इलाका बिलकुल बैकवर्ड है। हम चाहते हैं कि उसको शेडयूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में लाया जाये। ताकि थोड़ी बहुत फैसीलिटीज़ जो दूसरे लोगों को सर्विसेज में और खासकर सेन्ट्रल सर्विसेज में या टेक्निकल एजूकेशन में रिजर्वेशन के जरिये मिलती हैं, वे हमें भी मिल जायें या जो कुछ ट्राइबल सब-प्लान में पढ़ाई के लिए कुछ पैसा केन्द्रीय सरकार ने दिया है उसमें से कुछ पैसा मिल जाये। आज हालत यह है कि सेन्ट्रल सर्विसेज में हमारे गिने-चुने दो-चार लोग ही हैं। एक बात जरूर है कि फ़ौज में सिपाहियों की जगहों पर हमारे काफी लोग लगे हैं और हमारी आबादी के लिहाज से काफी लोग हैं। वे इसलिए नहीं हैं कि सरकार ने हमको कोई कन्सेशन दिया है बल्कि यह इसलिए हुआ है कि हमारे लोग हाई आल्टीट्यूड में रहने वाले लोग, पहाड़ों पर ज्यादा अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और हमारे जो प्लेन्स के रहने वाले साथी हैं, वह आई आल्टीट्यूड में उस तरह से नहीं लड़ सकते। वे वहां दौड़ नहीं सकते, पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं और उनके सामने बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। इसलिए सरकार को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि हाई आल्टीट्यूड पर लड़ने के लिए हमारे यहां के लोगों को रखा जाए। इसलिए हमें यह इस वजह से मिला है, रिजर्वेशन की वजह से नहीं। क्योंकि हमारे यहां के लोगों ने साबित कर दिया है कि वे कितनी अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। चीन के साथ सन् 1962 में जो लड़ाई हुई, उसमें हमारे यहां के लोग इतनी बहादुरी से लड़े जो फौज के दूसरे आदमी नहीं लड़ सके। वे इस वजह से नहीं लड़ सके थे क्योंकि उस वक्त हमारे मुल्क की हालत एकोनौमीकली कमजोर थी। उनके पास क्लोथिंग नहीं थी, एम्यूनीशन्स नहीं थे, आटोमेटिक टाइप के वेपन्स नहीं थे। इसलिए प्लेन के लोग नहीं लड़ सके लेकिन हमारे यहां के लोगों ने चीन को दिखा दिया कि यहां पर भी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ सन् 1947 में, सन् 1965 में और सन् 1971 में हमारे यहां के लोगों ने अपने मुल्क के लिए जो सर्विस की, वह मेरे ख्याल से अनपेरेलल्ड है। आपने लद्दाख स्काउट्स का नाम सुना होगा। आर्मी में सबसे ज्यादा गेलेन्टरी एवार्ड इस यूनिट को मिले हैं और उसको डेकोरेट किया गया है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जरूरत के नाते हमारे यहां के लोगों को नौकरी मिली है वरना कुछ नहीं मिला है।

हमारे यहां जम्मू व काश्मीर सेक्रेटेरियेट में कोई तीन-चार हजार लोग या तो अफसर हैं या क्लर्कस हैं लेकिन हमारे यहां के सिर्फ दो आदमी हैं, जिनमें से एक अफसर तब्के का है और दूसरा चपरासी है। हमारे कोटे में जो कुछ हिस्सा हमें मिला है, वह यह है। लिहाजा वहां पर पिछले दो साल से एजीटेशन चल रहा है और 2 जनवरी से 48 घंटे का रिले फास्ट चल रहा है और यहां पर सब खामोश बने बैठे हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस चीज़ को देख ले और हालात को खराब न होने दे। हमारे बराबर की उम्र के, हमारे हम-उम्र जो लोग हैं, वे डोसाइल हैं और हम नहीं चाहते कि हम मुल्क के लिए कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करें जोकि मुल्क के इन्ट्रेस्ट में न हो। लेकिन जो आगे आने वाला एजूकेटेड तब्का है, जो थोड़ा-बहुत पढ़-लिखकर आगे आने वाली नसल है, वह हमारी तरह नहीं होगी। तब आपको एक सिचुएशन को फेस करना होगा अगर आपने ऐसे ही चलने दिया। आज जिस तरह से नार्थ ईस्ट रीजन में हो रहा है, वहां पर एन्टी-नेशन स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, मुल्क के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, कहीं ऐसा ही आगे चलकर हमारे यहां न हो। हमारी उम्र के जो लोग हैं, वे इस समय ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि हालात को ऐसे ही चलने दिया गया, तो कभी एक ऐसा एलिमेंट पैदा हो सकता है, जोकि हमारे मुल्क के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। लिहाजा मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि इसमें इन्टरवीन करने की सख्त जरूरत है। हां, इसमें यह जरूर है कि आपको कांस्टीच्युशनल कुछ अड़चन है जैसा कि आपने फरमाया भी था कि आर्टिकल 370 के तहत सेन्टर जो भी स्टेट में करना चाहे उसके लिए स्टेट की कन्फरेंस लेना जरूरी है। लेकिन हालात कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को वहां एक्शन लेना जरूरी हो जाए, किसी एक्ट को ल्रागू करने के लिए। जैसा कि लद्दाख को शेडयुल्ड ट्राइब एरिया बनाने के लिए जरूरी हो जाए। लद्दाख को शेड्युल्ड ट्राइब एरिया बनाने की जब हम बात करते हैं तो किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं करते हैं। लद्दाख में बौद्ध, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी रहते हैं। वहां हिन्दु भी हैं। सारे लद्दाख को हम शेड्युल्ड ट्राइब एरिया बनाने की बात करते हैं और हम यह चाहते हैं इर्रेसपेक्टिव आफ क्लास एण्ड क्रीड।

लिहाजा वहां की सरकार नहीं चाहती है कि लद्दाख के लोगों को फायदा मिले। उनको इस बात की जिद्द है कि ऐसा न हो। वह नहीं चाहते कि लद्दाख शेड्युल्ड ट्राइब एरिया बने। इसलिए वे सिफारिश नहीं कर रहे हैं। वहां केबिनेट की एक हाई पावर सब कमेटी बनी थी जिसके साथ जनवरी, 1981 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने गारन्टी दी थी कि वे शेड्युल्ड ट्राइब एरिया बनाने के लिए सिफारिश करेंगे लेकिन वह आज तक नहीं की। वे जानबूझ कर ऐसा नहीं कर रहे हैं?

अगर वे यह सिफारिश नहीं करते हैं तो वहां पर हालात खराब हो सकते हैं। जब हालात खराब होते हैं तो सेन्टर की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे खराब हालात को ठीक करे। यह ठीक है कि आपके साथ एक कांस्टीच्युशनल प्राब्लम है। अगर वहां हालात खराब हो गये तो आपको इन्टरवीन करना पड़ेगा। लिहाजा मैं यह गुजारिश करूंगा कि सेन्टर को यह चाहिए कि वह स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके मसले को हल करने की कोशिश करे। इस पर आप गौर फरमायें। इन बातों के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर यहां सदन में चर्चा हो रही है और इस ढंग से हो रही है कि सभी बड़े असमंजस में हैं कि यह रिपोर्ट लागू होगी या नहीं। अगर होगी तो किस प्रकार होगी ? सरकार क्या चाहती है, सरकार की क्या नीति है ?

आज देश में पिछड़े वर्ग के करोड़ों-करोड़ों लोग इस चर्चा को सुन रहे होंगे, या सुनेंगे या जानेंगे। यह सदन भी जानना चाहता है, देश भी जानना चाहता है कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि कब तक और किस सीमा तक इस रिपोर्ट को लागू किया जा रहा है। आपने जो राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है वह किन-किन राज्यों ने आपको भेजी है ? आपने सभी राज्यों से वह रिपोर्ट कब तक मांगी है और राज्यों ने वह रिपोर्ट भेजी भी है या नहीं ? अगर वे अपनी रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो क्या इसका भी फेट या भाग्य वही होगा जो कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का हुआ था ? आज हम लोग इसको बड़े ही गंभीर रूप से जानना चाहते हैं और इस पर सरकार की स्पष्ट नीति जानना चाहते हैं।

मैं अपनी बात प्रारम्भ करूंगा उससे जोकि मंडल कमीशन के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री बी० पी० मंडल ने लिखी है, कि :

"हमारे समक्ष समुचित रूप से ये शंकाएं व्यक्त की गयी हैं कि यदि मेरे आयोग की रिपोर्ट का भविष्य वैसा ही होता है जैसा कि काका कालेलकर रिपोर्ट का हुआ है तो सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जो कि हमारी जनसंख्या का विशाल समूह है, की आशायें और आकांक्षायें धूल में मिल जायेंगी।"

एक ऐसी उन्होंने उम्मीद की है और मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में उन्होंने जो सोचा है, मैं उससे भी बड़ी सीमा की ओर बात सोचता हूं। यदि रिपोर्ट लागू नहीं होती है तो केवल इसलिए नहीं होगी कि कुछ लोगों के मन में जाति का भेद-भाव है, वरना आज सदन बतला रहा है कि सभी माननीय सदस्यों ने राजनीति से ऊपर उठकर मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन किया है। कोई भी इसके विरोध में नहीं है। कोई बाधा नहीं है। सारे लोग एक साथ होकर जिस रिपोर्ट का समर्थन करें और सरकार उस पर भी मौन रहती है और उसको लागू करने से कतराती है तो सरकार की मंशा साफ नहीं है।

हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद यह साफ हो गया होगा कि देश के लोग चाहते हैं और सारे दलों के लोग चाहते हैं चाहे विरोध पक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, सबका यही मत है कि कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए।

इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हजारों साल से लोग पददलित रहे हैं। समाज में 90 प्रतिशत शोषित और 10 प्रतिशत शोषण करने वाले लोग रहे हैं और यह दुर्भाग्य है कि सत्ता भी उन 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में रही है। जहां-जहां सत्ता शोषितों के हाथ में गई है वहां आरक्षण हो गया है। वहां पर पिछड़ों को अवसर मिला है, लेकिन जहां शोषितों के हाथ में सत्ता नहीं आ पाई है वहां पर हमसे खेल-खेला जाता है। आज भी हम देखेंगे कि मंत्री जी क्या बयान देते हैं उससे पता लगेगा कि मंत्री जी कौन से दांव-पेंच लगायेंगे, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को वे चित

करेंगे, देश के लोगों को धोखा देंगे, जिस तरह से रिपोर्ट पेश करने में करते रहे हैं। हम समझते हैं कि वे हमारे सामने एक स्पष्ट चीज रखेंगे।

संविधान में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो एजूकेशनली एण्ड सोशली बैकवर्ड का क्राइटेरिया रखा गया है, मण्डल कमीशन ने उसको माना है। इकनामिक क्राइटेरिया बैकवर्ड का नहीं हो सकता और यह कहना कि इकनामिक क्राइटेरिया रखने से मैरिट में कोई वढ़ोतरी हो जाएगी और अयोग्य लोग नहीं जायेंगे, ऐसा नहीं है। आपके आर्थिक क्राइटेरिया को देख लीजिये। आपकी ही सरकार कहती है कि मेडीकल कालेजेज और इंजीनियरिंग कालेजेज में एडमीशन में लाखों रुपये देकर लोग दाखिला ले रहे हैं। क्या यह एडमीशन योग्यता के आधार पर दिये जा रहे हैं, मैरिट के आधार पर दिये जा रहे हैं ?

लोगों को अवसर दीजिए। आज पिछड़े वर्ग के लोगों ने, हरिजन-आदिवासियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे योग्यता में किसी से कम नहीं हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है।

हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि यहां जाति की सीमायें सबसे बड़ी हैं। यहां पर वर्ग बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं बदल सकती। एक व्यक्ति करोड़पति से कंगाल हो सकता है और कंगाल करोड़पति हो सकता है, लेकिन जाति नहीं बदल सकती—वर्ग बदल सकता है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश को कहां ले जाएगी ? इसके प्रति हमें संघर्ष करना है। वर्ण-विहीन, वर्ग-विहीन समाज की स्थापना के लिए विशेष अवसर लोगों को देने हैं। डा० अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी डा० राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी ने विशेष अवसर की जो व्यवस्था की है, जो बराबर संघर्ष करने का रास्ता हमको दिखाया है, उस विशेष अवसर के सिद्धांत पर हमको चलते रहना है। हमें मौका देना पड़ेगा। कोई डिसेंट नोट दिया गया है तो उसके बारे में हम आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम भयभीत हों, बल्कि यह तो अगली बात है। इसको आपस में बैठकर तय किया जा सकता है, लेकिन चाहे सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबका मन साफ है। वे चाहते हैं कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का जैसा हश्र हुआ, वैसा इस रिपोर्ट का न हो। हम सबकी एक राय है और जैसा कि 13 जून को तिरुची में टी० के० का सम्मेलन हो रहा था···। वीर मणि के आमंत्रण पर राम विलास पासवान जी आदि वहां गए थे। वहां पर डा० करुणानिधि द्वारा कही गई एक बात, उनका एक वाक्य मुझे याद आता है। वह आपके दोस्त हैं। आपके साथ उन्होंने हाथ मिला रखा है। आपके साथ बैठते हैं, आपकी सरकार के साथ चलते हैं। उस सभा में, लोगों के बीच, भरी सभा के बीच अपने स्वयं सेवकों के बीच उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और बात करूंगा मैडम से, प्रधान मंत्री से कि आन्दोलन शुरू होने से पहले ही मंडल कमिशन की सिफारिशों को मान लो। मैं समझता हूं कि देश के तमाम लोग चाहे वे किसी भी दल के हों, एक मत है कि मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और आपको इसको लागू कर देना चाहिए।

आपकी नीतियों की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। बहुत सी जातियों की तकदीर को आपने अधर में डाल दिया है। दिल्ली में मल्लाह फिशरमैन—शेड्यूल्ड कास्ट में आता है। बंगाल में वेवर्त शेड्यूल्ड कास्ट में आता है। लेकिन कहीं पर आपने उसको बैकवर्ड में डाल दिया है और कहीं पर शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में डाल दिया है। मांझी, मझवार, केवट कई उसके नाम हैं। आप एक-

सी नीति अपनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जातियों को कहीं पर शेड्यूल्ड कास्ट्स में डाल दिया जाए और उन्हीं को कहीं अन्यत्र ट्राइब्ज में डाल दिया जाए। अखिल भारतीय स्तर पर अपनी नीतियों में आप एक रूपता लाएं।

श्री रामविलास पासवान : इसके बारे में मेरा बिल पैंडिंग है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : सरकारी सेवाओं में ले लिए जाने से इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। इन सेवाओं में जाने पर केवल सम्मान मिलता है समाज में। यह केवल सम्मान की लड़ाई है। हमारे हाथों में शक्ति है। भारत के खेतों को हरा-भरा शूद्रों ने बनाया है, धड़धड़ाते हुए जो कारखाने बनाए गए हैं। ये शूद्रों द्वारा ही बनाए गए हैं। लेकिन हमारा शोषण हुआ है जिसके कारण हमको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल सका है। अगर हमारा शोषण न हो तो आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। देश में सामाजिक समानता लाने के लिए वर्ण और जाति के भेदभाव को हमको मिटाना होगा। 26-27 प्रतिशत विशेष अवसर देने की जो बात कही गई है यह कम है। इससे काम नहीं चलेगा। मैं बड़े भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वे स्वतः आगे आएं और कहें कि हजारों साल से आप पीछे रहे हैं सरकारी सेवाओं में और आपको आगे आने का मौका नहीं मिला है, हम दस-पन्द्रह साल तक सेवाओं में आपको आने का अवसर देते हैं, हम सेवाओं में नहीं जाएंगे। ऊंचे वर्गों के लोग यह बात कहें और संकल्प लें कि छोटे वर्ग के लोगों आओ, शूद्रो आओ, हम तुम्हारे लिए अवसर दे रहे हैं और हजारों साल तक जो तुम्हारा शोषण हुआ है, उसका हम प्रायश्चित कर रहे हैं तो यह सब से बड़ा प्रायश्चित होगा। मंडल कमिशन ने 27 प्रतिशत की बात कही है। मैं मांग करता हूं कि आबादी के अनुपात से जिस तरह से आपके राज्य में हैं जहां जाति के आधार पर, आबादी के अनुपात के हिसाब से आरक्षण की बात कही गई है, उसको आप भी लागू करें ताकि इन लोगों को समुचित अवसर मिल सके। यही मैं आपसे चाहता हूं। मंडल कमिशन की सिफारिशों को लागू करने का मैं आप से अनुरोध तरता हूं और आश्वासन चाहता हूं कि आप इनको लागू करेंगे। आप बताएं कि कब आप करने जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी कब तक आप इन सबको लागू कर देंगे। मैं चाहता हूं कि समयबद्ध कार्यक्रम बना कर, योजनाबद्ध तरीके से आप इस ओर आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी हमें बता दें ताकि हम बाहर की लड़ाई चालू कर दें और आपको मजबूर कर दें झुकने के लिए। पिछड़े वर्ग सजग हो गए हैं। बड़े वर्ग के लोग भी इस मामले में हमारा साथ देंगे। लोहिया के अनुयायी, महात्मा गांधी के अनुयायी, पेरियार की जो आवाज आज उठ रही है, वे सब आपको मजबूर कर देंगे और अगर आप फिर भी नहीं माने तो आपकी सरकार को बिगाड़ेंगे, हटायेंगे और स्वयं शासन में आएंगे।

* **श्री जे० सी० बरवे** (रामटेक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चल रहे वाद-विवाद में भाग लेते हुए प्रसन्न हूं, बहुत से मुद्दों पर पहले ही बहस हो चुकी है और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। पर मैं एक मुद्दे पर विशेष चर्चा करना चाहता हूं। सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित कर मंडल आयोग की सिफारिश को शीघ्र

* मराठी में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

क्रियान्वित कर देना चाहिए। आयोग ने क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त करने का सुझाव दिया है। पर मैं इसे जरूरी नहीं समझता हूं।

मुझे प्रसन्नता है कि सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलों के सदस्यों ने सर्वसम्मति से आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया है। आयोग ने सिफारिश की है कि पिछड़ा वर्ग निश्चित करने के लिए मापदंड जाति होनी चाहिए न कि वित्तीय स्थिति। मैं मंडल आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड से पूर्णतः सहमत हूं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को यथाशीघ्र लागू करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० सत्यदेव सिंह : (छपरा) : उपाध्यक्ष जी, मैं भाई रामविलास जी के विचार से थोड़ी सी असहमति रखता हूं। उन्होंने यह कहा कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण होना चाहिए और इन पर अत्यचार बड़ी जाति के लोग करते हैं।

श्री रामविलास पासवान : नहीं, यह नहीं कहा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : कहीं नहीं कहा।

प्रो० सत्यदेव सिंह : इन्होंने कहा कि देश में नेता और नीति की कमी नहीं है बल्कि नीयत की कमी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके कल तक के नेता चौधरी चरण सिंह ने डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल से बैठे-बैठे लिखा : मैं जगजीवन राम के हक में नहीं हूं। जिस समय देश की आजादी की लड़ाई के एक महान योद्धा श्री जगजीवन बाबू को देश का प्रधान मंत्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था उस समय आपके नेता ने यह कहा था कि मैं उन्हें नेता नहीं मानता हूं। और जैसा माननीय जैनुल बशर ने कहा, आज जो अत्याचार हरिजनों पर हो रहे हैं वह ऊंची जाति वालों की ओर से होते हैं या तथाकथित पिछड़े वर्ग की ओर से होते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मैं मांग करता हूं। बिहार से मैं आता हूं हरिजनों पर जितने अत्याचार हुए हैं अगर इसकी जांच हो जाए तो सच्चाई का पता लगेगा। हरिजन सदा से उपेक्षित और प्रताड़ित रहे हैं और उनके साथ अमानुषिक, अमानवीय आचरण होता है। गैरहरिजनों के द्वारा इसको मैं मानता हूं, और तब यह मैं मानूंगा और मांग भी करूंगा, मुझे प्रसन्नता होती माननीय पासवान जी यह कहते, जैसा माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहा और माननीय बी० आर भगत ने कहा कि 24 प्रतिशत हरिजन और गिरिजन के लिए आरक्षण है तब भी उन्हें आज तक 7 प्रतिशत की ही सुविधा मिल सकी है। तो अगर यह कहा जाता कि 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 30, 35 प्रतिशत हम हरिजनों के लिए कर दें तो मैं मानता हूं उनके मन में वास्तव में हरिजनों के लिये भाव है जो आज सभी दृष्टिकोणों से हमारे समाज में उपेक्षित हैं, अपमानित हैं, सरकारी नौकरी में अधिक प्रतिशत देने के बाद और अधिक वह आते तो सम्भवतः उनका सम्मान बढ़ता। यह बात सही है कि सरकारी नौकरी में आने पर सम्मान बढ़ता है वह ऊंचे उठते हैं। लेकिन यह स्थिति हमारे बिहार प्रदेश में यादव भाइयों की नहीं है। यादव हमारे यहां यादव कहे जाते हैं, गोंड, अहीर और ग्वाले कहे जाते हैं, राय उनकी पदवी है, तो इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी कमजोर नहीं रही है। और आज बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह एक प्रभावशाली वर्ग के लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब संविधान बना तो हरिजनों की इस दयनीय दशा को देखकर देश, समाज और राष्ट्र के मनीषियों ने उन्हें आरक्षण दिया था। आरक्षण जबर्दस्ती नहीं दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, लेकिन आज हम समझते हैं कि पिछड़े वर्ग में कुछ वैसे वर्ग और जातियां हैं जिनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है और उन्हें आरक्षण मिलना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। देश का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो यह परम आवश्यक है कि समाज का हर वर्ग समृद्ध, समुन्नत और सबल हो। यदि देश हमारा दुर्बल रहा, अगर देश का कोई भी वर्ग उपेक्षित रहा तो वैसी स्थिति में हमारा देश दुर्बल होगा और हमारे देश की स्वतंत्रता पर खतरा भी हो सकता है। इसलिए देश की आजादी को लेना जितना कठिन है, उससे भी कठिन देश की आजादी को अक्षुण्ण रखना है।

न केवल पिछड़े वर्ग की बात है, पिछड़े वर्ग में जैसे भाई जैनुल बशर ने कहा कि जो दबा हुआ पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा भी वर्ग है जिनके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। इन लोगों में खासतौर से यादव भाई, जो बिहार में हैं, वह किस मायने में पिछड़े हुए हैं? वे हमारे कृष्ण भगवान की सन्तान हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। कल पटना में कृष्ण जन्माष्टमी मनायी जायेगी जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जा रहे है, जिसमें हमारे बिहार प्रदेश के मान्य नेता श्री राम लखन सिंह यादव आयोजक हैं, उनको आप किस मायने में पिछड़ा हुआ कहेंगे। लेकिन उनको भी पिछड़े वर्ग की गिनती में लाया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार होना चाहिये। क्योंकि इस पिछड़े वर्ग आयोग का गठन भी उसी दल के द्वारा किया गया जिसमें प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई थे और गृह मंत्री माननीय चौधरी चरणसिंह थे, जिनकी नीति और लोकदल विशेषकर बिहार में तो कम-से-कम जातिवाद के लिए बदनाम है। यह प्रगतिशील नेता के नेतृत्व में···

श्री रामप्यारे पनिका : यू० पी० में भी यही हाल है।

प्रो० सत्यदेव सिंह : हमारे भाई पनिका जी कहते हैं, यू० पी० में भी यही हाल है।

(व्यवधान)

प्रो० सत्यदेव सिंह : मुझे निवेदन करने दीजिये प्रेम से सुनिए। मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूं। **(व्यवधान)**

प्रो० सत्यदेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हरिजन वर्ग के लोगों या पिछड़ी जातियों के लोगों में भी वैसे वर्ग के लोग हैं जैसे हज्जाम हैं, बढ़ई, कानू आदि अनेक जातियां हैं, इनको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। इनको आरक्षण मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिये, इन्हें आगे बढ़ाना चाहिये। भाई रामविलास जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भाई पनिका चरण-चुम्बन करते हैं।

श्री रामविलास पासवान : नहीं।

प्रो० सत्यदेव सिंह : आपने कहा है, तकारिये तो क्या, इसमें लिखा है।

श्री रामविलास पासवान : हमने कहा कि हरिजनों में भी दो तरह के लोग हैं, एक ठोकर मारता है, दूसरा उसका चरण चुम्बन करता है, पनिका जी उसका विरोध करने वाले हैं।

प्रो० सत्यदेव सिंह : पनिका जी विरोध करने वाले हैं, लेकिन आपने किसी कोटि में इसमें उनको रखा था। चरण-चुम्बन की चर्चा आपने की थी। जैसे भाई चन्द्रजीत यादव ने कहा, बलिराम जी भगत ने कहा कि 7 प्रतिशत हरिजन ही अभी तक सरकारी नौकरी में स्थान पा चुके हैं यद्यपि उनका आरक्षण 24 प्रतिशत है। मेरी यह मांग है सरकार से कि हरिजनों की इस दयनीय दशा को देखते हुए इस विशेष परिस्थिति में 24 प्रतिशत से अधिक उन्हें वहां स्थान दिया जाये, आरक्षण दिया जाये। भाई रामविलास को इस बात की मांग करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आप कहिए कि जब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स का 24 परसेंट पूरा नहीं होता है, तब तक सारी वैकेन्सीज को रोक दिया जाये।

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं यही कहता हूं कि उनको और अधिक दीजिये। मैंने मांग की है कि 40 प्रतिशत दीजिये, उनको और स्थान दीजिये, देहात में आज भी उनका छुआ पानी नहीं लिया जाता है, आज वे मनुष्य के रूप में नहीं हैं, आज भी वे शिक्षित नहीं हैं, आज भी उन्हें समानता का सम्मान नहीं मिलता है। उनकी स्थिति को सुधारना सबसे आवश्यक है। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि यह चरण-चुम्बन करते हैं, तो वह भी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उससे कुछ कम नहीं करते हैं। उनके दल की नीति से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मांग उसकी एक राजनैतिक चाल मात्र है।

मैं प्रो० रूपचन्द पाल के विचार का हृदय से समर्थन करता हूं। उन्होंने सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए के साथ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए का प्रश्न भी उठाया है। उन्होंने माना है कि केवल आरक्षण देने से पिछड़े वर्गों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि हमारा देश आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न न हो। (व्यवधान) सी० पी० एम० इनसे बहुत आगे है। यह एक सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग समस्या के आर्थिक पहलू पर भी विचार करें। जब तक हमारे समाज के सभी वर्गों के लोग आर्थिक दृष्टि से सबल नहीं होते, तब तक यह सम्भव नहीं है कि देश प्रगति की ओर जा सके।

माननीय सदस्य, श्री जैनुल बशर ने कहा है—मैं भी मानता हूं—कि जब से देश को आजादी मिली है, तबसे सरकारी कदमों का सबसे अधिक फायदा इसी पिछड़े वर्ग को मिला है। (व्यवधान) जमींदारी खत्म होने के बाद खेती, सिंचाई, बिजली, उद्योग-धंधों और अन्य सभी सरकारी सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उन्हीं को मिला है। यदि इस बारे में कोई जांच या सर्वेक्षण किया जाए, तो यह बात सिद्ध हो जाएगी। मैं इस विचार से सहमत हूं कि पिछड़े हुए वर्ग के जो लोग दबे हुए हैं, उन्हें अधिकाधिक आरक्षण देकर उन्हें सबल और पुष्ट बनाया जाए। लेकिन जो लोग आजादी के बाद खा-खा कर खूब मोटे हुए हैं, उनके लिए आरक्षण क्यों किया जाए ?

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 11 अगस्त की यह रात्रि भारत के इतिहास में अपना स्थान रखती है। दो पहलुओं से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज की यह रात एक ऐतिहासिक रात है। आज ही इस सदन के सभी पक्षों के करीब 150 लोक सभा सदस्यों ने जो लिखित रूप में प्रधान मंत्री को दिया है, वह मैं इस सदन के सामने पढ़ना चाहूंगा :

"आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब सांसद आपसे हार्दिक अनुरोध करते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाए तथा उन्हें लागू किया जाए।

सधन्यवाद

भवदीय

सदस्य, लोकसभा"

इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने इस दस्तावेज पर दस्तखत किए, वे तन और मन से सहमत हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जानी चाहिएं। कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ताधारी दल के सदस्यों ने दस्तखत नहीं किए या ऊंची जाति वाले सदस्यों ने दस्तखत नहीं किए। नाम पढ़ना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सभी माननीय सदस्य बराबर हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दस्तखत करने वालों में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, हरिजन, आजिव आदिवासी, पिछड़े वर्ग, सारे के सारे लोग हैं। उनमें मुसलमान भी हैं। मैं पिछले दस दिनों से अपने मित्र, राठौर साहब, वर्मा जी और उधर के कुछ मित्रों के साथ घूम रहा था। सभी माननीय सदस्यों के साथ इस सदन से बाहर अकेले में मेरी बातें हुईं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए हैं कि समय परिवर्तित हो चुका है, समय आ गया है कि हमें शान्तिपूर्वक सोचना चाहिए और इन सिफारिशों को लागू करना चाहिए। इस ऐतिहासिक रात्रि को मैं उन तमाम मित्रों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें सहयोग दिया।

एकोनामिक क्राइटीरिया के सम्बन्ध में संविधान के निर्माताओं ने क्या बातें कहीं हैं, उस पर मैं किसी दूसरे को नहीं, भारत के उस महान वैज्ञानिक स्टेट्समैन पंडित जवाहर लाल नेहरू को उद्धृत करना चाहता हूं। संविधान के सुधार के वक्त में जो भाषण उन्होंने दिया है 16 मई 1961 को जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था :

"राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गतिशील उपाय हैं, मूल अधिकार कुछ निहित अधिकारों को सुरक्षित रखने के स्थाई साधन हैं, दोनों ही बातें अपनी-अपनी जगह सही हैं, परन्तु कभी ऐसा हो सकता है कि गतिशील कार्यक्रम और स्थाई गतिरोध एक दूसरे से मेल न खाते हों।"

यह कोई छोटा शब्द नहीं है, यह बहुत माकूल, बहुत गहरा शब्द है। इसकी रचना को हम लोगों को देखना चाहिए। आगे क्या कहते हैं उसी दिन :

"परन्तु यहां यह मामूली कठिनाई है और यह स्वभाविक है कि जब यहां के न्यायालयों को इन मामलों पर विचार करना होता है तो उन्हें राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अपेक्षा मूल अधिकारों को अधिक महत्व देना पड़ता है, परिणामतः संविधान को क्रमशः निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु गतिशील संविधान बनाने का समग्र उद्देश्य इस स्थाई तत्व के कारण किंचित अवरुद्ध हो जाता है और हमें इसके समाधान का कोई उपाय खोजना होगा।"

ये जवाहर लाल जी के शब्द हैं :

"हमें इसके समाधान का कोई उपाय खोजना होगा ।"

उसी साल्यूशन के वक्त उन्होंने कहा है :

"पर संविधान में जिन पिछड़े वर्गों का विशेष उल्लेख किया गया है उनकी उन्नति के लिए उन्हें अलग स्थान देना होगा और उन्हें दूसरे समुदायों के समकक्ष नहीं रखना होगा । यदि उन्हें समुदाय के रूप में देखा जाएगा तो इससे साम्प्रदायिकता फैलेगी, पर पिछड़े वर्गों की---चाहें वे किसी भी धर्म आदि के हों—शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए उनकी सहायता करना हमारा परम कर्त्तव्य बन जाता है, यह स्वाभाविक ही है कि उनकी यह प्रगति अन्य वर्गों की कीमत पर नहीं होगी । हम लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं न कि नीचे गिराना ।"

यह जवाहर लाल जी ने अपने उस भाषण में कहा है । उसी समय डा० अम्बेडकर साहब ने कास्ट और क्लास के बारे में जो शब्द कहे हैं, उसके लम्बे चौड़े उद्धरण देकर मैं आपका समय नहीं बरबाद करना चाहता । उन्होंने कहा है :

"जाति वर्गों का ही जमघट है । चाहें आप जाति कहें या वर्ग—दोनों अभिप्राय एक ही हैं ।"

और एक जगह पंडित जी ने कहा 1951 में, उसको भी मैं कोट करना चाहूंगा । माननीय गृह मंत्री जी इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखेंगे ।

"नेहरू जी जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया, इस संशोधन को यह कह कर अस्वीकृत कर दिया कि—लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि जहां हम किसी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष शब्दों का चुनाव करते हैं हम इन्हें ही चुनते हैं क्योंकि ये धारा 340 में विद्यमान हैं···।"

स्पेसिफिकली उनका कहना है कि 340 में बैकवर्ड क्लास शब्द आया है इसीलिए हम उसको चूज करते हैं ।

यह बहुत इम्पोर्टेंट है :

"और हम उन्हें पूर्णतः लाना चाहते थे अन्यथा मुझे 'आर्थिक रूप से' शब्द जोड़ने में बिल्कुल आपत्ति नहीं होती ।"

जवाहर लाल जी ने साफ-साफ कह दिया है कि हम जानबूझ कर एकोनामिक शब्द इसमें नहीं जोड़ने जा रहे हैं ।

"अन्यथा, मुझे 'आर्थिक रूप से' शब्द जोड़ने में बिलकुल आपत्ति नहीं होती ।"

"परन्तु अगर मैंने आर्थिक रूप से शब्द इसमें जोड़ा तो मैं अन्य बातें न कह कर यही कहूंगा कि जिसके पास इनमें से किसी की कमी हो तो उसकी मदद की जानी चाहिए, 'सामाजिक रूप से' अधिक व्यापक शब्द है जिसमें कई बातें

सम्मिलित हैं और 'आर्थिक रूप से' तो निश्चित तौर पर इसमें शामिल है । अतः मैंने यह महसूस किया कि 'सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से' वाक्य में वास्तव में ये सारी बातें आ जाती हैं और साथ ही इससे संविधान के दूसरे भाग में प्रयुक्त एक वाक्य को थोड़ा-बहुत समय सन्दर्भ में लाया जा सकता है ।...''

"पिछड़ापन निश्चित करने आर्थिक मापदंड में चाहे कितना अच्छा उद्देश्य निहित हो, वह संविधान के अनुच्छेद 340 की आत्मा के अनुरूप नहीं है, जिसके अन्तर्गत यह आयोग स्थापित किया गया है ।"

संविधान के निर्माता ने आर्थिक मापदंड के बारे में ऐसा ही कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि :

"हम जातिवाद की बात करते हैं और हम इसकी निंदा भी करते हैं जैसा कि हमें करना चाहिए। परन्तु वास्तविकता यह है कि हिंदुओं में यह सब 10 प्रतिष्ठित ऊंची जाति के लोगों का भारतीय राजनीति पर प्रभुत्व है।"

1947 में यह देश आजाद हुआ और 2-12-1954 को पं० जवाहर लाल नेहरू ने यह बात कही और आज सन् 1982 की 11 अगस्त हो गई है, इस दर्म्यान में कितना परिवर्तन हुआ उसको जानने के लिए कोई दूसरा डाकूमेन्ट खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह बैकवर्ड क्लासेज के लिए मण्डल कमीशन की रिपोर्ट ही काफी है । उन पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिन्हें पंडित जी ने एजूकेशनली ऐंड सोशली बैकवर्ड कहा था, आपने इन 37 सालों में कितना आगे बढ़ाया या गिराया ? आपने उनको आरक्षण दिया या नहीं दिया ? यह आप इसमें देख लीजिए । जैनुल बशर साहब तो चले गए, उन्होंने शायद इस रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो संख्या दी हुई है, उसमें बैकवर्ड मुसलमान भी सम्मिलित हैं । अतः मुसलमानों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है । यह जो 48 परसेन्ट बैकवर्ड हैं इनमें सात या आठ परसेंट बैकवर्ड मुसलमान भी हैं । इसलिए उनका भी इसमें कवरेज है । इन 52 प्रतिशत लोगों को जो आप 35 साल से आजादी मिली हुई बताते हैं, उनको आपने कुर्सी की कितनी आजादी दी है ? क्लास वन सर्विसेज में 4·69 परसेंट है । आप कहते हैं कि स्पेशल मैरिट को साथ लेंगे । बड़ी अच्छी बात है कि आप मैरिट को साथ में लाए । आज इस देश के निर्माण में बैकवर्ड लोगों का हिस्सा केवल 4·69 परसेंट है और इस देश का जो विनाश हुआ है, उसमें भी उनका इतना ही हिस्सा है । बाकी हिस्सा उन लोगों के पास गया जोकि अपने को कलमधारी कहते हैं । उन्होंने अपनी कलम चलाकर कहा कि हम देश को बनाने का काम कर रहे हैं । लेकिन इस देश का क्या बना ? 21 हजार करोड़ रुपया आपने बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्स में लगाया, लेकिन उनमें घाटा कितना जा रहा है ? डेढ़-दो हजार करोड़ सालाना घाटा उनमें हो रहा है । इस देश में रेल की व्यवस्था चौपट, डाक-तार की व्यवस्था चौपट, पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था चौपट और ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था चौपट । आई० ए० एस० की संख्या पांच गुना बढ़ गई, आई० पी० एस० की संख्या भी पांच गुना बढ़ गई । एक तरफ कुर्सी-धारियों का जमाव और दूसरी तरफ आम जनता को दुःख । इन तथाकथित इन्टेलिजेन्ट लोगों का यह कंट्रिब्यूशन रहा है । विकास हुआ है लेकिन कुछ इन्जीनियर्स का, जिनके महल बने हैं। विकास हुआ है कुछ कांट्रैक्टर्स का, जिन्होंने चमचागिरी करके, कुर्सी के साथ लिपट कर, समाज

को चूसा है। ऐसे ही कुछ लोगों का विकास हुआ है। बाकी देहातों में आप जाकर देखें, आज भी महिलायें कच्ची अरहर तोड़ कर दाल बनाती हैं। अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो भोज के झूठे पत्तलों के चावल उठाकर ले जाती हैं और उनको सुखाकर रखती हैं और उस झूठे चावल से देवता की पूजा भी करती हैं। उनके यहां ऐसे देवता भी आ गए हैं, जिनको झूठखोरवा देवता कहा जाता है। उपाध्यक्ष जी, आप इस सदन के मालिक हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस समाज को बदलना चाहिए।

लॉर्ड माउन्टबेटन साहब अम्बेडकर साहब को जगन्नाथपुरी मंदिर में ले गए तो माउन्टबेटन साहब को तो इजाजत मिल गई, लेकिन अम्बेडकर साहब को नहीं मिली। शास्त्री जी ने एक बात कही कि मैसूर में महिलायें अपना वक्ष खोल कर चलेंगी तो समाजवाद है, समतावाद है और वक्ष ढककर चलेंगी तो असमतावाद है। इस प्रकार ये सारी की सारी विषमतायें किस प्रकार दूर होंगी, मंडल कमीशन इसमें केवल एक स्टैप है, मैं इसको दूसरा स्टैप नहीं कह सकता हूं। यदि आप एक स्टैप को भी चलने को तैयार नहीं हैं, तो क्षमा करेंगे, वेंकटरमण साहब, आपके कार्यालय में बैठे हुए कलमबाजों से देश के सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वहां बढ़िया किस्म की नोटिंग होती है। मैं भी छः साल मिनिस्टर रह चुका हूं। नोटिंग की ब्यूटी और ड्राफ्टिंग यदि आप देखेंगे, तो शुरू में यस-सर और आखिर में नो-सर—इस प्रकार पता ही नहीं चलेगा कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। यदि उस नोटिंग पर आप चलेंगे तो लिखा ही नहीं जाएगा। हम पोलिटिकल आदमी हैं, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, हिन्दी का ज्ञान नहीं, जो भी इन्टरप्रीटेशन लगा लीजिए। कहा गया कि "इट हैज बीन रैफर्ड टू दि स्टेट गवर्नमेंट फार पब्लिक ओपीनियन।" मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह केवल झांसा देने के लिए पब्लिक ओपीनियन है। आप क्या नहीं जानते हैं पब्लिक ओपीनियन क्या है। तमिलनाडु में आप इन्डस्ट्री मिनिस्टर रह चुके हैं। उस समय वहां 50 प्रतिशत रिजर्वेशन हुआ है और अब भारत के गृह मन्त्री कहते हैं कि मैं इसको नहीं जानता हूं। जिस पर तमिलनाडु के उद्योग मन्त्री की हैसियत से डाक्यूमेंट पर दस्तखत किए और अब कहा जाता है कि पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए भेजा गया है तो मेरे ख्याल में माखौल के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। कलमबाजी हो सकती है, पतंगबाजी हो सकती है, आप निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी नीयत साफ नहीं है। आप सीरीयस नहीं हैं कि आप कलमबाजों को पकड़ सकें।

सी० पी० एम० के भाइयों ने एविडेंस में और सदन में भी कहा है कि हमारे पश्चिम बंगाल में कोई बैकवर्ड का सवाल नहीं है। मैं उनसे विनती करूंगा कि पश्चिम बंगाल से मेरे पास एक खत आया है, वैस्ट बंगाल फैडरेशन, बैंटिंग स्ट्रीट, कलकत्ता से। अगर वैस्ट बंगाल में बैकवर्ड एसोसिएशन नहीं है, तो यह लैटर पैड आया कहां से ? इसका मतलब यह है कि आप राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी कहें लेकिन पश्चिम बंगाल में भी बैकवर्ड क्लास के एलीमेंट्स हैं, चाहे कम हो या अधिक।

प्रो० रूप चन्द पाल : मैंने आयोग की रिपोर्ट में से उद्धृत किया था। हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। परन्तु इससे भी बड़ी समस्या कहीं और है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों के सम्बन्ध में भोला पासवान आयोग और इस आयोग दोनों ने ही पश्चिम बंगाल में उस समय किये गए कार्य का उल्लेख किया है।

श्री डी० पी० यादव : दूसरी बात यह है कि राजनीतिक पार्टी की बात आती है। केरल में

सी० पी० एम० कहती है कि रिजर्वेशन ठीक है और पश्चिम बंगाल में सी० पी० एम० कहती है कि रिजर्वेशन ठीक नहीं है। यह दोहरी नीति क्यों है ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग एक नीति करिए। मैं श्री रामावतार शास्त्री जी से कहूंगा कि धुलमुल नीति से काम नहीं चलेगा। यह बात आपने समझी नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप डिसएग्री करिए, लेकिन धुलमुल न कहिए।

श्री डी० पी० यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिसएग्री करता हूं कि कुछ लोगों को···

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : महोदय, मैं सी० पी० एम० के बारे में एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या केरल में ?

श्री एम० एम० लारेंस : न केवल केरल में बल्कि समस्त भारतवर्ष में। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरक्षणों का समर्थन किया है न कि विरोध किया है।

श्री डी० पी० यादव : आज यह बात स्पष्ट हो गई है। एक व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और दूसरा व्यक्ति भी मेरे पास है। ठीक है, मेरे बंगाली मित्र अब फैसला कर सकते हैं मुझे फैसला नहीं करना पड़ेगा। (व्यवधान) कम-से-कम मेरे पास सी० पी० आई० (एम०) के तो दो वोट है मैं उनका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आप जारी रखिये।

श्री डी० पी० यादव : ऐसी बातें कही जाती हैं कि नौकरी दे देने से सभी लोगों का हिस्सा किसी खास वर्ग में चला जायगा। मैं निवेदन कर दूं कि कुर्सी का पैसे से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक दारोगा 500 रुपये पाता है, हर आदमी उसको सलाम करता है, उसी थाने के सामने आलू बेचने वाली एक दुकानदारिन बैठती है जो हजार रुपया महीना कमाती है या उसका बेटा डेढ़ हजार रुपया महीना कमाता है। क्या वह दारोगा अपनी पोस्ट उस आलू बेचने वाली से बदली करेगा ? कभी नहीं करेगा। एक बी० डी० ओ० के आफिस के सामने एक चाय बनाने वाला डेढ़ हजार रुपया महीना कमाता है, जब कि बी० डी० ओ० की तनख्वाह केवल 1 हजार रुपये हैं—क्या दोनों की पोस्टें ट्रांसफर हो सकती है ? कभी नहीं हो सकती। इसीलिये इस रिपोर्ट में इकानामिक शब्द नहीं है, यहां पर तो सवाल है कि कुर्सी पर बैठेगा तो इज्जत मिलेगी। लड़ाई इज्जत की है, पैसे की लड़ाई नहीं है। इसलिए इकानामिक आधार कह कर टालना, मैं समझता हूं इस देश के बहुसंख्यक लोगों के साथ अन्याय है।

अब मैं काका कालेलकर कमीशन को लेना चाहता हूं। वह अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तीन वाल्यूम्ज में उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट का अगर कुछ भी इम्प्लीमेन्टेशन होता तो हम होम मिनिस्ट्री में बैठने वाले कलम-धारियों को शाबासी देते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 6 साल तक मैं शिक्षा मंत्रालय में मंत्री रहा हूं। स्कालरशिप्स की संख्या नहीं बढ़ी, उनका एमाउन्ट नहीं बढ़ा। अलग-अलग तरीकों से मैरिट के नाम पर, फारन स्कालरशिप्स के नाम पर मनी डायवर्ट होती रही, लेकिन इनके स्कालरशिप्स में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिये इन कलमबाजों के विरुद्ध भी आन्दोलन होना आवश्यक है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने भी कुछ नहीं किया।

श्री रामप्यारे पानिका : इन्होंने सब गड़बड़ किया।

श्री डी० पी० यादव : मैरिट के बारे में, मन्त्री जी, मैं आपका ध्यान जस्टिस सुब्बाराव के जजमेन्ट की ओर ले जाऊंगा जो मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में उद्धृत है। उन्होंने "लालू और मोहन" का उदाहरण दिया है। मैं पूरा पढ़ कर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं—सिर्फ रेलेवेन्ट पोर्शन्ज को पढ़ूंगा। जस्टिस सुब्बाराव ने कहा है कि आप लालू और मोहन की बराबरी करते हैं। लालू एक गरीब घर का लड़का है, मोहन एक धनी घर का लड़का है—मैं यहां सम्बन्सु अंश उद्धृत करूंगा :

"इस सम्बन्ध में न्यायाधीश के० सुब्बाराव ने कहा है"

"जब तक दलित वर्ग के लोगों को बाहरी सहायता नहीं दी जाती, तो यह सुझाव देना असम्भव होगा कि उन्हें उन्नत लोगों के समान अवसर प्राप्त हैं। सामाजिक न्याय के मांग का यही कारण और औचित्य है कि देश के दलित वर्ग के लोगों को विशेष रियायतें दी जायें ताकि उन्हें समुदाय के अन्य उन्नत वर्गों के समान अवसर दिया जा सके।"

"6.18 दूसरी ओर, लालू एक ग्रामीण लड़का है और उसके माता-पिता पिछड़े वर्ग के हैं जिनकी गांव के समाज में निम्न सामाजिक स्थिति है। उसके माता-पिता के पास 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। उसके माता तथा पिता दोनों ही अनपढ़ हैं और 8 सदस्यों का उनका परिवार दो कमरों की एक झोंपड़ी में सिमटा रहता है। जबकि उसके गांव में एक प्राथमिक स्कूल भी था। उच्च विद्यालय में जाने के लिए उसे आने जाने के लिये 3 कि० मी० की दूरी तय करनी पड़ती थी। अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिये उत्सुक, उसने अपने माता-पिता को इस बात के लिये राजी कर लिया कि वे उसे अपने चाचा के पास तहसील मुख्यालय में भेज दें। पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम या व्यवसाय चुने जाने के संबंध में कोई मार्ग दर्शन नहीं मिला। उसके अधिकतर मित्र माध्यमिक स्कूल स्तर से बाद नहीं पढ़े। वह कभी भी किसी प्रोत्साहन देने वाले सांस्कृतिक माहोल में नहीं गया था और उसने बिना कोई प्रोत्साहन मिले अपनी कालेज की शिक्षा पूरी की। देहाती हालात के कारण उसका चेहरा भी देहाती था। उसकी कालेज की शिक्षा के बावजूद भी उसका उच्चारण सही नहीं है, उसका व्यवहार भद्दा है और उसमें आत्मविश्वास की कमी है।"

"6.21 वास्तव में जिसे हम "विशिष्ट वर्गों के समाज में मैरिट" कहते हैं वह जन्म जात प्रतिभाओं और माहौल के विशेषाधिकारों का सम्मिश्रण है। मोहन और लालू 'समान' शब्द की सही परिभाषा के अनुसार समान नहीं हैं और उन दोनों को एक ही पैमाने से मापना अनुचित होगा। एक सभ्य समाज की आत्मा और सामाजिक न्याय के आदेश इस बात की मांग करते हैं कि 'मैरिट' और

'समानता' एक तावीज़ नहीं बन जाता और जब 'असमान' व्यक्तियों को एक साथ दौड़ाना पड़ता है तो विशेषाधिकार की बात को भी ध्यान में रखा जाता है और उसमें से कम किया जाता है।"

इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, क्या आप मोहन और लालू के मामलों में समान अवसरों की तुलना करना चाहते हैं ?

मैं चाहता हूं कि इसके बारे में मन्त्री जी जवाब दें—सुब्बाराव साहब ने जो कहा है—जब समान सुविधा आप नहीं देते तो समान मैरिट आप क्यों खोज रहे हैं। एक तरफ फण्डामेन्टल राइट्स में इक्वल राइट्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ पढ़ने की सुविधा नहीं देते हैं, जो एजूकेशनली बैकवर्ड है उसको एजूकेशनली-फारवर्ड कराइये। भारत की यूनीवर्सिटीज में पिछड़ी जातियों के टीचर्स की कितनी संख्या है' हाई स्कूल के शिक्षकों में पिछड़ी जातियों के शिक्षकों की कितनी संख्या है, प्राइमरी टीचर्स में कितनी संख्या है—यदि आप इसको देखेंगे तो आप पायेंगे कि उनकी संख्या बहुत कम है। यदि एफिसियेन्सी घटती या बढ़ती है मैरिट पर तो, वैंकटरमण साहब, आपके राज्य मद्रास में सबसे ज्यादा इनएफिसियेन्सी होती। तमाम खामियों के बावजूद भी मद्रास, कर्नाटक और महाराष्ट्र का प्रशासन उत्तर भारत के अन्य राज्यों से अच्छा है, श्योर है। वहां पर 60 से 70 परसेन्ट पिछड़े लोग हैं रिजर्वेशन में और वे शासन को चला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही मूल्यवान बात है जो कि आपने बताई है अब आप इसे समाप्त कीजिये। अब कुछ सामग्री श्री मंडल के लिये भी छोड़ दीजिए। श्री ए० के० राय को भी बोलना है। कृपया समाप्त करिये।

श्री डी० पी० यादव : हर एक सदस्य ने कुछ बातें कहीं हैं इन लोगों के लिये लेकिन जब वे इस सदन से बाहर निकलते हैं तो डिवियेट करते हैं। मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन यह निवेदन करूंगा कि लिखित रूप में और मौखिक रूप से सदन के सारे सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। इसलिये यह सदन प्रधान मंत्री को आथोराइज करे कि विरोधी दलों के सारे नेताओं को वे बुलाएं और शान्ति से बैठाकर उनसे पूछें कि वे क्या चाहते हैं। अगर कुछ कमोवेश करना पड़े, आगे-पीछे करना पड़े, तो जरूर कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : क्यों करें।

श्री डी० पी० यादव : प्रधान मंत्री को यह हक है कि विरोधी दलों के सारे नेताओं को बुलावें और उनकी बात सुनें। मैं यह बिना किसी एक्साइटमेन्ट के यह बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 20 मिनट से ज्यादा ले लिये हैं।

श्री डी० पी० यादव : महोदय, मैं केवल दो मिनट लूंगा। मैं सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री को यह अपील करूंगा कि वे विरोधी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायें और पिछड़े वर्गों के आयोग के प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय करें।

श्री सत्यादेव सिंह यादव ने समुदाय के बारे में विशेष रूप में जो अन्तिम शब्द में कहा है।

एक माननीय सदस्य : वे यहां नहीं हैं ।

श्री डी० पी० यादव : उसे जाने दो । इसे सभा की कार्यवाही में शामिल किया जाये । यादव समुदाय ने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है । 1962 में जब, चुसुल जाने के लिए कोई भी सेना तैयार नहीं थी तो उस समय शैतान सिंह की कमान के अधीन 124 यादव कम्पनी थी जो वहां गई और जिसने चीनियों को हराया था । यादव समुदाय की यह बहादुरी है उन्होंने बलिदान दिये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल कृष्ण जयन्ती भी है ।

श्री डी० पी० यादव : महोदय कल कृष्ण जयन्ती है । श्री वेंकटरमन यहीं हैं । वे देश के रक्षा मंत्री हैं । क्या मैं रक्षा मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि जब थल सेना में राजपूत राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट है, तो क्या आप यादव रेजिमेंट की बात मानेंगे ?

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपसे, सारे सदन से अनुरोध करता हूं कि इस पर बहुत ही शांत वातावरण में विचार किया जाना चाहिए और महोदय, मंत्री जी, ठोस उपायों के साथ जो उन्होंने किये हैं और करने जा रहे हैं आगे आएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डूंगर सिंह ।

सत्तारूढ़ दल के यह माननीय सदस्य हैं । यदि ये सभी सहयोग देंगे तो मैं उन सबको बुलाऊंगा । मंत्री जी को जवाब देना है । प्रत्येक सदस्य मंत्री जी का जवाब सुनना चाहता है । इसलिए प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट दिए जाते हैं ।

श्री डूंगर सिंह (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरा नम्बर आया, तो 5 मिनट हो गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सभी सदस्यों के विचार सुनने हैं जिसमें सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी शामिल हैं । क्या हम मंत्री जी को सुनना नहीं चाहेंगे ? कृपया केवल पांच मिनट ही लीजिए ।

श्री डूंगर सिंह : मान्यवर, जब देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद काका कालेलकर कमीशन बना । उस वक्त पिछड़े वर्गों के लोगों को बड़ी खुशी थी और उन्होंने समझा कि शायद हमारे भाग्य खुल गये और अब अच्छे दिन आने वाले हैं लेकिन उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट पेश हुई, तो वह कोल्ड स्टोरेज में डाल दी गई । उसके बाद जो और घटनायें घटीं, उनसे ऐसा सिद्ध होता है कि जो पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो उसका नजरिया ही खराब हो जाता है, बैकवर्ड क्लासेज की तरफ से उसका नजरिया बदल जाता है । जब जनता पार्टी पावर में आई तो उस समय भी बैकवर्ड क्लास के लोगों ने प्रेस किया तो इसी विषय पर यहां तीन दिन तक बहस हुई और उसके बाद जो भी फल निकाला वह हम सभी जानते हैं । उससे भी बड़ी आशा थी और बैकवर्ड क्लास के लोगों ने यह समझा था कि जनता सरकार बैकवर्ड क्लास की मदद का फल है क्योंकि उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पहले ही यह घोषित कर दिया था कि नौकरियों में बैकवर्ड क्लास के लोगों को वह 25 से 33 परसेंट तक रिजर्वेशन देगी । उसका नतीजा भी क्या हुआ ? जब वे पावर में आ गए तो बैकवर्ड क्लास का नाम तक नहीं लिया गया । वे उनको कितने परसेंट रिजर्वेशन नौकरियों में देंगे, इसको भूल गये । हालांकि जब लोगों ने प्रैस किया तो तीन दिन तक यहां बहस

हुई और ज्यादातर वक्ताओं ने इन बात का पक्ष भी लिया। यदि चाहते तो जनता सरकार काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को तभी से लागू कर सकती थी लेकिन उसने भी इसको टाल दिया। मैंने जैसा कि अभी कहा कि जब कोई सत्ता में आ जाता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने भी उसको टालना शुरू कर दिया। बहाना यह किया कि उसमें बहुत सी कमियां हैं, और काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू न करके एक नया कमीशन बनायेंगे। और उन्होंने मंडल कमीशन बनाया।

मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी लेकिन उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई यह हम सब जानते हैं। डेढ़ वर्ष हो गया उस रिपोर्ट को पेश हुए, इस डेढ़ वर्ष में उस पर जो एक्शन होना चाहिए था वह नहीं हुआ। साथ ही साथ उस पर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, वह भी सामने नहीं आया। यह बड़े दुःख की बात है।

जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लासिज के लिए 15 परसेंट नौकरियों में रिजर्वेशन घोषित किया। लेकिन उस पर अमल कैसे हुआ? चाहे वहां पर जितने भी पद हों लेकिन 15 परसेंट से ज्यादा लोग बैकवर्ड क्लासिज के उन पदों पर नहीं हो सकते। जो लोग ओपन कम्पीटीशन से आते थे अब उनको भी 15 प्रतिशत में सम्मिलित कर लिया जाता है। उनको मिलाकर 15 परसेंट का रिप्रेजेन्टेशन दिया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 52 फीसदी लोगों की संख्या को उन्होंने 15 परसेंट में आरक्षित कर दिया। 52 परसेंट आबादी के लोगों को नौकरियों में 15 परसेंट से ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिल सकता। यह जनता पार्टी की बात रही।

मेरे कहने का मतलब यह है कि बैकवर्ड क्लास की बात सब करते हैं परन्तु उनका दिल से हित कोई नहीं चाहता है क्योंकि किसी पार्टी का कोई नेता बैकवर्ड क्लास का नहीं है। यह भी एक कमी है। जितने भी नेता हैं सब दूसरी जातियों के हैं। यह हालत आज सभी बड़ी-बड़ी पार्टियों की है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब लोगों को मिलकर प्रेस करना चाहिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। क्योंकि संविधान में सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड जातियों के लिए ही आरक्षण दिया जा सकता है। आर्थिक पिछड़ेपन को गुंजाइश नहीं है। इसके साथ-साथ अगर आप आर्थिक मामले को इसमें घसीटते हैं तो यह होगा कि जो कुछ बैकवर्ड क्लास को मिलना है वह गायब हो जाएगा और वही बात हो जाएगी कि "अंधा बांटे रेवड़ी, अपने-अपने को देय।" चुनाव में भी यही होता है, वही लोग बैठते हैं। पूछते हैं कि क्या नाम है, बताया जाता है कि राम रतन अग्रवाल—वहीं सिफारिश हो जाती है। बताया जाता है सुभाष चन्द्र शुक्ला—वहीं सिफारिश हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी भी चुनाव समितियां हैं उन सब में बैकवर्ड क्लास के लोग और हरिजन बैठा दिए जायें तो सिफारिश हमारी होने लगेगी।

आज जरूरत इस बात की है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाये। इस देश की 52 फीसदी जनता का सवाल है, जो नौकरियों में निल हैं, हालांकि साउथ में रिजर्वेशन हो गया है, लेकिन जैसा कि यादव जी ने कहा है कि वहां का मामला दूसरा है। वहां ये लोग यूनाइटेड हैं। यह चीज यहां पर नहीं हो सकती। यहां तो जिन पिछड़ी जातियों की ज्यादा आबादी है उनमें एक अंगश है एक बंगश है। इनका आपस में मेल नहीं है। मैं तो लोधी आल

इण्डिया लोदी महासभा का अध्यक्ष हूं और उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश में तमाम जगह घूमा हूं। अहीर, कुर्मी, यादव, लोधी एक जगह बसते तो हैं, लेकिन कहीं एक नहीं हैं। एक इधर चलेगा तो एक उधर, एक पूरब में तो एक पश्चिम में। ये लोग एक नहीं हो सकते। इसलिये आपको सोचना होगा कि क्या होना चाहिए। दक्षिण वाली बात हम लोगों में नहीं है। यह बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मसला इतना उलझ गया है कि समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए ? हमें थोड़ी सी आशा है तो श्रीमती इन्दिरा जी से है। वे हमेशा इस बात को कहती हैं कि अगर पिछड़ी जातियों का विकास नहीं होगा तो कभी देश का विकास नहीं हो सकता। (व्यवधान)

वे चाहतीं तो मण्डल कमीशन को ड्राप कर सकती थीं। यहां तक कि जनता पार्टी के हिसाब से मण्डल कमीशन का समय समाप्त हो गया था, लेकिन इन्दिरा जी ने उसकी मियाद बढ़ा दी—यह बहुत बड़ी बात है और जब कभी भी हम उनसे बात करते हैं तो वे हमेशा बैकवर्ड क्लास के लिए अपनी सहानुभूति प्रकट करती हैं और कहती हैं कि इनका विकास करने की बहुत आवश्यकता है। यह बहुत अच्छी बात है और उनसे हम लोगों को आशा है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे पिछड़ी जातियों को आरक्षण न दे सकें तो एक बात अवश्य कर दें। जो ऊंची जातियां हैं और समझती हैं कि पिछड़ी जाति के लोग उनका हिस्सा ले रहे हैं तो हमारा रिजर्वेशन न करके उन हाई क्लास लोगों का पापूलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन कर दें। बाकी बचा हम लोग आपस में बांट लेंगे तो झगड़ा ही खत्म हो जायेगा और टोटल रिजर्वेशन 50 प्रतिशत से कम भी रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं जोरदार शब्दों मे शासन से प्रार्थना करता हूं कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाये।

प्रो० नारायण चंद पराशर (हमीर पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे खुशी है, सदन के सभी दलों की ओर से यह मतैक्य हो रहा कि इस समस्या का गम्भीरतापूर्वक समाधान किया जाना चाहिए।

समानता के अवसर के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मंडल आयोग ने इस सम्बन्ध में यही टिप्पणी की है कि अवसर की समानता और व्यवहार की समानता। ये दोनों अलग-अलग पहलू हैं। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को एम० ए० या पी० एच० डी० तक अध्ययन करने के समान अवसर हैं और प्रत्येक को आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० आदि में बड़ा अधिकारी बनने के भी समान अवसर हैं। परन्तु उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है ? उनको क्या-क्या मूलभूत सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ? अधिकतर पिछड़े वर्ग और पिछड़ी जातियां शताब्दियों से शोषण का शिकार रही हैं। मैं हमारे राज्य के एक महान व्यक्ति का उल्लेख करूंगा जिसका नाम श्री कुंडा राम था; वह बेगार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में, उस समय के राजा मजदूरों को बुलाकर उनसे बगैर कुछ दिये काम करवाते थे। यह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, परन्तु उसने कसम खाई थी कि वह उस प्रथा को समाप्त करेगा और वह अकेला उसके खिलाफ लड़ा और अन्ततः उस प्रथा को समाप्त करने में सफल हुआ। आजकल इस प्रकार के व्यक्तित्व या चरित्रबल वाले लोग बहुत कम हैं। परन्तु लोगों को नींद से जगाया जाना चाहिए।

यदि आप समानता के व्यवहार पर ध्यान दें जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं और यही महत्वपूर्ण बात है जिसका इस आयोग ने महत्व बताया है, आप देखेंगे कि समानता का व्यवहार बिल्कुल नहीं किया जाता। शहरीकरण की इस परम्परा में, समाज का उच्च वर्ग ही आगे आ रहा है और विज्ञान और तकनीकी तथा शहरीकरण के अनुसंधानों का लाभ उठा रहा है।

श्री यादव शिक्षा उपमंत्री थे। भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की चौथी रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 1·5 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही अध्यापक है और इनमें से अधिकतर स्कूल गांवों में स्थित हैं। गांवों में 50 प्रतिशत से भी अधिक स्कूलों में प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों की कमी है, पुस्तकालयों संबंधी सुविधाओं की कमी है, खेल के मैदानों की कमी है, और उचित शिक्षण कर्मचारियों की कमी है। लगभग 37000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कभी ऐसा भी समय आता है जब उनमें एक भी अध्यापक नहीं होता। यह शैक्षिक सर्वेक्षण 1978 में करवाया गया था और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित की गई है। यदि आप इन परिस्थितियों को लें और जो आधारभूत सुविधाएं शहरों, सभ्यता के शहरीकृत केंद्रों में सुलभ हैं इनको लें तो आप समझ पायेंगे कि अवसर की समानता काल्पनिक है और व्यवहार में असमानता ही वास्तविकता है। यदि हम इस पृष्ठपट को ध्यान में रखकर विचार करते हैं तो हमें क्या मालूम होता है ? प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं ने कहा है कि न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिये। उन्होंने 'न्याय' की क्या परिभाषा दी ? न्याय-सामाजिक, आर्थिक आदि। 'सामाजिक' शब्द पहले क्यों लगाया गया ? क्योंकि भारत में सामाजिक भेदभाव पहले आया था। शिक्षा वंशानुगत थी। लोगों के साथ किसी विशेष जाति या समुदाय का सदस्य होने के कारण उनसे भेद-भाव बरता जाता था। चाहे आप जाति में विश्वास करें या न करें यह एक अलग बात है। परन्तु भारत में जातियां एक वास्तविकता है। जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसलिए, यह सही कहा गया है कि सामाजिक न्याय पहले दिलाया जाये और इसीलिए 'सामाजिक' शब्द पहले आया; 'आर्थिक' शब्द बाद में आया है।

अतः, जब हमें इन सभी अवसरों की व्यवस्था करनी है तो हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ता है।

आरक्षण का सिद्धान्त, चाहे हम इसे चाहें या न चाहें, संविधान के निर्माताओं द्वारा स्वीकार किया गया है और हमें भी इसे तब तक मानना चाहिए जब तक सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए, जब हम 'जाति' और 'वर्ग' की बात करते हैं तो समस्त श्रेष्ठता केवल शैक्षिक है क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि गांव में लोगों के साथ 'जाति' के आधार पर भेदभाव बरता जाता है, उनके साथ 'वर्ग' के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसलिए, एक ऐसी समस्या जो जाति के कारण खड़ी हुई है उसका समाधान वर्ग के आधार पर करना हमारे अपने दृष्टिकोण का उपहास होगा।

इसलिए, मैं मांग करता हूं कि हम समस्त रिपोर्ट पर विचार करें और निष्कर्ष निकालें कि जो भी सिफारिशें हैं, चाहें सिफारिशें 27 प्रतिशत आरक्षण के सम्बन्ध में हैं चाहें इससे कम या इससे अधिक के सम्बन्ध में हैं तो भी इस जाति के लोगों की शिकायत वैध होगी। उदाहरणार्थ, हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा जन जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में स्वीकार किया गया

है और ये जातियां राज्य की कुल अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से अधिक हैं। कुछ इलाकों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 33 प्रतिशत है और कुछ अन्य इलाकों में 25 प्रतिशत है परन्तु पिछड़ी जातियों की जनसंख्या भी लगभग इतनी है या इससे थोड़ी सी ज्यादा है। परन्तु अनुसूचित जाति के लोग केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ उठाते हैं जबकि इस पिछड़ी जातियों के लोग यह लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि केन्द्र सरकार इन जातियों को मान्यता प्रदान नहीं करती और फिर प्रत्येक राज्य में पिछड़े वर्गों की सूची अलग-अलग है इसके परिणाम स्वरूप सभी केन्द्रीय सेवाएं उनकी पहुंच से बाहर हैं। उन सेवाओं में नौकरी के लिए उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाती। उनके पास सुविधाएं भी नहीं हैं। इसलिए, अखिल भारतीय प्रदेश के लिये जब ये सेवाएं समस्त देश के लिए हैं तो इन जातियों का भी इन सेवाओं पर हक है। इन जातियों की एक अखिल भारतीय सूची होनी चाहिए और उन्हें वे विभिन्न लाभ दिए जाने चाहिएं जो अनुसूचित जातियों को दिए जा रहे हैं। गरीब वर्ग तथा अन्य जातियों को ये लाभ दिए जाने चाहिए और उनको पिछड़ा वर्ग माना जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने 1976 में पहले से ही टिप्पणी की है, मैं उस टिप्पणी को इसलिए उद्धृत करूंगा क्योंकि इसमें कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उन्होंने यह महसूस किया है कि सामाजिक पिछड़ापन गरीबी का परिणाम है और काफी हद तक जाति विशेष पर निर्भर करता है और इस विषय में जाति और गरीबी दोनों ही गरीबी का निर्धारण करने के लिए संगत हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में केवल जाति और केवल गरीबी ही निर्णायक नहीं हो सकती। इसलिए आपकी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए। मैं तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा कालेलकर आयोग को प्रस्तुत किए गए एक ज्ञापन का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें उन्होने कहा है :

> "कुल जनसंख्या के 52 प्रतिशत बहुसंख्यक लोगों के लिए आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार-करना ज्यादती होगी, क्योंकि बहुसंख्यकों के लिए आरक्षण किसलिए !"

क्या बहुसंख्यकों के लिए आरक्षण तर्कसंगत नहीं है ? आप उन्हें गरीबी की रेखा से हटाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं ? क्योंकि भारत की अधिकांश जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। यदि अधिकांश जनता पिछड़ेपन से ग्रस्त है तो हमें उनका पिछड़ापन दूर करना है यदि अधिकांश जनता गरीब है तो हमें उनकी गरीबी दूर करनी है। इसलिए इस तर्क में कोई वजन नहीं है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या 52 प्रतिशत है और वे काफी संख्या में हैं। यह बहुत ही सीधी सी बात है। हमारे समाज का काफी बड़ा हिस्सा पिछड़ेपन से ग्रस्त है और हमें उनका पिछड़ापन दूर करना है और हमें इसके लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए मुझे तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में कोई औचित्य नजर आता है और मुझे विश्वास है कि वर्तमान गृह मंत्री महोदय इस प्रकार का तर्क पेश नहीं करेंगे। हमें यह देखना चाहिए कि समस्या क्या है और उसके बाद उसका सामना करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए।

मैं यह बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने इसके लिए दो कसौटियां बनाई हैं। एक तो यह कि कतिपय पिछड़ी जातियों के लिए आय की सीमा 7500 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई है और दूसरी यह कि अब लोगों के लिए आर्थिक सीमा 6000 रुपये निर्धारित

की गई है जिनकी इतनी आय होती है चाहे वे किसी जाति के हों। अतएव, कतिपय जातियों के लिए 2500 रुपये का अन्तर है। लेकिन हमें पता चला है कि आज यह आर्थिक कसौटी भ्रामक है। यह कसौटी भ्रामक क्यों है ? क्योंकि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी 600 रुपये अथवा 500 रुपये का वेतन पाने का हकदार है। भले ही शुरू-शुरू में वह इतनी अधिक धनराशि अर्जित न करे। यदि आप कम आय का प्रमाण पत्र चाहते हैं तो कौन नुकसान उठाता है ? आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—आपका चपरासी अथवा चौकीदार पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि आर्थिक कसौटी भ्रामक है जबकि एक व्यक्ति जो आयकर नहीं देता और जो काला बाजारी करता है अथवा एक बड़ा जमींदार है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है कि वह आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब व्यक्ति है और उसकी आय प्रतिवर्ष 6000 रुपये से कम है। इसका परिणाम क्या हुआ है ?

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो जमींदार अन्याय करता है, जो गरीब लोगों का शोषण करता है वह आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमाण पत्र दे सकने की स्थिति में होता है जबकि उसके खुद के द्वारा शोषित व्यक्ति जो उसकी नौकरी कर रहा है लेकिन किसी स्कूल में एक चौकीदार के रूप में नियुक्त है वह ऐसा प्रमाण पत्र देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यदि पिछड़ेपन की कसौटी केवल आर्थिक स्थिति होगी तो भारत के एक बहुत बड़े बहुसंख्यक वर्ग को न्याय नहीं मिल सकेगा।

मुझे विश्वास है कि हमारे दल तथा हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए मैं केवल यही कहूंगा कि इन दो तर्कों में कोई सच्चाई नहीं है कि यदि आरक्षण का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है और सरकारी सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थानों में काफी बड़ी संख्या में लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो योग्य व्यक्तियों को नुकसान होगा। हड़तालों के लिये कौन जिम्मेदार है ? जो लोग ऊंचे पदों पर आसीन हैं। वे अधिक पद निर्मित करना चाहते हैं और ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई है। हिमाचल प्रदेश का कुल राजस्व 60 करोड़ रुपये है और कर्मचारियों का कुल वेतन 120 करोड़ रुपये है। एक बड़ा अधिकारी अधिक पद निर्मित कर सकता है। श्रेणी—चार का कोई भी अधिकारी अपने सम्बन्धी के लिए कभी भी एक और पद निर्मित करने की स्थिति में नहीं होता है लेकिन एक श्रेणी-I का अधिकारी अपने सम्बन्धियों के लिए 10 फालतू पद निर्मित कर सकता है। इसलिए महोदय, हमें समग्र रूप से और अंतिम रूप से इस विचार को स्वीकार करना होगा कि यदि हम ईमानदार तथा साधारण व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं तो योग्य व्यक्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है योग्य व्यक्तियों को केवल इसलिए नुकसान पहुंचता है क्योंकि आप उन्हें अवसर प्रदान नहीं करते हैं। आप उन्हें मौका नहीं देते हैं। परिणामस्वरूप कार्यकुशलता कम हो जाती है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक तर्क है। कार्यकुशलता इसलिए कम होती है क्योंकि काला बाजारी करने वाली आपकी सेवाओं में प्रवेश पा जाते हैं, तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति आपकी सेवाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अधिकांश जन का उनके द्वारा शोषण किया जाता है। जैसे ही आप उन्हें सेवाओं में लेते हैं वे गरीबों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही आप प्रगतिशील व्यक्तियों को सेवाओं में रखेंगे यह शोषण समाप्त हो जाएगा। जब तक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा सिविल कर्मचारी

सामाजिक रूप से उदार तथा प्रगतिशील नहीं बन जाएंगे और जैसा कि गांधी जी ने प्रस्ताव किया था, अर्थात जब गरीब व्यक्ति का अंतिम आंसू भी नहीं पोंछ दिया जाएगा, तब तक भारत में न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए, मैं समझता हूं कि मण्डल आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली जानी चाहिए उन्होंने समय पर चेतावनी दी है। और यह हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए ऐतिहासिक अवसर है कि वे इस बात को उठाएं तथा उन लाखों लोगों की पुकार को स्वीकार करें जिनका शोषण किया जाता रहा है और जो आंसू बहाते रहे हैं तथा जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में माननीय संसद से इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने की आशा करते हैं। काका कालेलकर का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। वह सबसे अच्छा अवसर था; वह एक अच्छी बात होती। अब हमें कम से कम इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मेरा विचार है कि मण्डल आयोग काका कालेलकर आयोग की अगली कड़ी नहीं है। निश्चित रूप से इन दो प्रतिवेदनों की भावना में गुणात्मक अन्तर है। मण्डल आयोग ने कुछ अधिक व्यापक प्रश्न उठाए हैं और सम्भवत: उनमें से कुछ पर सदन में विचार किया गया है। मैं कुछ अन्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

समस्या यह है कि इतिहास की विकृति को कैसे ठीक किया जाए। आरक्षण इस विकृति को बनाए रखने के लिये नहीं हैं। आरक्षण की भावना तथा उद्देश्य इसे कम करना है। काका कालेलकर का प्रतिवेदन कुछ सदस्यों की विमति के कारण अस्वीकृत कहीं किया गया था। काका कालेलकर ने जो कुछ कहा है उससे कुछ नई बातें सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस उपचार का सुझाव दे रहे हैं वह रोग से भी बदत्तर होगा। उसका अन्त बहुत निराशापूर्ण है। परन्तु मण्डल आयोग का अन्त न केवल कुछ कार्यवाई करने के लिए आह्वान के साथ हुआ बल्कि मैं यह महसूस करता हूं कि एक प्रकार से वह अपने क्षेत्राधिकार को भी लांघ गया। उसके क्रांतिकारी भूमि सुधारों की आवश्यकता पर जोर देने के साथ-साथ यह चेतावनी भी दी है कि इससे भारत में पिछड़ेपन तथा सामाजिक असमानता की समस्या समाप्त नहीं हो सकती है। माननीय सदस्यों के भाषण सुनकर मैंने अनेक बातें सीखी हैं। यह उचित ही है कि इस सदन में यह वाद-विवाद मेरे बहुत ही स्नेही मित्र श्री रामविलास पासवान द्वारा शुरू किया गया जो स्वयं अनुसूचित जाति, एक बहुत ही पददलित वर्ग के सदस्य हैं। मैंने बंगाल, बिहार तथा हिन्दी बोलने वाले राज्यों में लोगों के जीवन को देखा है। जब कभी भी हम ऐसे स्थान को जाते हैं जहां सभी समुदायों के लोग रहते हैं, तो हमें भी उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है।

देश को कम से कम 25 वर्ष तक जिस बात की आवश्यकता है वह है कठिन परिश्रम की। आपने यूरोप तथा फ्रान्स की क्रान्ति के इतिहास में हेगल के बारे में पढ़ा होता जब लोग कहा करते थे कि वे आमूल परिवर्तन चाहते हैं। यदि हम भी ऐसा चाहते हैं तो समस्त देश को 30 साल तक शीर्षासन करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका अभ्यास कर रहे हैं।

श्री ए० के० राय : कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि जातिवाद सामन्त वाद से जुड़ा हुआ है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। जातिवाद तब शुरू हो गया था जबकि सामन्तवाद यूरोप तथा अन्य

स्थानों में पहुंचा भी नहीं था—यह भारत में भी ठीक ढंग से शुरू नहीं हुआ था। उसका जन्म सामन्तवाद से पहले हुआ है।

आज फिर जातिवाद पनप रहा है और वह पूंजीवादी जातिवाद है क्योंकि मैं देखता हूं कि कर्मचारी के लड़के के लिए नौकरी की मांग की जा रही हैं। हर जगह यह मांग की जा रही है। बैंक कर्मचारी का बेटा बैंक में कार्य कर रहा होगा और खान में काम करने वाले का बेटा खान में काम कर रहा होगा। और हमारी सभी ट्रेड यूनियनें इस सम्बन्ध में कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। अतएव, यह जीवन का सत्य है। हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री अथवा मंत्री के पद पर पहुंचता है। उसकी लड़की अथवा लड़के अथवा उसकी पत्नी अचानक राजनैतिक तौर पर सक्रिय हो जाते हैं और विधान सभा अथवा संसद में पहुंच जाते हैं। यह केवल सत्ताधारी दल पर ही लागू नहीं होता बल्कि प्रत्येक दल पर लागू होता है। ऐसा रुख है। यह न केवल कांग्रेस का ही धीरे-धीरे क्षय कर रहा है बल्कि मार्क्सवाद का भी क्षय कर रहा है। हम भी उसके शिकार हैं। आज समय है जब हमें इतिहास की इस विकृति को सुधारने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

महोदय, ऋग्वेद में यह कहा गया था कि ब्राह्मणों का जन्म शीर्ष से, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से, वैश्यों का जन्म कमर से और शूद्रों का जन्म पैरों से हुआ है। आज भी जब मैं किसी भी आयोग का कोई भी प्रतिवेदन देखता हूं तो मुझे उसमें वही बात मिलती है। आपको प्रथम श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जंन जाति के व्यक्तियों की संख्या बहुत कम मिलेगी, दूसरी श्रेणी की सेवाओं में उनकी संख्या कुछ अधिक होगी। तीसरी श्रेणी के पदों पर उससे अधिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में जो कि हमारी व्यवस्था का चरण है अनेकों अनुसूचित जातियों के लोग लगे हुए हैं। अतएव, महोदय, यह प्रणाली है और जब तक आप शीर्षासन नहीं करेंगे यह समाप्त नहीं हो सकती। सी० पी० आई० (एम०) दल के मेरे मित्रों तथा भूतपूर्व कामरेडों ने कहा कि बंगाल में जाजिवाद नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। बंगाल में भी जातिवाद है लेकिन वह जातिवाद उदार तथा सन्तुलित जातिवाद है। मैं यह कहूंगा कि बंगाल में भी कोई हरिजन किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर रहा है। सभी ब्राह्मण दलों को नेतृत्व कर रहे हैं। बाबा नाम के बलमा महोदय, कोई भी ब्राह्मण हल नहीं जोतता है। जातिवाद कुछ और चीज है। जातिवाद श्रम विभाजन से जुड़ा है, यह विशेषाधिकारों के विभाजन से जुड़ा है; यह विश्राम के विभाजन तथा शारीरिक श्रम के प्रति मानसिक दृष्टिकोण के साथ जुड़ा है। एक समय था जब मार्क्स ने कहा था 'विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ' भारत में हम लोग यह कहते हैं। देश के परिश्रमी व्यक्तियों एक हो जाओ।' परिश्रमी व्यक्तियों तथा श्रमिकों में अन्तर है। मैं यह कहना चाहूंगा : मैं जानता हूं, मुझे अधिक समय नहीं लेना चाहिए। सदन के पास भी समय नहीं है। यह ऐसी बात है जिस पर मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूं। आप भारत के मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के प्रतिवेदन को देखें। आप इसे देखें; उनमें 'वर्ग' और 'जाति' का क्या अभिप्राय है? ऊंचे वर्ग के कब्जे में अधिकांश जमीन है। भूमिहीन श्रमिक 99.99 प्रतिशत है, जिनमें हरिजन तथा अन्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति आते हैं। तत्पश्चात, दूसरी बात यह है; जब मैं सुन रहा था एक के बाद एक सदस्य खड़े हो रहे थे और वे आर्थिक कसौटी का विरोध कर रहे थे। वे मार्क्सवादियों पर दोषारोपण कर रहे थे। महोदय, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं : यह सच है कि एक

समय वह भी था जब संविधान सभा में वाद-विवाद हुआ था। मैंने उन बातों को पढ़ा है उनमें से अधिकांश बातें, जिनका उल्लेख किया गया था, पहले ही उस पुस्तक में मौजूद हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। लेकिन महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि काका लालेलकर के प्रतिवेदन तथा मण्डल आयोग के प्रतिवेदन आने के बीच काफी परिवर्तन आया है। समय बदल गया है। प्रयोजन बदल गया है। आज हम किसी व्यवस्था के अंतिम छोर पर है। मैं इन सब बातों का विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रयोजन कैसे बदल गया है। हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असमानता आ गई है। समस्त ढांचा खतरे में है। उत्तर-पूर्व की समस्या को देखिए। आज श्री वेंकटरामन जी प्रयास कर रहे हैं, इनके पूर्ववर्ती मंत्री ने प्रयास किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें बताना चाहता हूं : आरक्षण की नीति एक दोहरी धार वाला अस्त्र है। इससे सामाजिक क्रांन्ति लाई जा सकती है जिसकी देश में आवश्यकता है।

ऊपर से कोई सुधार नहीं, कोई आरणण नहीं, कोई परिस्त्रवास नहीं किन्तु सामाजिक क्रान्ति जिससे समाज आन्दोलित होता है, से सभी संस्थापित प्रभाव उखड़ सकते हैं जिन्होंने हमें हजारों वर्षों से जकड़ रखा है। आरक्षण से हम सामाजिक क्रांति तो ला सकते हैं किन्तु इससे साम्प्रदायिकता को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे हमने क्या पाया है कि आरक्षण के नाम से हरिजनों और जनजातियों का एक विशेष वर्ग बन गया है। आप कोई भी सुविधा दें, आप कोई विशेषाधिकार दें, वे केवल विशेषसुविधा प्राप्त वर्ग को ही मिलते हैं। यह एक गल्त नीति है, साम्प्रदायिक तथा नव-मध्यवर्गीय नीति है। हम नव-बौद्धों की बात करते हैं। यह भी एक प्रकार का नवजाति है जैसे 'नव बौद्ध मत"। अतः यह "नवजाति" है। हमें ठीक ढंग से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को देखना है। सामाजिक पिछड़ापन तो प्रारम्भिक बिन्दू है। शैक्षिक पिछड़ापन मध्यवर्गीय बिन्दू है। और आर्थिक रूप से पिछड़ापन अन्तिम उत्पादन बिन्दू हैं। मण्डल आयोग की रिपोर्ट को तीन भागों में समान रूप से विभाजित किया गया है—अवसर की समानता, व्यवहार की समानता और परिणामों की समानता, हमें इस विशिष्ट वर्गों, उन धनाढ्य लोगों, उन धनाढ्य पिछड़े लोगों, धनाढ्य हरिजनों धनाढ्य आदिवासियों पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये लोग उन सुविधाओं और विशेषाधिकारों पर अपना एकाधिकार न कर लें जो कि हम अपने सीमित साधनों से उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें हजारों वर्षों से नैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से तिरस्कारा गया है।

धन्यवाद

*श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री पासवान और अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रो० मधु दण्वते को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस चर्चा से हमें इस मुद्दे पर अपने विचार रखने का अवसर मिल सकेगा। महोदय, मैंने अपनी मातृ-भाषा, उड़िया, में बोलने की इच्छा जाहिर की थी। स्वर्गीय श्री मण्डल और आयोग में उनके सहयोगियों ने समस्या में काफी गहरायी तक जाकर वास्तव में काफी प्रशंसनीय कार्य किया है। अपने समाज में से सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर

*उड़िया में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

करने की समस्या का हल खोजने में हमारी सहायता करने में आयोग ने काफी बड़ा काम किया है।

महोदय, इस आयोग का गठन क्यों किया गया था ? यह आयोग के विचारार्थ विषयों से स्पष्ट हो जाता है जिन्हें मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

> "(एक) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने हेतु मानदण्ड निर्धारित करना ;
>
> (दो) इस प्रकार पता लगाये गए नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना ;
>
> (तीन) नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों को जिन्हें संघ अथवा किसी राज्य से सम्बन्धित कार्यों के लिए जन सेवाओं और पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो, नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण हेतु उपबन्ध की वांछनीयता या अन्यथा की जांच करना···आदि।

किन्तु अब हम यह विचार करेंगे कि क्या आयोग की यह रिपोर्ट वह उद्देश्य पूरा करती है जिसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था।

महोदय, सामाजिक पिछड़ेपन के उन्मूलन का उद्देश्य क्या है ? यह लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन से सम्बन्ध है। किंतु आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केवल सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबन्ध हेतु कदम उठाने की सिफारिश की है। किंतु क्या यह पिछड़े वर्गों के लोगों को आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का उन्मूलन करने के लिए काफी है ?

महोदय, सरकार द्वारा आयोग से रिपोर्ट प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि रिपोर्ट के अनुसार सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगी और पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी। इसमें देश से निर्धनता का उन्मूलन करने में सहायता मिलेगी जो कि श्री पासवान के शब्दों में "रोटी और बेटी" प्रदान करना है। श्री पासवान के अनुसार 'रोटी और बेटी' समस्या का हल केवल तभी हो सकता है यदि हम समाज से गरीबी का उन्मूलन कर सकें किंतु आयोग की रिपोर्ट बताती है कि आयोग को स्वयं भी इस बारे में सन्देह है कि क्या उसकी सिफारिशें अपना उद्देश्य पूरा कर सकेंगी। मैं समिति की सिफारिशों में से कुछ लाइनें उद्धरित करना चाहता हूं। यह पैरा 13.6 में है :

> "आरक्षण पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में भर्ती के कारण सरकारी सेवाओं में कमी के बारे में आशंकाओं को केवल एक बिन्दु तक उचित माना जा सकता है।"

अतः यदि हम सरकारी सेवाओं और लोक उपक्रमों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कर भी दें तो इससे पिछड़े वर्गों के योग्य लोगों को लाभ पहुंचाने का ध्येय पूरा नहीं हो सकता। आखिर कितने प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सेवाओं और सरकारी उपक्रमों में लगाया जा सकता है ? इससे पिछड़े वर्गों के थोड़े से लोगों को ही लाभ होगा क्योंकि इन संगठनों में पद बड़े

सीमित संख्या में होते हैं। अतः इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेने से पहले हमें बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिए। हमारे संविधान के दिशा निदेश सिद्धांतों में देश के सभी नागरिकों को पूर्ण रोजगार देने का प्रावधान है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित भी कर लेते हैं तो इससे संविधान के दिशा निर्देश सिद्धांतों को पूरा करने में कहां तक मदद मिलेगी ? मेरे माननीय मित्र, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का समर्थन किया है और भारत के संविधान के बारे में बोले हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

महोदय, एक अन्य विषय जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि प्रत्येक जाति वर्ग और लोगों के वर्गों में कुछ प्रतिशत लोग धनाढ्य होते हैं। ऐसा 1% अथवा ½ प्रतिशत हो सकता है किंतु वे सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य संगठन अथवा व्यक्तियों द्वारा उठाये गये कल्याणकारी उपायों के लाभ अधिकतर उठा लेते हैं। इसी प्रकार सभी पिछड़े वर्गों और जातियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही समृद्ध और होशियार हैं। इसलिये अगर सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कोई उपाय भी करे और उन्हें नौकरियों में आरक्षण भी दें तो भी इसमें सन्देह है कि उसका फायदा उन लोगों को पहुंचेगा जिन्हे वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आयोग ने भी अपनी सिफारिश में इसका उल्लेख किया है। मैं पैरा 13.7 उद्धृत करता हूं :

> "इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभ और अन्य कल्याणकारी उपायों का फायदा पिछड़े समुदायों के समृद्ध वर्ग उठा लेंगे।"

मैं इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने इस सभा में बहुत बार यह चर्चा की है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिये जाने वाले लाभ स्वयं इन लोगों द्वारा पूर्णतः नहीं उठाये जाते क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में समृद्ध वर्ग ही इनका लाभ उठाते हैं और उच्च जातियों में होशियार व्यक्ति अनुसूचित जातियों/जनजातियों को दिए जाने वाले लाभों को छीन रहे हैं। किंतु यह कहते समय मैं यह अवश्य कहूंगा कि मैं आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं, अपितु मैं आरक्षण का पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं उड़ीसा से आया हूं जहां राज्य सरकार की सेवाओं, सरकारी उपक्रमों, शिक्षा तथा सेवाओं में पदोन्नति के लिये भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। अतः किसी के दिमाग में यह सन्देह नहीं आना चाहिए कि मैं आरक्षण के विरुद्ध हूं। किंतु पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण करने से पहले हमें गम्भीरता से यह सोचना चाहिए कि समाज से निर्धनता के उन्मूलन और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में यह आरक्षण कहां तक सहायक होगा। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री और सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि कोई निर्णय लेने से पहले समस्या के इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करें।

महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता कि पिछड़े वर्ग का उत्थान जातिवाद में ही नीहित है। हम सभी देश में जाति प्रथा के विरुद्ध हैं चूंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में जाति-प्रथा के क्या बुरे प्रभाव पड़े हैं। हमारा दल, कांग्रेस (इ) श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जाति में जातिविहीन समाज के प्रति वचनबद्ध है और हम सभी लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं । श्री रतन सिंह राजदा पीठासीन होंगे । मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है ।

श्री रतन सिंह राजदा पीठासीन हुए

जब हम सब इसके लिए वचनबद्ध हैं तो क्या हमें जातिवाद के आधार पर पिछड़े वर्गों का पता लगाना चाहिये ? इससे हमारे देश की एकता पर प्रभाव पड़ता है । अत: मेरे विचार से पिछड़े वर्गों को जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग नहीं कहना चाहिये । इसका आधार आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिये । जाति चाहे कोई भी हो । आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का पता लगाया जाना चाहिये और सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण सहित कल्याणकारी लाभ सरकार द्वारा उन लोगों को भी दिये जाने चाहिए । अत: इसे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहना चाहिए । पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए मण्डल आयोग द्वारा की गई सिफारिश उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित नहीं है । इस प्रकार हम पिछड़े वर्गों से गरीबी का उन्मूलन नहीं कर सकते । मेरे विचार से, कुछ सरकारी पदों में आरक्षण करने से ही समस्या हल नहीं हो जाती । मेरे विचार से हमारी प्रधान मंत्री का नया 20 सूत्री कार्यक्रम ही देश में, विशेषकर, समाज के दलित वर्ग में गरीबी को दूर करने की एक मात्र कुंजी है । यदि हम प्रधान मंत्री के नये 20 सूत्री कार्यक्रम को ईमानदारी और निष्ठा से क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे तो ही लोगों का पिछड़ापन दूर हो सकेगा और सभी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में निश्चय ही सुधार आयेगा । यदि हम ईमानदारी से पिछड़ापन दूर करना चाहते हैं और पिछड़े लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उसका हल केवल यही है कि अपनी प्रधान मंत्री के नये 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करें जिससे कि सभी वर्गों और जातियों के लोगों को लाभ होगा ।

महोदय, विपक्ष में हमारे कुछ मित्रों ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की वर्तमान सरकार की ईमानदारी के बारे में सन्देह व्यक्त किया है । इन सन्देहों का कोई आधार नहीं है इसलिए मैं इनका खण्डन करता हूं । उन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं स्वर्गीय श्री बी० पी० मण्डल आयोग के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति जी को लिखे पत्र से दो लाइने उद्धृत करना चाहता हूं । अपने पत्र के पैरा 5 में उन्होंने कहा है :

> "यह बताया जाये कि यद्यपि इस आयोग को पिछली जनता सरकार ने नियुक्त किया था किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने न केवल दो बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया था अपितु उसने हमारे कर्त्तव्यों के निर्वाह हेतु सम्पूर्ण समर्थन और सहयोग दिया है । इससे निरुद्द पददलित और उत्पीड़ित वर्गों के हितों के लिए उनकी निष्ठा और वचनबद्धता का पता चलता है ।"

अत: सरकार की ईमानदारी का उल्लेख अध्यक्ष श्री मण्डल ने स्पष्ट कर ही दिया है । महोदय, इसके अतिरिक्त, मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की

इसी सरकार ने जनवरी, 1980 में संविधान में संशोधन करके आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया था।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय गृह मंत्री से, जो इस समय सदन में उपस्थित हैं, अनुरोध करूंगा कि वह इस रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निर्णय लेने से पहले उन पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करें जिन्हें मैंने आपके माध्यम से उन तक पहुंचाया है।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद, महोदय।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, यह बात सही है कि सदियों से या जब से सभ्यता प्रारम्भ हुई है तभी से हिन्दुस्तान में जातियों का आविर्भाव हुआ है। यह तथ्य एक ऐतिहासिक तथ्य है। केवल यही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी मोर-ओर-लेस जाति सिस्टम प्रीवेल करता है। लेकिन यहां और वहां में फर्क यह है कि जब शुरू में भाई पासवान जी इस बहस को इनीशिएट कर रहे थे तो इनको लगा होगा कि मैं इनका विरोध कर रहा हूं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। विरोध इस बात का अवश्य कर रहा था कि जब आप ऐसे विषय पर चर्चा चलाते हैं तो राजनीति को उसमें जरूर घुसेड़ देते हैं। इन्होंने साफ कहा कि आपकी नेता इन्दिरा जी की नीयत साफ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं—देश में वही एक ऐसी नेता हैं तो तमाम पिछड़े हुओं को ऊपर उठाना चाहती हैं। इसका उदाहरण है—आप देखें जब रिजर्वेशन समाप्त हो रहा था, जनता पीरियड में, माननीय चरण सिंह जी और पासवान जी भी उस समय उस पार्टी के मैम्बर थे, जनता पार्टी के लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि जो 10 वर्ष का रिजर्वेशन समाप्त हो रहा था उसका संशोधन लाकर उसको पास करवाते। यह केवल इन्दिरा जी हैं जो गरीबों, पिछड़े लोगों, बैकवर्ड लोगों, आदिवासियों, हरिजनों, गिरिजनों का ख्याल रखती हैं और उनको ऊंचा उठाने की बात करती हैं।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इसको स्पोर्ट करता हूं और तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं। मैं इसलिए इसका समर्थन करता हूं कि यह एक नेशनल रिपोर्ट है और हमारे स्वर्गीय मंडल जी ने काफी छानबीन करके इसको प्रस्तुत किया है। इसकी सभी ने तारीफ की है। जिन तथ्यों पर इसमें प्रकाश डाला गया है वे सभी बहुत ही विचारणीय हैं।

इसमें कहा गया है कि इक्विलिटी फार आल तो है ही लेकिन अवसर की भी सभी के लिए समानता होनी चाहिए। आप देखें कि रिजर्वेशन के बारे में कमीशन ने क्या कहा है। उसने कहा है कि यह रिजर्वेशन न केवल गवर्नमेंट सर्विसिज में, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में होना चाहिए, बल्कि यह रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान में जितना भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट की धनराशि किसी न किसी रूप में लगी हुई है।

यह बात सही है कि पिछले 35 वर्षों में शेड्युल्ड कास्ट्स को केवल 7 प्रतिशत पर रिजर्वेशन मिला है और क्लास वन पदों पर तो तीन प्रतिशत पर ही मिला है। इस बात को सरकार भी मानती है। समय-समय पर सरकार की ओर से जो उत्तर आता है उसमें इस बात को माना जाता है। इसके बारे में हमें बहुत कुछ करना है।

होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में काफी अनोमलीज है। आप इसको भी देखें। इन लिस्टों को संशोधित करने के लिए 1967 में एक बिल आया था, वह लेप्स कर गया। फिर 1976 में एक बिल आया वह भी जनता पार्टी का शासन आने के बाद पास नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप शेड्युल्ड कास्ट्स और सेड्युल्ड ट्राइब्स की जो लिस्ट होम मिनिस्ट्री में पेंडिंग है उनको संशोधित करें ताकि हर क्षेत्र में रहने वाली इन जातियों में एकरूपता आ सके और उनका समान रूप से विकास हो सके।

कई राज्यों में इन जातियों में विभिन्नता है। उत्तरप्रदेश जैसे राज्य ने 13 आदिवासी जातियों को शेड्युल्ड ट्राइब्स में शामिल करने के लिए रिकमण्ड भी किया है। उनमें भी एक बियार जाति छूट गयी थी उसको भी इसमें शामिल करने के लिए उन्होंने कहा है। इस प्रकार बहुत से क्षेत्रों में ये जातियां अलग-अलग वर्ग में आती हैं। अब मेरी कास्ट को आप लीजिए। उत्तरप्रदेश में यह शेड्युल्ड कास्ट में आती है, मध्यप्रदेश में यह शेड्युल्ड ट्राइव में आती है और मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले में यह जनरल कास्ट में आती है। शेड्युल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में ऐसी अनोमलीज को समाप्त किया जाना चाहिए।

अब एक मल्लाह जाति है यह विभिन्न क्षेत्रों में 11-12 नामों से जानी जाती है। दिल्ली में मल्लाह जाति शेड्युल्ड कास्ट में आती है। उत्तरप्रदेश में यह पिछड़ी जाति है, वहां शेड्युल्ड कास्ट्स में नहीं है। इस जाति को कहीं केवर, कहीं मछुआरा, कहीं मांझी और कहीं केवट कहते हैं। मैं मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसको या तो सब जगह शेड्युल्ड कास्ट् में रखा जाए या शेड्युल्ड ट्राइब्स में। सारे हिन्दुस्तान के लिए मंत्री जी एक नेशनेलाइज लिस्ट बनावे और अब जो लिस्ट उनके मंत्रालय में विचाराधीन है उसमें संशोधन करें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सारे समाज को आगे लाना चाहते हैं और सारे समाज को आगे लाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तरप्रदेश के जिस कमीशन के बारे में पासवान जी ने कहा जो कि श्री छेदीलाल जी की अध्यक्षता में बना था। वह कमीशन मोस्ट बैकवर्ड क्लासिज आयोग था और उसने बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट दी है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडल जी ने भी रिपोर्ट देते हुए किसी बात को छिपाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि बैकवर्ड क्लासिज में चार-पांच जातियां ऐसी हैं जो कि निश्चित तौर पर आगे हैं और जब पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन की बात आये तो हमें मल्लाह, केवर, बियार जैसी पिछड़ी जातियों को उनके स्थान पर प्राथमिकता देनी होगी।

मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह रिजर्वेशन की बात आती है तो हमें रिजर्वेशन केवल नौकरियों में ही नहीं और चीजों में भी रिजर्वेशन करना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना में शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लिए 6 प्रतिशत राशि निर्धारित की है। धनराशि बढ़ा दी है। और जो आज सरकार का विरोध करने के लिए किसी न किसी तरह से बात कर देते हैं, जब इनकी सत्ता थी तो उत्तर प्रदेश और बिहार में शेड्युल क्लास के वजीफे आदि में कटौती करके बैकवर्ड क्लास के लोगों को दिया। मैं नहीं कहता कि नहीं दिया जाए, लेकिन इनका व्यवहार ऐसा

है, इस बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जिस तरह से मद्रास, मैसूर, कर्नाटक और कई राज्यों में शेड्युल्ड कास्ट और शेड्युल्ड ट्राइब्स एक होकर रहते हैं, एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते हैं, वह चीज उत्तर भारत में नहीं है और यह सही बात है कि बेकवर्ड लोगों ने हरिजन आदिवासियों पर ज्यादा अत्याचार ढ़ाए हैं। इस बारे में माननीय नेताओं को सोचना चाहिए। अभी हमारे जिले में, प्रदेश में कुर्मी किसी हरिजन को गिलास में पानी नहीं दे सकता। मैं भुक्तभोगी हूं। मेरे क्षेत्र की आबादी बैकवर्ड की है और मैं 90 प्रतिशत बैकवर्ड और हरिजन आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आर्थिक स्थिति के बावजूद सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ये इतने पिछड़े हुए हैं कि सरकारी नौकरियों में इनका कोई स्थान नहीं है। उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। उनकी समस्याओं को देखते हुए मैं मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही अपील करता हूं कि जो पिछड़ी जातियों के नेता बनते हैं, उन्हें इंदिराजी से सीखना चाहिए। इंदिरा जी सारी कम्युनिटीज को एक साथ लेकर सोचती हैं।

इस रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत-सी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को सरकार को देखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। सारे राज्यों से सूचनाएं मंगा लें, ताकि फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नौबत न आए और रिपोर्ट पड़ी न रहे। इसलिए सारी चीजों पर विचार करके आगे बढ़ना है। सोशली और एजूकेशनली बैकवर्डनेस शब्द से मैं सहमत हूं और इकनामिक क्राइटेरिया रखने से समस्या नहीं सुलझेगी। अगर इकनामिक क्राइटेरिया रखा जाएगा तो जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि धनिक भी जीरो इनकम का सर्टिफिकेट ला सकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और जिस तरह से कुछ लोगों ने कहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार ने गरीबों, हरिजन-आदिवासियों का कल्याण करने के लिए व्यावहारिक रूप से कार्य किया है। इसका नमूना आई० आर० डी० पी, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, स्पेशल प्लान, ट्राइबल प्लान, सभी पर काम चल रहा है और उत्तरोत्तर प्रगति पर है।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि इस कमीशन की सिफारिशों का इंप्लीमेंटेशन किया जाए।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिस मेहनत के साथ, परिश्रम और समझ-बूझ, से इसको लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और सारे माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है।

पूरे समाज से यह भूल हुई है कि पिछले 35 वर्षों में पिछड़ी जाति की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। हरिजन-आदिवासियों के बारे में हमने काफी जानने का प्रयत्न किया, उनके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयत्न किया उनको सुरक्षा दी गई, लेकिन इसके अलावा जितने वर्ग थे जो पिछड़ी जाति के नाम से गिने गए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम

नजदीक से अध्ययन करने पर मालूम होता है। मुझे भी ऐसा मौका मिला। हमारे यहां एक जाति मरार कहलाती है। उसकी संख्या दो-तीन जिलों में तीन लाख है। व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर यह पता चला कि इनमें एक भी मैडीकल विद्यार्थी नहीं, एक भी इंजीनियर विद्यार्थी नहीं। केवल एक···आयुर्वेद का पढ़ा हुआ डाक्टर मिला। शिक्षातों की संख्या केवल पांच थी। जितनी भी जातियां बताई गई हैं और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं ये सबकी सब श्रमिक जातियां हैं। सैकड़ों वर्षों से श्रमिकों के रूप में ये काम करती रही हैं फिर चाहे लोहार हों, पानी भरने वाले हों, गाय चराने वाले हों, बुनकर हों। ये सारी जातियां श्रमजीवी जातियां हैं। इनकी स्थिति दयनीय से दयनीय होती चली गई है। उनकी स्थिति को बदलने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के बारे में सोचा जा रहा है यह सही है और सोचा जाना भी चाहिए। अभी तक जो भूल हमने की है वह यह है कि इन जातियों के बारे में भी हमने उसी तरह से चर्चा की है जैसे अनुसूचित जातियों के बारे में होती है। अनुसूचित जातियों में छूआ- छूत या इस तरह की बातें हैं। उनसे भिन्न इनकी समस्याएं हैं। इनके द्वारा जो रोजगार किए जाते थे औद्योगिकीकरण की वजह से वे मिटते चले गए हैं। यही उनकी आर्थिक दशा बिगड़ने का मुख्य कारण रहा है। गांधी जी ने ग्रामोद्योगों पर जोर देकर उनके पेशे की हैसियत को बढ़ाने के की ओर ध्यान दिया। लेकिन जैसे-जैसे उद्योग धंधे बढ़ते चले गए हैं, औद्योगीकरण होता चला गया है, हथकरघे समाप्त होते गए हैं, बुनकरों की स्थिति दयनीय होती गई है, बड़े-बड़े कारखानों के साथ-साथ लोहार की स्थिति दयनीय होती गई है, हाथ से काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी स्थिति दयनीय होती गई है। यह आर्थिक समस्या भी है और सामाजिक भी। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमको कटिबद्ध होना पड़ेगा और हमारे जो प्रयत्न इस दिशा में हो रहे हैं, उनको और ज्यादा गति हमको देनी होगी। इस काम के लिए हमको समयबद्ध कार्यक्रम अपनाकर चलना होगा।

पिछले 35 साल आजादी के जो हैं उन पर हम नजर डालें और आपने ऐसा किया तो आपको पता चलेगा कि ये जो वर्ग हैं ये भूमिहीन वर्ग ही तो हैं। पिछड़ी जातियों में भूमि की समस्या मूलरूप में विद्यमान रही है। अगर भूमि उनको दे दी जाए तो जो हमारा उद्देश्य है, उनको ऊपर उठाने का वह पूरा हो सकता है। आप देखें कि बुनकरों की समस्या उद्योग से जुड़ी हुई है, ग्वालों की समस्या, उद्योग से जुड़ी हुई है। नाविक, साग सब्जी वाले जो हैं इनकी खेत से समस्या जुड़ी हुई है। इन सब समस्याओं को, हमको इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हल करना होगा।

पासवान जी ने मनुस्मृति का हवाला दिया है और कहा है कि तब से यह समस्या चली आ रही है। इनका जीवन-स्तर बदतर होता चला गया है। मनुस्मृति में तो चतुर्वर्ण की बात कही गई है लेकिन उससे पहले तो तीन वर्ण ही थे। मनुस्मृति के बाद एक पांचवां वर्ण भी जुड़ गया है जिसको अन्त्यज्य कहा जाता है। मनुस्मृति के बाद यह पंचम वर्ण पैदा कर दिया गया है। यह जो वर्ण है इसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए ये सब दृष्टिकोण हैं जो आपको सामने रखने होंगे।

पंचम वर्ग के लोग अपनी स्थिति को देखते हुए जब धर्म परिवर्तन करते हैं, मुसलमान या ईसाई हो जाते हैं उनकी सामाजिक स्थिति में फलस्वरूप परिवर्तन हो जाता है वहां जाने के बाद भी वही स्थिति रहती है ; इसलिए उनकी वह सुविधा वहां भी कायम रहनी चाहिए। अगर हम

अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में इसको मानकर चलते हैं कि इसका सामाजिक स्तर कमजोर है, उससे अस्पृश्यता मानी जाती है, आर्थिक स्थिति भी खराब है तो वहां पर मुसलमान समाज के अन्दर भी इस्लाम धर्म जो क़बूल करते हैं, मुझे अपना अनुभव है वहां पर जो हरिजन का काम कर रहे हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति हरिजन जैसी ही है। हेला नाम की एक जाति है जो धर्म के रूप में इस्लाम धर्म को मानती है, मगर पेशे में भंगी का काम करती है। और वहां पर मुल्ला और मौलवियों का जो स्थान है, उनको वह स्थान नहीं मिलता है, वह हरिजनों के समकक्ष ही हैं उनको वही स्थान देना होगा। कुछ दिन पूर्व ईसाई समाज के लोगों को हममे धर्म परिवर्तित करते देखा, कुछ थोड़ी सी उनको सुविधा मिली, उनके बाद भी आज वह हड्डी बीनने का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने पिछड़ी जाति को काम के आधार पर देखा है, जो छोटे वर्ग के काम करने वाले हैं, चाहे वह मुसलमान हों, ईसाई हों, वह संरक्षण के पात्र हैं। साथ ही साथ ऊपर के वर्ग को भी आप देखें, अगर वह ब्राह्मण है और बरतन मांज कर अपना जीवर बसर कर रहा है, या हल चला रहा है तो वह गरीब की स्थिति में है और एक हरिजन के समान हो जाता है। ब्राह्मण के अन्दर हो, या क्षत्रीय या कायस्थ में हो, आज की स्थिति में यही न देखें, उसमें भी वर्ग का विकेन्द्रीकरण हो रहा है, कुछ लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग पिछड़े वर्ग से भी नीचे गिर गए हैं, मगर बहुत कम लोग हैं, और सैंकड़ों लोग नीचे आ गए हैं। नीचे के वर्ग में आ गए हैं और उस वर्ग को भी काम के आधार पर देखें अगर वह लोहारी का पेशा कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, या कोई विधवा बर्तन मांज रही है चाहे भले ही ब्राह्मण के यहां पैदा हुई हो, उसका कोई सहारा नहीं है इसलिए उसको उसी वर्ग में देखें।

अन्त में एक बात और कहनी है, जो अर्न्तजातीय विवाह कर लेते हैं उनकी स्थिति भी दयनीय हो जाती है। एक उदाहरण देता हूं, मेरे बहुत नजदीक के क्षेत्र में एक ब्राह्मण ने एक हरिजन लड़की से शादी की और सामाजिक स्थिति में परेशानी के कारण वह ब्राह्मण लड़का तो भाग गया और उसके दो बच्चे हरिजन मां के पास रह गये, यद्यपि उनका सर नेम तिवारी है। सामाजिक रूप से हरिजन हैं और कोई सुविधा उनको नहीं मिलती है। जिसने अन्तर्जातीय शादी की है चाहे किसी जाति का हो, वह राष्ट्र का एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसको वही सुविधा देनी चाहिए जो पिछड़े वर्ग के लिए हम सोच रहे हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग के लिए जो हमने सोचा है और उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं उस पर किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हम प्रधान मंत्री जी से आशान्वित हैं और आपको भी होना चाहिए। क्योंकि जिस महापुरुष ने इसका बीड़ा लिया और मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उस विश्वास के साथ जो आप और हम से जुड़ा हुआ है, उस पर अविश्वास न करके, सारा आज का जो वातावरण है उसको परिलक्षित करने में हम सब लग जाएं।

10 साल के लिए रिजर्वेशन सर्वसम्मत से बढ़ाया, सबने खुश होकर काम किया। लेकिन परिणाम के रूप में क्या किया गया? उसके विपरीत में आन्दोलन हुआ। यहां हम सब लोग रिजर्वेशन से सहमत हुए, लेकिन आन्दोलन में परोक्ष रूप से या सामने आ कर के सहयोग किया। यह स्थिति फिर से नहीं होनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भोलवाड़ा) : मान्यवर, पिछड़े हुए लोगों की आर्थिक उन्नति हो इसका मैं समर्थन करता हूं। मगर जो हमारे भाई पासवान जी ने बात कही है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जनता पार्टी का जब शासन देश में आया और उन्होंने जातिवाद और जाति पांति को जो बढ़ावा दिया। अलग-अलग प्रदेशों के अन्दर यू० पी० हरियाणा, बिहार में जगह जगह उन्होंने जिन-जिन जातियों को पिछड़ी हुई जाति माना और वह जातियों उन प्रदेशों में डोमीनेट करतीं, अपना वर्चस्व कायम रखती हैं, इस प्रकार की जातियों को अगर वहां पिछड़ी जातियों में कायम कर दें और उसका नाजायज राजनीतिक फायदा उठायें तो निश्चित तरीके से इससे बुरी बात और नहीं हो सकती। उनको चाहिए कि जो पिछड़े हुए हैं पोशली और एजूकेशनली, उनको फायदा पहुंचे न कि वैसे लोगों को जिनके पास हजार-हजार बीघा और 500, 500 बीघे जमीन है। ऐसे लोगों को अगर बैकवर्ड क्लासेज में शामिल कर लिया जाता है तो निश्चित तरीके से वह एक अच्छी परम्परा नहीं होगी और हम जिनके लिए पैरवी कर रहे हैं, वह भी अच्छी बात नहीं होगी।

आपने हमारे लिए कह दिया कि ब्राह्मण तो अपर क्लास के लोग हैं। आपको मालूम नहीं है कि ब्राह्मण की हालत क्या है गांवों में ? वहां जाकर आप देखिये, आपसे ज्यादा बैकवर्ड तो हम हैं। हमारे यहां पढ़े-लिखे लोग नहीं है, कोई अंगूठा छाप है और कोई भीख मांगता है। आप उनको भी कहेंगे कि समाज के सबसे ऊंचे लोग हैं, उनको किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए ?

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी आप निन्दा करें और ऐसे लोगों को भी बैकवर्ड क्लासेज में शामिल करें जिनके पास 10, 10 बीघा जमीन है। मैंने बार बार कहा है कि लैंड रिफार्म की जो व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए वह नहीं है। आज भी हरियाणा पंजाब, यू० पी०, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां यह बड़े-बड़े जमींदार लैंडलार्ड हैं, जिनके पास 50, 50 हजार बीघा जमीन है। अगर ये सब बैकवर्ड क्लासेज में हो जाते हैं तो फिर बैकवर्ड क्लास की परिभाषा खत्म हो जाएगी। इसलिए इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। हमारे कम्युनिस्ट भाई ने ठीक कहा कि इसमें आर्थिक मामला भी आना चाहिए। उसकी इकनामिक अवस्था क्या है, उसकी आमदनी क्या है ? जैसे हमारे पाराशर जी ने कहा कि एक आदमी की 6 हजार रुपये की आमदनी है और दूसरे की आमदनी साढ़े 7 हजार है। किसान की आमदनी साढ़े 7 हजार है और एक चपरासी की आमदनी 6 हजार है। 6 हजार वाला तो बैकवर्ड में नहीं आयेगा और साढ़े सात वाला बैकवर्ड में आ जायेगा। इस प्रकार की स्थिति आप लाने की कोशिश न करें। यह राजनीतिक फायदा उठाकर जिस तरीके से आपने अलग-अलग क्षेत्रों में बैकवर्ड क्लासों में बड़ी-बड़ी जातियों को रखने की कोशिश की है, वह गलत है।

आप इसमें उनको लाइये जिनकी आर्थिक हालत खराब है, जिनका सोशल स्टेटस गिरा हुआ है, जो एजूकेशनली बैकवर्ड हैं, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। उनको फौरन लाभ मिलना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि आज शिड्यल्ड कास्ट या ट्राइब्ज का कोई व्यक्ति आई० ए० एस०

आफिसर हो जाता है तो वह अपनी जाति से अलग हो जाता है। वह उनके हाथ का छुआ नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, उनसे नफरत करता है। इस प्रकार की स्थिति आज उन लोगों में हो गई है। उनमें भी एक नई जाति और नई परम्परा स्थापित हो गई है, यह चीज रोकी जानी चाहिए।

जब तक उस क्लास के लोग ऊंचे नहीं उठते, अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते, कुछ लोगों को आप बड़ा बना दें, कुछ को सम्पन्न बना दें, तो उससे आर्थिक विषमता समाप्त होने वाली नहीं है। अगर इसे समाप्त करना है तो नीचे से तमाम लोगों को रोटी-रोजी की व्यवस्था कीजिए, शिक्षा दीजिए, उनको आर्थिक तौर पर सम्पन्न बनाइये। इसके बिना यह संभव नहीं है। आप 52 परसेंट रिजर्वेशन कर दें चाहे कुछ कर दें, इससे सारा देश जिसको आप उन्नति के रास्ते पर लाना चाहते हैं, नहीं आ पायेगा। इसलिए सही दृष्टिकोण से सोचिए। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जिनके सम्बन्ध में कहा कि वह पीछे ले जाना चाहती हैं, उनके मुकाबले का देश में कोई नेता नहीं, जिसने इन बैकवर्ड क्लास, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों को आर्थिक तौर पर सम्पन्न बनाने के लिए कितने बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने 1975 में जो 20-सूत्री कार्यक्रम दिया, वह सारे बैकवर्ड क्लासिज को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम था। वर्तमान 20-सूत्री कार्यक्रम भी उन्हें आर्थिक तौर पर सम्पन्न बनाने का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि उन जैसी महान् नेता दुनिया में नहीं है। इसलिए उनके हाथ मजबूत करने चाहिएं। अगर उन्हें शक्ति मिलेगी, तो बैकवर्ड क्लासिज और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ड्राइब्ज के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, उनकी आर्थिक उन्नति होगी और देश सम्पन्न तथा खुशहाल बनेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को सही तरीके से सोचना चाहिए कि वास्तव में कौन बैकवर्ड है और किसको मदद मिलनी चाहिए। बंदर-बांट नहीं होनी चाहिए कि जिसके हाथ कुछ लगा, वह लेकर भाग गया और बेचारा गरीब देखता रह गया—मेरे जैसा गरीब तो रोता रह गया और जिसके पास माल है, वह और मालामाल हो गया। गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इन सारी बातों को बहुत गम्भीरता से नोट करके ऐसा निर्णय लें जिससे गरीब ऊंचे उठ सकें।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रामविलास पासवान ने इस देश में कट्टरपन्थ की धारा की चर्चा की और श्री राजदा ने उदार-पन्थ की धारा की चर्चा की। मैं उतने पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं अपनी बात संविधान से शुरू करता हूं।

अगर संविधान में दी गई स्कीम आफ थिंग्ज को देखा जाए, तो आर्टिकल 15 (4), 16 (4), 46, 338 और 340 में शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज, वीकर सेक्शन्स, अदर बैकवर्ड क्लासिज, सोशली एंड एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासिज के लिए विशेष व्यवस्था करने की बात कही गई है। यह सच है कि भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि उसमें, जैसा कि प्रो० यादव ने नेहरूजी को सपोर्ट करते हुए कहा, स्टेटिकिज्म और डायनामिज्म ये दोनों फैक्टर रखे गए हैं। मैं अपनी भाषा में कहूंगा कि यद्यपि अवसर की समानता के सिद्धान्त का उसमें प्रतिपादन हुआ है, लेकिन उसमें विशेष अवसर के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन हुआ है। आर्टिकल 16 में कहा गया है

कि अवसर की समानता होगी, लेकिन मैंने जिन आर्टिकल्ज का वर्णन किया है, उनमें इन पिछड़े हुए लोगों के लिए, श्री ए० के० राय ने जिनको डिसटार्शन्ज आफ हिस्टरी कहा है, विशेष अवसर की व्यवस्था की बात भी कही गई है। यह जो विशेष अवसर की बात कही गई है, उसके सम्बन्ध में प्रस्तावना को श्री राम विलास पासवान ने बताया :

> "हम खण्ड (3) के द्वारा दो बातें प्राप्त करना चाहते हैं। मूलभूत अधिकारों में, प्रथम खण्ड (1) में, हम राज्य की सेवाओं में उच्चत्तम कार्यकुशलता प्राप्त करना चाहते हैं···साथ ही देश के बहुत से प्रदेशों की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, हम चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों को जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं, राज्य सेवाओं में अवसर दिया जाना चाहिए।"

श्री के० एम० मुंशी

यह के० एम० मुन्शी जी कहा है। आर्टीकल 15 (4) के बारे में। इस व्यवस्था को देखते हुए जैसा कि माननीय भगत जी ने कहा कि शेड्यूल्ड एण्ड शेड्यूल्ड टाईब्ज का आईडेन्टी फीकेशन तो बहुत ही सहज है इसलिए उसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं, बात रह गई अंदर बैकवर्ड क्लासिज की, सोशली एण्ड एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासेज की। इनके आइडेंटिफिटेशन के बारे में आर्टीकल 340 प्रोवाइड किया गया। आर्टीकल 340 के बारे कास्टीच्यूशनल फादर्स ने क्या कहा है। इस बारे में श्री के० एम० मुन्शी ने जो कहा है वह मैं आपको बताता हूं :

> "इस अनुच्छेद 340 में यह कहते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र का यह दायित्व बना दिया है कि सभी असमर्थताओं और कठिनाइयों को दूर किया गया है और इसलिए यह वास्तव में पिछड़े वर्गों की स्वाधीनता का घोषणापत्र है।"

अनुच्छेद 340 को पिछड़े वर्गों की स्वाधीनता का घोषणापत्र में बताया गया है।

> "उन्होंने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने बताया कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य उन्हें (पिछड़े वर्ग को) सामान्य स्तर तक लाने की प्रक्रिया को पूरा करना है।"

ये हैं उनके उद्गार। यदि आप इन सभी उद्गारों को लें, प्रीएम्बल को लें, आर्टिकल 15 (4) को लें, आर्टिकल 340 को लें और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी, आर्टिकल 446 को लें तो आप देखेंगे कि जिन उदात्त भावनाओं को उन्होंने प्रतिपादित किया है और जिसके संबंध में लोगों में इतनी आस्था जगी, जिसके लिए लोगों में इतने एक्सपेक्टेशंस हो गए, इन एक्सपेक्टेशंस के बाद 35 वर्ष गुजर गए। उन एक्सपेक्टेशंस को आज तक फलफिल नहीं किया गया। तो आप समझिए कि कितना बड़ा फ्रास्ट्रेशन लोगों में है? एक्सपेक्टेशंस और फिर फ्रास्ट्रेशन—इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस को एराउज करना कि आपको चार्टर आफ लिबर्टी मिलने जा रही है और फिर उसके साथ इस तरह का बर्त्ताव करना 35 वर्षों में, उससे उतना ही बड़ा फ्रास्ट्रेशन लोगों में व्याप्त हो गया है और जो माननीय सदस्यों ने कहा कि हम एक ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह ज्वालामुखी किसी वक्त भी फूट सकता है। यह बात सही है कि उनमें काफी सहनशीलता है, उसके कई कारण हैं, उनमें जाति प्रथा भी एक कारण है लेकिन आप सदा

के लिए यह मत समझिए कि कभी उनमें ताकत नहीं आएगी और वह ज्वालामुखी फूटेगा नहीं। अब नया जागरण आ रहा है। आप देखें, हरिजनों में नया जागरण आ रहा है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनमें भी नया जागरण आ रहा है।

कुछ लोगों ने कहा कि दक्षिण में ये दोनों शक्तियां मिली हुई हैं, इसलिए उनकी शक्ति वहां बहुत है, इसलिए वहां रिजर्वेशन भी मिला, किसी तरह की कोई अशांति नहीं हुई, कोई आन्दोलन नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सारी बातें ठीक-ठाक निकल गई। लेकिन उत्तर में ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्या हम यह मान कर चलें कि सदा के लिए यही स्थिति रहेगी ? ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जरा कृपा करके देखें।

इसके साथ ही दूसरी बात मैं कहता हूं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब आइडेंटिफाइड है, अनटचेबिलिटी उनका स्टिग्मा और क्राइटीरिया है। उस हिसाब से वे आइडेंटिफाइड है। लेकिन बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में यही मुसीबत है कि उनकी परिभाषा सहन नहीं है। इसी का लाभ सरकार उठा रही है और यहीं पर आकर सारी बातें रुक जाती हैं। क्या सरकार को अधिकार है कि वह सूची तैयार करे ? सरकार को स्वतः कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 340 के अन्तर्गत ही सूची तैयार की जा सकती है और वह बैकवर्ड क्लासेज कमीशन तैयार कर सकता है।

इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में उस समय कैबिनेट ने जो बात की, उसकी थोड़ी-सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। 1953 में काका कालेलकर कमीशन की नियुक्ति की गई और 1953 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। उस पर सदन में चर्चा नहीं हुई लेकिन कैबिनेट में जो चर्चा हुई उसका थोड़ा-सा नोट मेरे पास है। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि उसमें क्या कहा गया है :

> "इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कि क्या नागरिकों का कोई वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है अथवा नहीं, नागरिकों के उस ग्रुप की जाति पर विचार करना असंगत नहीं होगा। इस सम्बन्ध में, यह बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि विशेष उपबन्ध नागरिकों के वर्गों के लिए किए गए हैं न कि व्यक्तिगत नागरिकों के लिए। इस प्रकार···।"

इकानॉमिक क्राइटीरिया की जो बात माननीय सदस्य यहां पर कर रहे थे वह इसमें है :

> "इस सम्बन्ध में यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि विशेष उपबन्ध नागरिकों के वर्गों के लिए किए गए हैं न कि व्यक्तिगत नागरिकों के लिए। अतः यद्यपि, नागरिकों के वर्ग की जाति संगत हो सकती है, उसके महत्व को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताया जाना चाहिए।"
>
> "नागरिकों का व्यवसाय भी नागरिकों के वर्गों के सामाजिक पिछड़ेपन को बनाने में सहयोग देता है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें पारस्परिक विचारों के अनुसार घटिया माना जाता है। और जो नागरिक उन व्यवसायों को करते हैं वे अवश्य ही सामाजिक रूप से पिछड़े बनेंगे। आवास स्थान···" आदि-आदि।

अब मैं एक महत्व की बात बता रहा हूं :

"पिछड़े वर्ग निर्धारण का प्रथम मानदण्ड सामाजिक पिछड़ापन है। हमारे हिन्दू समाज में, जाति प्रथा ही के कारण सामाजिक पिछड़ापन आया है। पौराणिक पाठों के वर्ण आश्रम धर्म में उस समय बनाई गई जातियों द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों पर जोर दिया गया था तथा इसका निर्धनता रेखा से कोइ सम्बन्ध नहीं था।"

मैं कैबीनेट की बात कर रहा था, जहां पर इसकी चर्चा हुई है। उसमें आप देखेंगे कि इन बातों का जिक्र किया गया है। जिन पर हम आज हम बहस कर रहे हैं। शोशल एण्ड एजूकेशनल बैकवर्डनैस को डिटरमीन करने के लिए कास्ट को कहां तक लिया जा सकता है। इस बात पर भी कैबीनेट में यही राय हुई।

कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो इंप्लीमेन्ट हुई नहीं। लेकिन 1961 के बाद सरकार के आदेश गए, उनको आप गाइड-लाईन्स कह लीजिए। राज्यों से कह दिया गया कि आप जैसी व्यवस्था करना चाहें करें, कमीशन बनायें, उसके अनुसार जो करना चाहें करें, मगर केन्द्र के सम्बन्ध में कह दिया गया कि केन्द्रीय सरकार इकोनामिक क्राइटीरिया मानती है और यहां से जो पैसा जाता है उसको राज्य उसी आधार पर बांटें। केन्द्रीय सरकार की ओर से जो फाइनेंशियल असिस्टेन्स होती है। उसके लिए भी केन्द्रीय सरकार ने सूची तैयार नहीं की है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलना चाहिए था, उसकी बात आप छोड़िए। आर्थिक मदद जो उनको मिल सकती थी, दूसरी और जो मदद मिल सकती थी, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार, वह भी उनको नहीं मिली। क्योंकि कोई सूची नहीं थी और न सूची बनाई गई। मैं आपको कैबिनेट की बात और सुनाना चाहता हूं :

"बहुत सोच-विचार के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें इस तथ्य को मानना पड़ेगा कि उन वर्गों का, जिन्हें भारत सरकार अनुच्छेद 338 के प्रयोजन और केन्द्रीय स्रोतों से वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग घोषित करती है, विभिन्न राज्यों द्वारा स्वीकृत की गई पिछड़े वर्गों की परिभाषा से मेल खाना जरूरी नहीं है।"

"केन्द्र सम्पूर्ण भारत के लिए अपना स्वयं का मानदण्ड अपनाएगा तथा अपनी योजनायें बनाने में तथा लोगों के उत्थान हेतु योजनाओं की वित्तीय सहायता देने के लिए इन्हीं मानदण्डों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा।"

श्री रामप्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे माननीय सदस्य ने दो बार यह कहा कि यह कैबिनेट का डिसीजन है। यदि कोई व्यक्ति किसी समय मिनिस्टर रह चुका हो, कैबिनेट का डिसीजन जो कि सिक्रेट रहता है, क्या वह उसको कोट कर सकता है ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य जो कभी मन्त्री रहा हो मंत्रिमंडल का निर्णय पढ़ सकता है।

श्री रामविलास पासवान : उसका बोलने का राईट है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको स्रोत का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि ये सब आपके विचार हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं आपको अब कन्ट्राडिक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। राज्यों ने कमीशन बनाए और उन कमीशनों की अनुशंसाओं के आधार पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रिजर्वेशन किया गया। लेकिन केन्द्र में वह कहीं नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय आप दक्षिण से आते हैं, आप इस बारे में जानते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में आरक्षण है, लेकिन केन्द्र में नहीं है। यह बात शैड्यूल्ड कास्ट्स के साथ नहीं है। शैड्यूल्ड कास्ट्स का राज्यों में भी रिजर्वेशन है। शैड्यूल्ड कास्ट इज पार्ट आफ दि बैकवर्ड क्लासेज। क्योंकि मूल शब्द उसमें बैकवर्ड क्लासेज आया है। यह बात ठीक है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्डट्राइब्स बैकवर्ड क्लास का अंक है। बैकवर्ड क्लासेस को सुविधायें मिली, लेकिन अदर-बैकवर्ड क्लासेस को, सोशियल, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, कोई भी सुविधा नहीं मिली, जिससे यह विरोधाभास हो गया और उसकी उन्नति नहीं हो पाई। आज हम लोग यहां पहुंच गए हैं कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई इज्जत नहीं रह गई है। उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, घर उजाड़े जाते हैं, बहू-बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। इसके पक्के प्रमाण पीपरा, देऊली, कफाल्टा आदि हैं। इन सारी जगहों को देखें, तो इन लोगों की स्थिति दूसरे और तीसरे दर्जे के सिटीजन की भी नहीं रह गई है। इनके जान-माल और इज्जत की कोई सुरक्षा नहीं है और इसके लिए किसी को परवाह भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, मरते हैं तो मरें और जीते हैं तो जीयें।

अब मैं आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को माननीय सदस्यों ने साधुवाद दिया है, बहुत-बहुत बधाई दी है, उसकी प्रशंसा की गई है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक मोनुमेंट रिकार्ड तैयार किया है और यह रिकार्ड बहुत ही वैज्ञानिक है और उन सभी सही बातों का ध्यान रखा गया है जो काका कालेलकर कमीशन के वक्त में ध्यान में नहीं आई थीं। काका कालेलकर कमीशन की अनुशंसाओं को न मानने का कारण सरकार ने यह बताया था कि उन्होंने कोई आब्जैक्टिव टेस्ट के आधार पर काइटेरिया का निर्माण नहीं किया था। उसको उन्होंने लिस्ट बनाते समय एप्लाई नहीं किया था। उसमें और भी बहुत-सी बातें थीं, लेकिन इस वक्त मैं एक ही बात का जिक्र करना चाहता हूं—मण्डल कमीशन ने इन सारी बातों का ख्याल रखा है। मण्डल कमीशन ने क्या किया ? उन्होंने सोचा कि वे सभी किसी न किसी दल से आते हैं। दल से न भी आते हों तो भी लोग कह सकते हैं कि इनके राजनीतिक विचार हैं। इसलिये उन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, बल्कि एक एक्सपर्ट कमेटी कांस्टीचूट की। यह कमेटी श्री श्रीनिवासन जी, एमिनेन्ट सोशियोलाजिस्ट, की अध्यक्षता में बनाई गई और उनसे कहा गया कि वे कोई फार्मूला दें जिसके आधार पर सैम्पल सर्वे कण्डक्ट किया जा सके। उन्होंने जो फार्मूला दिया—वह वाल्यूम 1, पेज 52 पर है—

"सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन का मापदण्ड"

1 से 11 तक प्वाइन्ट्स उसमें हैं जिनके आधार पर सैम्पल सर्वे किया गया। अब सैम्पल सर्वे करने वाले कौन थे ? स्टेट गवर्नमेंट्स के इकानामिक ब्यूरो ने वह सैम्पल सर्वे किया—प्रत्येक जिले में दो गांव लिये और उनके आधार पर उन्होंने डेटा कलैक्ट किया। इतना ही नहीं, मंडल

कमीशन ने एक क्वेश्चनेअर तैयार किया और उसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्ट-मेंटस तथा पब्लिक को उनकी राय जानने के लिये भेजा। उसके बाद कमीशन ने देश भर का दौरा किया तथा एम० एल० एज, एम० पीज, पब्लिक-मेन, एकेडेमिशियन्ज, सबके साक्ष्य लिये। एकेडेमिशियन्ज की बैठक बुलाकर उनकी राय ली। काका कालेलकर कमीशन के बाद जितने जुडीशियल प्रोनाउन्समेंटस हुए वे सब ला-इंस्टीचूट को दिये गये ताकि वे उन पर अपनी राय दे सकें, ताकि जो रिकमेण्डेशन्ज की जाय वे वेलिड हो सकें। इन सारे प्रयासों को उस कमीशन ने किया। उसके बाद जो विभिन्न इन्स्टीचूट्स हैं, जैसे टाटा रिसर्च इन्स्टीचूट है, उन सबकी राय ली। इसी सम्बन्ध में मैं उस समय के ला-मिनिस्टर श्री पी० शिवशंकर जी की बात भी सुनाना चाहता हूं। वे भी साक्ष्य देने के लिये आये थे। उनका साक्ष्य पेज 45 पैरा 10, 33 पर दिया गया है—

> "विधि मंत्री श्री पी० शिवशंकर ने यह सुझाव दिया कि सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के उस मापदण्ड का अनुपालन करना ही उचित रहेगा जिस के पक्ष में उच्चतम न्यायालय पहले ही निर्णय दे चुका है, बहुत से मामलों में दूसरा मापदण्ड अपनाने से अन्तहीन विवाद और इससे परेशानी पैदा होगी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि आर्थिक मापदण्ड स्वीकार करने से अब पिछड़े वर्गों पर आघात पहुंचेगा।"
>
> "विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में से अधिकांश की न्यायालयों में जांच-पड़ताल की जा चुकी है और आयोग की इन सूचियों को यथा संभव ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। उनका यह भी मत था कि आरंभिक भर्ती के समय आरक्षण के अतिरिक्त, पदोन्नति के पदों के लिए भी तीन या चार प्रतिशत आरक्षण किया जाना चाहिए।"

इस तरह से आप देखेंगे कि मिनिस्टर्स, एम० पीज, एम० एल० एज, एमिनेन्ट पब्लिक मेन, सारे लोगों के साक्ष्य लिये गए। सब डेटा कलैक्ट करके कम्प्यूटराइज किया गया, कम्प्यूटर भी गवर्नमेंट आफ इण्डिया का था और उससे उन्होंने जो क्राइटेरिया इवाल्व किया उसको उन्होंने कास्ट पर लगाया। ऐसा नहीं किया जैसा ये लोग कह रहे हैं, पहले क्राइटेरिया इवाल्व किया, उसके बाद कास्ट पर लगाया।

इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि इस ढंग से इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। मुख्य बात उसमें है कि एक क्राइटेरिया की और दूसरी परसेन्टेज की। जब क्राइटेरिया उसमें इवोल्व हो गया है तो हमें उसको लागू करने में क्या दिक्कत है।

मैं अपने गृह मन्त्री श्री वेंकटरमन जी को उदारपंथी धारा में मानता हूं, कट्टरपंथी धारा में नहीं मानता हूं। इसलिए उनसे हमें बड़ी आशा है। हमारे जो बड़े-बड़े लोग हुए हैं जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती ये सब उदारपंथी परम्परा के लोग थे। ये लोग पिछड़ी जातियों से पूरी सहानुभूति रखते थे। उसी परम्परा में हमारे गृह मन्त्री जी भी हैं। इसलिए मुझे उनसे आशा है कि हमारी जो उदारपंथी वेल्यूज हैं—

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

जो कि इस श्लोक में कही गयी है :

मैं यह कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन दुनिया में सब जगह है। यह कोई अपने ही देश की बात नहीं है। जो कि बहुत तरक्की किये हुए देश हैं जैसे कि अमेरिका, उनमें भी यह समस्या है। वहां नोग्रो समस्या को लेकर रिजर्वेशन है। वे इसे रिजर्वेशन नहीं कहते हैं। वे इसको पोजिटिव एक्शन कहते हैं। इस नाम के अन्तर्गत वहां प्रोग्राम चलाये जाते हैं। वहां पर इसको रिजर्वेशन नाम देने की जरूरत नहीं समझी गयी है। वहां इसको पोजिटिव एक्शन कहा जाता है। वे पिछड़े हुए समुदायों को दूसरों के बराबर लाना चाहते हैं इसलिए वे इस कार्य को पोजिटिव एक्शन कहते हैं। इसलिए यह सारे मुल्कों में है।

हमारे संविधान में, जैसा कि मैंने कहा, इसके बारे में जो दिया गया है, अगर हम उसका आदर करते हैं तो हमें इस पर तुरन्त अमल करना चाहिए। हमारे गृह मन्त्री जी ने संविधान की तीन बार कसम खायी है। एक केन्डीडेट बनते समय, दूसरे एम० पी० बनने के बाद और तीसरे जब वे मंत्री हुए तब। हम लोगों ने तो उसकी दों बार ही कसम खायी है। संविधान में जो बैकवर्ड क्लासिज के लिए प्रोटेक्टिव क्लासिज हैं उनका भी हमारे गृह मन्त्री जी आदर करें। वे भी हमारे संविधान का अंग हैं। हमें अपने संविधान की गरिमा की रक्षा करने के लिए ऐसा करना चाहिए। हमको संविधान को भंग नहीं करना चाहिए हालांकि मैं इस शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं समझता। हमको संविधान को तोड़ना नहीं चाहिए, हमको संविधान की सभी धाराओं का आदर करना चाहिये और उन्हें अमल में लाना चाहिये। संविधान को डिस्टोर्ट करने, वल्नेराइज करने का प्रयास ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे इसका पूरा प्रयास करें। मैं नहीं समझता कि उनके सामने कोई मजबूरी है।

मैं पहले भी कह चुका हूं कि डेढ़ साल में इस रिपोर्ट को पूरा नहीं किया गया। एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में इन्होंने कह दिया कि उनकी राय जानने के लिये यह रिपोर्ट राज्यों को भेजी गयी है। एक्शन टेकन रिपोर्ट को यह कह कर नहीं टाला जा सकता है। माननीय सदस्य कहेंगे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंसा भड़क उठती है, हिन्दू बैकलैश भड़क उठती है। यह कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष भी है। ये कहते हैं कि इससे हिंसा भड़केगी तो ये जो 52 प्रतिशत लोग हैं जो आज तक इंतजार कर रहे हैं, आपके फैसले का वह फिर सड़क पर आ जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि "याचना नहीं रण होगा, जीवन या मरण होगा" ऐसी स्थिति में देश को लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि जो हमारे संविधान का स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें इतनी लियाकत है कि वह इसको झेल सके और समस्या सुलझा सके।

यहां बैठे हुए एक-दो सदस्यों को छोड़कर जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, सबने इसका समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में गृह मन्त्री जी को बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाये।

श्री रामप्यारे पनिका : मंत्रीमण्डल सम्बन्धी कागजात मंत्री जी को लौटा देने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे ।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री के रूप में मैं अब तब आप पर कर लगाता रहा हूं परन्तु अब मैं आपसे धैर्य पूर्वक उत्तर सुनने का अनुरोध करूंगा । इस चर्चा के संबंध में चाहे कोई कुछ भी कहे परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस विषय पर पूरी चर्चा नहीं हुई है । हमने इस विषय पर चर्चा करने में दो कार्य दिवस लगाये हैं । आम संसदीय कार्य दिवस 6 घण्टे का होता है और इसमें से प्रश्नकाल का एक घण्टा और झगड़े का एक घण्टा कम कर दिया जाये तो विधायी कार्य के लिये हमारे पास चार घण्टे बच जाते हैं और हमने इस पर 8 घण्टे से भी ज्यादा चर्चा की है ।

श्री रामविलास पासवान : नौ घण्टे ।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कहना था उसके लिए उन्हें पूरा अवसर दिया गया है। उनको पूरा अवसर देने का कारण यह है कि यह विषय महत्वपूर्ण है । महोदय, मैं उस समय तक बैठा रहा जब तक इस सम्पूर्ण विषय पर पूरी तरह विचार किये गये और सभा में सभी दलों के सम्बन्धित सदस्यों के विचार सुनने जरूरी थे ताकि इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें सभा में व्यक्त किये गए विचारों से मार्ग दर्शन मिल सके । महोदय, इस चर्चा में दलीय भावना से उठकर विचार व्यक्त किये गये ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह बात सही है ।

श्री आर० वेंकटरामन : सत्तारूढ़ दल के बहुत से सदस्यों ने मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया है और विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है । यदि समस्त चर्चा को गौर से अध्ययन किया जाये तो यही पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक पिछड़ेपन के सम्बन्ध में जो कि हमारे देश में कटुता उत्पन्न कर रहा है, सदन के सभी दलों की एक राय है ।

सदस्यों ने आमतौर पर यही कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें मान ली जानी चाहिए। कुछ सदस्यों ने कहा कि इन सिफारिशों को ज्यों-का-त्यों ही मान लिया जाये । कुछ सदस्यों ने कहा कि कुछ सिफारिशों को मान लिया जाये । जबकि कुछ सदस्यों ने यह कहा कि केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के अलावा अन्य मापदण्ड होना चाहिये । परन्तु ये सभी ऐसे विचार हैं जिनको सरकार ध्यान में रखेगी । सरकार के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई पिछड़ी जातियों की संतोषजनक परिभाषा की और सब राज्यों द्वारा इसे मानने की है ।

मण्डल आयोग ने 3743 पिछड़ी जातियां बताई हैं कालेलकर समिति ने लगभग 2000 पिछड़ी जातियां बताई थी । इससे दो या तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । या तो कालेलकर समिति का कथन गलत था या बाद में बहुत सी अन्य जातियों ने स्वयं को पिछड़े वर्गों में शामिल करा लिया है ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो सकें और दूसरा पक्ष यह है कि शायद कालेलकर समिति की रिपोर्ट के पश्चात् बहुत सी जातियां पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आ गई हैं । इसलिए, महोदय यह कोई मामूली समस्या नहीं है । उदाहरणतः केरल ने 79 जातियों को पिछड़ी जातियां माना है ।

मंडल आयोग ने सिफारिश की है कि वहां 208 पिछड़ी जातियां हैं। हम किस बात को स्वीकार करें ? क्या भारत सरकार तुरन्त कोई आदेश जारी कर सकती है कि 208 जातियों को पिछड़ा वर्ग माना जाये ? तब इस पर केरल सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ? इसी प्रकार तमिलनाडु ने 213 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में अभिनिर्धारण किया है और मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार यह संख्या 283 है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उड़ीसा ने अपने क्षेत्र में किसी भी जाति को पिछड़े वर्ग में नहीं लिया है और मंडल आयोग ने सिफारिश की है कि वहां 224 पिछड़ी जातियां हैं। मैं कुछ ऐसे नमूने दे रहा हूं जिनका सरकार से सम्बन्ध है।

डा० वी० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : उन्होंने विस्तृत अध्ययन करके यह रिपोर्ट दी है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह आपका मत है। क्या मुझे राज्य सरकार का मत नहीं सुनना चाहिये ? यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष की बात सुनी जाए। आप नहीं चाहते कि मैं दूसरे पक्ष की बात सुनूं ? आप कह रहे थे कि सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की है। आप कह रहे थे कि की गई कार्यवाही सम्बन्धी कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई है। क्या राज्य सरकार से विचार-विमर्श करना सरकार द्वारा की गई कार्यवाही नहीं है ? अतः महोदय, मेरा यह सुझाव है कि इस समस्या का सभी पहलुओं से अध्ययन किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मानदण्ड की है। इस बारे में मतभेद है कि क्या आर्थिक पिछड़ापन मानदण्ड होना चाहिए। कई सदस्यों ने कहा है कि आर्थिक पिछड़ापन मानदण्ड नहीं होना चाहिए। वास्तव में उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुसार इसमें आर्थिक पिछड़ेपन को शामिल नहीं किया गया है अथवा इसमें केवल यही कहा गया है कि :

> "सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, और उन्होंने संविधान के अध्याय एवं पण्डित जी समेत विभिन्न व्यक्तियों के भाषणों से उद्धरण दिए हैं। मैंने पढ़ा है कि पंडित जी ने प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए पांचवे संशोधन के सम्बन्ध में यह कहा था कि पिछड़ेपन के साथ "आर्थिक रूप से" शब्द जोड़ा जाए। पण्डित जी ने कहा था "सामाजिक रूप से" शब्द एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें कई बातें अन्तर्निहित हैं और निश्चित तौर पर इसमें आर्थिक रूप से शब्द भी अन्तर्विष्ठ है। इस प्रकार "सामाजिक रूप से पिछड़े हुए" शब्द के लिए पण्डित जी की व्याख्या में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ" शब्द भी शामिल है।"

अतः आप यह नहीं कह सकते कि संविधान तैयार करते समय "आर्थिक रूप से पिछड़े हुए" शब्द की परिकल्पना नहीं की थी। जब इसकी व्याख्या करनी पड़ी तो पहले ही अवसर पर संविधान निर्माता ने स्वयं यह कहा कि आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ेपन का एक अंग है।

मैं कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मुझे इन सभी चीजों की जांच करनी होगी। इन तर्कों में पर्याप्त औचित्य है कि आर्थिक पिछड़ेपन को एक मानदण्ड और परीक्षण के रूप में लिया जाना चाहिए। वास्तव में, मंडल आयोग ने भी इसे माना है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है मानो मंडल आयोग ने ऐसा नहीं कहा हो। वर्गीकरण के लिए उनके द्वारा बताए गए 22 सूत्रों में, उन्होंने पिछड़ेपन के लिए 4 सूत्र दिए हैं। प्रश्न यह है : क्या यह पर्याप्त

है या नहीं ? अतः यह एक ऐसा मामला है जिसकी हमें पुनः जांच करनी है । हम इसकी जांच करेंगे; और अवश्य ही हम ऐसा करने जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूं कि जातिवाद की संकीर्णता से मुक्ति पाने के लिए, हमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शामिल करने के लिए पिछड़ेपन की व्याख्या को और अधिक विस्तृत करना होगा । यह तर्क संगत नहीं है, और उदाहरणार्थ मैं अपने मित्र श्री ईरा अनबारासु के विषय में कहूंगा, वह मेरे एक अच्छे मित्र हैं, अन्य लोग नाराज हो सकते हैं ; वह एक समृद्ध व्यक्ति हैं, उनके लड़के को छात्रवृत्तियों आदि की रियायतें क्यों मिलनी चाहिए और एक गरीब व्यक्ति के लड़के को क्यों नही मिलनी चाहिए । अतः, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जाति को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए । जो मैं कह रहा हूं , वह यह है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शामिल करने के लिए पिछड़ेपन के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए। क्योंकि, अभी हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और क्योंकि हम सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए पिछड़ेपन का मानदण्ड निर्धारित करना चाहते हैं, यही वह समय है जब हम इसे ऐसा व्यापक बनायें जिससे कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सके । लेकिन यह केवल दृष्टिकोण है ; यह सरकार का निर्णय नहीं है । हम इसको ध्यान में रखेंगे ।

इसके अलावा जातियों की शिनाख्त के मामले में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, धर्म-परिवर्तन करने वालों को लीजिए । पिछड़े वर्ग के लोग इसाई धर्म या इस्लाम आदि धर्म-ग्रहण कर लेते हैं । इस मामले में विभिन्न राज्यों में नियमों तथा विनियमों में मिलता हैं। कुछ राज्यों में, केवल धर्म-परिवर्तन करने वाले को ही पिछड़े वर्ग का माना जाता है ; कुछ राज्यों में धर्म-परिवर्तन करने वाले तथा उसके बच्चों को पिछड़े वर्ग का माना जाता है ; और कुछ राज्यों में धर्म-परिवर्तन करने वाले को पिछड़े वर्ग का नहीं माना जाता है । क्या मेरा यह कर्त्तव्य नहीं है कि मैं इन सभी दृष्टिकोणों का समाधान खोजूं और एक ही प्रकार का निदेश दूं या फार्मूला बताऊं जिसे देश के सभी लोग स्वीकार करें । यदि यह ऐसी रिपोर्ट होती जिसका सम्बन्ध केवल सरकार से होता, तो आप मेरे ऊपर आरोप लगा सकते थे कि मैंने इसे तुरन्त ही स्वीकार क्यों नहीं किया । यदि सरकार मंडल आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकर कर लेती है और 3734 जातितों को पिछड़े वर्ग के रूप में मान लेती है, तथा राज्य चाहते हैं कि बिना प्रकार की जातियों को, पिछड़े वर्ग की जातियों के रूप में माना जाए, तो स्थिति भ्रान्तिपूर्ण हो जाएगी । राज्य कुछ और कहेंगे तथा केन्द्र कुछ और ही कहेगा । राज्य तथा केन्द्र को हमेशा इस सूची में सुधार करने के आवेदन किए जाते रहेंगे । इन बातों को सुलझाने में थोड़ा समय लगना बेहतर है, बजाय इसके कि इससे और अधिक भ्रम उत्पन्न हो और असन्तोष पैदा हो । यही कारण है कि हमें इन बातों को निपटाने में अधिक समय की आवश्यकता है ।

इन सब सामान्य बातों को कहने के पश्चात, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री पासवान जी यहां उपस्थित हैं । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों पर हुई चर्चा में भी पासवान जी ने मनु का उद्धरण दिया और उच्च वर्ग द्वारा किए जाने वाले अत्याचार या उत्पीड़न के विषय में सविस्तार वर्णन किया था ।

मैं पासवान जी को बताना चाहता हूं कि वह भागवद् गीता पढ़ें। वास्तव में, मनु हिंदुत्व के सारतत्व नहीं हैं; हिंदुत्व का सार भागवद् गीता में है। भगवान कृष्ण ने ही युद्ध भूमि में हिंदु धर्म के सार तत्व का वर्णन अपने शब्दों में किया था। अतः, सत्य वही है। कृपया अब और आगे मनु का उद्धरण न दें; कृपया भागवद् गीता से ही उद्धरण देने का प्रयत्न करें जो कि हिन्दुत्व का सार है;

श्री रामविलास पासवान : आप मनुस्मृति पर रोक क्यों नहीं लगा देते हैं?

श्री आर० वेंकटरामन : मनु बहुत वर्ष पहले हुए थे। वह आदिम समाज में थे। ऐतिहासिक रूप से, यह आदिम समाज पर लागू होता था।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, जन्माष्टमी का समय बहुत नजदीक आ रहा है। इसलिए, यह समय बहुत अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक 12 बजे जन्माष्टमी हो जाएगी।

श्री आर० वेंकटरामन : जबकि हिन्दू धर्म के सार का भगवान ने युद्ध भूमि में स्वयं वर्णन किया था। वहीं भगवान ने एक बात यह भी कही थी :

'यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।'

वही, जो मुझे देखते हैं, अर्थात भगवान को, वेंकटरामन को नहीं··· भगवान ने कहा था जो मुझे हर वस्तु में देखते हैं, हर वस्तु को मेरे रूप में देखते है, भगवान के रूप में, वही सार तत्व है। गीता में कहीं भी वर्ण, आश्रम, धर्म के बारे में नहीं कहा गया है। वास्तव में गीता का सार है : आत्मा एक है और हमें हर आत्मा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यही गीता मूलभूत सिद्धान्त है। परम वेदांत, परम धर्म का सिद्धान्त यह नहीं है कि लोग भिन्न हैं। इसके विपरीत, हिन्दू धर्म में परम तत्व यह है कि परमात्मा, जीवात्मा दोनों भिन्न नहीं हैं। केवल अद्वैत है और परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही एक हैं और यह सारे विश्व में विद्यमान है। यह तुम में है, मुझ में है, यह सब व्यक्तियों में है। यही सार तत्व है।

एक माननीय सदस्य : वेंकटरामनजी, कृष्ण स्वयं भी पिछड़े वर्ग के थे।

श्री रामविलास पासवान : एकलव्य किस वर्ग का था?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं आपका आभारी हूं। कृष्ण यादव थे। इस प्रकार की बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि हिन्दु धर्म का सार···

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमें मिथ्यावाद फैलाने का भयंकर अपराध नहीं करना चाहिए। जब मंत्री जी कहते हैं कि गीता में वर्णाश्रम का कोई जिक्र नहीं है तो मैं आशा करता हूं कि उन्होंने उसे पढ़ा है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसका उसमें कोई उल्लेख नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा था कि गीता का सार यह है कि आत्मा सम्पूर्ण विश्व और प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा एक ही है और वही

उच्चतम आदर्श है अतः हिन्दुत्व द्वारा किसी तरह से अस्पृश्यता या निन्दा के माध्यम से किसी व्यक्ति का अपमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

पुनः, मैं एक या दो बातों पर संक्षिप्त रूप में कुछ कहना चाहता हूं।

मैं प्रो० पाल से पूर्णतः सहमत हूं कि आर्थिक पहलू पर अधिक बल दिया जाए और इस समस्या का एक समाधान लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। वास्तव में पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है और आर्थिक पिछड़ापन पिछड़ेपन के कारण है। यह एक अन्तर-संबद्ध वस्तु है। लेकिन एक तरीका है जिससे आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं वह है आर्थिक पहलू पर ध्यान दिया जाए। और उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाया जाए और उसमें सुधार किया जाए जिससे कि वे सामाजिक पिछड़ेपन से उभर सकेंगे। हम अपने समाज में देखते हैं कि जो व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन जाता है उसका सामाजिक स्तर बढ़ जाता है। जो व्यक्ति व्यापार आदि में सफलता प्राप्त कर लेता है उसका सामाजिक स्तर बढ़ जाता है।

अतः सबसे बढ़िया तरीका है कि उनका आर्थिक स्तर बढ़ाया जाए; और इसलिए हमने कई योजनाएं प्रारम्भ की हैं; उदाहरण के लिए एन० आर० ई० जी० योजना, ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण विकास योजना आदि।

श्री डी० पी० यादव : वह सारा पैसा चोरों के पास जा रहा है, गरीबों के पास नहीं जा रहा है। वह पैसा इंजीनियर वगैरह खा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के डाकुमेंट्स देखिए। कुछ नहीं हो रहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : कुछ भी हो, मैं धन मंजूर कर रहा हूं। यदि इसे कोई और ले जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? हम 180 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो कि भारत सरकार देती है, और अन्य 180 करोड़ रुपये राज्यों को उपलब्ध कराने होते हैं। 360 करोड़ रुपये एक योजना अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पर खर्च करने होते हैं, और यही सब हम कर रहे हैं। हम देखेंगे यदि कोई···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप आठ घंटे तक बोल चुके हैं। क्या उन्हें उत्तर नहीं देना चाहिए? कृपया उन्हें सुनें उनका उत्तर अकाट्य होगा। उन्हें उत्तर तो देने दें।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री चन्द्रजीत यादव जी यह कहकर अत्यधिक आलोचना कर रहे थे कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं कर सकी; लेकिन यह कहना गलत है कि हमने कोई कार्यवाही नहीं की; क्योंकि इस कार्य के दौरान वास्तव में हमने सरकार के विभिन्न विभागों से विचार-विमर्श किया है; हमने विधि विभाग और राज्य सरकारों से भी सलाह ली है। अतः, आप यह नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं किया। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि समस्या कठिनाईयों से भरी है। यदि आप सरकार पर दबाव डालेंगे, वह कोई निर्णय ले लेगी, लेकिन यह उचित नहीं है। यदि आप कहते हैं 'आप निर्णय लीजिए' आपको बताने के लिए सबसे आसान निर्णय होगा "हम सहमत नहीं हैं?" क्या आप ऐसा चाहते हैं? शायद नहीं। अतः आपको

इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार का मौका देना चाहिए, इसके सभी पहलुओं पर सोचने का मौका दीजिए, और यही कारण है कि इसमें समय लगा।

एक माननीय सदस्य : आप कितना समय इस पर लगाएंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : हम कह नहीं सकते कि कितना समय लगेगा; क्योंकि हमें सभी के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकारों को अपने विभिन्न उत्तर भेजने हैं। इन सब उत्तरों को प्राप्त करने के बजाए जिसमें कि काफी समय लगेगा, सरकार के लिए यह अच्छा होगा कि मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए और फिर उस पर चर्चा करके निर्णय लिया जाए। इससे प्रक्रिया में शीघ्रता आयेगी।

श्री रामविलास पासवान : दो वर्ष पहले ही बीत चुके हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : फिर उसमें एक और समस्या है जो कि बहस के दौरान उठाई गई है। श्री जैनुल बशर ने उसे उठाया था—यह गैर-हिंदुओं में पिछड़े वर्ग के लोगों को पहचानने की समस्या है। जो जांच हिंदुओं के लिए लागू होती है वह गैर-हिंदुओं पर लागू नहीं होती। उसके परिणामस्वरूप, यह महसूस किया जाता है कि उनके प्रति भेदभाव किया जा रहा है। मैं सदन को सूचित करता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस विषय में शिकायत की थी। हम इस पहलू को भी शामिल करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : अगले सत्र के दौरान, हम अल्पसंख्यक आयोग के बारे में चर्चा करेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री भगत सहित कुछ सदस्यों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत, राज्यों को अपने नागरिकों के मध्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पदों में नियुक्ति के लिए आरक्षण का संपूर्ण अधिकार है; और उन्होंने वह बात वहीं पर छोड़ दी।

लेकिन यह सशर्त है जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, अनुच्छेद 16(4) में यह व्यवस्था है :

> "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।"

अतः यह बात नहीं है कि आरक्षण के मामले में राज्यों को बिना शर्त का अधिकार दिया गया है। यदि राज्य इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पिछड़े वर्गों का राज्य में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो उसे आरक्षण का अधिकार है। मंडल आयोग ने भी इस पहलू को नजरअन्दाज कर दिया है।

श्री डी० पी० यादव : आपकी क्या राय है ?

श्री आर० वेंकटरामन : जैसा कि मैं प्रारम्भ में कह चुका हूं, सरकार ने अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। मैं आपके समक्ष मामले के सभी पहलुओं को रख रहा हूं। हमें इन पहलुओं को

भी ध्यान में रखना है क्योंकि मंडल आयोग ने भी इसी प्रकार की राय व्यक्त की है। वे इस पर विचार कर सकते थे। परन्तु प्रतिवेदन से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने उपर्युक्त उपबन्ध पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। हमें इस अनुच्छेद के आधार पर ही यह निर्णय लेना है कि क्या हम बिना किसी प्रतिबन्ध के आरक्षण कर सकते हैं? मंडल आयोग ने भी 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है, इस सम्बन्ध में भी हमारे समक्ष कुछ प्रशासनिक समस्याएं तथा कठिनाईयां हैं। एक तो यह है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पहले ही 22·5 प्रतिशत आरक्षण है। अब पिछड़े वर्गों के लिए भी 27 प्रतिशत आरक्षण करने की बात की जा रही है। हमने विस्थापित व्यक्तियों, अन्धे, विकलांग तथा अन्य व्यक्तियों के लिए भी अन्य आरक्षण किए हुए है। हमने भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए जी-जान से सेवा की है, कुछ आरक्षण किया है। यदि इन सब आरक्षणों की प्रतिशतता की गणना की जाये तो यह 50 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी तथा सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के अन्तर्गत यह नहीं किया जा सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव : तमिलनाडु तथा कर्नाटक ने क्रमश: 68 तथा 66 प्रतिशत आरक्षण किस प्रकार किया हुआ है?

श्री आर० वेंकटरामन : किसी भी व्यक्ति ने इसे चुनौती नहीं दी है।

श्री रामविलास पासवान : कर्नाटक में इसे चुनौती दी गई थी।

श्री आर० वेंकटरामन : किसी भी व्यक्ति द्वारा 66 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती नहीं दी है। अन्य बातों को अवश्य चुनौती दी गई है परन्तु इसे नहीं। (**व्यवधान**)

दूसरी बात यह है कि उन्होंने अत्यधिक पिछड़े तथा पिछड़ा वर्ग, दो श्रेणियां बनाई हैं। श्री नायक द्वारा इस बारे में विगत टिप्पण दिया गया है।

श्री डी० पी० यादव : उन्होंने हस्ताक्षर करने के बाद यह टिप्पण दिया है।

श्री आर० वेंकटरामन : चाहे वह कभी भी दिया गया हो, उन्होंने विगत टिप्पण दिया अवश्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी पिछड़े वर्गों को एक ही श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कुछ लोग दलित पिछड़े वर्ग के हैं तथा इसलिए उन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक सुरक्षा दी जानी चाहिये। तमिलनाडु ने ऐसे अत्यधिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा विवेचित वर्तमान कानून के अनुसार चूंकि केवल 50 प्रतिशत ही आरक्षण किया जा सकता है, इन समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। हमें वह तरीका खोजना पड़ेगा। जिसके अन्तर्गत हम विस्थापितों, भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि को सुरक्षा अथवा आरक्षण दें सके। मैंने इसे अमान्य नहीं कहा है परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि हमें इन समस्याओं पर विचार करना है। लोग कहते हैं कि आप मंडल आयोग के प्रतिवेदन को पूर्णत: स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये समस्याएं प्रस्तुत हो जायेंगी। हम एक समस्या का भी समाधान नहीं कर सकेंगे परन्तु ऐसी सैंकड़ों पैदा कर लेंगें। (**व्यवधान**) हम इन समस्याओं का सन्तोषजनक समाधान निकाल लेंगे। इन हमस्याओं के हल द्वारा ही हम मुख्य समस्या सुलझा सकेंगे। अन्यथा, यदि इन्हें सुलझाए बिना ही हम इन्हें स्वीकार कर लेंगे तो अनेक समस्याएं पैदा हो जायेंगी तथा बहुत से मुकदमें लड़ने [पड़ेंगे।

मैंने मामले के सभी पहलुओं पर उचित ध्यान दिया है। मैं सदस्यों को और अधिक इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं आपको तथा सभा को अपनी बात शान्ति पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व···(व्यवधान) जी हां, श्री झा इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पूर्व एक अन्य मद अर्थात् राज्य सभा से सन्देश पढ़ा जायेगा।

———

राज्यसभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 10 अगस्त, 1982 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 14 जुलाई, 1982 को पारित संविधान (46 वां संशोधन), विधेयक 1982 को संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 10 अगस्त, 1982 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1982 को पारित पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1982 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(तीन) "मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बृहस्पतिवार 5 अगस्त, 1982 को अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया है :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में राज्यसभा के एक सदस्य का चुनाव करे तथा यह निर्णय करती है कि सभा एकल हस्तान्तरणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसरण में प्रो० एन०एम० काम्बले की 2 अप्रैल, 1982 को राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के एक सदस्य की नियुक्ति करने हेतु एक सदस्य का चुनाव किया जाये।"

'मुझे लोक सभा को आगे यह बताने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री रामभगत पासवान, सदस्य, राज्य सभा को उक्त संयुक्त समिति में निर्वाचित किया गया है।'

(चार) "मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज, 11 अगस्त, 1982 की अपनी बैठक में भारतीय पशु-चिकित्सा विधेयक, 1981 सम्बन्धी संयुक्त समिति में लोक सभा के एक सदस्य की नियुक्ति के बारे में निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया है :

"कि यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा श्री मालवदेव जी एम० ओडेदरा के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर भारतीय पशु-चिकित्सा विधेयक, 1981 के सम्बन्ध में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में लोक सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे तथा इस सभा को लोक सभा द्वारा उक्त समिति में निर्वाचित किए गए सदस्य के नाम की सूचना दें।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में ही मैं कहना चाहता हूं···

श्री ईरा अनबारासु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में कोरम पूरा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। कोरम को चुनौती दी जा रही है। सदस्यों को बुलाने के लिए घंटी बजाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में कोरम पूरा नहीं है। कोरम के अभाव में सभा की बैठक शुक्रवार, 13 अगस्त, 1982 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित की जाती है।

11.50 म० प० तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 13 अगस्त, 1982/22 श्रावण, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———

मित्तल प्रिण्टर्स, K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032